

MAPA-201

# विकास प्रशासन

DEVELOPMENT ADMINISTRATION



उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी- 263139

फोन नं0- 05946- 261122, 261123

टॉल फ्री नं0- 18001804025

ई-मेल- [info@uou.ac.in](mailto:info@uou.ac.in)

वैबसाईट- <http://uou.ac.in>

**अध्ययन मंडल**

प्रो० गिरिजा प्रसाद पाण्डे निदेशक- समाज विज्ञान विद्या शाखा उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	प्रो० अजय सिंह रावत उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड
प्रो० एम० एम० सेमवाल राजनीति विज्ञान विभाग केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गढवाल, उत्तराखण्ड	प्रो० मधुरेन्द्र कुमार (विशेष आमंत्रित सदस्य ) राजनीति विज्ञान विभाग कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड
डॉ० ए०के० रुस्तगी, रीडर, राजनीति विज्ञान जे०एस०पी०जी० कॉलेज, अमरोहा, उत्तर प्रदेश	डॉ० सूर्य भान सिंह, असिस्टेन्ट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड
डॉ० घनश्याम जोशी (असिस्टेन्ट प्रोफेसर) उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	
<b>पाठ्यक्रम संकलन और सम्पादन</b>	
डॉ० घनश्याम जोशी (असिस्टेन्ट प्रोफेसर) लोक प्रशासन विभाग उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	
<b>इकाई लेखक</b>	<b>इकाई संख्या</b>
डॉ० सत्य नंदन भगत, राजनीतिविज्ञान विभाग राजकीय महाविद्यालय, कोटाबाग, उत्तराखण्ड	1, 2, 3, और 23, 24, 25, 26
डॉ० अंजु पारीक लोक प्रशासन विभाग, एसकालेज ०जी०पारीक पी ०जी०एस०, जयपुर	4, 5, 6, 7
डॉ० मनीषा माथुर, लोक प्रशासन विभाग, कनोरिया राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, जयपुर	9, 10, 11
डॉ० जाकिर हुसैन, सेवानिवृत्त प्रोफेसर सहसवानी टोला, ओल्ड सीटी, बरेली, उत्तर प्रदेश	12, 13, 14, 15, 16, 17
डॉ० घनश्याम जोशी, लोक प्रशासन विभाग लोक प्रशासन विभाग, यू० ओ० यू०	8, 18, 19, 20, 21, 22

**प्रकाशन वर्ष- 2021**

**कापीराइट @ उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय**

**प्रथम संस्करण- 2021**

प्रकाशक निदेशालय- उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

प्रकाशन से पूर्व की प्रति।

## अनुक्रम

<b>खण्ड- 1 खण्ड-1 संकल्पना और दृष्टिकोण</b>	
1. विकास प्रशासन- संकल्पना और अर्थ	1 – 12
2. उद्भव, क्षेत्र और महत्व	13 – 20
3. भारत में विकास प्रशासन की संवृद्धि	21 – 33
<b>खण्ड- 2 विकास नीति एवं नियोजन</b>	
4. स्वतन्त्रता के समय भारत की सामाजिक आर्थिक रूपरेखा	34 – 45
5. मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल तथा इसका तर्क संगत आधार और महत्व	46 – 56
6. योजना की भूमिका	57 – 67
7. विकास का उद्देश्य	68 – 84
<b>खण्ड- 3 विकास के लिए नियोजन संस्थाएं</b>	
8. योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद	85 – 93
9. राज्य योजना तन्त्र (मशीनरी)	94 – 112
10. जिला नियोजन	113 – 130
11. आधार स्तरीय नियोजन	131 – 139
<b>खण्ड- 4 अधिकारी तंत्र(नौकरशाही) और विकास</b>	
12. अधिकारी तन्त्र (नौकरशाही) की भूमिका	140 – 152
13. भारतीय अधिकारी तन्त्र (नौकरशाही) की औपनिवेशिक विरासत	153 – 164
14. भारतीय अधिकारी तन्त्र (नौकरशाही) की सामाजिक पृष्ठभूमि	165 – 177
15. तटस्थ बनाम प्रतिबद्ध अधिकारी तन्त्र (नौकरशाही)	178 – 190
16. सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं के बीच संबंध	191 – 203
17. अधिकारी तन्त्र (नौकरशाही) की क्षमता में वृद्धि करना	204 – 216
<b>खण्ड- 5 विकेन्द्रीकरण और विकास</b>	
18. लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की अवधारणा	217 – 224
19. पंचायती राज का उद्भव और भूमिका, उभरते प्रतिमान	225 – 235
20. पंचायती राज का भविष्य एवं समस्याएं	236 – 243
21. स्वैच्छिक अभिकरणों की भूमिका	244 – 253
22. सहकारिता एवं विकास	254 – 254
<b>खण्ड- 6 सार्वजनिक क्षेत्र और विकास</b>	
23. सार्वजनिक/सहकारी क्षेत्र और विकास	265 – 275
24. सार्वजनिक उद्यम के स्वास्थ्य	276 – 288
25. विकास निगमों की भूमिका	289 – 295
26. सार्वजनिक क्षेत्र की प्रशासनिक समस्याएं	296 – 305

## इकाई- 1 विकास प्रशासन- संकल्पना और अर्थ

### इकाई की संरचना

- 1.0 प्रस्तावना
- 1.1 उद्देश्य
- 1.2 विकास प्रशासन की संकल्पना या अवधारणा
- 1.3 विकास प्रशासन का अर्थ
- 1.4 प्रशासनिक विकास अथवा प्रशासन का विकास
- 1.5 प्रशासनिक विकास के साधन
- 1.6 परंपरागत प्रशासन और विकास प्रशासन में अंतर
- 1.7 विकास प्रशासन की विशेषताएँ
- 1.8 सारांश
- 1.9 शब्दावली
- 1.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 1.11 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 1.12 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 1.13 निबन्धात्मक प्रश्न

### 1.0 प्रस्तावना

विकास प्रशासन की अवधारणा बहुत पुरानी नहीं है। इसका उदय तृतीय विश्व के देशों के उदय के साथ-साथ हुआ। यह आधुनिक लोक प्रशासन का परिचायक है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात प्रशासन को जन सहायता, आर्थिक विकास एवं राष्ट्र निर्माण के कतिपय दायित्व सौंपे गए। इससे पूर्व लोक प्रशासन की कार्य प्रणाली परम्परागत सिद्धान्तों पर आधारित थी; अतः उसमें विकास के नवीन तत्वों को सामने लाने के लिए इस अवधारणा का जन्म हुआ। वर्तमान परिस्थितियों में प्रशासन का सार है भिन्न प्रकार के प्रशासनिक संस्थानों की रूपरेखा बनाना एवं आचरण में परिवर्तन की क्षमता लाना, इस परिवर्तन को प्रोत्साहित करने की क्षमता तथा एक ऐसी प्रणाली को जन्म देना जो इस परिवर्तन का परिपालन कर सके। अतः लोकतान्त्रिक मूल्यों के प्रसार तथा लोक कल्याणकारी राज्य की लोकप्रिय अवधारणा ने प्रशासन का स्वरूप विकासमान बना दिया। जिसके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं प्रशासनिक विकास आते हैं।

1960 के दशक में तुलनात्मक प्रशासनिक समूह (CAG) ने अपने अध्ययन के द्वारा यह जानने का प्रयास किया कि इन विकासशील राष्ट्रों के लिए “विकास मॉडल” का क्या स्वरूप होना चाहिए तथा इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की विकास प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए जिसके द्वारा इनकी विकास की रफ्तार तीव्रतम हो सके। इस इकाई में विकास प्रशासन के अर्थ, उसकी विशिष्टताओं एवं उसके मूलस्वरूप के बारे में चर्चा कि जाएगी।

### 1.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप-

- विकास प्रशासन के अर्थ को समझ पायेंगे।
- परम्परागत और विकास प्रशासन के बीच अन्तर को समझ पायेंगे, तथा
- विकास प्रशासन की विशेषताओं का वर्णन कर पायेंगे।

## 1.2 विकास प्रशासन की संकल्पना या अवधारणा

विकास प्रशासन आधुनिक लोक प्रशासन का परिचायक है। विकास प्रशासन एक गतिशील और परिवर्तनशील अवधारणा है जो समाज में आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रयत्नशील है। इसमें विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है।

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के कई राज्यों ने साम्राज्यवादी शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की तथा विश्व के नक्शे पर कई नए प्रभुत्व सम्पन्न राज्यों का उदय हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के क्रान्तिकारी परिवर्तनों ने विकास के नियामकीय प्रशासन को अनुपयोगी बना दिया। समाज का आधुनिकीकरण, वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति, प्रशासन की जटिल प्रकृति एवं राजनितिक संगठन, शहरी एवं ग्रामीण जन-संस्थाओं की स्थापना, समस्याओं के समाधान के प्रति जागरूकता आदि नए विकास के उल्लेखनीय सोपान हैं। इन देशों के लिए यह पहला अनुभव था जब प्रशासन ने जनता को अपने बराबर का भागीदार मानते हुए उसके साथ मिलकर कार्यों को करने का प्रयास किया।

तृतीय विश्व के अंतर्गत आने वाले अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देश विकास कार्यों में लगे हुए हैं इसलिए इन देशों को विकासशील देशों के नाम से जाना जाता है। जिनका प्रमुख विकासात्मक कार्य राष्ट्र निर्माण और सामाजिक-आर्थिक प्रगति है। इसका सम्बन्ध विकासशील देशों की सरकार के प्रशासन से है।

तुलनात्मक लोक प्रशासन की नवीन अवधारणा तथा विश्वव्यापी सामंजस्य की आवश्यकता ने विकास प्रशासन के अध्ययन की ओर रूचि उत्पन्न की है।

सन् 1933 की आर्थिक मंदी तथा द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूरोप के पुर्ननिर्माण हेतु बने “मार्शल प्लान” ने भी विकास प्रशासन की महत्ता को रेखांकित किया।

लोक प्रशासन की परम्परागत सिद्धान्तों की अपर्याप्तता को देखते हुए सर्वप्रथम एडवर्ड डब्ल्यू वीडनर ने विकास प्रशासन की अवधारणा का प्रतिपादन किया।

बाद में प्रो० रिग्स, पॉलोम्बारा, वाटसन, डोनाल्ड सी० स्टोन आदि विद्वानों ने इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विकास प्रशासन दो अर्थों के योग से बना है।

प्रथम, यह विकास कार्यक्रमों के प्रशासन एवं विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सरकार द्वारा बनाई गयी नीतियों एवं कार्यक्रमों को लागू करने के लिए बृहत संगठनों द्वारा प्रयुक्त तरीकों से संबंधित है।

द्वितीय, अप्रत्यक्ष रूप से इसमें प्रशासकीय क्षमता का विकास भी शामिल है। अतः विकास की इस अवधारणा ने परम्परागत प्रशासन को विकासात्मक प्रशासन की ओर उन्मुख कर दिया है जिसमें जनता की सेवा और राष्ट्र के विकास के लिए विकास कार्यों को करना निहित है।

## 1.3 विकास प्रशासन का अर्थ

विकास प्रशासन का अर्थ स्पष्ट एवं सर्व-सम्मत नहीं है। कुछ विद्वानों ने विकास प्रशासन का अर्थ प्रशासन के आधुनिकीकरण से लगाया है। वहीं कुछ विद्वान इसे आर्थिक विकास के लिए एक कुशल साधन के रूप में अधिक महत्व देते हैं तो कई विद्वान इसे प्रशासनिक विकास का ही पर्यायवाची मानते हैं।

शाब्दिक एवं प्रचलित अर्थ की दृष्टि से विकास समाज के गतिशील परिवर्तन और एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था की ओर प्रगति करने का दूसरा नाम है। विकास प्रशासन की रचना का उद्देश्य यह अध्ययन करना है कि लोक प्रशासन सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न परिस्थितिकीय विन्यासों में किस प्रकार कार्य करता है और परिवर्तित भी होता है।

ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार 'विकास' शब्द का अर्थ उच्चतर, पूर्णतर और अधिकतर परिपक्वतापूर्ण स्थिति की ओर बढ़ना है। विकास को मन की एक स्थिति तथा 'एक दिशा' के रूप में भी देखा गया है। रिम्स के अनुसार "विकास एक व्यवस्था की उस क्षमता में वृद्धि है, जिसके अनुसार वह अपने भौतिक, मानवीय तथा सांस्कृतिक पर्यावरण को अपनी इच्छानुसार आकार दे सके।"

विकास नियोजित तरीके से शासकीय निर्देशों के द्वारा लाए गए परिवर्तन की गति है। परन्तु कोई निश्चित लक्ष्य न होने के कारण इसका अर्थ एवं लक्ष्य बेहद परिवर्तनशील है तथा इसका उद्देश्य सर्वदा जीवन की बेहतर स्थिति प्राप्त करने से सम्बन्धित है। इस प्रकार विकास प्रशासन की विशुद्ध व्याख्या करते हुए कहा जा सकता है कि अधिक उत्पादन विकास का मापदण्ड नहीं है, क्योंकि भौतिक विकास तो अनुकूल जलवायु, नवीन औद्योगिक ज्ञान एवं विदेशी सहायता आदि से प्राप्त हो सकता है, किन्तु यह किसी व्यवस्था विशेष की क्षमता में वृद्धि का आधार नहीं है।

विकास प्रशासन शब्द दो शब्दों- विकास तथा प्रशासन के योग से निर्मित हुआ है। विकास में गतिशीलता को महत्व दिया जाता है जिससे आगे बढ़ने का कार्य निरन्तर होता रहे और प्रशासन का अर्थ है सेवा करना। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि विकास प्रशासन में जनता की सेवा के लिए विकास कार्यों को करना निहित है। तथ्यों की दृष्टि से विकास प्रशासन- योजना (Planning), नीति (Policy) कार्यक्रम (Programme) तथा परियोजना (Project) से सम्बन्ध रखता है।

इसमें प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण और सहभागिता जैसे संगठनात्मक मानवीय पहलू पर विशेष बल दिया जाता है। इसमें जनसम्पर्क की व्यापक व्यवस्था होती है तथा जनता और प्रशासन के बीच घनिष्ठ एकरूपता की स्थापना पर जोर दिया जाता है।

इस प्रकार समाज में प्रगति की दिशा में जो भी परिवर्तन होता है उसे विकास की संज्ञा दी जाती है। 'विकास प्रशासन' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भारत के एक प्रशासनिक अधिकारी श्री यू० एल० गोस्वामी ने अपने एक लेख 'दि स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इण्डिया' जो 1955 में 'दि इण्डियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन' में प्रकाशित हुआ था, में किया।

परन्तु इसको औपचारिक मान्यता उस समय प्रदान की गयी जब 'कम्पेरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन' तथा 'कमिटी ऑन कम्पेरेटिव पॉलिटिक्स ऑफ द सोशल साइंस रिसर्च कौंसिल ऑफ द यूएसए' ने इसके बौद्धिक आधार का निर्माण किया। तब से विकास प्रशासन की व्याख्याएँ और परिभाषाएँ बताई जा रही हैं।

विकास प्रशासन की कुछ प्रमुख परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं-

प्रो० ए० वीडनर के अनुसार, "विकास प्रशासन राजनितिक, आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए संगठन का मार्ग दर्शन करता है। यह मुख्य रूप से एक कार्योन्मुख एवं लक्ष्योन्मुख प्रशासनिक प्रणाली पर जोर देता है।"

एफ० डब्ल्यू० रिम्स के अनुसार, "विकास प्रशासन का सम्बन्ध विकास कार्यक्रमों के प्रशासन, बड़े संगठनों खासकर सरकार की प्रणालियों, विकास लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए नीतियों और योजनाओं को क्रियान्वित करने से है।"

जे० डी० मांटगोमरी के अनुसार, "विकास प्रशासन का अर्थ अर्थव्यवस्था (कृषि या उद्योग में, या इन दोनों में से किसी के सहयोग के लिए पूंजीगत आधार संरचना में) योजनाबद्ध परिवर्तन और कुछ सीमा तक राज्य के सामाजिक कार्य (शिक्षा एवं जनस्वास्थ्य) में विकास है।"

डोनाल्ड सी० स्टोन के अनुसार, "विकास प्रशासन निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संयुक्त प्रयास के रूप में सभी तत्वों और साधनों (मानवीय एवं भौतिक) का सम्मिश्रण है। इसका लक्ष्य निर्धारित समयक्रम के अंतर्गत विकास के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति है।"

फेनसॉड के अनुसार, “विकास प्रशासन नवीनता को लाने वाले मूल्यों का वाहक है..... इसमें वे सभी नए कार्य सम्मिलित होते हैं जो विकासशील देशों ने आधुनिकीकरण तथा औद्योगिकीकरण के मार्ग पर चलने के लिए अपने हाथों में लिए हैं। साधारणतया विकास प्रशासन में वे संगठन व साधन सम्मिलित हैं जो नियोजन, आर्थिक विकास तथा राष्ट्रीय आय का प्रसार करने के लिए साधनों को जुटाने और बाँटने के लिए स्थापित किये जाते हैं।”

वी0 ए0 पाई0 पानॉन्दिकर के अनुसार, “विकास प्रशासन उस संरचना, संगठन तथा संगठनात्मक व्यवहार से संबंधित है जो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन की उन योजनाओं एवं कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए है, जिन्हें सरकार ने पूरा करना स्वीकार किया है।”

उनके अनुसार “योजनाबद्ध परिवर्तन का प्रशासन ही विकास है जो विभिन्न नियोजित प्रयासों से परिवर्तन एवं समृद्धि लाने का प्रयास है।”

उपर्युक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से विकास प्रशासन की संकुचित एवं विस्तृत दोनों ही विचारधाराएँ स्पष्ट होती हैं। फेनसाड की परिभाषा संकुचित है तो वीडनर और रिग्स की परिभाषाएँ विस्तृत हैं। विकास प्रशासन में भिन्नता के बावजूद भी सभी विद्वान इस मत से सहमत हैं कि यह कार्योन्मुखी, लक्ष्योन्मुखी, विकासोन्मुखी तथा परिवर्तनमुखी है।

अतः हम यह कह सकते हैं कि विकास प्रशासन का मुख्य लक्ष्य दिशात्मक परिवर्तन है, विकास प्रशासन गतिशील और निरंतर प्रक्रिया है, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विकास प्रशासन संयुक्त प्रयास है, यह तीसरे विश्व के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझने के लिए एक बेहतर साझा प्रयास है, यह सिर्फ विकास प्रशासन का ही नहीं अपितु प्रशासन का विकास भी है, यह नियोजन, नवाचार, जवाबदेयता, पारदर्शिता, कल्याणकारी कानून एवं नीति, सम-सामयिक सुधार तथा लचीलापन इत्यादि लक्षणों से युक्त होता है तथा यह दोनों ही, विकासशील तथा विकसित राष्ट्रों में विकास तथा आधुनिकता लाने के लिए एक प्रशासनिक तंत्र है।

#### 1.4 प्रशासनिक विकास अथवा प्रशासन का विकास

प्रशासनिक विकास एक नवीन अवधारणा है एवं विकास प्रशासन का एक आवश्यक अंग है। विकास प्रशासन का मुख्य विषय विकासात्मक गतिविधियाँ होती हैं, जिसे बदलती हुई परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तित या संशोधित करने के लिए प्रशासनिक विकास आवश्यक है। प्रशासनिक विकास की आवश्यकता विकसित और विकासशील देश दोनों राष्ट्रों के लिए है। अतः ‘प्रशासनिक विकास’ विकास प्रशासन का एक आवश्यक परिणाम है। इसका प्रमुख उद्देश्य निर्धारित प्रगतिशील नवीनतापरक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक प्रणाली में सुधार, प्रशासनिक प्रक्रिया में आधुनिकीकरण, प्रशासकों की मनोवृत्ति तथा आचरण में वास्तविक बदलाव द्वारा प्रशासनिक तंत्र की सामर्थ्य तथा क्षमता में विकास करना है। प्रो0 एफ0 डब्ल्यू रिग्स के अनुसार, “प्रशासनिक विकास निर्दिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति है। यह उपलब्ध साधनों के उपयोग में बढ़ती हुई प्रभावशीलता का प्रतिमान है।” गेराल्ड केडन के अनुसार, “प्रशासनिक सुधारों का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था की कार्यकुशलता एवं गुणवत्ता में वृद्धि के लिए कृत्रिम (सुनियोजित) ढंग से अर्थात् जानबूझकर परिवर्तन किए जाते हैं।” टी0एन0 चतुर्वेदी के अनुसार, “प्रशासनिक विकास का अभिप्राय है प्रशासन को उत्तरोत्तर सुचारु और क्रियाशील बनाना, तथा प्रशासनिक दक्षता और क्षमताओं को उत्तरोत्तर विकसित करना। इसके विचार में यह भाव अंतर्निहित है कि प्रशासन के परंपरागत रूप में जो कमियाँ हों अथवा रिक्तता है उसे दूर करके प्रशासन को नवीन परिवर्तित तथा विकासशील परिस्थितियों के अनुरूप बनाना।”

फुल्टन प्रतिवेदन ने प्रशासन के लिए नवीन व्यावसायिकता एवं विशेषज्ञता पर जोर देते हुए लिखा है कि “एक निकाय के रूप में लोकसेवा को अपने समय की राजनीतिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी समस्याओं

का समाधान करने के लिए तैयार किया जाता है। उन्हें संसार में होने वाले प्रशासनिक विकास के परिवर्तनों तथा स्वदेश में विभिन्न हितों तथा अभीमत्तों के प्रति जागरूक होना आवश्यक है।

प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी कार्यात्मक सेवाओं तथा विशेषज्ञता क्षेत्रों की स्थापना का सुझाव दिया है। संक्षिप्त में कहा जा सकता है कि प्रशासनिक विकास निम्नलिखित विषयों से संबंधित है-

1. प्रशासनिक प्रणाली को ऐसे निर्णय लेने की क्षमता जिनसे पर्यावरण की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और जो बड़े राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो सके।
2. कर्मचारियों के व्यवसायीकरण तथा कार्यों के आकार, विशिष्टीकरण एवं विभाजन में बढ़ोत्तरी।
3. उपलब्ध साधनों के युक्ततम उपयोग में बढ़ती हुई प्रभावशीलता का प्रतिरूप तथा आवश्यकता पड़ने पर साधनों का और अधिक विस्तार।
4. प्रशासनिक सामर्थ्य/योग्यता एवं क्षमता में बढ़ोत्तरी।
5. बाहरी अभिप्रेरणा, उद्योग-तकनीक के हस्तांतरण एवं प्रशिक्षण द्वारा नौकरशाही का आधुनिकीकरण कर विद्यमान प्रशासनिक क्रियाविधि का एक नई यंत्र, प्रणाली में रूपांतरण।
6. अभिक्रम, अभ्यास इत्यादि के स्थान पर ऐसे गुणों की स्थापना जो वास्तविक आवश्यकताओं पर निर्धारित हो।
7. विकास अभिक्रम को प्रोत्साहन देना।
8. प्रशासन का पुनः नियोजन एवं युक्तिकरण।
9. आधुनिकीकरण को संस्कृति संबद्ध बनाना।
10. नौकरशाही की गतिहीनता तथा उसमें फैले हुए भ्रष्टाचार को पूर्णतया समाप्त करना या उसे कम करना।
11. स्थापित संस्थाओं का पुनर्विन्यास तथा उनके प्रशासनिक अधिकारों को प्रत्यायुक्त करना।
12. ऐसे प्रशासकों का प्रबंध करना जो सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों से जुड़ी कार्ययोजनाओं को स्फूर्ति देने तथा उनका संचालन करने में मार्गदर्शन करा सके तथा कुशल नेतृत्व प्रदान कर सके।

### 1.5 प्रशासनिक विकास के साधन

प्रशासनिक विकास के तीन प्रमुख साधन माने जाते हैं जो निम्नलिखित हैं- 1. प्रशासनिक सुधार 2. नवाचार 3. प्रशासनिक उद्विकास।

1. **प्रशासनिक सुधार (Administrative Reforms)**- प्रशासनिक सुधार वे सुनियोजित प्रयास होते हैं जो प्रशासनिक तंत्र में समयानुकूल परिवर्तनों एवं संशोधनों हेतु किए जाते हैं। प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से प्रशासनिक संरचना, संगठन, प्रक्रियाओं, कानूनों, नियमों, व्यवहार, लक्ष्यों तथा कार्यशैली में परिवर्तन लाने का प्रयास किए जाते हैं।
2. **नवाचार (Innovation)**- नवाचार अर्थात् नई खोज के अंतर्गत कुछ नया और उपयोगी तरीका अपनाया जाता है, जैसे- नई विधि, नई तकनीक, नई कार्यपद्धति, नई सेवा, आदि। इससे प्रशासन में नवीनता एवं वैज्ञानिकता का प्रवेश होता है जो विकास के लिए आवश्यक है।
3. **स्वतः प्रशासनिक विकास (Automatic administration development)**- यह प्रक्रिया बिना किसी सुनियोजित प्रयास के स्वतः चलती रहती है। समय एवं परिस्थितियाँ भी प्रशासन को विकसित कर देती है।

वस्तुतः विकास प्रशासन और प्रशासन का विकास या प्रशासनिक विकास दो ऐसी संकल्पनाएँ हैं, जिनका परस्पर संबंध है। यह दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर हैं। विकास का प्रशासन या विकास प्रशासन उतना ही महत्वपूर्ण है



जितना कि प्रशासनिक विकास। अतः इसके दोनों ही आयाम कार्यात्मक रूप से एक दूसरे से संबंधित हैं। रिम्स का मानना है कि इन दोनों पक्षों की परस्पर सम्बद्धता में 'अंडे और मुर्गी' जैसे कार्य-कारण भाव है जिसके आधार पर यह कहना मुश्किल है कि कौन पहले अस्तित्व में आया।

### 1.6 परंपरागत प्रशासन और विकास प्रशासन में अंतर

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए तृतीय विश्व के विकासशील देशों के सम्मुख अनेक नवीन समस्याएँ और चुनौतियाँ थीं। ऐसी पृष्ठभूमि में लोक प्रशासन के परंपरागत सिद्धांतों की उपयोगिता संदिग्ध और असामयिक बन गई। यह अनुभव किया जाने लगा कि नवीन समस्याओं के समाधान के लिए और प्रभावशाली सिद्धांतों की रचना की जानी चाहिए।

परिस्थितियाँ बदल जाने के कारण लोक प्रशासन की परंपरावादी धारणाएँ एवं सिद्धान्त असामयिक बन गए। इस संबंध में प्रो० रिम्स ने लिखा है की, “परम्परागत लोक प्रशासन का साहित्य, प्रशासनिक आचरण तथा उसके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट करने में असमर्थ है।” अतः नवीन अवधारणा के तहत लोक प्रशासन के नवीन आयामों के रूप में विकास प्रशासन अस्तित्व में आया।

परंपरागत प्रशासन कानून और व्यवस्था से संबंधित था। उस समय लोक कल्याण का दायित्व गैर-सरकारी रूप से व्यक्ति, परिवार एवं समाज पूरा करता था। कानून एवं व्यवस्था लोक कल्याण के विरुद्ध नहीं है। राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थापना जनता के विकास एवं कल्याण के लिए परम आवश्यक है। समाज में व्यवस्था और सुरक्षा ना होने पर विकास नहीं हो सकता। परम्परागत प्रशासन में विकास की चिंता तो थी, किंतु उसका दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं था। उस समाज में व्याप्त उपद्रवों को दबाना और कानून-व्यवस्था को स्थापित करना ही अधिकारियों के लिए पर्याप्त माना जाता था। इससे आशा नहीं थी कि वह जन-कल्याण में विशेष रुचि लेगा।

जबकि विकास प्रशासन का ध्यान मुख्यतया सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सरकार द्वारा प्रभावित परिवर्तन लाने पर केंद्रित रहता है। इसके अंतर्गत योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, विकास निगम आदि संस्थाएं आ जाती हैं। विकास प्रशासन समाज के कल्याण के लिए तत्पर रहता है तथा तकनीकी ज्ञान, वित्तीय सहयोग एवं प्रशासनिक संगठन के रूप में इसे अभिव्यक्त करता है। यह लोक प्रशासन का ही एक भाग है। परंपरागत प्रशासन एवं विकास प्रशासन के मध्य अंतर को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है-

परम्परागत प्रशासन	विकास प्रशासन
1. परंपरागत प्रशासन में नियमों, विनियमों एवं आदेशों का पर्याप्त अनुशीलन किया जाता है।	1. विकास प्रशासन लचीला एवं गतिशील होता है।
2. यह रुढ़िवादी एवं परिवर्तन विरोधी होता है।	2. यह परिवर्तन युक्त होता है एवं परिस्थितियों के अनुसार ढल जाता है।
3. इसका उद्देश्य सरल है।	3. इसके उद्देश्य जटिल और अनेक है।
4. इसका संबंध नियामकीय के कार्यों से होता है।	4. इसका संबंध विकास कार्यों से होता है।
5. यह परम्परागत साधनों पर बल देता है।	5. यह नवीनतम प्रौद्योगिकी पर बल देता है।
6. यह योजना पर उतना निर्भर नहीं करता।	6. यह योजना पर बहुत निर्भर करता है।
7. यह अंतर्मुखी होता है।	7. यह बहुमुखी होता है।
8. यह संगठनात्मक बदलाव का विरोध करता है।	8. यह आविष्कारक और रचनात्मक है।

9. इसका सरोकार दैनिक सामान्य कार्यों से है।	9. इसका सरोकार नई जिम्मेदारियों से है।
10. यह यथास्थिति निर्देशित है।	10. यह परिवर्तन निर्देशित है।
11. यह केन्द्रीकरण में विश्वास रखता है।	11. यह विकेन्द्रीकरण में विश्वास रखता है।
12. इसमें जन तथा सहयोग-जनसंपर्क की - ओर बहुत कम ध्यान दिया जाता है।	12. इसमें जनता का सहयोग परम आवश्यक है तथा जनसंपर्क - पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
13. इसके कार्यों का विस्तार क्षेत्र सीमित है।	13. इसके कार्यों का विस्तार क्षेत्र व्यापक है।
14. इसमें प्रशासन और जनता के बीच दूरी बनी रहती है।	14. इसमें दोनों के मध्य की दूरी कम होती है तथा जनता प्रशासन की कमियों की खुलकर आलोचना कर सकती है।
15. परम्परागत प्रशासन में पदसोपान की इकहरी श्रृंखला होती है।	15. विकास प्रशासन एक बहुआयामी गतिविधि है जिसमें विभिन्न विभागों के अनेक विशेषज्ञों के ज्ञान परामर्श एवं सेवा की आवश्यकता होती है। इसमें कोई कार्यकर्ता स्वयं स्वामी नहीं होता।
16. परम्परागत प्रशासन में समस्त सत्ता उच्चाधिकारियों में निहित रहती है।	16. विकास प्रशासन में सभी स्तरों के लिए सत्ता के अधिक हस्तांतरण की आवश्यकता होती है।
17. यह प्रक्रियाओं पर आधारित होती है।	17. यह परिणामोन्मुखी प्रशासन पर आधारित होता है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि परम्परागत और विकास प्रशासन में कार्यों, दर्शन, संरचना और दृष्टिकोण में पर्याप्त अंतर है। टी0एन0 चतुर्वेदी ने इस अंतर को स्पष्ट करते हुए लिखा है। “परंपरागत प्रशासन की प्रतिमूर्ति शुष्क, एकांगी, संकीर्ण, रूचिहीन है तथा नैतिक प्रकृति की है; वहीं विकास प्रशासन की प्रतिमूर्ति एक सक्रिय संगठन की है, जो जन-कल्याण में संलग्न है तथा जो क्षेत्रीय विकास एवं जन-शक्ति के लिए कार्य करता है।” परन्तु डब्ल्यू0 वूड, विलियम हॉट एवं बी0ए0 पाई पानंदीकर जैसे विद्वान प्रशासन को ऐसे सुस्पष्ट वर्गों में विभाजित करने के पक्ष में नहीं हैं।

विलियम हॉट ने परम्परागत एवं विकास प्रशासन में अंतर को स्वीकार न करते हुए कहा है कि, विकास प्रशासन की प्रमुख विशेषताएँ एवं लक्षण परम्परागत प्रशासन में भी दिखाई देते हैं।

परंपरागत प्रशासन एवं विकास प्रशासन के बीच समानता को बी0ए0 पाई पानंदीकर ने निम्न तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है-

1. सामान्य प्रशासन का विद्यमान ढाँचा विकास प्रशासन की सुदृढ़ता एवं दुर्बलता पर निर्णायक प्रभाव डालता है।
2. सरकारी ढाँचे के अंदर दोनों की सत्ता का स्रोत एक है। जैसे मंत्रीमण्डल विधानमण्डल के प्रति उत्तर दायी है।
3. मण्डलायुक्त और जिलाधिकारी जैसे बहुत सारे पदाधिकारी अपने सामान्य एवं विकास कार्य मिलकर करते हैं।
4. नागरिक प्रशासन के सारे कार्यों को एक पूर्ण इकाई के रूप में देखता एवं आँकता है तथा सामान्य एवं विकास प्रशासन में कोई भेदभाव नहीं रखता है।

परम्परागत एवं विकास प्रशासन द्विभाजन के प्रश्न पर मतभेद अब भी मौजूद है, जिसके कारण यह भी वाद-विवाद का विषय बना हुआ है। तथापि यह बात दावे के साथ कही जा सकती है कि विकास कार्यों की पूर्ति के लिए प्रशासन का संपूर्ण अध्ययन आवश्यक है।

इस प्रकार परम्परागत प्रशासन एवं विकास प्रशासन के मध्य कोई ठोस भिन्नता नहीं बनाई जा सकती है। किसी भी देश के विकास के लिए यह अतिआवश्यक है कि वहाँ कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो; जो परम्परागत प्रशासन का दायित्व होता है। जनता की बढ़ती हुई आकांक्षाओं एवं प्रशासन की बढ़ती हुई जटिलताओं के कारण विकास प्रशासन ने उत्साहपूर्वक अनुकरण करने तथा विकास एवं कल्याण कार्यों का दायित्व अपने ऊपर ले लिया है। यह कार्य परंपरागत कार्य से सर्वथा भिन्न नहीं है।

वास्तव में किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए विकास कार्य हाथ में लेने के लिए, कानून और व्यवस्था बनाए रखना एवं सुरक्षा पूर्वशर्तें हैं। परन्तु विकास प्रशासन अधिक प्रशस्त, व्यापक, सहभागी, सुधार संबंधी तथा परिवर्तनाभिमुखी है। परम्परागत प्रशासन को ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करनी होती हैं जिनमें विकास प्रशासन प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सके। अतः विकास प्रशासन, प्रशासन की ही एक शाखा के रूप में उदित हुआ है।

### 1.8 विकास प्रशासन की विशेषताएं

अमेरिका में तुलनात्मक लोक प्रशासन समूह के विद्वानों द्वारा विकसित विकास प्रशासन की अवधारणा मूलतः आधुनिक प्रवृत्ति की है। अपनी प्रकृति के कारण विकास प्रशासन को विकासशील राष्ट्रों में उभरती हुई नव-प्रशासनिक व्यवस्था के साथ जोड़कर देखा जाता है जो कि इन राष्ट्रों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रथम आवश्यकता है। विकास प्रशासन नियोजित प्रयासों, नवाचारों, समयानुकूल सुधारों, लचीलापन तथा कल्याणकारी गतिविधियों के विविध लक्षणों से युक्त है। जहाँ एक ओर एडवर्ड वीडनर ने विकास प्रशासन को प्रक्रियान्मुख और लक्ष्योन्मुख प्रशासनिक तंत्र के रूप में माना है, वहीं दूसरी ओर फ्रेड डब्ल्यू0 रिग्स के अनुसार विकास प्रशासन के अंतर्गत प्रशासनिक समस्याएँ और सरकारी सुधार दोनों ही आते हैं। किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था की क्षमता बढ़ाने और विकास लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए नियोजित विकास की प्रक्रिया अपनाई जाती है। पाई पानिन्दीकर, विशाश सागर तथा मोहित भट्टाचार्या के अनुसार विकास प्रशासन की विशेषताओं को चार तत्वों या लक्षणों से परिभाषित किया जा सकता है- परिवर्तनोन्मुखी, परिणामोन्मुखी, नागरिक-सेवा उन्मुखी तथा कार्य के प्रति वचनबद्धता।

फ्रेड डब्ल्यू रिग्स के अनुसार, “विकासात्मक धारणा का अर्थ सामाजिक व्यवस्था की स्वविवेकीय की स्तर पर अभिवृद्धि है।” उन्होंने पाँच तत्व निर्धारित किए हैं, जिन पर वह बल देता है जो निम्नलिखित हैं-

1. वृद्धि- वह वृद्धि पर जोर देता है जोकि सामाजिक व्यवस्थाओं की स्वायत्ता से संभव होती है तथा ये व्यवस्थाएँ पर्यावरण को ढालती हैं।
2. मूल्य- विकास प्रशासन कार्य संपादन संबंधी मूल्यों पर जोर देता है। जैसे- कार्यक्षमता बढ़ाना, लागत कम करना, सरकार और प्रशासन के उत्पादन यंत्र में सुधार करना आदि।
3. मानवीय विकास एवं मूल्य- यह धारणा विभिन्न मानवीय मूल्यों पर जोर देती है, जिसमें स्वतंत्रता संबंधी न्याय के मूल्य जैसे- स्वतंत्रता, समानता, परिवर्तन तथा यहाँ तक की विकास एवं संदर्भित लक्ष्यों हेतु क्रांति भी सम्मिलित है।
4. पुनर्निर्माण- यह सामाजिक व्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण करता है।
5. विवर्तन- विकास प्रशासन में विवर्तन के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं जो कि स्वायत्तता की प्राप्ति के लिए आवश्यक हैं।

इसके अतिरिक्त विकास प्रशासन की कतिपय प्रमुख विशेषताओं को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है-

1. **परिवर्तन-उन्मुख (Change-Oriented)-** यह विकास प्रशासन की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता है क्योंकि विकास प्रशासन यथास्थितिवाद का विरोध करता है तथा परिवर्तन, सुधार एवं नवाचारों का समर्थक है। यह परिवर्तन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में होता है। इसी विशेषता के कारण विकास प्रशासन परंपरागत प्रशासन से भिन्न/पृथक् है। विकासशील देशों में प्रशासन को निरंतर परिवर्तनों के दौर से गुजरना पड़ता है। जिन राष्ट्रों में प्रशासन में स्थिरता का भाव होता है, वहाँ पर विकास की संभावनाएँ भी क्षीण पड़ जाती हैं। इस प्रकार परिवर्तनशीलता विकास प्रशासन की बहुमुल्य पूँजी है जिसके सहारे यह सक्रिय बना रहता है।
2. **विकासात्मक पद्धति (Development Tendency)-** विकास प्रशासन की प्रकृति विकासात्मक कार्यक्रमों को लेकर चलने की है। फेनसोड के अनुसार, “विकास प्रशासन नवीन सुधारों तथा अभिनवकरणों पर निर्भर करता है।” एक विकासशील राष्ट्र में प्रशासन की सफलता उन सुधारों पर निर्भर करती है जो प्रशासन में प्रचलित दोषों को दूर करने के लिए अपनाए जाते हैं। प्रशासनिक सफलता से तात्पर्य प्रशासन के विकास से है तथा प्रशासन के विकास का तात्पर्य जन-साधारण के अधिकतम कल्याण तथा विकासात्मक प्रवृत्ति से है। इस प्रकार विकास प्रशासन की प्रकृति विकासात्मक कार्यों और उद्देश्यों पर आधारित है।
3. **लक्ष्य-उन्मुखी तथा परिणामोन्मुखी (Goal-Oriented and Result-Oriented)-** चूँकि सामाजिक-आर्थिक तथा राजनीतिक-प्रशासनिक प्रगति तथा बदलाव के कार्य को सीमित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करना है, अतः विकास प्रशासन के लिए यह अनिवार्य है कि वह लक्ष्योन्मुखी तथा परिणामोन्मुखी हो। विकास प्रशासन में केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता है कि क्या किया जा रहा है बल्कि इस बात पर भी ध्यान दिया जाता है कि उसके क्या परिणाम सामने आए हैं। इसकी क्रियान्वयता का सीधा संबंध उत्पादकता से होता है। उदाहरण के लिए प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि, सामाजिक तौर पर साक्षरता या स्वास्थ्य आदि से देखा जाता है।
4. **प्रजातांत्रिक मूल्यों से संबंधित (Related with Democratic Values)-** विकास प्रशासन की एक अन्य विशेषता यह भी है कि प्रजातांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखकर ही प्रशासन का कार्य करता है क्योंकि इसमें मानव अधिकारों और मूल्यों के प्रति सम्मान, जनहित का उद्देश्य तथा उत्तरदायित्व की भावना निहित रहती है। विकास प्रशासन का अर्थ सरकारी-तंत्र द्वारा किए जाने वाले कार्यों से लगाया जाता है; अतः इस हेतु किए जाने वाले प्रयास जनहित तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों से सम्बद्ध रहते हैं।
5. **वचनबद्धता (Commitment to work)-** विकास प्रशासन में संगठनों से इस भूमिका की आशा की जाती है कि वे सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के प्रति वचनबद्ध हों और निश्चित समय के भीतर अपनी कार्यक्रमों को समाप्त करने में रुचि रखें। विकास प्रशासन में शामिल प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यों के प्रति रुचि तथा वचनबद्धता ही इसकी सफलता का मूलमंत्र है। अतः नौकरशाही से यह आशा की जाती है कि उन्हें सौंपे गए कार्यों से वे भावनात्मक रूप से जुड़े तथा उनमें तल्लीन हो कर उन्हें पूर्ण करें।
6. **ग्राहकोन्मुखी तथा नागरिक सेवा-उन्मुखी (Client Oriented and Citizen participation oriented)-** परम्परागत लोक प्रशासन तथा नौकरशाही के अहम में उस व्यक्ति के हितों तथा संवेदनाओं की पर्याप्त अनदेखी की जाती है जिसे वास्तव में प्रशासनिक कार्यों से लाभान्वित होना चाहिए लेकिन इसके विपरीत विकास प्रशासन का मुख्य ध्यान इन्हीं व्यक्तियों या लाभार्थियों की ओर रहता है जिनके लिए नीतियाँ, कार्यक्रम, योजनाएँ तथा परियोजनाएँ निर्मित तथा संचालित की जाती हैं। अतः यह पूर्णतया ग्राहकोन्मुखी तथा नागरिक सेवा-उन्मुखी है जिसका लक्ष्य केवल नागरिकों को कुछ देना ही नहीं बल्कि उनकी सहभागिता प्राप्त करना भी है जो की नौकरशाह की प्रकृति पर बहुत हद तक आश्रित है।

7. **आधुनिकीकरण या नावाचार (Modernization or New methods and technique)-** विकासशील देश आधुनिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत परिवर्तन तथा नवीनता दोनों के गुण समाहित होते हैं। अतः विकास के लिए यह आवश्यक है कि इसको प्राप्त करने के लिए प्रशासन का तरीका परंपरागत ना हो बल्कि यह नए ढाँचों, पद्धतियों तथा कार्यक्रमों को अपनाने के लिए तैयार हो।
8. **जन सहभागिता (People's Participation)-** जन सहभागिता विकास प्रशासन की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। जन सहभागिता के अभाव में लोककल्याणकारी एवं विकासपरक कार्यक्रम एवं योजनाएँ असफल सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए विकास कार्यों की सफलता इस तथ्य पर निर्भर करती है कि उनमें किस सीमा तक सामुदायिक सहभागिता प्रदर्शित होती है। अतः विकास प्रशासन का यह प्रयास रहता है कि प्रशासनिक कार्यों में जनता की सहभागिता सुनिश्चित की जाए।
9. **तात्कालिकता या कालिक आयाम (Temporal Dimension)-** चूंकि सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों को जितनी शीघ्रता से संभव हो सके, लाने का प्रयत्न किया जाता है। अतः समय अथवा काल का विकास प्रशासन में बहुत महत्व होता है। सभी विकास कार्यक्रमों को एक निश्चित काल-सीमा के लिए तैयार किया जाता है। एक निश्चित समय सीमा में पूर्ण लक्ष्य प्राप्त करना ही विकास प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है।
10. **आर्थिक विकास का महत्व (Importance of Economic Development)-** विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आर्थिक विकास को विशेष महत्व दिया जाता है। विकास प्रशासन के सहयोग से आर्थिक विकास तथा प्रशासनिक विकास दोनों ही प्रकार के कार्यक्रम लागू किए जाते हैं। बिना ठोस एवं मजबूत आर्थिक दृष्टि से विकसित हुए बिना कोई भी देश शक्तिशाली नहीं बन सकता। इसलिए विकास प्रशासन ऐसे प्रशासनिक संगठन की रचना करता है जो देश की आर्थिक प्रगति को संभव बनाता है तथा आर्थिक विकास के लिए मार्ग प्रस्तुत करता है। इस परिवर्तनशील स्थिति में जब देश में नवीनीकरण आधुनिकीकरण, तकनीकीकरण तथा मशीनीकरण की लहर दौड़ती है तो प्रचुर मात्रा में धन का व्यय करना पड़ता है यह तभी संभव हो सकता है जब राष्ट्र की वित्त व्यवस्था उत्तम हो। इसके लिए लाभकारी तथा विकासशील आर्थिक योजना प्रारंभ करनी पड़ती है जिसके लिए सर्वोत्तम साधन विकास प्रशासन ही है। जिन राष्ट्रों में विकास प्रशासन के माध्यम से आर्थिक विकास के कार्यक्रम नियोजन से नहीं चलते उन देशों की चालू योजनाएँ वित्त के अभाव में ठप्प पड़ जाती है और ऐसी स्थिति में देश की अर्थव्यवस्था पिछड़ जाती है। अतः समग्र विकास के लिए प्रशासनिक योजनाओं के साथ-साथ महत्वपूर्ण आर्थिक विकास की योजनाओं की ओर भी पूर्ण ध्यान दिया जाना चाहिए।
11. **पारिस्थितिक परिप्रेक्ष्य (Ecological Perspective)-** विकास प्रशासन की अन्य चरित्रगत विशेषता पारिस्थितिक उन्मुख भी है। इसका तात्पर्य यह है कि विकास प्रशासन अपने चारों ओर के परिवेश यानी राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक पर्यावरण को आकार देता है और ये तंत्र भी विकास प्रशासन को समय पर प्रभावित करते हैं। परिवेश विकास प्रशासन के प्रचालन मानदंडों को निर्धारित करता है। यह सामाजिक प्रणाली से मिलता है अर्थात् समाज विकास प्रशासन द्वारा लाए गए केवल उन्हीं परिवर्तनों को स्वीकार करता है जो वांछनीय होते हैं। पर्यावरण विकास प्रशासन की क्रियात्मक परिसीमा निर्धारित करता है। दोनों के बीच में व्यापक परस्पर क्रिया चलती रहती है। प्रशासन में परिवर्तन इसके पर्यावरण को प्रभावित करते हैं तथा पर्यावरण में परिवर्तन का प्रभाव प्रशासन पर भी पड़ता है।

**अभ्यास प्रश्न -**

1. विकास प्रशासन तथा परम्परागत प्रशासन में चार अंतर बताइए।
2. विकास प्रशासन की दो विशेषताएं बताइए।
3. विकास प्रशासन का अर्थ बताइए।
4. प्रशासनिक विकास से आप क्या समझते?

**1.9 सारांश**

इस इकाई में हमने विकास प्रशासन की संकल्पना, विकास प्रशासन के अर्थ एवं प्रशासनिक विकास की संकल्पना को समझाने का प्रयास किया है।

इसके साथ ही साथ परम्परागत प्रशासन एवं विकास प्रशासन के बीच अंतर का विशेष रूप से वर्णन किया है तथा विकास प्रशासन की विशेषताओं का विस्तृत रूप से वर्णन करने के साथ इसे सुस्पष्ट एवं सरल रूप से समझाने का प्रयास किया गया है।

**1.9 शब्दावली**

मार्शल प्लान अथवा यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम- दूसरे महायुद्ध के पश्चात् अमेरिका तथा यूरोप के अनेक दूसरे देशों द्वारा यूरोप की आर्थिक दशा के सुधार के लिए किया गया एक समन्वयात्मक प्रयासायह योजना सबसे पहले अमेरिका के राज्य सचिव जार्ज सी 0 मार्शल द्वारा 5 जून, 1944 को प्रस्तुत किया गया और इसके प्रशासन का दायित्व आर्थिक सहायता प्रशासन ( ई 0 सी 0 ए 0 ) पर था। इस योजना के अन्तर्गत 1948 से लेकर 1951 तक 12 बिलियन की अमेरिकी सहायता का वितरण किया गया। यह योजना 1952 तक जारी रही। ब्रिटेन तथा फ्रांस के नेतृत्व में यूरोप के 16 देशों ने यूरोपियन आर्थिक सहयोग प्रेशन की एक कमेटी गठित की जिसका काम था यूरोप की सहभागिता का समन्वय करना। बाद में यह संस्था के नाम से जानी जाने लगी।

प्रशासनिक क्षमता- साधनों को संचालित करने तथा उनको गतिविधियों के रूप में बदलने की योग्यता समस्याओं को व्यापक रूप से देखते हुए इस प्रक्रिया का पर्यावरण के अनुरूप होना आवश्यक है।

लक्ष्य समूह- यह वह समूह है जिसको विकास परियोजना के अंतर्गत सहायता दिये जाने के लिए चुना जाता है। लक्ष्य समूह को विकास परियोजना के मुख्य लाभ अवश्य मिलने चाहिए। उदाहरण स्वरूप डी 0 डब्लू 0 सी 0 आर 0 ए 0 ( ग्रामीण क्षेत्रों की स्त्रियों एवं बच्चों का विकास) परियोजना का लक्ष्य समूह वे महिलायें एवं बच्चे हैं जिनका संबंध बहुत हद तक समाज के वंचित वर्गों से है।

**1.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर**

1. विकास प्रशासन तथा परम्परागत प्रशासन में अंतर को 1.4 में विस्तृत रूप से बताया गया है, कृपया ध्यान दें।
2. विकास प्रशासन की विशेषताओं को 1.6 में विस्तृत रूप से बताया गया है, कृपया ध्यान दें।
3. विकास प्रशासन का अर्थ 1.3 में विस्तृत रूप से समझाया गया है, कृपया ध्यान दें।
4. प्रशासनिक विकास को 1.3 में विस्तृत रूप से समझाया गया है, कृपया ध्यान दें।

**1.11 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची**

1. लोक प्रशासन के तत्व- एस 0 सी 0 सिंहला
2. विकास प्रशासन- आनंद प्रकाश अवस्थी।
3. प्रशासन एवं लोकनीति- मनोज सिन्हा।

4. लोक प्रशासन सिद्धांत एवं व्यवहार- एम0 पी0 शर्मा और बी0एल0 सडाना।
5. लोक प्रशासन- एम0 लक्ष्मीकांत।
6. लोक प्रशासन- सुरेंद्र कटारिया।
7. विकास प्रशासन- (ई0पी0ए0-3 ,इकाई-1,इम्नू)
8. तुलनात्मक लोक प्रशासन- टी0एन0 चतुर्वेदी।

---

### 1.12 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

---

1. लोक प्रशासन एवं लोकनीति- मनोज सिन्हा।
2. विकास प्रशासन (ई0पी0ए0-3 ,इकाई-1,इम्नू)
3. विकास प्रशासन- आनंद प्रकाश अवस्थी।

---

### 1.13 निबन्धात्मक प्रश्न

---

1. विकास प्रशासन की परिभाषा दीजिए। विकास प्रशासन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
2. परंपरागत प्रशासन एवं विकास प्रशासन के मध्य अंतर का विस्तृत वर्णन कीजिए तथा ये बताइए कि क्या इन दोनों के बीच समानता भी है?



## इकाई- 2 विकास प्रशासन- उद्-भव, क्षेत्र और महत्व

### इकाई की संरचना

- 2.0 प्रस्तावना
- 2.1 उद्देश्य
- 2.2 विकास प्रशासन का उद्-भव (सन् 1950 से वर्तमान तक)
- 2.3 विकास प्रशासन का क्षेत्र
- 2.4 विकास प्रशासन का महत्व
- 2.5 सारांश
- 2.6 शब्दावली
- 2.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 2.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 2.9 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामाग्री
- 2.10 निबन्धात्मक प्रश्न

### 2.0 प्रस्तावना

पिछली इकाई में आपने विकास प्रशासन की संकल्पना एवं अर्थ का विस्तृत अध्ययन किया था। इस इकाई में हम विकास प्रशासन का उद्-भव, क्षेत्र और महत्व का अध्ययन करेंगे।

विकास प्रशासन आधुनिक लोक प्रशासन का परिचायक है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विकास प्रशासन का उदय हुआ। उपनिवेशवादी शोषण से मुक्त हुए नवीन राष्ट्रों एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे देशों की समस्याएँ विकसित देशों की समस्याओं से पूर्णतः भिन्न थीं। इन राष्ट्रों के समक्ष उत्पन्न नवीन समस्याओं के समाधान हेतु विद्वानों का ध्यान विकास प्रशासन की ओर गया तथा इन विकासशील देशों की सहायता हेतु क्रमबद्ध तरीके से विभिन्न विकासपरक कार्यक्रमों का आरम्भ किया गया। विकास प्रशासन का क्षेत्र काफी विस्तृत है तथा इसके क्षेत्र के अन्तर्गत ऐसी समस्त गतिविधियाँ आती हैं जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक तथा औद्योगिक विकास से सम्बन्धित हों और जिसका संचालन सरकार द्वारा किया जाता हो, जो विकास प्रशासन के महत्व को और बढ़ा देता है।

### 2.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप-

- विकास प्रशासन के उद्-भव/उद्-गम के विषय में जानकारी हासिल कर सकेंगे।
- विकास प्रशासन के अध्ययन के विभिन्न उपागमों को समझ सकेंगे।
- विकास प्रशासन के सिद्धान्त एवं व्यवहार के मध्य विकास मुद्दों पर प्रकाश डाल सकेंगे।
- विकास प्रशासन के क्षेत्र को समझ सकेंगे और
- विकास प्रशासन के महत्व की विस्तृत व्याख्या कर सकेंगे।

### 2.2 विकास प्रशासन का उद्-भव (सन् 1950 से वर्तमान तक)

विकास प्रशासन लोक प्रशासन की एक नवीन अवधारणा है। विकासशील एवं अविकसित देशों में विकास लाने के लिए विकास प्रशासन का अभ्युदय हुआ। विकास प्रशासन के सिद्धान्त के उदय के कई कारण माने जाते हैं,



जैसे- द्वितीय विश्व युद्ध से हुए हानि से बचने तथा आर्थिक मंदी से बचने में सफलता पाने के लिए, यूरोप का पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत 'मार्शल योजना', शीत युद्ध के प्रभाव तथा उपनिवेशवाद से स्वतंत्रता की प्रक्रिया आदि। तृतीय विश्व के देशों के उदय अर्थात् द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका जैसे देशों में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रसार तथा लोक कल्याणकारी राज्य की बढ़ती हुई लोकप्रिय अवधारणा ने प्रशासन का स्वरूप विकासमय बना दिया। 'विकास प्रशासन' शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम भारत के एक प्रशासनिक अधिकारी श्री यू० एल० गोस्वामी ने अपने एक लेख 'दि स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया' जो 1955 में 'दि इण्डियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन' में प्रकाशित हुआ था, में किया। इसके बाद अनेक विद्वानों द्वारा विकास प्रशासन की अवधारणा की व्याख्या की गई जिनमें जार्ज ग्राण्ट, एडवर्ड वाइडनर, हैडी, फ्रेड डब्ल्यू० रिग्स, मॉण्टगोमरी, जोसेफ पालोम्बरा जैसे प्रमुख विद्वानों का नाम लिया जा सकता है। परन्तु लोक प्रशासन के परम्परागत सिद्धान्तों की अपर्याप्तता को देख कर एडवर्ड वाइडनर ने विकास प्रशासन की अवधारणा को प्रस्तुत किया जिन्होंने इसे 'लक्ष्योन्मुखी' तथा 'परिवर्तनोन्मुखी' प्रशासन माना था। सन् 1960 में स्थापित तुलनात्मक प्रशासनिक समूह ने विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास पर अपना ध्यान केन्द्रित किया।

सन् 1963 में अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा प्रो० फ्रेड डब्ल्यू० रिग्स की अध्यक्षता में तुलनात्मक प्रशासनिक समूह वर्ग (Comparative Administration Group- CAG) का गठन विकासशील देशों में प्रशासनिक प्रवृत्तियों के परीक्षण के लिए किया।

तुलनात्मक प्रशासनिक समूह (CAG) ने अपने अध्ययन के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया कि विकासशील राष्ट्रों के लिए किस प्रकार का विकास मॉडल तैयार किया जाए तथा विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ऐसी कौन सी विकास प्रक्रिया या तकनीकी अपनाई जाए जिससे इन राष्ट्रों में विकास अत्यधिक तीव्र गति से हो सके। इसी अवधि के दौरान प्रशासकों के प्रशिक्षण पर भी ध्यान दिया गया, ताकि उनकी विकास सम्बन्धी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता विकसित हो सके। इस हेतु तकनीकी सहायता कार्यक्रम के लिए एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिकी राष्ट्रों में प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने पर बल दिया गया। डोनेल्ड सी० स्टोन का भी मानना था कि विकास के मार्ग में सबसे प्रमुख बाधा प्रशासनिक है न कि आर्थिक। लोक प्रशासन के विभिन्न विद्वानों ने विकास प्रशासन के वैकल्पिक उपागमों को खोजना शुरू कर दिया ताकि विकास लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सके। इसके लिए उन्होंने लोक प्रशासन तथा सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के आपसी सम्बन्धों का विश्लेषण करना प्रारम्भ किया, जिसे पारिस्थितिकी परिप्रेक्ष्य या उपागम कहा गया। इस उपागम या परिप्रेक्ष्य के दाता के रूप में प्रो० रिग्स का नाम सबसे प्रमुख है।

लोक प्रशासन में 'इकॉलोजी' या 'परिस्थितिकीय' से मतलब समाज के गहन अध्ययन के साथ ही साथ उन सारे तत्वों का अध्ययन भी आवश्यक है जो प्रशासन के कार्य को प्रभावित करते हैं।

प्रो० रिग्स द्वारा रचित पुस्तक 'The Ecology of Public Administration' में कहा गया कि किसी भी देश की नौकरशाही तथा अन्य राजनीतिक एवं प्रशासनिक संस्थाओं को तभी पूर्ण रूप समझा जा सकता है, जब उसके चारों ओर अर्थात् उन परिस्थितियों, प्रभावों और शक्तियों को समझ लिया जाए जो उनको रूप देने और बदलने में मदद करते हैं। इन प्रभावी तत्वों के अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था मुख्य होती है। इस दृष्टिकोण का उल्लेख प्रो० रिग्स के अलावा जॉन एम० गास, राबर्ट ए० डहल, रास्को मार्टिन आदि विद्वानों ने भी किया।

प्रो० रिग्स ने राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, विशेषकर तुलनात्मक तथा विकास प्रशासन पर अनेक पुस्तक एवं लेख लिखे जिसमें कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें निम्नलिखित हैं- दि इकॉलोजी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (1961), दि एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कन्ट्रीज: दि थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसायटी (1964), डेवलपमेन्ट इन एशिया (1964), थाईलैण्ड: मॉडर्नाइजेशन ऑफ ए ब्यूरोक्रेटिक पॉलिसी (1966)

प्रो0 रिम्स ने विकासशील देशों के प्रशासनिक सिद्धान्तों की व्याख्या करने के लिए अपनी एक नयी अवधारणा विकसित की। उन्होंने इसके लिए तीन विश्लेषणात्मक यंत्र का प्रयोग किया जिसमें- परिस्थितिकीय उपागम, संरचनात्मक-कार्यात्मक उपागम तथा, आदर्श उपागम।

प्रो0 रिम्स के मॉडल की आलोचना भी की गई इसके बावजूद यह कहा जा सकता है कि प्रो0 रिम्स ने विकास को आगे बढ़ाने के लिए नए चिन्तन शैली को जन्म दिया। 1960 के दशक में ही हम नियामक उपागम से आनुभाविक उपागम की ओर आगे बढ़े। 'सुधार' सम्बन्धी कार्यों में रुचि रखने वाले विद्वान अनुभवमूलक ज्ञान की सहायता लेते हैं, जबकि नियामक उपागम का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक ढाँचों और कार्यों के सम्पन्न या बेहतर प्रतिमान को निर्धारित करना है।

1970 के दशक में विकास प्रशासन के अर्थ और मॉडल दोनों में परिवर्तन आया। मानव आवश्यकताओं को प्राप्त करना विकास के उद्देश्यों का मूल लक्ष्य बन गया। इसी बीच वीडनर द्वारा रचित पुस्तक 'डेवलपमेन्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन एशिया'(1970) तथा प्रो0 रिम्स द्वारा रचित पुस्तक 'फ्रन्टीयर्स ऑफ डेवलपमेन्ट एडमिनिस्ट्रेशन' (1970) प्रकाशित हुई। कई विभिन्न विद्वानों ने सामाजिक परिवर्तन की गति को समझने के लिए राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम का प्रयोग किया। इस दशक में सरकार को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय का अत्यधिक सक्षम उपकरण स्वीकार किया गया। 1970 के दशक में सामाजिक विकास के महत्व पर जोर दिया गया। कई संगठनों द्वारा मानव के जीवन स्तर में परिवर्तन लाने के लिए तथा मानव के प्रतिष्ठा को निश्चित करने तथा महत्व प्रदान करने के लिए नई नीतियों तथा कार्यक्रमों के निर्माण पर जोर दिया।

1980 का दशक विकास प्रशासन का तीसरे विश्व के विचार को प्रस्तुत करता है। विद्वान अरविन्द सिंघल विकास की दो समकालीन उपागमों की चर्चा निम्न प्रकार से करते हैं -

- बहुलवादी- विकास के अनेक रास्तों या तरीकों पर बल देता है।
- यह सांस्कृतिक पूर्व धारणाओं में पश्चिमी कम है। इस उपागम के अर्न्तगत नवीन समाज, आर्थिक उद्देश्यों और नीतियों पर जोर दिया जाता है।

अरविन्द सिंघल ने 1980 के दशक में विकास प्रशासन के सिद्धान्त में बदलाव को संक्षिप्त रूप में बताया है। अरविन्द सिंघल के अनुसार, प्रशिक्षण प्रक्रिया उपागम और जन केन्द्रीत उपागम ने ब्लू-प्रिन्ट उपागम और उत्पादन केन्द्रित उपागम का स्थान ले लिया है।

ब्लू-प्रिन्ट एप्रोच या उपागम विकास कार्यक्रमों को प्रशासित करने हेतु कार्य की एक विशिष्ट योजना का प्रारूप तैयार करने पर जोर देता है।

हाल ही में ब्लू-प्रिन्ट एप्रोच के स्थान पर लर्निंग प्रॉसेस एप्रोच को अपनाया जा रहा है, क्योंकि ब्लू-प्रिन्ट एप्रोच का दृष्टिकोण कठोरतापूर्ण, बन्द प्रकृति एवं अनियमिततापूर्ण पाया गया है। इसलिये यह अनुभव किया गया है कि यह उपागम जन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असफल रहा है। इसके विपरीत 'लर्निंग प्रॉसेस एप्रोच' सामाजिक परिवर्तन के आयोजन की सापेक्षतया एक खुली रणनीति है तथा बदलते हुए पर्यावरण के अनुकूल भी है। इसके तहत प्रशासन तथा आम जनता की आपसी समझ के आधार पर संयुक्त प्रयास से समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है, इसके साथ ही साथ इसे व्यावहारिक रूप में लागू भी किया जा सकता है। दोनों उपागमों में अंतर स्पष्ट करते हुए अरविन्द सिंघल कहते हैं कि, "ब्लू-प्रिन्ट एप्रोच लोगों के लिए आयोजन पर बल प्रदान करता है, वहीं लर्निंग प्रॉसेस एप्रोच लोगों के साथ आयोजन पर बल प्रदान करता है।"

विकास प्रशासन का सहभागी या जनता केन्द्रीत उपागम या एप्रोच व्यक्ति को एक ऐसे अभिकर्ता के रूप में देखता है जो लक्ष्यों का निर्धारण, संसाधनों का नियंत्रण एवं उन प्रक्रियाओं का निर्देशन करता है जो उसके जीवन को प्रभावित करती है। इस दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य है जनता में मानसिक शक्ति को बढ़ावा देना एवं प्रशासनिक विकास करना ताकि जनता की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में वह सक्षम हो सके।

अतः यह स्पष्ट है कि इस दृष्टिकोण का मुख्य केन्द्र बिन्दु जनता का विकास, भलाई, सहभागिता, आत्मनिर्भरता तथा स्थायित्व एवं सामाजिक समानता लाने से है।

विकास प्रशासन की धारणा के विकास में उदारीकरण, निजीकरण एवं भूमंडलीकरण का प्रभाव भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। ये तीनों आधुनिक युग की प्रमुख विशेषताएँ हैं। उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमंडलीकरण का सम्बन्ध अन्तराष्ट्रीय एकीकरण से है क्योंकि इसके अंतर्गत सम्पूर्ण विश्व को एक भूमंडलीय गाँव के रूप में देखा जाता है, जिनमें आर्थिक तथा व्यापारिक लेन-देन पर कोई रोक नहीं होता। इससे विकास के नए-नए आयाम निकल कर सामने आ रहे हैं।

भूमंडलीय विकास की धारणा को अन्तराष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सिद्धान्त के आधार ही समझा जा सकता है।

डेविड हैल्ड ने 24 जनवरी, 2002 को ओपन डेमोक्रेसी फोरम पर चर्चा में भाग लिया। उनके अनुसार, विश्व व्यापी अंतः संबद्धता कोई नई बात नहीं है, बल्कि यह कुछ सौ वर्षों से अस्तित्व में है। परन्तु अगर कोई भी इसकी वृद्धि को सूक्ष्म दृष्टि से देखता है तो पाता है कि अब अर्थशास्त्र, राजनीति से लेकर संस्कृति और कानून तक का सतत स्वरूप में परिवर्तन देखा जा रहा है, जिसके फलस्वरूप एक नई किस्म की विश्व व्यवस्था का जन्म हो रहा है।

विकास प्रशासन की यह नवीन धारणा विकास प्रशासन को केवल विकासशील देशों तक ही सीमित नहीं रखती बल्कि इस विचारधारा के विद्वानों का मानना है कि इसमें स्वयं विकसित देशों की विकासात्मक आवश्यकताएँ भी सम्मिलित हैं, जहाँ अत्यधिक विकास स्वयं विकास की निरन्तरता के लिए एक चुनौती बन गया है। इस मान्यता को मानने वाले विचारकों में इजमेन, ओपीओ द्विवेदी, डेविड फैशोल ल्यूक, नेफ डेमियन किंग्सबरी, हरबर्ट वरलिन आदि का नाम प्रमुख है।

### 2.3 विकास प्रशासन का क्षेत्र

विकास प्रशासन लोक प्रशासन की एक नई एवं विस्तृत शाखा है। विकास प्रशासन के क्षेत्र का निर्धारण करना सरल नहीं है, क्योंकि इसका क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। विकास प्रशासन अपने उद्देश्यों के कारण शुरू से ही केवल लोक प्रशासन में नहीं बल्कि अन्य समाजशास्त्रियों के लिए भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिए विकास प्रशासन का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत और परिवर्तनशील होता है। वर्तमान समय में अधिक से अधिक संख्या में कार्यरत समस्त प्रशासनिक अभिकरण विकास प्रशासन के क्षेत्र से ही सम्बन्धित है, जिन्हें निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर समझा जा सकता है-

1. **पोस्टडॉर्ब सिद्धान्त-** विकास प्रशासन लोक प्रशासन का ही विस्तृत रूप है, इसलिए लूथर गुलिक द्वारा प्रतिपादित पोस्टडॉर्ब (POSDCORB) सिद्धान्त विकास प्रशासन के क्षेत्र के लिए भी प्रासंगिक माना जाता है। पोस्टडॉर्ब (POSDCORB) शब्द निम्नलिखित शब्दों के पहले अक्षर से निर्मित हुआ है- P- Planning (नियोजन), O- Organisation (संगठन), S- Staffing (कर्मचारी), D- Direction (निर्देशन), Co- Co- ordination (समन्वय), R- Reporting (प्रतिवेदन), B- Budgeting (बजट) इन सभी सिद्धान्तों के बिना विकास लक्ष्य पूर्ण नहीं हो सकता। अतः विकास प्रशासन में इसे अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक माना गया है।
2. **सामान्य प्रशासन-** इसके अन्तर्गत वे अभिकरण तथा प्रशासनिक कार्य सम्मिलित किए गये हैं जो सरकारी नीतियों का निर्धारण, राजनीति और प्रशासन के बीच समन्वय, प्रशासनिक कार्यों में निर्देशन, नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण से सम्बन्धित हैं। उदाहरण के तौर पर- भारत में मंत्रीमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय एवं केन्द्रीय सचिवालय इसी श्रेणी में आते हैं।

3. **विकास प्रशासन का अभिकरण-** विकास प्रशासन के अभिकरणों की श्रेणी में वे प्रशासनिक अभिकरण आते हैं जो उसके प्रशासनिक संगठन तथा कार्मिक प्रशासन से सम्बन्धित होते हैं। ये अभिकरण सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्षतः उत्तरदायी होते हैं। उदाहरण के लिए- विशिष्ट योजना संगठन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास तथा कृषि विभाग इत्यादि।
4. **जनसहयोग एवं जनसम्पर्क-** विकास प्रशासन को सफल होने के लिए एक आवश्यक शर्त जनता का सहयोग और जनता के साथ सम्पर्क का होना भी माना गया है, क्योंकि जितने भी विकास कार्यक्रम होते हैं वो जनता के कल्याण के लिए बनाए जाते हैं। अतः विकास कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के लिए जनता का सहयोग लेना अति आवश्यक है। साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि जनसंपर्क के माध्यम से जनता को इससे जोड़ा जाए ताकि योजनाओं की संपूर्ण जानकारी तथा लाभ एक-एक लाभार्थी तक पहुँच सके। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जनसहयोग एवं जनसम्पर्क दोनों ही विकास प्रशासन के क्षेत्र को और अधिक महत्वपूर्ण एवं विस्तृत बना देते हैं।
5. **नियोजित परिवर्तन का प्रशासन-** यद्यपि नियोजित परिवर्तन के प्रशासन तथा विकास प्रशासन के अभिकरणों के मध्य कोई स्पष्ट अंतर तो नहीं किया जा सकता, फिर भी नियोजित परिवर्तन के प्रशासन की श्रेणी में योजना आयोग अब नीति आयोग, राज्य योजना विभाग तथा समाज कल्याण विभाग आदि को सम्मिलित किया जाता है।
6. **आधुनिक प्रबंधकीय तकनीक तथा कंप्यूटर प्रणाली का प्रयोग-** नवीन प्रबंधकीय तकनीक को अपना कर हम विकासात्मक कार्यक्रम को और अधिक कुशलता के साथ लागू करने में सफल होते हैं। अतः हमें विकसित देशों से यह तकनीक ग्रहण करनी चाहिए ताकि विकास में आने वाली बाधाओं का हम हल निकाल कर उसे सफल बना सकें। इस हेतु हमें आज के परिवर्तित युग के माँग के हिसाब से कंप्यूटर प्रणाली की सहायता लेना आवश्यक है जिससे हमें विकास कार्यों के क्रियान्वयन में सहायता मिल सके। इन्हीं कारणों से विकास प्रशासन में आधुनिक प्रबंधकीय तकनीक एवं कम्प्यूटर प्रणाली को अपनाया गया है।
7. **प्रशासन की आंतरिक तथा कार्मिक वर्ग की समस्याओं का प्रशासन-** विकास प्रशासन के समक्ष अनेक चुनौतियाँ भी उत्पन्न होती रहती हैं। समय के साथ-साथ इसमें बदलाव भी होते रहते हैं, इसलिए नई योजनाओं तथा परियोजनाओं आदि के लिए कार्मिकों को नए ढंग से शिक्षित एवं प्रशिक्षित किया जाता है। इसलिए यह कहा जाता है कि विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास का सह संबंध एक ही सिक्के के दो पहलुओं के जैसा होता है। विकास प्रशासन में केवल विकास के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन ही नहीं होता, बल्कि प्रशासनिक संगठनों की आंतरिक कार्यकुशलता तथा कार्यरत कार्मिकों के कार्मिक प्रशासन जैसे- भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, एवं पदस्थापना इत्यादि को भी समाहित किया जाता है।
8. **प्रशासन के मानवीय तत्वों का अध्ययन-** विकास प्रशासन के अध्ययन के क्षेत्र में समाज, मूल्य, मान्यताएँ, परम्पराओं, राजनीतिक शक्तियाँ, वर्गों, जातियों, समुदायों तथा आर्थिक संसाधनों सहित उन सभी मानवीय दशाओं एवं तत्वों का अध्ययन भी सम्मिलित हैं, जिनका संबंध विकास प्रशासन तथा सामाजिक आर्थिक नियोजन से किसी न किसी रूप से है, क्योंकि विकास प्रशासन को पारिस्थितिकीय सन्दर्भों में समझना अति आवश्यक है।
9. **राष्ट्र निर्माण तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा समन्वय-** विकास प्रशासन के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्य राष्ट्र निर्माण का है। विकास प्रशासन सामाजिक रीति-रिवाजों की कमियों को सुधार कर विकास कार्यों में होने वाली बाधाओं के निराकरण में बल देता है। विकास प्रशासन का मुख्य केंद्र-बिंदु

विकास से संबंधित होता है। जैसे- औद्योगिकरण, नवीनीकरण, शहरीकरण, लोकतंत्र में विश्वास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य में सुधार लाने तथा रोजगार सृजन आदि से है। इसलिए विकास प्रशासन को लचीला एवं परिवर्तनशील कहा जाता है, जो समय एवं परिस्थिति के साथ बदलाव को स्वीकार करता है। वहीं यह भी महत्वपूर्ण है कि विकास के कार्यक्रमों के संचालन में न सिर्फ देश की सरकारी योजनाओं को शामिल किया जाता है, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के साथ-साथ अन्य राष्ट्र भी विकास योजनाओं को सहायता प्रदान करते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे- अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ-साथ कई संस्थाएँ विकासशील देशों की सहायता एवं विकास हेतु ऋण के माध्यम से सहायता पहुँचाती हैं। इसलिए विकास प्रशासन इन सहायक संस्थाओं एवं अभिकरणों की शर्तों तथा अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए इनके मध्य समन्वय स्थापित कर विकास कार्यों को तीव्र गति के साथ पूर्ण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

- 10. बहुआयामी-** कार्यात्मक दृष्टि से देखा जाए तो विकास प्रशासन का कार्यक्षेत्र अत्यधिक विशाल तथा बहुआयामी (Multidimensional) है। वास्तव में देखा जाए तो लोक प्रशासन एवं विकास प्रशासन का क्षेत्र लगभग एक जैसा है, लेकिन विकास प्रशासन एक विशिष्टता से संबंधित है, जिसका प्रमुख आधार विकास है। विकास प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक ढाँचे का विकास करना है। इसमें समस्त क्षेत्र जैसे- कृषि, सिंचाई, ऊर्जा, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, संचार तथा सामाजिक न्याय आदि इसके बहुआयामी विषय क्षेत्र हैं, जो इसे लोक प्रशासन से भी अधिक महत्वपूर्ण बना देता है।

#### 2.4 विकास प्रशासन का महत्व

विकास प्रशासन के महत्व को समझने के लिए दो बातों को जानना आवश्यक है- सिद्धान्त निर्माण और विकास प्रशासन।

उपर्युक्त दोनों विचार एक दूसरे से अन्योन्याश्रित रूप से सम्बद्ध हैं। तुलनात्मक लोक प्रशासन में सिद्धान्त निर्माण का अधिकतर कार्य विकास से जुड़ा है, जबकि विकास प्रशासन का अध्ययन सिद्धान्त निर्माण से जुड़ा है। विकास की विभिन्न परिस्थितियाँ राष्ट्रों की प्रशासनिक प्रणाली की तुलना से संबंधित होती हैं। यह केवल विकासशील राष्ट्रों के संबंध में ही नहीं, बल्कि नवीन लोक प्रशासन की विचारधारा के साथ सामंजस्य स्थापित करने में भी सहायक हो सकता है। विकास प्रशासन का अध्ययन इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि राजनीति और प्रशासन दोनों अलग-अलग नहीं बल्कि एक-दूसरे के लिए आवश्यक हैं। व्यावहारिक रूप में विकास प्रशासन के महत्व की चर्चा निम्नांकित रूप से की जा सकती है-

1. विकास प्रशासन परम्परागत लोक प्रशासन की कमियों या खामियों की पूर्ति का एक माध्यम सिद्ध हो सकता है, क्योंकि परिवर्तनशीलता और लचीलापन इसके महत्वपूर्ण गुणों में से एक है।
2. लोक कल्याणकारी राज्य के दायित्वों की पूर्ति में विकास प्रशासन महत्वपूर्ण रूप से सहायक सिद्ध होता है।
3. विकास प्रशासन सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता तथा आर्थिक विकास के क्रम में एक सशक्त माध्यम है।
4. विकास प्रशासन जनउन्मुखी; (Peoples – Oriented) होता है। अर्थात् जनता के कल्याण, जनता की समस्याओं के समाधान तथा जन-आकांक्षाओं की पूर्ति में विकास प्रशासन सशक्त रूप से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन करता है।

5. नियोजित अर्थव्यवस्था में विकास प्रशासन एक आवश्यक साधन तथा उपकरण एवं परिवर्तन के तंत्र के रूप में कार्य करता है।
6. विकास प्रशासन सरकारी नीतियों, कानूनों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को तैयार करने तथा उनके क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
7. विकास प्रशासन सामाजिक-आर्थिक विकास, कार्यकुशलता और परिणामों की प्राप्ति के संबंध में आवश्यक नियंत्रण व्यवस्था को संचालित करता है।
8. विकास प्रशासन मानवीय संवेदनाओं तथा प्रतिबद्धताओं के क्रम में युक्तिसंगत व्यवस्था करता है।
9. विकास प्रशासन राष्ट्र निर्माण एवं मानव के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है।
10. विकास प्रशासन समयानुसार नवाचार को अपना कर विकास को आगे बढ़ाने में निरंतर प्रयास करता है।
11. प्रशासनिक विकास के महत्व को विकास प्रशासन में गंभीरता से स्वीकार कर इसमें सुधार करने पर बल प्रदान करता है।

### अभ्यास प्रश्न-

1. विकास प्रशासन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने और कब किया?
2. पोस्टडॉर्ब; (POSDCORB) में 'D' शब्द का क्या अर्थ है?
3. विकास प्रशासन के महत्व को समझने के लिए कौन सी दो बातों को जानना जरूरी है?

### 2.5 सारांश

इस इकाई में हमने विकास प्रशासन के उद्-भव, क्षेत्र और महत्व के बारे में पढ़ा। विकास प्रशासन के विस्तृत अध्ययन में सबसे पहले हमने इसके उद्-भव/उदय कैसे हुआ इस पर चर्चा की। अध्ययन से पता चलता है कि यह एक नवीन अवधारणा है जो विकासशील देशों के आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन एवं प्रक्रिया के रूप में उभर कर सामने आया। 1950 के दशक में इस नवीन अवधारणा ने तृतीय विश्व के देशों के समक्ष उत्पन्न विकास समस्याओं के समाधान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन करना आरम्भ किया। अरविंद सिंघल के अनुसार, विकास प्रशासन से 1950 और 1960 के दशकों में तृतीय विश्व के देशों में जो परिवर्तन आया, वो था विकासशील देशों (तृतीय विश्व) में पारम्परिक समाज से एक विकसित और आधुनिक समाज की ओर अग्रसर होना। विकास प्रशासन को आगे बढ़ाने में तुलनात्मक प्रशासनिक समूह और प्रो0 एफ0डब्ल्यू0 रिम्स का योगदान अतिमहत्वपूर्ण साबित हुआ। इसके अलावा हमने विकास प्रशासन के बहुआयामी रूपों जैसे- आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक तथा सांस्कृतिक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। विकास प्रशासन के अन्तर्गत हमने राष्ट्र निर्माण, नवाचार, नवीनीकरण, औद्योगीकरण जनसहभागिता आदि का अध्ययन किया तथा इसके महत्व को समझने का प्रयास किया।

### 2.6 शब्दावली

पारिस्थितिकी (Ecology)- इसके अन्तर्गत व्यवस्था और पर्यावरण के अंतर-संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर्यावरण से संबंध समाज के प्राकृतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं को सम्मिलित कर उनका अध्ययन करने से है। मूल आवश्यकताएँ- ऐसी आवश्यकताएँ जो जीवन जीने के लिए आवश्यक होती हैं जैसे- भोजन, कपड़ा, मकान शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साधन। जनसहभागिता- राष्ट्र निर्माण में जनता का सरकार या शासन के साथ मिलकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वाहन करना। नवाचार- इसके अंतर्गत कुछ नया तथा उपयोगी तरीका अपनाया जाता है, जैसे- नई तकनीक, नई विधि, नई सेवा, नया उत्पाद तथा नई कार्य पद्धति



आदि। बहुआयामी- अनेक पहलू, विशेषता, दृष्टिकोण तथा घटकों वाला। सामाजिक न्याय- ऐसा न्याय पूर्ण समाज की स्थापना जिसमें सामाजिक-आर्थिक विषमताएँ न हों तथा वह समावेशी हो और एकता पर आधारित हो। समन्वय- किसी भी संस्था अथवा संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य तथा तालमेल स्थापित करना।

### 2.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. यू0 एल0 गोस्वामी ने सन् 1955 में किया था। 2. 'D' का अर्थ - Direction (निर्देशन) से है। 3. सिद्धान्त निर्माण और विकास प्रशासन

### 2.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. लोक प्रशासन के तत्व- डॉ0 एस0सी0 सिंहला
2. प्रशासन एवं लोक नीति- मनोज सिन्हा।
3. तुलनात्मक लोक प्रशासन- त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी।
4. लोक प्रशासन- अवस्थी एवं माहेश्वरी।
5. तुलनात्मक लोक प्रशासन- रमेश अरोरा।
6. प्राचीन एवं आधुनिक प्रशासनिक चिंतक- डॉ0 उमेश कुमार एवं डॉ0 संजय कुमार सिंहा
7. लोक प्रशासन: नए क्षितिज- इंद्रजीत कौर।

### 2.9 सहायक/उपयोगी अध्ययन सामग्री

1. विकास प्रशासन (ई0पी0ए0- 3, इकाई- 2 एवं 3, इग्नू)
2. डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन- एन एप्रोच, इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अंक -10, नं01, पाई पनंदीकर।
3. इंडियाज एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट- ओ0पी0 द्विवेदी तथा आर0बी0 जैना
4. लोक प्रशासन के नए आयाम- मोहित भट्टाचार्या

### 2.10 निबन्धात्मक प्रश्न

1. विकास प्रशासन के उद्-भव के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें।
2. विकास प्रशासन के क्षेत्र की विस्तृत चर्चा करें।
3. विकास प्रशासन के महत्व का वर्णन करें।

## इकाई 3- भारत में विकास प्रशासन की संवृद्धि

### इकाई की संरचना

#### 3.0 प्रस्तावना

#### 3.1 उद्देश्य

#### 3.2 योजनाबद्ध रूप से परिवर्तन- विकास के संबंध में

##### 3.2.1 योजना आयोग

##### 3.2.1.1 नीति आयोग

##### 3.2.2 परियोजना विषयक समिति

##### 3.2.3 कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन कार्यक्रम

##### 3.2.4 राष्ट्रीय विकास परिषद

##### 3.2.5 योजना की नीति

##### 3.2.6 सामुदायिक विकास कार्यक्रम

#### 3.3 स्वतंत्रता पश्चात किए गए उपाय (भूमि सुधार तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम)

#### 3.4 भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण

#### 3.5 भारत में विकास एवं विकास प्रशासन के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण/उपागम

#### 3.6 भारत में प्रशासनिक विकास के विभिन्न विभिन्न चरण

#### 3.7 सारांश

#### 3.8 शब्दावली

#### 3.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

#### 3.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

#### 3.11 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

#### 3.12 निबन्धात्मक प्रश्न

### 3.0 प्रस्तावना

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के समक्ष अनेक नई समस्याएँ एवं चुनौतियाँ उत्पन्न हुईं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, कुपोषण, भूख, बीमारी, न्यून कृषि एवं अल्प औद्योगिक उत्पादन आदि। इसके अलावा 'कुशल मानव शक्ति' की कमी से भी प्रभावित था, जो इन समस्याओं के समाधान में उपयोगी सिद्ध होता। भारत में विद्यमान अर्ध सामंतीय ढाँचा भी इसके लिए जिम्मेदार था। अर्थात् कुछ संभ्रान्त लोगों या मुट्टी भर लोगों के हाथों में धन-सम्पदा केंद्रित थी। इन सभी समस्याओं के निवारण के लिए यह आवश्यक था कि समस्त जनता के हितों और कल्याण के लिए राष्ट्र को विकास के पथ पर ले जाया जाए। इसी क्रम में, आरम्भ के दिनों से ही समस्याओं और चुनौतियों का सामना करने हेतु योजनाबद्ध परिवर्तन को अपनाया गया तथा विकासपरक नीतियों एवं कार्यक्रमों को अपनाया गया।

### 3.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप-

- सन् 1950 से वर्तमान तक उन विभिन्न चरणों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, जिसके कारण विकास प्रशासन विकसित हुआ और उसका संवर्धन हुआ।



- भारत में विकास प्रशासन के विभिन्न तकनीकों, नीतियों तथा ढाँचे का अध्ययन कर सकेंगे, तथा
- विकास के लिए अपनाए गए विभिन्न उपागमों/दृष्टिकोण पर विस्तृत चर्चा कर सकेंगे।

### 3.2 योजनाबद्ध रूप से परिवर्तन- विकास के संबंध में

भारत को एक लंबे अंतराल के बाद स्वतंत्रता प्राप्त हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विभिन्न समस्याओं के समाधान एवं विकास पथ को मजबूत और आगे बढ़ाने हेतु भारत में योजनाबद्ध परिवर्तन की नीति को अपनाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक प्रगति तथा राष्ट्र निर्माण करना था। भारत में आर्थिक एवं एकीकृत समन्वित विकास की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुए संविधान के चतुर्थ अध्याय में विकास-नीति के उद्देश्यों को निर्देशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत रखा गया है। वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के विकास कार्यक्रमों को प्रारम्भ किया गया। अतः यह सर्वविदित है कि भारत में विकास के लिए योजना-निर्माण की पद्धति को अपनाया गया। योजना के लक्ष्यों और उद्देश्यों की संक्षिप्त सूची अग्रलिखित है-

1. राष्ट्रीय आय में वृद्धि लाना।
2. विभिन्न वर्गों एवं क्षेत्रों के बीच की असमानता में कमी लाना।
3. रोजगार के अवसर सृजित करना तथा वृद्धि लाना।
4. कुछ लोगों (संभ्रांत) के हाथों में धन-संपदा का वर्चस्व होने से रोकना।
5. गरीबी हटाना तथा बेरोजगारी में कमी लाना।
6. मनुष्य की मूलभूत न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने की व्यवस्था करना।
7. पर्यावरण सुरक्षा तथा पारिस्थितिकी संरक्षण को बढ़ावा देना।
8. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता और उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि योजना निर्माण के उद्देश्य, मुख्यतः सामाजिक न्याय, समानता के साथ आर्थिक वृद्धि प्राप्त करने तथा आत्मनिर्भरता उत्पन्न करने के लिये किया गया।

#### 3.2.1 योजना आयोग

सन् 1933 में सर्वप्रथम भारत में नियोजन का नाम सुनने में आया, जबकि डॉ० एम० विश्वेश्वरैया ने सन् 1936 में औद्योगिकरण के लिए योजना बनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया। देश की आय को दुगुना करने के उद्देश्य से इन्होंने एक दसवर्षीय योजना बनाई थी, जिसे क्रियान्वित करने के लिए 60 सदस्यों का एक परामर्शी निकाय का सुझाव दिया। सन् 1938 में कांग्रेस पार्टी के अनुरोध पर एक राष्ट्रीय योजना समिति का निर्माण किया गया। पंडित जवाहर लाल नेहरू को इसका सभापति बनाया गया। सन् 1944 में जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में एक योजना समिति बनाई गई। इस समिति ने तीन योजनाएँ प्रकाशित की, जिसे हम बम्बई योजना, गाँधी योजना तथा जन योजना के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात सन् 1946 में एक योजना और परामर्शदात्री बोर्ड की स्थापना की गई। सम्पूर्ण देश के निरन्तर विकास और जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाने तथा तेजी से सुधार लाने हेतु भारत सरकार ने 15 मार्च 1950 के प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग की स्थापना की। योजना आयोग के संगठनात्मक ढाँचे की निम्नलिखित विशेषताएँ थीं-

1. यह एक बहु-सदस्यीय संगठन है जिसके कारण यह एक अनेक संख्यक निकाय है।
2. इसमें पूर्णकालिक सदस्य तथा अंशकालिक दो प्रकार के सदस्य होंगे।
3. अपने सदस्यों की संख्या के अनुसार इसका आकार निश्चित नहीं है।
4. इसमें स्टाफ एवं लाइन अधिकरण का सम्मिश्रण होगा।
5. इसके अन्तर्गत राजनीतिक प्रतिनिधि तथा सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र के विभिन्न विशेषज्ञ होंगे।

6. प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होगा।
7. विभिन्न प्रभागों में कार्यक्रम सलाहकार होंगे।
8. पूर्णकालिक सदस्य विभिन्न प्रभागों तथा अनुभागों के प्रभारी होंगे और इन्हीं प्रभागों तथा अनुभागों के माध्यम से योजना आयोग कार्य करेगा। योजना आयोग के अन्य अधिकारी मुख्य परामर्शदाता तथा संयुक्त सलाहकार होंगे।

15 मार्च 1991 को योजना आयोग का गठन निम्न प्रकार से किया गया था- आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष पूर्णकालिक होता है। सदस्यों में कुछ केंद्रीय मंत्री एवं अन्य पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित मंत्री आयोग के अंशकालिक सदस्य हैं- वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, उद्योग मंत्री, उर्जा मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, वन एवं पर्यावरण मंत्री, विधि तथा न्याय और जल संसाधन मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम-क्रियान्वयन राज्यमंत्री इसके अलावा योजना आयोग के 6 पूर्णकालिक सदस्य भी होते हैं, जो अर्थशास्त्र, इंजीनियरिंग, कृषि आदि क्षेत्रों से लिए गए हैं। यह सभी अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं तथा इन्हें अपने-अपने क्षेत्रों का अत्यधिक ज्ञान तथा अनुभव होता है।

योजना आयोग निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करता है-

1. संसाधनों को निर्धारित करना।
2. देश के साधनों के अधिकतम प्रभावशाली तथा संतुलित उपयोग के लिए योजना बनाना।
3. नियोजन में स्वीकृत कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं के बारे में प्राथमिकताएँ निर्धारित करना।
4. योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु तन्त्र (Machinery) की प्रकृति निश्चित करना।
5. अपर्याप्त संसाधनों को बढ़ाने का प्रयास करना।
6. योजनाओं का अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन करना।

इन सबके अतिरिक्त योजना आयोग वित्तीय संसाधनों, अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, विकास नीतियों, सामाजिक-आर्थिक अनुसंधान, श्रम, रोजगार तथा मानव शक्ति, योजना-समन्वयन, ग्रामीण विकास, ग्राम और लघु उद्योग, समाज कल्याण, शिक्षा, पोषण, सूचना एवं संचार, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण आदि मुद्दों को देखता है।

### 3.2.1.1 नीति आयोग

किन्तु वर्तमान सरकार ने 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर 'भारत परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय संस्था' अथवा नीति आयोग (National Institutions for Transforming India) के सृजन की घोषणा की। योजना आयोग 64 वर्ष तक अस्तित्व में रहा, लेकिन देश की आर्थिक, सामाजिक, आवश्यकताओं को देखते हुए योजना आयोग में भी सुधार या बदलाव की आवश्यकता महसूस होने लगी। इसलिए, जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त, 2014 को अपने पहले स्वतंत्रता दिवस संबोधन में कहा कि वे योजना आयोग की जगह नई संस्था बनाना चाहते हैं, तो वे साझा भावना को ही अभिव्यक्ति दे रहे थे। तदुपरान्त, 1 जनवरी, 2015 को उन्होंने राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था अथवा नीति आयोग के गठन की घोषणा की गयी। योजना आयोग की ही तरह प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के अध्यक्ष हैं।

नीति आयोग की संरचना योजना आयोग का ही प्रतिरूप है। नीति आयोग की संरचना या गठन के रूप में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष सहित का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री को बनाया गया है। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया थे। आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष के साथ-साथ पूर्णकालिक, पदेन, विशेष आमंत्रित सदस्यों के अतिरिक्त एक मुख्य कार्यकारी होता है।

### नीति आयोग के उद्देश्य

नीति आयोग के उद्देश्यों को निम्नांकित बिन्दुओं के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं-

1. राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना।
2. सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, इसको स्वीकार करते हुए राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल और तंत्रों के माध्यम से सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना।
3. ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना और इन सभी को उत्तरोत्तर रूप से सरकार के उच्चतर स्तर तक पहुँचाना।
4. जो क्षेत्र विशेष रूप से आयोग को निर्दिष्ट किए गए हैं उनकी आर्थिक रणनीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को सम्मिलित करने को सुनिश्चित करना।
5. हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देना, जिन तक आर्थिक प्रगति से उचित प्रकार से लाभान्वित ना हो पाने का जोखिम हो।
6. रणनीतिक और दीर्घावधि के लिए नीति तथा कार्यक्रम का ढांचा तैयार करना और पहल करना तथा उनकी प्रगति और क्षमता को मॉनीटर करना। अनुवीक्षण और प्रतिक्रिया के आधार पर नवीन सुधार में उपयोग किए जाएंगे जिसके अन्तर्गत मध्यावधि संशोधन भी हैं।
7. महत्वपूर्ण पणधारियों (Stakeholders) तथा समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय थिंक टैंक और साथ ही साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थाओं के बीच परामर्श और भागीदारी को प्रोत्साहन देना।
8. राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, तथा अन्य भागीदारों के सहयोगात्मक समुदाय के माध्यम से ज्ञान, नवाचार, उद्यमशीलता सहायक प्रणाली बनाना।
9. विकास के एजेंडे के कार्यान्वयन में तेजी लाने के क्रम में अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना।
10. अत्याधुनिक संसाधन केन्द्र बनाना, जो सुशासन तथा सतत् और न्यायसंगत विकास की सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली पर अनुसंधान करने के साथ-साथ पणधारियों तक पहुँचाने में भी मदद करें।
11. आवश्यक संसाधनों की पहचान करने सहित कार्यक्रमों और उपायों के कार्यान्वयन का सक्रिय मूल्यांकन और सक्रिय अनुवीक्षण करना, ताकि सेवाएं प्रदान करने में सफलता की संभावनाओं को प्रबल बनाया जा सके।
12. कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर जोर।
13. राष्ट्रीय विकास के एजेंडा और उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य आवश्यक गतिविधियों का उत्तरदायित्व लेना।

#### नीति आयोग के कार्य

1. राष्ट्रीय उद्देश्यों की रोशनी में राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं के क्षेत्रों और रणनीतियों की एक साझा दृष्टि विकसित करना।
2. निरंतर आधार पर राज्यों के साथ संरचित समर्थन पहल और तंत्र के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, यह स्वीकार करना कि मजबूत राज्य एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं।
3. गाँव स्तर पर विश्वसनीय योजनाएँ बनाने के लिए तंत्र विकसित करना और सरकार के उच्च स्तरों पर इन्हें उत्तरोत्तर विकसित करना।
4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन क्षेत्रों पर, जो विशेष रूप से इसके लिए संदर्भित हैं, कि आर्थिक रणनीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को शामिल किया गया है।

5. हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं होने के जोखिम में हो सकते हैं।
6. रणनीतिक और दीर्घकालिक नीति और कार्यक्रम ढांचे और पहलों को डिजाइन करने के लिए, और उनकी प्रगति और उनकी प्रभावकारिता की निगरानी करें। निगरानी और प्रतिक्रिया के माध्यम से सीखे गए पाठों का उपयोग नवीन सुधार करने के लिए किया जाएगा, जिसमें आवश्यक मध्य-पाठ्यक्रम सुधार भी शामिल हैं। प्रमुख हितधारकों और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समान विचारधारा वाले थिंक टैंकों के साथ-साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी को सलाह और प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, चिकित्सकों और अन्य भागीदारों के एक सहयोगी समुदाय के माध्यम से एक ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता सहायता प्रणाली बनाने के लिए।
7. विकास के एजेंडा के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए अंतर-क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना।
8. अत्याधुनिक संसाधन केंद्र को बनाए रखने के लिए, सुशासन और सतत और न्यायसंगत विकास में सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ-साथ हितधारकों को उनके प्रसार में मदद करने के लिए अनुसंधान का एक भंडार हो।
9. आवश्यक संसाधनों की पहचान सहित कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन की सक्रिय रूप से निगरानी और मूल्यांकन करना, ताकि सफलता की संभावना और वितरण की गुंजाइश को मजबूत किया जा सके।
10. कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना  
राष्ट्रीय विकास एजेंडे के क्रियान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए और उपरोक्त उल्लिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अन्य गतिविधियाँ करना आवश्यक हो सकता है।

### 3.2.2 परियोजना विषयक समिति

देश के विकासपरक गतिविधियों में तीव्रता लाने हेतु सन् 1956 में परियोजना समिति बनाई गई। इस समिति के अध्यक्ष के रूप में गृह मंत्री तथा नियोजन और वित्त मंत्री एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष इसके सदस्य होते थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाने वाले राज्यों के दो मुख्यमंत्रियों को इस समिति के लिए मनोनीत किया जाता था। इस समिति के निम्नलिखित कार्य निर्धारित किए गए थे-

1. विशेष रूप से चुने हुये दलों के द्वारा केन्द्र और राज्यों में जाँच-पड़ताल करना जिसके अन्तर्गत महत्वपूर्ण परियोजनाओं का निरीक्षण करना भी शामिल है।
2. मितव्ययता करने तथा नुकसान (बर्बादी) को बचाने तथा दक्षतापूर्ण ढंग से कुशल कार्यनिष्पादन के लिए संगठनों, पद्धति, रीतियों, प्रक्रियाओं तथा तकनीकों को उपयुक्त रूप में विकसित करने को लेकर पहलकारी अध्ययन करने की व्यवस्था करना।
3. समिति को प्रस्तुत की गई रिपोर्टों (प्रतिवेदनों) में की गई सिफारिशों को सही तरीके से कार्यान्वित करना।
4. ऐसे अन्य कार्य करना जो योजना के निष्पादन में कार्यकुशलता एवं मितव्ययता लाने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा प्रस्तावित किया गया हो।

फिर भी यह समिति सन् 1970 से एक अलग संस्था के रूप में अस्तित्व में नहीं है।

### 3.2.3 कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन कार्यक्रम

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन' की स्थापना सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्घाटन के साथ ही अक्टूबर 1952 में हुई थी। इसका उद्देश्य योजना आयोग के सामान्य मार्ग-दर्शन और निर्देशन में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और

गहन-क्षेत्र विकास स्कीम का मूल्यांकन करना था। आगे चल कर इसके कार्य क्षेत्र में वृद्धि कर दी गई। जैसे- योजनाओं, कार्यक्रमों और सहयोग, ग्रामीण विकास, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य, ग्रामीण उद्योग, विकास तथा सार्वजनिक वितरण आदि का मूल्यांकन संबंधी अध्ययन करना शामिल था।

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन' के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं-

1. कार्यक्रम के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को ध्यान में रखकर कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करना।
2. लाभ लेने वालों पर कार्यक्रमों के प्रभाव का निर्धारण तथा लाभ लेने वाले समुदाय के सामाजिक और आर्थिक ढाँचे का निर्धारण करना।
3. यह स्पष्ट करना कि ग्रामीण जनता ने प्रस्तावित बातों को क्यों स्वीकृत एवं अस्वीकृत किया है।
4. राज्य मूल्यांकन कर्मियों को प्रशिक्षण देना।
5. राज्य मूल्यांकन संगठन को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना आदि।

### 3.2.4 राष्ट्रीय विकास परिषद

इसके अलावा राष्ट्रीय विकास परिषद एक और एजेंसी है, जो विकास योजना तथा नीतियों को बनाने से संबंधित कार्य करती है। 6 अगस्त, 1952 को इसका जन्म हुआ। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और खाद्य, गृह, वित्त, तथा प्रतिरक्षा विभागों के केन्द्रीय मंत्रीगण, मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, योजना आयोग के सदस्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि योजना बनाने की प्रक्रिया में राष्ट्रीय विकास परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं-

1. यह केन्द्र सरकार, योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के मध्य एक कड़ी(समन्वय) का काम करती है।
2. यह राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली सामाजिक-आर्थिक नीति के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करती है।
3. राष्ट्रीय योजना बनाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित करती है।
4. यह समय-समय पर राष्ट्रीय योजनाओं के कार्य की समीक्षा करती है।
5. राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, जिसमें जनता से क्रियात्मक सहयोग प्राप्त करने, प्रशासनिक सेवाओं की दक्षता में सुधार लाने, पिछड़े प्रदेशों तथा वर्गों का पूर्ण विकास सुनिश्चित करने तथा राष्ट्रीय विकास के लिए संसाधन जुटाने के लिए उठाए गए कदम या उपायों की सिफारिश करना शामिल है।

राष्ट्रीय विकास परिषद का महत्व इस बात में निहित है कि यह भारतीय योजना को एक राष्ट्रीय चरित्र प्रदान करने में अपनी भूमिका का निर्वाहन करता है। इसके अतिरिक्त यह परिषद खाद्य, राज्य व्यापार निगम की रचना तथा भूमि सुधार जैसी समस्याओं से भी सम्बन्धित है।

### 3.2.5 योजना की नीति

योजना के समक्ष ऐसी चुनौतियाँ थीं कि वो ऐसी नीतियाँ बनाएं जिससे कम से कम उन समस्याओं में कमी लाई जा सके जिससे जनता व्यापक तौर पर प्रभावित हो रही थी। इसके लिए औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण में सार्वजनिक क्षेत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। राज्य ने परमाणु ऊर्जा, रेल, लौह और इस्पात, प्रतिरक्षा, एयरवेज खनिज, वायुयान, कोयला, जहाज निर्माण, बिजली और अन्य क्षेत्रों में एकाधिकार प्राप्त कर लिया। राज्य का यह भी लक्ष्य था कि निजी क्षेत्रों के उद्योगों को बढ़ाने के लिए वित्तीय तथा साधन प्रदान किए जाएँ। बेरोजगारी, अल्प-बेरोजगारी और छद्म रोजगार की समस्याओं के समाधान हेतु राज्य द्वारा कई योजनाएँ जैसे- जवाहर रोजगार

योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण श्रमिक रोजगार आदि के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रदान किए जा रहे रोजगार के अवसर आदि इस सम्बन्ध में विशेष कार्यक्रम हैं।

इन सब उपायों के अलावा, स्वरोजगार के अवसर भी ग्रामीण एवं शहरी अशिक्षित बेरोजगारों को प्रदान किए जा रहे हैं तथा इसके लिए इनको वित्तीय सहायता या प्रोत्साहन प्रदान किये जा रहे हैं।

वहीं जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव आए तथा विभिन्न भूमि सुधार कानूनों जैसे- काश्तकारी सुधार तथा अधिकतम भूमि सीमा कानून ने विकास पथ को गति प्रदान की।

हरित क्रान्ति' ने कृषि के क्षेत्र में नए एवं विकासपरक परिवर्तन लाए। इसका उद्देश्य खाद्यानों के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। लेकिन इस योजना का कार्यान्वयन कुछ में ही हो पाया जैसे- उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और तामिलनाडु। हालांकि इससे खाद्यानों के आत्मनिर्भरता के स्तर तक के उत्पादन में वृद्धि तक सफल हो पाए। लेकिन इसके बावजूद भी इससे क्षेत्रीय विकास स्तरों में अंतराल बढ़ गया।

### 3.3 स्वतंत्रता पश्चात किए गए उपाय (भूमि सुधार तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम)

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश के समक्ष अनेक समस्याएं विकराल रूप धारण किए हुए थीं, उनमें से एक समस्या यह भी थी, कि कुछ ही लोगों के हाथों में भूमि का स्वामित्व था और उस वक्त देश में अर्ध-सामंतशाही परिस्थितियाँ मौजूद थीं अर्थात् कुछ ही लोगों के हाथों में धन-दौलत केंद्रित थी। इसलिए आरम्भ से ही भूमि सुधार को ग्रामीण और आर्थिक विकास की प्रमुख नीति माना गया है। भूमि सुधार कार्यक्रम की रचना इस ढंग से की गई है कि उससे गाँवों में परंपरागत सामंतवादी सामाजिक-आर्थिक ढाँचा को ध्वस्त किया जा सके। संपत्ति के असमान वितरण को दूर करने के लिए गरीबी हटाओ कार्यक्रम को राष्ट्रीय कार्यसूची में प्रथम स्थान पर रखा गया। इससे गरीबों के सामाजिक स्तर को ऊपर उठाने में सहायता मिली। यही कारण है कि इस कार्यक्रम को केवल आर्थिक विकास का ही नहीं बल्कि सामाजिक उत्थान का भी साधन माना गया।

भूमि सुधार संबंधी उद्देश्यों को निम्नलिखित उपायों द्वारा प्राप्त किया जाना था- जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, अधिकतम भूमि सीमा तथा फलत भूमि का पुर्नवितरण लागू किया जाना, जोतों की चकबंदी।

राज्य और भूमि की जुताई करने वाले (कृषकों) के मध्य में अनेक बिचौलिए (मध्यस्थ) थे। जैसे- जमींदारी तथा जागीरदारी आदि। इससे सबसे बड़ी हानि यह हुई कि कुछ ही लोगों के पास भूमि का स्वामित्व केन्द्रित हो गया तथा कृषि की उपेक्षा भी की गई। जिसके कारण कृषि उत्पादन में भारी गिरावट आ गई। इसका सीधा प्रभाव किसानों पर पड़ा तथा उनकी स्थिति और भी दयनीय हो गई। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कई राज्य सरकारों ने छठे दशक में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पारित किया। जिसके फलस्वरूप 200 लाख किसानों को भूमि का मालिकाना हक मिला। सातवीं योजना के तहत इसे गरीबी उन्मूलन नीति के मूलभूत हिस्से के रूप में स्वीकार किया गया। इसी प्रकार काश्तकारी प्रथा भी जमींदारों द्वारा गाँव के असहाय तथा गरीब किसानों का शोषण करने का एक साधन था। अतः काश्तकारी सुधार का भी उद्देश्य यही था कि 'किसान की भूमि' वाली नीति लागू की जाए। अधिकांश राज्यों में पट्टेदारों को मालिकाना अधिकार दिए जाने तथा काश्तकारों/उप-काश्तकारों आदि को काश्तकारी की सुरक्षा से सम्बद्ध कानून बनाए गए हैं और काश्तकारों के हितों को सुरक्षित किया गया है। लेकिन काश्तकारी कानूनों में कुछ कमियाँ होने के कारण यह अप्रभावी रहा, क्योंकि इसके पास भूमि का समुचित रिकॉर्ड नहीं था न ही प्रभावी प्रशासनिक तंत्र ही था और पट्टा, मजदूर तथा साख-बाजार के बीच कोई आपसी और अन्योन्याश्रित संबंध नहीं था।

इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अधिकतम भूमि सीमा भी बहुत से राज्यों में कानून बनाकर लागू की गई। लेकिन इनमें भी अनेक कमियाँ थीं। जैसे- कानून को छलपूर्ण (कपटपूर्ण) तरीके से अपने अनुसार मोड़ा गया। इसके



अलावा शब्दों की अस्पष्ट परिभाषा की गई तथा अधिकतम भूमि सीमा कानून के लागू होने से बहुत सारी छूट दी गई।

जोतों की चकबन्दी का लक्ष्य हर कोने से उत्पादन में सुधार लाना था। इसके अतिरिक्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विविधता लाना तथा छोटे भू-स्वामियों के लिए सामान्य व्यवस्था, जैसे- सिंचाई के सामुदायिक कुँओं, सिंचाई की वैज्ञानिक योजना आदि की व्यवस्था करना था। इस योजना को लागू करने के लिए अधिकांश राज्यों में कानूनी प्रावधान किए गए हैं। लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। कहीं ना कहीं गुप्त रूप से ऐसी प्रथा का प्रचलन जारी है। इसलिए यह आवश्यक है कि समय-समय पर भूमि सुधार संबंधी कार्यान्वयन के लिए एक नई संस्था का निर्माण किया जाए जिसका संचालन इस कार्य के लिए प्रेरित प्रशासक द्वारा की जाय।

### 3.2.6 सामुदायिक विकास का कार्यक्रम

अक्टूबर, 1952 में सामुदायिक विकास और प्रसार कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस योजना को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सहायता से स्वतंत्र भारत में लागू किया गया। वास्तव में भारत में विकास प्रशासन की नींव यहीं से रखी गई। भारत सरकार ने ग्रामीण पुनर्निर्माण की योजना अपने हाथों में ले ली। इसी क्रम में 2 अक्टूबर, 1952 को देश में 55 सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को प्रारम्भ किया गया।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

1. ग्रामीण समुदाय का सर्वांगीण विकास करना।
2. ग्रामीण और व्यक्ति में सामुदायिक भावना का प्रचार एवं प्रसार करना।
3. स्थानीय नेतृत्व और स्वशासी संस्थाओं को विकसित करना जिससे वे ग्रामीण पुनर्निर्माण के कार्य में सहायता कर सकें।
4. खाद्यानों और कृषि उत्पादन की पद्धतियों में विकास करना।
5. ग्रामीण लोगों में जीवन के प्रति व्यवहारपरक परिवर्तन लाना।

इस प्रकार संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना है। सामुदायिक विकास परियोजनाएँ स्वयं गाँव वालों के प्रयत्नों से और सरकार की सहायता से गाँवों का समग्र विकास करने का उद्देश्य लेकर सरकार के निर्देश में गाँव के लोगों द्वारा ही संचालित की जाती है।

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो कार्यकलाप हैं उनकी लंबी सूची है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यकलाप निम्नलिखित हैं- कृषि तथा समवर्गी क्षेत्र, संचार-साधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, प्रशिक्षण, समाज कल्याण आदि।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम की प्रबंध व्यवस्था चरणवार 5 स्तरों पर लागू किया गया- राष्ट्रीय, राज्य, जिला, खण्ड (ब्लॉक) तथा ग्राम स्तर।

1. केन्द्र (राष्ट्रीय) स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उत्तरदायित्व केंद्र सरकार के ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय के पास है।
2. राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम के संचालन के लिए विकास समितियाँ बनाई गई हैं। इन समितियों के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं तथा विकास विभागों के मंत्री एवं विकास आयुक्त (सचिव के रूप में) कार्य करते हैं।
3. जिला स्तर पर जिला परिषदें इस कार्यक्रम का संचालन करती हैं। इन परिषदों में जनता के प्रतिनिधि, खण्ड पंचायत समितियों के अध्यक्ष, संसद और विधानसभा के सदस्य, सदस्य के रूप में कार्य करते हैं।
4. खण्ड (ब्लॉक) स्तर पर खण्ड पंचायत समिति कार्यक्रम के क्रियान्वयन की देखभाल करती है। इसके अन्तर्गत निर्वाचित सरपंच तथा महिलाओं, पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों के सदस्य होते हैं।

5. ग्राम स्तर पर यह कार्य ग्राम पंचायत के नियंत्रण में चलाया जाता है। ग्राम सेवक या सेविका बहुउद्देशीय विस्तार कर्मचारी के रूप में कार्य करते हैं। एक ग्राम सेवक/सेविका के अधीन दस गाँव होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के द्वारा कार्यक्रम के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में तकनीकी सहायता कार्यक्रम' के अन्तर्गत निधि (Fund) तथा तकनीकी सहायता के रूप में बहुत बड़ा योगदान किया। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार, "सामुदायिक विकास योजना एक प्रक्रिया है जो सम्पूर्ण समुदाय के लिए, उसके पूर्ण सहयोग के लिए आर्थिक और सामाजिक विकास की परिस्थितियों को उत्पन्न करती है और जो पूर्ण रूप से समुदाय की प्रेरणा पर निर्भर करती है।"

### 3.4 भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण

स्वतंत्र भारत में सामुदायिक परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा के मूल्यांकन के लिए एक समिति का निर्माण सन् 1957 में किया गया। इस समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे, इसलिए सामान्य तौर पर यह बलवंत राय मेहता समिति के नाम से प्रसिद्ध है। बलवंत राय मेहता समिति ने सन् 1958 के प्रारम्भ में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसका सार बिंदु निम्नलिखित हैं-

1. सर्वप्रथम लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकेन्द्रीकरण किया जाए, जिससे निर्णय लेने के वक्त केन्द्र जनता के अधिक निकट हो तथा जनता की पूर्ण भागीदारी इनमें हो सके। जिसके लिए त्रिस्तरीय पंचायत की स्थापना की सिफारिश की गई।
2. नौकरशाही (सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी) जनता के नियंत्रण में कार्य करें, इसकी भी सिफारिश की गई। अतः लोकतांत्रिक सत्ता व शक्ति के ढाँचे को जन-जन तक पहुँचाने का एक ही मार्ग है, पंचायती राज व्यवस्था। शक्ति का विकेन्द्रीकरण इसी व्यवस्था में संभव है। महात्मा गाँधी जी पंचायती व्यवस्था को 'लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़' कहते थे। गाँधी जी के अलावा सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का कहना था कि जब तक सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं होता है, लोकतंत्र फल-फूल नहीं सकता। पंचायती राज प्रणाली का शुभारम्भ सन् 1959 में किया गया। सर्वप्रथम 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में इसका उद्-घाटन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा किया गया। इसके पश्चात 11 अक्टूबर, 1959 को आन्ध्र प्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। सन् 1960 में आसाम, तामिलनाडु तथा कर्नाटक एवं सन् 1962 में महाराष्ट्र, सन् 1963 में गुजरात तथा सन् 1964 में पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने इस व्यवस्था को लागू किया।

जिसके निम्नलिखित उद्देश्य थे- विकेन्द्रीकरण, विकास प्रशासन में भागीदारी, निचले स्तर से योजना बनाना, कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि लाना, करों को लाभ के साथ जोड़ना, विकास प्रक्रिया में कमजोर, वंचित तथा निर्धन वर्ग के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना, तथा निहित स्वार्थों का त्याग कर वास्तविक रूप से लोगों को सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के कार्य में लगाना।

इसके अलावा तृतीय पंचवर्षीय योजना में वर्णित कुछ अन्य उद्देश्य जैसे-ग्रामीण उद्योगों का विकास, प्राधिकार को क्रमिक रूप से एक-दूसरे को सौंपना और ऐच्छिक संगठन की भूमिका पर जोर देना तथा सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित करना।

बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर स्थापित पंचायती राज व्यवस्था जिस उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी, वह उतनी सफल नहीं हो सकी थी, जितना अनुमान लगाया गया था। इन्हीं कमियों और खामियों को दूर करने तथा इसे मजबूत बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने 1977 में एक समिति का गठन किया, जिसे अशोक मेहता समिति के नाम से जाना जाता है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सन् 1978 में प्रस्तुत की जिसकी महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नलिखित हैं-



1. त्रि-स्तरीय पंचायती राज के ढाँचे के स्थान पर द्वि-स्तरीय ढाँचा कर दिया जाए। पहला जिला स्तर पर जिला परिषदें तथा दूसरा मण्डल स्तर पर मण्डल पंचायतें।
2. जिला स्तर के नीचे मंडल पंचायत का गठन किया जाए, जिसमें 10-15 गाँव या उसकी जनसंख्या 15,000 या 20,000 तक की हो।
3. पंचायती राज संस्थाओं को 'अनिवार्य कराधान शक्तियाँ' प्रदान की जानी चाहिए।
4. पंचायती राज प्रणाली को सांविधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए।
5. राजनीतिक दलों का पंचायती राज निकायों के चुनावों में खुली भागीदारी हो।
6. मंडल अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष तथा जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होना चाहिए।
7. विकास योजनाओं को जिला परिषद द्वारा तैयार किया जाए तथा उनका क्रियान्वयन मंडल पंचायत द्वारा किया जाए।
8. पंचायती राज निकायों का चुनाव, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श से सम्पन्न किया जाना चाहिए।
9. प्रत्येक जिला परिषद में सामाजिक न्याय समिति बनाना चाहिए।
10. यदि किसी कारणवश पंचायती राज संस्थाओं का अधिक्रमण होना अपरिहार्य हो जाए तो उनका चुनाव, अधिक्रमण होने की तारीख से 6 महीने के भीतर कराया जाना चाहिए।

अशोक मेहता समिति द्वारा सुझाए गए सुझाव एवं सिफारिशों भी उतना शानदार परिणाम नहीं दे सकी जितनी उम्मीद की गई थी। सन् 1979 में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में अशोक मेहता समिति के सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया गया तथा मौजूदा त्रि-स्तरीय पंचायत व्यवस्था को ही कायम रखने पर बल दिया गया और अंततः उसे ही मान लिया गया।

### 3.5 भारत में विकास एवं विकास प्रशासन के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण/उपागम

भारत में विकास को तीव्र गति प्रदान करने के लिए विभिन्न विकास उपागम को अपनाया गया। पहला उपागम की विशेषता यह थी कि इसे विशेषकर ग्रामीण विकास के लिए क्षेत्रीय स्तर पर लागू किया गया। क्षेत्र विकास उपागम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीबी का उन्मूलन करना था। इसके लिए अनेक क्षेत्र आधारित विकास कार्यक्रम' जैसे- गहन कृषि जिला कार्यक्रम, अधिगृहीत क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखा पीड़ित कार्यक्रम एवं बंजर विकास कार्यक्रम बनाए गए तथा उनका कार्यान्वयन किया गया। इन क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी सबसे अधिक पाई जाती है। अतः विकास की समुचित तकनीकी का उपयोग करके उनका विकास करना आवश्यक था। जिसके अन्तर्गत- मत्स्यपालन, वानिकी, सिंचाई, कृषि, उद्यान, वन रोपण, तालाब निर्माण, जल संरक्षण तथा कृषि विकास, उद्यान कृषि विकास एवं पशुपालन विकास आदि शामिल हैं। एक अन्य उपागम जिसे लक्ष्य केन्द्रित समूह उपागम के नाम से जाना जाता है। अर्थात् इसके अन्तर्गत वैसे लोगों या समूहों को लक्ष्य में रखा जाता है, जिन्हें कार्यक्रम का फायदा मिलना चाहिए। ग्रामीण मानव शक्ति कार्यक्रम के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को प्राथमिकता प्रदान करना था। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के पोषण-स्तर में सुधार लाने तथा उनके दर्जे में भी सुधार लाने हेतु 'ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास' की योजना सन् 1982 में कार्यान्वित की गई जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सबल बनाना तथा कार्य करने वाली महिलाओं के बच्चों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा तथा नर्सिंग जैसी 'शिशु देखभाल सुविधाओं' की व्यवस्था किया जाना भी शामिल था।

न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति कार्यक्रम उपागम के अन्तर्गत यह महसूस किया गया कि मानव का आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक विकास भी महत्वपूर्ण है। इस उपागम का मुख्य उद्देश्य मानव जाति में निवेश किए जाने पर

केन्द्रित है। जैसे- मानव के जीवन स्तर को ऊपर उठाना तथा समानता लाना, 'न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति के उपाय' के अन्तर्गत भोजन, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पीने के लिए शुद्ध जल तथा सड़क निर्माण आदि बुनियादी आवश्यकताओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया। इसमें प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ध्यान में रखा गया, जिसमें ग्रामीण आवश्यकताओं को पूरा करने पर जोर दिया गया। 'न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति कार्यक्रम' के अन्तर्गत दूसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम, 'पोषण कार्यक्रम' है। विकास के लिए एक और महत्वपूर्ण उपागम जिसे 'लोक केन्द्रित उपागम' के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि ये व्यक्ति को विकास प्रक्रिया का एक सक्रिय भागीदार बनाए जाने पर बल देता है। ये यह मानता है कि व्यक्ति को सिर्फ विकास की विषय वस्तु के रूप में ना देखा जाए। इस उपागम के अंतर्गत मानव का विकास, समता, मानव कल्याण, जन-भागीदारी और आत्मनिर्भरता को मुख्य तत्व के रूप में माना गया है। इन सभी के अलावा गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) आदि की भागीदारी भी भारत में विकास प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अंग बनती जा रही है, जो राष्ट्र निर्माण एवं विकास में सहायक सिद्ध हो रहा है।

### 3.6 भारत में प्रशासनिक विकास के विभिन्न चरण

प्रशासन के द्वारा किए जाने वाले विकासात्मक कार्य 'विकास प्रशासन' की श्रेणी में आते हैं। विकास प्रशासन का यह गुण है कि वह बदलती हुई परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तित होता रहता है। अतः विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु 'प्रशासनिक विकास' अर्थात् प्रशासनिक प्रणाली में सुधार, प्रशासनिक प्रक्रिया में नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण, प्रशासकों के आचरण तथा मनोवृत्ति में वास्तविक बदलाव, लोगों की समस्याओं का सहानुभूतिपूर्ण समाधान, विज्ञान व तकनीकी को अपनाना आदि ताकि प्रशासनिक कुशलता में वृद्धि हो सके, जिससे देश का विकास और जनता का अधिकतम कल्याण हो। टी0एन0 चतुर्वेदी के अनुसार, "प्रशासनिक विकास का अर्थ है प्रशासन को उत्तरोत्तर, सुचारू और क्रियाशील बनाना तथा प्रशासनिक दक्षता और क्षमताओं को उत्तरोत्तर विकसित करना। इस विचार में यह भाव अन्तर्निहित है कि प्रशासन के परम्परागत रूप में जो कमियाँ या रिक्तता हैं उसे दूर करके प्रशासन को नवीन, परिवर्तित एवं विकासशील परिस्थितियों के अनुरूप बनाना।"

भारत में प्रशासनिक विकास के लिए समय-समय पर अनेक सुझाव समितियाँ और आयोगों की नियुक्त की गईं। इनमें से सुप्रसिद्ध थी एन0 गोपाल स्वामी आयोग समिति (1949), सन् 1950 में स्थापित 'योजना आयोग', गोरवाला समिति (1951)। सन् 1953 व 1956 में पॉल एपिलबी द्वारा दो रिपोर्टें भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गईं जिनमें भर्ती की सुव्यवस्थित प्रक्रिया तथा प्रशिक्षण आदि के बारे में महत्वपूर्ण सिफारिशों की गई थीं। सन् 1954 में ही अशोक चंद ने प्रशासनिक कार्यों में देरी (विलम्ब) को समाप्त करने की सिफारिश की थी। इसी क्रम में सन् 1962 में सन्थानम समिति गठित की गई जिसे 'भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति' भी कहा गया। इन सब को ध्यान में रखते हुए पॉल एपिलबी के सुझावों के आधार पर 'भारतीय लोक प्रशासन संस्थान' की स्थापना नई दिल्ली में की गई। सन् 1966-70 में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष के0 हनुमंथैया थे। प्रशासनिक सुधार आयोग ने लगभग 581 सिफारिशें प्रस्तुत कीं, जिसमें से भारत सरकार ने लगभग 80 प्रतिशत सिफारिशें मान लीं। इसी आधार पर 1979-80 में प्रशासनिक क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर परिवर्तन व सुधार किए गए। सन् 1980 में 'फजल समिति' नियुक्त की गई। तत्पश्चात 'झा समिति' की स्थापना हुई। इन समितियों की सिफारिशों के आधार पर 1985 में कार्मिक, सार्वजनिक समस्याएँ तथा पेंशन का मंत्रालय स्थापित हुआ। अगस्त 1991 में डॉ0 चेलैया के नेतृत्व में 'कर समिति' गठित की गई। जिसने कर सुधार संबंधी अपनी सिफारिशें 1992 में प्रस्तुत कीं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए और सन् 2005 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग नियुक्त किया गया। आयोग ने स्थानीय प्रशासन, सार्वजनिक व्यवस्था, कार्मिक प्रशासन, आतंकवाद का मुकाबला,

प्रशासनिक संगठन की संरचना, राज्य व जिला प्रशासन तथा ई0 गवर्नेस आदि विषयों पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। लेकिन इनमें से सबसे महत्वपूर्ण संस्तुति 'सूचना के अधिकार से संबंधित रही।

वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में हुई द्वितीय प्रशासनिक आयोग ने कुल 15 रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अंतिम रिपोर्ट 2009 में प्रस्तुत की गई। सरकार के आयोग के अधिकतर सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। आयोग द्वारा सिविल सेवा परीक्षा के संबंध में भी महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए गए। इन सभी सुझावों को सरकार द्वारा क्रमशः सन् 2011 तथा सन् 2013 में लागू कर दिया गया।

इसी प्रकार समय-समय पर प्रशासनिक सुधार आयोग प्रशासनिक क्षमता को विकसित करने के सुझाव सरकार को देते रहते हैं। उपरोक्त कारणों से यह स्पष्ट होता है कि प्रशासनिक विकास का महत्व भविष्य में अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा।

निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जाता जा सकता है कि विकास प्रशासन के लक्ष्यों की प्राप्ति को और अधिक कारगर बनाने के लिए भारत जैसे विकासशील देश में प्रशासनिक विकास के महत्व को समझना अतिआवश्यक है।

### अभ्यास प्रश्न-

1. योजना आयोग के संगठनात्मक ढाँचे की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
2. योजना आयोग के कम से कम चार कार्यों का उल्लेख करें।
3. भूमि सुधार के कम से कम चार उपायों को बताएँ।

### 3.7 सारांश

इस इकाई में हमने विकास प्रशासन के क्रमिक विकास के साथ-साथ विकास से संबंधित महत्वपूर्ण उपागमों के बारे में जाना। इसमें योजना आयोग तथा विकास के लिए बनाए गए विभिन्न आयोगों जैसे कि प्रशासनिक सुधार आयोग एवं समितियों का अध्ययन किया। इसके अलावा भारत में प्रशासनिक विकास के विभिन्न चरणों का अध्ययन किया तथा विकास प्रशासन को सफल बनाने के लिए प्रशासनिक विकास के महत्व को समझा।

### 3.8 शब्दावली

संवृद्धि- वृद्धि होना या बढ़ना, कृषक- खेती या भूमि की जुताई करने वाला, काश्तकारी सुधार- यह भूमि सुधार कार्यक्रम का एक अंग है, इसमें संस्थागत उपाय शामिल किए गए हैं। जो कि किसानों की काश्तकारी सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, अधिकतम भूमि सीमा- भूमि जोत के आकार पर प्रतिबंध लगाना।

### 3.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. योजना आयोग के संगठनात्मक ढाँचे की विशेषता को 3.2 में विस्तृत रूप से बताया गया है कृपया ध्यान दें।
2. योजना आयोग के कार्यों का पूर्ण विवरण 3.2 में दिया गया है कृपया ध्यान दें।
3. भूमि सुधार के उपायों का वर्णन 3.3 में दिया गया है कृपया ध्यान दें।

### 3.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. विकास प्रशासन- आनंद प्रकाश अवस्थी।
2. लोक प्रशासन के तत्व- डॉ0 एस0 सी0 सिंघला।
3. प्रशासन एवं लोकनीति अवधारणाएँ एवं सिद्धान्त- डॉ0 रश्मि शर्मा।
4. ग्रामीण समाजशास्त्र- डॉ0 वी0एन0 सिंह एवं डॉ0 जनमेजय सिंह।
5. विकास प्रशासन- (ई0पी0ए0-3, इकाई 4, इग्नू)

6. तुलनात्मक लोक प्रशासन- टी0एन0 चतुर्वेदी।
7. लोक प्रशासन- नए क्षितिज, इंद्रजीत कौर।

---

### 3.11 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

---

1. विकास प्रशासन- (ई0पी0ए0-3, इकाई 4, इग्नू)
2. Development Administration : Concepts, Goals, Methods, George F. Gant.
3. Rural Development : Putting the Last First , Robert Chambers.
4. भारत में स्थानीय शासन, एस0आर0 माहेश्वरी।
5. प्रशासन एवं लोकनीति- मनोज सिन्हा।

---

### 3.12 निबन्धात्मक प्रश्न

---

1. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत में प्रशासनिक विकास के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए।
2. भारत में विकास प्रशासन की संवृद्धि की विस्तृत चर्चा करें।

## इकाई- 4 स्वतंत्रता के समय भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति

### इकाई की रूपरेखा

- 4.0 प्रस्तावना
- 4.1 उद्देश्य
- 4.2 ब्रिटिश शासन काल में भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति
- 4.3 भारत की गतिहीन अर्थव्यवस्था की रूपरेखा
  - 4.3.1 जनसंख्या तथा श्रम शक्ति
  - 4.3.2 व्यवसायिक ढाँचा
  - 4.3.3 राष्ट्रीय आय अथवा माल और सेवाओं का प्रवाह
  - 4.3.4 कृषि
  - 4.3.5 उद्योग
  - 4.3.6 विदेशी व्यापार
  - 4.3.7 शिक्षा
  - 4.3.8 स्वास्थ्य
  - 4.3.9 कर
  - 4.3.10 अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां
- 4.4 अल्प विकास की औपनिवेशिक वसीयत
- 4.5 सारांश
- 4.6 शब्दावली
- 4.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 4.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 4.9 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 4.10 निबन्धात्मक प्रश्न

### 4.0 प्रस्तावना

निर्धारित समयावधि में किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास की गति और सीमा इसके प्रारम्भिक संसाधन आधार पर निर्भर करती है। विकास की कोई भी योजना देश की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों की प्रकृति पर आधारित होती है। इन परिस्थितियों को समझे बिना कोई भी व्यक्ति समस्याओं की गंभीरता उनका आकार और उनकी जटिलता, उनके पारस्परिक सम्बन्ध तथा उनके समाधान का मार्ग निर्धारित नहीं कर सकता है। भारत में हमें विविध प्रकार की परिस्थितियां देखने को मिलती हैं और इसलिए इनको समझने का महत्व और अधिक हो जाता है स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय समाज की स्थिति जानकर ही स्वतंत्रता के उपरान्त (पश्चात) की अवधि में हुए विकास और परिवर्तनों की तुलना की जा सकती है।

यद्यपि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की प्रभावशाली भूमिका रही, तथापि देश के विकास तथा किसी संरचनात्मक परिवर्तन के प्रति इसका कोई योगदान नहीं रहा। औपनिवेशिक भारत में राज्य (सरकार) के हस्तक्षेप की प्रकृति क्या थी? क्या ऐसे हस्तक्षेप से जनकल्याण होता था? स्वतंत्रता मिलने के समय भारत की सामाजिक और आर्थिक रूपरेखा क्या थी? राज्य (सरकार) ने विकास प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी का कार्य अपने हाथ में क्यों लिया? इसी तरह से प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर अपेक्षित हैं। स्वतंत्र भारत की सरकार को राज्य

संरचना के अधिकांश घटक (कानून, नौकरशाही, नीतियां और योजनाएं, नियम और विनियम, प्रशासकीय संस्कृति आदि) ब्रिटिश सरकार से वसीयत में मिले थे।

#### 4.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप-

- ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों की विवेचना कर पायेंगे।
- स्वतंत्रता के समय जनसंख्या, श्रमशक्ति, राष्ट्रीय आय, व्यावसायिक संरचना, कृषि उद्योग तथा निवेश, व्यापार के विशिष्ट सन्दर्भ में भारत की गतिहीन अर्थव्यवस्था की समीक्षा कर पायेंगे।
- औपनिवेशिक विरासत की प्रकृति को समझ पायेंगे।

#### 4.2 ब्रिटिश शासन काल में भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति

18वीं शताब्दी के मध्य से 20वीं शताब्दी के मध्य तक अंग्रेजी सरकार ने शासन किया। सारे विश्व में यह समय असाधारण और विस्मयकारी वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति का समय था। इस अवधि में यूरोप, उत्तरी अमेरिका और जापान ने तेजी से सामाजिक और आर्थिक विकास हुआ। इन देशों ने सारे विश्व पर आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया। 19वीं शताब्दी के आरम्भ तक भारत का प्रत्येक ग्राम सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पूर्णतया आत्मनिर्भर था।

19वीं शताब्दी के मध्यकाल में अंग्रेजों की नीतियों के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, व्यापार, परिवहन आदि में जो परिवर्तन हुए उन्हें 'आर्थिक संक्रान्ति' कहकर पुकारा गया है। भारत के लिए यह समय भयंकर आर्थिक और सामाजिक संकट का समय था। अंग्रेजों का भारत आगमन भारत की आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। यह विदेशी शासन का ही अवश्यम्भावी प्रतिफल था कि भारत आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी प्रगति में पीछे रह गया। सबसे ज्यादा प्रभावित भारत के ग्रामीण उद्योग, कृषि व हस्तशिल्प सम्बन्धी अर्थव्यवस्था एवं व्यापार थे।

भारतीय बाजार में सस्ते मूल्य पर मशीनों द्वारा निर्मित ब्रिटिश तथा गैर-ब्रिटिश वस्तुओं का आना ग्रामीण हस्तकला उद्योग के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। सस्ती एनिलीन डाइप्सों के निर्यात का ग्रामीण रंगरेजों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। बाजार में धातु के बर्तन आ जाने से ग्रामीण कुम्हारों की दशा भी बदतर हो गयी। ग्रामीण बढई, लुहार भी बाजार से बाहर हो गये, क्योंकि लोहे के हल व अन्य वैज्ञानिक औजार अधिक प्रयोग में आने लगे। तांबे व पीतल के बर्तनों का प्रयोग बढने से कुम्हार को हानि उठानी पड़ी। इसी प्रकार गांव के चर्मकारों व अन्य कारीगरों की स्थिति पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा और उन्हें अपना धन्धा छोड़कर नगरों की तरफ जाना पड़ा। भारत में आधुनिक उद्योगों की विकास में मुख्यतः अंग्रेजी पूंजी की प्रभुता थी। यद्यपि पर्याप्त बचत के संचयन से कुछ आधुनिक उद्योगों का स्वामित्व भारतीय व्यापारी वर्ग के हाथों में था, फिर भी भारतीय स्वामित्व के आधुनिक उद्योग अंग्रेजी स्वामित्व उद्योगों की तुलना में नगण्य थे। इस अवधि में नील चाय, काफी, रेशम जैसे उद्योग तथा जूट मिल और कोयला खदानों जैसे उद्योग विकसित हुए। इंजिनियरिंग तथा रेलवे कार्यशालाएं, लोहे तथा पीतल के ढलाई घर इस अवधि में तेजी से बढे। परन्तु देश में आधारभूत भारी उद्योग वस्तुतः नहीं थे। जहाज उद्योग, हवाई जहाज उद्योग आदि में कहे जाने योग्य कोई भी प्रगति नहीं हुई। बैंकिंग और बीमा के क्षेत्र में प्रगति अवश्य हुई, पर ये भी अधिकांशतः अंग्रेजों के नियंत्रण में ही थे। बैंकिंग, उद्योग तथा व्यापार के क्षेत्र में भारतीय आर्थिक विकास का एक अनोखा लक्षण यह था कि अधिकांश उद्यम कुछ ही लोगों के हाथों में केन्द्रित थे, जिसके फलस्वरूप एकाधिपत्य की तथा न्यासों की स्थापना हुई। उद्योग, परिवहन तथा वित्तीय क्षेत्रों के न्यासों का लगभग सभी प्रकार

के आर्थिक उद्यमों पर नियंत्रण था। आरम्भ में, रेलवे का स्वामित्व एवं प्रबन्ध निजी कम्पनियों के अधीन था, जिनके मालिक अंग्रेज व्यापारी थे। सरकार ने इन्हें मुफ्त भूमि, पूंजी पर निम्नतम प्रत्याय (Minimum Return) के आश्वासन आदि के रूप में कुछ रियायतें दीं। रेलों पर निजी कम्पनियों के स्वामित्व एवं प्रबन्ध की कुछ आलोचना और शिकायतें की गईं। सन् 1925 में भारत सरकार ने पहली रेलवे कम्पनी अपने स्वामित्वाधीन की। धीरे-धीरे अन्य कम्पनियां भी सरकार के अधीन लाई गईं। सन् 1944 तक सभी निजी कम्पनियों को हटाकर रेलों का स्वामित्व एवं प्रबन्ध सरकार के अधीन हो गया।

ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय हस्तशिल्प लगभग तबाह हो गये थे। हमारे हस्तशिल्प अंग्रेजी माल तथा औपनिवेशिक शासन की शोषक नीतियों के शिकार हो गये। भारतीय माल पर भारी कर आरोपित किए गए। कारीगर अपना उत्पादित माल भारतीय तथा विदेशी व्यापारियों को बेच पाने में असमर्थ थे। अंग्रेजों ने भारतीय हस्तशिल्प के आन्तरिक व्यापार को भी समाप्त कर दिया। देशी राज्य और रजवाड़े हमारे हस्तशिल्प के न केवल बड़े ग्राहक थे, बल्कि हस्तशिल्प कारीगरों को प्रक्षय भी देते थे। परन्तु शिक्षित व धनी भारतीय अंग्रेजों की नकल करने लगे और देशी वस्तुओं की बजाय विदेशी वस्तुएं पसन्द करने लगे। बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि ऐसे समय में यूरोपीय अफसरों व पर्यटकों ने कुछ हद तक भारतीय माल की मांग बनाये रखी। लेकिन यूरोपीय रूचि के अनुकूल माल बनाने के रिवाज से उत्पादन के स्तरों में गिरावट आयी और भारतीय माल के परम्परागत उच्च स्तर उत्तरोत्तर घटते गये।

औपनिवेशिक शासन के अधीन भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे भयावह और विनाशकारी लक्षणों में से एक था, कृषि सम्बन्धी ढांचे और सम्बन्धों में परिवर्तन। भूमि का निजी स्वामित्व लागू करने से पारिवारिक भूमि का विभाजन होने लगा और यह विभाजन संयुक्त परिवार प्रथा के विघटन का एक प्रमुख कारण सिद्ध हुआ। अंग्रेजों ने कृषि में विशिष्टीकरण तथा व्यापारीकरण भी चालू कर दिया। कृषि उत्पादन बाजारों में बिकने लगा तथा बिक्री के उद्देश्य से विशिष्ट फसलें पैदा की जाने लगीं। नई भू-राजस्व व्यवस्था लागू की गई जिससे करारोपण की इकाई के रूप में गांव का महत्व समाप्त हो गया। नई भू-राजस्व व्यवस्था अत्यधिक लगान, कम पैदावार आदि से किसान साहूकारों से रूपया और बीज उधार लेने के लिए विवश हो गये। इससे ऋण ग्रस्तता का कुचक्र चला तथा लगभग प्रत्येक किसान इस कुचक्र का शिकार हो गया। भूमि पर भारी कर चुकाने, मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करने तथा पूर्ण ऋण पर ब्याज चुकाने में किसानों के पास से भूमि साहूकारों के हाथों में चली गई और साहूकार भूमि को पट्टेदारी तथा शिकमी पट्टे पर देने लगे। इस प्रकार भूमि के पट्टेदार तथा शिकमी काश्तकारों और गैर खेतीहर भूस्वामियों के नए वर्गों का उदय हुआ, जिन्हें भूमि में कभी भी कोई अभिरूचि नहीं रही। इसके साथ भूमि का अत्यधिक विभाजन और जोत के छोटे-छोटे टुकड़े हो जाने से कृषि उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

इस अवधि में कृषि पर बहुत दबाव पड़ा। हस्तशिल्प और ग्रामीण उद्योगों के नष्ट हो जाने से कारीगरों ने भी खेती को अपनी जीविका का साधन बनाया जिसके परिणामस्वरूप भूमि पर अत्यधिक भार बढ़ गया। यहाँ तक कि खेती के लिए पशुओं के चारागाहों की भूमि पर अतिक्रमण बढ़ता गया। इस प्रकार कृषि की एक ऐसी अत्यधिक अन्यायपूर्ण और अनुचित व्यवस्था बन गयी, जिसमें जमींदारों तथा भूस्वामियों का उच्च वर्ग किसानों के श्रम और पसीने की कमाई पर जीवनयापन करने लगा। इस स्थिति के साथ अनिश्चित वर्षा पर आश्रित घटते-बढ़ते कृषि उत्पादन से किसान बड़ी आसानी से स्वार्थ साधन वस्तुओं तथा बाजार के व्यापारिक कार्यकलापों के शिकार हो गये।

इस प्रकार अंग्रेजी राज भारत के योजनाबद्ध शोषण की दुःखद पीड़ा है। अंग्रेजी शासन से यदि कोई लाभ भी हुआ तो वह केवल प्रासंगिक था। अंग्रेजी नीतियों और विकास कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य उनके अपने देश के हितों की पूर्ति करना था। अतएव सन् 1947 में जब अंग्रेजों ने भारत की सत्ता हस्तान्तरित की तो हमें एक अपंग अर्थव्यवस्था विरासत में मिली। पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने अपनी पुस्तक 'भारत की खोज' में लिखा है,



“भारत एक औद्योगिक पूंजीवादी शासन के अधीन था, परन्तु उसकी अर्थव्यवस्था के भी कई सम्पत्ति उत्पादक तत्व नदारद थे। यह आधुनिक औद्योगिक पूंजीवाद का एक ऐसा निष्क्रिय एजेन्ट बन गया जो उसके किसी भी लाभ को पाए बिना उसकी सभी बुराईयों से पीड़ित रहा।” दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक 'Poverty and Un-British Rule in India' रोमेशचन्द्र दत्त ने 'The Economic History of India' तथा लाजपतराय ने 'England's Debt to India' में भारतीय अर्थव्यवस्था को विनाश की ओर ले जाने वाली ब्रिटिश नीतियों व उनके परिणामों को बताया है।

#### 4.3 भारत की गतिहीन अर्थव्यवस्था की रूपरेखा

समाज को अधिक सामग्री और सेवाएं उत्पादित करने के लिए सरकार, कानून, नीतियों, सामान्य सुविधाओं और संस्थागत वातावरण के एक ऐसे ढांचे की आवश्यकता होती हैं जो काम को उद्यम और नवीनीकरण को प्रोत्साहित तथा पुरस्कृत करें। ऐसे ही ढांचे से जनसाधारण विकास का माध्यम तथा लक्ष्य बन पाता है। ब्रिटिश राज इस प्रकार की विकास प्रेरक व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत था। अधिकांश व्यक्तियों ने भारत के आर्थिक पिछड़ेपन के लिए ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति को ही जिम्मेदार ठहराया है।

स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व लगभग 150 वर्ष तक भारत में आर्थिक स्थिरता रही अर्थात् भारत का आर्थिक शोषण किया जा रहा था। अंग्रेजों ने भारत में आर्थिक विकास के भौतिक आधार स्थापित करने पर कभी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने भूमि पर भारी कर लगाये, जिससे कृषक वर्ग को काफी क्षति पहुँची। सिंचाई के सम्बन्ध में उत्साहवर्धक नीति के अभाव में कृषि का विकास नहीं हो सका। सिंचाई के पुराने साधनों को नष्ट होने से नहीं बचाया गया। यहाँ के पुराने घरेलू उद्योगों को नष्ट कर दिया और उसके स्थान पर आधुनिक ढंग के कारखानों का विकास नहीं किया। इस खण्ड में हम भारतीय अर्थव्यवस्था की उस स्थिति की विवेचना करेंगे जो सन् 1947 की स्थिति थी। यह विवेचना हम राष्ट्रीय आय, श्रमशक्ति, व्यावसायिक ढांचे, कृषि की स्थिति, भूमि, पूंजी, विदेश व्यापार, आर्थिक तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्था आदि के सन्दर्भ में करेंगे। आजादी के बाद के तीन वर्ष अधिकांशतः अर्थव्यवस्था और प्रशासन को स्थिर रखने में लग गये, इसलिए सन् 1951 की स्थिति ही स्वतंत्रता के तुरन्त बाद की स्थिति की प्रतीक है, क्योंकि सन् 1947 से 1951 के बीच कोई ठोस परिवर्तन भी नहीं किए गए।

##### 4.3.1 जनसंख्या तथा श्रमशक्ति

सन् 1951 की जनगणना के अनुसार हमारी जनसंख्या 36.1 करोड़ (Census of India 2001, Series 1, Paper 1 of 2001) थी, जिसमें 82 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती थी। इस प्रकार जनसंख्या का केवल 17 प्रतिशत शहरी आबादी था। सन् 1941-51 के दौरान जनसंख्या में 13 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। इस अवधि में प्रति हजार जन्म दर 39.9 तथा मृत्युदर 27.4 थी। इस प्रकार जनसंख्या की सहज वृद्धि दर 1.22 (Census of India 2001, Series 1, Paper 1 of 2001) प्रतिवर्ष थी। उत्पादन, व्यापार आदि जैसी आर्थिक क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनसंख्या से ही श्रम-सहभागिता दर ज्ञात होती है वर्ष 1951 में पूरी जनसंख्या के लिए यह दर 39.18 थी। यह दर पुरुषों के लिए 53.9 तथा स्त्रियों के लिये 23.4 थी। विभिन्न कार्यकलापों में संलग्न कर्मियों की कुल संख्या 14.32 करोड़ थी। वर्ष 1901 में श्रम सहभागिता दर 46.1 प्रतिशत था। बाद के वर्षों में यह दर कम होती गयी। इसका अर्थ हुआ कि अंग्रेजी राज के अन्तिम पांच दशकों में भारतीयों के बीच पराश्रित होने का अनुपात बढ़ा। यह आर्थिक स्थिति बिगड़ने का सूचक है।



### 1.3.2 व्यावसायिक ढांचा

अर्थव्यवस्था क्रियाओं अथवा व्यवसायों का एक परस्पर सम्बन्धित समुच्चय है, जिसके द्वारा लोग अपनी आजीविका अर्जित करते हैं। अतएव किसी देश की आर्थिक रूपरेखा में आबादी, विशेषकर विभिन्न व्यवसायों में शामिल श्रमशक्ति का वर्णन भी अवश्य होना चाहिये। सामान्यतया आर्थिक क्रियाओं को कृषि तथा इससे सम्बन्धित कार्यकलापों, उद्योग तथा सेवाओं जैसे मुख्य वर्गों में शामिल किया जाता है। इन कार्यकलापों में कुछ तो औपचारिक रूप में संगठित हैं जबकि कुछ असंगठित। अंग्रेजी राज के प्रभाव के अधीन बड़ी मात्रा में हुए कुछ अनौद्योगिकरण से प्रभावित, मूलतः ग्रामीण और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होने से ही कुछ क्रियाएं असंगठित हैं। अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई शोषक सामाजिक-आर्थिक तथा विदेशी व्यापार की नीतियों के फलस्वरूप हमारी श्रमशक्ति का 72.3 प्रतिशत अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित था। इनमें से भूमिधारी कृषक 50 प्रतिशत से अधिक थे, जबकि भूमिहीन कृषि श्रमिकों का प्रतिशत 20 से कुछ कम था। (Statistical Pocket Book- India, 1989- 5) सन् 1901 में कृषि में कार्यरत श्रमशक्ति 71 प्रतिशत और सन् 1921 में यह और अधिक अर्थात् 76 प्रतिशत थी। विश्व युद्ध के वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र तथा व्यापार में कुछ वृद्धि तो हुई पर यह अधिक नहीं थी। अतएव आजादी के समय व्यावहारिक रूप से श्रमिक उसी अनुपात में कृषि पर निर्भर था, जितना शताब्दी के प्रारम्भ में था। जैसे-जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती गयी कृषि पर निर्भरता और बढ़ती गयी।

भारत की श्रमशक्ति का उपयोग करने वाले दूसरे महत्वपूर्ण व्यवसाय खान खोदना, फैक्ट्रियां तथा विभिन्न प्रकार के कुटीर, ग्रामीण और लघु उद्योग थे। कुल श्रमिकों की संख्या का 10.7 प्रतिशत भाग अर्थात् 1.5 करोड़ श्रमिक इन उद्यमों और प्रतिष्ठानों में लगे हुए थे। वस्तुतः सन् 1901 में ही श्रमिकों का 12 प्रतिशत भाग उद्योगों में कार्यरत था। शेष श्रमशक्ति व्यापार, परिवहन, व्यवसायों, शासकीय सेवाएं तथा अन्य सेवाओं में लगी हुई थी। 1951 सन् में हमारी श्रमशक्ति का 17 प्रतिशत से भी अधिक भाग (6प्रतिशत व्यापार और परिवहन, 9.3 प्रतिशत सेवाओं, 1.0 प्रतिशत तथा 0.1 प्रतिशत रेलवे तथा बैंको में कार्यरत) इन कामों में लगा हुआ पाया गया। आधारभूत उद्योगों के अभाव में अर्थव्यवस्था में तीव्र विकास के लिये आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार नहीं हो पायी। कई पिछड़े हुए देशों में वस्तुओं के कारखाने तो चालू हो गये, लेकिन इसमें प्रयुक्त होने वाली मशीनें विदेशों से आयात की गईं। इससे भारत में औद्योगिक प्रगति तो हुई लेकिन जनसंख्या, देश का विस्तार व प्राकृतिक साधनों को देखते हुए वह पर्याप्त नहीं मानी जा सकती। उत्पादन में लगे हुए उद्योगों का अपेक्षाकृत कम भाग यह प्रदर्शित करता है कि वास्तविक रूप में हम औद्योगिकरण से दूर थे और जो भी उद्योग हमारे समक्ष थे, वे अधिक लोगों को आजीविका का स्थिर साधन प्रदान करने में असमर्थ थे। फैक्ट्रियों में, प्रतिष्ठानों में श्रमिकों की संख्या केवल तीस लाख के लगभग थी। इसका अर्थ यह है कि उच्च उत्पादन के काम केवल बहुत ही थोड़े लोगों को उपलब्ध थे।

### 4.3.3 राष्ट्रीय आय अथवा माल और सेवाओं का प्रवाह

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के अध्ययन में राष्ट्रीय आय की अवधारणा का काफी महत्व होता है। यह अर्थव्यवस्था की गतिविधि व परिवर्तनों को मापने में मदद करती है। कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा चालू वर्ष में माल तथा सेवाओं के उत्पादन के कुल मूल्य को, इसकी सीमाओं के बावजूद आर्थिक स्थिति का एकाकी महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है। भारत जैसे देश में जहाँ कृषि सम्बन्धी और असंगठित आर्थिक क्रियाएं बड़ी मात्रा में हैं, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े चालू एवं स्थिर कीमतों पर एकत्र किए जाते हैं। परन्तु चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय सम्बन्धी आंकड़े अर्थव्यवस्था के विकास का सही चित्र प्रस्तुत नहीं करते, तथापि उनकी प्रमुखता पर संदेह भी नहीं किया जा सकता है।

वर्ष 1950-51 में भारत की राष्ट्रीय आय उस समय की कीमतों पर 8853 करोड़ रुपये आंकलित की गई जो वर्ष 1970-71 के मूल्य स्तर पर 16798 करोड़ रुपये के बराबर होती है। इस आधार पर आजादी मिलने के समय प्रति

व्यक्ति औसत वार्षिक आय 265 रूपये थी। इसका यह अर्थ है कि उस वर्ष के मूल्यों के आधार पर औसत दैनिक आय 1 रूपये से भी कम थी। ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, फ्रांस और आस्ट्रेलिया में तुलनात्मक प्रति व्यक्ति आय क्रमशः रूपये 3598, रूपये 8840, रूपये 820, रूपये 3280 तथा रूपये 4340 थी। इससे यह स्पष्ट है कि अन्य देशों की तुलना में भारत का प्रति व्यक्ति उत्पादन स्तर बहुत ही नीचे था। प्रति व्यक्ति आय न केवल कम बल्कि इसमें वृद्धि भी धीमी व अनियमित गति से हो रही थी। यह न्यूनतम मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी मुश्किल से पर्याप्त थी। प्रति व्यक्ति आय के नीचे होने के कारण देश में गरीबी फैली हुई थी। देश में करोड़ों व्यक्ति गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे थे। इस अवधि में विद्यमान भारी असमानताओं को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट है कि लाखों लोगों की आय प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों द्वारा इंगित स्तर से भी नीचे थी। आय की अल्पता तथा असमान स्तर और भूमि सम्बन्धी व्यवस्था बचत में, पूंजी निवेश में और उत्पादकता में वृद्धि प्रोत्साहित करने में असमर्थ थी और इसलिये बचत और पूंजी निर्माण की दर बहुत ही कम थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुसार निवेश हेतु उपलब्ध बचत केवल 450 करोड़ रूपये अर्थात् बचत की दर 5 प्रतिशत से भी कुछ ही अधिक थी। राष्ट्रीय आय समिति के प्रतिवेदन के आंकलन के अनुसार कृषि, पशुपालन, वनारोपण तथा मत्स्य पालन का अंशदान शुद्ध घरेलू उत्पादन का 51.3 प्रतिशत था। चूंकि हमारी जनसंख्या का 70 प्रतिशत इन्हीं कार्यों पर निर्भर था इसलिये हमारे कुल उत्पादन का लगभग आधा इन्हीं के द्वारा उत्पादित किया जाता था। खादानों और उद्योगों से उत्पादन शुद्ध घरेलू उत्पादन का 16.1 प्रतिशत था। इसमें फैक्ट्री प्रतिष्ठानों का उत्पादन 5.8 प्रतिशत तथा लघु और ग्रामीण उद्योगों का उत्पादन 9.6 प्रतिशत था। व्यापार वाणिज्य परिवहन (रेलों को सम्मिलित करते हुए) संचार बैंकिंग तथा बीमा का अंशदान एनडीपी (शुद्ध घरेलू उत्पादन) का 17.7 प्रतिशत था। भवन निर्माण कार्य, लोक प्रशासन तथा अन्य व्यवसायों और सेवाओं का राष्ट्रीय आय में अंशदान 15.7 प्रतिशत था। इससे यह स्पष्ट होता है कि उत्पादन की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर (क्षेत्र) प्राईमरी सेक्टर था। सैकेण्डरी सेक्टर इतना सुविकसित नहीं था और इसलिये राष्ट्रीय आय अथवा शुद्ध घरेलू उत्पादन में इसका अंशदान अपेक्षाकृत कम था।

#### 4.3.4 कृषि

देखा जाये तो व्यावसायिक ढांचे में तथा शुद्ध घरेलू उत्पादन (एनडीपी) के अंशदान के हिसाब से आर्थिक क्रियाओं का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कृषि है, इसलिये क्रियाओं के इस समूह का निकट अवलोकन व्यावहारिक होगा। आय के अत्यधिक कम स्तर वाले देश में खाद्य-पदार्थ उपयोग की सबसे महत्वपूर्ण सामग्री हैं। कृषि की इतनी अधिक प्रधानता है कि भारतीय कार्यकारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग रोजगार के लिए इस पर आश्रित है। जनगणना द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों से पता चलता है कि जहाँ सन् 1951 में कुल मुख्य श्रमिकों का लगभग 70 प्रतिशत कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाओं में कार्यरत था, वहाँ सन् 2011 में कृषि के भाग में गिरावट हुई और यह 54.6 प्रतिशत (Various Round of NSSO Survey) हो गया। कुल रूप में कृषि द्वारा 26.3 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। अधिकांश गरीब लोगों के पास अपनी भोजन की आवश्यकताएं पूरी करने के बाद जीवन की अन्य आवश्यकताओं के लिये मुश्किल से कोई क्रय शक्ति शेष रह पाती है। इसका अर्थ यह है कि कृषि का प्रभावन न केवल कृषि कार्यों में लगे हुए लोगों पर ही पड़ता है, बल्कि साथ-साथ अन्य लोग भी इससे प्रवाहित होते हैं। आजादी के समय चाय, जूट और कपास से ही भारत की निर्यात आय का अधिक भाग प्राप्त होता था। कपडा, जूट, चीनी, खाद्य तेल आदि जैसे आधुनिक उद्योग भी जिनका विकास इस अवधि (आजादी के समय) में हुआ, कच्चा माल से प्राप्त करते थे। सरकारी राजकोष में भी कृषि का अंशदान काफी था। इस प्रकार हमारी अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। वर्ष 1950-51 में जोत के अन्तर्गत कुल क्षेत्र 3240 लाख एकड़ था। प्रति व्यक्ति जोत का क्षेत्रफल 1901 से कम होना शुरू हो गया था। वर्ष 1901 में यह

3.2 एकड़ प्रति व्यक्ति था। वर्ष 1951 तक यह घटकर केवल 2.2 एकड़ प्रति व्यक्ति रह गया। लगभग 355 लाख एकड़ भूमि पर एक से अधिक फसलें पैदा की जाती थी। शेष भूमि पर केवल एक फसल पैदा की जाती थी। फसलें उगाने वाले कुल क्षेत्र के 78 प्रतिशत पर खाद्यान पैदा किया जाता था। बागान और मसाले केवल 1.1 प्रतिशत क्षेत्र पर पैदा किये जाते थे, परन्तु इनकी फसल बहुत ही लाभदायक थी। वर्ष 1917-1947 की अवधि में एक से अधिक फसले उगाने वाले क्षेत्र में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई और मुख्यतः नहरों के विस्तार से सिंचित क्षेत्र में 10 प्रतिशत वृद्धि हुई। वर्ष 1951 में कुल जोत भूमि का 18 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र था। वर्ष 1949-50 के अंत तक प्रति एकड़ पैदावार की दर 619 पौंड प्रति एकड़ से घटकर 565 पौण्ड रह गई। इस अवधि में देश में खाद्य पदार्थों की कमी थी, जिससे आयात आवश्यक हो गया। वर्ष 1950-51 में खाद्यानों की वार्षिक उपलब्धता 155.2 किग्रा और दैनिक उपलब्धता 425 ग्राम थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि औपनिवेशिक राज्य में अर्थव्यवस्था भूख और दीर्घकालिक कुपोषण से ग्रस्त थी।

कृषि मजदूर जांच प्रतिवेदन सन् 1954 के अनुसार ग्रामीण परिवारों में 22 प्रतिशत से अधिक भूस्वामी थे, 27 प्रतिशत से अधिक पट्टेदारी काश्तकार थे और 30 प्रतिशत से अधिक कृषि मजदूर थे (जिनमें लगभग 50 प्रतिशत भूमिहीन थे) और 22 प्रतिशत परिवार कृषि से सम्बन्धित नहीं थे। भूमि पर कई बिचौलियों के स्वार्थ निहित थे और भूमि पर वास्तविक भूमि जोतने वालों के अधिकार सीमित तथा असुरक्षित थे। सन् 1950 में कृषि मजदूर तथा उनके आश्रितों की संख्या कुल जनसंख्या की 18 प्रतिशत थी। कृषि मजदूरों में लगभग 15 प्रतिशत कृषि से जुड़े हुए थे तथा शेष अनियमित श्रमिक थे। जुड़े हुए श्रमिकों को वर्ष में औसतन 326 दिन कार्य करना पड़ता था। मजदूरी कम थी। कृषि मजदूरों में 4.6 प्रतिशत बच्चे थे और बाल मजदूरों में 77 प्रतिशत अनियमित श्रमिक थे तथा शेष कृषि से जुड़े हुए थे। इसका अर्थ यह हुआ कि कृषि में काम करने वाले श्रमिकों का प्रति व्यक्ति जी डी पी, गैर-कृषि व्यवसायों में काम करने वाले श्रमिकों की तुलना में केवल पांचवा भाग है और इसमें लगातार गिरावट आ रही है। कृषि और गैर-कृषि व्यवसायों में काम करने वाले श्रमिकों की तुलना में केवल पांचवां भाग है और इसमें लगातार गिरावट आ रही है।

#### 4.3.5 उद्योग

सत्रहवीं एवं अठाहरवीं शताब्दी के मध्य तक भारतीय उद्योगों की स्थिति काफी सुदृढ़ थी और भारतीय निर्मित माल की विदेशों में बहुत मांग थी। विदेशों से व्यापारी भारत आया करते थे और भारत को अपने माल के बदले में सोना, चांदी व बहुमूल्य पत्थर प्राप्त होते थे। लेकिन ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन में धीरे-धीरे ऐसी नीतियां अपनायी जाने लगी, जिनसे भारतीय उद्योगों में गिरावट आने लगी। कुछ आधुनिक औद्योगिक उद्यम भारत में 19वीं शताब्दी के मध्य में शुरू किये गये। इन उद्यमों का प्रबन्ध सामान्यतया 'मैनेजिंग एजेन्सी सिस्टम' के अधीन था। आजादी के समय मुख्य उद्योग कपड़ा, जूट, चीनी, सीमेन्ट, कागज और हल्के इंजिनियरिंग उद्योग थे। कुल परिष्कृत स्टील उत्पादन लगभग 89 लाख टन था और स्टील का निवेश 13 लाख टन था। स्टील का प्रति व्यक्ति वार्षिक उत्पादन केवल 3 किग्रा था। अन्य औद्योगिक उपलब्धियों में लगभग 4300 करोड़ गज सूती माल, 10 लाख टन से अधिक जूट उत्पादन, 9 लाख टन से अधिक चीनी, 3 करोड़ टन कोयला और लगभग 15 लाख टन सीमेन्ट आदि सम्मिलित थे। चावल, गेहूं तथा अन्य पदार्थों का उत्पादन भी काफी अधिक था। 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रान्ति हो जाने से स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया। वहाँ औद्योगिक पूंजीवाद को पनपने का अवसर मिला। अब इस बात की आवश्यकता प्रतीत हुई कि भारत से कच्चे माल व खाद्यान का इंग्लैण्ड में आयात किया जाये और भारत को निर्मित माल निर्यात किया जाये। धीरे-धीरे कम्पनी का व्यापारिक एकाधिकार कम किया गया और भारत को ब्रिटिश औद्योगिक उपक्रम के लिए खोल दिया गया। जब भारतीय सूती व रेशमी माल ग्रेट-ब्रिटेन में भेजा जाता तो उस पर 40 से 60 प्रतिशत आयात कर लगाया जाता था, लेकिन ब्रिटिश सूती

माल पर भारत में मूल्यानुसार केवल 3.5 प्रतिशत आयात कर ही लगाया जाता था। इस प्रकार भारतीय वस्त्र उद्योग को हर संभव तरीके से हतोत्साहित किया गया।

भारतीय जहाजरानी उद्योग (Ship Building Industry) को भी इसी तरह की भेदपूर्ण नीति अपनाकर नष्ट कर दिया। भारत और इंग्लैण्ड के बीच होने वाले व्यापार में भारतीय जहाजों के उपयोग को निरूत्साहित किया गया। भारत में कच्चे लोहे की बहुतायत रही है, लेकिन अंग्रेजों ने लोहे के उत्पादन पर कोई ध्यान नहीं दिया। सन् 1923 से उद्योगों के विकास में 'विभेदात्मक संरक्षक की नीति' अपनायी गयी, लेकिन बहुत देर से एवं अपर्याप्त ढंग से अपनाये जाने के कारण यह भारतीय हितों को आगे बढ़ाने से ज्यादा समर्थ नहीं हो सकी। इस नीति में नये उद्योगों के संरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, इसलिये भारत में रासायनिक उद्योगों व मशीन टूल्स का विकास नहीं हो सका। बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि ऐसे समय में यूरोपीय अफसरों व पर्यटकों ने कुछ हद तक भारतीय माल की मांग बनाये रखी। लेकिन यूरोपीय रूचि के अनुकूल माल बनाने के रिवाज से उत्पादन के स्तरों में गिरावट आयी और भारतीय माल के परम्परागत उच्च स्तर उत्तरोत्तर घटते गये।

1947 में भारत में 14,500 फैक्ट्रियां थी। इन प्रतिष्ठानों में लगभग 22.75 लाख व्यक्ति काम करते थे। अंश पूंजी (Share Capital) तथा अचल सम्पत्ति के सन्दर्भ में एकाधिकारी लक्षणों का सूचक उद्योगों का केन्द्रीयकरण उल्लेखनीय था। कुल अंश पूंजी का 34 प्रतिशत से अधिक तथा मूल अचल सम्पत्ति का लगभग 38 प्रतिशत और कार्पोरेट सेक्टर की सकल पूंजी का लगभग एक तिहाई भाग 20 औद्योगिक घरानों द्वारा नियंत्रित था। इसका अर्थ यह है कि औद्योगिक विकास के प्रारम्भिक चरण में भी भारत में वे एकाधिकारी लक्षण दिखाई देते थे जो विकसित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण होते हैं।

#### 4.3.6 विदेशी व्यापार

प्राचीनकाल से ही भारत का विदेशों से व्यापार होता रहा है। भारतीय वस्त्रों, मसालों, दस्तकारी का माल, हाथीदांत व लकड़ी की खुदाई, बर्तन व आभूषणों का विदेशों में बड़ा आदर होता था और बदले में भारत कीमती धातु प्राप्त किया करता था। प्रथम महायुद्ध से पूर्व हमारे निर्यातों में कच्चे माल एवं आयातों में निर्मित माल की प्रधानता होती थी और व्यापार संतुलन हमारे पक्ष में रहा करता था। प्रथम महायुद्ध की अवधि में हमारे आयात व निर्यात घट गये। वर्ष 1929-1939 की अवधि में मन्दी के कारण हमारा विदेशी व्यापार कम हो गया था। सन् 1947 में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश के विभाजन का विदेशी व्यापार पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। भारत को खाद्यान्न व कच्चे माल का आयात करना पड़ा। व्यापार का संतुलन भारत के विपक्ष में रहने लगा। वर्ष 1947-50 की अवधि में निर्यात का मूल्य 509 करोड़ रुपये था और यह हमारी राष्ट्रीय आय के 7 प्रतिशत से कम था। उस वर्ष में भारत के विदेशी व्यापार में 82 करोड़ रुपये का घाटा था। मुख्य निर्यात कृषि उत्पादन, खनिज पदार्थ तथा अन्य कच्चे माल का होता था। निर्यात की अन्य सामग्री चाय, जूट, कपास, चमड़ा, लौह अयस्क, तम्बाकू, मसाला, लाख, गोंद और तिलहन आदि थे। हमारे द्वारा निर्यात किये जाने वाले निर्मित माल में मुख्य कपड़ा था। हमारा आयात मशीनरी धातुएं, रसायन, डाइयां, खाद्यान्न सम्बन्धी उपकरण तथा मशीने आदि जैसे निर्मित माल का होता था। ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, मिश्र और आस्ट्रेलिया ही वे मुख्य निकास थे जिनसे हमारे आयात का प्रवर्तन होता था। इन देशों के साथ बर्मा और कनाडा हमारे निर्यात के मुख्य क्रेता थे। उस वर्ष के लिए हमारे भुगतान घाटे का कुल शेष 180-200 करोड़ रुपये की श्रेणी में था।

#### 4.3.7 शिक्षा

सन् 1951 में भारत में साक्षरता दर बहुत कम थी। कुल साक्षरता दर 16.7 प्रतिशत थी। पुरुष आबादी का 24.9 प्रतिशत और महिला आबादी का 7.9 प्रतिशत साक्षर वर्गीकृत किया गया था। खेतिहरों में साक्षरता की दर केवल

12 प्रतिशत थी। कृषि सम्बन्धी कार्यों में लगी महिलाओं की साक्षरता दर 4.5 प्रतिशत थी। स्नातकों की कुल संख्या 11.74 लाख थी। विद्यालयों में 6-11 वर्ष की आयु समूह में केवल 40 प्रतिशत के लिये, 11-17 वर्ष के आयु समूह में 10 प्रतिशत के लिये, 17-23 वर्ष के आयु समूह में केवल 0.9 प्रतिशत के लिये नामांकन की सुविधा उपलब्ध थी। वर्ष 1948-49 में नर्सरी से विश्वविद्यालय तक की कुल शिक्षा संस्थाओं की संख्या केवल 1.82 लाख थी। (K.S. Gill Evolution of the Indian Economy, Ch.3)

#### 4.3.8 स्वास्थ्य

केवल 556 हजार अस्पताल थे, जिनमें लगभग 8.3 लाख बिस्तरों की व्यवस्था थी। कुल मृत्यु संख्या की 5.1 प्रतिशत मृत्यु संक्रामक रोगों से होती थी। मलेरिया से पीड़ित लोगों की संख्या 10 करोड़ अनुमानित थी और तपेदिक से पीड़ित लगभग 25 लाख लोग थे और इससे लगभग 5 लाख व्यक्तियों की प्रति वर्ष मृत्यु होती थी जिनकी संभावित आयु 32 वर्ष से थोड़ी अधिक थी।

#### 4.3.9 कर

राष्ट्रीय आय का 7 प्रतिशत भाग करों से था। करों में 17 प्रतिशत आयात शुल्क से, 28 प्रतिशत सीधे करों से और 8 प्रतिशत भू-राजस्व से प्राप्त होता था। सन् 1946-47 में कुल राष्ट्रीय ऋण 2285 करोड़ था। 1947 में भारत का विदेशी ऋण 36.52 करोड़ था।

#### 4.3.10 अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां

779 अनुसूचित जाति और 245 अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या लगभग 5 करोड़ थी। ये वर्ग उत्पादन के संसाधनों, भूमि, अवसरनात्मक सुविधाओं, रोजगार के अवसरों, सामाजिक सेवाओं तथा आधुनिक तकनीकों के मामले में विशेष रूप से अहितकारी और प्रतिकूल स्थिति में थे। इसके अतिरिक्त इन लोगों के साथ सामाजिक भेदभाव भी किया जाता था।

इस प्रकार सामाजिक और आर्थिक अवसरनात्मक वित्तीय विकास और सामाजिक सेवाओं की उपलब्धता के सन्दर्भ में भारत की स्थिति पूर्ण अपर्याप्तता की सूचक थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि सुरुचिपूर्ण जीवन और विकास की बुनियादी स्थितियों से कैसे हमें वंचित रखा गया था।

#### 4.4 अल्प विकास की औपनिवेशिक वसीयत

आजादी के समय हमारी सामाजिक और आर्थिक रूपरेखा देश की सम्पत्तिहीन एवं साधनहीन राष्ट्र की छवि प्रस्तुत करती है। वर्ष 1947-48 में भारत के खनन व विनिर्मित माल का सकल मूल्य लगभग 1500 करोड़ रुपये था। आयातित माल की लागत इसकी लगभग 1/4 थी। उत्पादक वस्तुओं के आयात पर भारत की निर्धनता अधिक थी। देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अधिकांश मशीनरी बाहर से मंगायी जाती थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय देश में सूती वस्त्र मशीनरी को छोड़कर अन्य मशीने नहीं बनती थी। इस प्रकार मशीनों औजारों व उपकरणों के लिए देश पूर्णतया आयातों पर निर्भर रहता था। उस समय भारत में बड़े व विकसित उद्योगों में श्रम की उत्पादकता विकसित देशों की तुलना में नीची थी। उदाहरण के लिए सन् 1949 में सूती वस्त्र उद्योगों में प्रति श्रम घंटे सूत का उत्पादन भारत में 1.9 किग्रा, जापान में 3.3 किग्रा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में 6.9 किग्रा होता था। सन् 1947 में भारत में प्रति श्रमिक सकल उत्पत्ति का मूल्य 5000 रुपये था, जबकि ब्रिटेन में सन् 1948 में यह 24000 रुपये था। सन् 1947 में दक्ष श्रमिकों का अभाव था। टाटा समूह ने स्वदेशी दक्षता को विकसित करने का प्रयास किया था। उस समय देश में आधुनिक फैक्ट्री क्षेत्र में 20 लाख श्रमिक कार्यरत थे। यह कुल श्रमशक्ति का 2 प्रतिशत था। (C.K. Shirokov, Industrial station of India 1973 P, 45) अर्थात् स्वतंत्रता प्राप्ति के समय



भारत औद्योगिक दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ था। यहाँ का औद्योगिक ढांचा विकृत व असंतुलित था। इसमें उपयोग्य वस्तुओं के उद्योगों की प्रधानता थी तथा पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों का नितान्त अभाव था। ब्रिटिश शासन काल में स्वदेशी उद्योगों का पतन हुआ, लेकिन उनका स्थान लेने के लिए आधुनिक ढंग के बड़े पैमाने के कारखाने पर्याप्त मात्रा में विकसित नहीं हो पाये। इसके अन्तर्गत देश के पुराने उद्योग प्रायः नष्ट होते गये, लेकिन इनका स्थान नये उद्योग नहीं ले पाये। पूंजीगत वस्तुओं के कारखानों का काफी अभाव था। कुटीर व ग्रामीण उद्योगों को कई प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा था। महिमामय विभिन्नता और महान समर्थता वाली भारत की पुरातन भूमि एक निष्ठुर और शोषक शासन के अधीन थी। सुरक्षित बाजार, सस्ता कच्चा माल, बचत, अंग्रेजों के लिए रोजगार की व्यवस्था, युद्ध के लिए जनशक्ति और सामग्री तथा ब्रिटिश साम्राज्य के और प्रसार के लिये सस्ते श्रम आदि की बहुआयामी सहायता पा लेने में अंग्रेज सफल हुए थे। इससे भी अधिक चिंतनीय बात यह थी कि हमें विकास की प्रक्रियाओं में गति लाने के लिए वांछित राजकीय निर्णायक समर्थन से पूर्ण रूपेण वंचित किया गया था।

यहाँ यह प्रतीत होता है कि आजादी के समय काफी बड़ी संख्या में भारतीय अत्यधिक गरीबी में रह रहे थे। उनके पास कोई भी उत्पादन कौशल, आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान, श्रम उपयोगी उपकरण तथा उत्पादक क्रियाओं में भाग लेने के अवसर कुछ भी नहीं थे। पतनोन्मुख सामंतवादी व्यवस्था पर आरोपित औपनिवेशिक पूंजीवादी व्यवस्था की छत्रछाया में रह रहे लाखों भारतीयों की अज्ञानता, बीमारी, निरक्षरता तथा अस्वस्थता हमारी अविकसित अर्थव्यवस्था की प्रकृति स्पष्ट करती है। यद्यपि भारत में राजा-महाराजा, बड़े-बड़े भू-स्वामी, जमींदार, उद्योगपति, साहूकार, बड़े व्यापारी, उच्च शिक्षा प्राप्त व्यवसायी तथा नौकरशाही के उच्च वर्ग जैसे जनसमूह भी विद्यमान थे और उनमें से कई औपनिवेशिक शासकों के सहयोगी और अधीनस्थ होने के कारण भारी सम्पत्ति, धन, ऊंची आय और जीवन की विलासिताओं का उपभोग करते थे, तथापि जनसंख्या का अधिकांश भाग अपनी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाता था। सामान्य लोगों के लिये शिक्षा, स्वास्थ्य और नागरिक सुविधाएं पूर्णतः उपेक्षित थीं। परिवहन, रेलवे और संचार की व्यवस्था अंग्रेजों के हितों की पूर्ति के लिये विकसित की गयी थी। वास्तव में यह तो बेमन से किए गए प्रयास थे और जिनका भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। सड़क, रेल, बिजली, तकनीकी और कुशल जनशक्ति जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाओं का संतुलित और समान वितरण न होने से उद्योगों के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। रेलों, बागान तथा अन्य उद्योगों, बैंकिंग आदि के विकास से ऊंचा लाभ दिया गया और इस लाभ से अंग्रेजी पूंजी का बड़ा भाग निर्मित हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध तक भारत में और विदेशों में अंग्रेजों द्वारा लड़ी जा रही लड़ाईयों में भारत को भागीदारी के लिये विवश किया गया। अंग्रेजों के शोषक राज के साथ-साथ देशी राजाओं, जमींदारों और सामन्तों की ज्यादतियां भी जुड़ी हुई थी।

वास्तव में अंग्रेजी शासन काल के दौरान भारत औद्योगिकरण से विमुख रहा, क्योंकि जिस गति से आधुनिक युग के पूर्व के देसी उद्योगों को नष्ट किया गया वह गति आधुनिक उद्योगों की स्थापना की गति से कहीं अधिक थी। इसके अलावा सन् 1924 तक अंग्रेजी सरकार ने भारतीय उद्योगों को कोई भी बड़ा संरक्षण प्रदान नहीं किया। असंतुलित औद्योगिक विकास के कारणों में से एक कारण देश में उपलब्ध तकनीशियनों का अपर्याप्त संवर्ग भी था। पहले भारत के उद्योग सुसंगठित थे और परिष्कृत तथा उच्च गुणवत्ता (क्वालिटी) के लिये इनका ऊंचा नाम था। इन उद्योगों के नष्ट हो जाने की क्षति-पूर्ति, विदेशों से आयातित तकनीकी और उपकरणों पर आधारित तथा कुछ बड़े शहरों में स्थापित हल्के उपभोक्ता सामान के आधुनिक उद्योगों की सीमित प्रगति से नहीं की। कृषि व्यवस्था से भी वास्तविक किसानों को उत्पादकता में सुधार के तरीकों के लिये न ही साधन मिलते थे और न ही प्रोत्साहन मिलता था। नगरीय हस्तशिल्प के विनाश और उनके स्थान पर समानान्तर आधुनिक उद्योगों का विकास न होने से भारत में कृषि और उद्योग में असंतुलन आ गया।

आर्थिक क्षेत्र में अंग्रेजों द्वारा लाये गये विभिन्न परिवर्तनों के कारण भारत की जाति व्यवस्था में अधिक गतिशीलता का प्रवेश हुआ। ब्राह्मण, वैश्य और कायस्थ जैसी ऊंची जातियों को इसका लाभ मिला, क्योंकि वे शिक्षित वर्ग के थे और अधिक लाभकारी ढंग से नए अवसरों का लाभ उठा सकते थे। विशेष सुविधा प्राप्त इन जातियों के लोग क्लर्क, स्कूल मास्टर, वकील आदि बन गये। नया बुद्धिजीवी वर्ग मुख्यतः इन्हीं जातियों से आया। सड़क का निर्माण, रेलों का प्रारम्भ, डाक व्यवस्था, तार, मुद्रण आदि ने काफी हद तक इन जातियों के संगठित होने में सहायता की। अंग्रेजों द्वारा प्रवर्तित न्याय के सिद्धान्त, जैसे कि कानून सभी के लिये बराबर है तथा दीवानी और दंड संहिताओं आदि से जाति पंचायतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इन जाति पंचायतों की शक्ति काफी कम हो गयी, हालांकि वे पंचायतें विद्यमान रहीं। अदालतों के आ जाने से भी जाति पंचायतों का अंत नहीं हुआ और न्याय की दोनों व्यवस्थाओं का उपयोग होता रहा। हालांकि अंग्रेजों द्वारा जाति व्यवस्था का पारम्परिक पदानुक्रम अस्त-व्यस्त कर दिया गया था, तथापि उसे वह कमजोर नहीं पड़ा। इसका मुख्य कारण यह था कि नयी संभ्रात और धनी जातियों ने जाति व्यवस्था समाप्त करने की मांग नहीं की और केवल अपने लिये उच्च स्तर की अपेक्षा की। निचली जातियों को प्राथमिकता दिये जाने की अंग्रेजी नीति के कारण ऊंची और निचली जाति में वैमनस्य पैदा हो गया था।

उत्पादन, वितरण और विनिमय के नए सामाजिक संबंधों से नयी संस्थाओं का उदय हुआ। औपनिवेशिक शासन काल में नए सामाजिक वर्गों का भी उदय हुआ, उदाहरणार्थ गैर खेतिहर भू-स्वामी, पट्टेदार, मालिक किसान, कृषि मजदूर, व्यापारी, साहूकार, पूंजीपति और फुटकर व्यापारी। इस अवधि में शिक्षित डॉक्टर, वकील, पत्रकार, प्रबंधक, क्लर्क आदि व्यवसायों का भी उदय हुआ।

भारत को कृषि उत्पादन तथा कच्चे माल का निर्यातक और बने-बनाये माल का आयातक बना दिया गया। भारत के निर्यात से जो आधिक्य पैदा होता था वह अंग्रेजों के अपने बाह्य घाटे की आपूर्ति के लिये प्रयोग किया जाता था। अंग्रेजों के सैनिक और प्रशासकीय खर्चों की पूर्ति जैसे विभिन्न तरीकों से भारत की सम्पत्ति बड़ी मात्रा में ब्रिटेन स्थानान्तरित कर दी जाती थी।

अंग्रेजों द्वारा विकास कार्यों के लिए कुछ न करने के अनाचरण जैसे पाप कर्मों के साथ-साथ विकास रोकने तथा अवरूद्ध करने वाले कार्य किए गए। फलस्वरूप एक गतिहीन और अपंग सामाजिक और आर्थिक स्थिति बन गयी, जिसमें घरेलू उत्पादन जनसंख्या वृद्धि का साथ नहीं दे पाया और प्रति व्यक्ति आय कम बनी रहीं।

#### अभ्यास प्रश्न-

1. भारत सरकार ने रेलवे का स्वामित्व कब अपने हाथों में लिया?
2. सन् 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी?
3. उद्योगों के विकास में 'विभेदात्मक संरक्षक की नीति' कब से अपनायी गयी?
4. सन् 1951 में भारत की साक्षरता दर कितनी थी?

#### 4.5 सारांश

आजादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की रूपरेखा औपनिवेशिक शोषण के फलस्वरूप आयी तबाही की तस्वीर प्रस्तुत करती है। अतएव औपनिवेशिक काल के बाद का भारत अल्प विकसित था और उसके सामाजिक आर्थिक संबंधों के ढांचे में विकास तथा सामाजिक न्याय प्रदान करने की क्षमता और गति का अभाव था। इस इकाई में आजादी के समय देश में विद्यमान सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का तथा औपनिवेशिक विरासत की प्रकृति का एक प्रतिबिंब प्रस्तुत किया गया है। इस संसाधन आधार पर हमारे आयोजकों ने विकास का कार्य प्रारम्भ किया और विकास संबंधी लक्ष्य प्राप्त करने की विभिन्न रणनीतियां अपनाईं।



#### 4.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. सन् 1925, 2. 36.1 करोड़, 3. सन् 1923, 4. 16.7 प्रतिशत

#### 4.7 शब्दावली

गैर-खेतिहर भू-स्वामी- उन मामलों में जहाँ भूमि भू-अभिलेख के अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर होती है जो वास्तव में स्वयं भूमि पर कृषि नहीं करता हो। सामान्यतः लोग खेती का काम ऐसे अन्य लोगों को देते हैं जो वास्तव में भूमि जोतते हैं और केवल मजदूरी प्राप्त करते हैं। सभी लाभ गैर-खेतिहर भू-स्वामी को मिलता है।

प्रत्यक्ष कर- वह कर जिसका भुगतान उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिस पर यह लगाया जाता है।

अंग्रेजी राज्य के दौरान भू-राजस्व व्यवस्था- अंग्रेजों ने व्यक्तिगत करारोपण तथा भू-राजस्व भुगतान की व्यवस्था लागू की और वार्षिक उत्पादन के निर्धारित भाग के बराबर भू-राजस्व निर्धारित करने के स्थान पर एक निश्चित धनराशि की व्यवस्था लागू हो गयी।

शुद्ध घरेलू उत्पादन- सकल घरेलू उत्पादन में से पूंजीगत उपयोग घटाकर प्राप्त किया जाता है।

शुद्ध अचल सम्पत्ति- उत्पादन के स्थायी उपकरण जैसे कि फैक्ट्रियां, मशीन आदि जिनके द्वारा वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। इसकी गणना स्थायी सम्पत्ति के मूल्य में से मूल्यहास घटाने के उपरान्त की जाती है।

अंश पूंजी- अंश धारकों द्वारा सम मूल्य पर कम्पनी को दिये गये अंशदान की राशि। यह कम्पनी को देय राशि प्रदर्शित करती है।

#### 4.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. वाडिया, पी0ए0 और के टी मर्चेन्ट, 1954 अबर इकॉनोमिक प्रोब्लम, पॉपुलर: बम्बई।
2. सिंह, तरलोक, 1974, इंडियाज डिवेलपमेंट एक्सपिरिंस: मैकमिलेन: दिल्ली।
3. दत्त, आर0पी0 1947, इंडिया टूडे, पीपल्स पब्लिशिंग हाउस: बम्बई।
4. शेल्वेंकर, के0एस 1940 दि प्रोब्लम ऑफ इंडिया, पेंगुइन बुक्स, हारमंड्सवर्थ डिलसेक्स।
5. चौधरी, प्रमित, 1978, दि इंडियन इकॉनोमी: पॉवर्टी एंड डिवलेपमेंट: विकास पब्लिकेशंस: नई दिल्ली।
6. बेटलहिम, चार्ल्स, 1965, इंडिया इंडिपेंडेंट, खोसला पब्लिकेशंस: दिल्ली।

#### 4.9 सहायक/उपयागी पाठ्य सामग्री

1. सिंह, तरलोक, 1974, इंडियाज डिवेलपमेंट एक्सपिरिंस: मैकमिलेन: दिल्ली।
2. चौधरी, प्रमित, 1978, दि इंडियन इकॉनोमी: पॉवर्टी एंड डिवलेपमेंट: विकास पब्लिकेशंस: नई दिल्ली।

#### 4.10 निबन्धात्मक प्रश्न

1. आजादी के समय भारत का व्यावसायिक ढाँचा क्या था?
2. 1947 में भारत में कृषि और उद्योगों की रूपरेखा की विवेचना कीजिये।
3. अल्प विकास की औपनिवेशिक विरासत के लक्षणों की विवेचना कीजिए तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर इसका प्रभाव बताइये।

## इकाई- 5 मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल तथा इसका तर्कसंगत आधार और महत्व

### इकाई की रूपरेखा

- 5.0 प्रस्तावना
- 5.1 उद्देश्य
- 5.2 मिश्रित अर्थव्यवस्था: अर्थ
- 5.3 मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा
  - 5.3.1 मिश्रित अर्थव्यवस्था: एक शुद्ध अर्थव्यवस्था नहीं है
  - 5.3.2 भारतीय अर्थव्यवस्था की मिश्रित आर्थिक प्रकृति
- 5.4 मिश्रित अर्थव्यवस्था का तर्कसंगत आधार
- 5.5 मिश्रित अर्थव्यवस्था के लक्षण
- 5.6 मिश्रित अर्थव्यवस्था का महत्व
- 5.7 अवसंरचना का विकास और सरकारी क्षेत्र (सेक्टर)
  - 5.7.1 निजी क्षेत्र (सेक्टर) की भूमिका
  - 5.7.2 भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास
  - 5.7.3 मिश्रित अर्थव्यवस्था में योजना की भूमिका
- 5.8 निष्कर्ष
- 5.9 सारांश
- 5.10 शब्दावली
- 5.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 5.12 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 5.13 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 5.14 निबन्धात्मक प्रश्न

### 5.0 प्रस्तावना

अंग्रेजी राज के दौरान यद्यपि सड़कों तथा रेलों का विकास, बंदरगाहों का विकास, कुछ उद्योगों की स्थापना, व्यापार का प्रसार, शहरी क्षेत्र में अंग्रेजी ढाँचे पर औपचारिक शिक्षा का विस्तार और बैंकिंग तथा अन्य सेवाओं का विकास जैसे कुछ सामान्य परिवर्तन लाये गये तथापि बहुत हद तक भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय जैसे की तैसे रही और इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई। सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में कोई संरचनात्मक परिवर्तन नहीं हुए। भारत को अंग्रेजी राज से जो गतिहीन अर्थव्यवस्था विरासत में मिली उसमें भयंकर गरीबी, खाली कोष और शोषक सामाजिक आर्थिक ढाँचा था। विकास के बारे में विश्व विकास रिपोर्ट (1991) कहती है, “जीवनस्तर को सुधारना विकास की सबसे बड़ी चुनौती है।” विशेषतः गरीब देशों में बेहतर जीवन का अर्थ केवल अधिक आय ही नहीं है। इसमें बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य व पोषण के उच्च मानक, कम गरीबी, साफ-सुथरा पर्यावरण, समान अवसर, अधिक वैयक्तिक स्वतंत्रता और समृद्ध सांस्कृतिक जीवन शामिल है। किसी भी आर्थिक व्यवस्था में विकास प्रशासन सही लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसलिए आजादी के बाद भारतीय योजनाकारों के सामने देश का योजनाबद्ध आर्थिक विकास करने का बड़ा भारी काम था। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया।

इस इकाई में हम मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ, अवधारणा और भारतीय संस्कृति में इसकी महत्ता स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। साथ ही मिश्रित अर्थव्यवस्था के विभिन्न साधनों तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था में योजना की भूमिका पर भी प्रकाश डालेंगे।

### 5.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप-

- मिश्रित अर्थव्यवस्था के अर्थ को जान पायेंगे।
- भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के विभिन्न साधनों की जानकारी प्राप्त कर पायेंगे।
- मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने के कारणों के संबंध में जान पायेंगे।
- अपने देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था के महत्व को समझ पायेंगे।
- मिश्रित अर्थव्यवस्था में योजना की भूमिका के संबंध में जान पायेंगे।

### 5.2 मिश्रित अर्थव्यवस्था: अर्थ

मिश्रित अर्थव्यवस्था न तो पूर्ण रूप से पूंजीवादी और न ही पूर्णरूप से समाजवादी है। अपितु इन दोनों का मिश्रण है। आधुनिक युग में मिश्रित अर्थव्यवस्था ही पायी जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो अलग-अलग मार्केट एवं आर्थिक योजनाओं का मिश्रण हो, जिसमें निजी क्षेत्र और राज्य, अर्थव्यवस्था का निर्देशन करते हैं, या फिर एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक स्वामित्व तथा निजी स्वामित्व का मिश्रण हो, या जिसमें आर्थिक हस्तक्षेपवाद का मिश्रण मुक्त मार्केटों के सहित हो। मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के सह-अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है, परन्तु इसके लिए जरूरी है कि निजी हित की प्रेरणा को सामाजिक हित की प्रेरणा के साथ जोड़ लिया जाए। कुछ परिस्थितियों में तो निजी उद्यम के कार्य-संचालन की इजाजत समाज की सेवा करने के लिए दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त, निजी उद्यमों को अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में प्रधान स्थान नहीं दिया जा सकता। जबकि कुछ क्षेत्रों- कृषि एवं लघु उद्यमों में इसे पूर्ण स्वतंत्रता और पूर्ण विकास की इजाजत दी जा सकती है। दूसरे क्षेत्रों में इसे सीमित रूप में ही सहभागिता करने की अनुमति दी जा सकती है। कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जो सामरिक (Strategic) एवं राष्ट्रीय महत्व रखते हैं, इनमें हो सकता है निजी उद्यम को प्रवेश की इजाजत ही न दी जाए। अधिकांश मिश्रित अर्थव्यवस्था मार्केट अर्थव्यवस्था है, जो प्रबल विनियामक निरीक्षण एवं सार्वजनिक वस्तुओं का सरकारी प्रावधान के आधार पर चलते हैं। सामान्य तौर पर मिश्रित अर्थव्यवस्था उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व की विशेषता है। आर्थिक समन्वय के लिए मार्केटों का प्रभुत्व, लाभ प्राप्ति करने वाले उद्यम एवं पूंजी का संचय आर्थिक गतिविधियों के सबसे महत्वपूर्ण संचालक शक्ति है। लेकिन एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के विपरीत सरकार समाज कल्याण को बढ़ावा देने की हस्तक्षेप करने में एक भूमिका निभा रहा है। इसके साथ-साथ आर्थिक विवशता, वित्तीय संकट, बेरोजगारी और पूंजीवाद की प्रवृत्ति प्रतिक्रिया करने के लिए राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के माध्यम से अर्थव्यवस्था पर अप्रत्यक्ष व्यापक आर्थिक प्रभाव भी डाल रहा है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव 'औद्योगिक नीति प्रस्ताव- 1948' के द्वारा डाली गई। जिसे बाद में 'औद्योगिक नीति प्रस्ताव- 1956' द्वारा संशोधित किया गया।

### 5.3 मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा

मिश्रित अर्थव्यवस्था दो बिल्कुल विरोधी विचारधाराओं में समझौते का परिणाम है। इनमें से एक विचारधारा निर्बाध पूंजीवाद (Laissez Fiare Capitalism) के सिद्धान्त का समर्थन करती है और दूसरी इस बात में प्रबल विश्वास रखती है कि समग्र अर्थव्यवस्था के उत्पादन के साधनों का समाजीकरण होना चाहिए और इनका नियंत्रण राजा द्वारा किया जाना चाहिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी उद्यम और इसके परिणामस्वरूप निजी हित एवं लाभ प्रेरणा पर बल को उचित समझा जाता है। ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोप के सभी स्वतंत्र देशों और आस्ट्रेलिया का महान आर्थिक विकास निजी उद्यम द्वारा किया गया। यही कारण हैं 18वीं और 19वीं शताब्दी के अर्थशास्त्रियों की कृतियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा का कोई जिक्र नहीं था, क्योंकि उन दिनों आर्थिक स्वतंत्रता और आर्थिक मामलों में राज्य द्वारा अहस्ताक्षेप मूल सिद्धान्त जाने जाते थे। अतः मिश्रित अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत एक नयी शब्दावली है, इसे 'सुनहरी मार्ग' माना जाता है। अर्थशास्त्रियों, राजनीति वैज्ञानिकों तथा सामाजिक दार्शनिकों के प्रतिष्ठित लेखों में इस अर्थव्यवस्था का सुव्यवस्थित प्रस्तुतीकरण आसानी से ही दिखाई नहीं देता है। ए0एम0 खुसरो इसे परिभाषित करते हुए कहते हैं, "एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों (पूँजी एवं श्रम) पर सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का मिश्रण पाया जाता है तथा वस्तुओं और सेवाओं पर स्वतंत्र बाजारों एवं नियंत्रित बाजारों का मिश्रण विद्यमान रहता है।" बहुत से विद्वान मानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था, नियोजित समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था है जो अब पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ रही है। वस्तुतः मिश्रित अर्थव्यवस्था में हमेशा अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। सामान्य तौर पर हमें यह शब्दावली कई विभिन्न सन्दर्भों में मिलती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है- व्यवस्था में सरकारी, निजी और संयुक्त सेक्टरों का साथ-साथ प्रचलन। मिश्रित अर्थव्यवस्था में विकास के लिए इन सेक्टरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कुछ व्यवस्थाओं में इनमें से कोई एक सेक्टर प्रबल हो सकता है। परन्तु व्यवस्था में तीनों सेक्टरों का सह-अस्तित्व इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था की संज्ञा दिए जाने के लिए पर्याप्त है। यद्यपि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी सरकारी उपक्रम पाये जाते हैं तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी व्यक्ति की निजी सम्पत्ति होती है तथापि यह मात्रात्मक अन्तर होता है। ए0 एच0 हेन्सन मिश्रित अर्थव्यवस्था को दोहरी अर्थव्यवस्था नाम देते हैं। भारत, स्वीडन, नार्वे, आस्ट्रिया तथा इजरायल की अर्थव्यवस्था मिश्रित मानी जाती है। कुछ अर्थशास्त्री फ्रांस की अर्थव्यवस्था को भी मिश्रित कहना पसंद करते हैं। दरअसल मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोहरे बाजार की स्थिति पाई जाती है अर्थात् कुछ कीमतें मांग तथा आपूर्ति के आधार पर बाजारी ताकतें तय करती हैं तो कुछ वस्तुओं पर सरकार राशनिंग एवं नियंत्रण भी रखती है। इसलिये सामान्यतया यह शब्दावली किसी भी ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए प्रयुक्त की जाती है जिसमें स्वामित्व, नियंत्रण और निर्णय लेने के एक से अधिक तरीके साथ-साथ विद्यमान हैं। राज्य के कार्यों में परिवर्तन, कल्याणकारी कार्यों के विस्तार, निजी सेक्टर की सफलता, लोगों की बढ़ती हुई मांग, वस्तुओं के निर्माण और बिक्री में तीव्र प्रतियोगिता आने से मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अति अनिवार्य हो गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सरकारी साधनों का उपयोग समाज कल्याण को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था में उत्पादन के निजी स्वामित्व के साधन राज्य द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत ही निजी हितों की पूर्ति करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था की अन्तर्निहित विषयवस्तु यह है कि तेजी से आर्थिक विकास हो सके। ऐसी अर्थव्यवस्था में राज्य (सरकार) निजी उद्यमों के साथ आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनकर भाग लेता है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत देश की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था तीन खण्डों में विभाजित होती है-

1. वे क्षेत्र जिनमें उत्पादन तथा वितरण दोनों का सम्पूर्ण प्रबन्ध और नियंत्रण राज्य द्वारा किया जाता है और निजी उद्यमों को उस क्षेत्र से पूरी तरह बाहर रखा जाता है।
2. वे क्षेत्र जिनमें राज्य और निजी उद्यम संयुक्त रूप से उत्पादन तथा वितरण में भाग लेते हैं।
3. वे क्षेत्र जो निजी उद्यमों के एकाकी और पूरे नियंत्रण में होते हैं। ये क्षेत्र राज्य के सामान्य नियंत्रण और विनियमन के अधीन रहते हैं।

### 5.3.1 मिश्रित अर्थव्यवस्था: एक शुद्ध अर्थव्यवस्था नहीं है

वास्तविक व्यवहार में, ऐसी कोई शुद्ध और अमिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं हो सकती जिसमें संगठन और प्रबन्ध के सुपरिभाषित एकाकी सिद्धान्तों का पालन किया जाता हो। 20वीं शताब्दी के दूसरे शतक के मध्य सोवियत अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया है, हालांकि वहाँ योजना कार्य केन्द्रित थी और उत्पादन के प्रमुख साधन राज्य के स्वामित्व में थे। 1950 के दशक में ग्रेट ब्रिटेन के लिए भी यह शब्दावली प्रयुक्त की जाती थी, जबकि वहाँ कई उद्योगों के राष्ट्रीयकरण तथा सामाजिक सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था थी और आर्थिक क्रियाकलापों को विनियमित तथा नियंत्रित करने हेतु सक्रिय शासकीय नीतियों के होते हुए भी निजी एकाधिकारी प्रतिष्ठानों का प्रभुत्व था। 1950 के मध्य दशक में जबकि भारत में सरकारी क्षेत्र का आरम्भ ही हुआ था, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया है। 1980 के मध्य दशक में भारत की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग एक चौथाई भाग सरकारी क्षेत्र का था और तब भी इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया है। बहुत से विद्वान यह भी मानते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद तथा समाजवाद के बीच का एक रास्ता है। अतः इसका झुकाव किसी न किसी और अवश्य पाया जाता है। साथ ही मिश्रित अर्थव्यवस्था की अपनी कोई शुद्ध विशेषताएं नहीं होती हैं। जिन देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनायी है वहाँ अपना-अपना राष्ट्रीय दृष्टिकोण तथा परिवर्तित हालातों के सन्दर्भ विद्यमान है। युगोस्लाविया ने समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी बाजार प्रणाली को बनाए रखा है। अतः वह बाजार समाजवाद या समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, कनाडा तथा फ्रांस में पूंजीवाद के साथ-साथ सरकारी उपक्रम भी हैं। अतः उन्हें पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कह दिया जाता है। यह स्पष्ट है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक परिभाषा नहीं हो सकती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, जिसमें आर्थिक संगठन और प्रबन्ध के एक से अधिक प्रकार के सिद्धान्त एक ही समय पर प्रयुक्त होते हैं। इसका अर्थ यह है कि यह मिश्रित अर्थव्यवस्था तो है, परन्तु इसमें सम्मिलित मिश्रणों में बड़ी विभिन्नताएं हैं। ये विभिन्नताएं केवल मात्रा की नहीं प्रत्युत गुणात्मक भी हो सकती हैं। कुछ मामलों में राजकीय संरचना और प्रक्रियाओं का प्रभुत्व होता है और अन्य में निजी क्षेत्र का, जो स्वामित्व और नियंत्रण के घटते-बढ़ते केन्द्रीयकरण से प्रभुत्व स्थापित करता है। कुछ मामलों में बाजार की शक्तियां, मूल्य, बचत, निवेश विनिमय दर आदि निर्धारित करती हैं तो अन्य में ये निर्णय योजनारत एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखते हुए लिये जाते हैं।

### 5.3.2 भारतीय अर्थव्यवस्था की मिश्रित आर्थिक प्रकृति

ऐसी सभी अर्थव्यवस्थाओं को जिनमें स्वामित्व, नियंत्रण, निर्णय लेने और उत्पादन में भागीदारी के विभिन्न रूप अर्थव्यवस्था की विभिन्न शाखाओं में सक्रिय पाए जाते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जा सकता है। इस अर्थ में ऐसी कोई अर्थव्यवस्था मिलना अत्यन्त कठिन है, जिसे न्याय संगत ढंग से मिश्रित अर्थव्यवस्था की संज्ञा न दी जा सकती हो।

आजादी से पहले अंग्रेजों ने रेलवे, डाकतार, सिंचाई, आर्डिनेन्स फैक्ट्रियां तथा अफीम उद्योग में सरकारी क्षेत्र विकसित किया था तथा सिंदरी उर्वरक फैक्ट्री, विशाखापट्टनम जलपोत कारखाना तथा बंगलौर वायुयान फैक्ट्री,

अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई थी। इसलिये हमने अंग्रेजों से जो अर्थव्यवस्था अपनाई वह पहले से ही मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। निष्कर्ष यह है कि उत्पादक शक्तियों के विकास के तथा सम्बद्ध सामाजिक उत्पादक के संबंधों के सर्वाधिक प्रभावशाली और विकासमान रूपों में ही अर्थव्यवस्था चित्रित की जानी चाहिये। अतएव उस अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जायेगा, जिसमें अर्थव्यवस्था के अधिकांश गतिशील सेक्टरों में उत्पत्ति के साधनों का निजी पूंजीवादी स्वामित्व होता है और जहाँ लाभार्जन हेतु उत्पादन की व्यवस्था उत्पादक घटकों को किराये पर लेकर बाजार बिक्री की दृष्टि से की जाती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था भी इसी तरह परिभाषित की जा सकती है। इसका तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था से है, जिसमें अर्थव्यवस्था के सर्वाधिक प्रभावकारी सेक्टरों में उत्पत्ति के साधनों का स्वामित्व राज्य का होता है। राज्य द्वारा निर्धारित मूल्यों के आधार पर माल की बिक्री होती है और लाभार्जन की बजाय सामाजिक न्याय प्रबल होता है।

पर्याप्त अधिक मात्रा में सरकारी सेक्टर होने तथा योजना पद्धति का उपयोग करने से स्वीडन, फ्रांस, यूनाईटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि जैसे देशों की अर्थव्यवस्था की मूल पूंजीवादी प्रकृति विलुप्त नहीं होती है। उसी प्रकार संगठन के निजी और सहकारी रूप तथा विशिष्ट उद्देश्यों हेतु बाजार के साधन अपनाने से चीन और रूस की अर्थव्यवस्था की मौलिक समाजवादी प्रकृति बदल नहीं जाती है। किसी भी अर्थव्यवस्था की प्रकृति निर्धारित करने के लिये निर्णायक तत्व यह है कि उसमें कौन से पैटर्न (प्रतिमान) प्रधान है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में न तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के और न ही समाजवादी अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्षण है। भारत में सरकार ने एक सुविचारित योजना के तहत जानबूझ कर यह निश्चय किया कि न केवल सरकार के प्रोत्साहक और नियामक नियमों में वृद्धि की जाये, बल्कि कई विभिन्न कार्यकलापों की उत्पादन सुविधाएं अपने हाथ में लेकर प्रत्यक्ष सहभागी भूमिका भी अदा की जाये। इतना अवश्य सुनिश्चित है कि सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था एक राष्ट्रीय योजना के अनुसार कार्यरत है। यह स्थिति भारतीय अर्थव्यवस्था की मिश्रित आर्थिक प्रकृति पर प्रकाश डालती है।

#### 5.4 मिश्रित अर्थव्यवस्था का तर्कसंगत आधार

आजादी के समय की सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा ऐसी थी कि उत्पादन और विकास के कार्यों को पूर्ण रूप से निजी क्षेत्र अथवा सरकारी क्षेत्र को दिये जाने से किन्हीं भी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। प्रति व्यक्ति निम्न आय, प्राइमरी सेक्टर में कार्यरत जनसंख्या का भारी अनुपात, उच्च जन्मदर, दीर्घकालिक बेरोजगारी व अर्द्ध-बेरोजगारी, पूंजी निर्माण की निचली आय व सम्पत्ति का असमान वितरण, निरक्षरता, तकनीकी ज्ञान का अभाव, घटिया मानव संसाधन, प्रति व्यक्ति कम उपभोग, संसाधनों का अल्प उपयोग आदि ऐसी समस्याओं ने यह अनिवार्य बना दिया कि भारतीय योजनाकार एक ऐसी व्यवस्था अपनाएं जो संतोषजनक ढंग से योजनाबद्ध आर्थिक विकास ला सके और जो देश की परिस्थितियों के अनुकूल हो। 5वें दशक के दौरान विकास हेतु अपरिहार्य बड़े-बड़े काम सम्पादित करने की क्षमता अल्पसंख्यक सांमतवर्ग, भू-स्वामियों, व्यापारियों, साहूकारों और उद्योगपतियों में नहीं थी। उच्च प्रारम्भिक निवेश तथा लम्बी परिपक्वता अवधि के कारण निजी क्षेत्र बड़ी पूंजी वाले और आवश्यक उपभोक्ता माल उत्पादन के विकास कार्यक्रम हाथ में लेने के लिए भी तैयार नहीं थे। इनके अलावा ब्रिटिश शासन काल में भी अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र स्वयं राजा के हाथों में थे। इसलिए सामाजिक और आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गयी। अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका निर्णायक मानी जाती है, क्योंकि सरकार विकास प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप कर विभिन्न कार्य सम्पादित कर सकती है। सरकार विकास सम्बन्धी पारस्परिक सम्बन्धित कार्यों का और निवेश का उपयुक्त ढंग से समन्वय कर सकती है। सरकारी क्षेत्र जोखिम भी उठा सकता है, क्योंकि यह वित्तीय मुनाफे के स्थान पर सामाजिक उपलब्धियों को महत्व दे सकता है। सरकारी क्षेत्र दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपना सकता है और किसी हद तक कम लाभ और वित्तीय घाटे



सहन कर सकता है। सरकार ऐसी परियोजनाओं पर भी रोक लगा सकती है जिनमें केवल वित्तीय लाभ को ध्यान में रखा गया हो और बड़ी मात्रा में अर्थशास्त्रीय मितव्ययिता विरोध की उपेक्षा की गई हो।

सीमित और कम से कम प्रारम्भिक अवस्था के, असंतुलित विकास वाले देश में राज्य को उन स्थितियों तक पहुँचने के लिये, जिनमें बाद में भी विकास जारी रह सके, एक अहम भूमिका निभानी होती है। भारतीय योजनाकारों ने भी सरकारी क्षेत्र की सीमाओं को तथा नियंत्रित निजी क्षेत्र की निश्चयात्मक शक्ति और सामर्थ्य को समझा। इसलिये न तो सरकारी क्षेत्र को ही सर्वग्राही बनाया गया और न ही निजी क्षेत्र को निरर्थक बनाया गया। राज्य के नीति-निदेशक सिद्धान्तों में यह दिया गया है कि राज्य को यथा सम्भव प्रभावशाली ढंग से ऐसी सामाजिक व्यवस्था निश्चित और संरक्षित कर जनकल्याण को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिये जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करें। इन नीति निदेशक सिद्धान्तों के अधीन निजी क्षेत्र को एक सुनिश्चित भूमिका दी गयी। आर्थिक क्षेत्र में स्वामित्व का बेहतर वितरण और समाज के भौतिक संसाधनों का नियंत्रण सुनिश्चित करने तथा श्रमिकों का शोषण और केवल कुछ लोगों के हाथों के सम्पत्ति का केन्द्रीयकरण रोकने के लिए राज्य को अपनी नीति निर्देशित करनी होती है। नीति निर्देशक सिद्धान्तों में अन्तर्निहित इन लक्ष्यों को प्राप्त करना राज्य के लिए असम्भव होगा, जब तक कि राज्य स्वयं उत्पादन तथा वितरण के क्षेत्र में प्रवेश न करे। इससे आत्मनिर्भरता लाने और तेजी से औद्योगिकरण लाने के लिए सरकारी क्षेत्र के विस्तार की जानबूझ कर अपनाई गयी नीति का औचित्य स्पष्ट होता है।

समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा, अनिवार्य वस्तुओं के वितरण पर नियंत्रण, निजी एकाधिकार की रोकथाम, देश में विदेशी पूंजी के लिए द्वार खोलने पर रोक, समंतावादी और न्यायसंगत समाज के निर्माण, आय की असमानताओं को कम करने के लिये भारत को ऐसी मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल की आवश्यकता थी जिसमें राज्य प्रमुख मार्गदर्शी भूमिका अदा करे और निजी उद्यम देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति प्राप्त करने के महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करें।

### 5.5 मिश्रित अर्थव्यवस्था के लक्षण

मिश्रित अर्थव्यवस्था के लक्षणों को निम्नांकित बिन्दुओं के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं-

1. **वृहद सरकारी सेक्टर-** स्वतंत्र उद्यमों के साथ-साथ बड़े सरकारी सेक्टर की मौजूदगी हो तो अर्थव्यवस्था की प्रकृति 'मिश्रित' कही जाती है। समाजवादी देशों में सरकारी सेक्टर अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों में प्रमुख भूमिका अदा करता है। पाश्चात्य पूंजीवादी देशों में भी राज्य ने उन देशों की अर्थव्यवस्था में न केवल बड़े स्तर पर हस्तक्षेप किया है, बल्कि विभिन्न उत्पादक और वितरण कार्यों को भी अपने हाथ में लिया है। जिन देशों में औद्योगिकरण कुछ विलम्ब से हुआ है, उनमें राज्य की विकास संबंधी भूमिका अधिक स्पष्ट रही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी सरकारी क्षेत्र की अत्यन्त निर्णायक भूमिका होती है।
2. **उत्पत्ति के साधनों का निजी स्वामित्व तथा वस्तुओं का लाभ प्रेरित उत्पादन-** कई मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में तथा भारत में भी औद्योगिक सेक्टर का एक बड़ा भाग इस समय निजी हाथों में है। कुछ बुनियादी उद्योगों को छोड़ कर बाकी सभी उद्योग जैसे- सीमेंट, वनस्पति तेल, चमड़ा आदि निजी सेक्टर में हैं। सड़क परिवहन मुख्यतः निजी सेक्टर में है। कृषि भी निजी सेक्टर में है। इसका अर्थ यह है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में अधिकांश माल बाजार के लिये उत्पादित किया जाता है और अधिकांश आर्थिक क्रियाकलाप लाभ प्रेरित होते हैं।
3. **बाजार तंत्र (क्रियाविधि) की निर्णायक भूमिका-** भारतीय अर्थव्यवस्था में बाजार तंत्र की निर्णायक भूमिका है। भारत में न केवल विभिन्न उत्पादनों के लिये बल्कि उत्पादक घटकों के लिये भी बाजार हैं। अधिकांश वस्तुओं और उत्पादन के घटकों की कीमतें मांग और पूर्ति के पारस्परिक प्रभाव द्वारा निर्धारित



होती हैं। विभिन्न वस्तुओं की कीमतों और कीमतों के उतार-चढ़ाव से उत्पादकों के निर्णय और उत्पादन की तकनीक प्रभावित होती है। यद्यपि सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है, फिर भी उनके कार्यकलाप और निजी सेक्टर के उत्पादकों के साथ उनके व्यापारिक लेन-देन सामान्यतः बाजार के नियमों द्वारा निर्धारित होते हैं। निवेश की राशि और उसका प्रकार भी मुद्रा बाजार में प्रचलित ब्याज की दरों से प्रभावित होता है। इतना होते हुए भी बाजार तंत्र पूरी तरह राज्य के नियंत्रण से बाहर नहीं है। लाईसेंस देने, उचित दर की दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के वितरण तथा समर्थित मूल्यों पर कृषि उत्पादनों का क्रय कर सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था में बाजार तंत्र विनियमित करने का प्रयास करती है।

4. **संयुक्त सेक्टर-** संयुक्त सेक्टर संतुलित औद्योगिक विकास के लिये अत्याधिक महत्वपूर्ण मार्ग खोलता है। यह सरकारी सेक्टर (पब्लिक सेक्टर) और निजी सेक्टर (प्राइवेट सेक्टर) के विकास का पूरक है। यह मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। बुनियादी तौर पर यह मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा का विस्तार है। यह समग्र राष्ट्रीयकरण का आश्रय लिए बिना उद्योगों पर सामाजिक नियंत्रण का साधन है। देश में समानतावादी और न्यायपूर्ण आर्थिक विकास के लिये यह आवश्यक है और यह औद्योगिक परिदृश्य का कार्यक्षेत्र विस्तृत कर सकता है। भारत में आर्थिक विकास में संयुक्त सेक्टर का उल्लेखनीय योगदान अभी भी आना शेष है।

### 5.6 मिश्रित अर्थव्यवस्था का महत्व

मिश्रित अर्थव्यवस्था सामाजिक-आर्थिक शक्तियों के बीच संस्थागत संतुलन बनाये रखती है। आजादी के बाद भारत में इन्हीं शक्तियों के नियंत्रण में तथा इन्हीं के प्रयासों से विकास हुआ। इसलिये मिश्रित अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था राज्य के नेतृत्व में राज्य निर्देशित पूंजीवादी प्रक्रियाओं के लोकप्रिय समर्थन को गति देती है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के आधुनिकीकरण के लिये सामान्य रूप से तथा उद्योगों और कृषि की प्रभावशाली वृद्धि के लिये विशेष रूप से लोकप्रिय समर्थन को गतिमान करती है। व्यवस्था में सरकारी और निजी सेक्टरों (पब्लिक और प्राइवेट सेक्टरों) की वृद्धि और उनका महत्व मिश्रित अर्थव्यवस्था का अनिवार्य अंग है।

### 5.7 अवसंरचना का विकास तथा सरकारी सेक्टर (पब्लिक सेक्टर)

अर्थव्यवस्था का वह भाग जो राज्य के स्वामित्व की सम्पत्ति के आधार पर कार्य करता है, अर्थव्यवस्था के सरकारी सेक्टर का निर्माण करता है। भारतीय समाज की सामाजिक-आर्थिक संरचना का यह एक महत्वपूर्ण घटक है। भारत जैसे विकासशील देशों में उत्पादक शक्तियों के आधुनिकीकरण के लिये एकमात्र राष्ट्रीय आधार सदैव उद्यमशीलता रही है। हमारे देश में सरकारी सेक्टर के उदय और विस्तार का यही कारण है।

इस बात की बढ़ती हुई मान्यता और स्वीकृति यही है कि राज्य नवोदित सरकारी सेक्टर के माध्यम से सभी मूल और आधारभूत क्षेत्रों की आर्थिक क्रियाओं के लिये उत्प्रेरक एजेंट के रूप में कार्य करें। भारत में सरकारी विनियमन अधिकांश आर्थिक क्रियाओं में प्रत्यक्ष साझेदार और सभी आर्थिक क्रियाओं में निष्क्रिय साझेदार है। अधिकांश प्राइमरी सेक्टर दूसरों की अपेक्षा काफी जल्दी सरकार के नियंत्रण और स्वामित्व में आये और उन कार्यों की व्यवस्था की जिनके बिना राज्य का अस्तित्व नहीं हो सकता था और जिनके बिना सरकार कार्य नहीं कर सकती थी। केन्द्रीय बैंकिंग, राजकोष तथा राजकीय अर्थप्रबन्ध, रेल, सड़क तथा बंदरगाह, डाक और तार जैसे सेक्टर आजकल राज्य के मूल कर्तव्यों के रूप में पहचाने जाते हैं। ये अवसंरचनात्मक सेक्टर हैं और आर्थिक विकास के सहायक और साधक हैं।

भारत में सरकारी सेक्टर (पब्लिक सेक्टर) के अभ्युदय को खनिज पदार्थों और धातुओं, उद्योगों तथा तेल तथा पेट्रोलियम सेक्टरों में किए गए राष्ट्रीयकरण के साथ ही गति प्राप्त हुई। यह प्रवृत्ति जीवन बीमा तथा अधिकांश व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण में भी जारी रही। वास्तव में सरकार औद्योगिक वृद्धि का विस्तार करने और पूंजी तथा उद्यमशीलता प्रदान करने का उत्तरदायित्व अपने हाथ में लेने के लिये सरकारी सेक्टर के रूप में ही अग्रसर हुई। सरकारी सेक्टर (पब्लिक सेक्टर) केवल केन्द्रीय शासन के अधीन ही नहीं बढा, प्रत्युत विभिन्न राज्य सरकारों के अधीन भी इसने वृद्धि की।

### 5.7.1 निजी क्षेत्र (सेक्टर) की भूमिका

सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) की वृद्धि का एक बड़ा भाग निजी सेक्टर के योगदान का रहा है। उपभोक्ता माल के उत्पादन में निश्चित रूप से वृद्धि हुई है। मांग और पूर्ति के प्रत्यक्ष विरोध में उत्पादन और पूर्ति द्वारा निजी सेक्टर ने बहुत हद तक कीमतों में हेरफेर किया और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मूल्य वृद्धि का दबाव बढाने का प्रयास किया। अर्थव्यवस्था में संसाधनों का व्यापक अपवर्तन कर इस सेक्टर ने इसे संपत्ति के केन्द्रियकरण तथा उत्पादन और आय के असमान वितरण की ओर अग्रसर किया, जिससे सकल घरेलू उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति आय की राष्ट्रीय और सहज वृद्धि में रूकावट आई।

अभी भी भारत के प्रमुख सेक्टर अर्थात् कृषि पूरी तरह निजी सेक्टर द्वारा संचालित है, थोक और फुटकर व्यापार तो सदैव ही निजी सेक्टर के हाथों में रहा है। भारत के लघु और घरेलू उद्योग भी निजी सेक्टर में है और वे औद्योगिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

### 5.7.2 भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास

मिश्रित अर्थव्यवस्था की सफलता अर्थव्यवस्था के सरकारी, निजी और संयुक्त सेक्टरों की असंदिग्ध वृद्धि पर निर्भर करती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका इसके विकास के लिये निर्णायक होती है। इस दृष्टिकोण को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी चहुमुखी समर्थन प्राप्त हुआ था। सरकार को द्रुतगामी औद्योगिक रण और आर्थिक विकास में अहम भूमिका अदा करनी होती है। सन् 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें कहा गया था कि, “सरकार मुख्य उद्योगों और सेवाओं, खनिज संसाधनों, रेलों, जलमार्गों, जलपोतों तथा परिवहन के अन्य साधनों का स्वामित्व ग्रहण करेगा या उन्हें नियंत्रित करेगा।” तथापि आजादी के बाद से वास्तविक कार्यक्रम आदर्शवादी उद्देश्यों के स्थान पर वास्तविक उद्देश्यों द्वारा निर्देशित हुए हैं।

प्रारम्भ से ही राज्य की नीति इस विचार पर आधारित थी कि छोटे पैमाने के उद्योग तथा वित्त और व्यापार का एक बड़ा भाग निजी सेक्टर के अधिकार क्षेत्र में छोड़ा जाना था। बड़े उद्योगों के क्षेत्र में भी निजी पहल को पूरी तरह नकारा नहीं गया था। सरकारी और निजी सेक्टरों के कार्यकलापों का आनुपातिक कार्य-क्षेत्र भारत सरकार द्वारा आजादी के तुरन्त बाद ही सन् 1948 में स्वीकार किये गये औद्योगिक नीति प्रस्ताव (आईपीआर) में स्पष्ट कर दिया गया था।

सन् 1948 के प्रस्ताव (आईपीआर) का जोर मिश्रित अर्थव्यवस्था पर था। अर्थात् सरकारी सेक्टर और निजी सेक्टर दोनों का सह-अस्तित्व बनाये रखना था। इस प्रस्ताव में अधिकतम उत्पादन के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त करने पर बल दिया गया था। उद्योगों को चार मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया था-

1. केन्द्रीय सरकार के पूर्ण एकाधिकार के अधीन उद्योग।
2. ऐसे उद्योग जो इसके बाद से केवल सरकार द्वारा हाथ में लिये जायेंगे।
3. तीसरी श्रेणी में बुनियादी महत्व के ऐसे उद्योग, जिनका आयोजन तथा विनियमन केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे।

4. चौथी श्रेणी में औद्योगिक क्षेत्र का शेष भाग निजी उद्यमों, व्यक्तियों तथा सरकारी संस्थाओं के लिये खुला छोड़ दिया गया था।

1948 के प्रस्ताव में लोकहित में औद्योगिक प्रतिष्ठान ग्रहण करने के राज्य के अधिकार पर बल दिया गया था, परन्तु इस प्रस्ताव में निजी सेक्टर के लिये भी उपयुक्त कार्य-क्षेत्र आरक्षित किया गया था।

1980 की औद्योगिक नीति का लक्ष्य स्थापित क्षमता का अधिकतम उपयोग करता, उत्पादन की न्यूनतम सीमा निर्धारित करना, क्षेत्रीय असंतुलन ठीक करना, कृषि संबंधी आधार सुदृढ करना और निर्यात अभिमुखी तथा स्थानापन्न निजी उद्योग स्थापित करना था।

### 5.7.3 मिश्रित अर्थव्यवस्था में योजना की भूमिका

भारत अभी तक एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है और इस व्यवस्था को समाप्त करने का कोई कारण नहीं। देश में एक विशालकाय सार्वजनिक क्षेत्र में जिसमें बैंक, बीमा कम्पनियों, कोयला, इस्पात, पेट्रोलियम, मशीनरी, रेलवे सहित कई महत्वपूर्ण व्यवसाय शामिल हैं। अधिकतर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हालांकि लाभ कमाते हैं फिर भी लाभ कमाने से ज्यादा नागरिक सुविधा रोजगार, क्रियान्वयन में सरकार को ठोस मदद जरूर करते हैं। सरकार की फसल बीमा योजना हो, जनस्वास्थ्य योजना हो या प्रधानमंत्री जन-धन योजना, सरकारी बैंकों और बीमा कम्पनियों की भूमिका सर्वविदित हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था अनिवार्यतः एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है। चूंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था विभिन्न तथा कई परिस्थितियों में विरोधी प्रेरकों के अधीन क्रियाशील होती है, इसलिये इससे योजना की प्रक्रिया अत्यधिक जटिल होती है। एक और निजी स्वार्थ और दूसरी ओर सामाजिक लाभ, यह विरोध उपस्थित करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक योजना का उद्देश्य इन विरोधी हितों में सामंजस्य स्थापित करना होता है, ताकि राष्ट्रीय हित की उपेक्षा न हो। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आयोजन की सफलता निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है-

1. सरकारी सेक्टर किस सीमा तक निर्धारित सामाजिक लक्ष्यों के अनुसार काम करने में समर्थ है।
2. सरकार किस सीमा तक निजी सेक्टर को निर्धारित सामाजिक लक्ष्यों के पालन में निर्देशित करने में समर्थ है।
3. सरकार किस सीमा तक निजी सेक्टर के हितों से उत्पन्न निवेश निर्णयों में सरकारी सेक्टर विरोधी विकृतियां रोकने में समर्थ है।

यह माना गया था कि विकासशील अर्थव्यवस्था में बढ़ती हुई विविधता होने से सरकारी और निजी सेक्टरों को साथ-साथ बढ़ने की गुंजाइश है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के मार्ग-दर्शक और अपनाए गए मार्ग की एक मान्यता है कि सरकारी सेक्टर देश के सामाजिक और आर्थिक रूपान्तरण का मुख्य साधन है। इसके अलावा निजी सेक्टर में संसाधनों का उपयोग पूरी तरह स्वच्छन्द न छोड़कर उसे आर्थिक आयोजन के माध्यम से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाए रखने का प्रयास रहता है।

मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार योजनाबद्ध विकास लाने के लिये विभिन्न साधनों जैसे- औद्योगिक लाईसेंस, भूमि सुधार, सेवा क्षेत्र का विकास एवं सहायता अनुदान का प्रयोग करती है।

अतएव सरकार देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था विकसित करने के लिये लगातार प्रयास करती रही है। सभी तीनों सेक्टरों यथा कृषि, उद्योग और सेवाओं में निजी पहल और उद्यम को भी बरकरार रखा गया है, परन्तु विभिन्न माध्यमों से सरकार उनके आर्थिक क्रियाकलापों को विनियमित तथा निर्देशित करती रही है।

### 5.8 निष्कर्ष

भारत में जो विभिन्न क्रियात्मक नियंत्रण प्रयोग में लाए गए, उनका अनुभव बहुत संतोषजनक नहीं रहा है। प्रशासकीय नियंत्रण पर अत्यधिक निर्भर रहने की प्रवृत्ति का परिणाम नौकरशाही, लालफीताशाही और कामकाज में देरी हुआ है। अवसरों की समानता और सम्पत्ति के केन्द्रीयकरण में कमी के समाजवादी उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में नाममात्र प्रगति हुई है। विकास कार्यक्रमों में मुख्यतः समाज के सम्पन्न वर्गों को लाभ हुआ है। देश की लगभग आधी जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे रह रही है। बेरोजगारी बढ़ी है। काले धन का उदय कर अपवंचन, मूल्य वृद्धि रोकने में असफलता यह सब प्रदर्शित करते हैं कि सरकार द्वारा अपनाए गए दोष-निवारक साधनों का उचित फल प्राप्त नहीं हुआ है।

परन्तु इसका यह निष्कर्ष नहीं है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था द्रुतगामी आर्थिक प्रगति और सामाजिक न्याय प्राप्त करने हेतु सक्षम नहीं है। कृषि सुधार, बैंको के राष्ट्रीयकरण, बुनियादी और भारी उद्योगों का विकास, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि जैसे प्रगतिशील उपाय इस बात के सूचक हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे के अन्तर्गत नीतियां बनाने और उन्हें कार्यान्वित करना सम्भव है।

#### अभ्यास प्रश्न-

1. विकास के सन्दर्भ में 'विश्व विकास रिपोर्ट' कब प्रदर्शित हुई?
2. 'विश्व विकास रिपोर्ट' विकास के सन्दर्भ में क्या कहती है?
3. मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है?
4. जी0डी0पी0 क्या है?

### 5.9 सारांश

मिश्रित अर्थव्यवस्था देश के सामाजिक और आर्थिक विकास की उपलब्धि का एक प्रगतिशील साधन हो सकती है। इस बात पर अवश्य नजर रखनी होगी कि वर्तमान असमानताएं काफी कम करने, न्यायपूर्ण वितरण योजना को प्रक्रिया का अविभाज्य अंग बनाने तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के लाभों का व्यापक और न्यायपूर्ण बंटवारा करने के लिये उपयुक्त संस्थाएं निर्मित करने के सुनिश्चित प्रयास हो।

### 5.10 शब्दावली

ब्राण्ड- ब्राण्ड कम्पनी द्वारा प्रसारित एक निवेश प्रमाण-पत्र है जो यह दर्शाता है कि आपने उन्हें कोई धनराशि उधार दी है और वे आपको निर्धारित दर पर ब्याज भुगतान करने का वचन देते हैं।

सरकारी खेती- पर्याप्त भूमि की अनुपलब्धता के कारण सभी छोटे खेतों के आकार में वृद्धि करना कदाचित संभव नहीं है, इसलिए सहकारी खेती प्रासंगिक हो जाती है। वांछित सीमा से कम भूमि वाले किसान अपनी भूमि एकत्रित कर अधिक दक्षतापूर्वक कार्य कर सकते हैं। वे अपनी भूमि के मालिक बने रहते हैं और अपनी भूमि के भाग के अनुसार उत्पादन आधिक्य बांट लेते हैं।

परिपक्वता अंतर अवधि- परियोजना की अवधारणा तथा प्रारम्भ से अन्तिम समाप्ति अथवा उत्पादन तक की अन्तिम स्टेज में लिया गया समय। छोटे कुटीर उद्योगों के लिये कुछ महीनों की परिपक्वता अन्तर अवधि ही आवश्यक हो सकती है, जबकि स्टील अथवा ऊर्जा के औद्योगिक संयंत्रों को कुछ वर्षों की परिपक्वता अंतर अवधि आवश्यक हो सकती है।

उद्योग अधिनियम-1951- इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारतीय उद्योगों को इस प्रकार विकसित और विनियमित करना है जिससे योजना नीति का, समाजवादी समाज का और अन्य सामाजिक आर्थिक अथवा राजनीतिक प्रयोजनों का हित लाभ हो।

### 5.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. सन् 1991, 2. जीवन स्तर को सुधारना विकास की सबसे बड़ी चुनौति है, 3. न पूर्ण रूप से पूंजीवादी और न पूर्ण रूप से समाजवादी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है, 4. सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product)

### 5.12 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. ढीगरा, आई0सी0 और वी0के0 गर्ग, 1989, इकोनोमिक डवलपमेंट एण्ड प्लानिंग इन इण्डिया, सुलतान चंद एंड संस: नई दिल्ली।
2. दत्त, रूद्र और के0पी0एम0 सुदंरम, 2016, इण्डियन इकोनोमी, एस0 चॉद: नई दिल्ली।
3. काबरा, कमल नयन, 1990, नेशनेलाइजेशन इन इण्डिया: पालिटीकल, इकोनोमी ऑफ ऑप्शन, वाल्युम-10, ईस्टर्न बुक्स: नई दिल्ली।
4. मिश्रा, एस0के0 और वी0 के0 पुरी, 2016 इण्डियन इकोनोमी: इट्स डवलपमेन्ट एक्सपीरिएस हिमालया: मुम्बई।

### 5.13 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. ढीगरा, आई0सी0 और वी0के0 गर्ग, 1989, इकोनोमिक डवलपमेंट एण्ड प्लानिंग इन इण्डिया, सुलतान चंद एंड संस: नई दिल्ली।
2. दत्त, रूद्र और के0पी0एम0 सुदंरम, 2016, इण्डियन इकोनोमी, एस0 चॉद: नई दिल्ली।
3. काबरा, कमल नयन, 1990, नेशनेलाइजेशन इन इण्डिया: पालिटीकल, इकोनोमी ऑफ ऑप्शन, वाल्युम-10, ईस्टर्न बुक्स: नई दिल्ली।
4. मिश्रा, एस0के0 और वी0 के0 पुरी, 2016 इण्डियन इकोनोमी: इट्स डवलपमेन्ट एक्सपीरिएस हिमालया: मुम्बई।

### 5.14 निबन्धात्मक प्रश्न

1. सामाजिक और आर्थिक विकास की उपलब्धि के लिये भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल क्यों अपनाया?
2. मिश्रित अर्थव्यवस्था के विभिन्न लक्षणों की विवेचना कीजिये।
3. मिश्रित अर्थव्यवस्था में योजनाबद्ध विकास के लिये सरकार द्वारा प्रयुक्त विभिन्न साधनों को समझाइये।

## इकाई- 6 योजना की भूमिका

### इकाई की संरचना

- 6.0 प्रस्तावना
- 6.1 उद्देश्य
- 6.2 योजना का अर्थ
- 6.3 योजना की आवश्यकता
- 6.4 भारत में योजना हेतु मशीनरी
  - 6.4.1 योजना का विकास
  - 6.4.2 योजना कार्य में सम्बद्ध संस्थाएं
- 6.5 भारत में योजना की प्रक्रिया
  - 6.5.1 प्रथम चरण- सामान्य दिशा निर्देश
  - 6.5.2 द्वितीय चरण- ड्राफ्ट मेमोरेण्डम का निर्माण
  - 6.5.3 तृतीय चरण- ड्राफ्ट आउटलाईन का निर्माण
  - 6.5.4 चतुर्थ चरण- अन्तरिम प्रतिवेदन
- 6.6 योजना की सीमाएं
- 6.7 निष्कर्ष
- 6.8 सारांश
- 6.9 शब्दावली
- 6.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 6.11 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 6.12 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 6.13 निबन्धात्मक प्रश्न

### 6.0 प्रस्तावना

योजना सामान्यतः अर्थव्यवस्था के विकास से सम्बद्ध होती है। योजनाओं का प्रयास यह सुनिश्चित करना होता है कि हमारा विकास किस प्रकार हो, इसलिये ये व्यवस्था के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करती है। भारत में विकास की समस्याओं की जटिल प्रकृति के कारण योजनाओं की आवश्यकता हुई। देश को विकास कार्यों के माध्यम से पिछड़ेपन तथा गरीबी की चुनौती का सामना करना था। इस हेतु अत्यधिक संसाधनों की उच्च स्तर पर निवेश तकनीकी विकास और संस्थागत पुनःनिर्माण की आवश्यकता थी। इन्हीं सब कारणों से राष्ट्रीय आर्थिक योजना अनिवार्य थी।

भारत में ब्रिटिश राज के अन्तर्गत सबसे पहले सन् 1930 में बुनियादी आर्थिक योजनाएं बनाने का काम शुरू हुआ। भारत की औपनिवेशिक सरकार ने आपैचारिक रूप से कार्य योजना बोर्ड का गठन भी किया जिसने सन् 1944 से 1946 तक कार्य किया। निजी उद्योगपतियों और अर्थशास्त्रियों ने सन् 1944 में कम से कम तीन विकास योजनाएं बनाईं। भारत की योजनाओं में बार-बार जनतांत्रिक आयोजन अपनाने पर बल दिया गया। उत्पादन में वृद्धि, आर्थिक विकास, संतुलित क्षेत्रीय विकास, रोजगार के अधिक अवसर, गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय इन योजनाओं के उद्देश्य रहे हैं। अतएव भारत में योजना कार्य की भूमिका समझने के लिए हमें देश की योजना प्रक्रिया, योजना का क्रम विकास, योजना कार्य में लगी हुई संस्थाओं, योजनाओं के लक्ष्य और

उद्देश्य तथा भारतीय योजना व्यवस्था की उपलब्धियों और सीमाओं से भलीभांति अवगत होने का प्रयास करना चाहिए। इस अध्याय में इन्हीं बिन्दुओं पर प्रकाश डाला गया है, जिससे भारत में योजना की प्रकृति का स्पष्ट ज्ञान हो सके।

## 6.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप-

- योजना का अर्थ, भारत में योजना की आवश्यकता और योजना की प्रकृति को समझ पायेंगे।
- योजना के निर्माण, कार्यान्वयन, निरीक्षण तथा मूल्यांकन से सम्बद्ध संस्थाओं के संबंध में जान पायेंगे।
- योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए तंत्र की प्रकृति को जान पायेंगे।
- भारत में योजना के लक्ष्यों और योजना बनाने की प्रक्रिया को समझ पायेंगे।
- भारत की योजना प्रक्रिया की सीमाओं का विश्लेषण कर पायेंगे।

## 6.2 योजना का अर्थ

योजना से अभिप्राय है, उचित रीति से सोच-विचार कर कदम उठाना। फेयोल के अनुसार योजना का अर्थ है 'पूर्व दृष्टि' इससे अभिप्राय है आगे की ओर देखना, जिससे यह स्पष्ट पता चल जाए कि क्या-क्या काम किया जाना है? क्या किया जाना चाहिए और यह कैसे किया जाना चाहिये? प्रत्येक वह क्रिया नियोजित क्रिया कहलाती है जो दूरदर्शिता, विचार-विमर्श तथा उद्देश्यों एवं उनकी प्राप्ति हेतु प्रयुक्त होने वाले साधनों की स्पष्टता पर आधारित हो। बहुत ही व्यापक और सामान्य अर्थों में योजना, क्रियाकलापों को संगठित करने और उन क्रियाकलापों को सम्पन्न करने की एक व्यवस्थित एवं पूर्वविचारित पद्धति कही जा सकती हैं। मॉशर का कहना है कि "नियोजन के अन्तर्गत उद्देश्यों की पहचान कर उनको प्राप्त करने हेतु वैकल्पिक कार्यप्रणालियों का विकास करना" अर्थात् अधिक सुस्पष्ट ध्येयों के लिए विकल्पों को कम करना। मिलेट ने योजना को "प्रशासनिक प्रयासों के लक्ष्य निर्धारित करने और उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए वांछनीय साधन अपनाने की प्रक्रिया" के रूप में परिभाषित किया है। सैकलर हडसन के अनुसार, "योजना भविष्य में किये जाने वाले कार्य हेतु मार्गाधार बनाने की प्रक्रिया है।" उर्विक के अनुसार, "योजना मूलतः एक व्यवस्थित तरीके से काम करने, करने से पहले सोचने-विचारने और अनुमानों की अपेक्षा तथ्यों के प्रकाश में कार्य करने की एक बौद्धिक प्रक्रिया है। यह चिन्तनशील कल्पित प्रवृत्ति की एन्टीथीसिस अथवा उसका प्रतिस्थापन है।"

अधिकांशतः यह कहा जाता है कि योजना संगठन और निर्णय-प्रक्रिया की एक तार्किक पद्धति है। इसका अर्थ यह है कि योजना में निम्न पद सन्निहित हैं-

1. समस्या की स्पष्ट व्याख्या तथा उसका प्रत्यक्ष बोधा।
2. उद्देश्यों (लक्ष्यों) का निर्धारण तथा संसाधनों की उपलब्धि।
3. लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साधनों तथा क्रियाकलापों का सहयोजन।
4. परस्पर आश्रित इन साधनों तथा क्रियाकलापों का सहयोजन।
5. कार्यक्रम बनाना।
6. सहयोजित कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने की सर्वाधिक प्रभावी तथा सुसंगत पद्धति का चयन।
7. इस पद्धति को कालान्तर तक जारी रखने के लिए व्यवस्थित पुनरावलोकन।

इस प्रकार योजना, भविष्य के कार्यों हेतु एक सुदृढ मार्गाधार बनाने की प्रक्रिया है। सभी प्रकार के कार्यों के लिए चाहे छोटे हो या बड़े, योजना आवश्यक होती है। कोई भी देश विकास के विभिन्न चरणों में तथा विभिन्न



सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में इसे अपना सकता है। योजना लचीली, परिवर्तनशील तथा अनुकूलनशील होनी चाहिए। इसमें सुनिश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न पद्धतियां सम्मिलित होती हैं और ये पद्धतियां दूरदर्शिता, चिन्तन तथा लक्ष्यों की स्पष्टता पर आधारित होती हैं। वैसे भी योजना दीर्घ, मध्यम व लघुकालिक विकास योजनाओं की एक सतत् प्रक्रिया है।

### 6.3 भारत में योजना की आवश्यकता

योजना की भूमिका देश की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। विकासशील देशों में योजना अत्यन्त निर्णायक भूमिका सिद्ध करती है। व्यवस्था में निरन्तर उपस्थित विभिन्न समस्याओं की प्रकृति, परिणाम तथा उनकी जटिलता के कारण योजना की आवश्यकता पडती है। योजना के कई लाभ हैं।

- 1. योजना, समस्याओं का व्यापक और वैज्ञानिक बोध करने में समर्थ होती है-** अनिवार्यतः निश्चित रूप से न भी हो पर सामान्यतः योजना, व्यवस्था की समस्याओं का व्यापक एवं वैज्ञानिक बोध कराती है। विकास योजना के सन्दर्भ में यह आवश्यक है कि अल्पविकास का व्यापक और सार्थक ज्ञान हो तथा उन कारकों, शक्तियों तथा प्रक्रियाओं का भी ज्ञान हो जो विकास अथवा प्रगति में रूकावटें डालती हैं। यह ज्ञान प्राप्त करना विकास योजना का पहला चरण है और इसलिए एक व्यवस्थित योजना तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया जाता है।
- 2. योजना, नुकसान (बरबादी) की रोकथाम करती है तथा उत्पादकता में सुधार लाती है-** समस्याओं के व्यापक एवं वैज्ञानिक बोध के आधार पर योजना उपलब्ध संसाधनों का आंकलन कर उन्हें जुटाने तथा उनका उपर्युक्त उपयोग करने में निर्णायक भूमिका निभाती है। यह संसाधनों के अधूरे उपयोग, दुरुपयोग तथा अनुप्रयुक्त आंवाटन को रोकती है।
- 3. योजना, विभिन्न निर्णयों के पूर्ववर्ती तथा आगामी प्रभाव पर प्रकाश डालती है-** निर्णय लेने के लिए किए गए भौगोलिक और आंचलिक क्षेत्र सर्वेक्षण के प्रसार के फलस्वरूप योजना लाभदायक भूमिका निभाती है। यह विभिन्न निर्णयों से उत्पन्न होने वाली बाहरी प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालती है। यह निर्णयों के सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों आयामों को सामने लाती है, जिससे योजना बनाने वाले लोग सकारात्मक प्रभावों का उपयोग कर पाने और निर्णयों के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में समर्थ हो पाते हैं।
- 4. योजना, व्यवस्था की उपयुक्तता में वृद्धि करती है-** स्वेच्छाचारिता, पुनरावृत्ति, असंगति सामूहिक तथा दीर्घकालीन हितों की उपेक्षा आदि का परिहार कर योजना व्यवस्था की उपयुक्तता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फलस्वरूप योजना के माध्यम से व्यक्तिगत लाभ की प्रेरणा पर आधारित विकेन्द्रित और असहयोजित निर्णयों के कई दोषों को संशोधित किया जा सकता है।
- 5. योजना, परस्पर संबंधित मसलों पर वैयक्तिक निर्णयों की असंगति को रोकती है-** सामाजिक प्रासंगिकता के सामान्य महत्वपूर्ण मूद्दों पर सामूहिक सामाजिक निर्णय लिये जाते हैं। साथ ही जहाँ विस्तृत विवरण, स्थानीय परिस्थितियों और तेजी से बदलती हुई स्थितियों पर ध्यान देना पडता है, वहाँ वैयक्तिक निर्णय लिये जाते हैं। योजना के माध्यम से इन दोनों प्रकार के निर्णयों का पारस्परिक सुसंगत सहयोजन संभव हो जाता है।
- 6. योजना, संरचनात्मक परिवर्तन लाती है-** सामाजिक संसाधनों के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण और सामूहिक निर्णयों के माध्यम से योजना देश को बड़े कार्य हाथ में लेने तथा व्यवस्था के ढांचे में परिवर्तन लाने की समर्थता प्रदान करती है। असहयोजित निर्णयों से पैदा होने वाली प्रेरणात्मक तथा ज्ञानात्मक अड़चनों को योजना के माध्यम से दूर किया जा सकता है।

7. योजना, विरोधी हितों में सुव्यवस्थित सामंजस्य लाने की सामर्थ्य प्रदान करती है- निर्णय के उपरान्त प्रति उत्पादक विरोधों को रोकने तथा सुव्यवस्थित परिवर्तन लाने में योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वास्तव में योजना तो इस प्रकार के विरोधों को पहले ही आमंत्रित कर लेती है, जिससे कि शीघ्रातिशीघ्र उनके समायोजन का प्रयास किया जा सके। इस प्रकार पूर्व में ही यह सुनिश्चित कर कि विभिन्न आयोजित कार्यकलाप तथा परिवर्तन पारस्परिक संसुगत हैं, योजनाएं संसाधनों तथा प्रयासों की बरबादी को रोकती है।

अतएव योजना सामाजिक और आर्थिक विकासोन्मुख का अत्यन्त निर्णायक घटक (अंग) है। परियोजनाओं (स्कीमों) की अवधारणा के चरण से लेकर उनके अंतिम कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन के चरण तक योजना (प्लानिंग) को एक क्रियाशील, संगठनात्मक तथा निर्णायक भूमिका अदा करनी होती है। योजना बहुत ही प्रभावी तथा तर्कसंगत ढंग से पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन सुगम बनाती हैं।

जहाँ एक ओर ब्रिटिश शासन के पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था धन-धान्यपूर्ण, समृद्ध और उन्नत थी। भारत का अतीत गौरवपूर्ण था। सत्रहवीं शताब्दी में भारत संसार का सर्वाधिक धनी, एशिया की कृषि जननी तथा सभ्यता का औद्योगिक निर्माण ग्रह होने के साथ-साथ आध्यात्मिक गुरु था। वहीं भारत ब्रिटिश शासन की घातक एवं दोषपूर्ण आर्थिक नीतियों के कारण स्वतंत्रता प्राप्ति तक आर्थिक शोषण और साधनों के बाह्य बहाव से आर्थिक पतन के गर्त में पहुँच गया। अर्थव्यवस्था निष्क्रिय और मृतप्रायः हो गई। देश में गरीबी और बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई थी। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का जो निर्मम शोषण किया उसका उदाहरण अन्यत्र मिलना कठिन है और इस शोषण को विश्व आर्थिक इतिहास का सबसे अधिक कालिमामय अध्याय कहा जाये तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। स्वाधीनता के समय विकास के लिए अनिवार्य कार्यों तथा परिवर्तनों की प्रकृति भी ऐसी थी कि योजना का मार्ग अपनाए बिना इसे सम्भाला नहीं जा सकता था। निजी उद्योग आर्थिक एवं मानव संसाधनों का पूरा उपयोग करने की स्थिति में नहीं थे। भूवितरणात्मक सम्बन्ध, कृषि भूमि के छोटे आकार, खण्डों में विभाजित कृषि भूमि, किसानों पर ऋण का भारी बोझ, निरन्तर उत्पादन की निम्न उत्पादकता पद्धति आदि ने कृषि को पिछड़ेपन के दोषयुक्त चक्र में फंसा रखा था। भारत की दो-तिहाई आबादी के मुख्य व्यवसाय कृषि को उत्पादक और समृद्ध बनाए बिना आधुनिक उद्योग के विकास की कोई संभावना नहीं थी। भारतीय हस्तशिल्प के विनाश तथा कुटीर उद्योगों के अभाव ने इस संकट को और बढ़ा दिया था। इसलिए एक व्यवस्थित योजना प्रक्रिया आवश्यक थी। ब्रिटिश शासन के उपनिवेशीय शोषण की भारत को भारी कीमत चुकानी पड़ी। ब्रिटिश शासकों ने भारत के आर्थिक विकास की आड़ में भारतीय अर्थव्यवस्था का बर्बरतापूर्ण शोषण किया। उसके साधनों का बाह्य बहाव कर लूटा, खसोटा और ब्रिटिश पूंजी को खुली छूट देकर भारत में अपने आर्थिक साम्राज्य का विस्तार किया जिससे भारत की अर्थव्यवस्था खोखली होती गई और अंग्रेजी शासन के पूर्व एक आर्थिक सत्ता सम्पन्न आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था ब्रिटिश उपनिवेशीय शोषण के कारण दरिद्र जर्जरित एवं निष्क्रिय अर्थव्यवस्था बनकर रह गई। प्राकृतिक संसाधनों, मानव संसाधनों, विज्ञान तथा तकनीकी, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक सम्बन्धों का उपयोग करने तथा विभिन्न सामाजिक सेवाओं की आवश्यकता की प्रत्यक्ष पूर्ति के लिए आधुनिक साधन एवं सुविधाएं इस प्रकार और इस सीमा तक विकसित नहीं थी कि वे विकास के कार्य में सहायक अथवा प्रेरक हो सके। औपनिवेशिक राज्य द्वारा इन महत्वपूर्ण निवेशों की अवहेलना की गई थी और भारत के बहुमूल्य संसाधनों को बाहर ले जाया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति, विभाजन के उपरान्त देश के एकीकरण तथा प्रभुसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक संविधान ने यह स्पष्ट कर दिया कि ऐसी योजना की तुरन्त आवश्यकता थी जो आर्थिक संगठन का तथा किंचित अपरिहार्य अंश केन्द्रीय नियंत्रण में निर्णय लेने का संचेतन माध्यम हो। विकास के लिये संसाधन बढ़ाने के लिए राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक था। औपनिवेशिक राज्य में नौकरशाही द्वारा ऐसे कार्य नहीं किये गये थे। अतएव स्वतंत्रता के समय देश के समक्ष उपस्थित समस्याओं का सही ढंग से सामना संचेतन

विकल्प, कार्यकलापों के सहयोजन, बड़े स्तर पर संसाधनों के एकत्रीकरण तथा केन्द्रीयकृत प्रयासों के बिना कभी भी नहीं किया जा सकता था। इसलिए योजना विकास के बहुआयामी, परस्पर सम्बन्धी और विशाल विकास कार्यों को पूरा करने की पद्धति बन गई।

#### 6.4 भारत में योजना हेतु मशीनरी

भारत जैसे देश में जहाँ उत्पादन के बहुत अधिक साधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में है, वहीं योजना ऐसी होनी चाहिए कि वह विकास में योगदान देने वाले निजी सामाजिक, आर्थिक कार्यकलापों को नियंत्रित एवं नियमित करें तथा लोकनीति के उद्देश्यों तथा कार्यों के अनुकूल हो। यह एक ऐसी चुनौती है तथा ऐसा प्रयोग है जिसकी सफलता-असफलता पर न केवल भारत में बल्कि सम्पूर्ण एशिया और अफ्रीका में लोकतंत्र का भविष्य टिका हुआ है। चूंकि योजना आयोग स्वयं एक प्रशासनिक संगठन है, इसलिए हमारे जैसे विकासशील देश में इस पर असैनिक सेवा के मुख्य ढांचे से बाहर, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के आयोजना के एक नए तरीके के रूप में ही विचार किया जाना चाहिए। प्रशासन के इतिहासकार के लिए योजना आयोग इस निहित धारणा के कारण अधिक रोचक बन गया है कि प्रशासन ही आर्थिक विकास का प्रमुख माध्यम है। भारत में योजना का लक्ष्य संविधान में वर्णित मूल उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है। भारतीय योजना को मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे में विकासवादी तथा नियामक योजना की संज्ञा दी जा सकती है। अर्थात् योजना निजी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों के लिए आयोजन प्रक्रिया है। अपने देश में योजना की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें भारत में योजना के क्रम विकास तथा योजना निर्माण और कार्यान्वयन में लगी हुई विभिन्न संस्थाओं का भी बोध होना चाहिए।

##### 6.4.1 योजना का विकास

श्री एम0 विश्वेस्वैया ने सर्वप्रथम 1934 में भारत की राष्ट्रीय आय को दुगुना करने के उद्देश्य से एक दस वर्षीय योजना का निर्माण किया था। इस योजना के निर्माण के पश्चात् सन् 1938 में प्रान्तीय उद्योग मंत्रियों के एक सम्मेलन में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना पर विचार किया गया। इस सम्मेलन के निर्णय के अनुरूप पण्डित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति एवं अन्य उप-समितियों का गठन देश में आर्थिक विकास हेतु योजनाओं का निर्माण करने के लिए किया गया। सन् 1944 में सरकार द्वारा एक 'नियोजन व विकास विभाग' की स्थापना कर इसे युद्ध के पश्चात् देश में पुनः निर्माण तथा विकास कार्यों का उत्तरदायित्व सुपूर्द किया गया। सितम्बर 1946 में श्री के0 सी0 नियोगी की अध्यक्षता में एक सलाहकार नियोजन बोर्ड की स्थापना की। इस बोर्ड ने देश में एक स्वतंत्र योजना आयोग एवं सलाहकार समिति की स्थापना की सिफारिश की। सन् 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत को विभिन्न प्रकार की समस्याएं व कठिनाईयां विरासत के रूप में प्राप्त हुई। इस समय भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था पूर्णरूप से विखण्डित थी तथा दिन-प्रतिदिन की आवश्यकता पूरी करने वाली वस्तुओं के लिए भी विदेशी आयात पर निर्भर रहना पड़ता था। इन विभिन्न प्रकार की समस्याओं एवं कठिनाईयों से निपटने का एकमात्र उपाय देश का नियोजित ढंग से विकास करना था। स्वतंत्रता पूर्व के ये प्रयास विचारों की उस एकता पर बल देते हैं जो सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु हमारे नेताओं में थे। स्वतंत्रता के उपरान्त योजनाबद्ध विकास की एक व्यवस्थित प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी। तब से हमारी योजनाएं जनता के कल्याण और संतुलित सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ाने का प्रयास करती रही हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि बहुसदस्यीय योजना आयोग 15 मार्च 1950 के एक मंत्रिमंडलीय संकल्प द्वारा स्थापित किया गया। इसके उद्देश्य और कार्य हैं- देश के संसाधनों का आंकलन करना, इन संसाधनों में वृद्धि की सम्भावनाओं की खोज करना तथा देश के संसाधनों के सर्वाधिक प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए योजना बनाना। योजना आयोग को योजना

कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न चरण निश्चित कर प्रत्येक चरण को ठीक ढंग से पूरा करने के लिए संसाधनों का आवंटन प्रस्तावित करना होता है। योजना आयोग आर्थिक विकास में बांधा डालने वाले कारकों को इंगित कर योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए मशीनरी तथा परिस्थितियां निर्धारित करता है। योजना आयोग को समय-समय पर योजना के प्रत्येक चरण के कार्यान्वयन में प्राप्त प्रगति का पुनरीक्षण भी करना होता है तथा जहाँ आवश्यक हो, इसमें परिवर्तनों की अनुशंसा भी करनी होती है।

#### 6.4.2 योजना कार्य में सम्बद्ध संस्थाएं

योजना के निर्माण, कार्यान्वयन, निरीक्षण तथा मूल्यांकन में कई संस्थाएं लगी हुई हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग तथा इसके कार्यकारी समूह और सलाहकार पैनल, राज्य योजना मण्डल, जिला योजना खण्ड, केन्द्र तथा राज्य के मंत्रालयों में योजना खण्ड, केन्द्र तथा राज्य के मंत्रालयों में योजना खण्ड तथा संसद इस प्रयास से सम्बद्ध हैं। विभिन्न विकास परिषदों तथा उद्योग और वाणिज्य के प्रतिनिधियों के माध्यम से निजी क्षेत्र का साथ और सहयोग भी प्राप्त किया जाता है। यह बहुस्तरीय, बहुचरणीय और बहुएजेन्सी वाली योजना व्यवस्था है।

1. **राष्ट्रीय आयोजन परिषद-** योजना आयोग प्रत्येक योजना के निर्माण के समय एक राष्ट्रीय आयोजन परिषद गठन करता है, जो आयोग की योजना सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करके परामर्श देती हैं। इसमें वैज्ञानिक, इंजीनियर, अर्थशास्त्री तथा अन्य विशेषज्ञ होते हैं जो अपने अपने क्षेत्र से सम्बद्ध समस्याओं का अध्ययन करके आयोग को प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं, जिन पर विवेचना होती है।
2. **अनुसंधान प्रोग्राम समिति-** योजना आयोग ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में आयोग के उपाध्यक्ष के अधीन अनुसंधान प्रोग्राम समिति की स्थापना की जो महत्वपूर्ण कार्य करती है। इस समिति में देश के विशिष्ट एवं प्रसिद्ध वैज्ञानिक, शोधकर्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री आदि विशेषज्ञ नियुक्त किये जाते हैं, जिनका सम्बद्ध विश्वविद्यालय एवं शोध तथा अनुसंधान संस्थाओं से होता है। यह समिति विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थाओं को विकास के प्रशासनिक, सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं से सम्बन्धित शोध के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
3. **मंत्रणा दल-** योजना आयोग को सलाह देने के लिए विभिन्न परियोजनाओं से सम्बन्धित मंत्रणा दल की नामिका (Pannel) बनायी जाती है जो समय-समय पर विभिन्न नीतियों एवं कार्यक्रमों पर अपनी सलाह देती हैं। ऐसे मंत्रणा दल सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, विद्युत आदि परियोजनाओं के लिए हैं। इसके अतिरिक्त संसद सदस्यों से परामर्श करने के लिए योजना आयोग के लिए संसद के सदस्यों की सलाहकार समिति तथा प्रधानमंत्री, आयोजन के लिए अनौपचारिक सलाहकार समिति भी हैं। योजना आयोग, योजना निर्माण के पूर्व और बाद में निजी क्षेत्र की वाणिज्य एवं उद्योगों से सम्बन्धित अनेक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से परामर्श करता है।
4. **सम्बद्ध दल-** योजना आयोग के कार्य में कुछ सम्बद्ध दल भी सहायता करते हैं। जैसे- विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक का अर्थशास्त्र विभाग, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन आदि। योजना आयोग इन संस्थाओं द्वारा विभिन्न विषयों से सम्बन्धित अध्ययन करवाता है तथा केन्द्रीय सांख्यिकीय विस्तृत आंकड़े एकत्रित करके योजना के निर्माण तथा मूल्यांकन में योजना आयोग की सहायता करता है।
5. **कार्यकारी दल-** योजना निर्माण के समय आयोग अनेक कार्यकारी दल नियुक्त करता है, जिन पर विभिन्न समस्याओं से सम्बद्ध विशेषज्ञ होते हैं। ये दल योजना निर्माण के लिए विभिन्न विषयों पर अपनी रिपोर्ट देते हैं। जिनके आधार पर योजना बनायी जाती है।
6. **कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन-** इसकी स्थापना सन् 1952 में हुई थी। राष्ट्रीय प्रसार सेवाओं तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के कार्यों को निर्धारित करने के लिए यह एक स्वतंत्र इकाई है, किन्तु यह

संगठन योजना आयोग के सामान्य मार्गदर्शन में कार्य करता है। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन मुख्यालय में एक संचालक तथा अनेक उपसंचालक, अनुसंधान पदाधिकारी और अन्य कर्मचारी कार्य करते हैं। तीन क्षेत्रीय मूल्यांकन अधिकारी के हैं। एक पूर्वी क्षेत्र के लिए जिसका मुख्यालय कोलकता में है। दूसरा दक्षिण क्षेत्र के लिए है जिसका मुख्यालय मुम्बई में है। तीसरा उत्तरी क्षेत्र के लिए है जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। इन तीनों पदाधिकारियों में से प्रत्येक के अधीन परियोजना मूल्यांकन अधिकारी होते हैं। जिन केन्द्रों में ये अधिकारी नियुक्त किये गये हैं वे देश को बड़े-बड़े आर्थिक तथा कृषि सम्बन्धी प्रदेशों में विभाजित करके चुने गये हैं। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की वर्तमान व्यवस्था के अनुसार वह सामुदायिक सम्बन्धी मंत्रालय से स्वतंत्र रहकर कार्य करता है। यह संगठन योजना आयोग के सामान्य निर्देशन के अधीन कार्य करता है।

7. **राष्ट्रीय विकास परिषद-** भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है तथा केन्द्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। केन्द्र और राज्यों में शक्तियों के बंटवारे को ध्यान में रखते हुए योजना तैयार करने में राज्यों की हिस्सेदारी भी उतनी ही आवश्यक है, जितनी केन्द्र की। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग की सर्वोच्च नीति-निर्धारक संस्था है। यह योजना आयोग और विभिन्न राज्यों में समन्वय स्थापित करने का भी कार्य करती है। जिलों में योजना निर्माण के लिए जिला योजना प्रखण्ड है। राज्य विधायिका द्वारा बजट पारित होने के तुरन्त उपरान्त विभिन्न विभागाध्यक्ष योजना में प्रवाहित व्यय का जिलेवार बंटवारा करते हैं। जिले के प्राधिकारी जिला योजना प्रखण्डों के साथ मिलकर एक जिला योजना तैयार करते हैं जो राज्य सरकारों को प्राप्त विभागीय परियोजनाओं का संकलन होती है।

## 6.5 भारत में योजना की प्रक्रिया

भारतीय संविधान में सामाजिक तथा आर्थिक आयोजन का विषय समवर्ती सूची में सम्मिलित है। भारत में योजनाएं पंचवर्षीय कार्यक्रम के रूप में बनायी जाती हैं। पंचवर्षीय योजना बनाने की प्रक्रिया काफी जटिल और समय लेने वाली है। इस प्रक्रिया को निम्न चरणों में विभाजित किया जा सकता है-

### 6.5.1 प्रथम चरण- सामान्य दिशा-निर्देश

पंचवर्षीय योजना की निर्धारित अवधि से 2-3 वर्ष पूर्व ही आगामी योजना के लिए सामान्य दिशा-निर्देश निर्मित कर लिये जाते हैं। इस अभिगत में सम्पूर्ण योजना का संक्षिप्त किन्तु मूलभूत एवं सारगर्भित दर्शन समाहित होता है। इसमें मुख्य रूप से उन लक्ष्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है जिन्हें अगली प्रस्तावित योजना में प्राप्त किया जाना है। यह अभिगम (Approach)-पत्र सत्तारूढ सरकार के सामाजिक, आर्थिक विकास से सम्बन्धित बुनियादी लक्ष्यों का दस्तावेज होता है। इसमें सामान्यतः अगली पंचवर्षीय योजना के साथ-साथ 15-20 वर्षों के दूरगामी योजना दर्शन तथा रणनीति का भी चिन्तन दिखाई देता है। योजना आयोग के विशेषज्ञों द्वारा निर्मित इस दस्तावेज में आर्थिक विकास का प्रयुक्त किया जाने वाला मॉडल भी स्पष्टतः वर्णित रहता है। सम्पूर्ण योजना आयोग द्वारा स्वीकृति मिलने पर इसे केन्द्रीय मंत्रिमंडल एवं राष्ट्रीय विकास परिषद की प्रतिक्रिया प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया जाता है।

### 6.5.2 द्वितीय चरण- ड्राफ्ट मेमोरेण्डम का निर्माण

ड्राफ्ट मेमोरेण्डम का निर्माण-कार्य एक लम्बी प्रक्रिया है। जब नई योजना से सम्बन्धित अभिगम-पत्र में वर्णित लक्ष्यों तथा रणनीति को मोटे तौर पर स्वीकार कर लिया जाता है तब योजना आयोग अपने तकनीकी विषय संभागों में पदस्थापित विशेषज्ञों की सहायता से विभिन्न कार्यदलों का निर्माण करता है। इन कार्यदलों में अनेक

अर्थशास्त्री, प्रशासक, अनुसंधानकर्ता, परामर्शदाता तथा तकनीकी विशेषज्ञों सहित सम्बन्धित मंत्रालय के अधिकारी भी सम्मिलित होते हैं। प्रायः एक ही विषय जैसे- शिक्षा या स्वास्थ्य के लिए आवश्यकतानुसार 5 से 15 तक कार्य दल भी बनाने पड़ सकते हैं। इन कार्यदलों का प्राथमिक कार्य योजना के प्रारम्भिक सामान्य दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र तथा उपक्षेत्र में विस्तृत योजनाएं निर्मित करना है। कार्यदलों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति के क्रम में कार्यक्रमों तथा नीतियों की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करें। इस चरण में योजना आयोग, राज्य सरकारों को भी प्रोत्साहित करता है कि वह अपने आयोजन मण्डलों, विभागों के माध्यम से कार्य दलों का निर्माण करें।

### 6.5.3 तृतीय चरण- ड्राफ्ट आउटलाईन का निर्माण

योजना आयोग का यह तीसरा चरण ड्राफ्ट आउटलाईन (रूपरेखा प्रारूप) निर्माण का है। रूपरेखा ज्ञापन के बजाय रूपरेखा प्रारूप का दस्तावेज बड़ा तथा अधिक स्पष्ट होता है। योजना आयोग के विषय संभागों तथा तकनीकी एवं प्रशासनिक नियोजन संभागों की सहायता से निर्मित यह दस्तावेज संसद में भी प्रस्तुत किया जाता है तथा केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ-साथ राज्य सरकारें भी अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं। योजना निर्माण के इस तीसरे चरण में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ योजना आयोग की औपचारिक बैठकें महत्वपूर्ण सिद्ध होती हैं।

### 6.5.4 चतुर्थ चरण- अन्तरिम प्रतिवेदन

राज्यों के विभागों, केन्द्रीय मंत्रालयों, संसद, अकादमिक संगठनों, मीडिया तथा आम जनता से प्राप्त प्रतिक्रियाओं, सुझावों, समीक्षा, आलोचना तथा संशोधनों के आलोक में योजना आयोग सम्बन्धित योजना का संशोधित अन्तरिम प्रतिवेदन तैयार करता है, जिसे सम्पूर्ण योजना आयोग की बैठक में पुनः गंभीरता से जांचा-परखा जाता है तथा आयोग की स्वीकृति के पश्चात प्रायः केन्द्रीय मंत्रिमंडल में इस पर चर्चा होती है तथा अंत में इसे राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में अन्तिम स्वीकृति हेतु रखा जाता है। योजना का अन्तिम प्रतिवेदन इस प्रपत्र पर विचारोपरान्त प्राप्त निष्कर्षों पर आधारित होता है। योजना आयोग राज्यों, जिलों और पंचायत समितियों द्वारा प्रस्तुत आवश्यकताओं, प्रस्तावों, कार्यक्रमों और परियोजना की आर्थिक और तकनीकी दृष्टिकोण से सावधानीपूर्वक जांच करता है और उनके आधार पर योजना निर्माण करता है।

जब योजना बना ली जाती है तो सुगम कार्यान्वयन तथा संसाधनों के आवंटन हेतु इसे वार्षिक योजनाओं में विभाजित किया जाता है। योजना राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद योजना के कार्यान्वयन से सम्बद्ध नहीं होते हैं। योजना आयोग योजना के उपयुक्त कार्यान्वयन हेतु केवल मशीनरी सुनिश्चित करता है। यह बनायी गयी योजना का कार्यान्वयन नहीं करता है। योजना की मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन, योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन तथा योजना के मूल्यांकन में लगी हुई अन्य एजेन्सियों के माध्यम से किया जाता है।

## 6.6 योजना की सीमाएं

हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के प्रमुख उद्देश्य विकास दर में वृद्धि, व्यापक आधुनिकीकरण समाज के समाजवादी स्वरूप की स्थापना, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, पिछड़े वर्गों का उत्थान, संतुलित विकास तथा बड़े और पूंजीगत उद्योगों को प्रोत्साहन है। परन्तु यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि आयोजन के चार दशक गुजर जाने के बावजूद हम बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि और गरीबी की समस्याओं को हल नहीं कर पाये हैं। आंचलिक असमानताएं भी निरन्तर बनी हुई हैं। अपने जनशक्ति संसाधनों का भी अधिकतम सीमा तक उपयोग करने में असमर्थ रहे हैं। हमारी विकास दर अपर्याप्त रही है। आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण बढ़ गया है। इस प्रकार लक्ष्यों



और उपलब्धियों में विस्तृत अंतर रहा है। इन समस्याओं का श्रेय हमारी योजना पद्धति की अनेक सीमाओं को है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने 'योजना हेतु मशीनरी- 1968' पर अपने प्रतिवेदन में योजना आयोग और निजी क्षेत्र के बीच उपयुक्त सहयोजन का अभाव निर्दिष्ट किया था। निजी क्षेत्र को केवल योजना निर्माण के समय ही सम्बद्ध किया जाता है और उस समय भी दोनों में पारस्परिक विचार बहुत ही कम होता है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने केन्द्रीय सलाहकार समिति तथा औद्योगिक क्षेत्र से विचार-विमर्श के लिए सरकार द्वारा बनाई गई विभिन्न विकास परिषदों की भी आलोचना की। आयोग का मानना था कि इन परिषदों में उपयुक्त नेतृत्व तथा तकनीकी सहायता की कमी थी और इसलिये ये परिषदें सामान्यतः अप्रभावी रही थीं।

योजना परिषदों में वांछित क्षमता और अनुभव वाले प्रशिक्षित कार्मिकों का भी अभाव था। योजना निर्माण के समय तथा कार्यान्वयन के समय अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित क्षेत्रों में सहयोजन का अभाव था। इसके अतिरिक्त योजनाओं का कार्यान्वयन भी एक प्रकार से अपर्याप्त रहा। योजनाएं बनाते समय योजनाओं की व्यवहारिकता को तो ध्यान में रखना ही चाहिये साथ ही योजनाओं के कार्यान्वयन और मूल्यांकन में लगे हुए लोगों तथा एजेन्सियों पर भी उचित ध्यान दिया जाना चाहिये और एक उपयुक्त शोध तंत्र स्थापित किया जाना चाहिये। केवल आर्थिक विकास से भी देश का समग्र विकास नहीं हो सकता। अतएव समाज में संरचनात्मक तथा संस्थागत परिवर्तन लाना भी अनिवार्य है। सामान्यतः यह देखा गया है कि योजनाओं में समाजशास्त्रीय यथार्थवाद का अभाव होता है। यद्यपि कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, तथापि भूमि सुधार की प्रक्रिया अत्यन्त ही धीमी रही है और छोटे तथा भूमिहीन श्रमिक अभी भी गरीबी में रह रहे हैं। आर्थिक सुधार और विकास के मार्ग में जातिप्रथा पर आधारित पारिवारिक वंशानुगत सम्बन्ध जैसी सामाजिक बांधाओं के सतत और वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु भारतीय योजनाओं का अनुकूलन नहीं किया गया है। पिछड़ापन कम करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन पर्याप्त नहीं है। इस हेतु कुछ गैर-आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक कारकों पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

हमारी योजनाएं समय सारणी का पालन करने में असमर्थ रही हैं जिसके फलस्वरूप लागत में वृद्धि होती रही है। हमारी योजनाओं की निष्पादन प्रक्रिया इतनी धीमी है कि कुछ समय के पश्चात योजनाओं की अनुमानित लागत अपर्याप्त हो जाती है, क्योंकि समय के साथ मूल्य वृद्धि के फलस्वरूप व्यय में भी वृद्धि होती है। योजना के कार्यान्वयन और मूल्यांकन की महत्ता पर जोर नहीं दिया जाता है। सभी स्तरों पर योजना का निरीक्षण अप्रभावी रहा है। योजना कार्यान्वयन तथा योजना मूल्यांकन लालफीताशाही तथा संसाधनों के अपव्यय का शिकार है। आंचलिक और क्षेत्रीय योजनाएं तो सही मायने में कभी भी भारत में लागू नहीं हो पायीं। भारत में योजनाओं का स्वरूप खंडीय रहा है। राज्य, जिला, विकास खण्डों तथा ग्राम स्तरों पर योजनाएं खण्डीय योजनाओं का विभाजन मात्र रही है। आधार स्तर पर आयोजन बहुत ही कमजोर है। जिला, विकास खण्ड और ग्राम स्तर पर निकाय (इकाई) राज्य और केन्द्र सरकार के आंकड़े इकट्ठे करते हैं और इन स्तरों पर विस्तृत रूप से सम्पूर्ण योजना पर कार्य नहीं किया जाता है। सामान्यतः नीतियां ऊपर के स्तर से स्थानीय लोगों को हस्तान्तरित कर दी जाती हैं और स्थानीय स्तर पर लोगों से केवल उसी ढांचे की पूर्ति अपेक्षित होती है। योजना में जन-साधारण तथा ऐच्छिक एजेन्सियों की भागीदारी भी काफी अपर्याप्त रही है।

## 6.7 निष्कर्ष

यद्यपि हमारी आयोजन पद्धति के सामने कई समस्याएं हैं, फिर भी स्थिति उतनी भयावह नहीं है। हम एक सामान्य विकास दर बनाये रखने में समर्थ रहे हैं। आधारभूत उद्योगों और संरचनात्मक ढांचे में विकास हुआ है। भारत खाद्य आयात पर आश्रित नहीं रहा है। शिक्षा, सामाजिक सेवाएं और मानवीय पूंजी भी विकसित हुई है तथा इसमें कुछ सीमा तक विस्तार भी हुआ है। आर्थिक संरचनात्मक ढांचे, ऊर्जा, संसाधनों, सिंचाई कार्यों और आवागमन



साधनों का भी विकास हुआ है। भारत की औद्योगिक क्षमता जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की अहम भूमिका रही है, का भी विकास और विविधीकरण हुआ है।

योजनाओं के प्रशासनिक शोध तथा मूल्यांकन हेतु, लागत कम करने एवं विलम्ब दूर करने हेतु, कार्य पद्धतियों के सरलीकरण पर, अर्थव्यवस्था के विभिन्न खण्डों में पारस्परिक सम्बन्धित कार्यों में बेहतर सहयोजन पर और अधिक अच्छे प्रशिक्षित कार्मिकों तथा आधारभूत स्तर पर, योजना के विकास पर समुचित बल देकर योजना पद्धति के समक्ष प्रस्तुत बाधाओं को दूर किया जा सकता है। जनसहभागिता के बिना कोई भी योजना सम्भव नहीं है। जनसाधारण केवल लक्ष्य नहीं है, बल्कि वे विकास रणनीति के माध्यम भी हैं। अतएव योजना बनाने तथा निर्णय लेने में, आयोजित कार्यों के कार्यान्वयन में, विकास के लाभों के वितरण में तथा योजनाओं के निरीक्षण और मूल्यांकन में जनसाधारण तथा ऐच्छिक एजेंसियों को सम्मिलित किया ही जाना चाहिए।

#### अभ्यास प्रश्न-

1. भारत में सर्व प्रथम बुनियादी आर्थिक योजनाएं बनाने का काम कब शुरू हुआ?
2. योजना का क्या तात्पर्य है?
3. हेनरी फेयोल के अनुसार योजना का क्या अर्थ है?
4. भारत की राष्ट्रीय आय को दो गुना करने के उद्देश्य से कब और किसके द्वारा एक दस वर्षीय योजना का निर्माण किया गया?
5. योजना आयोग का निर्माण कब किया गया?

#### 6.8 सारांश

भारत द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाये जाने के कारण नियोजित अर्थव्यवस्था के साथ चलना आवश्यक हो गया। 69 वर्षों (सन् 1949 - 2018) के अनुभव ने यह दर्शाया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में नियोजन ने नियोजन के संस्थागत नेटवर्क, मिश्रित अर्थव्यवस्था एवं सार्वजनिक सेवाओं की बढ़ती हुई भूमिका का एक शक्तिशाली आधार निर्मित कर लिया है। योजना आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्य योजना मण्डल व तंत्र, जिला नियोजन व्यवस्था आदि ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में, नियोजन को अविलम्ब प्रदान किया है परन्तु ये योजनाओं को क्रियान्वित करने में असफल रहे हैं और अधिकतर पंचवर्षीय योजनाएं कुछ क्षेत्रों में आंशिक सफलता प्राप्त कर सकी है एवं कुछ अन्य में पूर्णतया असफल रही है। सन् 1991 में नई अर्थव्यवस्था के आने व 20-25 वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नवीन आर्थिक परिदृश्य के उद्भव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय नियोजन को निर्माण व क्रियान्वयन दोनों ही स्तरों पर उपयुक्त मार्ग नहीं दिया जा सकता। नियोजन प्रक्रिया नौकरशाही प्रकृति से भरी हुई एवं राजनीतिक विचारों व दृष्टिकोणों के नियंत्रण में रही है और देश के सर्वसम्मिलित विकास पर ध्यान नहीं दिया गया है। नियोजन के क्रियान्वयन में निजी क्षेत्र, विदेशी निवेश, जनभागीदारी, उदार आर्थिक विचार आदि की सरकार एवं नौकरशाही द्वारा अपने हितों, शक्ति, प्रतिष्ठा, प्रभुता, स्थान आदि के कारण पूर्णतया अवहेलना की गई। आधुनिक समय की मांग है कि सर्वसम्मिलित उन्नति की ऐसी योजना विकसित की जाए जिसमें प्रत्येक नागरिक और विदेशी संस्थाओं को भाग लेना और योगदान करना आवश्यक हो। इस प्रकार से यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि सामाजिक आर्थिक विकास के लक्ष्यों के प्रति वचनबद्ध किसी भी देश के लिए योजना एक आवश्यक घटक है। हमारी योजनाओं का लक्ष्य सदैव ही व्यवस्थित और संतुलित विकास हेतु सामाजिक, आर्थिक और संरचनात्मक परिवर्तन रहा है। इस अध्याय में योजना के महत्व, योजना के क्रम विकास और देश में योजना पद्धति की प्रकृति को स्पष्ट कर भारत में योजना व्यवस्था का विश्लेषण किया गया है।

## 6.9 शब्दावली

अर्थव्यवस्था का उपरी ढाँचा- अर्थव्यवस्था के उपरी ढाँचे के निर्माण का अर्थ है सड़कों के जाल का विकास, सिंचाई तथा जल विद्युत कार्यों का निर्माण, रेलवे का विकास तथा अन्य पूंजी आधारित परियोजनाएँ जो देश की आर्थिक सम्पत्ति होती है।

खण्डों में विभाजित कृषि भूमि- भूमि के छोटे-छोटे भागों में विभाजन और उप-विभाजन से कृषि भूमि का अपव्यय होता है। कृषि लागत में वृद्धि तथा श्रम और पूँजी का अधूरा उपयोग होता है।

मुद्रा स्फीती- जब आय अर्जन की अपेक्षा मुद्रा आय में तीव्र गति से वृद्धि होती है तो मुद्रा स्फीती हो जाती है। जब वस्तुओं और सेवाओं की कुल पूर्ति की वृद्धि की तुलना में मौद्रिक रूप में कुल प्रभावी मांग अधिक तीव्र गति से बढ़ती है तो मुद्रा स्फीती होती है।

वंशानुगत सम्बन्ध- वंशानुगत सम्बन्ध ऐसे पारिवारिक संबंध अथवा निकट और दूर के रिश्तेदारों के बीच के सम्बन्ध हैं जो सामाजिक-व्यवहारिक प्रतिमानों को प्रभावित करते हैं।

राष्ट्रीय आय- उत्पादन के साधनों (भूमि, श्रम तथा पूँजी) से होने वाली आय की राशि जिसकी पूर्ति देश के निवासियों द्वारा प्रत्यक्ष करों (सम्पत्ति कर, आय कर, उपहार कर) के घटायें जाने के पूर्व की जाती है, राष्ट्रीय आय है।

आंचलिक योजनाएँ- इसमें विशिष्ट अंचल की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखण्डों का सहयोजन सम्मिलित होता है। इन प्रखण्डों को कुछ प्राकृतिक एवं आर्थिक समानताओं से सम्बद्ध किया जाता है।

## 6.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. सन् 1930, 2. उचित रीति से सोच-विचार कर कदम उठाना, 3. पूर्व दृष्टि, 4. सन् 1934 में श्री एम0 विश्वेस्वरैया, 5. 15 मार्च 1950

## 6.11 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अवस्थी, ए0 और महेश्वरी एस0 आर0 2015, पब्लिक एडमिनिशट्रेशन, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा।
2. सरूप, ए0 और ब्रह्म एस0 2016, प्लानिंग फॉर, मिलियंस विले ईस्टर्न: नई दिल्ली।
3. उप्पल, जे0 एस0 2017, इंडियन इकौनामिक प्लानिंग, मैक्सिमलेन: दिल्ली।

## 6.12 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. अवस्थी, ए0 और महेश्वरी एस0 आर0 2015, पब्लिक एडमिनिशट्रेशन, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा।
2. सरूप, ए0 और ब्रह्म एस0 2016, प्लानिंग फॉर, मिलियंस विले ईस्टर्न: नई दिल्ली।
3. उप्पल, जे0 एस0 2017, इंडियन इकौनामिक प्लानिंग, मैक्सिमलेन: दिल्ली।

## 6.13 निबन्धात्मक प्रश्न

1. भारत में योजना प्रक्रिया की विवेचना कीजिये।
2. भारत में योजना के उद्देश्यों की विवेचना कीजिये।
3. हमारी योजना प्रक्रिया की सीमाएँ क्या हैं?

## इकाई- 7 विकास का उद्देश्य

### इकाई की संरचना

- 7.0 उद्देश्य
- 7.1 प्रस्तावना
- 7.2 विकास की संकल्पना
- 7.3 भारत में विकास सम्बन्धी लक्ष्य
  - 7.3.1 आर्थिक संवर्धन
  - 7.3.2 आत्म निर्भरता
  - 7.3.3 औद्योगिकीकरण
  - 7.3.4 आधुनिकीकरण
  - 7.3.5 सामाजिक न्याय
- 7.4 हमारे योजनागत उद्देश्य
- 7.5 निष्कर्ष
- 7.6 सारांश
- 7.7 शब्दावली
- 7.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 7.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 7.10 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 7.11 निबन्धात्मक प्रश्न

### 7.0 प्रस्तावना

विकासशील देशों के लिए विकास की समस्या का सामना करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जब देश साम्राज्यवादी सत्ता से मुक्त हो जाते हैं और स्वयं के स्वामी बन जाते हैं, तब जनता सरकार से अपेक्षा करती है कि विदेशी सत्ता के शासनकाल में रूकी हुई विकास प्रक्रिया को गति प्रदान की जाये। प्रशासन विकास के मौलिक उद्देश्यों की पूर्ति का सर्वमान्य माध्यम है, परन्तु दुर्भाग्यपूर्ण साम्राज्यवादी विरासत के कारण जनता प्रशासन में दूरी बनी हुई है तथा जनता प्रशासन के प्रति आशंकित है। दोनों में दूरी देखने को मिलती है साथ ही अपेक्षित सहभागिता का अभाव भी दृष्टिगत है। जनता प्रशासन की क्षमता के प्रति भी आश्वस्त नहीं है कि वह विकास की नवीन और बढ़ती हुई चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। विकास एक जटिल और बहुपक्षीय संकल्पना है। विकास के लक्ष्य, विकास की संकल्पना पर निर्भर होते हैं जो देश में प्रचलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर होती है। विकास को न तो आर्थिक विकास और न ही प्रति व्यक्ति आय के स्तर के अनुरूप निर्धारित किया जा सकता है। यह एक समग्र संकल्पना है जो सामाजिक रूप से विद्यमान सभी सहज पहलुओं से सम्बन्धित है।

विकास सम्बन्धी लक्ष्य या उद्देश्य अल्पावधि या दीर्घावधि के हो सकते हैं। उनका वास्तविक तथा प्रभावी अनुसरण होने अथवा न होने के आधार पर वे वास्तविक या वर्णित भी हो सकते हैं। भारत ने अनेक उद्देश्यों और लक्ष्यों वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली की संरचना के अनुरूप विकास सम्बन्धी योजना को अपनाया जो अन्य सभी उद्देश्यों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सामाजिक समानता दूसरा उद्देश्य है, जिसे भारत में प्रवृत्त बेरोजगारी, गरीबी, आय में विषमताओं तथा क्षेत्रीय असंतुलन सम्बन्धी परिस्थितियों के कारण काफी महत्व दिया गया। हमारे देश में अनुसरण किए जा रहे अन्य विकास सम्बन्धी लक्ष्य हैं- आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण तथा

अत्मनिर्भरता। इस इकाई में विकास और संवर्धन के बीच सम्बन्ध स्पष्ट करने का प्रयत्न किया जायेगा तथा विकास के उन विभिन्न लक्ष्यों पर प्रकाश डाला जायेगा, जिनके सम्बन्ध में सभी पंचवर्षीय योजनाओं में विशेष जोर दिया गया। विकास सम्बन्धी नीतियों तथा कार्यक्रमों के गठन और कार्यान्वयन के दौरान सामने आने वाली कठिनाईयों को स्पष्ट करने का भी प्रयास किया जायेगा।

### 7.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप-

- विकास का अर्थ एवं आर्थिक विकास के साथ इसके सम्बन्ध को समझ पायेंगे।
- देश में विकास सम्बन्धी लक्ष्यों को जान पायेंगे।
- पंचवर्षीय योजनाओं के विभिन्न उद्देश्यों को जान पायेंगे।
- विकास सम्बन्धी लक्ष्यों की उपलब्धि में बाधक समस्याओं के संबंध में जान पायेंगे।

### 7.2 विकास की संकल्पना

विकास की अवधारणा न तो नवीन है और ना ही प्राचीन। विकास एक निरन्तर परिवर्तनशील और गतिशील प्रक्रिया है। सभ्यता के विकास के साथ इसके विभिन्न रूप और अवधारणा रही हैं। 19वीं सदी की तुलना में आज विकास की प्रकृति अलग प्रकार की है। विकास एक बहुआयामी अवधारणा है, जिसकी निश्चित और सर्वमान्य परिभाषा करना कठिन है। सच तो यह है कि विकास की एक संतोषप्रद सर्वव्यापी परिभाषा न तो हो सकती है और न ही की जा सकती है। विकास के विभिन्न लक्ष्यों का विश्लेषण करने से पहले 'विकास' शब्द का अर्थ जानना जरूरी है। विकास की संकल्पना को परिभाषित करना कठिन है। सामान्य रूप से इसका आशय है, प्रगति अर्थात् एक असंतोषप्रद परिस्थिति की अवस्था को पीछे छोड़कर बेहतर परिस्थिति की अवस्था की ओर अग्रसर होना।

हेन-बीन-ली के अनुसार, "विकास प्रगतिशील राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों की उपलब्धि के लिए नए, अनवरत परिवर्तनों का सामना करने के सम्बन्ध में प्रणाली की क्षमताओं में सतत विकास अर्जित करने की प्रक्रिया है। विकास का आशय है- परिवर्तन और विकास।" व्यापक समर्थन प्राप्त करने वाली एक परिभाषा मेयर की यह है, जिसमें कि आर्थिक विकास को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है, जहाँ दीर्घावधि में देश में प्रतिव्यक्ति वास्तविक आय में इस शर्त के साथ वृद्धि हो, कि सुनिश्चित गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या में वृद्धि नहीं होगी तथा आय का वितरण और असमानता अधिक नहीं होगी।" जेराल्ड ई0 काईडन के अनुसार, "विकास शब्द का कोई विशिष्ट अर्थ नहीं है। अर्थशास्त्री इसे आधुनिक उत्पादकता के रूप में परिभाषित करते हैं, समाजशास्त्री इसका प्रयोग सामाजिक परिवर्तन से करते हैं, राजनीतिक विचारक इसे जनतंत्रकरण, राजनीतिक क्षमता अथवा विकासशील सरकार के रूप में करते हैं, प्रशासक इसे अधिकारी तंत्र, प्रशासनिक कुशलता एवं क्षमता के रूप में मानते हैं।" आक्सफोर्ड शब्दकोष ने विकास को उच्चतर, पूर्णतर और प्रौढ स्थिति की ओर बढ़ना बताया है। एडवर्ड वीडनर के अनुसार, "विकास गतिशील है जो सदैव चलता रहता है। विकास मन की स्थिति, प्रवृत्ति और एक दशा है जो एक निश्चित लक्ष्य के बजाय एक विशिष्ट दिशा में परिवर्तन की गति है।" जान माण्ट गोमरी के अनुसार, "विकास जो अभीष्ट अथवा परिवर्तनशील होता है।"

'विकास' शब्द को 'संवर्धन' शब्द के समान नहीं समझना चाहिये। यद्यपि, संवर्धन विकास की पूर्व शर्त है, तथापि अर्थव्यवस्था में मात्र संवर्धन से ही कोई अर्थव्यवस्था विकसित नहीं हो जाती। चार्ल्स पी0 किंडल वर्गर का यह कहना सही है कि जहाँ आर्थिक संवर्धन से मात्र उत्पादन में वृद्धि का संकेत मिलता है, वहीं आर्थिक विकास से उत्पादन के तकनीकी और संस्थागत संगठनों तथा आय की वितरण प्रणाली में परिवर्तन का आभास मिलता है।

विकास के उद्देश्य की तुलना में आर्थिक संवर्धन की अनुभूति अधिक सरल है। अधिक संसाधनों को संगठित करके और उनकी उत्पादकता को बढ़ाकर उत्पादन स्तर ऊंचा उठाया जा सकता है। विकास की प्रक्रिया बहुत व्यापक है। उत्पादन में वृद्धि के अलावा इसमें उत्पादन के संयोजन में परिवर्तन तथा उत्पादक संसाधनों के आवंटन में बदलाव भी शामिल है, जिससे सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। कुछ देशों में आर्थिक संवर्धन की प्रक्रिया में आर्थिक विकास भी शामिल होता है हालांकि, यह जरूरी नहीं है। संवर्धन के अभाव में विकास कल्पनानीत है, परन्तु विकास के बिना संवर्धन संभव है।

संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि विकास परिवर्तन की वह स्थिति है जिसके द्वारा परम्परागतपूर्ण स्थिति में हम आधुनिक स्थिति पर आते हैं। विकास सामाजिक गतिविधियों से प्रभावित होता है जो सदैव राष्ट्रीय विकास एवं सामाजिक आर्थिक प्रगति की ओर निर्देशित होती है। भारत में आयोजकों ने यह तथ्य महसूस किया कि विकास की संकल्पना में निम्नांकित घटक अवश्य शामिल होने चाहिए-

1. आर्थिक संवर्धन को विकास के समान नहीं समझा जा सकता। वास्तव में इस बात की कोई गारन्टी नहीं है कि निवेश, पूंजी-निर्माण, औद्योगिक और राष्ट्रीय आय में वृद्धि से सम्पूर्ण विकास हो पाएगा, जिसके परिणामस्वरूप गरीबों को बेहतर जीवन का अवसर मिल सकेगा। अतः विकास को पूर्णरूप से एक अकेली, एकीकृत संकल्पना के रूप में समझना जरूरी है, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आयाम शामिल है।
2. सामाजिक न्याय विकास का आधार है।
3. विकास एक सहभागिता वाली प्रक्रिया है न कि ऐसी प्रक्रिया, जिसमें विशिष्ट वर्ग के चुने हुए अल्पसंख्यक विकास की प्रक्रिया को नियंत्रित तथा निर्देशित करते हैं।
4. आत्म-निर्भरता, विकास का एक अभिन्न अंग है। इसका आशय यह है कि विकासशील देशों को आपसी फायदों के लिए, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में पूर्ण समानता के आधार पर, विकास प्रक्रिया में हिस्सा लेने के योग्य होना चाहिए।
5. प्राकृतिक संसाधनों की कमी के कारण यह जरूरी है कि संवर्धन के अनुसरण में उन संसाधनों का अत्यधिक या असंतुलित इस्तेमाल न किया जाये, ताकि उनका प्राकृतिक संतुलन बना रहे।

### 7.3 भारत में विकास सम्बन्धी लक्ष्य

विकसित और विकासशील देशों में संवर्धन और विकास सार्वजनिक नीतियों पर हावी रहते हैं। सभी जगह विकास में सरकार के सामूहिक प्रयासों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जो विभिन्न देशों में गुणात्मक तथा मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है। यह कई तथ्यों पर निर्भर होती है, जिसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथ्य विकास का उद्देश्य या लक्ष्य है। इसका आशय यह है कि विभिन्न देशों में विकास की संकल्पना को अलग ढंग से समझा जाता है। यह विभेद विभिन्न देशों द्वारा अपनाए गए विकास के लक्ष्यों की विविधता और भिन्नता से सम्बन्धित है। चूंकि विकास बहुमुखी है और उसका उद्देश्य समाज का लोक कल्याण करना है तथा नागरिकों को अच्छा जीवन प्रदान करना है। समस्त विकासशील राष्ट्रों का उद्देश्य लगभग एक जैसा होता है, जिसमें निम्न गतिविधियां सम्मिलित है-

1. राष्ट्र का उत्कृष्ट विकास, 2. राष्ट्र की आय में वृद्धि, 3. देश की जनता का जीवन-स्तर विकसित करना, 4. देश को आत्मनिर्भरता प्रदान करना, 5. नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराना। 6. कानून व्यवस्था में सुधार करना तथा न्याय प्रदान करना, 7. आर्थिक - सामाजिक क्षेत्र में प्रगति करना, 8. विकास कार्यों में जनता की सहभागिता प्राप्त करना, 9. नीतियों एवं योजनाओं को लागू करना, 10. विकास कार्यों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहायता प्रदान करना।
- विकास के उद्देश्यों में विभेदों से विभिन्न देशों की परिस्थितियों और अभिवृत्तियों के विभेद परिलक्षित होते हैं, जो उनके इतिहास, प्राकृतिक परिस्थितियों राजनीतिक तथा सामाजिक प्रणाली, विश्व समुदाय में उनकी हैसियत और

महत्व पर निर्भर होती हैं। भारत में विकास की संकल्पना भी देश में विकास के लक्ष्यों पर निर्भर करती है। यह लक्ष्य है- आत्मनिर्भरता, औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण, आर्थिक संवर्धन और सामाजिक न्याय। इन लक्ष्यों की विस्तारपूर्वक चर्चा इस प्रकार है-

### 7.3.1 आर्थिक संवर्धन

विकास एक व्यापक प्रक्रिया है इसके अन्तर्गत अनेक बातों का समावेश होता है। किन्तु विकास में आर्थिक विकास का अधिक महत्व रहता है। अनवरत रूप से उत्पादन बढ़ाने के क्रम में हमने मशीनरी उपकरणों तथा बुनियादी सुविधाओं जैसे पूंजीगत लक्ष्यों से सम्बन्धित साधनों में वृद्धि की है। यह अनिवार्य है, क्योंकि इससे हमारे श्रमिक वर्ग को वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रचुर उत्पादन करने में मदद मिलती है, अन्ततः बचत और पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि होती है। अतः उत्पादन में वृद्धि के माध्यम से विकास करना भारतीय योजना की आधारशीला बन गया है। दूसरी ओर एक देश में हमारी सभी विकास सम्बन्धी नीतियों में यह नजर आता है। भारतीय योजनाओं के स्वरूप को देखते हुए यह स्पष्ट है कि इनमें आर्थिक विकास को अधिक महत्व दिया गया है। योजनागत लक्ष्यों के निर्धारण और विभिन्न क्षेत्रों में संसाधनों के आवंटन का उद्देश्य आर्थिक संवर्धन करना ही है।

पहली पंचवर्षीय योजना (1951-56) से आरम्भ होने वाले आर्थिक योजनागत काल में राष्ट्रीय आय में 2.1 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के विकास पर अधिक जोर देकर राष्ट्रीय आय में 4.5 प्रतिशत वृद्धि के लक्ष्य की कल्पना की गई। तीसरी योजना में राष्ट्रीय आय में 5.6 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। इसमें कृषि उत्पादन के संवर्धन पर जोर दिया गया। चौथी योजना का मुख्य उद्देश्य विकास पर और स्थिरता बनाए रखना था। पांचवी योजना में राष्ट्रीय आय में 5.5 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। इसमें आर्थिक विकास के उद्देश्यों को गरीबी उन्मूलन तथा आत्म-निर्भरता की उपलब्धि जैसे अन्य लक्ष्यों का अनुपूरक लक्ष्य माना गया। छठी योजना में सकल घरेलू उत्पाद में 5.2 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए पूंजीगत वस्तुओं के उपयोग के सम्बन्ध में विद्यमान कुशलता स्तर में सुधार लाने, निवेश दर को ऊंचा उठाने, निवेश पद्धति को अधिक व्यावहारिक बनाने और भुगतान शेष को निश्चित सीमाओं के अन्दर रखने पर अधिक जोर दिया गया। सातवीं योजना में सकल घरेलू उत्पाद या राष्ट्रीय आय में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। आठवीं, नौवीं, दसवीं, ग्यारवीं और बारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं में इसी प्रकार आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया।

अतः हमारी योजनाओं में आर्थिक विकास को विशेष महत्व दिया गया। किसी योजना के निष्पादन का मूल्यांकन करते समय उसकी विकास दर को पूरा करने के लिए उत्पादन की दर ऊंची होना जरूरी समझा गया है। इसलिये हमारे संसाधनों के समुचित प्रयोग पर हमेशा जोर दिया जाता है, जिससे लोगों की जरूरतें पूरी की जा सकें। यह समझा जाता है कि हमारी उत्पादन प्रक्रिया से उद्भव संवर्धन आहिस्ता-आहिस्ता सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में व्याप्त हो जाएगा। उत्पादन में वृद्धि के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी की भूमिका और उसके महत्व पर भी जोर दिया गया। हमारे योजनाकाल के आरम्भ से लेकर हम आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के उपाय सुलझाने के साथ आर्थिक विकास को उच्च प्राथमिकता देते आए हैं। गरीबी हटाने, समुचित और उपयुक्त समाज की स्थापना करने और लोगों के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उत्पादन में वृद्धि करना आवश्यक समझा गया है।

हमारी योजनाओं में विकास की संतुलित दर की उपलब्धि को भी महत्व दिया गया और उद्योग, कृषि तथा छोटे उद्योग (उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योग) तथा भारी उद्योग (पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योग) के बीच एक संतुलन स्थापित कर लिया गया। योजनाओं में अर्थव्यवस्था के वस्तुओं का उत्पादन करने वाले क्षेत्र और सेवाएं उपलब्ध कराने वाले क्षेत्र के बीच संतुलन स्थापित करने का भी लक्ष्य रखा गया।



### 7.3.2 आत्म निर्भरता

किसी देश को आर्थिक रूप से स्वावलंबी तभी माना जा सकता है जब वह अपनी आवश्यकताओं, संसाधनों और उपयोगिता के अनुरूप विकास के मार्ग का अनुसरण करें। भारत जैसा विकासशील देश तब तक आत्मनिर्भर नहीं बन सकता जब तक कि व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी के सन्दर्भ में अन्य देशों पर आश्रित रहना छोड़ नहीं देता। हमारी योजनाओं में आत्मनिर्भरता के निम्नांकित आयामों पर जोर दिया गया है-

1. कतिपय महत्वपूर्ण वस्तुओं के आयात में कमी लाना।
2. विदेशी सहायता पर निर्भरता में कमी।
3. घरेलू उत्पादन का विविधकरण।
4. निर्यात का संवर्धन कराना जिससे कि हम अपने स्रोतों से आयात की जाने वाली वस्तुओं की अदायगी कर सकें।

चूंकि विदेशी मुद्रा हमारे विकास संवर्धन में बांधा हो सकती है, इसलिए हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में आत्म-निर्भरता तथा आयात प्रतिस्थापन के माध्यम से इसका प्रबन्ध करने का प्रयत्न किया गया है। हम देश में मशीनरी के विनिर्माण का विकास करके आयात प्रतिस्थापन की उपलब्धि चाहते हैं। आत्म निर्भरता की उपलब्धि के माध्यम से कोई भी देश विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था के साथ समरूपों का तालमेल सुनिश्चित कर सकता है और बाहरी दबावों तथा व्यवधानों का खतरा कम करने में समर्थ हो सकता है। आर्थिक विकास के उद्देश्य के साथ आत्म-निर्भरता की उपलब्धि अपेक्षित है, परन्तु विकास की कीमत पर इसकी उपलब्धि अनुचित है। आत्मनिर्भरता और स्वावलम्बन के अर्थ को आपस में उलझाना नहीं चाहिए। रक्षा जैसे क्षेत्रों में स्वावलम्बन अनिवार्य है तथा राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक भी है। अन्य क्षेत्रों में केवल आत्मनिर्भरता को महत्वपूर्ण माना है अर्थात् इन क्षेत्रों में सामान्य मांग घरेलू उत्पादन से पूरी हो जाती है, परन्तु अन्य देशों से आयात करना आवश्यक हो जाने की स्थिति में निर्यात के माध्यम से अर्जित विदेशी मुद्रा के आधार पर ही खरीद की जाती है। कुल मिलाकर विदेशी मुद्रा की मांग को विदेशी मुद्रा के निर्यात के समरूप रखा जाता है। यह आत्मनिर्भरता की विशेषता है।

1950 के दशक में देखा जाये तो भारत अन्य देशों पर निर्भर था, क्योंकि खाद्यान्नों का उत्पादन पर्याप्त नहीं था, बुनियादी उद्योग प्रायः उपलब्ध नहीं थे और बचत दर काफी कम थी। इस कारण भारतीय आयोजकों के लिए हमारी योजनाओं में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य पर यथोचित ध्यान देना आवश्यक हो गया। पहली दो पंचवर्षीय योजनाओं में आत्मनिर्भरता को विशेष महत्व नहीं मिल पाया। तीसरी योजना में पहली बार यह कहा गया कि लगभग एक दशक में देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जायेगा। साथ ही यह भी कहा गया कि इस समय देश के आगे प्रस्तुत भुगतान शेष की समस्याएं अस्थायी नहीं हैं और आने वाले कई वर्षों तक यह समस्याएं बनी रहेगी। इस अवधि के लिए बाहरी सहायता जरूरी है। परन्तु अर्थव्यवस्था को अधिक से अधिक आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य सामने होना चाहिये, जिससे कि दस या बारह वर्षों की अवधि में यह अपने उत्पादन और बचत में से पर्याप्त निवेश करने में समर्थ हो सके। विदेशी पूंजीगत वस्तुओं का सामान्य आयात जारी रखा जाए परन्तु बाहरी विशेष पूंजीगत वस्तुओं पर निर्भरता को उत्तरोत्तर कम करते हुए समाप्त करना आवश्यक है। चौथी योजना में इस तथ्य को मूर्त रूप दिया गया और इसकी उपलब्धि के लिए समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया गया।

### 7.3.3 औद्योगिकरण

जैसा कि विदित है कि राष्ट्रीय आय की विकास दर में वृद्धि भारत के योजनाबद्ध विकास का मूल विषय रहा है। इसकी उपलब्धि के लिए हमारे योजनाकाल के आरम्भ में पूंजीगत वस्तुओं और बुनियादी उद्योगों के विकास की आवश्यकता महसूस की गई। अतः देश के विकास की रूपरेखा में पूंजीगत वस्तुओं से सम्बन्धित उद्योगों के



विकास को सर्वाधिक महत्व दिया गया। कोयला, इस्पात, मशीन, विद्युत, रसायन आदि जैसे आधारभूत पदार्थों और वस्तुओं के उत्पादन पर ध्यान दिया गया। संरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना और पूंजी के संचयन के लिए यह अनिवार्य केवल भारी और आधारभूत वस्तुओं के उत्पादन, उपभोक्ता वस्तुओं का गैर-उत्पादन तथा नियोजन के अवसरों में कमी जैसी औद्योगीकरण की प्रारंभिक कठिनाईयों के बावजूद यह महसूस किया गया कि इस उद्देश्य पर जोर देने के फलस्वरूप पूंजीगत और उपभोक्ता वस्तुओं, ऊंची आय के स्तर पर नियोजन, पूंजी निर्माण तथा विकास दर की वृद्धि में व्यापक विस्तार होता है। हमारी योजनाओं में औद्योगीकरण के उद्देश्य को उच्च प्राथमिकता दी गई है। आयोजकों ने उपभोक्ता वस्तुओं की पर्याप्त सप्लाई की व्यवस्था पर जोर दिया। कुटीर उद्योगों को उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। इस प्रकार के उद्योगों में अधिक पूंजी की अपेक्षा नहीं होती तथा श्रमिकों की संख्या भी अधिक होती है। बचत और निवेश की वर्तमान दर, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात विस्तार पर जोर देने के कारण हमारे औद्योगिकी उत्पादन को बढ़ावा मिला है। औद्योगीकरण के लिए इस नीति का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में उद्योगों के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की गई है। हमारी योजनाओं में प्रमुखतः निम्न बातों पर जोर दिया गया-

1. आन्तरिक क्षेत्र (Core Sector) के उद्योगों का तीव्र विकास और इसके लिए इस्पात, अलौह धातुओं, उर्वरकों, खनिज तेलों तथा मशीन निर्माण को उच्च प्राथमिकता देना।
2. ऐसे उद्योगों का विकास करना, जिनके निर्यात में वृद्धि की संभावनाएं हो।
3. जन-उपभोग की वस्तुओं, उद्योगों के उत्पादन को बढ़ाना।
4. निर्यात को छोड़ अनावश्यक वस्तुओं के उत्पादन को सीमित करना।
5. छोटे उद्योगों का विकास करने के उद्देश्य से 124 मदों को केवल उनके लिए रिजर्व करना और सहायक उद्योगों के राहत कार्यक्रम को विकसित करना जिससे वे बड़े उद्योगों के पोषक उद्योग बन सके।

इसके अतिरिक्त उद्योग और खनन, विद्युत और परिवहन तथा संचार जैसे अर्थव्यवस्था के कतिपय क्षेत्रों के विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

### 7.3.4 आधुनिकीकरण

छठी पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज के अनुसार आधुनिकीकरण शब्द का आशय है- आर्थिक गतिविधियों की रूपरेखा में विविध संरचनात्मक और संस्थागत परिवर्तन। उत्पादन के आंशिक संयोजक में बदलाव, गतिविधियों का विविधीकरण, प्रद्योगिकी की उन्नति और संस्थागत नवीनीकरण आदि आधुनिकीकरण सम्बन्धी प्रयासों का अंश हैं। आयोजकों ने विकास के सम्बन्ध में विज्ञान तथा प्रद्योगिकी की भूमिका को हमेशा सराहा है। उत्पादन में विज्ञान और प्रद्योगिकी के अनुप्रयोग से उत्पादन का स्तर उंचा उठता है तथा आर्थिक विकास की गति को बढ़ावा मिलता है। हमारी योजनाओं में विदेशी प्रद्योगिकी पर हमारी निर्भरता को कम करने के लिए अनुसंधान और विकास की आवश्यकता पर जोर दिया गया। यद्यपि संरचनात्मक विविधकरण की संकल्पना दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ शुरू हुई थी, तथापि आधुनिकीकरण की संकल्पना की स्पष्ट व्याख्या छठी पंचवर्षीय योजना में ही की गई। योजना के अन्य पहलुओं में निम्नलिखित तत्व शामिल कए गए-

1. सरकारी एवं निजी क्षेत्र के बहुत से उद्योगों में विनिर्माण क्षमता में काफी वृद्धि करनी होगी, जिससे न केवल उपभोक्ता वस्तुएं और चिरस्थायी उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध कराई जा सके बल्कि कृषि तथा औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अन्तर्वर्ती (Intermediate) और पूंजी वस्तुओं का संभरण भी बढ़ाया जा सके।
2. सामान्य तौर पर पूंजी वस्तु उद्योगों और विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि इनसे आर्थिक क्रिया के विस्तृत क्षेत्र को बढ़ावा मिलता है।

3. योजना के लिये काफी मात्रा में विदेशी संसाधनों की आवश्यकता है और इन्हें प्राप्त करने के लिए इंजीनियरी सामान, औद्योगिक वस्तुओं और परियोजना निर्यात में काफी वृद्धि करनी होगी।
4. औद्योगिक प्रगति निरन्तर तकनीकी विकास पर निर्भर करेगी। सबसे अधिक बल आन्तरिक अनुसंधान और विकास पर देना होगा, जिससे कि देशी तकनीकी विकास प्रोन्नत किया जा सके।
5. पिछड़े क्षेत्रों में विकास के लिए नई कार्य नीतियां निर्धारित करने की आवश्यकता है। इसलिए विकास के नए मॉडल लागू करने पर बल देना होगा।

इसके अतिरिक्त उद्योगों में निजी निवेश को बढ़ावा देने तथा उसका वित्त पोषण करने के लिए बैंकिंग संस्थाओं का एक तंत्र स्थापित किया गया। सरकार ने संरचनात्मक व्यवस्था, कच्चे माल की सप्लाई और विपणन तथा प्रद्योगिकी के विकास में सहायता देने के लिए विविध संस्थाएं स्थापित कीं। लघु उद्योगों तथा कारीगरों को उत्पाद आरक्षण, अर्थात् विनिर्दिष्ट वस्तुओं का उत्पादन केवल लघु उद्योगों द्वारा ही किये जाने की छूट देकर और वित्तीय छूट देकर संरक्षण दिया जा रहा था। हमारी योजनाओं में उद्योग के अलावा कृषि के क्षेत्र में भी आधुनिकीकरण का लक्ष्य रखा गया। हमारे योजनाकाल के प्रारम्भ में तत्कालीन पुरानी कृषि काश्तकारी प्रणाली, खेती-बाड़ी की पुरातन प्रद्योगिकी और उत्पादन में वृद्धि सम्बन्धी आधारभूत ढांचे की कमी के कारण हमारी कृषि की वृद्धि अधिक नहीं थी, इसलिये इस क्षेत्र का आधुनिकीकरण बहुत कठिन कार्य था। कृषि अनुसंधान और विस्तार संगठन के व्यापक ढंग, प्रमुख खाद्यान्नों और उद्यान-कृषि उत्पादन एवं समर्थन मूल्यों की पद्धति की स्थापना आधुनिकीकरण के परिणाम हैं।

### 7.3.5 सामाजिक न्याय

व्यापक और बहुआयामी असमानताएं गैर-विकास तथा पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण कारण है। भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में गहरी विषमताएं हैं। यदि सामाजिक विषमताएं इसी प्रकार बनी रहें, तो राजनीतिक अधिकारों का कोई फायदा नहीं होगा। गरीबी, बेरोजगारी, क्षेत्रीय असंतुलन और आय की विषमताओं को दूर करने तथा लोकतंत्र को प्रभावी बनाने के लिए पर्याप्त समानता लाना अनिवार्य है। भारतीय आयोजकों ने भारत की अर्थव्यवस्था को समाजवादी पद्धति में रूपान्तरित करने पर जोर दिया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे के भीतर ही अर्थव्यवस्था को समाजवादी पद्धति में ढालने की आवश्यकता पर विचार किया गया। इसमें सुझाव दिया गया कि योजना सम्बन्धी मुख्य निर्णय समाज उत्थान के लिए समर्पित अभिकरणों द्वारा लिए जाने चाहिए और हमारी योजनाओं से कम सुविधा प्राप्त वर्ग को सबसे अधिक लाभ मिलना चाहिए। आय और सम्पत्ति का केन्द्रीकरण कम किया जाना चाहिए तथा अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका होनी चाहिए। सातवीं योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों अर्थात् सामाजिक न्याय के साथ विकास और उत्पादता उन्नत करने के उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए औद्योगिक क्षेत्र के विकास कार्यक्रम तैयार किये गये-

1. हमारी योजनाओं में निर्दिष्ट सामाजिक न्याय का उद्देश्य, समाज के निर्धनतम वर्गों के जीवन-स्तर से सम्बन्धित है।
2. परिसम्पत्तियों के वितरण में विषमताओं को कम करना।
3. बेरोजगारी दूर करना।
4. संतुलित विकास लाना।
5. पिछड़े वर्गों का उत्थान।

उपरोक्त उद्देश्यों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं -

1. **आय की विषमताओं को कम करना-** भारतीय नियोजन के उद्देश्यों में सबसे अधिक विफलता सामाजिक न्याय व आर्थिक समानता के उद्देश्यों को प्राप्त करने के सम्बन्ध में रही है। योजनाकाल में आय

व धन की असमानताएं बढ़ गई हैं। भारत में सामाजिक न्याय की उपलब्धि का अन्य तरीका आय की विषमताओं में तथा सम्पत्ति के केन्द्रीकरण में कमी लाना हो सकता है। भारत में आय की विषमताओं का मामला कृषि भूमि के स्वामित्व में असमानताओं और औद्योगिक क्षेत्र में आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण से जुड़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़े व्यापारिक घरानों की तेजी से बढ़ती हुई परिसम्पत्तियों के कारण यह विषमता बढ़ रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आय की असमानताएं भी बढ़ रही हैं। आर्थिक विकास और औद्योगिककरण से यह समस्याएं सुलझने के बजाय और गंभीर हो गई हैं।

योजना आयोग के अनुसार भारत में विद्यमान आर्थिक विषमताओं की जड़ें सामन्ती प्रणाली के अवशेषों से जुड़ी हैं और इन अर्द्ध-सामन्ती सम्बन्धों को नष्ट करना आवश्यक है। इस उद्देश्य की उपलब्धि के लिए भारत सरकार ने योजनागत उद्देश्यों के माध्यम से, समुचित विधि निर्माण करते हुए कृषि क्षेत्र से सभी मध्यस्थों का उन्मूलन करने का वादा किया है। विषमताएं दूर करने के सम्बन्ध में कृषि जमाखोरों पर रोक लगाना एक अन्य उपाय हो सकता है।

विकासशील देशों में उच्च आय के मुख्यतः तीन स्रोत होते हैं- पूंजीगत प्रणालियां, उद्यमशील और संदिग्ध लाभ तथा व्यावसायिक कार्यकलापों के वेतन तथा परिलब्धियां।

अतः योजना आयोग के अनुसार विषमता दूर करने के लिए पहले पूंजीगत प्राप्तियों तथा लाभों पर रोक लगाई जानी चाहिए और उसके बाद हमारी कराधान प्रणाली को स्वयं ऐसा होना चाहिए जिसमें उपरोक्त स्रोतों से होने वाली आय का पता लगाया जाए और कर अपवंचकों को सख्त सजा दी जाए। इन विषमताओं में कमी लाने के लिए क्रमशः कृषि उत्पादन बढ़ाने, कृषि पर आधारित उद्योगों तथा समाज सेवाओं का विकास करने, कृषक उत्पादकों के लिए उचित कीमतें सुनिश्चित करने, विकास दर में वृद्धि करने तथा कमजोर वर्गों की उत्पादकता को सुधारने और उत्पादन की आय के उचित वितरण जैसे अन्य उपायों को अपनाया जा सकता है।

2. **गरीबी और बेरोजगारी हटाना-** हमारी पंचवर्षीय योजना में नियोजन के अवसर पैदा करते हुए और उनका विस्तार करते हुए गरीबी तथा बेरोजगारी दूर करने पर जोर दिया गया। हमारी योजनाओं में मात्र श्रम प्रधान उद्योगों, लघु उद्योगों और हस्तशिल्प के संवर्धन की ही संकल्पना नहीं की गई, अपितु उनका मुख्य लक्ष्य नियोजन को लाभकारी बनाना तथा प्रति कामगार उत्पादन को ऊंचा उठाना था। योजनाओं में उपलब्ध उत्पादन क्षमता का सम्पूर्ण उपयोग करने तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों, छोटे तथा मध्यम कृषकों तथा स्वनियोजन के अभिलाषी योग्य व्यक्तियों को ऋण और अन्य सहायता उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया।

ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष नियोजन कार्यक्रम चलाने की भी व्यवस्था की गई, जहाँ बेरोजगारी तथा गरीबी की दर ऊंची पाई गई। सभी पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धनता उन्मूलन को विशेष महत्व दिया गया है। चौथी योजना में निर्धनता हटाने पर विशेष ध्यान देना शुरू किया गया। छठी योजना को गरीबी हटाओं से गरीबी की दर कम करने में परिवर्तित कर दिया गया। इस योजना में गरीबी की दर कम करने की समस्या के सम्बन्ध में निम्नलिखित उपाय किए गए- गरीबी का स्तर और अनुपात निर्धारित करना, वस्तुगत लक्ष्यों का विकास करना, लक्ष्यों के अनुरूप विनिर्दिष्ट कार्यक्रम तैयार करना तथा योजना में गरीबी को पूर्ण रूप से समाप्त करने पर जोर दिया गया।

चूंकि पूर्ण उन्मूलन के लिए उठाया जाने वाला मुख्य कदम निर्धनता की दर में कमी लाना है, इसलिये छठी योजना में सरकार ने वस्तुगत परिस्थितियों के अनुरूप अपना दृष्टिकोण बदलते हुए लक्ष्य की ओर कदम दर कदम अग्रसर होना उचित समझा। सातवीं योजना में भी समरूपी प्रयास जारी रहा और आठवीं योजना में निर्धनता की दर में कमी लाने के सम्बन्ध में विशेष ध्यान दिया गया। इस योजना में मानवीय

संसाधनों का विकास करने, राजकोषीय असंतुलन को दूर करने तथा जनता के सक्रिय सहयोग से आर्थिक विकास की गति तेज करने पर जोर दिया गया। कई मायनों में यह योजना एकीकृत एवं व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित थी और मुख्य रूप से उपलब्धि-परक (Performance Oriented) थी। नौवीं योजना के प्रारूप में सामाजिक न्याय के साथ ऊंची विकास दर, गरीबी और बेरोजगारी के निराकरण, कृषि क्षेत्र में विकास दर को अन्ततः 4.5 प्रतिशत करने तथा औसत वार्षिक वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत करने जैसे नेक इरादों को दोहराया गया था फिर भी वित्तीय साधनों की समस्या, विदेशी सहायता पर निर्भरता और औद्योगिक क्षेत्र में मंदी की परिस्थितियों के साथ-साथ पूंजी बाजार की कमजोर स्थिति को सुधारने के लिए प्रबल प्रयास करने पड़े। दसवीं पंचवर्षीय योजना आर्थिक विकास, गरीबी निवारण तथा सामाजिक उत्थान की दिशा में एक पारदर्शी प्रामाणिक तथा क्रान्तिकारी परिवर्तनों की दिशा में एक ऐसा सामयिक दस्तावेज रहा, जिसकी सफलता के लिये भारी जन सहयोग, दृढ राजनैतिक इच्छा-शक्ति और उपयुक्त राजनैतिक एवं सामाजिक वातावरण बना। इसके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अथक प्रयास, जनता में दृढ संकल्प और सरकारी नीतियों का सफल क्रियान्वयन जरूरी था। ग्यारहवीं योजना उच्चतर विकास दर के साथ-साथ अर्थव्यवस्था में आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिये समावेशी संवृद्धि (Inclusive Growth) की दो तरफा रणनीति पर आधारित थी। बारहवीं योजना में विद्युत के सृजन का विस्तार, तीव्र समावेशी व सुस्थिर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास करने पर जोर दिया गया। निर्धनता की दर में कमी लाने की दिशा में उठाया जाने वाला मुख्य कदम भूमि सुधार है। इसमें मध्यस्थ काश्तकारी और काश्तकारी के अधिकार समाप्त करने, जोत के स्वामित्व की सीमा निर्धारित करने, संस्थागत ऋण और विपणन का विकास करने, कृषि कराधान में सुधार लाने, कृषि विस्तार सम्बन्धी शिक्षा देने, आधुनिक उपकरणों आदि की सप्लाई करने जैसे उपाय शामिल हैं। इस लक्ष्य की दिशा में दूसरा कदम निर्धनता की दर में कमी लाने सम्बन्धी कार्यक्रम था। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम स्व-नियोजन के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण, राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम आदि कतिपय महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। इन कार्यक्रमों का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण और भूमिहीन लोगों के लिए नियोजन के अवसर जुटाना, स्वरोजगार के अभिलाषी लोगों को प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था करना, स्वरोजगार के अवसर पैदा करना और प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना तथा ऋण और अन्य साधनों के माध्यम से निर्धन ग्रामीणों की सहायता करना है।

ग्रामीण महिलाओं और बच्चों की सहायता करने के लिए 'ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास सम्बन्धी' (DWCRA) नामक एक कार्यक्रम चलाया गया। इसमें महिलाओं को आय अर्जन के अवसर दिलाने की व्यवस्था है। इससे पहले भी सन् 1952 में 'सामुदायिक विकास कार्यक्रम' प्रारम्भ किया गया था, जिसका लक्ष्य ग्रामीण लोगों को आत्मनिर्भर बनाना था। इसका उद्देश्य मानव संसाधनों और विज्ञान तथा प्रद्योगिकी के बेहतरीन उपयोग के माध्यम से सहयोग की भावना पैदा करना था। उसके बाद श्रम प्रधान कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम, उच्च उत्पादकता वाले विविध कार्यक्रम और विविध फसलें उगाने सम्बन्धी कार्यक्रम, जैसे कार्यक्रमों को वर्ष 1960 में कृषि उत्पादन का संवर्धन करने और खाद्यानों के उत्पादन में आत्म-निर्भरता की उपलब्धि के लिए आरम्भ किया गया। ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम सन् 1967 में चालू किया गया, इसका उद्देश्य कृषि के अनुत्पादनकारी मौसम के दौरान नियोजन उपलब्ध कराना था। छोटे कृषक विकास सम्बन्धी एक एजेन्सी वर्ष 1967 में स्थापित की गई, इसमें ऋण और आर्थिक सहायता की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए निर्धारित वर्गों तथा ऋण देने वाली संस्थाओं को सहायता दी गई। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का लक्ष्य निर्धन लोगों की आधारभूत आवश्यकताएं पूरी करना था, जिससे वे अपने जीवन स्तर में सुधार ला सकें। इसमें प्रारंभिक शिक्षा, ग्रामीण लोगों के

स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, बिजली, गांवों की सड़कों, ग्रामीण आवास तथा पोषण के लिए भूमिहीनों की सहायता और शहरी गंदी बस्तियों के संबंध में व्यवस्था की गई। वर्ष 1977 में आरम्भ किए गए काम के लिए अन्य कार्यक्रम का लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऊंचा उठाना और नियोजन के अवसर पैदा करना था।

अतः इन कार्यक्रमों का लक्ष्य मात्र निर्धनता और बेरोजगारी ही दूर करना नहीं था, अपितु ग्रामीण शहरी स्थानान्तरण को कम करने का प्रयास भी करना था। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में भी बेरोजगारी और निर्धनता की समस्या को कम करना था, क्योंकि इस संबंध में अधिकांश समस्याएं ग्रामीण लोगों के शहरों में आकर बस जाने के कारण पैदा होती हैं।

**3. क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करना-** लाभकारी विकास के लिए यह आवश्यक है कि विकास संतुलित हो, अर्थात् देश के सभी क्षेत्रों का विकास हो। कुछ क्षेत्रों की उपेक्षा करते हुए अन्य क्षेत्रों या अंचलों के विकास का देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः राशि के आवंटन के समय वित्त आयोग द्वारा हमारे देश के पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम स्थापित करने और उन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने की नीति अपनाई गई।

अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की उपलब्धि के लिए औद्योगिक लाईसेंस नीति में भी उद्योगों के प्रसार की आवश्यकता पर बल दिया गया। योजना आयोग का यह मत है कि राज्य क्षेत्रीय विषमताओं को कम करने के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। राज्यों को अपनी योजनाएं इस प्रकार तैयार करने के लिए कहा गया, जिससे विभिन्न क्षेत्रों के बीच विषमताओं को कम किया जा सके और विभिन्न कार्यक्रमों के लिए योजनागत संसाधनों का आवंटन करते समय पिछड़े क्षेत्रों पर यथोचित ध्यान देने के लिए भी कहा गया।

चौथी पंचवर्षीय योजना में देश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति के गठन की व्यवस्था की गई। इस नीति में ऐसे क्षेत्रों के निर्धारण, विशेष क्षेत्र विकास स्कीमों के चयन और नीति के कार्यान्वयन के लिए नीति और साधनों के मूल्यांकन की आवश्यकता पर बल दिया गया। क्षेत्रीय विकास योजना का मुख्य उद्देश्य उस क्षेत्र के सतत् विकास के लिए निश्चित कार्यक्रम तैयार करना था। परिणामस्वरूप, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसे कुछ क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम आरम्भ किए गए। जिसका लक्ष्य पहाड़ी क्षेत्रों में, प्रदर्शन अभियानों के माध्यम से अधिकतम कृषि उत्पादन करना था। यह कार्यक्रम कृषकों को उन्नत बीज, कीट-नाशक, उर्वरक, कृषि की नई प्रद्योगिकी आदि की आवश्यकता के संबंध में जानकारी देने के लिए आयोजित किए गए। इनमें पहाड़ी क्षेत्रों में वानिकी के विकास तथा बेहतरीन विपणन और उधार की सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम का लक्ष्य, भूमि, जल और पशुधन जैसे संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग के माध्यम से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पारिस्थितिक संतुलन लाना और कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों का विकास करना था। अति शुष्क क्षेत्रों के लिए मरूस्थल विकास कार्यक्रम चालू किया गया। इसका लक्ष्य वनरोपण, भू-तल जल के संरक्षण तथा हरी-भरी भूमि के विकास के माध्यम से मरूस्थलों के विकास को रोकना था। जनजातीय क्षेत्रों के लिए जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम नामक एक विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम भी आरम्भ किया गया। इसका लक्ष्य कृषि उत्पादन बढ़ाना, पशु पालन और बागवानी का विकास करना, सड़कें बनाना, खेती-बाड़ी के विचलन को रोकना, मुद्रा और भूमि का संरक्षण तथा पशु विकास करना था। अतः यहाँ यह प्रतीत होता है कि इन कार्यक्रमों का लक्ष्य देश के पिछड़े क्षेत्रों को आर्थिक रूप से विकसित बनाना था।

4. **पिछड़े वर्गों का उत्थान-** पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष स्कीम चलाना इन योजनाओं की विशेषता रही है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण के लिए विशेष कार्यक्रम आरम्भ किए गए। पांचवी योजना में जनजातीय क्षेत्रों के लिए, समग्र जनजातीय विकास परियोजनाओं के माध्यम से निर्दिष्ट उप-योजनाएं संचालित करने की नीति अपनाई गई। इन जनजातीय उप-योजनाओं का दीर्घावधिक उद्देश्य जनजातीय और अन्य क्षेत्रों के विकास स्तर के बीच विभेद को समाप्त करना और जनजातीय समुदाय के जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन लाना था। छठी योजना में तीन अन्य कार्यक्रम चालू किए गए।

पहला- राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों की विशेष अंगभूत योजना, जिसमें राज्यों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों की योजनाओं के सामान्य खंडों में से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों को सुविधाएं प्रदान करने का प्रयत्न करना। इसका लक्ष्य, आय अर्जन स्कीमों तथा आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के माध्यम से अनुसूचित जातियों और जनजातियों को वित्तीय तथा वस्तुगत लाभ पहुंचाना।

दूसरा- विशेष केन्द्रीय सहायता स्कीम का उद्देश्य, आय अर्जन के माध्यम से अनुसूचित जातियों और जनजातियों का विकास करना।

तीसरा- राज्यों में अनुसूचित जाति विकास निगम आर्थिक विकास संबंधी बैंकों में चलाई जाने वाली स्कीमों के संबंध में निर्धन अनुसूचित जनजाति और वित्तीय संस्थाओं के बीच कड़ी के रूप में इन नियमों की संकल्पना की गई।

भारत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए इन कार्यक्रमों के अलावा, कई अन्य उपाय भी अपनाए गए। संविधान के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उपबधित सुरक्षा उपायों संबंधी सभी मामलों की जांच करने के लिए अनुच्छेद- 338 के अनुसार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाता है जो इन सुरक्षा उपायों के संबंध के वार्षिक रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। अनुच्छेद- 275 में अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासनिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए राज्यों को अनुदान सहायता के रूप में भारत की समेकित निधि में से धनराशि उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

#### 7.4 हमारे योजनागत उद्देश्य

हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में आत्मनिर्भरता सामाजिक न्याय, औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण और आर्थिक विकास के उद्देश्यों की उपलब्धि पर अनवरत जोर दिया गया है। सभी योजनाओं में हर उद्देश्य पर समान रूप से बल नहीं दिया गया। प्रारंभिक योजनाओं में त्वरित आर्थिक विकास पर जोर दिया गया, जबकि बाद वाली योजनाओं में आत्मनिर्भरता तथा गरीबी उन्मूलन को अधिक महत्व दिया गया। हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के अवलोकन से प्रत्येक योजना के अन्तर्गत विभिन्न उद्देश्यों और प्राथमिकताओं के सम्बन्ध में संकेत मिल सकता है। हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) देश के राजनैतिक और प्रशासनिक एकीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रारम्भ की गई।

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) का लक्ष्य था- अर्थव्यवस्था के असंतुलन को दूर करना, मुद्रास्फीति दबावों को रोकना तथा परिवहन पद्धति का विकास करना। चौमुखी संतुलित विकास की प्रक्रिया को एक साथ प्रारम्भ करने का प्रस्ताव। सिंचाई सुविधा का विस्तार करके, कृषिगत विकास की ओर अधिक ध्यान देना। सामाजिक न्याय सम्बन्धी प्रयास करना। विकास के लिये प्रेरक प्रशासनिक तथा अन्य संगठनों का गठन करना तथा जीवन-स्तर में सुधार लाने तथा राष्ट्रीय आय के वर्धन पर बल देना।



द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61) के उद्देश्य थे- राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, जिससे देश में जीवनस्तर ऊंचा किया जा सके। तीव्र गति से औद्योगिककरण करना एवं इसके लिए आधारभूत व भारी उद्योगों के विकास को प्राथमिकता देना। रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। आर्थिक असमानताओं में कमी करना।

द्वितीय योजना के लक्ष्यों को पांच वर्षों की अवधि में प्राप्त करना आसान नहीं था। लेकिन इनको प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना आवश्यक माना गया।

तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961-66) का लक्ष्य आत्मनिर्भर और स्वचालित अर्थव्यवस्था की स्थापना करना था। इसका उद्देश्य था- तृतीय योजना की अवधि में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत से अधिक राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना एवं विनियोग ढांचा इस प्रकार का बनाना जिससे भावी योजनाओं में भी विकास की यह दर कायम रह सके। खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना एवं उद्योगों व निर्यात की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि का उत्पादन बढ़ाना। आधारभूत उद्योगों, जैसे- इस्पात एवं रासायनिक उद्योग, ईंधन व शक्ति का विस्तार करना और मशीन निर्माण की क्षमता स्थापित करना। देश की श्रम शक्ति का अधिकतम उपयोग करना और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। अवसर की समानता को अधिकाधिक रूप में बढ़ाना तथा उत्तरोत्तर समान अवसर प्रदान करने की व्यवस्था करना। उपर्युक्त उद्देश्यों के अध्ययन से प्रतीत होता है कि द्वितीय व तृतीय योजना के उद्देश्य परस्पर काफी मिलते-जुलते थे। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-1974) में लगभग उन्हीं उद्देश्यों पर बल दिया गया जो द्वितीय व तृतीय योजनाओं में घोषित किये गये थे, जैसे- आर्थिक विकास मूल्य स्थिरता के वातावरण में किया जाए। विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करके राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा जाए और विकास के लिए आन्तरिक साधनों का अधिक उपयोग किया जाए। औद्योगिक इकाईयों को देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैलाया जाए। समाज के अपेक्षाकृत निर्धन, दुर्बल व पिछड़े हुए व्यक्तियों के लिए रोजगार के साधन उत्पन्न किये जाए। एकाधिकार कानून व अन्य उपायों के द्वारा आर्थिक सत्ता का केन्द्रीकरण कम किया जाए। स्थानीय नियोजन में पंचायती राज संस्थाओं व सहकारिताओं का अधिक उपयोग किया जाए। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की प्रबन्ध व्यवस्था को सुधारा जाए तथा निर्णय की प्रक्रिया को यथासंभव विकेन्द्रित स्वरूप प्रदान किया जाये।

पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974-79) में दो उद्देश्य निर्धारित किये गये थे- निर्धनता का उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की उपलब्धि। ये दोनों उद्देश्य दीर्घकालीन किस्म के थे, लेकिन पांचवी योजना में इनको प्राप्त करने की दिशा में प्रभावपूर्ण कदम उठाने पर जोर दिया गया। निर्धन वर्ग का उपयोग का स्तर ऊंचा करने के लिए सम्पन्न व धनी वर्ग से अधिक बचत कराने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया।

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में, कृषि तथा सम्बद्ध गतिविधियों में नियोजन सम्बन्धी संभावनाओं के वर्धन, लोगों के उपभोग के लिए उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने वाले घरेलू तथा छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना तथा निम्न आय वाले वर्गों की आय को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके मुख्य उद्देश्य थे- अर्थव्यवस्था के विकास की दर में महत्वपूर्ण वृद्धि एवं साधनों के उपयोग की कार्यकुशलता में वृद्धि तथा अधिक उत्पादकता। आर्थिक व तकनीकी आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए आधुनिकीकरण की शक्तियों को सुदृढ़ करना। निर्धनता व बेरोजगारी के प्रभाव को उत्तरोत्तर कम करना। ऊर्जा के स्वदेशी साधनों का तीव्र विकास तथा इसके संरक्षण व उपयोग की कार्यकुशलता पर उचित बल देना। लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना तथा आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के माध्यम से लाभ पहुँचाना। सार्वजनिक नीतियों व सेवाओं में पुनर्वितरण के प्रति झुकाव को सुदृढ़ करना। विकास में प्रादेशिक असमानताओं को कम करने के लिए निर्धन वर्ग के पक्ष में नीतियां अपनाना। विकास के अल्पकालीन व दीर्घकालीन लक्ष्यों में तालमेल स्थापित करना। विकास की प्रक्रिया में सभी प्रकार के लोगों को शामिल करना तथा उचित शिक्षा, संचार व संस्थागत नीतियों के माध्यम से इस कार्य को आगे बढ़ाना और आबादी में वृद्धि को नियंत्रित करने सम्बन्धी नीतियों का संवर्धन करना।



इस प्रकार छठी योजना, 1980-85 के उद्देश्य भी पूर्व योजनाओं से मिलते जुलते थे। इसमें उद्देश्यों की संख्या अवश्य बढ़ा दी गई थी लेकिन मुख्य समस्या उद्देश्यों को प्राप्त करने की होती हैं।

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) का दृष्टिकोण प्रपत्र जुलाई 1984 में जारी किया गया था। इस योजना के निम्न उद्देश्य रखे गये- खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। रोजगार अवसरों में वृद्धि तथा उत्पादकता वृद्धि।

इस प्रकार भारत के योजनाबद्ध विकास की प्रक्रिया में सातवीं पंचवर्षीय योजना एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसमें गरीबी उन्मूलन, सुदृढ़ एवं आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के निर्माण तथा समानता एवं न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्य निहित थे।

भारत में आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) का शुभारम्भ ऐसे समय में हुआ जबकि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कई चौकाने वाले एवं क्रान्तिकारी आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तनों का दौर चल रहा था। इस योजना में मानवीय संसाधनों का विकास करने, राजकोषीय असंतुलन को दूर करने तथा जनता के सक्रिय सहयोग से आर्थिक विकास की गति तेज करने पर जोर दिया गया। इसके प्रमुख उद्देश्य थे- रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजन करना। जनसंख्या वृद्धि को सीमित करना। प्राथमिक शिक्षा का व्यापक विस्तार। सुरक्षित पेयजल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सभी गांवों एवं जनता तक पहुँचाना तथा स्फूर्त विकास प्रक्रिया के लिए संरचना को सुदृढ़ करना।

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) में सामाजिक न्याय व समानता के साथ विकास पर बल दिया गया। इसके उद्देश्य निम्न रखे गये- कृषि व ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना तथा पर्याप्त मात्रा में उत्पादक रोजगार सृजित करना। स्थिर मूल्यों की स्थिति में विकास की दर को तीव्र करना। खाद्य व पोषण की सुरक्षा उपलब्ध कराना। सुरक्षित पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं प्राथमिक शिक्षा, रिहायशी सुविधा व सड़कों की समयबद्ध रूप में सेवाएं उपलब्ध कराना। जनसंख्या की दर को नियंत्रित करना। पर्यावरण की सुरक्षा करना और आत्मनिर्भर विकास के प्रयासों को सुदृढ़ करना। ये सभी लक्ष्य काफी महत्वाकांक्षी थे, लेकिन इनकी तरफ अग्रसर होना आवश्यक माना गया।

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) में विकास की दर का लक्ष्य 8.3 प्रतिशत रखा गया। राष्ट्रीय योजना आयोग के अनुसार दसवीं योजना में निम्न लक्ष्य रखे गये थे- वर्ष 2007 तक निर्धनता अनुपात को 5 प्रतिशत और 2012 तक 15 प्रतिशत तक कम करना। दसवीं योजना की अवधि के दौरान श्रमशक्ति में वृद्धि के लिए लाभपूर्ण रोजगार उपलब्ध कराना। सन् 2007 तक प्राथमिक शिक्षा की पहुँच को सर्वव्यापक बनाना। वर्ष 2001 और 2011 के बीच जनसंख्या की दस वर्षीय वृद्धि दर को 16.2 प्रतिशत तक कम करना। मातृ मृत्यु दर 2007 तक 45 प्रति हजार जीवित जन्मों और 2012 तक 28 तक कम करना। 2007 तक वनों और वृक्षों से घिरे क्षेत्र को 25 प्रतिशत और 2012 तक 33 प्रतिशत तक बढ़ाना। सभी ग्रामों में वर्ष 2012 तक पीने योग्य पानी की पहुँच कायम करना। तथा सभी मुख्य नदियों को 2007 तक और अन्य अनुसूचित जल क्षेत्रों को 2012 तक साफ करना।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के उद्देश्य तीव्र विकास और समावेशी विकास रखा गया था। ऊंची विकास दर से ही बेरोजगारी, गरीबी, असमानता व पिछड़ेपन आदि की समस्याएं हल की जा सकती हैं। इस योजना के अन्तर्गत निम्न उद्देश्य रखे गये थे- निर्धनता का उन्मूलन करना। रोजगार प्रोत्साहन के कार्यक्रम अपनाना। विकास की दृष्टि से ग्रामीण व शहरी खाई को पाटना। सन्तुलित प्रादेशिक विकास का प्रयास करना। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े व वंचित वर्गों के विकास को प्रोत्साहन देना।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में (2011-12) में मुद्रास्फीति व राजकोषीय घाटे की समस्याओं ने भारत की आर्थिक स्थिति पर दबाव उत्पन्न कर दिया जिससे विकास की दर को ऊंचा रखने में भी कठिनाई होने लगी।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के प्रमुख उद्देश्य निम्न थे- विद्युत के सृजन का विस्तार करना। तीव्र, समावेशी व सुस्थिर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ना तथा आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को विकास के मॉडल में शामिल करना।

### 7.5 निष्कर्ष

अतः यह स्पष्ट है कि हमारे आयोजक, आर्थिक विकास, आत्म-निर्भरता आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण और सामाजिक न्याय जैसे पांच प्रमुख उद्देश्यों के अनुसरण द्वारा विकास लाने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम पर्याप्त संख्या में औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन कर सकते हैं। हमने आधारभूत तथा पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों में आत्मनिर्भरता अर्जित कर ली है। देशीय क्षमताएं स्थापित हो चुकी हैं। औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया ने उद्यमशीलता को प्रोत्साहित किया है। तकनीकी, प्रबंधकीय और कार्यात्पादक योग्यताओं का व्यापक विकास हुआ है। भारी उद्योगों के विकास में सार्वजनिक क्षेत्र का विशेष योगदान रहा है। निजी क्षेत्र में औद्योगिक निवेश के वित्त पोषण में मदद देने के लिए विशिष्ट विकास बैंकिंग संस्थाओं के व्यापक तंत्र की स्थापना की गई है।

यद्यपि, उपलब्धियों की सूची काफी व्यापक है, परन्तु फिर भी हम यह नहीं कह सकते कि हम उस रूप में विकसित हो पाए हैं, जैसा हम चाहते थे। असफलताओं तथा विकास के हमारे प्रयास में बांधक समस्याओं की सूची भी समान रूप से व्यापक है। भारत की आत्म निर्भरता संबंधी उपलब्धि के बारे में कुछ अर्थशास्त्रियों को संदेह है। हमने खाद्यान्न में उल्लेखनीय आत्मनिर्भरता हासिल की है, परन्तु अन्य क्षेत्रों में ऐसा नहीं कर पाए हैं। पूंजीगत वस्तुओं प्रद्योगिकी, पेट्रोलियम उत्पादों, खाद्य तेलों आदि के आयात से हमारे बाह्य संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और व्यापार संतुलन में भारी घाटा उठाना पड़ता है। यद्यपि विकास दर में पर्याप्त सुधार हुआ है तथापि यह अभी भी लक्ष्य से काफी कम है। कृषि में प्रद्योगिकी आधुनिकीकरण अभी आरम्भ ही हुआ है। अधिकांश क्षेत्रों और कृषि पद्धतियों में औसत उत्पादन का स्तर से कम है, जितना हम प्रद्योगिकी की जानकारी होने की स्थिति में प्राप्त कर सकते थे। इस समय भारत विश्व में व्यापक और विस्तृत वैज्ञानिक तथा तकनीकी रूप से परिपूर्ण है, परन्तु फिर भी उत्पादक नियोजन में इन योग्यताओं के सम्पूर्ण विलय के संबंध में इस प्रणाली की क्षमता काफी कम है। साथ ही विशुद्ध और प्रयुक्त अनुसंधान में, कृषि अनुसंधान परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष जैसे कुछ क्षेत्रों को छोड़कर विकास सीमित हो रहा है।

उद्योग में एकाधिकार बढ़ा है। उत्तरोत्तर कराधान प्रायः अप्रभावी रहा है। बाजार में कालाधन बढ़ा है। उत्पादन में हुई वृद्धि से आर्थिक विषमताओं में भी वृद्धि हुई है। प्राथमिकता के सन्दर्भ में आय में समानता लाने के उद्देश्य को हमारी योजनाओं में हमेशा कम महत्व दिया गया। योजना आयोग के प्रकाशनों तथा योजना के दस्तावेजों में कभी भी आय और सम्पत्ति के असमान वितरण का आंकलन प्रस्तुत नहीं किया गया। हम निर्धनता की समस्या पर भी कोई प्रभाव नहीं डाल पाए हैं। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों से मात्र अस्थायी राहत ही मिली है। लाभ प्राप्तकर्ताओं के अनुचित निर्धारण, कार्यक्रमों से मिलने वाले लाभों के संबंध में निर्धन लोगों के बीच जागरूकता का अभाव, राशियों का अपव्यय, पर्यवेक्षण तथा मूल्यांकन का अभाव, मजदूरी पर आधारित नियोजन स्कीमों पर अधिक बल देने, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से जुड़े कर्मचारियों के प्रशिक्षण का अभाव और ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक एजेंसियों और सहकारी समितियों का योगदान कम मिलने जैसे कारण हमारे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में समस्याएं सिद्ध हुयी हैं। न तो निर्धनता का प्रभाव ही कम हुआ है और न ही जीवन स्तर में सुधार हुआ है।

भूमि सुधार का कार्यान्वयन व्यवस्थित ढंग से नहीं हुआ है। भूमि संबंधी अद्यतन रिकार्ड का अभाव, बेनामी सौदों का चलन, बेकार किस्म की भूमि का वितरण, फालतू जमीन के नाम पर कम भूमि का ब्यौरा देना, लाभ प्राप्तकर्ताओं द्वारा सहयोग में अभाव, भूमि सुधार के लिए न के बराबर सहकारी समितियां होना, कृषि में अनुचित प्रद्योगिकी के इस्तेमाल से सुधार के मार्ग में बाधा पहुँची है।

भारत में योजनागत विकास के प्रारंभिक चरण में क्षेत्रीय तथ्यों को अधिक महत्व नहीं दिया गया। इसके अलावा औद्योगिक रूप से पिछड़े इलाकों में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक परियोजनाओं से भी अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं। इससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का विविधकरण भी नहीं हो पाया है। हमने बड़े पैमाने पर सिंचाई संबंधी परियोजनाओं के विकास में कुछ सफलता जरूर हासिल की है, जिससे कृषि औद्योगिक विकास हुआ है। परन्तु औद्योगिक रूप से पिछड़े इलाकों में निजी क्षेत्र में पूंजी निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने संबंधी हमारी नीति अधिक सफल नहीं रही।

शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल और परिवार कल्याण में अब तक किए गए प्रयास, सुविधाओं का लक्ष्य मूलक विस्तार करने पर केंद्रित रहे हैं या नाम के लिए विज्ञापन तक सीमित रहे हैं। अधिकांश निर्धन लोगों का माध्यमिक और उच्च शिक्षा सुलभ कराने के बावजूद निरक्षरता दर में कमी नहीं आई है। हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में समानता के महत्व को स्वीकार किया गया है, फिर भी आय और सम्पत्ति के वितरण की सीमा लागू की जाने वाली सामाजिक समानता संबंधी विभिन्न पद्धतियों, आय और सम्पत्ति के केंद्रीकरण को कम करने नहीं दिया गया है। समानता लाने के संबंध में विभिन्न नीतियों तथा कार्यक्रमों और इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित उपायों को कभी भी निर्दिष्ट नहीं किया गया।

इस स्थिति को सुधारने के लिए कतिपय उपाय किए जा सकते हैं। विकास के अनुसरण में हमारी प्राथमिकताओं तथा नीतियों की पुनः जांच करने की तत्काल आवश्यकता है। राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए संगत स्कीमों के निर्धारण की प्रक्रिया में सुधार लाने की जरूरत है। इन स्कीमों पर पर्याप्त महत्व देना और इनके आर्थिक आधार को मजबूत बनाना भी जरूरी है। निर्धन और दलित लोगों के लिए स्कीमों के गठन, कार्यान्वयन, परिवीक्षण तथा मूल्यांकन में स्वैच्छिक संगठनों, सहकारी समितियों और लोगों का सहयोग लेने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। एक ऐसी नीति तैयार करना अपेक्षित है, जिसके द्वारा हम विकास कार्य से जुड़े कर्मचारियों के कार्य-निष्पादन में सुधार ला सके, लोगों के प्रति उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित कर सकें तथा सामान्य जन तक आसानी से पहुँच सकें। इस प्रकार भ्रष्टाचार और लालफीताशाही की समस्याओं को समुचित रूप से निपटाया जा सकता है।

देश के वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक आधार को मजबूत करने के लिए अर्थव्यवस्था के सामरिक महत्व वाले क्षेत्रों में घरेलू प्रद्योगिकी की क्षमताओं का विस्तार और विज्ञान तथा प्रद्योगिकी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास करना जरूरी है। समाज कल्याण स्कीमों का मात्रात्मक मूल्यांकन करने से कोई समस्या हल नहीं होगी। हमें ऐसे कार्यक्रमों के गुणात्मक प्रभाव की ओर ध्यान देना चाहिए। क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए एक ऐसी नीति तैयार करने की आवश्यकता है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों का प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं का निर्धारण किया जाए और इन संसाधनों पर आधारित व्यवहारिक परियोजनाएं तैयार की जाएं। इन योजनाओं में सम्पूर्ण क्षेत्रीय और पिछड़े इलाकों की विशेष आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करने से राज्यों के अन्दर जिला संबंधी असमानताएं दूर करने में मदद मिलेगी। बेरोजगारी की समस्या को सुलझाया जा सकता है, क्योंकि निर्धनता की दर में कमी लाने संबंधी हमारे कार्यक्रमों से वांछित परिणाम मिल सकते हैं। इसके अलावा, निवेश परियोजना की नियोजन संभावना के विषय में स्पष्ट अनुमान लगाना जरूरी है। यह भी ध्यान में रखा जाए कि प्रत्येक अंचल, क्षेत्र और आर्थिक वर्ग की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न नियोजन योजनाएं आरम्भ की जानी चाहिए। हमें विकास के अपने लक्ष्यों के सिद्धि के क्रम में अपने संसाधनों को प्रभावी ढंग से गति देना, अपने निर्यात बढ़ाना, पारिस्थितिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए समुचित प्रद्योगिकी का विकास करना, अपनी सिंचाई क्षमता का पूर्व इस्तेमाल करना, पंचायती राज प्रणाली को मजबूत बनाना और नियोजन मूलक शिक्षा प्रणाली को लागू करना होगा।

**अभ्यास प्रश्न-**

1. यह कथन किसका है कि “विकास अभीष्ट अथवा परिवर्तनशील होता है?”
2. पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था?
3. ‘सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारम्भ किया गया?’
4. हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में किन विषयों पर लगातार जोर दिया गया?

**7.6 सारांश**

हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में आत्मनिर्भरता, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण तथा सामाजिक न्याय संबंधी मुख्य लक्ष्यों को उत्साहपूर्वक अनुसरण किया गया। इन लक्ष्यों की सम्पूर्ण उपलब्धि में बांधक समस्याओं को लोगों के सहयोग तथा अनुकूल राजनैतिक प्रयासों से ही दूर किया जा सकता है। भारत को प्रद्योगिकी रूप से योग्य बनाने तथा प्रगतिशील अर्थव्यवस्था की उपलब्धि का लक्ष्य होना चाहिए जिससे कि सभी लोग जीवन की बुनियादी सुविधाओं का लाभ उठा सकें। हमारे लक्ष्यों की प्रगति के लिए आर्थिक तथा प्रौद्योगिक विकास के प्रसार, समाज के निर्धन और कमजोर वर्गों के लिए विकास संबंधी कार्यक्रम आरम्भ करने, हमारी स्वास्थ्य तथा शिक्षा संबंधी सुविधाओं में सुधार लाने, बढ़ती हुई आबादी की दर में त्वरित कमी लाने, लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने और हमारी पंचायतों, सहकारी समितियों, स्वैच्छिक एजेंसियों को पुनः चालू करने की आवश्यकता है।

**7.7 शब्दावली**

संवर्धन- किसी भी क्षेत्र में विकास या उन्नति, पंचवर्षीय योजनाएं- देश के विकास और जनहित के कार्यों के लिए 5 वर्षों की एक निश्चित अवधि, आधुनिकीकरण- व्यक्ति, सामाजिक, सांस्कृतिक और मुख्यतः आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन, आत्म निर्भरता- अपनी आवश्यकताओं और संसाधनों की स्वयं पूर्ति और निर्माण

**7.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर**

1. जॉन माल्ट गोमरी, 2. 1951 से 1956, 3. सन् 1952, 4. आत्म निर्भरता, सामाजिक न्याय, औद्योगिकीकरण, आधुनिकीकरण और आर्थिक विकास

**7.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची**

1. अग्रवाल, ए0एन0 1986, भारतीय अर्थव्यवस्था: विकास और योजना सम्बन्धी समस्याएं, विले ईस्टन:नई दिल्ली।
2. दत्त, रूद्र और के0पी0 एम0 सुंदरम 1989, भारतीय अर्थव्यवस्था, एस0 चांद एंड कम्पनी:नई दिल्ली।
3. देसाई पी0 आर0 1979, भारत की योजना (1951-78) विकास पब्लिशर्स, उत्तर प्रदेश।
4. मिश्रा, एस0के0 और वी0के0 पुरी 1988, भारतीय अर्थव्यवस्था: इसका विकाजगत अनुभव, हिमालय पब्लिसिंग हाउस: बम्बई।

**7.10 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री**

1. देसाई पी0 आर0 1979, भारत की योजना (1951-78) विकास पब्लिशर्स, उत्तर प्रदेश।
2. मिश्रा, एस0के0 और वी0के0 पुरी 1988, भारतीय अर्थव्यवस्था: इसका विकाजगत अनुभव, हिमालय पब्लिसिंग हाउस: बम्बई।

---

**7.11 निबन्धात्मक प्रश्न**

---

1. संवर्धन और विकास के बीच सम्बन्ध स्पष्ट करें।
2. आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा करें।
3. औद्योगिकरण की उपलब्धि के लिए भारत ने क्या नीति अपनायी है?
4. भारत में आधुनिकीकरण लाने सम्बन्धी नीति पर चर्चा करें।
5. हमारी योजनाओ का लक्ष्य विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमो के माध्यम से सामान्य न्याय की उपलब्धि करना है, इसकी व्याख्या करें।
6. सरकार द्वारा निर्धनता तथा बेरोजगारी उन्मूलन के संबंध में अपनाई गई विभिन्न पद्धतियो का उल्लेख करें।

## इकाई- 8 नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद

### इकाई की संरचना

- 8.0 प्रस्तावना
- 8.1 उद्देश्य
- 8.2 नीति आयोग
  - 8.2.1 नीति आयोग की संरचना या गठन
  - 8.2.2 नीति आयोग के उद्देश्य
  - 8.2.3 नीति आयोग के कार्य
  - 8.2.4 नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर
- 8.3 राष्ट्रीय विकास परिषद
  - 8.3.1 राष्ट्रीय विकास परिषद उद्देश्य
  - 8.3.2 राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना
  - 8.3.3 राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य
  - 8.3.4 मूल्यांकन
- 8.4 सारांश
- 8.5 शब्दावली
- 8.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 8.7 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 8.8 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 8.9 निबन्धात्मक प्रश्न

### 8.0 प्रस्तावना

नियोजन वह प्रक्रिया है जो दूरदर्शिता, विचार-विमर्श तथा उपलब्ध संसाधनों के व्यवस्थित उपयोग पर आधारित है तथा राष्ट्रीय उत्पादन, रोजगार एवं लोगों के सामाजिक कल्याण की पूर्व तैयारी करता है। स्वाधीनता के बाद भारत में आर्थिक विकास के लिये आर्थिक नियोजन की अवधारणा को स्वीकार किया गया। भारत में नियोजन प्रक्रिया में योजना आयोग केन्द्रीय भूमिका में था। वर्तमान में उसका स्थान नीति आयोग ने ले लिया, जो योजना आयोग से अधिक पारदर्शी और जबाबदेह बनाया गया है।

योजना आयोग में केन्द्र सरकार के सीधे हस्तक्षेप के कारण इसे कई बार आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा है। तथा इसमें बदलाव या इसके स्थान पर एक नई संस्था की मांग पिछली सरकारों को भी सार्वजनिक मंचों से उठाई। जिसे वर्तमान में मोदी सरकार ने धरातल पर उतारा। इस इकाई में हम नीति आयोग पर विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे।

नियोजन प्रक्रिया को अधिक लोकतांत्रिक तथा पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। इसके माध्यम से नियोजन प्रक्रिया में राज्यों की भूमिका को बढ़ाने का प्रयास किया गया। नियोजन के इन सभी पहलुओं के बारे में इस इकाई में हम विस्तार से चर्चा करेंगे।

### 8.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप-



- नीति आयोग की संरचना, उद्देश्य, कार्य और नीति आयोग तथा योजना आयोग में अंतर को समझ पायेंगे।
- राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना एवं कार्यों के सम्बन्ध में जान पायेंगे।

### 8.3 नीति आयोग (NITI Aayog)

स्वाधीनता के बाद हमारे देश ने तत्कालीन सोवियत संघ के समाजवादी शासन की संरचना को अपनाया, जिसमें योजनाएँ बनाकर काम किया जाता था। पंचवर्षीय तथा एकवर्षीय योजनाएँ काफी लंबे समय तक देश में चलती रहीं। योजना आयोग ने नियोजन इकाई के रूप दशकों तक योजनाएँ बनाने के काम को अंजाम दिया। लेकिन केन्द्र में सत्ता परिवर्तन होने के बाद 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केन्द्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर नीति आयोग का गठन किया गया। इसमें सहकारी संघवाद की भावना को केंद्र में रखते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण की परिकल्पना को स्थान दिया गया।

नीति आयोग, योजना आयोग के स्थान पर गठित एक नई संस्था है। बीतते वर्षों के साथ सरकार का संस्थागत ढांचा विकसित और परिपक्व हुआ है। इससे कार्यक्षेत्र में विशेषज्ञता विकसित हुई है, जिसने संस्थाओं को सौंपे गए कार्यों की विशिष्टता बढ़ाई है। नियोजन की प्रक्रिया के सन्दर्भ में शासन की प्रक्रिया को शासन की कार्यनीति से अलग करने साथ ही साथ उसे ऊर्जावान बनाने की जरूरत है। शासन संरचना के सन्दर्भ में हमारे देश की जरूरतें बदली हैं। ऐसे में एक ऐसे संस्थान की स्थापना की आवश्यकता है जो सरकार के दिशात्मक और नीति-निर्धारक (थिंक टैंक) के रूप में कार्य करे। प्रस्तावित संस्थान प्रत्येक स्तर पर नीति निर्धारण के प्रमुख तत्वों के बारे में महत्वपूर्ण और तकनीकी सलाह देगा। इसमें आर्थिक मोर्चे पर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय आयात के मामले, देश के भीतर और अन्य देशों में उपलब्ध सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के प्रसारण नये नीतिगत विचारों को अपनाने और विषय आधारित विशिष्ट सहायता शामिल है। यह संस्थान लगातार बदल रहे एकीकृत विश्व के अनुरूप कार्य करने में सक्षम होगा, भारत जिसका एक भाग है।

संस्थान के तहत व्यवस्था में केन्द्र से राज्यों की तरफ चलने वाले एक पक्षीय नीतिगत क्रम को एक महत्वपूर्ण विकासवादी परिवर्तन के रूप में राज्यों की वास्तविक और सतत् भागीदारी से बदल दिया जाएगा। त्वरित गति से कार्य करने के लिए और सरकार को नीति दृष्टिकोण उपलब्ध कराने के साथ-साथ प्रासंगिक विषयों के सन्दर्भ में संस्थान के पास आवश्यक संसाधन, ज्ञान, कौशल और क्षमता होगी।

सबसे महत्वपूर्ण यह है कि विश्व के सकारात्मक प्रभावों को अपनाते हुए संस्थान को इस नीति का पालन करना होगा कि भारत के परिप्रेक्ष्य में एक ही मॉडल प्रत्यारोपित नहीं किया जा सकता है। विकास के लिए हमें अपनी नीति स्वयं निर्धारित करनी होगी। देश में और देश के लिए क्या हितकारी है, संस्थान को इस पर ध्यान केन्द्रित करना होगा जो विकास के लिए भारतीय दृष्टिकोण पर आधारित होगा। इन आशाओं को जीवंत बनाने के लिए संस्थान है- नीति आयोग (भारत परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय संस्थान, National Institutions for Transforming India)। इसे राज्य सरकारों, संसद सदस्यों, विषय विशेषज्ञ और संबंधित संस्थानों सहित तमाम हित धारकों के बीच गहन विचार-विमर्श के बाद प्रस्तावित किया गया। आयोग एक बहू-सदस्यीय संस्था है।

योजना आयोग 64 वर्ष तक अस्तित्व में रहा, लेकिन देश की आर्थिक, सामाजिक, आवश्यकताओं को देखते हुए योजना आयोग में भी सुधार या बदलाव की आवश्यकता महसूस होने लगी। पूर्ववर्ती योजना आयोग में 30 अप्रैल, 2014 को अपने आखिरी संबोधन में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पूछा था “कहीं हम अब भी उन्हीं साधनों और तौर-तरीकों का तो इस्तेमाल नहीं कर रहे जो बहुत पहले के लिए निर्धारित किए गए थे, क्या हमने आयोग में अधिक पारम्परिक क्रियाकलापों की पुनर्संरचना किए बगैर, नये कार्य तथा स्तर जोड़ लिए हैं?” इसलिए जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त, 2014 को अपने पहले स्वतंत्रता दिवस संबोधन में कहा कि वे योजना आयोग की जगह नई संस्था बनाना चाहते हैं तो वे साझा भावना को ही अभिव्यक्ति दे रहे थे। तदुपरान्त 1

जनवरी, 2015 को उन्होंने भारत परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय संस्था अथवा नीति आयोग के सृजन की घोषणा की। योजना आयोग की ही तरह प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के अध्यक्ष हैं।

### 8.3.1 नीति आयोग की संरचना या गठन

नीति आयोग की संरचना योजना आयोग का ही प्रतिरूप है योजना आयोग की तरह ही भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया थे। आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष के साथ-साथ पूर्णकालिक, पदेन और विशेष आमंत्रित सदस्यों के अतिरिक्त एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। नीति आयोग की संरचना में-

1. अध्यक्ष, भारत के प्रधानमंत्री।
2. गवर्निंग काउंसिल में राज्यों के मुख्यमंत्री और केन्द्रशासित प्रदेशों (जिन केन्द्रशासित प्रदेशों में विधानसभा है, वहाँ के मुख्यमंत्री) के उपराज्यपाल शामिल होंगे।
3. विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले, जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्र से हो, को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषद गठित की जायेंगी। ये परिषदें विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जायेंगी। भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश पर क्षेत्रीय परिषदों की बैठक होगी और इनमें संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री और केन्द्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होंगे (इनकी अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष करेंगे)।
4. संबंधित कार्यक्षेत्र की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ और कार्यरत लोग, विशेष आमंत्रित के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाएंगे।

पूर्णकालिक संगठनात्मक ढाँचे में (प्रधानमंत्री अध्यक्ष होने के अलावा) निम्न होंगे।

- उपाध्यक्ष- प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त।
- सदस्य- पूर्णकालिक
- अंशकालिक सदस्य- अग्रणी विश्वविद्यालय शोध संस्थानों और संबंधित संस्थानों से अधिकतम दो पदेन सदस्य, अंशकालिक सदस्य बारी के आधार पर होंगे।
- पदेन सदस्य- केन्द्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम चार सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित होंगे। यदि बारी के आधार को प्राथमिकता दी जाती है तो यह नियुक्ति विशिष्ट कार्यकाल के लिए होंगी।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी- भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी को निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

वर्तमान में नीति आयोग की संरचना के सदस्य हैं-

**अध्यक्ष**

श्री नरेन्द्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार

**उपाध्यक्ष (प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त)**

डॉ० राजीव कुमार

**पूर्णकालिक सदस्य**

श्री वी० के० सारस्वत

श्री रमेश चंद

डॉ० वी० के० पॉल

**पदेन सदस्य**

श्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री

श्री अमित शाह, गृह मंत्री

श्रीमती निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री

श्री नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि और किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री एवं पंचायतीराज मंत्री

**विशेष आमंत्रित**

श्री नितिन जयराम गडकरी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

श्री थावर चंद गहलोत, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

श्री पीयूष गोयल, रेल मंत्री और वाणिज्य और उद्योग मंत्री

श्री राव इंद्रजीत सिंह ए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

**मुख्य कार्यकारी अधिकारी**

श्री अमिताभ कांत

### 8.3.2 नीति आयोग के उद्देश्य

1. नीति आयोग के उद्देश्यों को निम्नांकित बिन्दुओं के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं-
2. राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना।
3. सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, इसको स्वीकार करते हुए राज्यों के साथ सतत् आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल और तंत्रों के माध्यम से सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना।
4. ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना और इन सभी को उत्तरोत्तर रूप से सरकार के उच्चतर स्तर तक पहुँचाना।
5. जो क्षेत्र विशेष रूप से आयोग को निर्दिष्ट किए गए हैं उनकी आर्थिक रणनीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को सम्मिलित करने को सुनिश्चित करना।
6. हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देना जिन तक आर्थिक प्रगति से उचित प्रकार से लाभान्वित ना हो पाने का जोखिम हो।
7. रणनीतिक और दीर्घावधि के लिए नीति तथा कार्यक्रम का ढांचा तैयार करना और पहल करना तथा उनकी प्रगति और क्षमता को मॉनीटर करना। अनुवीक्षण और प्रतिक्रिया के आधार पर नवीन सुधार में उपयोग किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत मध्यावधि संशोधन भी हैं।
8. महत्वपूर्ण पणधारियों तथा समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक और साथ ही साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थाओं के बीच परामर्श और भागीदारी को प्रोत्साहन देना।
9. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, वृत्तिकों तथा अन्य भागीदारों के सहयोगात्मक समुदाय के माध्यम से ज्ञान, नवाचार एवं उद्यमशीलता सहायक प्रणाली बनाना।
10. विकास के एजेंडे के कार्यान्वयन में तेजी लाने के क्रम में अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना।
11. अत्याधुनिक संसाधन केन्द्र बनाना जो सुशासन तथा सतत् और न्यायसंगत विकास की सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली पर अनुसंधान करने के साथ-साथ हितधारियों (Stake holder) तक पहुँचाने में भी मदद करे।

12. आवश्यक संसाधनों की पहचान करने सहित कार्यक्रमों और उपायों के कार्यान्वयन का सक्रिय मूल्यांकन और सक्रिय अनुवीक्षण करना, ताकि सेवाएं प्रदान करने में सफलता की संभावनाओं को प्रबल बनाया जा सके।
13. कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर जोर।
14. राष्ट्रीय विकास का एजेंडा और उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य आवश्यक गतिविधियों का उत्तरदायित्व लेना।

### 8.3.3 नीति आयोग के कार्य

आईये नीति आयोग के कार्यों को निचे दिये गये बिन्दुओं के माध्यम से समझते हैं-

1. राष्ट्रीय उद्देश्यों की रोशनी में राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ-साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं के क्षेत्रों और रणनीतियों की एक साझा दृष्टि विकसित करना।
2. निरंतर आधार पर राज्यों के साथ संरचित समर्थन पहल (Structured support in Initiative) और तंत्र के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, यह स्वीकार करना कि मजबूत राज्य एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं।
3. गाँव स्तर पर विश्वसनीय योजनाएँ बनाने के लिए तंत्र विकसित करना और सरकार के उच्च स्तरों पर इन्हें उत्तरोत्तर विकसित करना।
4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन क्षेत्रों पर जो विशेष रूप से इसके लिए सन्दर्भित हैं कि आर्थिक रणनीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को शामिल किया गया है।
5. समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति से लाभान्वित नहीं होने के जोखिम में हो सकते हैं।
6. रणनीतिक और दीर्घकालिक नीति, कार्यक्रम ढाँचे और पहलों को डिजाइन करने के लिए उनकी प्रगति और उनकी प्रभावकारिता की निगरानी करें। निगरानी और प्रतिक्रिया के माध्यम से सीखे गये पाठों का उपयोग नवीन सुधार करने के लिए किया जाएगा, जिसमें आवश्यक मध्य.पाठ्यक्रम सुधार भी शामिल हैं।
7. प्रमुख हित धारकों और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समान विचारधारा वाले थिंक टैंकों के साथ-साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए।
8. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, चिकित्सकों और अन्य भागीदारों के एक सहयोगी समुदाय के माध्यम से एक ज्ञान,नवाचार और उद्यमशीलता सहायता प्रणाली बनाने के लिए।
9. विकास एजेंडा के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना।
10. अत्याधुनिक संसाधन केंद्र को बनाए रखने के लिए सुशासन, सतत् और न्यायसंगत विकास में सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ-साथ हितधारकों को उनके प्रसार में मदद करने के लिए अनुसंधान का एक भंडार हो।
11. आवश्यक संसाधनों की पहचान सहित कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन की सक्रिय रूप से निगरानी और मूल्यांकन करना, ताकि सफलता की संभावना और वितरण की गुंजाइश को मजबूत किया जा सके।
12. कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना।
13. राष्ट्रीय विकास एजेंडे के क्रियान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए और उपरोक्त उल्लिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अन्य गतिविधियाँ करना आवश्यक हो सकता है।

**8.3.4 नीति आयोग और योजना आयोग में प्रमुख अंतर**

नीति आयोग	योजना आयोग
नीति आयोग एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है।	योजना आयोग ने एक संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य किया था, जबकि इसे संवैधानिक स्थिति प्राप्त नहीं थी।
नीति आयोग सदस्यों की व्यापक विशेषज्ञता पर बल देता है।	जब कि योजना आयोग सदस्यों की विशेषज्ञता पर निर्भर था।
नीति आयोग सहकारी संघवाद की भावना पर कार्य करता है, क्योंकि यह राज्यों की समान भागीदारी सुनिश्चित करता है।	योजना आयोग की वार्षिक योजना बैठकों में राज्यों की भागीदारी बहुत कम रहती थी।
प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिवों को CEO के रूप में जाना जाता है।	योजना आयोग में सचिवों को सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाता था।
नीति आयोग जमीनी स्तर से उपर की ओर कार्य करने पर विश्वास करता है।	जबकि योजना आयोग उपर से निचे की ओर कार्य करता था।
नीति आयोग को नीतियाँ लागू करने का अधिकार नहीं है।	योजना आयोग राज्यों के लिये नीतियाँ बनाता था और स्वीकृत परियोजनाओं के लिये धन आवंटित करता था।
नीति आयोग को धन आवंटित करने की शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं। वो शक्ति वित्त मंत्री में निहित है।	जबकि योजना आयोग को मंत्रालयों और राज्य सरकारों को धन आवंटित करने की शक्तियाँ प्राप्त थीं।

योजना आयोग की तुलना में नीति आयोग को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिये इसे बजटीय प्रावधानों में स्वतंत्रता होनी चाहिये और यह योजना तथा गैर-योजना के रूप में नहीं, बल्कि राजस्व और पूँजीगत व्यय की स्वतंत्रता के रूप में होनी चाहिये। इस पूँजीगत व्यय की वृद्धि से अर्थव्यवस्था में सभी स्तरों पर बुनियादी ढाँचे का घाटा दूर हो सकता है।

**8.4 राष्ट्रीय विकास परिषद**

केन्द्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन तथा समायोजन की आवश्यकता को देखते हुये, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गयी। यह एक संविधानोत्तर निकाय है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और इस परिषद को 'सर्वोपरि कैबिनेट' भी कहते हैं। राष्ट्रीय योजना प्रक्रिया में जिला, राज्य, क्षेत्रीय स्तर के मध्य, जोड़ की कड़ी प्रदान करने वाला उपयुक्त निकाय राष्ट्रीय विकास परिषद है। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग से एक उच्च निकाय है, वस्तुतः यह एक नीति-निर्मात्री निकाय है। के0 संधानम का कथन है कि 'राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थिति सम्पूर्ण भारतीय संघ के उच्च मंत्रिमण्डल के समकक्ष है।' अर्थात उसने एक ऐसे मंत्रिमण्डल का रूप धारण कर लिया है जो भारत सरकार और साथ ही सभी राज्यों की सरकारों के लिये कार्य कर रही है।

राष्ट्रीय स्तर पर योजना बनाने का प्रयत्न करते समय सबसे महत्वपूर्ण समस्या यह उत्पन्न होती है कि भारतीय संघ में समाविष्ट स्वायत्त राज्यों की नीतियों तथा कार्यक्रमों में समन्वय कैसे स्थापित किया जाए। इसके लिए राष्ट्रीय विकास परिषद को एक सशक्त निकाय के रूप में स्थापित करने की आवश्यकता पड़ी। डॉ० सी० पी० भाम्बरी ने कहा है कि 'योजना सम्बन्धी मामलों में केन्द्र तथा राज्यों के मध्य समायोजन की स्थापना के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापित की गयी।'

#### 8.4.1 राष्ट्रीय विकास परिषद उद्देश्य

योजना के समर्थन में राष्ट्र के साधनों तथा प्रयत्नों का उपयोग करना और उन्हें शक्तिशाली बनाना, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य आर्थिक नीतियों को उन्नत करना तथा योजना आयोग की सिफारिश पर देश के सभी भागों का संतुलित तथा त्वरित विकास निश्चित करना। इसके तीन प्रमुख उद्देश्य हैं-

1. योजना की सहायता के लिये राष्ट्र के स्रोतों तथा परिश्रम को सुदृढ़ करना तथा उनको गतिशील करना।
2. सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समरूप आर्थिक नीतियों को अपनाने को प्रोत्साहित करना।
3. देश के सभी भागों के तीव्र तथा संतुलित विकास के लिए प्रयास करना।

#### 8.4.2 राष्ट्रीय विकास परिषद रचना

राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रधानमंत्री, योजना आयोग के सभी सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि तथा भारत सरकार के प्रमुख विभागों के कुछ मंत्री सम्मिलित होते हैं।

प्रशासनिक सुधार आयोग ने सन् 1967 में अपने एक अध्ययन दल को राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य की समीक्षा करने और भविष्य में इसे अधिक शक्तिशाली बनाने के उपायों के सम्बन्ध में सुझाव देने को कहा था। इस अध्ययन दल द्वारा प्रेषित सुझावों को प्रशासनिक सुधार आयोग एवं भारत सरकार द्वारा कुछ संशोधनों के पश्चात स्वीकार कर लिया गया और इसकी सदस्यता को अधिक विस्तृत और व्यापक बनाया गया।

योजना आयोग का सचिव, राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव होता है। परिषद की बैठकें वर्ष में साधारणतः दो बार होती हैं। परन्तु इस सम्बन्ध में कोई नियम नहीं है। इसकी कार्यविधि योजना आयोग के सचिवालय द्वारा तैयार की जाती है। उसमें राष्ट्रीय महत्व के ऐसे विषय सम्मिलित रहते हैं, जिन पर राज्यों के विचारों को ज्ञात करना अति आवश्यक होता है। इसकी बैठकों में प्रत्येक विषय पर खुलकर चर्चा होती है और निर्णय प्रायः सर्वसम्मति से ही होता है।

#### 8.4.3 राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य

राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रमुख कार्य निम्न हैं-

1. राष्ट्रीय योजना के निर्धारित लक्ष्यों व उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये सुझाव देना।
2. योजना आयोग द्वारा तैयार की गयी राष्ट्रीय योजना पर विचार करना।
3. राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली सामाजिक तथा आर्थिक नीति के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करना।
4. राष्ट्रीय योजना के निर्माण के लिये तथा इसके साधनों के निर्धारण के लिये पथ-प्रदर्शक सूत्र निश्चित करना।
5. राष्ट्रीय योजना के निर्माण के लिये पथ-प्रदर्शक तत्व परिषद द्वारा प्रतिपादित किये जाते हैं, जिसके अनुसार योजना आयोग अपनी योजना बनाता है।



#### 8.4.4 मूल्यांकन

इस प्रकार राष्ट्रीय विकास परिषद, शासन में नीति-निर्धारण करने वाली सर्वोपरि एवं महत्वपूर्ण संस्था बन गयी है। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य केन्द्र सरकार राज्य सरकारों और योजना आयोग के मध्य विशेषतया: नियोजन के क्षेत्रों में उनकी नीतियों तथा कार्य योजनाओं के सन्दर्भ में ताल-मेल बनाना तथा उनके बीच एक सेतु के रूप के रूप में कार्य करना है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर केन्द्र एवं राज्यों के बीच विचार-विमर्श तथा उत्तर दायित्वों के विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए राष्ट्रीय विकास परिषद ने भारतीय संघवाद को जीवंत बना दिया है। हालांकि हमेशा से परिस्थितियां ऐसी नहीं रही हैं। एक लम्बे समय तक केन्द्र एवं राज्यों में कांग्रेस का ही शासन होने के कारण राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रयोग केन्द्र सरकार के द्वारा लिए गए निर्णयों पर 'खर स्टैम्प' के रूप में किया जाता रहा है। राज्यों में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के बढ़ते प्रभाव के कारण इस स्थिति में काफी हद तक परिवर्तन आया है। पूर्व वित्तमंत्री एच0 एम0 पटेल का मानना है कि 'योजना आयोग के परामर्शी निकाय में राष्ट्रीय विकास परिषद भी शामिल है। संरचना पर ध्यान दें तो यह बिल्कुल ठीक नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग से उच्च निकाय है। वस्तुतः यह एक नीति निर्धारक निकाय है और इसकी सिफारिशों को सुझाव मात्र नहीं माना जा सकता, वास्तव में यह नीतिगत निर्णय ही है।'

सरकारिया आयोग का भी सुझाव है कि राष्ट्रीय विकास परिषद को प्रभावी बनाया जाना चाहिए ताकि वह केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच राजनीतिक स्तर की सर्वोच्च संस्था हो सके। आयोग ने केन्द्र-राज्य सम्बन्धों पर अपनी रिपोर्ट में देश में योजनाबद्ध विकास को दिशा देने के लिये परिषद को और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता व्यक्त करते हुये सुझाव दिया है कि इसका पुनर्गठन करके नाम बदलकर "राष्ट्रीय आर्थिक एवं विकास परिषद" कर दिया जाये।

#### अभ्यास प्रश्न-

1. नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई?
2. भारत के नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है?
3. नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय है। सत्य/असत्य
4. राष्ट्रीय विकास परिषद को 'सर्वोपरि कैबिनेट' भी कहते है। सत्य/असत्य
5. राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते है। सत्य /असत्य

#### 8.5 सारांश

भारत में योजनाओं का निर्माण राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक उन्नयन के लिये किया जाता रहा है। नीति आयोग, नीति आयोग से पहले योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद इसके निर्माण, क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन के लिये उत्तर दायी संस्थाएँ हैं, जो व्यवहार में मंत्रिमण्डल से भी अधिक प्रभुत्वशाली हो गयी हैं। भारत में आर्थिक नियोजन को यथा संभव लोकतांत्रिक बनाने का प्रयास किया गया है। जनता द्वारा निर्वाचित सरकार ही योजना आयोग और अब नीति आयोग के सहयोग से योजनाओं पर कार्य करती है। आयोग द्वारा राज्यों को निर्देश दिया जाता है कि वे पंचायतों, खण्डों और जिलों से योजना का प्रारूप आमंत्रित करें, इससे राज्य की योजना में स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखा जा सकता है। आर्थिक आयोजन विभिन्न प्रकार के होते हैं तथा प्रचुर मात्रा में विचार-विमर्श एवं विभिन्न चरणों से गुजरने के बाद मूर्त रूप में आते हैं।

#### 8.6 शब्दावली

समाजवादी विचारधारा- उत्पादन के साधनों पर जनता के स्वामित्व में होने की स्थिति का समर्थन करना।

परिप्रेक्ष्यात्मक- किसी सन्दर्भ से सम्बन्धित।

प्रख्यापित- प्रस्तुत करना।

वैश्वीकरण- सम्पूर्ण विश्व का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से निकट आ जाना।

### 8.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. 2015, 2. प्रधानमंत्री, 3. असत्य, 4. सत्य, 5. सत्य

### 8.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. फड़िया, बी0 एल0 (2007) लोक प्रशासन, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।
2. लक्ष्मीकांत, एम0 (2010) लोक प्रशासन, टाटा में मैग्राहिल, नई दिल्ली।
3. स्पेक्ट्रम (2010) भारतीय राज्य व्यवस्था, स्पेक्ट्रम, नई दिल्ली।
4. वार्षिक रिपोर्ट नीति आयोग- 2018-19 और 2019-20।
5. वेबसाईट नीति आयोग, niti.gov.in
6. लेख, अरविन्द पानगड़िया, उपाध्यक्ष, नीति आयोग।

### 8.9 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. अवस्थी, अम्रेश्वर एवं माहेश्वरी, श्रीराम, (2002) लोक प्रकाशन, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा।
2. दत्त, रूद्र एवं सुन्दरम, के0 पी0 एम0 (2010), भारतीय अर्थव्यवस्था, एस0 चांद एण्ड क0 लि0 नई दिल्ली।
3. स्पेक्ट्रम (2010), भारतीय अर्थव्यवस्था, स्पेक्ट्रम, नई दिल्ली।

### 8.10 निबन्धात्मक प्रश्न

1. नीति आयोग में केन्द्र सरकार की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।
2. भारत में नियोजन प्रक्रिया को केन्द्रीकृत होना चाहिए अथवा विकेन्द्रीकृत? तर्क प्रस्तुत कीजिए।
3. भारत में नियोजन प्रक्रिया को किस प्रकार अधिक सार्थक बनाया जा सकता है? सुझाव प्रस्तुत कीजिए।

## इकाई- 9 राज्य योजना तन्त्र (मशीनरी)

### इकाई की संरचना

- 9.0 प्रस्तावना
- 9.1 उद्देश्य
- 9.2 नियोजन: अर्थ एवं परिभाषा
- 9.3 भारत में नियोजन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
- 9.4 बहु स्तरीय नियोजन
- 9.5 राज्य स्तरीय नियोजन तंत्र
  - 9.5.1 राज्य योजना मंडलों का उद्भव एवं विकास
  - 9.5.2 योजना आयोग की अनुशंसाएं
  - 9.5.3 प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसाएं
  - 9.5.4 योजना आयोग के दिशा निर्देश
  - 9.5.5 सरकारिया आयोग की सिफारिशें
  - 9.5.6 राज्य योजना मंडलों की संरचना
    - 9.5.6.1 अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष
    - 9.5.6.2 सदस्यगण
  - 9.5.7 राज्य योजना मंडलों के कार्यालय
  - 9.5.8 राज्य योजना विभाग
    - 9.5.8.1 राज्य योजना विभाग की संरचना
    - 9.5.8.2 आलोचना के बिंदु
  - 9.5.9 राज्य स्तर पर योजना प्रक्रिया
  - 9.5.10 वार्षिक योजनाएं
  - 9.5.11 योजना का मूल्यांकन
  - 9.5.12 योजना के संबंध में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध
- 9.6 निष्कर्ष
- 9.7 सारांश
- 9.8 शब्दावली
- 9.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 9.10 सन्दर्भ ग्रंथ सूची
- 9.11 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 9.12 निबन्धात्मक प्रश्न

### 9.0 प्रस्तावना

भारत में भौगोलिक आर्थिक और सामाजिक विविधता व्यापक तौर पर देखने को मिलती है। क्षेत्रीय विस्तार की अधिकता और बहुत बड़ी जनसंख्या के कारण केवल केंद्रीय स्तर पर नियोजन की प्रक्रिया को अपनाकर समस्त क्षेत्रों का समन्वित एवं संतुलित विकास किया जाना असंभव प्रतीत होता है। यही कारण है कि भारत की संघीय व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न प्रांतों या राज्यों का निर्माण एवं पुनर्गठन कर के विकास की एक इकाई के रूप में

स्वीकार किया गया है। देश में विद्यमान इतनी सारी प्रादेशिक और अंतर प्रादेशिक विषमता के व्यापक स्तर पर पाए जाने के कारण ही यहां प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत बहुस्तरीय नियोजन की प्रक्रिया का अपनाया जाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। बहुस्तरीय नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया, जिसमें लोगों की आवश्यकता, जनसंख्या की स्थिति, क्षेत्रीय एवं भौगोलिक दशाएँ तथा संसाधनों की उपलब्धता आदि अनेक ऐसे आधार होते हैं, जिन पर विकास की योजनाओं को विभिन्न स्तरों पर पदानुक्रमिक रूप से क्रियान्वित किया जाता है।

### 9.1 इकाई का उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप-

- नियोजन के अर्थ एवं परिभाषा को समझ पाएंगे
- भारत में नियोजन की पृष्ठभूमि को जान पाएंगे।
- भारत में योजना आयोग की समाप्ति के विभिन्न कारणों तथा योजना आयोग एवं नीति आयोग में मूलभूत अंतरों को भी जान पाएंगे।
- भारत में बहु स्तरीय नियोजन की व्यवस्था तथा राज्य स्तरीय योजना तंत्र के अंतर्गत राज्य योजना मंडलों का उद्भव एवं विकास, उनके संदर्भ में योजना आयोग तथा प्रशासनिक आयोग एवं सरकारी आयोग की सिफारिशें तथा योजना आयोग के दिशा निर्देशों के बारे में जान पाएंगे।
- राज्य योजना विभाग उनकी संरचना तथा उनकी आलोचना के बिंदुओं को भी जान पाएंगे।
- राज्य योजना मंडलों के कार्यालयों के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे।
- राज्य योजना विभाग की संरचना तथा उसकी आलोचना के बिंदुओं को भी जान पाएंगे।
- राज्य स्तर पर योजना प्रक्रिया, वार्षिक योजनाएं, योजनाओं का मूल्यांकन तथा योजना के संदर्भ में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध के बारे में भी विस्तार से जान पाएंगे।

### 9.2 नियोजन: अर्थ एवं परिभाषा

वर्तमान युग नियोजन का युग है और आज विश्व के लगभग सभी देशों ने विकास और उन्नति के लिए आर्थिक नियोजन के मार्ग को अपनाया है। अर्द्ध-विकसित देशों और विकास उन्मुख अर्थव्यवस्था वाले देशों में जहां पर सीमित साधन होते हैं और निश्चित समय के भीतर ही बहुत सा काम करना होता है, नियोजन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। भारत में- गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक और आर्थिक विषमताएँ, पिछड़ापन, जनसंख्या की समस्या, अशिक्षा आदि कई ऐसे कारण हैं जिनके कारण नियोजन की आवश्यकता और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। यह सब समस्याएं एक दूसरे से संबंधित हैं इसलिए इनके निवारण और देश के समुचित आर्थिक विकास के लिए नियोजन ही एकमात्र विकल्प है।

नियोजन का अर्थ होता है सही तरीके से सोच- समझ कर कार्य करना। विभिन्न विद्वानों के द्वारा नियोजन की दी गई परिभाषाओं के आधार पर नियोजन के अर्थ को और भली-भांति समझा जा सकता है।

सेक्टर हडसन के अनुसार, “नियोजन भावी कार्य के लिए आधार की रूपरेखा बनाने की प्रक्रिया है।”

मिलेट के शब्दों में, “प्रशासकीय प्रयत्न के उद्देश्यों को निश्चित करने तथा उनको प्राप्त करने के लिए उपयुक्त साधनों की परिकल्पना करने वाली प्रक्रिया ही नियोजन है।”

भारतीय योजना आयोग के अनुसार, “नियोजन साधनों के संगठन की एक विधि है, जिसके माध्यम से साधनों का अधिकतम लाभप्रद उपयोग निश्चित सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है।”

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यदि संक्षेप में नियोजन के अर्थ को समझना चाहें, तो कहा जा सकता है कि, किसी भी निर्धारित निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के किसी सर्वोत्तम मार्ग के चुनाव तथा विकास की चेतन प्रक्रिया ही नियोजन कहलाती है। यह एक व्यापक शब्द है और इसके अंतर्गत अनेक क्रियाएं आती हैं, जैसे- उद्देश्य का निश्चय करना, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य के संभावित मार्गों पर विचार करना और सर्वोत्तम कार्यवाही का चुनाव करना। इस प्रकार नियोजन एक विवेकपूर्ण, गतिशील तथा पूर्ण प्रक्रिया है। यह सोच-समझ कर, चेतन तथा जानबूझकर किया गया प्रयास है। नियोजन के अपने कुछ आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्य होते हैं।

### 9.3 भारत में नियोजन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में आर्थिक विकास के लिये आर्थिक नियोजन के मार्ग को अपनाया जाना आवश्यक है। इस आर्थिक विकास का दायित्व अकेले केन्द्र या संघीय सरकार का ना हो कर सरकार के विभिन्न स्तरों का भी है ताकि, सभी दलों एवं सरकारों का नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन में समुचित योगदान रहें। भारत में नियोजन का नाम सर्वप्रथम 1933 में तब सुनने में आया, जबकि एम. विश्वेश्वरैया ने देश की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से एक 10 वर्षीय योजना बनाई थी। 5 वर्ष पश्चात 1938 में कांग्रेस पार्टी के अनुरोध पर एक राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई जिसके सभापति जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। 1941 में भारत सरकार ने नियोजन के लिए एक समिति नियुक्त की। इस समिति का स्थान 1946 में कार्यपालिका परिषद की पुनर्चना समिति ने ले लिया। गवर्नर जनरल स्वयं उसका सभापति था। अगले वर्ष पृथक से एक नियोजन तथा विकास विभाग स्थापित किया गया। इसी वर्ष कुछ प्रमुख उद्योगपतियों ने देश के आर्थिक विकास के लिए “बम्बई योजना” तैयार की। इसी नियोजन विभाग के प्रोत्साहन तथा मार्गदर्शन के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में इन सरकारों द्वारा क्रियान्वित करने के लिए कुछ योजनाएं तैयार की गईं। 1946 के अंत में अंतरिम सरकार द्वारा स्थापित नियोजन परामर्श दायी मंडल ने योजना की समस्याओं का अध्ययन किया। इस मंडल ने एक ऐसे योजना आयोग की स्थापना का सुझाव दिया जो एक सुगठित अधिकारिक संगठन हो, सीधा मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदाई हो, और जो संपूर्ण देश के निरंतर विकास पर अपना ध्यान केंद्रित रखे। यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई, और भारत सरकार के 15 मार्च, 1950 के प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग का मुख्य उद्देश्य देश में उपलब्ध संसाधनों का सही आकलन करते हुए विकास की आवश्यकता के अनुसार पंचवर्षीय योजना का निर्माण एवं प्राथमिकता अनुसार संसाधनों का सही आवंटन था। यद्यपि पंचवर्षीय योजनाओं ने भारत का सामाजिक एवं आर्थिक विकास के साथ ही साथ भारी उद्योग के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है फिर भी योजना आयोग को और व्यवहारिक, दक्ष तथा आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने हेतु 1 जनवरी, 2015 को एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा नीति आयोग से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। यह विषय बहुत लंबे काल तक विवाद का विषय बना था कि केंद्रीकृत योजना के रूप में योजना आयोग अपने चरम पर पहुंच चुका था तथा अब देश को वर्तमान जरूरतों के अनुरूप एक नए सुधार की आवश्यकता है। इसी को आधार मानते हुए नीति आयोग के गठन के साथ योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। योजना आयोग की समाप्ति के लिए केवल यही एक तर्क नहीं था बल्कि इसके साथ-साथ कई और कारण भी विद्यमान थे। आप उन सब कारणों का विस्तार से पिछले अध्याय में अध्ययन कर चुके होंगे परंतु फिर भी संक्षिप्त में योजना आयोग की समाप्ति के कारणों को एक बार पुनः जान लेते हैं-

1. **वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप नहीं होना-** वर्तमान संदर्भ में किसी भी संस्था में विशेषज्ञों का होना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। योजना आयोग के संरचनात्मक परिदृश्य से देखें तो इसमें विशेषज्ञों को कोई महत्व नहीं दिया गया था। आधुनिक युग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग को

भारत सरकार के एक “थिंक -टैंक” के रूप में क्रियान्वित किया गया और इसमें विशेषज्ञों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

2. **राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं होना-** राज्य सरकारें जिस परिस्थितियों में होती थी या उनकी जो आवश्यकताएं या समस्याएं होती थी उन का पर्याप्त ज्ञान संबंधित राज्य सरकारों को ही होता था। परंतु योजना आयोग में राज्यों का प्रतिनिधित्व नगण्य सा ही होने के कारण राज्य सरकारों की योजनाओं के निर्माण में ना तो कोई भूमिका या सहयोग होता था और ना ही उन्हें कोई महत्व प्राप्त नहीं हो पाता था।
3. **ऊपर से नीचे की ओर वाला दृष्टिकोण-** योजना आयोग केंद्रीकृत योजना पर आधारित होता था, अर्थात् इसके द्वारा सभी योजनाएं केंद्रीय रूप से ही बनाई जाती थी जिनका मात्र क्रियान्वयन राज्य सरकारों को करना होता था। यही स्थिति वित्त वितरण के समय भी होती थी। वित्त का वितरण करते समय राज्य की आवश्यकताओं का योजना आयोग के द्वारा कोई ध्यान नहीं रखा जाता था।

इस प्रकार योजना आयोग की समाप्ति में इन सब कारणों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आधारभूत दृष्टि से यदि देखा जाए तो योजना आयोग एवं नीति आयोग दोनों सलाहकारी संस्थाएं हैं, जो अच्छे नियोजन की आवश्यकता के लिए सलाह देने का उत्तरदायित्व निभाती हैं। परंतु फिर भी कुछ ऐसे कारण या तथ्य हैं जिनके आधार पर योजना आयोग और नीति आयोग में कुछ अंतर भी विद्यमान है-

- सहकारी संघवाद का सिद्धांत- जैसा कि आपको बताया गया कि योजना आयोग एक पूर्णतया केंद्र की संस्था के तौर पर काम करती थी, जिसमें राज्यों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता था। परंतु नीति आयोग का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा गया और इसको सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर स्थापित किया गया। जिसका अभिप्राय है कि इस संस्था में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का समान प्रतिनिधित्व होगा। राज्यों का प्रतिनिधित्व होने के कारण ही यह आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद के रूप में कार्य करने में भी समर्थ है।
- विशेषज्ञों का महत्वपूर्ण स्थान- विशेषज्ञों को योजना आयोग में कम महत्व प्रदान किया गया था परंतु जब नीति आयोग की संरचना की गई तो इसमें इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया कि विशेषज्ञों को पर्याप्त महत्व प्रदान किया जाए। इस संस्था में विशेषज्ञों की उपस्थिति ही इस संस्था को और ज्यादा व्यावहारिक बनाती है।
- बाजार प्रेरित अर्थव्यवस्था के अनुरूप- एक ओर जहां योजना आयोग राज्य प्रेरित अर्थव्यवस्था से संबंधित था, वही नीति आयोग का गठन बाजार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, बाजार प्रेरित अर्थव्यवस्था के अनुरूप ही किया गया है।
- नीचे से ऊपर का दृष्टिकोण- जैसा कि आपने अब तक के वर्णन से जाना कि योजना आयोग, योजना के निर्माण में ऊपर से नीचे की ओर के दृष्टिकोण को अपनाता था। परंतु अब नीति आयोग में नीचे से ऊपर की ओर के दृष्टिकोण को अपनाया गया है जिसमें राज्यों के सहयोग को बहुत बढ़ावा दिया गया है।
- वित्त का बंटवारा- योजना आयोग राज्यों को वित्त का बंटवारा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। जबकि अब नीति आयोग इस संदर्भ में भी मात्र एक सलाहकारी संस्था के रूप में काम करता है।
- क्षेत्रीय मुद्दों के लिए क्षेत्रीय परिषद की व्यवस्था- नीति आयोग में क्षेत्रीय मुद्दों या विवादों अर्थात् दो या दो से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले सभी मुद्दों को सुलझाने के लिए एक क्षेत्रीय परिषद जैसी संस्था का भी प्रावधान है। इस संदर्भ में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री/ संघ राज्यों के मुख्यमंत्री/उप-राज्यपाल को क्षेत्रीय परिषद का सदस्य बनाने की व्यवस्था की गई है। क्षेत्रीय परिषदों की सदस्यता का यह रूप ही संघवाद को प्रदर्शित करता है। योजना आयोग में इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं पाया जाता था।



अतः उपरोक्त विवरण के पश्चात यह कहा जा सकता है कि, नीति आयोग में योजना आयोग के सलाहकार तथा निरीक्षण के कार्यों को तो बनाए रखा गया है परंतु योजना बनाने तथा उन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्त के आवंटन के कार्यों को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया है। यही कारण है कि नीति आयोग को एक नीति निर्धारक तथा सहकारी संस्थान का रूप प्राप्त होता है ना कि कार्यकारी संस्था का। नीति आयोग अधिक सहकारी, समावेशी और बाजार की आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप एक संस्था के तौर पर देखी जा सकती है।

#### 9.4 बहु स्तरीय नियोजन

भारत में बहुस्तरीय नियोजन के अंतर्गत कुल 5 पदानुक्रमिक नियोजन इकाइयों के माध्यम से विकास कार्यों को विकेंद्रीकृत तरीके से विभिन्न स्तरों पर लागू किया जा रहा है-

1. केंद्रीय स्तरीय नियोजन
2. राज्य स्तरीय नियोजन
3. जिला स्तरीय नियोजन
4. खंड स्तरीय नियोजन
5. पंचायत स्तरीय नियोजन

केंद्रीय नियोजन और राज्य स्तरीय नियोजन वृहद स्तरीय नियोजन के अंतर्गत आते हैं एवं जिला स्तरीय नियोजन खंड स्तरीय नियोजन और पंचायत स्तरीय नियोजन लघु स्तरीय नियोजन की प्रक्रिया है। केंद्रीय स्तर पर नियोजन का कार्य केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय स्तर पर नियोजन के कार्यों के लिए नीति आयोग एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल जैसी संस्थाएं प्रमुख संस्था के रूप में कार्य करती हैं। केंद्रीय स्तर पर नियोजन का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति को माना जाता है। लेकिन व्यावहारिक रूप से प्रधानमंत्री नियोजन के प्रधान के रूप में कार्य करते हैं। विभिन्न योजनाओं एवं वैधानिक प्रक्रिया को संसदीय प्रावधानों के अंतर्गत ही क्रियान्वित किया जाता है। केंद्र सरकार, केंद्र सूची एवं समवर्ती सूची के विषय पर विधान बनाने और सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित नीतियों का निर्धारण और क्रियान्वयन करती है। इस कार्य के लिए केंद्रीय सेवा और अखिल भारतीय सेवा के कर्मचारियों का केंद्र सरकार द्वारा सहयोग प्राप्त किया जाता है। राज्य सूची से संबंधित विषयों पर केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को परामर्श प्रदान किया जाता है। साथ ही केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य सरकारों से उनकी सहभागिता की प्राप्त की जाती है। अर्थात् केंद्र अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य स्तरीय नियोजन की प्रक्रिया को अपनाते हैं। हालांकि लघु स्तरीय स्थानीय निकायों के माध्यम से विकास की परियोजनाओं एवं शासन का विकेंद्रीकरण जैसी व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था के लागू होने के पश्चात ही अपनाई जा सकी। 73 वे एवं 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जब पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा एवं वैधानिक अधिकार प्रदान किए गए तभी सच्चे अर्थ में बहु स्तरीय नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इसके साथ ही जिला स्तरीय नियोजन, खंड स्तरीय नियोजन तथा सबसे निचले स्तर पर पंचायत स्तरीय नियोजन एवं विकास की प्रक्रिया पदानुक्रमिक रूप से अपनाई गई। इसके साथ ही सत्ता तथा शासन का विकेंद्रीकरण प्रारंभ हो सका और ग्रामीण स्तरीय नियोजन के माध्यम से ग्रामीण विकास को भी गति प्रदान की गई। विकेंद्रीकृत योजनाओं में योजना कार्य, क्रियान्वयन एवं निरीक्षण मात्र एक केंद्रीकृत योजना के रूप में ना होकर विभिन्न इकाइयों के माध्यम से किया जाता है, जिससे विभिन्न स्तरों पर जन सहभागिता में वृद्धि होती है। इस प्रकार पूर्णता लोकतांत्रिक तरीके से स्थानीय समुदायों का पूर्ण भागीदारी के आधार पर विकास की नीतियों का क्रियान्वयन किया जाता है।

अब तक के वर्णन से आप ये तो स्पष्ट रूप से समझ गये होंगे की भारत में जिस प्रकार की संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है उस में योजना निर्माण की दृष्टि से राज्य सरकारों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राष्ट्रीय स्तर की योजनाओं में कृषि, ऊर्जा, सहकारिता जैसे महत्वपूर्ण विषय से सम्बन्धित विकास गतिविधियों में राज्य सरकारों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्य सरकारों को ये सब कार्य करने के लिये ना केवल वित्तीय संसाधन या स्रोत प्रदान किये जाते हैं बल्कि इन कार्यों के लिये ये केन्द्र सरकार से भी अपना अंश प्राप्त करती हैं। इस प्रकार राज्य सरकारें राष्ट्रीय योजना हेतु वित्त का समुचित प्रबन्ध करती हैं। अतः यदि ये कह दिया जाए कि, राष्ट्रीय योजना की सफलता राज्य योजनाओं की सफलता या यूनू कहें की प्रभावशीलता पर निर्भर करती है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रस्तुत इकाई में हम राज्य योजना तन्त्र से सम्बन्धित सभी पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे।

### 9.5 राज्य स्तरीय योजना तंत्र

राज्य के योजना तन्त्र को जानने से पहले आइए भारतीय प्रशासन में राज्य के अस्तित्व एवं महत्ता को थोड़ा समझें। आप को ज्ञात ही होगा कि, भारत में करीब 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन रहा और स्वतंत्रता के पश्चात् हमने विरासत में अंग्रेजी काल के प्रशासन की ही अनेकों विशेषताओं को अपनाया। उन सभी विशेषताओं में से एक महत्वपूर्ण विशेषता संघात्मक शासन व्यवस्था भी है। संघात्मक शासन व्यवस्था का आशय, शासन की एक ऐसी व्यवस्था से होता है, जिस में शासन की समस्त शक्तियाँ केन्द्र एवं राज्यों के बीच विभक्त होती हैं। उस काल (ब्रिटिश काल) में ये विभाजन तीन सूचियों के द्वारा व्यवस्थित होता था जो क्रमशः संघीय सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची होती थी। स्वतंत्रता के पश्चात् जब हमारे संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत की विविधता और विशालता को देखते हुए भारत के लिये भी संघात्मक शासन व्यवस्था का चुनाव किया एवं संघ और राज्यों के बीच संबंधों को सुगम बनाए रखने के लिये उनके कानूनी क्षेत्राधिकार एवं कानून निर्माण की शक्तियों का निर्धारण किया। भारतीय संविधान में अंग्रेजी काल की तर्ज पर ही संघ और राज्यों के मध्य संतुलन बनाए रखने हेतु इस प्रकार की ही व्यवस्था की गई है। हमारे संविधान ने सरकार के समस्त विषयों को तीन सूचियों क्रमशः संघीय, राज्य एवं समवर्ती सूची में विभक्त कर रखा है। इनमें राज्य सरकारों द्वारा राजस्व संग्रहण के साधनों भी स्पष्ट वर्णन किया गया है। राज्य सरकारों को बिक्री कर तथा भूमि कर लगाने का अधिकार प्रदान किया गया है साथ ही ये भी बताया गया है कि, राज्य सरकारों को कानूनी तौर पर भी केंद्रीय सरकार द्वारा कुछ वित्तीय संसाधनों या स्रोतों को भी प्राप्त करने का भी अधिकार प्राप्त है।

भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची इस बात का निर्धारण करती है कि संघ और राज्य के मध्य भिन्न-भिन्न विषयों पर कानून निर्माण हेतु शक्तियों का बँटवारा किस प्रकार किया जाएगा।

संविधान की 7वीं अनुसूची में तीन प्रकार की सूचियाँ दी गई हैं- (1) संघ सूची (2) राज्य सूची और (3) समवर्ती सूची। संघ सूची में ऐसे विषयों का समावेश किया गया है जिन पर कानून निर्माण की शक्ति सिर्फ केंद्र के पास है और राज्य सूची में उन विषयों का समावेश किया गया है जिन पर कानून निर्माण की शक्ति राज्य के पास है, वहीं समवर्ती सूची में समावेशित विषयों पर राज्य व केंद्र स्तर की सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है। हालांकि विशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को प्रदान की गई है ताकि भारत की संघीय व्यवस्था में, क्षेत्रीय एवं प्रांतीय हितों के साथ ही राष्ट्रीय हितों को भी सुरक्षित रखा जा सके। इस दिशा में राज्य, राज्य सहभागिता के आधार पर विकास की प्रक्रिया अपनाई जाती है।

चूँकि किसी भी राष्ट्र को अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति एवं अपने नागरिकों के विकास हेतु कुछ योजनाओं और नीतियों की आवश्यकता होती है, इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए नीति निर्माताओं ने भारत की संघीय व्यवस्था में संघ और राज्य के मध्य भारत की विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये इसे दो भागों-

केंद्रीय क्षेत्रक योजना (Central Sector Schemes) और केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Schemes) में विभाजित किया है।

केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं मुख्य रूप से संघ सूची या केंद्रीय सूची में वर्णित विषय पर बनाई जाती है, साथ ही इन योजनाओं की एक मुख्य विशेषता यह भी होती है कि इन योजनाओं में लगने वाला 100 प्रतिशत वित्त केंद्र सरकार द्वारा ही लगाया जाता है तथा उनका क्रियान्वयन भी केंद्रीय तंत्र के द्वारा ही किया जाता है। नमामि गंगे - राष्ट्रीय गंगा योजना, गरीब घरों में एलपीजी कनेक्शन, फसल बीमा योजना, छात्रवृत्ति योजना आदि योजनाएं केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं के उदाहरण के तौर पर समझी जा सकती है। इसके अलावा केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं में कुछ ऐसे कार्यक्रम भी शामिल होते हैं जो विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा सीधे विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर केंद्र प्रायोजित योजनाओं की बात की जाए तो यह वह योजनाएं हैं जो मुख्यतः राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर ही तैयार की जाती है। इनका अर्थ ऐसी योजनाओं से होता है, जिनमें योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वित्त की व्यवस्था केंद्र तथा राज्य सरकारों दोनों के द्वारा मिलकर की जाती है। राज्य द्वारा दी जाने वाली राशि या वित्त का प्रतिशत राज्यों के साथ परिवर्तित होता रहता है। इस श्रेणी में मुख्यतः ऐतिहासिक तौर पर उन्हीं योजनाओं को शामिल किया जाता है जिसमें केंद्र सरकार राज्यों को योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह प्रतिशत 50:50, 60:40, 70:30, 70:25, का भी हो सकता है। कुछ विशेष राज्यों जैसे पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए यह 90:10 का भी रह सकता है। अर्थात् 90 प्रतिशत धन केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले धनराशि का प्रतिशत 10 ही होता है। मनरेगा (MGNREGA), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आदि इस प्रकार की योजनाओं के उदाहरण के तौर पर देखे जा सकते हैं।

इस प्रकार अब यह बात पूर्णतया स्पष्ट हो चुकी है कि समता के साथ आर्थिक विकास का उत्तरदायित्व अकेले संघीय सरकार का ही नहीं होता बल्कि इसमें राज्य सरकारों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। राज्य की योजनाओं को आवश्यक महत्व दिए बिना राष्ट्रीय योजनाओं का तैयार किया जाना भी असंभव होता है। राज्य सूची के विकास से संबंधित कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यक महत्ता प्रदान की जाती है जैसे कृषि, सिंचाई, ऊर्जा सामाजिक सेवाएं आदि।

### 9.5.1 राज्य योजना मंडलों का उद्भव एवं विकास

जैसा कि आपने अब तक जाना कि, योजना आयोग भारत में एक शक्तिशाली तथा प्रभावशाली परामर्शदात्री अभिकरण होता था। योजना आयोग संवैधानिक सत्ता नहीं थी, अर्थात् योजना आयोग का संविधान में उल्लेख नहीं था। इस संस्था की केंद्र में स्थापना के समय तक राज्यों में इस तरह की किसी संरचना के निर्माण को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया था, परिणाम स्वरूप राज्य स्तर पर बहुत लंबे समय तक योजना आयोग जैसी या उसके समानांतर, किसी संस्था की स्थापना नहीं की गई। इसलिए स्वतंत्रता के बाद के प्रथम दशक में राज्य योजना विभाग ने ही इस दायित्व का निर्वाह किया।

### 9.5.2 योजना आयोग की अनुशांसाएं

1950 के दशक में ही राज्य स्तर पर भी योजना आयोग जैसी एक संस्था की आवश्यकता को महसूस किया गया था। योजना आयोग स्वयं भी प्रारंभ से ही राज्य योजना तंत्र को सशक्त बनाने का पक्षधर रहा और इसके पीछे उसकी मंशा थी कि, योजना की प्रक्रिया एकीकृत, वास्तविक व प्रभावशाली बन सके। अतः योजना आयोग ने राज्यों में योजना आयोग जैसी ही एक संस्था स्थापित करने पर जोर दिया। योजना आयोग ने अपने प्रारंभिक सुझाव में तो राज्य के योजना विभागों को सशक्त करने की अनुशांसा की थी, परंतु बाद में, राज्य योजना बोर्ड की

स्थापना का सुझाव दिया। वर्ष 1962 में पहली बार केंद्रीय स्तर के इस योजना आयोग ने ही राज्य स्तर पर योजना से संबंधित व्यवस्था का निर्माण करने हेतु कुछ सुझाव दिए और कहा कि राज्यों के स्तर पर भी योजना मंडलों का गठन किया जाना चाहिए। राज्य स्तर की योजना से संबंधित इकाइयों के संदर्भ में, योजना आयोग द्वारा दी गई सभी सिफारिशों को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर सरलता से समझा जा सकता है-

1. योजना आयोग ने विशेष रूप से सुझाव दिया और कहा कि, राज्यों के स्तर पर भी योजना मंडलों का गठन किया जाना चाहिए।
2. योजना आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया कि, राज्य स्तर पर न केवल इस प्रकार की संरचना का गठन किया जाए बल्कि उन्हें उस स्तर की पंचवर्षीय तथा दूरगामी दृष्टिकोण की योजनाएं बनाने का अधिकार भी प्रदान किया जाना चाहिए।
3. इन संस्थाओं को वित्तीय साधनों/स्रोतों के एकत्रीकरण का अधिकार प्रदान करने का सुझाव भी दिया।
4. एक सुझाव यह भी दिया कि, यह संस्थाएं सामाजिक लक्षणों तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उचित नीतियां तथा कार्यक्रम भी बनाएंगी।

योजना आयोग द्वारा राज्य हेतु दिए जाने वाले इन सुझावों का एकमात्र उद्देश्य यही बताया गया था कि, योजना आयोग अपने साथ-साथ राज्य स्तर पर भी दीर्घकालीन योजनाओं के निर्माण और सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एक और उत्तरदायी संस्था का निर्माण करना चाहता था।

### 9.5.3 प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसाएं

केंद्रीय योजना आयोग के इन्हीं सभी सुझावों के परिणाम स्वरूप अनेक राज्य सरकारों ने अपने राज्य में राज्य योजना मंडलों का गठन किया। विभिन्न राज्यों ने अपने यहां स्थापित इन संस्थाओं का अलग-अलग नाम रखा जैसे राज्य विकास मंडल एवं योजना के लिए राज्य सलाहकार समिति आदि। वर्ष 1967 में प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा भी योजना आयोग की भांति राज्यों में पंचवर्षीय योजना के निर्माण और मूल्यांकन के लिए राज्य योजना बोर्ड की स्थापना की अनुशंसा की गई। आयोग द्वारा यह भी कहा गया कि, राज्य योजना बोर्ड का अपना स्वयं का सचिवालय होना चाहिए जो उसके कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न कर सके। उस समय विद्यमान विभिन्न राज्य योजना मंडलों की स्थिति को देखते हुए प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा यह पाया गया कि, ना तो इन राज्य योजना मंडलों के कार्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित ही किया गया है और न ही उनकी स्थिति और प्रगति भी संतोषजनक है। प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा यह कहा गया कि, “ इन राज्य योजना मंडलों को जो कार्य सौंपे गए हैं उन्हें भ्रामक तरीके से परिभाषित किया गया है।” आयोग का यह मानना था कि, जिन राज्य योजना मंडलों या इस प्रकार की जिन अन्य संस्थाओं की नियुक्ति राज्य स्तर पर की गई है, वे संस्थाएं ना तो राज्यों में योजना तंत्र को मजबूत कर पाई है और ना ही उनके कारण योजना की प्रक्रिया में कुछ सुधार ला पाई है। परिणामस्वरूप प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा राज्य स्तर की योजना इकाइयों(राज्य योजना मंडल) के कार्यों के संदर्भ में अपनी कुछ अनुशंसाएं प्रस्तुत की गईं जो कुछ इस प्रकार हैं-

1. राज्य के स्रोतों का निर्धारण करना और प्रभावी तरीके से योजनाओं का निर्माण करना जिससे संतुलित तरीके से स्रोतों का उपयोग किया जा सके।
2. राष्ट्रीय योजना के ढांचे के अंतर्गत राज्य की प्राथमिकता के अनुकूल योजना का निर्माण करना।
3. जिला सत्ता को विकास योजनाओं के निर्माण में सहायता प्रदान करना और इन योजनाओं को राज्य की योजनाओं के बीच समन्वय स्थापित करना।

4. राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्वों का पता लगाना और सफल क्रियान्वयन की शर्तों को निश्चित करना।
5. योजना के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करना और नीतियों एवं कदमों में सुधार हेतु सुझाव प्रेषित करना।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि, प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा दिए जाने वाले सुझावों के पीछे की मंशा यही थी कि, राज्य योजना आयोग को संघीय योजना आयोग के अनुरूप ही प्रभावशाली बनाया जाए। इन संस्थाओं को भी केंद्रीय योजना आयोग की भांति राज्य स्तर पर योजना को बनाने, साधनों का आकलन करने, प्राथमिकताओं को निर्धारित करने, जिला योजना को बढ़ावा देने तथा उनके साथ तालमेल बिठाने आदि से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रदान की जाए। इन सबके अलावा राज्य स्तर का यह योजना मंडल संघीय योजना आयोग की इकाइयों की भांति काम करेगा तथा अन्य योजना भूमिकाओं जैसे योजनाओं का मूल्यांकन आदि का भी निर्वाह करेगा।

वैसे प्रशासनिक सुधार आयोग(1967) की रिपोर्ट से काफी पहले विभिन्न राज्यों के प्रशासनिक सुधार समितियों ने राज्यों में योजना मंडल अथवा योजना आयोग की स्थापना की अनुशंसा की थी। राजस्थान के समान अन्य राज्यों ने भी राज्य स्तर पर योजना-तंत्र को सशक्त बनाने हेतु उचित योजना संस्थाओं की स्थापना की दिशा में पहल की।

#### 9.5.4 योजना आयोग के दिशा निर्देश

प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा दी गई इन महत्वपूर्ण सिफारिशों को ना तो केंद्रीय सरकार और ना ही राज्य सरकारों ने गंभीरता से लिया। परंतु राज्य स्तर पर एक विशेषज्ञ युक्त सलाहकार समिति की आवश्यकता को अवश्य महसूस किया गया। अतः वर्ष 1972 में योजना आयोग ने राज्य स्तरीय योजना(मशीनरी) को सशक्त बनाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए। अपने दिशा निर्देशों में योजना आयोग ने यह सुझाया कि, इस प्रकार के योजना मंडल शिखर पर कायम किए जाएं और उनमें तकनीकी विशेषज्ञों तथा अन्य विशेषज्ञों को सम्मिलित किया जाए तथा उनकी प्रभावी मदद के लिए कुछ ऐसे संचालन समूहों की व्यवस्था की जाए जो कि कृषि, सिंचाई तथा ऊर्जा, सामाजिक सेवाओं आदि विषयों से संबंधित जानकारी दें। आगे यह भी सुझाया कि, हर एक संचालन समूह का पूर्ण प्रभारी राज्य योजना मंडल के एक विषय विशेषज्ञ सदस्य को बनाया जाना चाहिए। यह व्यवस्था केंद्रीय योजना आयोग की व्यवस्था के अनुरूप ही है जिसमें पूर्णकालिक सदस्य अलग-अलग विषय वस्तुओं के संबंध में उत्तरदाई होते हैं। अंतर सिर्फ इतना होता है कि, इन्हें संचालन समूहों के माध्यम से काम करना होता है। यहां यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वास्तविक व्यवहारिक योजना का कामकाज पहले की भांति राज्य विकास विभागों को ही करना है। योजना आयोग के दिशा-निर्देशों और प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारत के अनेक राज्यों में राज्य योजना मंडल या इससे मिलती-जुलती कुछ और योजना की इकाइयों को स्थापित किया गया ताकि वे योजना निर्माण के कार्य में योजना आयोग को सहयोग कर सकें।

इन सब के उपरांत 80 के दशक के मध्य में सरकारिया आयोग ने पाया कि इन राज्य योजना मंडलों की भूमिका अनेक मामलों में संतोषप्रद नहीं है। अतः वर्ष 1988 में राज्य स्तर की योजना तंत्र अर्थात् राज्य योजना मंडलों के कामकाज हेतु सरकारिया आयोग के द्वारा अपना प्रतिवेदन दिया जिसमें उन्होंने अनेक बातों की सिफारिश की।

#### 9.5.5 सरकारिया आयोग की सिफारिशें

जून 1983 में केंद्र सरकार के द्वारा संघ राज्य संबंधों पर अपनी सिफारिशों प्रदान करने हेतु स्थापित किया गया था। इस आयोग के द्वारा सभी राज्यों के राज्य योजना मंडलों की व्यवहारिक स्थिति का अध्ययन करने के बाद यह परिणाम सामने आया कि केवल कुछ ही राज्यों ने अपने राज्यों में योजना मंडलों को प्रत्यक्ष तौर पर योजना निर्माण

के कार्य में सहभागी बनाया है। अधिकांश राज्यों द्वारा इन राज्य योजना मंडलों को वार्षिक योजना के निर्माण में जोड़ा ही नहीं गया है। अतः इस न्यायमूर्ति सरकारिया आयोग द्वारा ऐसा महसूस किया गया कि, राज्य योजना मंडलों को वार्षिक योजना के कार्यों में सहभागी बनाया जाना अत्यधिक आवश्यक है।

परिणाम स्वरूप अपने इस अध्ययन के बाद न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया आयोग ने 1988 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने बताया कि यद्यपि केवल एक राज्य को छोड़कर बाकी सभी राज्यों ने अपने यहां राज्य योजना मंडलों की स्थापना कर ली है, परंतु फिर भी इन राज्य योजना मंडलों की स्थिति ऐसी नहीं है कि, वे वास्तविक योजना कार्य में अपना योगदान दें। राज्य सरकारों द्वारा इन राज्य योजना मंडलों को उचित दर्जा और सम्मान प्रदान नहीं किया गया है। इसलिए इस न्यायमूर्ति सरकारिया आयोग ने 1988 में अपने प्रतिवेदन में सुझाव देते हुए यह कहा कि, राज्यों में इन योजना मंडलों को वैसी ही भूमिका प्रदान की जानी चाहिए जैसी भूमिका केंद्र में योजना आयोग को प्रदान की गई है इन्हें वार्षिक योजना के कार्यों में सहभागी बनाया जाना अत्यधिक आवश्यक है। ठीक इसी प्रकार राज्य योजना विभागों की भूमिका के संदर्भ में भी उन्होंने कहा कि, वर्तमान में यह राज्य योजना विभाग मात्र विधायी तथा कुछ सीमा तक कार्यपालिका विषय से संबंधित दायित्व का निर्वाह कर रहा है। अतः इन योजना विभागों को भी वैसी ही भूमिका निभानी चाहिए जैसी संघ योजना मंत्रालय द्वारा निभाई जाती है।

### 9.5.6 राज्य योजना मंडलों की संरचना

अब तक के संपूर्ण विवरण के द्वारा आप को यह समझाने का प्रयास किया गया कि, किस प्रकार विगत वर्षों में योजना आयोग की स्वयं की तथा विभिन्न आयोगों की सिफारिशों के आधार पर भारत के विभिन्न राज्यों में राज्य योजना तंत्र की इकाइयों को स्थापित किया गया। राज्य स्तर की योजना संबंधित इन इकाइयों अर्थात् राज्य योजना मंडलों का विकास सभी राज्यों में असमान रूप से हुआ है यही कारण है कि, विभिन्न राज्यों में इन राज्य योजना मंडलों की संरचना भी भिन्न भिन्न प्रकार की पाई जाती है। आज समस्त राज्यों में योजना बोर्ड स्थापित है, किंतु बोर्ड की स्थिति और योजना प्रक्रिया की प्रभावशीलता विभिन्न राज्यों में अलग-अलग है। अनेक राज्यों के योजना आयोग का इतिहास व्यवधानों से भरा हुआ है। जैसे आंध्र प्रदेश, में राज्य योजना बोर्ड की स्थापना 1974 में हुई थी। बोर्ड कुछ समय तक अस्तित्व में रहा और फिर निष्क्रिय हो गया। 1983 में राज्य योजना बोर्ड का नवीन नाम राज्य विकास बोर्ड के नाम से अस्तित्व में आया। बिहार योजना बोर्ड 1973 में स्थापित हुआ। गुजरात योजना बोर्ड का 1980 में पुनर्गठन हुआ परंतु मार्च, 1985 में उसने काम करना बंद कर दिया। तमिलनाडु में बोर्ड एक पूर्ण कालीन गैर अधिकारी की अध्यक्षता में कार्यरत है। कर्नाटक राज्य में बोर्ड एक सलाहकार के रूप में कार्य कर रहा है जिसका प्रभाव अलग-अलग सरकारों में विभिन्न प्रकार का रहा है। कर्नाटक सचिवालय में 'योजना परिषद' के नाम का एक समानांतर संगठन कार्यरत है। मध्यप्रदेश में योजना बोर्ड की स्थापना 1972 में हुई थी, जिसका अनेक बार पुनर्गठन हुआ है और बोर्ड ने योजना के क्षेत्र में संतोषप्रद कार्य किया है। महाराष्ट्र में, योजना बोर्ड के स्थान पर योजना उप समिति कार्यरत है। इसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है और लगभग 12 मंत्री इसके सदस्य होते हैं। उत्तर प्रदेश में योजना आयोग कार्यरत है जिसका स्वयं का पर्याप्त स्टाफ है। इसके अतिरिक्त पंजाब और हरियाणा में भी योजना बोर्ड है। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के योजना बोर्ड का प्रभाव है और प्रभावशाली हैं। सिक्किम शायद एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यह बोर्ड अस्तित्व में नहीं है। अधिकांश राज्यों में मुख्यमंत्री बोर्ड का अध्यक्ष है। तमिलनाडु और मेघालय में सरकार द्वारा मनोनीत गैर सरकारी बोर्ड का अध्यक्ष होता है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मध्य प्रदेश में योजना मंत्री योजना बोर्ड का उपाध्यक्ष होता है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय में विधायक को उपाध्यक्ष मनोनीत किया जाता है। यह मंत्री के समकक्ष पद का होता है।



आइए अब राज्यों में कार्यरत योजना मंडलों की संरचना की संक्षिप्त रूपरेखा देखते हैं-

### 9.5.6.1 अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष

सामान्य परिस्थितियों में राज्य योजना मंडल का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है और यदि किसी कारण से वहां पर आपातकाल अर्थात् राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल को अध्यक्षता का पद प्राप्त हो जाता है।

राज्य योजना मंडलों के उपाध्यक्ष का पद आमतौर पर संघीय योजना आयोग की भांति ही कैबिनेट स्तर के मंत्री को सौंपा जाता है या उसके अलावा किसी अनुभवी राजनेता को इस पद पर स्थापित किया जाता है। सामान्य तौर पर इस पद पर स्थापित किए जाने वाले व्यक्तियों के बारे में ज्यादातर राज्यों में समानता ही देखने को मिलती है। सामान्य परिस्थितियों में वित्त मंत्री अथवा योजना मंत्री द्वारा ही इस पद का कार्यभार संभाला जाता है। कुछ राज्यों में इस पद पर गैर-सरकारी विशेषज्ञों को भी रखा गया है। राष्ट्रपति शासन के दौरान इस पद का कार्यभार या तो मुख्य सचिव को सौंपा जाता है या राज्यपाल के सलाहकार को इस पद पर आसीन किया जाता है।

### 9.5.6.2 सदस्यगण

जैसा कि आपको इससे पूर्व के विवरण में बताया गया है कि राज्यों में योजना मंडल का गठन एवं उनकी संरचना हर राज्य में भिन्न-भिन्न ही रही है। परंतु साधारणतया राज्यों के योजना मंडलों में दो श्रेणी के सदस्य पाए जाते हैं- सरकारी अधिकारी और गैर-सरकारी सदस्य।

अधिकांश राज्य योजना मंडलों में पहली श्रेणी के इन सरकारी अधिकारियों की श्रेणी में विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी सरकारी अधिकारी के रूप में शामिल होते हैं। जैसे मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, वित्त आयुक्त, योजना सचिव (यह आमतौर पर मंडल का सदस्य सचिव होता है), वित्त सचिव तथा अन्य विभागाध्यक्ष आदि।

गैर-सरकारी सदस्य भी दो प्रकार के होते हैं- पूर्णकालिक सदस्य और अंशकालिक सदस्य।

यह दोनों ही प्रकार के सदस्य (पूर्णकालिक एवं अंशकालिक) प्रकृति में विशेषज्ञ एवं गैर विशेषज्ञ दोनों ही होते हैं। गैर-सरकारी गैर-विशेषज्ञ अधिकारियों के अंतर्गत विभिन्न मंत्रीगणों, सांसदों, विधायकों, जिला परिषद सदस्य तथा विकास समितियों एवं गैर-सरकारी जानकारों यानी विशेषज्ञों को सदस्य रखा जाता है। गैर-सरकारी विशेषज्ञ अधिकारियों के अंतर्गत आमतौर पर अर्थशास्त्र, प्राविधिकी, विज्ञान, उद्योग, विधि तथा शिक्षा के क्षेत्रों में से अधिकारियों को लिया जाता है। यह सभी विशेषज्ञ अपने-अपने क्षेत्रों में अनुभवी, ख्याति प्राप्त एवं जाने-माने विद्वान होते हैं। आमतौर पर राज्य योजना मंडलों के यह गैर सरकारी विशेषज्ञ सदस्य सामान्य तौर पर अंशकालिक रूप में ही काम करते हैं यानी आवश्यकता पड़ने पर ही इनसे सलाह ली जाती है।

यद्यपि विभिन्न राज्यों में पूर्णकालिक तथा अंशकालिक सदस्यों की संख्या बदलती रहती है परंतु अधिकांश राज्यों में पूर्णकालिक सदस्यों की तुलना में अंशकालिक सदस्यों की संख्या ही ज्यादा पाई जाती है।

उसी प्रकार सभी राज्यों में गैर-सरकारी, गैर-विशेषज्ञ सदस्यों अर्थात् राजनेताओं की संख्या में अंतर तो देखने को मिलता है परंतु इनकी संख्या सभी राज्य योजना मंडलों में अधिक ही होती है। इसका कारण उनका सत्ता में वर्चस्व होना ही माना जाता है।

विशेषज्ञों की संख्या के बारे में भी सभी राज्यों में बहुत अंतर दिखाई देता है। व्यवहार में कई ऐसे राज्य योजना मंडल भी रहे हैं जिसमें किसी भी विशेषज्ञ को सदस्य के तौर पर नहीं रखा गया, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे अपवाद भी पाए जाते हैं जिनके तहत सभी विशेषज्ञ अर्थात् अर्थशास्त्र विभाग के जानकार व्यक्तियों को ही रखा गया हो।

### 9.5.7 राज्य योजना मंडलों के कार्यालय

राज्य योजना मंडल में प्रमुख प्रशासनिक पद सदस्य सचिव का होता है। अधिकांश राज्यों में इस पद पर योजना विभाग का सचिव ही काम करता है। कुछ अपवाद स्वरूप मामलों में यह भूमिका गैर सरकारी सदस्य भी निभाते

रहे हैं। सदस्य सचिव राज्य की योजना प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है या वह एक प्रकार की धुरी होता है, जिसके चारों तरफ योजना चक्र घूमता रहता है तथा वह एक ऐसा सेतु होता है- जो कि राज्य योजना मंडल तथा सरकार के योजना विभाग की कड़ियों को जोड़ता है। तात्पर्य है कि वे उनके बीच तालमेल बैठता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि, अधिकांश राज्यों में कोई स्वतंत्र सचिवालय नहीं पाए जाते हैं। जिन थोड़े से राज्यों में सचिवालय पाये जाते हैं उनमें योजना निर्माण तथा मूल्यांकन के कार्य विषय वार अन्य खंडों में विभाजित किए जाते हैं अथवा अन्य कार्य समूह होते हैं- जैसे संघीय योजना आयोग में किया जाता रहा है। उनकी संख्या तथा नामावली हर राज्य में भिन्न-भिन्न रही है।

इन रांची योजना मंडलों के मूल्यांकन हेतु चाहे सदस्य संख्या की दृष्टि से देखा जाए, या चाहे “स्टाफ” की तकनीकी योग्यता के हिसाब से परखा जाए, राज्य योजना मंडल अभाव से ग्रस्त होते हैं। नतीजतन वे राज्य में योजना बनाने, विकास, सूचना मॉनिटर करने तथा मूल्यांकन के महत्वपूर्ण कार्य करने में असमर्थ होते हैं। कुछ राज्यों में राज्य योजना मंडलों से जुड़े कार्यालय छोटे या अशक्त होते हैं, तथा अन्य राज्यों में योजना विभाग ही योजना बनाने के विषय में व्यापक भूमिका का निर्वाह करते हैं। अतः हमारा यह राज्य नियोजन तंत्र का अध्ययन तब तक पूरा नहीं होगा, जब तक कि हम राज्य योजना विभाग की भूमिका तथा संरचना के विषय में जानकारी हासिल नहीं करेंगे, अर्थात् उनका भी हम विश्लेषण करेंगे।

### 9.5.8 राज्य योजना विभाग

भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। इसलिए योजना निर्माण और क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र के साथ-साथ राज्य पर भी है। देश का योजना आयोग अब नीति आयोग, एक राष्ट्रीय योजना को तैयार करता है तो साथ ही संघ की घटक इकाइयों की सरकारें अपने-अपने प्रदेशों के लिए योजना बनाती हैं। इसके लिए देश के सभी प्रदेशों में अपने-अपने आयोजना विभाग हैं। राज्य योजना विभाग की सहायता के लिए कुछ अधिकरणों की स्थापना की गई है- (1) योजना मंडल, (2) राज्य स्तरीय समन्वय समितियां एवं (3) राज्य स्तरीय संलग्न बोर्ड।

राज्य अथवा प्रदेश के लिए वार्षिक एवं पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के लिए राज्य का नियोजन विभाग उत्तरदाई होता है।

राज्य योजना मंडल, राज्य योजना विभाग से मिलते जुलते कार्य करते हैं। राज्य स्तर पर योजना से संबंधित सभी कामकाज की एक प्रमुख संस्था योजना विभाग होती है। योजना विभाग का सबसे प्रमुख कार्य राज्य योजना प्रक्रिया से संबंधित होता है। योजना विभाग की सबसे अहम भूमिका अन्य विभागों के साथ तालमेल बिठाने की होती है। साथ ही मंत्रिमंडल के समक्ष राज्य योजना को प्रस्तुत करना भी इनका एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होता है। इसी तरह जहां तक राज्य सीमा के बाहर उनकी भूमिका का सवाल है उस विषय में योजना आयोग तथा केंद्रीय कार्य समूह के साथ भी राज्य योजना विभाग अच्छे संबंध विकसित करते हैं। इस संबंध में राज्य योजना विभाग समय-समय पर योजना आयोग के साथ विचार-विमर्श करते हैं तथा इनके साथ पंचवर्षीय योजना की तैयारी, मॉनिटरिंग तथा मूल्यांकन के कार्यों से भी जुड़े रहते हैं।

राज्य योजना मंडल और राज्य योजना विभाग दोनों की समानांतर उपस्थिति के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इन दोनों इकाइयों में से कौन सी इकाई प्राथमिक रूप से योजना के लिए उत्तरदाई है? साथ ही इन दोनों इकाइयों के मध्य कार्य का विभाजन तथा तालमेल की समस्या भी प्रमुख मानी जाती है। 1968 के प्रशासनिक सुधार आयोग ने यह पाया कि यह विभाग राज्य योजना से संबंधित अनेक प्रकार की भूमिकाओं को निभाता रहा है, चाहे योजना निर्माण की हो या उच्च प्रगति प्रतिवेदन की हो। इन सभी प्रबंध के कार्यों में ‘स्टेट ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स’ उसकी सहायता करता है।

### 9.5.8.1 राज्य योजना विभाग की संरचना

राज्यों के योजना विभाग की संरचना अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग प्रकार की पाई जाती है। हर एक राज्य के सचिवालय में अन्य विभागों की भांति एक योजना विभाग भी होता है। इस योजना विभाग का अध्यक्ष सामान्यतः सचिव होता है कहीं कहीं इसे विकास आयुक्त या कोई और नाम भी दिया जाता है। प्रारंभिक काल में योजना विभाग विभिन्न राज्यों के वित्त विभागों के एक भाग के रूप में कार्य करते रहे। धीरे-धीरे इन योजना विभागों की अलग पहचान बनती चली गई और यह एक पृथक विभाग के रूप में स्थापित किए जाने लगे। विभिन्न राज्यों के योजना विभागों में सदस्यों की संख्या भी अलग-अलग पाई जाती है। योजना विभागों में योजना का कार्य भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों, राज्यों की प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों, तकनीकी विशेषज्ञ अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों द्वारा संपादित किया जाता है। योजना विभाग का कार्य विभिन्न प्रभागों में विभाजित होता है तथा हर एक प्रभाग का प्रभारी एक उप सचिव स्तर का अधिकारी होता है। पर जहां तक विभागों की संख्या, निपटाए जाने वाले विषयों तथा कार्मिकों का सवाल है उनके विषय में राज्यों में भारी परिवर्तन पाया जाता है। प्रायः सभी योजना विभागों में एक निर्णय इकाई भी होती है जो योजना निर्माण का कार्य करती है। इसी भांति अनेक राज्यों में विभाग में विभिन्न खंड भी पाए जाते हैं जो कृषि, योजना, वित्त, मूल्यांकन, मॉनिटरिंग मानव शक्ति आकलन तथा रोजगार की आदि से संबंधित समस्याओं को निपटाते हैं। कुछ राज्यों में तो क्षेत्रीय तथा जिला योजना से संबंधित प्रभाग भी पाए जाते हैं।

इस प्रकार राज्य योजना विभागों की संरचना को देखने के पश्चात निष्कर्षतः यही कहा जा सकता है कि विभिन्न राज्यों में योजना विभागों में कार्य विभाजन के संदर्भ में कोई भी एकरूपता नहीं पाई जाती है।

### 9.5.8.2 आलोचना के बिंदु

राज्य योजना विभागों की संरचनात्मक दृष्टि के आधार पर कई प्रकार से आलोचना की जाती है-

1. ऐसा माना जाता है कि अधिकांश तौर पर सभी राज्य योजना विभागों में उच्च पदों पर स्थापित अधिकारी प्रायः प्रशासनिक पृष्ठभूमि के होते हैं, जिन्हें योजना के संदर्भ में तकनीकी ज्ञान नहीं होता है जिसके कारण योजना निर्माण का कार्य बहुत प्रभावी तौर पर संपन्न नहीं हो पाता है।
2. राज्य का योजना विभाग सचिवालय का मात्र एक हिस्सा ही होता है, इसलिए यह स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता है।
3. विभाग लाख चाहे तो भी वह ऐसे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विशेषज्ञों को जो योजना निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अपने अनुभव और जानकारी के हिसाब से निभा सकते हैं, को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता है।
4. जहां तक योजना इकाई के कार्य की प्रकृति का सवाल है उससे एक भिन्न प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा रखी जाती है, पर क्योंकि, यह राज्य योजना विभाग वर्षों से सचिवालय के एक अंग के रूप में ही काम करता रहा है इसलिए वह चाह कर भी सरकारी विभागों से अलग व्यवहार नहीं कर सकता या यूँ कहे की भूमिका नहीं निभा सकता है।

यही कारण है कि राज्य योजना मंडल को प्राथमिकता देने हेतु विचार पेश किए जाते रहे हैं।

इस संदर्भ में प्रशासनिक सुधार आयोग का भी यही मानना था कि, राज्य योजना मंडलों की भूमिका को अधिक व्यापक बनाए जाने की आवश्यकता है। इसलिए यह तर्क दिया जाता है कि यदि कोई स्वतंत्र योजना इकाई का गठन किया जाए तो वह इन सभी कमियों से मुक्त होगा।

जबकि दूसरी तरफ अधिकांश लोग इस बात के लिए तैयार नहीं है कि, योजना निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्य को किसी एक गैर सरकारी विशेषज्ञ संस्था को सौंप दिया जाए और योजना विभागों की भूमिका को घटा दिया जाए। इस बात के समर्थन में भी अनेक तर्क दिए जाते हैं। जैसे- प्रथम, यह आशंका व्यक्त की जाती है कि अगर राज्य में किसी परियोजना के खर्चे, आकार-प्रकार तथा स्थान विशेष के निर्णय में यदि योजना मंडल प्रमुख भूमिका निभाएगा तो वह जल्दी ही राज्य मंत्रिमंडल के एक प्रतिद्वंदी के रूप में उभर कर सामने आएगा तथा दूसरे, यह भी तर्क दिया जाता है कि राज्य के स्तर पर प्रमुख कार्य योजना के कार्यान्वयन का होता है इसलिए वहां अर्थात् राज्य स्तर पर योजना बनाने के लिए किसी स्वतंत्र विशेषज्ञ इकाई को स्थापित करने की आवश्यकता ही क्या है। यह एक मानी हुई बात है कि राज्य योजना मंडल की भूमिका प्रायः मंत्रणा देने वाली यानी सलाहकार मात्र ही होती है, तथा वह मंत्रिमंडल को तर्क सम्मत निर्णय को लेने में सहायता करती है।

भारत में योजना की सबसे प्रमुख कमी यह है कि यहां पर योजना के संदर्भ में केंद्रीकरण पर ज्यादा जोर दिया जाता है। इसलिए यह कहा जाता है कि राज्य योजना मंडल लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जरिए विकास पाने की दिशा में, छोटा परंतु एक महत्वपूर्ण कदम है।

सामान्य तौर पर योजना विभागों तथा राज्य योजना मंडलों के के मध्य बड़े विचित्र किस्म के संबंध पाए जाते हैं। जैसे राज्य का योजना सचिव ही राज्य योजना मंडल का पदेन- सचिव भी होता है परंतु व्यवहार में ऐसा पाया गया है कि इन दोनों में संचार अर्थात् अंतःक्रिया बहुत कम मात्रा में होती है।

### 9.5.9 राज्य स्तर पर योजना प्रक्रिया

राज्य स्तर पर योजना के समस्त प्रक्रिया को निम्न बिंदुओं के आधार पर आसानी से समझा जा सकता है-

1. प्रथम चरण सामान्य दिशा निर्देश का होता है। योजना के प्रारम्भ होने के लगभग 2 वर्ष पूर्व से ही योजना आयोग/नीति आयोग विभिन्न दृष्टि से देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन और विश्लेषण करना प्रारंभ कर देता है और साथ ही साथ विकास में बाधक कारणों को दूर करने के लिए भी एक विस्तृत सुझाव तैयार करता है। योजना आयोग /नीति आयोग के प्रतिवेदन पर केंद्रीय मंत्रिमंडल और राष्ट्रीय विकास परिषद विचार करती हैं और उसके पश्चात विकास की गति, मुख्य नीतियों, और विकास के उद्देश्यों के बारे में प्राथमिक निर्देश जारी करते हैं।
2. इस प्रक्रिया के दूसरे चरण में विभिन्न अध्ययनों और ज्ञापन के प्रारूप का निर्माण किया जाता है। योजना की दृष्टि से विभिन्न अध्ययनों के लिए कार्यकारी सलाह समूह संगठित किए जाते हैं जिनमें योजना आयोग/ नीति आयोग और केंद्रीय मंत्रालय के तकनीकी सलाहकार तथा प्रशासन विशेषज्ञ शामिल होते हैं। इस प्रक्रिया में प्रत्येक दल को अर्थव्यवस्था के किसी विशेष क्षेत्र के अध्ययन का भार सौंप दिया जाता है। यह दल या तो आयोग के प्रस्तावों में पूर्ण सहमति प्रकट करते हैं या अगर आवश्यकता महसूस होती है तो उसमें परिवर्तन-परिवर्धन करते हैं और यह बताते हैं कि उनसे संबंधित क्षेत्र के दीर्घकालीन लक्ष्य क्या हो सकते हैं। यह योजना-लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नीतियों और कार्यक्रमों का एक विवरण भी तैयार करते हैं। केंद्र के समान राज्यों में भी कार्यकारी दल नियुक्त होते हैं। एक समन्वित योजना के निर्माण के लिए मंत्रालयों, राज्य सरकारों, अनुसंधान संगठनों एवं औद्योगिक उपकरणों द्वारा विभिन्न अध्ययन किए जाते हैं और केंद्रीय कार्यकारी दलों से इन सब की सूचना का लाभ उठाने की आशा की जाती है। आयुक्त उच्च विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं का पैल नियुक्त करता है जो योजना के निर्माण में नीति और प्रणाली संबंधी अपनी सलाह देते हैं। इसके पश्चात योजना आयोग/नीति आयोग योजना संबंधी “ज्ञापन का प्रारूप” तैयार करता है जिसमें योजना के आकार में, अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की तुलना में योजना के प्रयत्नों में, कम पड़ने वाले संभावित क्षेत्रों आदि को प्रस्तुत किया जाता है। ज्ञापन का प्रारूप

- केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और बाद में राष्ट्रीय विकास परिषद के समक्ष विचार करने के हेतु प्रस्तुत किया जाता है।
3. योजना के निर्माण के तीसरे चरण में रूपरेखा के प्रारूप के निर्माण को शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद के सुझावों के आधार पर योजना की रूपरेखा का प्रारूप तैयार किया जाता है। इस विस्तृत दस्तावेज में विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं का संपूर्ण ब्यौरा होता है तथा साथ ही साथ नीति संबंधी मुख्य, उद्देश्य और उन की प्राप्ति के तरीके आदि बताए जाते हैं। यह दस्तावेज विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों के पास उनकी समीक्षा हेतु प्रेषित किया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल भी इस पर विचार करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की सहमति के बाद योजना की रूपरेखा को जनता और विभिन्न संस्थाओं, विश्वविद्यालय आदि के समक्ष भी विचार-विमर्श और आलोचना के लिए प्रकाशित किया जाता है और साथ ही साथ जनता के भी सुझाव और विचार इस पर आमंत्रित किए जाते हैं। राज्यों में जिला स्तर, राज्य स्तर पर तथा राष्ट्रीय स्तर पर संसद के दोनों सदनों द्वारा भी इस प्रारूप पर विचार किया जाता है। इस चरण में जनप्रतिनिधियों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है।
  4. योजना के प्रारूप पर बहस के दौरान आयोग उस पर राज्य सरकारों से भी बातचीत करता है। तथा यह परामर्श विशेषज्ञों के बीच और राजनीतिज्ञों के बीच दोनों स्तरों पर चलता है। अंतिम निर्णय राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह के बाद ही लिए जाते हैं।
  5. राज्य सरकारों, विभिन्न अध्ययन दलों और विभिन्न पैनलों, संस्थाओं आदि के विस्तृत रूप से प्राप्त सुझावों के आधार पर आयोग द्वारा योजना के संबंध में आप एक नवीन ज्ञापन तैयार किया जाता है, जिसमें योजनाओं की मुख्य विशेषताओं, नीति संबंधी निर्देशों आदि पर जोर दिया जाता है। इस ज्ञापन पर उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल और राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा विचार किया जाता है।
  6. केंद्रीय मंत्रिमंडल और राष्ट्रीय विकास परिषद दोनों के द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर योजना आयोग पंचवर्षीय योजना का एक अंतिम प्रतिवेदन तैयार करता है और यह अंतिम प्रतिवेदन बहुत ही विस्तृत होता है। इसमें योजना के सभी उद्देश्यों, नीतियों, कार्यक्रमों और परियोजना आदि का एक विस्तृत विवरण होता है। यह अंतिम प्रतिवेदन उन्हें मंत्रिमंडल और राष्ट्रीय विकास परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। जिस की सहमति के बाद इसे संसद के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत कर दिया जाता है। संसद की स्वीकृति के पश्चात की पंचवर्षीय योजना को लागू किया जाता है।

योजना का अंतिम प्रारूप तैयार हो जाने के बाद उसके क्रियान्वयन का चरण उपस्थित होता है। क्रियान्वयन का पूरा उत्तरदायित्व केंद्र तथा राज्य सरकारों के प्रशासकीय विभाग के ऊपर आ जाता है। योजना का अंतिम प्रारूप तैयार हो जाने के बाद उसके क्रियान्वयन का चरण उपस्थित होता है। केंद्रीय मंत्रालय तथा राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्र में योजना का परिपालन करती हैं।

योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन और उससे अच्छे परिणाम प्राप्त करने में केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच समन्वय का होना अत्यधिक आवश्यक माना जाता है। योजना के क्रियान्वयन में उपस्थित होने वाली कुछ कठिनाइयों में प्रशासनिक कार्यकुशलता, देरी और दोषपूर्ण कार्य प्रणाली आदि माने जाते हैं। योजना आयोग, परामर्शदात्री निकाय होता था और यह निष्पादन का कार्य नहीं करता था। अब नीति आयोग केंद्र और राज्य सरकारों के लिए रणनीतिक और तकनीकी सलाह प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः अब यह सब काम नीति आयोग के द्वारा संपादित किए जाते हैं। अब योजना के लिए संघीय आयोग कार्यक्रमों के संपादन के लिए परामर्शदाता के तौर पर काम करता है और विभिन्न राज्यों का दौरा करते हैं, तथा प्रगति का अनुमान लगाते हैं और साथ ही साथ कार्यक्रमों को आगे चलाए रखने के लिए आवश्यक सिफारिशें भी करते हैं।

### 9.5.10 वार्षिक योजनाएं

पंचवर्षीय योजना की तुलना में वार्षिक योजना तैयार करने की प्रक्रिया अधिक सरल होती है। यह प्रक्रिया अगस्त या सितंबर में शुरू हो जाती है। केंद्रीय आयोग राज्यों के योजना विभागों को अनेक दिशा-निर्देश प्रसारित कर देता है। इन दिशा-निर्देशों में योजनाएं प्रस्तुत करने का एक फॉर्मेट (प्रपत्र) होता है और उस के साथ-साथ उन्हें अपने पास उपलब्ध सभी संसाधनों की संभावनाएं तथा निकट भविष्य की प्राथमिकताएं भी बताएं के लिए भी कहा जाता है।

इन सब दिशा निर्देशों के बाद राज्य योजना विभाग, अपने राज्य वित्त विभाग से उपलब्ध साधनों/ स्रोतों का विवरण मांगता है जिसके आधार पर राज्य योजना विभाग विभिन्न विकास विभागों के साथ एक अस्थाई योजनागत विवरण की रूपरेखा प्रस्तुत करता है तथा वह उन्हें “सेक्टरल” योजनाएं बनाने का निर्देश देता है। इन “सेक्टरल” योजनाओं को प्राप्त करने के बाद राज्य योजना विभाग के द्वारा इनका फिर से परीक्षण किया जाता है और उसके बाद विभिन्न संबद्ध विभागों से विचार-विमर्श कर राज्य योजना विभाग के द्वारा एक कामचलाऊ योजना की रूपरेखा तैयार की जाती है। इस प्रक्रिया के पूरी हो जाने के बाद राज्य मंत्रिमंडल द्वारा योजना प्रारूप पर विचार किया जाता है तथा स्वीकृत किया जाता है तथा उसी के आधार पर योजना के लिए केंद्रीय आयोग के साथ समझौते किए जाते हैं।

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत योजना की रूपरेखा पर केंद्रीय कार्य समूह (जो कि विशिष्ट विषयों के लिए गठित किए जाते हैं) द्वारा विचार किया जाता है, जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों की भी सहभागिता रहती है। जब यह विभिन्न कार्य समूह अपनी सिफारिशें पेश करते हैं तब इन्हें योजना के लिए संघीय आयोग के द्वारा संशोधित तथा संगठित करके राज्य योजना के एक प्रतिवेदन का रूप दे दिया जाता है। उसके बाद उसे अंतिम रूप देने के लिए एक बैठक आयोजित की जाती है। जिसमें योजना के लिए केंद्रीय आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्यों तथा संबद्ध राज्य के मुख्यमंत्री हिस्सा लेते हैं। तत्पश्चात राज्य वित्त विभाग, राज्य योजना विभाग की सहायता से अंतिम वार्षिक योजना के आधार पर “बजट प्लान लिंक” तैयार करता है। फिर बजट को विधानसभा के विचारार्थ रखा जाता है तथा उसकी स्वीकृति मिलने के पश्चात वार्षिक योजना की कार्यात्मक प्रक्रिया नव वित्तीय वर्ष के साथ ही शुरू हो जाती है।

### 9.5.11 योजना का मूल्यांकन

योजना के लिए संघीय आयोग का एक कार्य यह भी होता है कि, वह योजना के प्रत्येक चरण की प्रगति का समय समय पर न केवल मूल्यांकन करें बल्कि उन नीतियों तथा उपायों के समायोजन के लिए सिफारिशें भी करें जो मूल्यांकन की दृष्टि से आवश्यक होती हैं। योजना के लिए संघीय आयोग द्वारा योजना का यह मूल्यांकन प्रमुख रूप से विशिष्ट रूप से चुनी गई परियोजनाओं के मासिक प्रतिवेदनों, योजना के कार्य संचालन के विषय में त्रैमासिक समीक्षाओं, केंद्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों से प्राप्त वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनों, विभिन्न परामर्शदाताओं द्वारा अपने अधीन आने वाले राज्य का दौरा कर विभिन्न महत्वपूर्ण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के अध्ययन के निष्कर्ष और योजना की परियोजनाओं के लिए बनी समिति के द्वारा किया जाता है। इन सबके अलावा एक कार्यक्रम मूल्यांकन समिति भी होती है जो योजना के मूल्यांकन का कार्य करती है।

परामर्शदाताओं का यह काम होता है कि वह नियोजन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित प्रगति से संघीय आयोग को सूचित रखते हैं तथा साथ ही साथ यह केंद्रीय मंत्रालय और राज्य सरकारों को विभिन्न परियोजनाओं के परिपालन संबंधी विषयों में सहायता भी प्रदान करते हैं। मुख्य तौर पर यह परामर्शदाता केंद्रीय स्तर के योजना आयोग तथा राज्य योजना आयोग के मध्य समन्वय बनाए रखते हैं। यह परामर्शदाता योजना की अनुपालना के संबंध में विभिन्न विकास विभागों तथा राज्य के नियोजन और वित्त विभागों के साथ भी चर्चा करते हैं तथा



विभिन्न खंडों तथा परियोजनाओं में योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी करते हैं। परामर्शदाता द्वारा कभी-कभी विशेष समस्याओं का परीक्षण करने और भारत सरकार को सिफारिशें भेजने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के विशेषज्ञ समूह का नेतृत्व भी किया जाता है। इसके अलावा यह नियोजन की नीतियों के अनुसार परियोजनाओं पर अनुमानित खर्च की जांच करते हैं और साथ ही साथ विभिन्न परियोजनाओं पर हुए कुल व्यय का अनुमान भी लगाते हैं तथा विकास के विभिन्न क्षेत्रों में नियोजन तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार लाने के लिए राज्य सरकारों को भी परामर्श देते रहते हैं।

### 9.5.12 योजना के संबंध में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध

वार्षिक तथा पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें मिलकर काम करती हैं। परंतु इस स्तर पर राज्य सरकारों को बहुत सारी शिकायतें रहती हैं। राज्य सरकार की सबसे प्रमुख शिकायत यह होती है कि उन्हें अपनी योजना के निर्माण के लिए पूरी स्वायत्तता प्राप्त नहीं होती है। इस पूरी प्रक्रिया में योजना के लिए केंद्रीय आयोग का पूरा हस्तक्षेप बना रहता है। इस प्रकार के हस्तक्षेप और विवादों के संदर्भ में सरकारिया आयोग ने भी अपने प्रतिवेदन में कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला।

पहला मुद्दा राज्य योजनाओं तथा योजनाओं के बारे में योजना आयोग द्वारा की गई जांच-पड़ताल की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ बताया। आयोग का ऐसा मानना था कि केंद्र और राज्यों के बीच इस तरह के विवाद का पहला विवादित क्षेत्र राज्य योजना तथा योजनाओं के बारे में केंद्रीय आयोग द्वारा की गई जांच पड़ताल की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ होता है। योजना के लिए केंद्रीय आयोग राज्य योजना के संदर्भ में सभी पक्षों की बहुत सूक्ष्म पड़ताल करता है। अतः सरकारिया आयोग ने सिफारिश करते हुए कहा कि, योजना के लिए संघीय आयोग को राज्य योजना की “सेक्टरल” स्कीम की गहराई से जांच पड़ताल नहीं करनी चाहिए बल्कि उसकी बजाय उसे बड़ी-बड़ी तथा ज्यादा खर्चे वाली योजनाओं पर अपनी दृष्टि केंद्रित करनी चाहिए।

विवाद का दूसरा मुद्दा, वित्तीय साधनों/ स्रोतों का रहा है यानी जिस तंत्र से केंद्रीय सहायता दी जाती है। केंद्रीय सहायता को लेकर राज्यों की मुख्य शिकायत यह है कि-

1. केंद्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता अधिकांश तौर पर सहायता कार्यों के वितरण के रूप में होती है ना कि अनुदान के रूप में,
2. केंद्रीय सहायता में विवेकाधिकार का ज्यादा प्रयोग किया जाता है,
3. राज्यों की यह भी मान्यता है कि पिछड़े हुए राज्यों को विकास की यात्रा में शामिल करने हेतु उन्हें अधिक वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। अतः सरकार को इन राज्यों को वित्तीय सहायता देने का अपना सूत्र बदलना होगा। इसके अलावा राज्यों को केंद्रीय योजना सहायता की मात्रा भी बहुत कम दिखाई देती है।
4. योजना के लिए केंद्रीय आयोग द्वारा वित्तीय सहायता वितरण की प्रणाली भी प्रश्नों के घेरे में रही है।

इसी के साथ राज्य सरकारों को यह शिकायत भी रही है कि यह समस्त योजनाएं बिना राज्य सरकार की सलाह लिए ही लागू कर दी जाती हैं। यहां तक की संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा भी इनकी कोई जांच पड़ताल नहीं की जाती है जो कि अत्यधिक आवश्यक है। अतः अनेकों बार यह योजनाएं असफल हो जाती हैं। इसके अलावा यह भी माना जाता है की यह योजनाएं राज्य सरकारों के बजट पर भी विपरीत प्रभाव डालती हैं, क्योंकि राज्य सरकारों को इन योजनाओं पर अपने सीमित संसाधनों में से ना चाहते हुए भी अपने हिस्से का धन देना पड़ता है। इन्हीं सब बातों के कारण 1967 में प्रशासनिक सुधार आयोग ने तो यह सुझाव भी दिया था कि ऐसी केंद्रीय योजनाओं की एक सीमा रेखा खींच दी जानी चाहिए ताकि अनावश्यक रूप से राज्य सरकारों पर किसी भी तरह का भार ना पड़े। बाद में आगे चलकर इस विषय में राममूर्ति की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा एक समिति का भी गठन किया

गया जिसमें इस प्रकार की योजनाएं प्रसारित करने के कुछ आधार भी निर्धारित किए थे। आगे चलकर इस विषय में न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया ने भी राममूर्ति समिति की सिफारिशों के प्रति अपनी सहमति दर्शाई और उन्होंने भी इसी बात पर बल दिया कि केंद्रीय योजनाओं को सीमित किया जाना चाहिए।

## 9.6 निष्कर्ष

राज्यों को आर्थिक विकास में एक अहम भूमिका निभाने की आवश्यकता है। आज के इस तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी के युग में राज्य योजना विभागों को भी अपने स्तर पर तकनीकी योग्यता तथा यांत्रिकी को भी विकसित करना होगा। राज्य योजना मंडलों को अभी तक तो उचित सम्मान प्राप्त हुआ है और ना ही योजना प्रक्रिया में उनकी भूमिका निर्णायक रही है। यह राज्य योजना तंत्र प्रभावी रूप से काम नहीं कर पाए हैं। योजना के क्षेत्र में इन को व्यापक स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए। केंद्रीय संस्था को भी अपने वित्तीय साधनों को राज्य को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। साथ ही राज्यों को भी अपने साधन जुटाने के लिए गंभीरता से सोचना पड़ेगा।

### अभ्यास प्रश्न-

1. भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी?
2. भारत में बहु स्तरीय नियोजन की प्रक्रिया सही अर्थों में कब प्रारंभ हुई?
3. सामान्य परिस्थितियों में राज्य योजना मंडल का अध्यक्ष कौन होता है?
4. राज्य योजना विभाग की सहायता के लिए स्थापित किए गए किन्हीं दो अभिकरणों के नाम बताइए।
5. राज्य स्तर पर योजना से संबंधित सभी कामकाज की प्रमुख संस्था कौन सी होती है?

## 9.7 सारांश

राज्य स्तर पर योजना से संबंधित दो तरह की संस्थाएं राज्य योजना मंडल एवं राज्य योजना विभाग पाई जाती हैं। केंद्र में योजना के लिए योजना आयोग के स्थान पर अब एक नई संस्था नीति आयोग का निर्माण किया गया है। राज्य स्तर पर योजना से संबंधित संरचनाओं में अभी कोई विशेष महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया है। इस इकाई में किए गए पूरे अध्ययन के बाद यदि राज्य स्तर पर नियोजन से संबंधित तंत्र के बारे में संक्षिप्त में कहना चाहे तो, यही कहा जा सकता है कि, राज्य योजना विभागों का गठन बिना किसी सोची समझी रूपरेखा के अनुसार किया गया है। इन राज्य योजना विभागों को यद्यपि कुछ राज्यों में स्वतंत्र रूप से संगठित किया गया है पर व्यवहार में उनका संचालन कनिष्ठ या निम्न अधिकारियों द्वारा किया जाता है। साथ ही इस योजना विभाग के अधिकारियों की विशिष्ट भर्ती तथा प्रशिक्षण की ओर भी कम से कम ध्यान दिया गया है। यही कारण है कि, राज्य का योजना विभाग राज्यों के सचिवालय के अन्य विभागों से भिन्न प्रकृति का नहीं होता है।

## 9.8 शब्दावली

बहुस्तरीय नियोजन- बहुस्तरीय नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें लोगों की आवश्यकता, जनसंख्या की स्थिति एवं जनांकिकी संरचना, क्षेत्रीय भौगोलिक-भौतिक दशायें एवं संसाधनों की उपलब्धता जैसे विविध आधार पर विकास की योजनाओं को विभिन्न स्तरों पर पदानुक्रमिक रूप से क्रियान्वित किया जाता है।

पदानुक्रमिक- पदों का अनुक्रम।

उपागम पत्र- आलेख, जिसमें भावी पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों की मोटे तौर पर रूपरेखा होती है।

केंद्र द्वारा आयोजित योजनाएं- ऐसी योजनाएं जिनका योजन केंद्रीय मंत्रालय करते हैं।

प्रारूप योजना- ऐसा प्रारूप जिसका निर्माण राज्य योजना इकाइयां अथवा योजना आयोग द्वारा किया जाता है।

---

### 9.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

---

1.15 मार्च, 1950, 2. पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के पश्चात, 3. मुख्यमंत्री, 4. योजना मंडल और राज्य स्तरीय समन्वय समितियां, 5. राज्य योजना विभाग

---

### 9.10 सन्दर्भ ग्रंथ सूची

---

1. कटारिया, सुरेंद्र 2008, कार्मिक प्रशासन; आर. बी. एस. ए. पब्लिशर्स: जयपुर।
  2. शर्मा, अनिल कुमार, 2006, लोक प्रशासन सिद्धांत एवं व्यवहार; ओमेगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
  3. अवस्थी एवं अवस्थी, 2014. भारत में लोक प्रशासन; लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा।
  4. अवस्थी एवं अवस्थी, 2016, भारतीय प्रशासन; लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा।
  5. माहेश्वरी श्रीराम, 2010, भारतीय प्रशासन; ओरियंट ब्लैकस्वान प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद।
- 

### 9.11 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

---

1. खंडेलवाल, आर. एम. 1985, स्टेट लेवल प्लान एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया; आर. बी. एस. ए., पब्लिशर्स: जयपुर।
  2. अवस्थी एवं अवस्थी, 2016, भारतीय प्रशासन; लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा।
  3. माहेश्वरी श्रीराम, 2010, भारतीय प्रशासन; ओरियंट ब्लैकस्वान प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद।
- 

### 9.12 निबन्धात्मक प्रश्न

---

1. राज्य योजना मंडलों के उद्भव एवं विकास पर एक विस्तृत लेख लिखिए।
2. राज्य स्तरीय योजना तंत्र की विवेचना कीजिए।
3. योजना आयोग की समाप्ति के कारणों की समीक्षा कीजिए।
4. भारत में नियोजन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा कीजिए।

## इकाई- 10 जिला नियोजन

## इकाई की संरचना

- 10.0 प्रस्तावना
- 10.1 उद्देश्य
- 10.2 विकेंद्रीकृत नियोजन का अर्थ
  - 10.2.1 विकेंद्रीकृत नियोजन की अवधारणा
- 10.3 भारत में जिला नियोजन का संक्षिप्त इतिहास
  - 10.3.1 जिला स्तरीय नियोजन के लिए योजना आयोग का सुझाव, 1982
  - 10.3.2 जिला नियोजन पर डॉ. सी. एच. हनुमंतराव समिति
  - 10.3.3 जी.वी.के. राव समिति
  - 10.3.4 जिलाधीश कार्यशाला दिसंबर 1987- जून 1988
  - 10.3.5 सरकारिया आयोग, 1988
  - 10.3.6 64वां एवं 65वां संविधान संशोधन विधेयक, 1989
  - 10.3.7 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम
  - 10.3.8 73वें संविधान संशोधन द्वारा नियोजन प्रक्रिया में बदलाव
  - 10.3.9 नियोजन की वर्तमान व्यवस्था
- 10.4 जिला नियोजन का औचित्य
- 10.5 जिला नियोजन की विशेषताएं
- 10.6 जिला योजना समिति
  - 10.6.1 जिला योजना समिति का उद्देश्य
  - 10.6.2 जिला नियोजन समिति की संरचना
  - 10.6.3 जिला योजना समिति का अध्यक्ष
  - 10.6.4 जिला योजना समिति के कार्य
  - 10.6.5 समिति की बैठक
  - 10.6.6 समिति के स्थाई सदस्य
  - 10.6.7 समिति के सदस्यों का निर्वाचन
- 10.7 जिला नियोजन की प्रक्रिया
- 10.8 विकेंद्रीकृत नियोजन की समस्याएं
- 10.9 निष्कर्ष
- 10.10 सारांश
- 10.11 शब्दावली
- 10.12 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 10.13 सन्दर्भ ग्रंथ सूची
- 10.14 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 10.15 निबन्धात्मक प्रश्न

## 10.0 प्रस्तावना

जैसा कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा कि भारत एक विशाल लोकतांत्रिक देश है, जहां बड़ी मात्रा में क्षेत्रीय असमानताएं विद्यमान हैं। ऐसी स्थिति में यदि केवल एकमात्र केंद्रीय नियोजन अभिकरण द्वारा यदि योजनाओं का निर्माण किया जाएगा तो वह देश के लिए अधिक लाभप्रद साबित नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही देश में नियोजन प्रक्रिया के प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में अनेक प्रयास किए गए और नियोजन की व्यवस्था को भी विकेंद्रीकृत तौर पर अपनाते हुए बहुस्तरीय नियोजन प्रणाली को उपयुक्त माना गया है। अर्थात् योजना निर्धारण एवं क्रियान्वयन हेतु केवल मात्र एक केंद्रीय नियोजन अभिकरण को ही ना अपना कर, ना केवल राज्य स्तर पर बल्कि उससे आगे के स्तरों पर भी नियोजन संबंधी तंत्र की व्यवस्था की गई है। ऐसा करने से नियोजन एवं विकेंद्रीकृत नियोजन दोनों के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। नियोजन की इस प्रक्रिया के लिए यह भी अत्यन्त आवश्यक हो जाता है कि, विभिन्न स्तरों तक परियोजना संबंधी जानकारी स्पष्ट तथा उचित प्रकार से दी जाए तथा उनके बीच संपर्क सूत्र भी स्थापित किए जाएं।

देश के आर्थिक विकास में अपनायी गयी आर्थिक नियोजन प्रक्रिया के तहत विभिन्न नियोजन एवं कार्यक्रमों का लाभ देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे इस हेतु जिला नियोजन व्यवस्था को अपनाया गया है। जिला स्तरीय नियोजन के अंतर्गत एक जिले को नियोजन की एक इकाई माना जाता है जिले को भी आगे विभिन्न खंडों में विभक्त किया जाता है और खंडों को ग्राम में और इन सभी स्तरों को भी नियोजन की इकाई के रूप में माना जाता है।

इस इकाई में हम जिला स्तर पर नियोजन तंत्र का विस्तृत अध्ययन करने का प्रयास करेंगे।

### 10.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप-

- विकेंद्रीकृत नियोजन के अर्थ एवं अवधारणा को समझ पाएंगे।
- भारत में जिला नियोजन का संक्षिप्त इतिहास समझ पाएंगे।
- जिला नियोजन का औचित्य एवं विशेषताएं जान पाएंगे।
- जिला योजना समिति उद्देश्य, संरचना, अध्यक्ष, कार्य, बैठक, सदस्य, निर्वाचन आदि को समझ पाएंगे।
- जिला नियोजन की प्रक्रिया को जान पाएंगे।
- विकेंद्रीकृत नियोजन की समस्याएं जान पाएंगे।

### 10.2 विकेंद्रीकृत नियोजन का अर्थ

विकेंद्रीकृत नियोजन एक ऐसी प्रणाली है, जिसके द्वारा नियोजन प्रक्रिया में लोगों को शामिल करके उनकी भागीदारी ली जाती है, इस प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत नियोजन कहते हैं। सीधी एवं सरल भाषा में इसका अर्थ होता है- लोगों के द्वारा अपने विकास के लिए बनाई गई योजना। सामान्य रूप से यही पाया जाता है कि, योजनाओं को बनाने का अधिकार कुछ मुट्टी भर लोगों के हाथ में ही होता है। यह लोग कुछ विषयों के विशेषज्ञ तो होते हैं, किंतु इन्हें जमीनी अनुभवों और व्यापक दृष्टिकोण का अभाव होता है। इसी कारण इन लोगों के द्वारा बनाई गई योजनाओं को भारत जैसे विशाल देश में एक समान लागू नहीं किया जा सकता है। यही कारण रहा है कि विगत वर्षों में बनाई गई बहुत सी योजनाओं का वह परिणाम हासिल नहीं किया जा सका जैसा योजना बनाने वालों ने सोचा था अतः विकेंद्रीकृत नियोजन की सोच यह कहती है कि, योजना को बनाने के अधिकार को कुछ मुट्टी भर

लोगों, केंद्रीय संस्थाओं और नौकरशाही के हाथ में ना रखा जाए बल्कि इसे आम लोगों, प्रतिनिधियों और संस्थाओं के सुपुर्द किया जाए, जिन के हित के लिए ये योजनाएं बनाई जाती हैं।

### 10.2.1 विकेंद्रीकृत नियोजन की अवधारणा

भारत एक विशाल देश है जिसमें अनेक प्रकार की क्षेत्रीय असमानताएं विद्यमान हैं। स्वतंत्रता के उपरांत भारत में नियोजन प्रक्रिया में भी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बल दिया गया अर्थात् योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में जनता की भागीदारी और संबद्धता को महत्वपूर्ण माना गया। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में राजनीतिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों के विकेंद्रीकरण की अवधारणा भी अंतर्निहित है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की इस व्यवस्था के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के त्रि-स्तरीय ढांचे को अपनाते हुए क्रमशः ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया है।

इस प्रकार पंचायती राज व नियोजन का उद्देश्य प्रारंभ से लेकर आज तक प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर जनता को सक्रिय रूप से भागीदार बनाना है।

लोकतांत्रिक नियोजन विकेंद्रीकृत नियोजन का एक प्रमुख रूप माना जाता है। इस प्रकार के नियोजन में योजनाओं को बनाने तथा उनका क्रियान्वयन करने में जनता की संपूर्ण भागीदारी रहती है। पंचायत राज प्रणाली में हम लोकतांत्रिक नियोजन का स्वरूप देख सकते हैं। भारत में योजनाओं की नीति, लक्ष्यों का निर्धारण योजना आयोग के द्वारा बड़े लंबे समय से किया जाता रहा है अब इस कार्य के लिए एक नए आयोग यानी की नीति आयोग का निर्माण कर दिया गया है जो कि बिल्कुल उसी प्रकार से काम करेगा जैसे योजना आयोग के द्वारा किया जाता था। योजना आयोग क्षेत्र विशेष की समस्याओं पर भी अपनी सलाह निरंतर देता रहा है। ऐसी स्थिति में राजनीति का रूप तो लोकतांत्रिक हो गया है, परंतु स्वरूप लोकतांत्रिक नहीं रहा है। इसी कारण भारत में सरकार और जनता के बीच विश्वास दिन प्रतिदिन कम होकर दोनों के मध्य अविश्वास की खाई बढ़ती जा रही है। वास्तविक तौर पर तो किसी भी आयोजन की सफलता इस बात पर अधिक निर्भर करती है कि आज जनता की भागीदारी उसमें किस सीमा तक विद्यमान है।

नियोजन की सफलता के लिए जिला स्तरीय नियोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देश के प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक नियोजन एवं कार्यक्रमों का लाभ उचित रूप से मिल सके और उनकी भागीदारी उनके लिए बनायी जाने वाली योजनाओं में बनी रहे इस हेतु जिला नियोजन व्यवस्था को अपनाया गया है। इस जिला नियोजन व्यवस्था के अंतर्गत एक जिले को नियोजन की एक इकाई माना जाता है। जिला नियोजन के अंतर्गत जिले में चलाए जा रहे विकास कार्यक्रमों की योजना बनाई जाती है। सामान्यतया कृषि, लघु सिंचाई, भूमि सुधार, डेयरी विकास, पशुपालन, ग्रामीण जलापूर्ति, बांध निर्माण कार्य, उद्योग आदि के बारे में जिला स्तरीय नियोजन के अंतर्गत कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं।

### 10.3 भारत में जिला नियोजन का संक्षिप्त इतिहास

जिले के संतुलित एवं आर्थिक विकास के लिए विकेंद्रीकृत नियोजन के रूप में जिला योजना की संकल्पना कोई नई बात नहीं है। नियोजित विकास के आरंभ से ही जिला योजना के महत्व को स्वीकार किया जाता रहा। इस की संकल्पना एवं कार्यान्वयन में व्यापक अंतर एवं विभिन्न राज्यों में प्रशासन के अलग-अलग विकेंद्रीकरण के स्तर होने के कारण इसे सुव्यवस्थित ढंग से नहीं चलाया जा सका।

योजना प्रक्रिया को राज्य और जिला स्तरों पर भी लागू किया जाने का सुझाव आने के बाद भारत में विकेंद्रीकृत नियोजन का उल्लेख सबसे पहली बार पहली पंचवर्षीय योजना(1951-1956) में तब किया गया था, जब यह



सुझाया गया था कि, योजना प्रक्रिया को राज्य और जिला स्तरों पर भी लागू किया जाएगा। वर्ष 1954 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया तो कुछ वर्षों बाद ही राज्यों को जिला एवं ग्राम स्तरीय योजना निर्माण के आदेश दे दिए गए थे।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन में यह भय प्रकट किया गया कि लोग विकास कार्यों को 'शासन का दायित्व मानते हैं' और स्वयं मूक दर्शक की तरह तमाशा देखने वाले बने रहते हैं। इसके बाद, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के साथ ही भारत में विकेंद्रीकृत नियोजन की स्थिति थोड़ी सी और स्पष्ट परिलक्षित होने लगी थी। इस समिति ने अपने सुझावों में यह निर्देश दिया था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानीय योजनाएं बनाने में जनप्रतिनिधियों की मुख्य भूमिका एवं उत्तरदायित्व हैं। इसी समय जिला एवं विकास खंड बजट की अवधारणा भी विकसित की गई।

बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के करीब करीब एक दशक बाद, पहले प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी वर्ष 1967 में जिला स्तर पर, सार्थक नियोजन की प्रक्रिया पर बल दिया। प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी यह महसूस किया कि जिला आयोजन की दिशा में अब तक जितने भी प्रयास किए गए हैं वह ज्यादा प्रभावी नहीं थे। इस अप्रभावशीलता के संदर्भ में आयोग का ऐसा मानना था कि जिला नियोजन के लक्ष्य एवं संसाधनों के संबंध में स्पष्ट विचारों का अभाव होना एक कारण रहा। अर्थात् जिला स्तर पर नियोजन के लिए कोई विशेषज्ञता विद्यमान नहीं थी। अतः आयोग के द्वारा यह सिफारिश की गई कि, जिला स्तर पर योजना निर्माण के लिए एक उपयुक्त नियोजन तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता है।

ऐसा कहा गया कि जिला नियोजन दल के अंतर्गत एक नियोजन अधिकारी होना आवश्यक है। यह नियोजन अधिकारी प्रशासनिक या तकनीकी किसी भी क्षेत्र से लिया जा सकता है, परंतु उसमें विकास के कार्यों को समन्वित करने की योग्यता का होना आवश्यक है। आयोग के द्वारा इस पद को एक पूर्णकालिक पद बनाए जाने की सिफारिश की गई। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि कृषि, वानिकी, लघु सिंचाई आदि क्षेत्रों से संबंधित कुछ तकनीकी अधिकारी भी जिला स्तर पर होने चाहिए, जो अपने स्तर पर योजना निर्माण और उसके क्रियान्वयन के लिए उत्तरदाई बनाए जाएं। आयोग ने अपने सुझावों के साथ एक यह टिप्पणी भी की थी कि सामान्यतः जिला परिषद, नगरीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। अतः वह पूरे जिले के संतुलित नियोजन के लिए एक सर्वश्रेष्ठ अभिकरण नहीं मानी जा सकती है।

इसी संदर्भ में प्रशासनिक सुधार आयोग ने एक जिला नियोजन समिति के गठन की अनुशंसा की। इस समिति की संरचना के संदर्भ में आयोग ने कहा कि इसमें जिला परिषद, नगरीय निकाय (जिला क्षेत्र में) एवं जिले में उपलब्ध व्यवसायिक विशेषज्ञों के प्रतिनिधियों के साथ उपयुक्त जिला अधिकारियों को संबद्ध किया जाए। अपनी इस बात को और स्पष्ट करते हुए आयोग ने कहा कि, जिला परिषद के विपरीत जिला नियोजन समिति का आकार छोटा रखा जाना चाहिए जिससे उसके सदस्य प्रभावी ढंग से विकास कार्यों में भागीदारी ले सकें। साथ ही जिला नियोजन अधिकारी को इस समिति का सचिव बनाया जाना चाहिए तथा समिति की बैठक 2 माह में कम से कम एक बार अवश्य होनी चाहिए।

प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के बाद वर्ष 1969 में जब योजना आयोग ने अपनी निर्देशिकाए जारी की, तो उन्होंने प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों का पूर्णतः अनुसरण किया। योजना आयोग ने अपनी निर्देशिकाओं में आयोग की सिफारिशों के अनुसार ही विकेंद्रीकृत नियोजन की आवश्यकता पर बल दिया। योजना आयोग ने इसी संदर्भ में उपलब्ध संसाधनों, वर्तमान प्रशासनिक परिस्थिति एवं प्राथमिकताओं के निश्चय के मूल्यांकन में सरकार, स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं, जागरूक किसानों और उद्यमियों की सक्रिय भागीदारी प्राप्त करने का सुझाव दिया। आयोग ने अपने सुझावों में जिला योजना में सम्मिलित किए जाने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों के अधिकारियों को अपने संबंधित विभागों के लिए योजना निर्माण का दायित्व सौंपा। जिला नियोजन

अभिकरण का प्रमुख कार्य इन विभिन्न विभागीय योजनाओं को एक समग्र जिला योजना के रूप में निर्मित कर समन्वित रखने का था।

योजना निर्माण की इस प्रक्रिया में नियोजन अभिकरण को ना केवल विभिन्न विभागों बल्कि निम्न एवं उच्च स्तर के अभिकरणों तथा अन्य जिला स्तरीय सार्वजनिक संस्थाओं जैसे बैंक आदि का परामर्श भी लेना था। इस प्रकार योजना निर्माण की प्रक्रिया में योजना आयोग की निर्देशिका के अंतर्गत जिला नियोजन के संदर्भ में एक विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया गया।

परंतु इन सब के बावजूद भी जिला नियोजन की दिशा में किए गए सभी प्रयास अधिकांशतः विफल ही रहे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अधिकतर राज्यों ने स्थानीय नियोजन की अपनी प्रक्रियाओं को वार्षिक नियोजन की प्रक्रिया के साथ नहीं जोड़ा था। साथ ही एक कमी यह भी थी कि, शहरी नियोजन प्रक्रियाओं को जिला योजना के एक भाग के रूप में भी शामिल नहीं किया गया था।

इसके बाद 1970 में भी जिला नियोजन के प्रति 1970 में अभिरुचि दिखाई पड़ी। इंडियन जर्नल ऑफ़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बहु स्तरीय नियोजन 1973, जर्नल ऑफ़ लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकैडमी आफ़ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जिला नियोजन, पर 5 विशेषांकों का प्रकाशन इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। केंद्र शासन के कार्मिक विभाग द्वारा प्रकाशित ग्रंथों में भी समग्र क्षेत्रीय विकास पर प्रशिक्षण ग्रंथ निकाला गया। 1972 में महाराष्ट्र शासन ने पंचायत स्तर पर राज्य स्तरीय नियोजन मूल्यांकन समिति प्रतिवेदन 1971 के परिपालन में अपने यहां एक जिला नियोजन बोर्ड का गठन किया गया। साथ ही 1974 में महाराष्ट्र में जिला नियोजन विभाग की स्थापना भी की गई। महाराष्ट्र राज्य के इस प्रयोग से प्रेरित होकर 1970 के उत्तरार्ध में कुछ अन्य राज्यों ने भी इसका अनुसरण किया। जिला नियोजन के संदर्भ में किए गए प्रयासों को संक्षेप में निम्न प्रकार से विवेचित किया जा सकता है-

1978 में भी जिला स्तर पर नियोजन तंत्र या तो मौजूद ही नहीं था और या अत्यधिक कमजोर था। जिला नियोजन तंत्र के संबंध में इसी वर्ष दांत वाला समिति ने इस स्थिति को देखते हुए यह कहा कि राज्य में उच्च स्तर पर कार्मिक संसाधनों में सुधार के कोई प्रयास नहीं किए गए हैं और ना ही कर्मचारी वर्ग में तकनीकी विशेषज्ञता के समावेश के लिए कोई गंभीर प्रयास किए गए हैं। जिला नियोजन तंत्र से संबंधित इकाइयों में जितने भी कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं वह केवल दैनिक सचिवालय कार्यों को ही संपादित करते हैं। उन्होंने पाया कि, कई राज्यों में जिला नियोजन कक्ष के अंतर्गत एक जिला नियोजन अधिकारी होता है जिसकी सहायता के लिए सांख्यिकी एवं अनुसंधान सहायक तथा लिपिकीय वर्ग कार्य करता है, और यह सब जिला योजना के क्रियान्वयन की मात्र देखरेख ही करते हैं।

इसलिए 'दांत वाला समिति' ने जिला नियोजन कक्ष को सुदृढ़ बनाने के लिए एक न्यूनतम कर्मचारी वर्ग की अनुशंसा की जिसमें मुख्य नियोजन अधिकारी के अतिरिक्त अन्य तकनीकी अधिकारियों की नियुक्ति करने का भी प्रस्ताव दिया। यह अधिकारी निम्न प्रकार से थे-

- अर्थशास्त्री सांख्यिकी विशेषज्ञ
- मानचित्र विशेषज्ञ/भूगोल शास्त्री
- शस्य विज्ञान
- अभियंता
- औद्योगिक अधिकारी
- ऋण नियोजन अधिकारी

समिति ने उपरोक्त स्टाफ के अतिरिक्त कार्यक्रम या क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं के अनुरूप विशेषज्ञों को सम्मिलित किए जाने का भी सुझाव दिया और उन्होंने यह भी कहा कि मुख्य नियोजन अधिकारी किसी भी क्षेत्र से हो सकता है परंतु यह कोई एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो विभागीय अधिकारियों से संपर्क रखते हुए नियोजन दल के कार्य में समन्वय स्थापित कर सके। जिला स्तर पर नियोजन के इस संपूर्ण कार्य में जिलाधीश मुख्य सहयोगकर्ता होगा एवं नियोजन अधिकारी का स्तर जिलाधीश के बाद दूसरे स्थान पर होगा।

इसी काल में अशोक मेहता समिति, 1978 ने भी सिफारिश की थी कि, जिले को विकेंद्रीकरण की धुरी माना जाए तथा जिला परिषद को समस्त विकास कार्यों का केंद्र बिंदु बनाया जाए। समिति ने कहा कि, जिला परिषद ही जिले के आर्थिक नियोजन व समस्त कार्यों में सामंजस्य स्थापित करेगी तथा नीचे के स्तर का मार्गदर्शन भी करेगी। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि, जिला परिषद के बाद मंडल पंचायत को विकास कार्यक्रमों का आधारभूत संगठन बनाया जाए।

### 10.3.1 जिला स्तरीय नियोजन के लिए योजना आयोग का सुझाव 1982

कार्य दल (दांत वाला समिति) की सिफारिशों का अनुसरण करते हुए सक्षम जिला नियोजन तंत्र स्थापित किए गए। जून, 1982 में योजना आयोग ने सभी राज्यों को सुझाव दिया था कि वे विकेंद्रीकृत जिला स्तरीय नियोजन के ढांचे के चार महत्वपूर्ण पहलुओं पर कदम उठाएं, जो कुछ इस प्रकार से हैं-

1. प्रभावकारी कार्यात्मक विकेंद्रीकरण- इस संदर्भ में राज्य सरकारों को जिला स्तर पर क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यों के संबंध में योजना बनाने हेतु आवश्यक कदम उठाने होंगे। इससे बहु स्तरीय नियोजन संरचना में जिला नियोजन की भूमिका को परिभाषित करने में सहायता मिलेगी।
2. प्रभावकारी वित्तीय विकेंद्रीकरण- प्रभावकारी वित्तीय विकेंद्रीकरण जिला नियोजन को जिला विकास के लिए मिलने वाली निधियों या राशियों की जानकारी हेतु आवश्यक बनाया जाए।
3. जिला स्तर पर उपयुक्त योजना तंत्र की स्थापना- इसमें राज्यों के द्वारा जिला परिषद एवं जिला स्तर पर नियोजन मशीनरी को मजबूत बनाना, नियोजन मंडल का गठन करना शामिल बताया गया।
4. उपयुक्त बजटीकरण और पुनरविनियोजन- जिला नियोजन की प्रक्रिया को गति देने के लिए योजना आयोग ने एक मार्गदर्शी भूमिका अदा करने का प्रस्ताव रखा। इसके आधार पर सातवीं योजना की अवधि में देश के लगभग
5. 100 जिलों को जिला नियोजन के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करने के लिए चुना गया था। जिला नियोजन में प्रशिक्षण पर भी जोर दिया गया था।

### 10.3.2 जिला नियोजन पर डॉ. सी. एच. हनुमंतराव समिति

जिला नियोजन की अवधारणा को वास्तविकता में परिवर्तित करने के उद्देश्य से 1982 में योजना आयोग के तत्कालीन सदस्य डॉ. सी. एच. हनुमंतराव की अध्यक्षता में एक कार्य समूह का गठन किया गया। इस कार्य दल की नियुक्ति का प्रमुख उद्देश्य जिला नियोजन के क्षेत्र, विषय वस्तु एवं प्रक्रिया को परिभाषित करने का था। साथ ही खंड स्तर से राज्य स्तर तक नियोजन की कड़ी को जोड़ना भी इस समिति की स्थापना का एक उद्देश्य था। कार्य दल ने यह पाया कि अधिकांश राज्यों में किसी ना किसी रूप में जिला नियोजन निकाय मौजूद थे। यद्यपि उन्हें विभिन्न नामों जैसे- जिला नियोजन मंडल/ समिति, परिषद एवं जिला विकास मंडल आदि के नाम से जाना जाता था। उस समय कुछ राज्यों (महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश एवं बिहार) में इस निकाय का अध्यक्ष एक राज्य मंत्री था। दो अन्य राज्यों में गैर सरकारी अध्यक्ष थे तथा सिक्किम में संस्था का अध्यक्ष एक विधानसभा सदस्य था। किंतु अधिकांश राज्यों में जिलाधीश/उपायुक्त ही अध्यक्ष होते थे। कार्य दल ने यह भी पाया कि राज्य में जिला

नियोजन इकाइयों में शुद्ध रूप से 2 से 6 के बीच ही तकनीकी अधिकारी थे तथा उनका अलग-अलग क्षेत्रों से संबंधित होना भी आवश्यक नहीं था। सामान्यतः वे दूसरे विभागों से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत थे तथा उनमें कोई विशिष्ट नियोजन योग्यताएं भी नहीं थी। 1984 में इस समिति ने अपनी सिफारिश के साथ जिला नियोजन पर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस समिति ने कुछ सुझाव प्रस्तुत किए जो इस प्रकार हैं-

1. समिति का यह सुझाव था कि, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्तीय संसाधनों का विकेंद्रीकरण करके जिला स्तर पर एक प्रभावी एवं स्थाई योजना तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए, जिसमें लगभग 50 सदस्य हों।
2. जिला परिषद, पंचायत समितियां, नगर निगम या नगर पालिका, जिले के विधायकों, सांसद, श्रमिकों, उद्योगपतियों तथा बैंकों के प्रतिनिधियों को भी इस निकाय में सम्मिलित करने की अनुशंसा की गई।
3. यह भी सुझाव दिया गया कि, इस विशालकाय जिला आयोजन निकाय की एक छोटी कार्यकारी या क्रियान्वयन समिति भी बने जिसका अध्यक्ष जिला कलेक्टर हो, मुख्य आयोजना अधिकारी सदस्य सचिव हो एवं विकास कार्यों से जुड़े विभागों के अधिकारी इसके सदस्य मनोनीत हों।
4. जिला आयोजन निकाय की तकनीकी सहायता हेतु एक पृथक जिला आयोजना प्रकोष्ठ की स्थापना का सुझाव भी दिया गया।

बहुत से राज्यों में, कुछ सीमा तक, राव समिति के प्रतिवेदन के आधार पर जिला स्तरीय नियोजन प्रारंभ करने के उद्देश्य से जिला सेक्टर को धन देने का प्रयास किया गया। परंतु, इस प्रकार का जिला नियोजन केवल कुछ राज्यों में ही अंशतः सफल हुआ। फल स्वरूप जिला नियोजन पर जोर दिया जाने लगा।

### 10.3.3 जी.वी.के. राव समिति

1985 में जिला पंचायत द्वारा सभी विकास कार्य कार्यक्रमों के प्रबंध तथा ग्रामीण विकास हेतु प्रशासनिक प्रबंध के लिए जी. वी. के. राव समिति का गठन हुआ तथा समिति ने नियोजन से संबंधित निम्न सुझाव दिए-

1. समिति द्वारा सुझाया गया कि, जिला तथा इससे भी निम्न स्तर की पंचायती राज की संस्थाओं को ग्रामीण विकास के लिए योजना बनाने, उन्हें लागू करने तथा उनका मूल्यांकन करने के लिए अधिक से अधिक शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए।
2. जिला स्तर की सभी विकासशील योजनाओं को लागू करने के लिए एक जिला विकास आयुक्त की नियुक्ति भी की जानी चाहिए।

### 10.3.4 जिलाधीश कार्यशाला दिसंबर 1987- जून 1988

दिसंबर 1987 और जून 1988 के बीच पंचायती राज एवं जिला नियोजन पर आयोजित पांच अखिल भारतीय जिलाधीश कार्यशालाओं तथा जिलाधीशों के सुगठित समूह द्वारा 1988 में प्रस्तुत प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए। इन प्रतिवेदनों में दो वैकल्पिक प्रतिमान समनयिकृत एवं अंतरिम प्रस्तुत किए गए। बहुत से राज्यों ने 'अंतरिम प्रतिमान' का समर्थन किया। इस अंतरिम प्रतिमान में जिला परिषद से पृथक जिला नियोजन इकाई की सिफारिश की गई।

### 10.3.5 सरकारिया आयोग 1988

वर्ष 1988 में ही केंद्र राज्यों के संबंधों पर सरकारिया आयोग गठित किया गया। सरकारिया आयोग ने भी जी. वी. के. राव समिति की तरह जिला स्तर पर नियोजन एवं प्रशासन को सशक्त बनाने के सुझाव दिए, पर स्थानीय निकाय कमजोर होने के कारण सभी प्रयास असफल रहे।

### 10.3.6 64वां एवं 65वां संविधान संशोधन विधेयक 1989

स्थानीय निकायों को सुदृढ़ बनाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने जुलाई, 1989 में लोकसभा में दो 64वां संविधान संशोधन बिल तथा 65वां संविधान संशोधन बिल पेश किए। 64वें संविधान संशोधन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में तथा 65वें संशोधन का उद्देश्य नगरीय क्षेत्र में स्थानीय शासन को अधिक प्रभावशाली एवं कुशल बनाना था। लोक सभा द्वारा इन बिलों को पारित किया गया परंतु राज्यसभा में कांग्रेस दल को बहुमत प्राप्त ना होने के कारण राज्यसभा ने इन्हें पारित नहीं किया तथा अक्टूबर 1989 में इसे अस्वीकार कर दिया गया। यद्यपि यह बिल राजनीतिक परिस्थितियों के कारण पारित नहीं किए जा सके, परंतु स्थानीय शासन के विकास में इनका विशेष महत्व है।

### 10.3.7 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम

आठवीं योजना प्रारूप में विकेंद्रीकरण एवं योजना प्रक्रिया में लोगों की सहभागिता पर जोर दिया गया। जिला, मध्यवर्ती और ग्राम सर पर पंचायतों की स्थापना के लिए संविधान में 73वां और 74वां संशोधन किया गया और पंचायती राज संस्थाओं व नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस संशोधन के माध्यम से जिला नियोजन समिति की स्थापना का उपबंध किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा जो जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा बनाई गई योजनाओं को समेकित करेगी और पूरे जिले के लिए एक विकास योजना तैयार करेगी। केंद्रीय दृष्टिकोण के स्थान पर जिला नियोजन की परिकल्पना करते हुए इन संशोधनों ने संविधान के भाग 9 और 9ए के पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से केंद्र सरकार को सौंपी है।

इस व्यवस्था की कार्य रूप में परिणित करने के लिए समय-समय पर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा पंचायत अधिनियम बनाए गए एवं अपने-अपने राज्यों में पंचायत व्यवस्था को अपना लिया गया है।

### 10.3.8 73वें संविधान संशोधन द्वारा नियोजन प्रक्रिया में बदलाव

73वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्तर पर नई पंचायती राज व्यवस्था कायम हुई, जो स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रहा है। इस संशोधन के द्वारा विकास कार्यक्रम बनाने की पुरानी रीति को बदलने के प्रयास किए गए हैं। ग्राम पंचायतों को सामाजिक न्याय व आर्थिक विकास की योजनाएं बनाने के अधिकार प्राप्त हुए हैं। अतः अब इन संशोधनों के बाद गांव के लोग पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठकर अपनी आवश्यकता व प्राथमिकता के हिसाब से योजनाएं बनाएंगे व उन्हें स्वयं लागू करेंगे। सूक्ष्म नियोजन के आधार पर एवं ग्राम सभा द्वारा बनाई गई योजना ग्राम पंचायत द्वारा क्षेत्र पंचायत को भेजी जाएंगी। एक क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाली सभी पंचायतों की योजनाओं को मिलाकर एक योजना का निर्माण होगा जिसे जिला पंचायत में भेजा जाएगा। जिला स्तर पर प्राप्त सभी क्षेत्र पंचायतों की योजनाओं को मिलाकर जिला पंचायत संपूर्ण जिले की योजनाएं बनाएगा और जिला पंचायत द्वारा इस संयुक्त योजना को जिला योजना समिति के पास भेजना होगा। इस प्रकार इस पूरी प्रक्रिया का संचालन केंद्र से ना होकर गांव के स्तर से होगा। निर्णय लेने में महिलाओं, पिछड़े वर्ग व दलितों को भी पूरा अवसर मिलेगा। गांव के लोगों के सहयोग से व उनकी आवश्यकताओं पर आधारित योजनाओं को लागू करने में आसानी होगी व उसकी सफलता के अवसर भी बढ़ेंगे।

इन महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों के बाद वर्ष 2005 में 11वीं योजना की तैयारी के समय पंचायती राज मंत्रालय ने श्री वी. रामचंद्रन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया था जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर नागरिकों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सभी पंचायत स्तरों पर जिला और उप जिला योजनाएं तैयार करने के संबंध में अध्ययन कर अपनी सिफारिशें प्रदान करना था। पंचायती राज मंत्रालय और योजना आयोग ने विशेषज्ञ

दल की रिपोर्ट को स्वीकार किया गया था। योजना आयोग ने 25.08.2006 के अपने एक सर्कुलर के माध्यम से ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में जिला योजनाओं के बारे में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए थे।

### 10.3.9 नियोजन की वर्तमान व्यवस्था

इस प्रकार जिला नियोजन के संदर्भ में इतने सारे प्रयोगों के परिणाम स्वरूप वर्तमान में राज्य योजना आयोग प्रदेश की जिला समितियों के काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए समय-समय पर निर्देश जारी करता है। राज्य योजना आयोग इन जिला नियोजन समितियों को नियोजन संबंधित सभी प्रकार के सहयोग प्रदान करता है।

जिला स्तर पर जिला नियोजन की शीर्ष इकाई जिला योजना समिति है जो ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र की योजनाओं को समेकित कर संपूर्ण जिले के लिए जिला योजना तैयार करती है। ग्रामीण क्षेत्र की योजना तैयार करने की मुख्य जिम्मेदारी जिला पंचायत की होती है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत विभिन्न इकाइयों (विभाग, निगम आदि) जो सीधी जिला पंचायत के अंतर्गत नहीं आती हैं, वे भी अपनी योजना जिला योजना समिति की संबंधित उप समिति को प्रस्तुत करती हैं। विकेंद्रीकृत नियोजन में ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा से तथा नगरीय निकायों में वार्ड स्तर से योजना निर्माण करते हुए जिला योजना तैयार की जाती है। योजना आयोग, भारत सरकार ने इस संदर्भ में विस्तृत मैन्युअल तैयार किया, जिसके अनुसार नियोजन की प्रक्रियाओं को निचले स्तर से ऊपर ले जाने के लिए विभिन्न स्तरों पर व्यवस्था दी गई।

जिला नियोजन समिति की संरचना राज्य की विधानसभा द्वारा पारित कानूनों के अनुसार होगी। कानूनों में इस बात का उल्लेख आवश्यक है कि जिला नियोजन समिति के स्थान किस प्रकार भरे जाएंगे, परंतु 4/5 सदस्य पंचायतों एवं महानगर पालिकाओं के चुने हुए सदस्यों में से होंगे। कानून में जिला नियोजन समिति के कार्यों व उसके अध्यक्ष चुनने का उल्लेख आवश्यक है। जिला नियोजन समिति पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के सामान्य हित, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक साधनों एवं पर्यावरण को ध्यान रखते हुए योजना विकास प्रारूप तैयार करेगी। विकास प्रारूप तैयार होने एवं नियोजन समिति की स्वीकृति के बाद जिला नियोजन समिति के अध्यक्ष द्वारा राज्य शासन को राज्य योजना में सम्मिलित करने हेतु भेजा जाता है।

यहां यह भली-भांति समझ लेना चाहिए कि योजना प्रक्रिया के विकेंद्रीकरण के द्वारा ही उत्तम व प्रभावशाली नियोजन संभव है और इसके लिए जिले का क्षेत्र सबसे उचित और उपयुक्त है। इस प्रकार अब लगभग सभी राज्यों में राज्य योजना आयोगों का मुख्य कार्य राज्य योजनाओं का निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन करना है।

राज्यों ने अपने राज्य योजना दस्तावेजों को तैयार करने में कुछ सीमा तक सुविज्ञता हासिल भी कर ली है। इसके अलावा राज्यों में जिला नियोजन के लिए जरूरी संस्थागत सुधारों की दिशा में भी काम आगे बढ़ा है। अनुच्छेद-243 ZD के अनुरूप अधिकतर राज्यों ने जिला योजना समितियों के गठन के लिए कानून पारित किए हैं। दूसरी ओर, सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के उद्देश्य से चलाई गई केंद्र प्रायोजित योजनाओं और अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के माध्यम से केंद्र की ओर से राज्यों को पर्याप्त संसाधन प्रदान किए जा रहे हैं, जिनमें जमीनी स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और सेवा प्रदायगी भी शामिल है।

अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से विकेंद्रीकरण के विभिन्न प्रयासों और समितियों की रिपोर्ट के कालक्रम को नीचे दी गई तालिका के अनुसार और आसानी से समझा जा सकता है-

वर्ष	समितियां/आयोग	विचार और अवधारणाएं
पहली योजना 1951-1956	समुदाय विकास प्रखंड	नियोजन कार्य का राष्ट्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय समुदाय के स्तरों पर विभाजन



दूसरी योजना 1956- 1961	जिला विकास परिषदें	जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण के माध्यम से ग्राम योजनाएं तैयार करना और नियोजन में जनभागीदारी
1957	बलवंत राय मेहता समिति	ग्राम, खंड, जिला पंचायत संस्थानों की स्थापना
1967	प्रशासनिक सुधार आयोग	क्षेत्र की उद्देश्य पूर्ण योजना के लिए संसाधन प्रदान करना। स्थानीय नेताओं को शामिल करना।
1969	योजना आयोग	मार्ग निर्देश सूचित किए, वार्षिक योजनाओं, मध्यावधि योजनाओं और संदर्श योजना के ढांचे के अंतर्गत जिला योजना की अवधारणा और उसे बनाने की पद्धति को निर्दिष्ट किया।
1978	प्रो. एम. एल. दांत वाला	ग्राम और जिला स्तर की योजनाओं के बीच संपर्क बनाने के लिए खंड स्तर पर नियोजन।
1983-84	केंद्र प्रायोजित योजनाएं/ भारतीय रिजर्व बैंक	जिला योजना/जिला ऋण योजना को मजबूत बनाना।
1984	हनुमंतराव समिति	कार्य, अधिकारों और वित्त का विकेंद्रीकरण, जिला योजना निकायों और जिला योजना प्रकोष्ठों का गठन।

#### 10.4 जिला नियोजन का औचित्य

जैसा कि आपने अभी जाना कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया तथा साथ ही साथ प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रयास किए गए, जिसके फलस्वरूप केंद्र और राज्य सरकारों के बीच ना केवल राजनैतिक एवं प्रशासनिक बल्कि वित्तीय शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने की व्यवस्था भी की गई। जिला स्तर पर योजना की प्रक्रिया को महत्व प्रदान किये जाने हेतु संविधान में 73वाँ एवं 74वाँ संवैधानिक संशोधन किया गया। जिला स्तर पर समेकित जिला योजना को अपनाया गया।

समेकित जिला योजना एक ऐसा दस्तावेज होता है जो जिले के आगामी वर्ष के विकास का आधार पत्र होता है। इसमें जिले की संसाधनात्मक उपलब्धता, जिले की शक्तियां या क्षमताएं, कमियां तथा आवश्यकताओं आदि की विस्तृत जानकारी होती है। यह दस्तावेज एक वर्ष का, पाँच वर्ष का या लंबी अवधि का भी हो सकता है। इस दस्तावेज के निर्माण का प्रमुख आधार संविधान द्वारा स्थापित पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के सदस्यों के द्वारा क्रमशः ग्राम सभा और वार्ड सभा की बैठक के दौरान आपसी विचार विमर्श के आधार पर अपने संसाधनों की सीमा में तय किए गए विकास के कार्यों का लेखा-जोखा होता है। जिला योजना के दस्तावेज में आने वाले समय में विकास की दिशा को तय करने के साथ ही विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न स्रोतों से संभावित रूप से मिलने वाले और खर्च किए जाने वाले संसाधनों को निर्धारित करने का कार्य किया जाता है।

साथ ही इसमें यह भी वर्णित होता है कि एक निर्धारित अवधि में उपलब्ध वित्तीय और भौतिक संसाधनों से प्राथमिकता के आधार पर जिले में क्या-क्या विकास कार्य कराए जाएंगे, तथा किस प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच विधायी एवं वित्तीय शक्तियों के वितरण के प्रावधान

तो किए गए हैं परंतु संविधान में जिला स्तर के लिए किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था का प्रावधान नहीं किया गया है।

राज्य से नीचे जिला एवं खंड स्तर तक आर्थिक व सामाजिक नियोजन की सार्थक प्रक्रिया को विशेषकर 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन से पूर्व विकेंद्रीकृत नहीं किया जा सका था।

क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था को अपनी वार्षिक योजना में शामिल करने के लिए उन्हें प्राथमिकता दें। अब तक जिला नियोजन की दिशा में किए जाने वाले सारे प्रयासों के बारे में जान लेने के बाद जिला नियोजन की सार्थकता को निम्न बिंदुओं से दर्शाया जा सकता है-

1. **स्थानीय क्षेत्र की समस्याओं के निवारण हेतु-** भारत जैसे विशाल देश की भौगोलिक स्थिति में असमानता है और हर स्थानीय क्षेत्र की समस्या की प्रकृति भी भिन्न होती है। केंद्र सरकार द्वारा क्षेत्र विशेष की समस्याओं को पहचान कर उनके अनुरूप योजना को बना पाना कठिन होता है। यही कारण है कि अनेकों बार केंद्र सरकार की योजनाएं इन समस्याओं के समाधान में असफल रहती हैं। यदि योजना का विकेंद्रीकरण किया जाता है तो जिला स्तर पर नियोजन के लिए भौगोलिक स्थिति, संगठन, सामाजिक व राजनीतिक सहायता आसानी से प्राप्त की जा सकती है। अतः स्थानीय समस्याओं का वास्तविक निवारण करना है तो जिला स्तर पर नियोजन को अपनाना होगा। जिसके फलस्वरूप योजना बनाने तथा लागू करने में भी सुगमता एवं सरलता होगी तथा योजना समस्या के अनुरूप बनाई जा सकेगी।
2. **स्थानीय क्षेत्र के विकास हेतु-** जैसा कि आपने पिछले बिंदु के द्वारा जाना कि भारत जैसे विशाल देश में, जो इतनी विविधता के लिए हैं, केंद्र द्वारा बनाई गई योजनाएं संपूर्ण क्षेत्र का विकास नहीं कर सकती, क्योंकि केंद्र द्वारा जो भी योजना बनाई जाती है उसको लागू करने में बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। केंद्र द्वारा बनाई गई योजना स्थानीय क्षेत्र के विकास हेतु अनेकों बार अपर्याप्त सी भी होती है। जिला नियोजन की व्यवस्था को अपनाने से ना केवल उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का विकास संभव है बल्कि उस समुचित स्थानीय क्षेत्र तथा पूरे देश का विकास भी संभव हो जाता है।
3. **समन्वित विकास कार्यों हेतु-** राज्य सरकार से नीचे के स्तर पर विकास से संबंधित कार्य विभिन्न विभागों के द्वारा संपादित किए जाते हैं। जिला और उप जिला स्तरों पर कुछ सार्वजनिक अभिकरण इन सब कार्यों का संपादन करते हैं, जिसके कारण विकास के सभी कार्य विभिन्न विभागों तथा अभिकरणों के मध्य बिखर जाते हैं। जिला एवं उप जिला स्तर पर विभिन्न सार्वजनिक अभिकरण और व्यक्तिगत प्रयासों को एक क्षेत्रीय योजना प्रारूप दिए जाने की आवश्यकता है। इस कारण यह अत्यधिक आवश्यक हो जाता है कि जिला स्तर पर भी एक नियोजन अभिकरण को स्थापित किया जाए जिससे योजना में समन्वय एवं एकरूपता स्थापित करके समन्वित विकास की ओर बढ़ा जा सके सके।
4. **स्थानीय नियोजन हेतु-** राज्य स्तर पर विकास से संबंधित योजना का निर्माण कर लिया जाता है परंतु निचले स्तर पर एक समन्वित, एकरूपता लिए हुए स्थानीय नियोजन हेतु भी जिला नियोजन की आवश्यकता होती है। योजना निर्माण का कार्य जब स्थानीय लोगों द्वारा संपन्न किया जाता है तो समस्याओं को बहुत अधिक व्यावहारिक ढंग से समझा जा सकता है। उसके लिए रणनीति व्यवहारिक तौर पर स्थानीय समर्थन से बनाई जा सकती है। केंद्र सरकार द्वारा तैयार की गई योजना में यह गुण विद्यमान नहीं होता है।
5. **स्थानीय संसाधनों के प्रभावी उपयोग हेतु-** भारत एक विविधता प्रधान देश है, जिसमें केंद्र राज्य और जिला सभी स्तरों की ना केवल आवश्यकताएं भिन्न होती हैं बल्कि उनकी समस्याएं भी भिन्न होती हैं। नियोजन की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण किए जाने के पीछे एक उद्देश्य यह भी होता है कि स्थानीय स्तर की

आवश्यकता और समस्याओं को समझ कर स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध संसाधनों का भी प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सके।

6. **प्रजातंत्र को मजबूत बनाने हेतु-** जिला एवं आधार स्तरीय नियोजन देश में लोकतंत्र को मजबूत बनाने की प्रक्रिया में भी बहुत महत्वपूर्ण एवं आवश्यक तत्व माना जाता है।
7. **महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में-** जिला स्तरीय नियोजन राष्ट्रीय नियोजन, राज्य नियोजन तथा क्षेत्रीय नियोजन के लिए प्रमुख एवं महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करता है। दूसरी तरफ यह परिवार, ग्राम तथा खंड स्तरीय योजनाओं को जोड़ने का कार्य भी करता है।
8. **सूचनाएं एवं आंकड़े एकत्रित करने हेतु-** विकेंद्रीकृत नियोजन में सूचनाएं एवं आंकड़े कम खर्च पर एकत्रित कर नियोजन को एक छोटे प्रबंध योग्य आकार में बदल दिया जाता है साथ ही इसके अंतर्गत क्षेत्रीय आवश्यकता एवं साधनों का भी ध्यान रखा जाता है।
9. **राज्य योजनाओं की कमी पूरा करने की आवश्यकता-** राज्य योजनाओं के द्वारा स्थानीय क्षेत्र की समस्याओं के समाधान और आवश्यकता की पूर्ति के संदर्भ में जो भी कमियां रह जाती हैं उन कमियों को जिला स्तर पर नियोजन के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है।

इस प्रकार जिला नियोजन की औचित्यता ना केवल जिले, राज्य एवं देश के विकास के लिए बल्कि इसके अलावा भी इसके औचित्य के कई और भी कारण हैं जिनका वर्णन उपरोक्त बिंदुओं के द्वारा दर्शाया गया है।

### 10.5 जिला नियोजन की विशेषताएं

भारत में जिला नियोजन की विशेषताओं को निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है-

1. जिला नियोजन विकेंद्रित नियोजन का ही स्वरूप है।
2. जिला नियोजन की आवश्यकता उस समय होती है जब देश में बहु स्तरीय आर्थिक नियोजन प्रणाली को अपनाया जाता है।
3. जिला नियोजन संपूर्ण राज्य की योजनाओं का ही अंग होता है।
4. जिला स्तरीय नियोजन के लिए एक जिले को नियोजन की एक इकाई के रूप में माना जाता है तथा जिले के आर्थिक विकास के लिए योजना बनाई जाती है।
5. जिला नियोजन में नगरीय एवं ग्रामीण संस्थाओं द्वारा निर्मित योजनाएं सम्मिलित होती हैं।
6. जिला नियोजन के लिए वित्तीय संसाधनों की प्राप्ति राज्य सरकार से होती है। तथा केंद्र पोषित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिए धनराशि भी राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त होती है।
7. जिला नियोजन के लिए नीति निर्धारण तथा मार्गदर्शन का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार के योजना विभाग के निर्देशानुसार जिला नियोजन किया जाता है।
8. जिला नियोजन में ग्रामीण विकास, कृषि, पशुपालन, डेयरी विकास, महिला व बाल विकास, शिक्षा प्रचार प्रसार, एवं साक्षरता, ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि के लिए विस्तृत कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं।

### 10.6 जिला योजना समिति

जैसा कि आपने अब तक के अध्ययन में जाना की, जिला नियोजन हेतु जिला नियोजन समितियों को स्थापित किए जाने को आवश्यक माना गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 243ZD में इन जिला आयोजन समितियों के बारे में प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद में जिला योजना के लिए समितियों के बारे में कुछ प्रावधान किए गए हैं जो निम्न प्रकार हैं-

1. प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर, जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन करने और संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए, एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा।  
राज्य का विधान मंडल, विधि द्वारा, निम्नलिखित की बाबत उपबंध कर सकेगा, अर्थात्,  
(क) जिला योजना समितियों की संरचना;  
(ख) वह रीति जिससे ऐसी समितियों में स्थान भरे जाएंगे। परंतु ऐसी समिति की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 4/5 सदस्य जिला स्तर पर पंचायत के और जिले में नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, अपने में से, जिले में ग्रामीण क्षेत्रों की और नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार निर्वाचित किए जाएंगे;  
(ग) जिला योजना से संबंधित ऐसे कृत्य जो ऐसी समितियों को संनुदिष्ट (निर्दिष्ट किया गया) किए जाए;  
(घ) वह तरीका, जिससे ऐसी समितियों के अध्यक्ष चुने जाएंगे।
2. प्रत्येक जिला योजना समिति, विकास योजना प्रारूप तैयार करने में-  
(क) निम्नलिखित का ध्यान रखेगी, अर्थात्, पंचायतों और नगर पालिकाओं के सामान्य हित के विषय, जिनके अंतर्गत स्थानीय योजना, जल तथा अन्य भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सा बटाना, अवसंरचना का एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण है; उपलब्ध द्वितीय तथा अन्य संसाधनों की मात्रा और प्रकार;  
(ख) ऐसी संस्थाओं और संगठनों से परामर्श करेगी जिन्हें राज्यपाल, आदेश द्वारा, निर्दिष्ट करें।
3. प्रत्येक जिला योजना समिति का अध्यक्ष, वह विकास योजना, जिसकी ऐसी समिति द्वारा सिफारिश की जाती है, राज्य सरकार को भेजेगा।  
पंचायतों तथा नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की जाने वाली योजनाओं को समेकित करने और पूरे जिले की विकास योजना की रूप-रेखा तैयार करने के लिए सरकार देश के सभी जिलों में एक जिला योजना समिति का निर्माण करती है। देश के सभी प्रदेशों में तथा सभी राज्यों के सभी जिलों में इसका गठन किया गया। इससे देश के सभी क्षेत्रों में विकास संबंधी कार्यों में तेजी देखने को मिली है।  
इस समिति के द्वारा ही जिले के संपूर्ण विकास की योजना तैयार की जाती है। जैसे जिले की स्कूल शिक्षा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ऊर्जा, अनुसूचित जाति व जनजाति व अन्य संबंधित सभी विभागों के अंतर्गत होने वाले कार्यों के लिए कार्य योजना बनाने में इस समिति के सदस्यों के विचारों को शामिल किया जाता है।

### 10.6.1 जिला योजना समिति का उद्देश्य

जिला योजना समिति के कार्यों को देखते हुए इसके मुख्य उद्देश्य भी कुछ इस प्रकार से बताए जा सकते हैं-

1. प्रत्येक वर्ष बजट के पहले बजट में शामिल करने हेतु कार्य योजना तैयार कर प्रस्ताव भेजना।
2. सभी विभागों के अंतर्गत महीनेवार अलग-अलग कार्यों की योजना बनाना।
3. योजना को प्रत्येक वर्ष सितम्बर, अक्टूबर तक तैयार करके बजट में शामिल करवाना।
4. क्षेत्रों के अनुसार कार्य में कितनी लागत लगानी है उस की योजना बनाना।
5. नई योजना तैयार करना भी समिति का मुख्य उद्देश्य है।

### 10.6.2 जिला नियोजन समिति की संरचना

जिला नियोजन समिति के 4/5 सदस्य जिला पंचायत एवं नगर निकाय के निर्वाचित सदस्यों में से ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर निर्वाचित होते हैं। समिति के 1/5 सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा नामित

क्रिया जाता है जिसमें से मंत्रिमंडल द्वारा नामित एक मंत्री इस समिति का अध्यक्ष होता है। उदाहरण के लिए उत्तराखंड में जिले के प्रभारी मंत्री को जिला नियोजन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है तथा जिलाधिकारी व जिला पंचायत अध्यक्ष को इसमें पदेन सदस्य रखा गया है। इनके साथ ही इसमें अन्य सदस्य भी होते हैं जिन्हें राज्य सरकार नामित करती है। समिति के सदस्यों के निर्वाचन का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। यदि समिति का कोई निर्वाचित सदस्य नगरपालिका या जिला पंचायत का सदस्य नहीं रह जाता है तो वह समिति का सदस्य नहीं रहेगा। जिले का मुख्य विकास अधिकारी समिति का पदेन सचिव होगा। यह समिति के अभिलेखों का अनुरक्षण करने, समिति की बैठकों का कार्यवृत्त तैयार करने तथा प्रासंगिक विषयों की सूचना देने के लिए उत्तरदाई होगा। सचिव समिति को अपने कृतियों के निर्वाहन हेतु आवश्यक सहायता भी उपलब्ध कराएगा। जिले का अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी समिति द्वारा निर्देशित नियमानुसार समिति की सहायता करने के लिए पदेन संयुक्त सचिव होगा। समिति अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उप समितियों का गठन भी कर सकती है।

मोटे तौर पर देश के विभिन्न राज्यों की जिला योजना समितियों का अध्ययन करने पर इसकी संरचना की निम्नलिखित चार प्रणालियां उभरकर सामने आती हैं-

1. मंत्री अध्यक्ष मॉडल- इसमें मंत्री जिला योजना समिति का अध्यक्ष: जैसे- महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार।
2. उपायुक्त/ जिलाधीश अध्यक्ष मॉडल- यह मॉडल असम, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक एवं नागालैंड में देखने को मिलता है।
3. गैर-सरकारी अध्यक्ष मॉडल- यह मॉडल मेघालय में अपनाया गया है।
4. विधायक अध्यक्ष मॉडल- यह मॉडल मध्य प्रदेश में लागू है।

### 10.6.3 जिला योजना समिति का अध्यक्ष

जिला परिषद का अध्यक्ष ही जिला योजना समिति का अध्यक्ष होता है। जिला परिषद के अध्यक्ष और जिला मुख्यालय वाले नगर निकाय- नगर परिषद, नगर पंचायत या नगर निगम के महापौर/ मुख्य पार्षद/ अध्यक्ष जिला योजना समिति के पदेन सदस्य होते हैं। अगर देखा जाए तो इसका मुख्य अध्यक्ष, जिला परिषद अध्यक्ष ही होता है, जिस की सहमति से ही कार्यों को आगे बढ़ाया जाता है।

### 10.6.4 जिला योजना समिति के कार्य

जिला योजना समिति के सदस्यों को जिले में बहुत से कार्य सौंपे गए हैं, इन सदस्यों द्वारा किए जाने वाले कार्य कुछ इस प्रकार से हैं-

1. जिले की जिला परिषद, पंचायत समिति ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों, नगर परिषदों और नगर निगम द्वारा तैयार की गई योजनाओं पर कार्य करना।
2. पूरे जिले के लिए विकास योजनाओं को तैयार करना।
3. ग्राम, खंड, शहर और जिला स्तर पर सुविधाओं को सूचीबद्ध करना।
4. ग्राम, शहर और जिले का मानचित्र तैयार करना।
5. उपलब्ध प्राकृतिक और मानव संसाधन के उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले के विकास के लिए नीतियों का गठन करना।
6. विभिन्न कार्यक्रमों और प्राथमिकताओं के संबंध में अनुशांसा करना।
7. जिले के लिए रोजगार योजना तैयार करना है इसके प्रमुख कार्य के अंतर्गत ही आता है।
8. मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता व संभावनाओं के बारे में चर्चा करके प्रस्ताव भेजना।

### 10.6.5 समिति की बैठक

समिति की बैठक 3 माह में कम से कम एक बार जिला मुख्यालय में आयोजित की जाएगी। बैठक की तिथि अध्यक्ष द्वारा तय की जाएगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में समिति का उपाध्यक्ष समिति की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में समिति नगरपालिका प्रमुख/अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा। समिति के और दोनों उपाध्यक्षों की अनुपस्थिति में समिति का ही ऐसा सदस्य जो बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों द्वारा चुना जाए, समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा। समिति में अगर किसी कारणवश किसी पद की रिक्ति विद्यमान होती है तो भी समिति की कार्यवाही विधिपूर्वक चलती रहेगी। समिति अपनी बैठकों में उपस्थित होने के लिए विशेषज्ञों को भी नियमानुसार आमंत्रित कर सकेगी।

### 10.6.6 समिति के स्थाई सदस्य

जिले के सभी सांसद एवं विधायक समिति के स्थाई आमंत्रित सदस्य होते हैं। राज्य की विधान परिषद के सदस्य जो ऐसे स्नातक या शिक्षक या स्थानीय निकाय के निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिले में समाविष्ट हैं समिति की बैठकों के स्थानीय आमंत्रित होंगे। राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित या राज्यपाल द्वारा नाम निर्दिष्ट राज्य की विधान परिषद के सदस्य अपने विकल्प के जिले की समिति की बैठकों के लिए स्थाई आमंत्रित होंगे। राज्यसभा के सदस्य भी जो राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिले की समिति की बैठकों के लिए स्थाई आमंत्रित होंगे। कोई भी स्थाई आमंत्रित समिति की किसी भी बैठक में उपस्थित होने के लिए अपनी ओर से अपने प्रतिनिधि का नाम निर्दिष्ट नहीं करेगा।

### 10.6.7 समिति के सदस्यों का निर्वाचन

राज्य निर्वाचन आयोग को नियमानुसार समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उस निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार होगा।

### 10.7 जिला नियोजन की प्रक्रिया

प्रतिवर्ष ग्राम पंचायतों द्वारा अपनी विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी। क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं को समेकित करते हुए क्षेत्र की विकास योजना तैयार की जाएगी। जिला पंचायत द्वारा क्षेत्र पंचायतों की विकास योजनाओं को समय किस करते हुए तैयार की गई विकास योजना को जिला योजना समिति को भेजा जाएगा। जनपद में स्थित नगरीय निकायों द्वारा विकास योजनाओं को तैयार कर सीधे जिला नियोजन समिति को भेजा जाएगा। जिला नियोजन समिति को पंचायतों एवं नगरीय निकायों से प्राप्त विकास योजनाओं पर समान रूप से विचार करने का अधिकार होगा। जिला योजना समिति का कार्य क्षेत्र, जिला पंचायत एवं जिला निकायों द्वारा तैयार की गई विकास योजनाओं पर, उनके पारस्परिक हित, विशेष रूप से क्षेत्रीय नियोजन, पानी एवं अन्य भौतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सेदारी, अवस्थापना एवं पर्यावरणीय एकीकृत विकास पर विचार करते हुए, जनपदों के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार कर राज्य सरकार को प्रेषित किया जाना है। राज्य योजना आयोग जिला योजना की तैयारी के लिए नियमानुसार अनुदेश और मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगा। राज्य सरकार, राज्य योजना आयोग की संस्तुति पर समिति द्वारा तैयार की गई जिला योजना को परिवर्तन सहित या बिना किसी परिवर्तन के अंतिम रूप देगी।

समिति के कार्य, उसकी शक्ति या अधिकार क्षेत्र के संबंध में अथवा अन्य भी किसी मामले के संबंध में कोई विवाद या प्रश्न उत्पन्न होता है तो ऐसे विवाद या प्रश्न को राज्य योजना आयोग को निर्देशित किया जाएगा जिसमें आयोग का निर्णय ही अंतिम होगा।



## 10.8 विकेंद्रीकृत नियोजन की समस्याएं

विकेंद्रीकृत नियोजन की निम्नांकित समस्याएं हैं-

1. ग्राम पंचायत का ग्राम सभा की बैठकों में नियोजन के बारे में जनता के विचार जानने का प्रावधान है, पर ग्राम सभा की बैठके समुचित ढंग से आयोजित नहीं की जाती हैं। कई मामलों में सिर्फ प्रस्ताव की प्रति पर हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं। पिछड़े एवं कमजोर वर्ग के लोगों को अपनी समस्याएं और जरूरतें बताने को बहुत कम अवसर मिलता है। इन बैठकों में सत्ताधारी दल के लोग अत्यधिक हावी रहते हैं और विपक्ष को अनसुना कर दिया जाता है।
2. यह भी पाया गया है कि, योजना के चयन में कमजोर वर्गों को प्राथमिकता देने के बजाय विभिन्न सांसदों में धनराशि का बंटवारा कर दिया जाता है।
3. कई मामलों में यह भी देखा गया है, कि नियोजन की गुणवत्ता बहुत कमजोर होती है। सिर्फ एक या दो सेक्टरों को ही महत्व दिया जाता है। ग्राम पंचायतें ढांचागत क्षेत्र को सर्वाधिक महत्व देती हैं और इसमें भी वे सड़कों की मरम्मत पर ज्यादा जोर देती हैं। इस प्रवृत्ति से स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास या सामाजिक कल्याण जैसे सेक्टर उपेक्षित रह जाते हैं।
4. जिला स्तर पर योजना निर्माण, क्रियान्वयन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन के लिए प्रशिक्षित तथा तकनीकी रूप से दक्ष कार्मिकों का सदैव अभाव रहा है। वास्तव में नियोजन कार्य सरल प्रकृति का नहीं है। योग्य तथा प्रतिबद्ध व्यक्तियों की कमी से जिला आयोजना सदैव ग्रस्त रही है। कई राज्यों में तो जिला आयोजना समितियां मात्र विभागों के जिलास्तरीय भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्यों का रिकॉर्ड भर ही रखती हैं। यह लक्ष्य भी विभिन्न विभागों के राज्य स्तरीय कार्यालय निश्चित करते हैं।
5. आर्थिक नियोजन की प्रकृति मूलतः केंद्रीकरण की ओर झुकी हुई मानी जाती है। भारत में भी केंद्रीय योजना आयोग ही सर्वे सर्वा की भूमिका निभाता रहा है। प्रश्न यह उठता है कि जब राज्य स्तरीय आयोजना तंत्र के पास ही पर्याप्त स्वतंत्रता तथा सुविधाएं नहीं हैं तो जिला स्तरीय आयोजना की कितनी प्रासंगिकता बचती है?
6. योजना निर्माण तथा क्रियान्वयन का कार्य संसाधनों की मांग करता है। भारत में पंचायती राज संस्थाएं वित्तीय संसाधनों की दृष्टि से सक्षम नहीं हैं। यदि योजना का निर्माण निचले स्तर पर हो तथा वित्तीय स्वीकृति उच्च स्तर से मिले तो तारतम्य में कमी आती है। स्पष्ट है दाता का स्वभाव शर्तें थोपने का होता है। जब तक जिला, खंड तथा ग्राम स्तरीय संस्थाएं स्वयं के वित्तीय स्रोत विकसित नहीं करेंगे तब तक योजना निर्माण तथा क्रियान्वयन का कार्य भी पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकेगा।
7. संसद, विधानसभा, पंचायती राज तथा नगरीय स्थानीय स्वशासन नामक कई स्तरों पर जन प्रतिनिधियों का निर्वाचन होता है। यह स्वभाविक है कि एक ही जिले में अलग-अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि निर्वाचित हो जाए। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण अक्सर बहुत सारे विकास कार्य ठप पड़ जाते हैं।
8. विकास प्रशासन की मूलभूत सफलता जन सहभागिता से जुड़ी है। विडंबना यह है कि भारतीय जन मानस लोक प्रशासन के कार्यक्रमों से स्वयं को आत्मीय रूप से जोड़ नहीं पाया है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए राजधानी की ओर भागने की प्रवृत्ति विकसित हो चुकी है। जन सहभागिता को लोकतंत्र तथा विकास का आधार माना जाता है लेकिन यह भारत में संभव नहीं हो पा रहा है।
9. नौकरशाही की समस्त व्याधियों से ग्रस्त भारतीय प्रशासनिक तंत्र अभी तक लोकतांत्रिक, विकास उन्मुख, प्रतिबद्ध तथा संवेदनशील तंत्र का स्वरूप धारण नहीं कर पाया है। विकास की डगर इन्हीं मूलभूत तत्वों की मांग करती है।

जिला नियोजन अभी भी वास्तविक नहीं बन सकी है। एक समस्या जिला स्तर पर अनुपयुक्त वित्तीय शक्तियों की है। यदि जिलों को उपयुक्त साधन उपलब्ध करा दिए जाएं तो वे अनुकूलतम आवंटन का निर्णय कर सकते हैं। जिलों को स्वतंत्र रूप से संसाधनों का आवंटन अल्प मात्रा में ही उपलब्ध है, क्योंकि अधिकांश नियोजित योजनाएं या तो केंद्र द्वारा प्रायोजित होती हैं या वे राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन के लिए भेजी जाते हैं। जिलों को नाम मात्र का राजस्व प्राप्त करने की शक्तियां प्राप्त हैं और उन्हें संसाधन उधार लेने की कोई शक्ति नहीं है। इसलिए, वित्तीय साधनों के अभाव में नियोजन का अर्थ ही नष्ट हो जाता है। एक दूसरी समस्या यह है कि अधिकांश राज्यों में जनता की आवश्यकताओं को समन्वित करने के लिए निर्वाचित जिला स्तरीय निकायों का अभाव है। विकेंद्रीकरण एवं पंचायती राज की प्रक्रिया ने आंशिक सफलता ही प्राप्त की है। लोकप्रिय पहल के अभाव में नियोजन घटकर केवल एक विभागीय योजनाओं के निरूपण, स्वीकृति तथा कार्यान्वयन तक ही सिमट गई है। जिला नियोजन के लिए लोकप्रिय, जागरूक एवं शक्तिशाली जिला परिषदों की आवश्यकता है। भारत में जिला योजना बहुत प्रणालीबद्ध नहीं है। अधिकांश राज्यों में तकनीकी योजना तंत्र निर्माण किया जाना जरूरी है। आज भी जिलों में विशुद्धतः तकनीकी कार्मिक उपलब्ध है, में मात्र 2 से 6 अधिकारी होते हैं और यह आवश्यक नहीं है कि वह बहु-विषयों से संबंधित हो। जिला योजना में अभी तक स्वीकृत रूप में विकेंद्रीकृत प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है।

### 10.9 निष्कर्ष

संक्षेप में भारत में जिला योजना अभी अपने शैशव काल में है और इसे ठोस आधार प्रदान करने की जरूरत होगी। राजनीतिक संकल्प और प्रतिबद्धता तथा योजना के लिए उपयुक्त तंत्र की स्थापना की आवश्यकता है। प्रत्येक जिले में जिला योजना निकाय की स्थापना की जानी चाहिए तथा योजना कार्यों का स्पष्ट सीमांकन भी किया जाना चाहिए। संपूर्ण योजना राशि में से उचित राशि का आवंटन और वित्तीय संसाधनों का हस्तांतरण भी उतना ही आवश्यक है जितना कि प्रशासनिक शक्तियों का प्रत्यायोजन है। योजना प्रक्रिया के सभी चरणों में जनता की सहभागिता निश्चित करना और कार्मिकों का प्रशिक्षण भी आवश्यक है।

अब क्योंकि जिला आयोजना समितियों को संवैधानिक स्तर प्राप्त है, अतः आशा की जा रही है कि अपेक्षित सुधार होगा।

#### अभ्यास प्रश्न-

1. भारत में विकेंद्रीकृत नियोजन का उल्लेख सबसे पहली बार कब किया गया था?
2. आठवीं योजना प्रारूप में विकेंद्रीकरण एवं योजना प्रक्रिया में किस बात पर बल दिया गया था?
3. जिला नियोजन समिति के कितने सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाता है?
4. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जिला आयोजन समितियों के बारे में प्रावधान किया गया है?
5. जिला आयोजन समिति के स्थाई आमंत्रित सदस्य कौन होते हैं?

### 10.10 सारांश

स्वतंत्रता के उपरांत भारत में नियोजन प्रक्रिया में भी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बल दिया गया अर्थात् योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में जनता की भागीदारी और संबद्धता को महत्वपूर्ण माना गया। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में राजनीतिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों के विकेंद्रीकरण की अवधारणा भी अंतर्निहित है। योजना प्रक्रिया को राज्य और जिला स्तरों पर भी लागू किया जाने का सुझाव आने के बाद भारत में विकेंद्रीकृत नियोजन का उल्लेख सबसे पहली बार पहली पंचवर्षीय योजना (1951-1956) में तब किया गया था, जब यह सुझाया गया था कि, योजना प्रक्रिया को राज्य और जिला स्तरों पर भी लागू किया

जाएगा। जिला नियोजन के संदर्भ में इतने सारे प्रयोगों के परिणाम स्वरूप वर्तमान में राज्य योजना आयोग प्रदेश की जिला समितियों के काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए समय-समय पर निर्देश जारी करता है। राज्य योजना आयोग इन जिला नियोजन समितियों को नियोजन संबंधित सभी प्रकार के सहयोग प्रदान करता है।

जिला स्तर पर जिला नियोजन की शीर्ष इकाई जिला योजना समिति है जो ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र की योजनाओं को समेकित कर संपूर्ण जिले के लिए जिला योजना तैयार करती है। ग्रामीण क्षेत्र की योजना तैयार करने की मुख्य जिम्मेदारी जिला पंचायत की होती है। जिला नियोजन हेतु जिला नियोजन समितियों को स्थापित किए जाने को आवश्यक माना गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-243ZD में इन जिला आयोजन समितियों के बारे में प्रावधान किया गया है।

### 10.11 शब्दावली

एकरूपता- किन्हीं दो वस्तुओं के सामान्य गुणों की तुलना। जिला आयोजन कक्ष- जिला योजनाओं के निर्माण, क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन हेतु उत्तरदायी इकाई। शस्य विज्ञानी- वह व्यक्ति जो फसल उत्पादन एवं मिट्टी प्रबन्ध की कृषि शाखा सम्बन्धी विशेषज्ञ हो। लम्बवत पदसोपन- सत्ता की संरचना जिसकी तुलना एक सीढ़ी के पायदानों की साथ की जा सकती है। जन सहभागिता- योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन में लोगों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करना।

### 10.12 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. पहली पंचवर्षीय योजना(1951-1956) में, 2. जन सहभागिता पर, 3. 1/5 सदस्यों को, 4. अनुच्छेद-243ZD में, 5. जिले के सभी सांसद एवं विधायक

### 10.13 सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. कटारिया, सुरेंद्र 2008, कार्मिक प्रशासन; आर. बी. एस. ए. पब्लिशर्स: जयपुर।
2. शर्मा, अनिल कुमार, 2006, लोक प्रशासन सिद्धांत एवं व्यवहार; ओमेगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
3. अवस्थी एवं अवस्थी, 2014, भारत में लोक प्रशासन; लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा।
4. अवस्थी एवं अवस्थी, 2016, भारतीय प्रशासन; लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा।
5. माहेश्वरी, श्रीराम, 2010, भारतीय प्रशासन; ओरियंट ब्लैकस्वान प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद।

### 10.14 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. राठौर, शर्मा, राठौड़, 2018, ग्रामीण- स्थानीय प्रशासन एवं ग्रामीण विकास; पंचशील प्रकाशन, जयपुर।
2. कटारिया, सुरेंद्र, 2009, भारतीय लोक प्रशासन; नेशनल पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, नई दिल्ली।

### 10.15 निबन्धात्मक प्रश्न

1. विकेंद्रीकृत नियोजन का अर्थ एवं अवधारणा की विस्तार से विवेचना कीजिए।
2. भारत में जिला नियोजन के इतिहास की विस्तार से चर्चा कीजिए।
3. जिला नियोजन समिति पर एक विस्तृत लेख लिखिए।
4. भारत में विकेंद्रीकृत नियोजन से संबंधित समस्याओं की विवेचना कीजिए।

## इकाई- 11 आधार स्तरीय नियोजन

### इकाई की संरचना

- 11.0 प्रस्तावना
- 11.1 इकाई का उद्देश्य
- 11.2 विकेंद्रीकृत नियोजन की अवधारणा
  - 11.2.1 विकेंद्रीकृत नियोजन के गुण
- 11.3 विकेंद्रीकृत नियोजन की भूमिका
- 11.4 पंचायती राज व्यवस्था एवं आधार स्तरीय नियोजन
- 11.5 पंचायती राज संस्थान द्वारा आधार स्तरीय योजना की प्रक्रिया
- 11.6 निष्कर्ष
- 11.7 सारांश
- 11.8 शब्दावली
- 11.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 11.10 सन्दर्भ ग्रंथ सूची
- 11.11 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 11.12 निबन्धात्मक प्रश्न

### 11.0 प्रस्तावना

भारत जैसे संघीय शासन प्रणाली वाले देश में जहां प्रदीप से और अंततः प्रादेशिक विषमता व्यापक स्तर पर पाई जाती है वहां प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत बहु स्तरीय नियोजन की प्रक्रिया का अपनाया जाना अत्यंत आवश्यक है। भारत में भौगोलिक, आर्थिक तथा सामाजिक विषमताओं के चलते केवल केंद्रीय स्तर पर नियोजन की प्रक्रिया को अपनाकर समस्त क्षेत्रों का समन्वित एवं संतुलित विकास नहीं किया जा सकता है। आधार स्तरीय नियोजन को नीचे से नियोजन की पद्धति के रूप में भी जाना जाता है। बीते कई वर्षों से इस बात का अनुभव किया गया है की योजना निर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभ सबसे छोटे स्तर अथवा इकाई से होना चाहिए और साथ ही छोटे- छोटे कार्यों की योजनाओं को जोड़कर बड़े स्तर की योजना बनाई जानी चाहिए। इस प्रकार की नियोजन व्यवस्था को विकेंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। विकेंद्रीकृत नियोजन की इसी व्यवस्था के संदर्भ में भारत में प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाया गया और इसके साथ ही अनेक ऐसे उपाय भी अपनाए गए जिनके द्वारा लक्षित जनसंख्या योजना प्रक्रिया में भाग ले सकें। आधार स्तरीय योजना में लोग स्वयं अपनी आवश्यकता और समस्याओं का प्राथमिकीकरण करते हैं एवं ग्राम तथा खंड के लिए विकास से संबंधित योजनाएं बनाते हैं। लोगों की सहभागिता का संस्था करण करने के लिए, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण 1992 में 73 और 74 वे संवैधानिक संशोधन के रूप में प्रभाव में आया। इस अधिनियम में पंचायती राज को संवैधानिक प्रतिष्ठा प्रदान की जिसके कारण पूर्व की व्यवस्था की बहुत सी कमियों को समाप्त किया जा सका।

### 11.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप-

- विकेंद्रीकृत नियोजन की अवधारणा गुण एवं भूमिका को समझ पाएंगे।
- पंचायती राज व्यवस्था एवं आधार स्तरीय नियोजन को विस्तार से जान पाएंगे।

- पंचायती राज संस्थान तथा आधार पर की योजना की प्रक्रिया को समझने में सहायता मिलेगी।

## 11.2 विकेंद्रीकृत नियोजन की अवधारणा

जैसा कि आपने पिछली इकाइयों में पढ़कर समझा होगा कि नियोजन की प्रक्रिया केवल केंद्र या राज्य स्तर पर ही संपन्न नहीं होती है अपितु उससे नीचे जिला स्तर पर भी संपन्न होती है। इसके आगे की अवधारणा अर्थात् और कौन से स्तरों पर नियोजन का कार्य संपन्न किया जाता है इसको समझने के लिए हम संक्षेप में विकेंद्रीकृत नियोजन की अवधारणा को समझते हैं। इसे समझने के बाद भी आधार स्तरीय नियोजन की अवधारणा को समझना आसान होगा।

स्वतंत्रता के बाद समय और परिस्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीकृत नियोजन की शुरुआत हुई। केंद्रीय कृत नियोजन की अवधारणा की सफलता और असफलता से हम सभी भलीभांति परिचित हैं। परंतु आज के इस बदलते परिवेश में विकेंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था को अपनाया जाना अत्यधिक आवश्यक महसूस होता है क्योंकि विकेंद्रीकरण में सत्ता का हस्तांतरण स्वाभाविक रूप से होता है। स्वतंत्रता पश्चात के इतने लंबे वर्षों के अनुभव के बाद इस सत्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि भारत में विकेंद्रीकृत नियोजन की आवश्यकता है। लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना के कारण बढ़ते हुए कार्यों के बोझ के उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के समक्ष स्थानीय स्तर पर सत्ता और उत्तरदायित्व का विकेंद्रीकरण (नियोजन के क्षेत्र में) करने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आज विकास के कार्यक्रमों से प्राप्त होने वाले लाभों में असमानता होने के कारण असंतोष की बढ़ती मांग के वातावरण में पंचायती राज संस्थाएं जो विकास कार्य में लगी हुई हैं, नियोजन प्रक्रिया को मजबूती प्रदान कर सकती हैं। नियोजन में जनता को सहभागी बनाकर ही निष्पादन के कार्य में कुशलता और निष्ठा प्राप्त की जा सकती है।

इतने लंबे काल के अनुभव और बदली हुई परिस्थिति के अनुरूप विकेंद्रीकृत नियोजन के महत्व को स्वीकार करते हुए उसका क्रियान्वयन करना भी अब प्रारंभ कर दिया गया है। विकेंद्रीकृत नियोजन का दार्शनिक आधार है ग्राम/ब्लॉक तथा जिला स्तर पर नियोजन बनाना और उसे लागू करना। भारत के संदर्भ में इसका अभिप्राय केंद्र सरकार और कुछ सीमा तक राज्य सरकारों को नियोजन के संबंध में अपने कुछ दायित्व को कम करते हुए स्थानीय संस्थाओं (पंचायती राज संस्थाओं) को सौंपना है। ऐसा करने से नियोजन की प्रक्रिया स्थानीय स्तर तक पहुंचेगी तथा स्थानीय जनता की सहभागिता नियोजन के क्षेत्र में भी प्राप्त की जा सकती है। इससे यह स्मरणीय है की स्थानीय संस्थाएं नियोजन बनाने का कार्य केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय नियोजन के उद्देश्य ढाँचों के अंतर्गत ही कर सकती हैं। विकेंद्रीकृत नियोजन में निर्णय लेने की शक्ति केंद्रीय सरकार में निहित होती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि विकेंद्रीकृत नियोजन में, नियोजन के कार्यों और सत्ता का हस्तांतरण है।

### 11.2.1 विकेंद्रीकृत नियोजन के गुण

आज के युग में विकेंद्रीकृत नियोजन की अवधारणा संपूर्ण विश्व में लोकप्रिय हो रही है। भारत में भी विशेष रूप से पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के बाद इस दिशा में उचित कदम उठाए गए हैं। विकेंद्रीकृत नियोजन में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं-

1. **कार्यकुशलता-** विकेंद्रीकृत नियोजन में स्थाई संसाधनों के उपयोग के कार्यों में कार्यकुशलता बढ़ती है। इस व्यवस्था में लालफीताशाही के दोष कम हो जाते हैं और कार्य में किसी प्रकार का विलंब भी नहीं होता है।
2. **जन सहभागिता-** विकेंद्रीकृत नियोजन की प्रक्रिया में स्थानीय जन सहभागिता में वृद्धि होती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत स्थानीय जनता अपने क्षेत्र के विकास संबंधी कार्यों में ना केवल रुचि लेती है, बल्कि

उन्हें पूर्ण करने में सहयोग भी प्रदान करती है। इस प्रकार की व्यवस्था के कारण आम जनता में इस प्रकार की भावना जागृत होती है कि यह कार्य भी उनका है और इस कार्य में हित भी उन्हीं का है। अतः स्थानीय जनता से अधिक से अधिक भागीदारी प्राप्त होती है। नियोजन की व्यवस्था में किसी भी योजना की सफलता के लिए यही सबसे अधिक महत्वपूर्ण पक्ष होता है। अतः निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि विकेंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था को अपनाने का सबसे बड़ा लाभ सरकारी योजनाओं में जन सहभागिता की प्राप्ति है।

3. **लोचशीलता-** विकेंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था को अपनाए जाने का एक और लाभ यह भी होता है कि नियोजन कार्यों के संबंध में निर्णय लेने की काफी सीमा तक स्वतंत्रता रहती है। स्थानीय संस्थाएं और अधिकारी जिन लोगों के लिए कार्य करते हैं वे लोग स्वयं उनके निकट होते हैं। यही कारण है कि वह अपनी आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुकूल नियोजन के लक्ष्य को प्राप्त करने में नवीन तरीकों को अपनाकर परिवर्तन भी कर सकते हैं। इस प्रकार स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार नियोजन में परिवर्तन करना अपेक्षाकृत सरल होता है।
4. **कार्य भार में कमी-** विकेंद्रीकृत नियोजन के अंतर्गत कार्य का हस्तांतरण स्थानीय क्षेत्र की संस्थाओं तक हो जाने के कारण केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही के कार्यों एवं उत्तरदायित्व में कमी आती है और उनका कार्य भार कम हो जाता है।

इस प्रकार यह बात स्पष्ट है कि विकेंद्रीकृत नियोजन की अवधारणा भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक और विकासशील देश में अत्यधिक आवश्यक भी है और फलदायक भी है।

### 11.3 विकेंद्रीकृत नियोजन की भूमिका

जैसा कि आपने पिछले अध्ययनों में पढ़ा कि भारतीय शासन व्यवस्था में विकेंद्रीकृत के बहुस्तरीय योजना (विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में) क्रमशः जिला स्तर, खंड स्तर तथा ग्राम स्तर पर उपस्थित होती है। देश में दिला आयोजन तंत्र विकेंद्रीकृत आयोजना का सर्वाधिक प्रचलित स्वरूप है। संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद- 243 ZD के अंतर्गत गठित जिला आयोजना समिति (DPC) सार्थक भूमिका निभाने लगी है। जिला चूँकि एक सर्वसुलभ एवं ऐतिहासिक रूप से एवं व्यावहारिक दृष्टि से उपयुक्त प्रशासनिक इकाई है। अतः जिले की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संदर्भों के अनुरूप भारतीय योजना निर्मित एवं क्रियान्वित की जा सकती है। विकेंद्रीकृत नियोजन के गुणों को तो हमने समझा परंतु फिर भी विकेंद्रीकृत नियोजन की आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय में भी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, जिसे निम्नांकित बिंदुओं के आधार पर विस्तार से समझा जा सकता है-

1. संविधान की 'ग्यारहवीं एवं बारहवीं अनुसूची' में वर्णित कार्य या विषय मुख्यतः आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय से ही संबंधित है। पंचायती राज संस्थाओं हेतु वर्णित 29 कार्यों तथा नगरीय स्वशासन संस्थाओं हेतु दिए गए कार्यों में निर्धनता उन्मूलन, सामाजिक सेवाओं तथा सामुदायिक विकास कार्यों की ही प्रमुखता है। अतः स्पष्ट है कि यदि स्थानीय स्तर पर व्यवहारिक योजना निर्मित एवं क्रियान्वित होगी तो सफलता की संभावना भी अधिक ही रहेगी।
2. विभिन्न प्रकार के संसाधनों का सर्वेक्षण तथा उनका अधिकतम सदुपयोग सुनिश्चित करना 'नियोजन तंत्र' का एक महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक उद्देश्य होता है। इसी क्रम में स्थानीय स्तर पर अभी कल्पित योजनाएं तथा संघार संसाधन गतिशीलन विकास मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं।



3. विकास कार्यक्रमों में सामुदायिक या जनसहभागिता को बढ़ाने हेतु यह माना जाता है कि योजनाओं का विकेंद्रीकृत स्वरूप अपनाया जाए। अर्थात् यदि स्वयं समुदाय द्वारा योजना निर्मित होगी तो उसका क्रियान्वयन भी बेहतर एवं प्रभावी ही होगा। ग्राम सभा का निर्णय राष्ट्रीय स्तर के योजना से संबंधित आयोग से अधिक प्रभावी माना जाता है।
4. 'सामाजिक अंकेक्षण' भी उन्हीं योजनाओं का अधिक सार्थक ढंग से हो सकता है जिनका निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन स्थानीय स्तर पर हो। ऐसा इसलिए क्योंकि सामाजिक अंकेक्षण के विश्लेषण एवं प्रक्रिया में कोई भी अधिकारी उत्तर दिशा-निर्देशों की दुहाई देकर बच नहीं सकता है।
5. चूँकि भारतीय समाज के प्रमुख सामाजिक समस्याएं, जैसे- बाल विवाह, मृत्यु भोज, अस्पृश्यता, पर्दा प्रथा तथा शोषण इत्यादि का सीधा संबंध सामाजिक तथा जातीय संरचना से ही है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि उनका समाधान भी स्थानीय स्तर पर चुनी गई सरकार के माध्यम से ही करवाया जाए।
6. सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक विकास के लिए निर्मित होने वाली राष्ट्रीय नीतियों, कानूनों तथा कार्यक्रमों का स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य योजनाओं से समेकन करने से अधिक फलदाई परिणाम प्राप्त होने की संभावना रहती है।
7. आर्थिक नियोजन की प्रकृति 'केंद्रीकृत' है जबकि स्थानीय स्वशासन का स्वरूप विकेंद्रीकरण को प्रदर्शित करता है। अतः आर्थिक नियोजन के सुफल पाने हेतु यह आवश्यक है कि नियोजन को भी विकेंद्रीकृत कर दिया जाए ताकि नियोजन एवं स्थानीय स्वशासन के मध्य कोई विरोधाभास दिखाई ना दे। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की पर्याय पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ही देश में गरीबी उन्मूलन एवं बेरोजगारी निवारण के क्रम में बहुत परिवर्तन आया है।

### 11.3 आधार स्तरीय नियोजन का अर्थ

जैसा कि आपने अब तक के विवरण से जाना, स्वतंत्रता के पश्चात आए परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप योजना की प्रक्रिया में भी बदलाव आया है। अब प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के विभिन्न उपाय अपनाए गए हैं, ताकि जनसंख्या का बड़ा भाग योजना की प्रक्रिया में भाग ले सकें। आधार स्तरीय योजना वह योजना होती है, जिसमें लोग स्वयं अपनी आवश्यकताओं और समस्याओं का प्राथमिकीकरण करते हैं और गांव तथा खंड के विकास के लिए योजनाएं बनाते हैं। लोगों की सहभागिता का अनुसरण करने के लिए प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण 1992 में 73 और 74वें संविधान संशोधन के रूप में प्रभाव में आया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, जिसके कारण पूर्व में उपस्थित व्यवस्था की बहुत सारी कमियों को समाप्त किया और इस नई व्यवस्था के कारण समाज के सभी वर्गों को उचित लाभ भी प्राप्त हुआ है। स्वतंत्र भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए समय-समय पर अनेकों प्रयास किए गए। इसी के तहत जब आजाद भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया गया तो उसमें एक विशेष कार्यक्रम- सामुदायिक विकास कार्यक्रम(CDP) की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के तहत कृषि विकास को अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया था। जनता की सहभागिता खंड स्तर संस्थाओं, ग्राम पंचायतों, ग्राम सभा आदि निम्न स्तर की संस्थाओं के माध्यम से जनता की सहभागिता प्राप्त करने का प्रयास किया गया। परंतु फिर भी सामुदायिक विकास कार्यक्रम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में आज सफल रहा इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि यह संस्थाएं जनता में सरकारी प्रयासों के प्रति जनता का अपनत्व या सहभागिता नहीं प्राप्त कर सका। आधार स्तर पर उपस्थित यह संस्थाएं बिना किसी वैधानिक समर्थन के वृहद रूप से स्वयंसेवी थीं। ग्रामीण विकास से संबंधित परियोजनाओं पर अत्यधिक मात्रा में धन खर्च करने के पश्चात भी अपेक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने में यह संस्थाएं असफल ही रही। योजना प्रक्रिया में स्वयं के विकास के लिए ग्रामीण लोगों का सम्मिलित होना अत्यधिक आवश्यक था। धरातल

पर स्थित जनसमूह के लिए कार्यक्रमों और नीतियों में उपस्थित कमियों को सुधारने के उद्देश्य से योजना निर्माण के प्रतिमान में भी बदलाव लाने की आवश्यकता थी और वह लाया भी गया। यही आधार पर यह योजना के अंतर्गत विषय वस्तु भी है।

आधार पर यह नियोजन को खंड और ग्राम के निम्न स्तरीय योजना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह एक ऐसा नियोजन है जहां लोग समाज के विभिन्न वर्गों से एकत्रित होते हैं और हस्तक्षेप के क्षेत्रों को वरीयता के आधार पर सूचीबद्ध भी करते हैं, उपलब्ध संसाधनों का आकलन करते हैं और उत्तरदायित्व को आपस में बैठकर अपने समुदाय के विकास के लिए योजनाओं को बनाते हैं, क्रियान्वित करते हैं और उनका निरीक्षण भी करते हैं। आधार स्तर की विशेषता होती है कि, वहां पर भी अन्य स्तरों की भांति सूचनाओं और संसाधनों के प्रवाह की एक श्रृंखला होती है। सूचनाओं और संसाधनों का यह प्रवाह केंद्र से राज्य, राज्य से जिला, जिला से खंड और खंड से ग्राम की तरफ होता है। चूंकि आधार स्तरीय नियोजन एक विकेंद्रीकृत योजना है। अतः इसमें आधार पर पर लोग ना केवल अपने समुदाय के लिए योजना बनाने के लिए अधिकृत होते हैं, बल्कि उन्हें संसाधनों को प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल करने और पूरी प्रक्रिया का निरीक्षण करने का भी अधिकार प्राप्त होता है। केंद्र से राज्यों में, राज्यों से जिलों और जिलों से गांव के अंदर के क्षेत्रों में शक्तियों का विकेंद्रीकरण योजना की केंद्रीकृत व्यवस्था को पुनर्गठित करने का सबसे बेहतर उपाय है। नियोजन की केंद्रीकृत व्यवस्था से आम जनता उन सरकारी योजनाओं के प्रति भी आश्रित एवं उदासीन बन जाती है जो उन्हीं के कल्याण एवं विकास के लिए बनाई जाती हैं। वही विकेंद्रीकरण लोगों को समर्थन, लोगों की सहभागिता को बढ़ाने एवं उनके कार्य कुशलता में वृद्धि जैसे उपयोगी परिणाम देता है। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था के अंतर्गत जिसमें ग्रामीण स्तर पर उपस्थित इकाइयां पंचायती राज के नाम से जानी जाती है, ग्रामीण लोग ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव करते हैं और यह निर्वाचित सदस्य उस ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदाई होते हैं। ग्राम पंचायत के अतिरिक्त ग्राम सभा जैसा संगठन भी प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण होता है। ग्राम सभा के द्वारा ही उस ग्राम के विभिन्न सदस्य ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यक्रमों को निर्मित करने, उन पर नजर रखने तथा उनका निरीक्षण और मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में भी भाग लेते हैं और इस प्रकार प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता यही बन जाती है कि इसके तहत योजना निर्माण और क्रियान्वयन की पूरी प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों का समर्थन और सहयोग शामिल होता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की विफलता का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि इसमें समाज के कमजोर वर्ग के लोग निर्णय निर्माण प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हुए थे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम उन लोगों में वह रुचि जागृत नहीं कर सका था। आधार स्तरीय योजना का तंत्र विकसित होने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी बन गया था कि इसके द्वारा इन सभी अपेक्षित और कमजोर वर्ग के लोगों को भी योजना का एक अंग बनने का कानूनी अधिकार प्रदान किया गया।

#### 11.4 पंचायती राज व्यवस्था एवं आधार स्तरीय नियोजन

आज इस बात को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है कि स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही किए जाने की आवश्यकता है। केंद्र या राज्य की नहीं अपितु एक संपूर्ण जिले के लिए भी एक ही नीति कारगर हो यह आवश्यक नहीं है। विभिन्न परीक्षाओं का अवलोकन करके इस बात को और भली-भांति समझा जाता है। जैसा कि आपने उपरोक्त वर्णन में जाना होगा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952) ग्रामीण समुदाय के सामाजिक और आर्थिक जीवन को बदलने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। परंतु यह कार्यक्रम लोगों लोकप्रिय नहीं हो सका और ना ही प्रभाव से जन सहभागिता को प्राप्त कर पाया। जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम की आलोचना होने लगी और भारतीय संसद में भी इस पर चर्चा हुई कि, यह अपने तो सरकार ने इस

व्यवस्था में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाना तय किया तथा योजना आयोग की आयोजन-परियोजना समिति ने जनवरी 1957 में सामुदायिक परियोजनाओं तथा प्रसार सेवा के अध्ययन हेतु बलवंत राय गोपाल राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की। इस समिति को बलवंत राय मेहता समिति के नाम से जाना जाता है। इस मेहता समिति ने भारत के विभिन्न राज्यों के चुने हुए विकास खंडों का निरीक्षण किया तथा विकास खंडों में कार्यरत व्यक्ति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित थे उनसे विचार-विमर्श तथा वार्ता भी की। तत्पश्चात बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का सुझाव दिया। समिति द्वारा सुझाए गए त्रिस्तरीय ढांचे के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद जैसी संस्थाओं की स्थापना करना था। इस समिति का यह मानना था कि ग्रामीण क्षेत्रों के पूर्ण विकास के लिए पंचायती राज प्रणाली को लागू किया जाना चाहिए। और इस प्रणाली के अंतर्गत इन क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा प्रजातांत्रिक प्रणाली अनुसार निर्वाचित संस्थाएं स्थापित की जाए जो क्षेत्र की जनता के प्रति उत्तरदाई हो। इस प्रकार समिति ने अपनी इस त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत राज्य से नीचे के स्तरों पर शक्ति तथा उत्तरदायित्व का विकेंद्रीकरण कर दिए जाने की सिफारिश की थी। और राज्य से नीचे के स्तरों पर उत्तरदायित्व तथा शक्ति का विकेंद्रीकरण किए जाने का सुझाव दिया। पंचायती राज की यही अवधारणा प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण कहलाने लगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को अपने क्षेत्र के लिए विकास की योजनाओं को बनाने और उन्हें लागू करने की शक्ति प्राप्त हो गई। अनेक राज्यों में इस कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार किया परंतु इन सभी राज्यों में भी पंचायती राज व्यवस्था एक समान नहीं थी। यहां पदाधिकारियों और राज्य स्तर के राजनीतिज्ञों के बीच इस व्यवस्था के प्रति उदासीनता थी। पंचायत के सदस्यों की शक्तियां भी सीमित थी। इन संस्थाओं को अकारण ही भंग कर दिया जाता था और चुनाव भी बहुत अनियमित थे। इसी सब के परिणाम स्वरूप 1965 के पश्चात पंचायती राज व्यवस्था लुप्त प्राय होने लगी। 1977 से 1988 के बीच कई समितियां और उप समितियां पंचायती राज संस्थाओं की जांच पड़ताल करने, इनकी कमजोरियों का पता लगाने और इन्हें प्रभावशाली बनाने के लिए सलाह देने हेतु निर्मित की गई। अशोक मेहता समिति(1977), जी.वी.के. राव समिति(1985), एल. एम. सिंघवी समिति(1986), आदि कई ऐसी समितियां बनी जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया और कुछ सुझाव भी दिए। इन सभी समितियों के द्वारा सुझाए गए पंचायती राज व्यवस्था के प्रस्तावित रूप और गठन में बहुत अंतर था। परंतु इन सभी समितियों ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की सिफारिश तथा 5 वर्षों की निश्चित अवधि और अनुसूचित जाति/जन जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था के बारे में अवश्य रूप से सुझाव दिया था।

इस प्रकार इतनी सारी समितियों की सिफारिशों के बाद 24 अप्रैल 1993 को 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियमके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों उत्तरदायित्व और वित्त को संवैधानिक मंजूरी प्रदान की गई। इसमें कोई संख्या नहीं है कि पंचायती राज की संस्था संवैधानिक संशोधन से पूर्व भी अस्तित्व में थी परंतु महत्वपूर्ण यह था कि तब उनके पास निर्णय लेने की वास्तविक शक्ति अधिकार नहीं था और ना ही अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए कोई वित्तीय अथवा वैधानिक अधिकार नहीं थे। इस अधिनियम ने पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को अधिक वृहद भूमिका निभाने हेतु अधिकारों एवं उत्तरदायित्व की व्यवस्था की है। अब पंचायत संस्थाओं के पास कार्यकारी, नियामक, प्रशासकीय और विकास संबंधी कार्यों की शक्तियां विद्यमान है। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा एक ऐसी अनिवार्य व्यवस्था जिसने नए पंचायती राज प्रशासन के ढांचे को आधार दिया है वह है- ग्राम सभा की स्थापना, जिसमें गांव के सभी मतदाता शामिल होते हैं। ग्राम सभा में उस ग्राम पंचायत क्षेत्र के, सभी वयस्क सदस्य जो मतदाता होते हैं स्वतः ही सदस्य बन जाते हैं। उस क्षेत्र का प्रत्येक वयस्क नागरिक ग्राम सभा के माध्यम से नीचे के स्तर की योजना में भाग ले सकता है। ग्राम सभा को योजना में भाग लेने का, क्रियाकलापों का निरीक्षण करने के साथ-साथ अपने क्षेत्र में कार्यान्वित कार्यक्रमों के

वित्तीय स्थिति के निरीक्षण का भी अधिकार प्राप्त होता है। ग्राम पंचायत अपने सारे कार्यकलापों के लिए ग्रामसभा के प्रति उत्तरदाई होती है। निम्न स्तरीय पंचायत की कार्यवाही यों के ऊपर ग्रामसभा एक सजग प्रहरी की तरह नजर रखती है।

### 11.5 पंचायती राज संस्थान द्वारा आधार स्तरीय योजना की प्रक्रिया

अब तक आपने आधार स्तर की योजनाओं की ढांचागत व्यवस्था के तौर पर पंचायती राज संस्थाओं के बारे में जाना और समझा। अब इसके बाद आइए इस तरह की योजना की प्रक्रिया को भी समझते हैं। पंचायती राज व्यवस्था की आधारभूत इकाई ग्राम पंचायत के सदस्य अपनी बैठक के नियमित रूप से आयोजित करते हैं। इन बैठकों की आवृत्ति के बारे में संबंधित राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों में स्पष्ट रूप से वर्णन किया जाता है। प्रत्येक राज्य में यह अलग-अलग होती है, परंतु औसतन महीने में एक बार ग्राम पंचायत की बैठक अवश्य होती है। ग्राम पंचायतों की बैठक में जो कि या तो पंचायत भवन में या उस पंचायत सर्किल के किसी भी गांव के किसी मुख्य स्थान पर आयोजित होती है। बैठक की गणपूर्ति के रूप में दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य, विभिन्न समितियों के द्वारा विकास के कार्यों की योजना बनाने एवं उसे क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व आपस में उसी प्रकार से बांट लेते हैं जिस प्रकार से संबंधित पंचायती राज अधिनियम में उल्लेखित होता है। ठीक इसी प्रकार से खंड स्तर के साथ-साथ जिला स्तर पर भी बैठक आयोजित की जाती हैं, विभिन्न विषयों पर निर्णय लिए जाते हैं। यहां ध्यान रखने योग्य बात यह है कि बैठकों में लिए जाने वाले निर्णय तभी मान्य होते हैं जब उस बैठक की गणपूर्ति पूरी हुई होती है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो बैठक पुनः बुलाई जाती है और बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। पंचायती राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय संस्थाओं के अतिरिक्त ग्राम सभा की भूमिका भी इस संबंध में बहुत महत्वपूर्ण होती है। ग्राम सभा गांव के विकास की परियोजना/कार्यक्रम बनाने में सहायता करती है कार्यक्रम बनाने में सहायता करती है और ऐसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण भी करती है। ग्राम सभा को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह ग्राम पंचायत के क्रियाकलापों का निरीक्षण कर सकती है। यह गांव के विकास से संबंधित कार्यक्रमों की प्रगति का मूल्यांकन भी करती है। ग्राम पंचायत को ग्राम सभा के सामने वर्तमान और प्रस्तावित परियोजनाओं की प्रगति का विवरण रखना आवश्यक होता है। निर्वाचक ओं की यह सभा ग्राम सभा वर्तमान और प्रस्तावित वर्ष के लिए किए गए व्यय का आंकलन करती है। वार्षिक हिसाब किताब और पूर्ववर्ती वर्ष के प्रशासकीय विवरण की जांच-पड़ताल भी करती है। यदि किसी भी परिस्थिति में ग्राम सभा का कोई निर्णय लागू नहीं हो पाया होता है तो ऐसी स्थिति में सभापति अथवा सरपंच ग्राम सभा के समक्ष इसका कारण का विवरण देने के लिए बाध्य होता है। ग्राम पंचायत, खंड पंचायत और जिला पंचायत ग्राम सभा के सुझावों को पर्याप्त महत्व देती है। ऐसा करना उनके लिए आवश्यक भी है क्योंकि इसका वर्णन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में बताया गया है। ग्रामसभा को इसके अतिरिक्त यह भी अधिकार है कि वह किसी भी विषय अथवा कार्यक्रम की विस्तार से चर्चा करने के लिए और अपने निर्णय और योजनाओं के प्रभावशाली कार्यान्वयन एवं अपने अधिकारों एवं उत्तरदायित्व की सहायता के लिए, सामान्य अथवा विशिष्ट उप समितियों की नियुक्ति, निर्वाचन या उनका संगठन भी कर सकती है।

### 11.6 निष्कर्ष

आधार स्तरीय नियोजन को प्रोत्साहित करने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं पंचायतीराज संस्थाओं के उद्देश्यों की विवेचना करने के पश्चात यह बात स्पष्ट है कि यद्यपि आधार स्तरीय नियोजन के लिए यह महत्वपूर्ण संस्थाएं स्थापित की गई हैं, परंतु फिर भी विकेंद्रीकृत नियोजन व्यवहार में परिणित नहीं हो सका है बल्कि धीरे-धीरे इसका पतन ही हो रहा है। इसके कारणों का विश्लेषण भी किया जाना चाहिए।

**अभ्यास प्रश्न-**

1. विकेंद्रीकृत नियोजन का प्रमुख उद्देश्य क्या था?
2. विकेंद्रीकृत नियोजन के कोई दो गुण बताइए।
3. सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी?
4. बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना कब हुई?
5. पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मंजूरी कब प्राप्त हुई?

**11.7 सारांश**

73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण है। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के माध्यम से नीचे से ऊपर की योजना की आवश्यकता को समझा गया है। आधार पर योजना में लोगों की सहभागिता को संस्थागत करने के लिए, ही 1992 में 73वें व 74 वे संवैधानिक संशोधन किए गए थे। ग्राम सभा नई पंचायती राज व्यवस्था का अत्यधिक आवश्यक एवं क्रियाशील घटक है। ग्रामसभा के माध्यम से आम व्यक्ति भी अपने समुदाय की योजना प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सकता है। साथ ही ग्राम सभा उत्तर दायित्व एवं पारदर्शिता को सुमित भी करती है। ग्राम पंचायत की संस्थाओं को सामाजिक आर्थिक विकास क्षेत्र की विशेष समस्याओं और आवश्यकताओं को समझने और समझने में ग्राम सभा की सलाह देनी आवश्यक है। ग्रामसभा की सलाह से ही पंचायत अपने क्षेत्र कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं की योजना बनाने एवं लागू करने का काम करती है।

**11.8 शब्दावली**

समेकन- मिलकर एक हो जाना।

सामाजिक अंकेक्षण- सामाजिक अंकेक्षण या सोशल ऑडिट एक विधिक रूप से अनिवार्य प्रक्रिया है, जहाँ संभावित तथा विधिक लाभार्थी किसी कार्यक्रम के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करते हैं तथा इस प्रयोजनार्थ आधिकारिक रिकॉर्ड से जमीनी वास्तविकता की तुलना की जाती है।

**11.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर**

1. जन सहभागिता, 2. कार्य कुशलता और जन सहभागिता, 3.1952, 4.1957, 5. 24 अप्रैल,1993

**11.10 सन्दर्भ ग्रंथ सूची**

1. कटारिया, सुरेंद्र 2008, कार्मिक प्रशासन; आर. बी. एस. ए. पब्लिशर्स: जयपुर।
2. शर्मा, अनिल कुमार, 2006, लोक प्रशासन सिद्धांत एवं व्यवहार; ओमेगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
3. अवस्थी एवं अवस्थी, 2014, भारत में लोक प्रशासन; लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा।
4. अवस्थी एवं अवस्थी, 2016, भारतीय प्रशासन; लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा।

**11.11 सहायक/ उपयोगी पाठ्य सामग्री**

1. शर्मा, के. के. 2007, भारत में पंचायती राज्य; कॉलेज बुक डिपो, नई दिल्ली।
2. अवस्थी, माहेश्वरी, 2002, भारत में पंचायती राज, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा।
3. कटारिया, सुरेंद्र, 2005, भारतीय लोक प्रशासन, नेशनल पब्लिकेशन हाउस, जयपुर।

---

11.12 निबन्धात्मक प्रश्न

---

1. आधार स्तरीय नियोजन की विस्तार से विवेचना कीजिए।
2. विकेंद्रीकृत नियोजन के गुणों को विस्तार से समझाइए।
3. आधार पर यह योजना एवं पंचायतीराज संस्थाओं पर एक विस्तृत लेख लिखिए।



## इकाई- 12 अधिकारीतंत्र (नौकरशाही) की भूमिका

### इकाई की संरचना

- 12.0 प्रस्तावना
- 12.1 उद्देश्य
- 12.2 नौकरशाही: पृष्ठभूमि
- 12.3 अधिकारीतंत्र: अर्थ
- 12.4 नौकरशाही के लक्षण
- 12.5 नौकरशाही की भूमिका
  - 12.5.1 परामर्श
  - 12.5.2 कार्यक्रम तथा करणीय योजना
  - 12.5.3 उत्पादन
  - 12.5.4 विद्यायनी एवं न्यायिक शक्तियाँ
  - 12.5.5 संगठन तथा विधियाँ
- 12.6 प्रशासनिक चिन्तक और नौकरशाही की भूमिका
- 12.7 मैक्स वेबर और नौकरशाही
- 12.8 नौकरशाही और मार्क्स
- 12.9 हीगेल और नौकरशाही
- 12.10 डाउन्स और नौकरशाही
- 12.11 समालोचना
- 12.12 सारांश
- 12.13 शब्दावली
- 12.14 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 12.15 सन्दर्भ ग्रंथ सूची
- 12.16. सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 12.17. निबन्धात्मक प्रश्न

### 12.0 प्रस्तावना

नौकरशाही या अधिकारीतंत्र आधुनिक लोकतांत्रिक समाज की एक महत्वपूर्ण और अपरिहार्य संस्था है। यह लोक प्रशासन का सार और शासन का आधार है। नौकरशाही को अक्सर उसकी नकारात्मक भूमिका के कारण घृणा की नज़र से भी देखा जाता है, लेकिन उसके औचित्य से इन्कार भी नहीं किया जा सकता। नौकरशाह अथवा सेवी वर्ग अपनी योग्यता, दक्षता, प्रशिक्षण, ज्ञान और अनुभव के आधार पर लोक प्रशासन की बागडोर संभालता है और जन-कल्याण के लिए निति-निर्माण की प्रक्रिया से लेकर विधिक एवं स्वीकृत नीतियों के कार्यान्वयन तक अपनी अहम भूमिका अदा करता है राजनीतिक नेतृत्व जो चुनाव के दौरान जनता से वायदे करता है, सत्ता प्राप्ति के बाद उनको निभाने के लिए पूरी तरह से सेवी गर्व पर निर्भर रहता है, क्योंकि नीतियों के निर्माण और उनके क्रियान्वयन का आदि और अन्त वही है।

### 12.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप-

- नौकरशाही अथवा अधिकारी की आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में भूमिका को समझ पायेंगे।
- नौकरशाही का अर्थ और उसके विशिष्ट लक्षण क्या हैं? इसे जान पायेंगे।
- नौकरशाही के कार्य क्या हैं? जिनको वह अपनी भूमिका में अंजाम देती है, को समझ पायेंगे।
- वास्तव में शासन और प्रशासन में नौकरशाही की भूमिका है क्या? इसे जान पायेंगे।
- प्रशासनिक चिन्तकों ने नौकरशाही की विवेचना किस प्रकार की है, उनका नकारात्मक और सकारात्मक दृष्टिकोण क्या है? इस पर समझ पैदा कर पायेंगे।

## 12.2 नौकरशाही: पृष्ठभूमि

अधिकारीतंत्र अथवा नौकरशाही की भूमिका को समझने से पूर्व नौकरशाही का अर्थ, उसका स्वरूप और उसके चरित्र को समझना होगा। इस सम्बन्ध में हमें तीन मुख्य चिन्तकों का अध्ययन करना होगा: (1) मैक्स वेबर, (2) कार्ल मार्क्स, तथा (3) एन्थनी डाउन्स। इन चिन्तकों पर विचार करने से पूर्व, यह याद रखना होगा कि डी0गोरने वह पहला फ्रांसीसी अर्थशास्त्री था जिसने शब्द 'ब्योरियोक्रेसी' ठनतमनबतंबल का 18वीं सदी के उत्तार्द्ध में प्रयोग किया। ब्रिटेन में यह शब्द उन्नीस वीं सदी में जे0एस0 मिल ने अपने लेखों में प्रयोग किया तथा उसके बाद मोसका और मिशेल ने इस विषय पर लिखना आरम्भ किया। लेकिन अधिकारीतंत्र या 'ब्योरियोक्रेसी' के विषय को एक क्रमबद्ध सिद्धान्त का रूप देने का श्रेय केवल जर्मन अर्थशास्त्री, राजनीतिशास्त्री एवं समाजशास्त्री मैक्स वेबर (1864-1920) को कुछ इस तरह जाता है कि उसके नाम को नौकरशाही का पर्यायवाची तथा उसके सिद्धान्त को वेबोरियन मॉडेल कहा जाता है।

यह कहना अनुचित होगा कि अधिकारीतंत्र एक आधुनिक अवधारणा है। वास्तव में ईसा से छः सौ वर्ष पूर्व चीनी चिन्तक कन्फ्यूशियस ने चीनी साम्राज्य के सफल संचालन के लिए एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था की वकालत की थी जो कुशाग्र सलाहकारों और कुशल लोक अधिकारियों पर आधारित हो। ऐसी ही सिफारिश कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में की थी। 'अर्थशास्त्र' वास्तव में लोक प्रशासन पर एक महान ग्रन्थ माना जाता है।

## 12.3 अधिकारीतंत्र: अर्थ

यदि शब्द 'अधिकारीतंत्र' का प्रयोग किया जाये तो उसका सीधा अर्थ होगा: अधिकारियों का शासन और यदि 'नौकरशाही' शब्द का प्रयोग किया तो इसका अर्थ होगा सरकारी नौकर जिनकी मानसिकता शाहों जैसी है। अपने दोनों अर्थों में यह शब्द बदनाम और अप्रिय है तथा लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य की भावना के विपरीत है। ब्राउन ने ठीक ही कहा है कि "एक कल्याणकारी राज्य में प्रजातंत्र एक धोखा है, वास्तव में नौकरशाही ही शासन करती है।"

'Bureaucracy'(नौकरशाही) शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द 'Bureau' (ब्योरियो) से बना है, जिसका अर्थ है "डेस्क" या "लिखने की मेज" या फिर "एक छोटा कमरा" जिसे दफ्तर कहते हैं। अतः वह कमरा जिसमें बैठकर अधिकारी प्रशासन चलाये उसे नौकरशाही कहा जायेगा। नौकरशाही का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है- व्यापक अर्थ में नौकरशाही से तात्पर्य अधिकारी वर्ग के ऐसे समूह से है जिसका उद्देश्य प्रशासन चलाना होता है और जहाँ प्रशासनिक अधिकारियों का वर्गीकरण होता है। इस वर्गीकरण का आधार प्रशासनिक कार्य होते हैं। संगठन में पद सोपनीय व्यवस्था होती है, जिसके आधार पर विभागों अथवा ब्योरोज का निर्माण होता है। सीमित अर्थ में नौकरशाही कर्मचारियों का वह समूह है जिसका संगठन पद सोपान के सिद्धान्त के अनुसार होता है और जो प्रभावशाली सार्वजनिक नियंत्रण से मुक्त है। नौकरशाही की खास विशेषता यह है कि यहाँ कर्मचारी नियमों का

अक्षरशः पालन करते हैं, भले ही परिस्थितियाँ कुछ भी हों और उनकी मांग कुछ भी हो। वे अपने विचारों, भावनाओं और निर्णयों को ठीक समझते हैं। नौकरशाही के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलू हैं-

- लास्की ने लिखा: नौकरशाही वह प्रणाली है जिसके अन्तर्गत अधिकारियों के हाथों में नियंत्रण इस सीमा तक होता है कि सामान्य नागरिकों की स्वतन्त्रताएं संकट में पड़ जाती हैं। यह नौकरशाही का नकारात्मक पहलू है।
- लेकिन लार्ड एक्टन ने लिखा: “नौकरशाह वह व्यक्ति है जो अपने अनुभव, ज्ञान तथा उत्तरदायित्व के लिए प्रसिद्ध है।” यह नौकरशाही का सकारात्मक पहलू है।

संक्षेप में नौकरशाही प्रशासन का सार है, संगठन का विशेष रूप है, व्यापक शासकीय व्यवस्था है, एक मानसिकता है इसलिए निरंकुश है। यह दूषित शासन व्यवस्था है और व्यक्ति की स्वतन्त्रता की विरोधी है।

## 12.4 नौकरशाही के लक्षण

भले ही नौकरशाही शब्द की खिल्ली उड़ाई जाती हो या उसको एक दूषित और घृणित संस्था माना जाता हो तथा उसको लाल फ्रीताशाही, दफ्तरपन, भ्रष्टाचार, अकुशलता, अपठनीयता, नीरसता तथा निरंकुशता का पर्यायवाची माना जाता हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि वह अपने अतीत या वर्तमान में एक अपरिहार्य प्रशासनिक संस्था रही है, आज भी है, और रहेगी भी

यहाँ यह याद रखना चाहिए कि नौकरशाही तो एक हास्यपद शब्द है लेकिन अपने सकारात्मक अर्थ में नौकरशाही को लोक सेवा या सिविल सेवा और नौकरशाहों को लोक सेवक या सिविल सर्वेन्ट (Civil Servantes) कहना सभ्यता और संस्कृति का पर्यायवाची है। इसी आधार पर नौकरशाही या सिविल सेवा के लक्षण सामने आते हैं जो मैक्स वेबर, फ्रीडरिच तथा एन्थानी डाउन्स के लेखों से स्पष्ट होते हैं, जो इस प्रकार हैं- 1. कार्यों का निश्चित बटवारा होना। 2. आदेश जारी करने की सत्ता का स्थायी विभाजन होना। 3. निर्धारित योग्यता के आधार पर नियुक्तियाँ। 4. संगठन का आधार पद सोपान। 5. अनुशासित प्रशासनिक आचरण। 6. संगठन के स्पष्ट उद्देश्य। 7. शासन की नीतियों एवं निर्णयों का क्रयान्वयन, अनुसरण एवं पालन। 8. प्रशासन में निरन्तरता, एकता एवं दृढ़ता। 9. प्रशासन का आधार नीतियों के साथ विवेक और औचित्य। तथा 10. सिद्धान्त और व्यवहार में एक बड़ा अन्तर।

हरमन फ्राइनर ने अधिकारीतंत्र अथवा सिविल सेवा की जो परिभाषा दी है वह भी सिविल सेवा के लक्षणों को इंगित करती है। उसके अनुसार सिविल सेवा “एक व्यावसायिक, स्थायी, वेतनभोगी तथा निपुण कर्मचारियों द्वारा निर्मित संगठन है।” इस परिभाषा से अधिकारीतंत्र के चार लक्षण सामने आते हैं-

1. **व्यावसायिकता-** अधिकारीतंत्र या सिविल सेवा प्रशिक्षित, निपुण, योग्य एवं दक्ष अधिकारियों की एक व्यावसायिक श्रेणी है। प्रशासन चलाना इनका व्यावसायिक श्रेणी है। प्रशासन चलाना इनका व्यवसाय है। इस व्यवसाय का अर्थ व्यापार या कामगारी से नहीं है। यहाँ उद्देश्य है शासन की निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में सहयोग देना, उनको कानूनी रूप देना और उनका उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्रयान्वयन करना।
2. **पद सोपानीयता-** इसका अर्थ यह है कि शासन में प्रशासकों का एक संगठन होता है, जिसमें पद क्रम होते हैं, जिनका स्वरूप पिरामिड या त्रिभुज जैसा होता है। चोटी पर सर्वोच्च अधिकारी तथा श्रेणी के अनुसार तल तक अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जाती है। ऊपर से आदेश आते हैं और प्रत्येक स्तर पर उनका पालन होता है। इस तरह स्पष्ट पद होते हैं, स्पष्ट नियुक्तियाँ होती हैं, स्पष्ट उत्तरदायित्व होते हैं और उन पदों के अनुसार निश्चित वेतन और नियमानुसार प्रोन्नति या प्रोमोशन होता है। अतः पदसोपानीयता में कोई टकराव नहीं होता है, एकता और समरस्ता बनी रहती है। संगठन का यह सबसे अधिक तार्किक सिद्धान्त है।

3. **निष्पक्षता और गुमनामी-** पक्षपात रहित प्रशासन लोक-सेवा की विशेषता है। लोक सेवक नियमों के अनुसार काम करते हैं न कि राजनीतिज्ञों के निर्देशों या इच्छा के अनुसार। राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ रहने और जाति या धर्म विशेष के पक्ष में कार्य न करने में ही उनकी गरिमा बनी रहती है। वे राज्य के सेवक हैं न कि किसी दल विशेष के। 'ग्लैडन' का कहना है, "ऐसे सिविल सेवकों की धारणा बिल्कुल आधुनिक है, जो तटस्थ विशेषज्ञों का व्यावसायिक समूह है तथा जो बिना दलीय भावना के तथा बिना पक्षपात के राष्ट्र की सेवा करता है।"

लोक सेवक जो कुछ भी करे उसका उद्देश्य जनहित होना चाहिए न कि नाम कमाने या शोहरत पाने की इच्छा। वह गुमनाम है और गुमनामी ही उसकी विशेषता है। यदि वह अच्छा काम करेगा तो उसका श्रेय मंत्रियों को मिलेगा, यदि वह कुछ बुरा करेगा तो उसका अपन्प्रेय भी मंत्रियों को मिलेगा। नाम या बदनामी उसके हिस्से में नहीं आयेगी। इसलिए निष्पक्ष रहकर, निष्ठा के साथ समर्पक भावना से काम करना और खामोश तथा गुमनाम रहना ही उसकी परम विशेषता है।

हरमैन फाइनर का कहना है, "सिविल सेवक लाभ कमाने के लिए नहीं है। इनको वेतन मिलता है, जोखिम उठाकर धन कमाना इनका काम नहीं है। सिविल सेवा सार्वजनिक है, इसलिए यह जवाब देह है। यह छान-बीन के अधीन है। इनके विभागों से सम्बद्ध मंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी हैं। उनकी आलोचना हो सकती है, इसलिए सिविल सेवक जोखिम नहीं उठाते हैं। वे जानते हैं कि वे अपरिहार्य हैं, इसीलिए वे निष्पक्ष रहकर काम करते हैं।"

4. **विशिष्ट मानसिकता-** चयनित होने, प्रशिक्षण प्राप्त करने, नियुक्ति पाने और पद पाने के तुरन्त बाद लोक सेवकों में स्वतः एक मानसिकता पनपने लगती है- सर्वोच्चता (superiority) की मनोवृत्ति जो उनके सम्पूर्ण व्यक्तित्व और आचरण को प्राभावित करती है। वास्तव में इसी मानसिकता को नौकरशाही कहा जाता है। अपनी अपरिहार्यता और सर्वोच्चता के एहसास के कारण लोकसेवक दंभी, अहंकारी और स्वेच्छाचारी हो जाते हैं। इसी कारण चिन्तकों ने उन्हें नौकरशाह का नाम देकर उनका मज़ाक उड़ाया है। इनकी विशिष्ट मानसिकता के कारण ही इन पर लाल फीताशाही, अक्षमता, अकुशलता तथा अपव्ययीता का आरोप लगाया जाता रहा है।

सिविल सेवक की मानसिकता "नौकरशाह" जैसी होती है इसमें संदेह नहीं है। यह अपनी योग्यता के आधार पर चयनित होते हैं, अपने प्रशिक्षण के आधार पर पदासीन होते और अपने अनुभव, निपुणता तथा तकनीकी ज्ञान के आधार पर प्रोन्नत होते हैं, यह स्थायी होते हैं। इनको एक निश्चित पर्याप्त वेतन मिलता है। सेवा समाप्ति के बाद पेंशन मिलती है। इनको नौकरी के दौरान जीवन की वे सारी सुख-सुविधायें मिलती हैं जिनकी अन्य व्यावसाय के लोग मात्र कल्पना कर सकते हैं या जोखिम उठाकर उन्हें प्राप्त रहते हैं यह सत्ताधारी राजनीतिक दल के दास नहीं है। यह केवल अपनी तैनाती के लिए सत्ताधारियों पर निर्भर करते हैं, अपने अस्तित्व के लिए नहीं इसीलिए यह जोखिम नहीं, उठाते हैं। केवल अपने वर्तमान से संतुष्ट तथा अपने भविष्य के लिए अश्वस्त रहते हैं। भले ही निर्णय राजनीतिज्ञ लें, नीतियों का तकनीकी निर्माण यह करते हैं, क्योंकि उनका कार्यान्वयन करना इन्हीं की जिम्मेदारी है। संक्षेप में सच यह है कि यही सरकार हैं और सरकार यही चलाते हैं। इन खूबियों के कारण यदि इनमें सर्वोच्चता की कोई मानसिकता पनपती है, तो वह स्वाभाविक है।

### 12.5 नौकरशाही की भूमिका

व्यावसायिक वर्ग के रूप में सिविल सेवकों का होना आधुनिक सभ्यता की पहचान है। इनकी संस्था स्वयं सेवकों में एक संस्कृति है। यह आज के सन्दर्भ में अपरिहार्य हैं, इसके दो कारण हैं। पहला तो यह कि आधुनिक राज्य लोकतंत्रीय कल्याणकारी राज्य हैं दूसरे, आज आधुनिकतावाद का युग है। इसका नतीजा है विकास की

परिकल्पना जो राज्य के कार्यों को विस्तार देती है। इसी कारण सिविल सेवकों का महत्व और उनकी भूमिका बढ़ जाती है। इनकी मांग पूंजीवादी, साम्यवादी तथा सामन्तवादी सभी राज्यों में एक जैसी है।

प्रत्येक देश में राजनीतिक कार्यकारी तथा सिविल सेवा के कार्यों में अन्तर रखना आसान नहीं है। राजनीतिक सत्ताधारियों द्वारा लिए गये निर्णयों का आधार सिविल सेवकों द्वारा तैयार मसौदा ही होता है। इसलिए नीति निर्धारक तथा सिविल सेवक एक दूसरे के लिए अपरिहार्य हैं। इन सम्बन्धों की घनिष्ठता से ही शासन चलता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि दोनों के कार्यों में कोई अन्तर नहीं है। दोनों के अपने-अपने कार्यक्षेत्र हैं और सीमायें हैं। उनका उल्लंघन आसान नहीं है। नीति-निर्माण का काम राजनीतिक सत्ताधारियों (मंत्रियों) का है। यह उनका अधिकार है और उत्तरदायित्व भी है। वे उचित एवं अनुचित के लिए जिम्मेदार हैं, जवाबदेही उनकी है। सिविल अधिकारी नीति-निर्माण में उनकी मदद करते हैं और जब निर्मित नीतियों एवं निर्गत निर्णय सामने आते हैं तो सिविल सेवक उनको अंजाम तक पहुँचाते हैं, उनके अनुसार प्रशासन चलाते हैं, जन-समाज तक उन्हें पहुँचाते हैं और समाज की प्रतिक्रिया से शासन को अवगत (फीडबैक) कराते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को छः विषयों में बाँटा जा सकता है-

### 12.5.1 परामर्श

राजनीतिक कार्यकारी अधिकारियों (मंत्रियों) को परामर्श देना सिविल सेवा का पहला काम है। तकनीकी या कानूनी बारीकियों में सत्ताधारी लगभग कोरे होते हैं, जबकि सिविल सेवी इस प्रकार के ज्ञान का भण्डार होते हैं। नीति-निर्माण की प्रक्रिया में अधिकारी सत्ताधारियों को तकनीकी सूचना प्रदान करते हैं जिनपर राजनीतिक अधिकारियों को विश्वास होता है, यहाँ रेम्जे म्यूर के कथन को याद रखना होगा, “अधिकांश स्थितियों में उसे (मंत्री को) विभाग के अत्याधिक जटिल कार्यों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। जब वह मुधर भाषण देता है तब अधिकारी चुपचाप कार्यालय की समस्याओं के अध्ययन में लगे रहते हैं। वे उसके सामने ऐसी पेचीदा समस्यायें प्रस्तुत करते हैं जिनके बारे में वह कुछ नहीं जानता असाधारण या मूर्ख व्यक्ति को छोड़कर सभी निन्यानवे मामलों पर यह अपनी सहमति प्रकट करते हुए अंकित रेखा पर हस्ताक्षर कर देते हैं। परामर्श सम्बन्धी कुछ अनिवार्य बातों पर ध्यान दिया जाता है-

- जटिल समस्याओं के समाधान के लिए निश्चित रेखायें (उपचार, उपाय) खींची जायें जो तर्कसंगत हों, लोकमत और वातावरण के अनुकूल हों जिन्हें लागू किया जा सके और यदि प्रतिकूल हों तो समंजन किया जा सके।
- प्रशासनिक कार्यों से ऐच्छिक परिणाम निकलें तथा उनमें स्थायित्व हो।
- प्रशासनिक कार्यों का प्रभाव तत्कालीन भी हो तथा दूरगामी भी। उनके कार्यों से भविष्य सुरक्षित रहे, यह देखना प्रशासकों का उत्तरदायित्व है। वे स्थायी हैं, जबाबदेह हैं, अच्छे और बुरे परिणामों का सामना उन्हीं को करना है। वे नये समाज के स्रोत हैं, इसलिए उनके सुझाव तर्क संगत और भविष्य परक होना चाहिए।
- मंत्रियों पर सिविल सेवा का प्रभाव तीन बातों पर निर्भर करता है- (क) यह प्रभाव नये मंत्रियों पर होता है, (ख) निपुण और अनुभवी अधिकारी मंत्री पर अधिक प्रभाव डाल सकता है, तथा (ग) सिविल सेवक रुढ़िवादी दल के सत्ताधारी पर केवल विनियामक फैसले लेगा, लेकिन यदि सत्ताधारी क्रांतिकारी हो तो सिविल सेवक अधिक गतिशील, जोखिम वाला और सक्रिय होगा।

### 12.5.2 कार्यक्रम तथा करणीय योजना

जिस तरह कार्यपालिका सम्बन्धी विभिन्न विषयों के विभिन्न विभाग हैं, जिनके मुखिया मंत्री होते हैं और अपने मंत्रालयों नीतियाँ निर्धारित करते हैं, उसी तरह सिविल सेवकों का काम योजना बनाना होता है। इसी योजना के आधार पर संसद या विधान मण्डल अधिनियम बनाता है। इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए नियमों-विनियमों की आवश्यकता होती है। जिसमें सिविल सेवक दक्ष होते हैं। कार्यक्रम योजना ही नीति निर्धारण का सब से महत्वपूर्ण पहलू है। कार्यक्रम योजना स्पष्ट हो, उलझी हुई न हो यह देखना जरूरी है। यह विस्तृत और स्पष्ट अध्ययन पर आधारित हो। नीति की सफलता कार्यक्रम योजना पर निर्भर करेगी। इसका अर्थ यह है कि कार्यक्रम तथा करणीय योजना (Operational Planning) की संरचना तैयार करने में (1) सिविल सेवक अपनी तकनीकी दक्षता का परिचय देते हैं, (2) योजना का ढाँचा तैयार करते हैं, तथा (3) योजना के निष्पादन में भाग लेते हैं। इसी प्रक्रिया को “ऑपरेशनल प्लानिंग” कहा जाता है।

### 12.5.3 उत्पादन

यहाँ उत्पादन का अर्थ वस्तुओं के उत्पादन से नहीं है। यहाँ उत्पादन का अर्थ सेवार्य (Services) पैदा करना। सिविल सेवा का काम विस्तृत अर्थों में सेवाएं प्रदान करना है। इसका सीधा अर्थ यह है कि कार्यालयों में काम होता है। यह काम एक घण्टे में कितना होता है, यदि अधिक तो उत्पादन अधिक, यदि कम तो उत्पादन कम। इसी तरह एक दिन, एक, सप्ताह, एक महीने और एक वर्ष में कितना काम होता है, इसका एक मापदण्ड है। यदि उस मापदण्ड के अनुसार है तो काम ठीक, यदि कम है तो उत्पादन कम है। उदाहरण के लिए बच्चों को शिक्षित करने, पोलियों कार्यक्रम को पूरा करने, बेरोजगारी दूर करने, कृषि उत्पादन को बढ़ाने इत्यादि तरह-तरह के विषय हैं, जिनको एक निश्चित अवधि में पूरा करना होता है। प्रशासन का यह दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि लक्ष्य के अनुसार निश्चित अवधि में यह कार्यक्रम (उत्पादन) पूरा हुआ या नहीं।

इसी आंकलन से संगठन की क्षमता, कर्मचारियों की कार्य-कुशलता, कार्यक्रम की प्रभावशीलता का पता लगता है। अधीनस्थ कर्मचारियों पर लगाम कसने का और उन्हें सजग एवं सक्रिय रखने का सिविल सेवकों के सामने यह सर्वोत्तम मापदण्ड है।

परन्तु यहाँ अधिकारियों को भी चुस्त-दुरुस्त रहना होगा, उनको अधीनस्थों पर पैनी नज़र रखनी होगी। पर्यवेक्षण की विधि अपनानी होगी। सूक्ष्म पर्यवेक्षण जरूरी है। साथ ही अधिकारियों को अधीनस्थों में सहयोग, उत्साह, ऊर्जा तथा निष्ठा की भावना को प्रोत्साहित करना होगा।

### 12.5.4 विधायी एवं न्यायी शक्तियाँ

आज के राज्य लोकतांत्रिक होने के साथ-साथ कल्याणकारी भी है, जिनकी वजह से राज्य के कार्यों का विस्तार हुआ है। जिसके लिए नित-नये कानूनों की आवश्यकता होती है। लेकिन संसद या विधान मण्डलों के पास विधायनी कार्यों के लिए न तो समय है और न सामर्थ्य। इस लिए वह अधिकतर कानूनों को बनाने की शक्ति कार्यपालिका को सौंप देती है। जिसे “शक्ति का हस्तांतरण (Delegation of Power) कहा जाता है।” अन्ततः कानून बनाने का काम सिविल सेवकों के पास पहुँच जाता है। वे कानूनों को बनाकर मंत्रालयों के अनुमोदन के साथ विधान सभा के पटल तक (सम्बन्धित मंत्री के द्वारा) पहुँचा देते हैं। उसकी में ऐसे अनेक कानूनी प्रारूपों को विधान मण्डल की स्वीकृति मिल जाती है। और इस तरह संसद या विधान मण्डल का समय बच जाता है। यह सब सिविल सेवा की विधायी शक्ति के कारण होता है, जो उसको विधान मण्डल प्रदत्त करता है।

इसी तरह प्रशासनिक न्याय सम्बन्धी शक्ति (Administrative judicatory Power) है। प्रशासनिक न्याय का अर्थ है कि प्रशासनिक विभाग को न्यायिक तथा अर्धन्यायिक शक्तियाँ प्रदत्त की गई हैं। तकनीकी विकास तथा



कल्याणकारी राज्य की भावना के उदय के साथ इस शक्ति का महत्व बढ़ गया है। इसका सीधा अर्थ यह है कि प्रशासकीय विभागों के अपने कानून हैं जिनके अनुसार विभागीय फैसले होते हैं।

### 12.5.5 संगठन तथा विधियाँ

कार्य करने के उद्देश्य होते हैं। इनको पूरा करने के निश्चित ढंग या तरीके होते हैं जो सिद्धान्तों पर आधारित हैं। यदि निश्चित ढंगों के साथ काम होगा तो प्रयत्न बेकार नहीं जायेंगे और लक्ष्य पूरा होगा। उपलब्ध साधनों का भी लाभ उठाया जा सकेगा। यह कार्य उन यूनियों की सहायता से किया जाता है जिन्होंने संगठन तथा कार्य विधियों में विशेषता प्राप्त की हुई है। इस नियम या कार्य विधि को 'ओ' तथा 'एम' (O&M) कहा जाता है।

उपर्युक्त अध्ययन से यह स्पष्ट है कि सिविल सेवक आधुनिक राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वे आँकड़ें एकत्रित करते हैं, अनुसंधान करते हैं, मंत्रियों को परामर्श देते हैं तथा योजनाएँ बनाते हैं। उनके काम का महत्व रेम्जे म्यूर के इन शब्दों से लगाया जा सकता है, "संसद मंत्रियों के हाथ में खिलौना है तथा मंत्री सिविल सेवकों के हाथ में खिलौना हैं।"

### 12.6 प्रशासनिक चिन्तक और नौकरशाही की भूमिका

नौकरशाही आधुनिक लोकतांत्रिक समाज की एक ऐसी संस्था है जिसके औचित्य को उसके कटु आलोचक भी स्वीकार करते हैं। आज का समाज पूरी तरह से आर्थिक हैसियत प्राप्त कर चुका है। भौतिक दृष्टि से लोगों का जीवन सुखमय हो, समाज स्वस्थ, शिक्षित और रोजगार-परक हो यह आधुनिक विकास की शर्तें हैं। इसी स्थिति को अधुनिकीकरण कहा जाता है। यह सब शर्तें नौकरशाही की भूमिका पर इस तरह निर्भर करती हैं कि समालोचक प्रायः इस बात से सहमत हैं कि 'प्रजातंत्र एक मिथ्या है तथा नौकरशाही वास्तव में शासक है।' रेमजें म्योर ने नौकरशाही का विशद विश्लेषण किया है। उसके अनुसार नौकरशाहों की भूमिका का सार है-

1. अधिकारी सारा समय कार्यालय की समस्याओं का शान्तिपूर्वक ढंग से अध्ययन करने में बिताते हैं।
2. वे मंत्री के समक्ष अनेक जटिल समस्याओं को उसके निर्णय लिए लाते हैं, जिनसे मंत्री अन्नभिज्ञ होता है।
3. वह मंत्र के समक्ष अपने ऐसे सुझाव प्रस्तुत करते हैं, जिनका समर्थन अधिक युक्तियुक्त तर्कों तथा तथ्यों से प्रदर्शित होता है।
4. मंत्री का प्रधानमंत्री से समीकरण भी मंत्री एवं सचिव के मध्य सम्बन्धों पर प्रभाव डालता है, क्योंकि अधिकारी मन्त्री एवं प्रधानमंत्री के बीच एक बकसुए का काम करता है।
5. सच तो यह है कि विदेश नीति से लेकर कूटनीति, गृहनीति से लेकर प्रतिरक्षा या आन्तरिक सुरक्षा नीति, बजट प्रक्रिया से लेकर योजना संरचना प्रक्रिया सब पर नौकरशाही के दूर्त, सयाने और चालक दिग्ज्यों की छाप होती है।
6. कूटनीति के माहिर सचिव, राजदूत और विशेष प्रतिनिधि स्तर के लोक सेवक प्रधानमंत्री के विदेशों दौरों, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों इत्यादि में वार्तालाप, विचार-विमर्श तथा बहस में विशिष्ट भूमिका अदा करते हैं।
7. जोशिया स्टैम्प के अनुसार, विकसित या विकासशील समाज के लोक सेवक को मुख्य जल स्रोत (main spring) होना चाहिए तथा प्रत्येक स्तर पर सुझाव, परामर्श तथा प्रोत्साहन देना चाहिए।

### 12.7 मैक्स वेबर और नौकरशाही

मैक्स वेबर वह पहले प्रशासनिक चिन्तक हैं जिन्होंने नौकरशाही का क्रमबद्ध अध्ययन तथा उसके लक्षणों की विवेचना की है। उन्होंने नौकरशाही का एक आदर्श प्रतिमान (Ideal Model) तैयार किया जिसको सम्पूर्ण विश्व की प्रशासनिक व्यवस्थायें अपना आधार मानते हैं।

मैक्स वेबर ने नौकरशाही की सकारात्मक भूमिका पर जोर दिया है तथा उसका एक आदर्श प्रतिमान तैयार करके यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि नौकरशाही सभ्य समाज की एक पहचान है और आधुनिक प्रशासन की सफलता की एक शर्त है। वेबर ने नौकरशाही को कभी भी परिभाषित नहीं किया, उसने केवल उसके लक्षणों को ही उजागर किया। वह “नियुक्त अधिकारियों के प्रशासनिक समूह” को नौकरशाही कहता है। वेबर के अनुसार नौकरशाही के दो रूप हैं, (1) पुशतैनी या पैतृक परम्परागत जो करिश्माई सत्ताओं में पाई जाती है, तथा (2) विधिक-तार्किक नौकरशाही जो केवल विधिक (स्महंस) सत्ता में पाई जाती है। मैक्स वेबर का विषय विधिक-तार्किक (Legal rational) नौकरशाही से है और इसी की भूमिका पर उसने प्रकाश डाला है।

वेबर का विश्वास है कि किसी भी प्रकार की सत्ता के लिए वैधता अनिवार्य है, क्योंकि विधिक-तार्किक नौकरशाही की वैधता (Legitimacy) होती है, इसीलिए सत्ता (शासन-प्रशासन) में वह स्वीकार्य है। ऐसी नौकरशाही के फैसले तार्किक होते हैं और कानूनी भी।

वेबर के अनुसार आधुनिक प्रशासन में नौकरशाही, जिसका प्रतिमान स्वयं उसने तैयार किया है, पाँच कारणों से अहम भूमिका अदा करती है-

1. अधिकारी अपना सरकारी कार्य निरन्तर करते रहते हैं,
2. प्रशासनिक अधिकारी निश्चित नियमों के अनुसार काम करते हैं,
3. प्रत्येक अधिकारी सत्ता के पदक्रम की एक कड़ी होता है, संसाधनों का प्रयोग अधिकारी अपने हित के लिए नहीं करते हैं, वे इन संसाधनों के उपयोग के लिए उत्तरदायी हैं।
4. कार्यालयों में नियुक्तियाँ नियमानुसार होती हैं। यह नियुक्तियाँ निजि सम्पत्ति नहीं हैं। अपनी इन विशेषताओं के कारण नौकरशाही एक तार्किक संस्था है, जो कानूनी भी है। यह अनिवार्य भी है और इसके बिना न तो प्रशासन चल सकता है और न शासन।
5. नौकरशाही का “अव्यक्तिक रूप” (Impersonal Order) इस को आदर्श बना देता है, जिसके कारण नौकरशाही की भूमिका पर कोई उंगली उठाने से झिझकता है।

## 12.8 नौकरशाही और मार्क्स

नौकरशाही की भूमिका के बारे में कार्ल मार्क्स का दृष्टिकोण पूरी तरह नकारात्मक है। मार्क्स ने अपने ऐतिहासिक भौतिकवाद (Historical Materialism) के सिद्धान्त के माध्यम से नौकरशाही की ऐतिहासिक उत्पत्ति को दर्शाने का प्रयास किया है, जो विभिन्न चरणों या समाजों में विभिन्न रूपों या भूमिकाओं में नजर आती है। नौकरशाही की विक्राल भूमिका पूँजीवादी व्यवस्था में सब से अधिक होती है। यहाँ वह संवेदनहीन पूँजीवादी व्यवस्था का एक अभिन्न अंग बन जाती है। पूँजीवादी व्यवस्था में नौकरशाही समाज में अपनी जड़ें जमा लेती है तथा शोषण की एक यांत्रिकी बन जाती है। मार्क्स नौकरशाही की दमनकारी भूमिका को ही उसकी वास्तविक भूमिका मानता है। उसके अनुसार ‘एक विशेष वर्ग’ अपनी राजनीतिक सत्ता को बनाये रखने के लिए नौकरशाही को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करता है।

मार्क्स ने नौकरशाही को “राज्य के भीतर एक विशिष्ट बन्द समाज” बताया। राज्य का लक्ष्य अधिपत्य है और इस लक्ष्य की प्राप्ति का माध्यम नौकरशाही है। नौकरशाही एक प्रशासनिक व्यवस्था भी है और इस व्यवस्था (राज्य) को बनाये रखने का एक साधन भी है।

मार्क्स ने नौकरशाही को ‘परजीवी’ बताया है, क्योंकि वह समाज के सत्ताधारी वर्ग की यथास्थिति को बनाये रखकर स्वयं को जीवित रखती है। इसलिए वह जो कुछ करती है वह राज्य के प्रभुत्व वाले वर्ग के हितों की रक्षा के लिए करती है, न कि समाज के हितों के लिए।

राज्य भी “नौकरशाही” को बनाये रखना चाहता है ठीक जिस तरह निजी सम्पत्ति पूंजीपति वर्ग को बनाये रखना चाहती है। मार्क्स ने शब्दों में “नौकरशाही राज्य का उसी प्रकार सार है जिस तरह समाज का अध्यात्मिक सार निजी सम्पत्ति है।” वास्तव में “नौकरशाही राज्य का आध्यात्मवाद है।”

जहाँ तक व्यक्ति के रूप में नौकरशाह का सम्बन्ध है, राज्य का लक्ष्य उसका निजी ध्येय बन जाता है। वह उच्चतर पद पर जाने के लिए करियर (Career) बनाने की हौड़ में लग जाता है।

इस तरह मार्क्स नौकरशाही को राज्य में शोषण का एक उपकरण मानता है, क्योंकि वह समाज के मामलों का राज्य के पक्ष में शोषण करती है। वह पूरे समाज का ‘निजीकरण’ करती है।

‘गोपनीयता’ बनाये रखना नौकरशाही का बड़ा हथकण्डा है जिस के माध्यम से वह समाज की ‘निजीकरण’ की प्रक्रिया को बनाए रखती है। वह जन समाज से राज्य की हर बात छिपाती है। वह नहीं चाहती कि राज्य की बातें जनता तक पहुँचें। इसलिए ‘रहस्यमयता’ की स्थिति बनाये रखना नौकरशाही का लक्ष्य होता है। वह राजनीतिक चेतना को राज्य के अस्तित्व के लिए खतरा मानती है।

अंत में मार्क्स इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि राज्य का स्वरूप बदलने के साथ नौकरशाही स्वतः विलुप्त हो जायेगी और राज्य के नये साम्यवादी स्वरूप के अनुसार प्रशासनिक व्यवस्था होगी। लेकिन क्या नौकरशाही का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा, ऐसी कल्पना मार्क्स भी नहीं कर सका।

## 12.9 हीगेल और नौकरशाही

मार्क्स के विपरीत हीगेल नौकरशाही को मुख्य शायकीय संगठन मानता है। हीगेल की नज़र में राजा (शासक), नौकरशाह तथा मंत्री सब राजनीतिक अभिनेता (Actors) हैं।

हीगेल की दृष्टि में नौकरशाही जनसमाज (Civil society) तथा राज्य के मध्य एक ‘सूत्र की भूमिका’ अदा करती है। यह वास्तव में मध्यस्था का एक रूप है जो विशिष्ट तथा सामान्य के मध्य रिश्ता कायम करती है।

हीगेल का कहना है कि नौकरशाही का काम समुदाय के सार्वभौमिक हित की पूर्ति करना है। वास्तव में नौकरशाही एक ‘सार्वभौमिक ज़ागीर’ है। जिसका काम राज्य के सामान्य हित और उसकी वैधानिकता को बनाये रखना है। इस तरह हीगेल की नज़र में नौकरशाही की भूमिका सकारात्मक है, क्योंकि वह परिस्थितियों और उनके तक्राजों की वास्तविकता को स्वीकार करती है। हीगेल नौकरशाही को एक व्यवस्था मानता है। यह व्यवस्था सम्बन्धों की है जो पदसोपानीयता, विशिष्टीकरण तथा एक विशेष हैसियत (व्यक्तियों की) के द्वारा परिभाषित होती है।

नौकरशाही की एक नियमकीय यांत्रिकी (Regulatory Mechanism) होती है। इसका अर्थ है कि नौकरशाही की व्यवस्था में नियंत्रण बाहरी और ऊपर से चलता है और नीचे से शिकायतों का दबाव पड़ता है, (बाहरी कारपोटेशन, स्वतन्त्र प्रेस, जनमत इत्यादि का) यह नियमकीय यांत्रिकी नौकरशाहों पर अच्छा प्रभाव डालती है और वे जनहित में काम करते हैं।

हीगेल नौकरशाही को “विचारों का चोला” (embodiment of Ideas) मानता है। नौकरशाही की विशेषता उसकी स्वायत्ता और स्वतंत्रता है। इसलिए वह जन समाज की उदण्डता पर अंकुश लगाकर उसे अनुशासित कर सकती है। नौकरशाह ज्यादा जागरूक और समझदार होते हैं, क्योंकि वे जागरूक शासकों का प्रतिबिम्ब होते हैं।

वास्तव में हीगेल मैक्स वेबर के ज्यादा नजदीक है, क्योंकि नौकरशाही के प्रति उसका जो दृष्टिकोण है वह वेबोरियन मॉडल से अधिक मेल खाता है। लेकिन मार्क्स ने हीगेल के नजरियें को पूरी तरह नकार दिया है।

यहाँ यह सोचना भी सही है कि यदि हीगेल नौकरशाही की सकारात्मक भूमिका को स्वीकार नहीं करता तो मार्क्स भी नौकरशाही पर अपनी आलोचनात्मक लेखनी नहीं उठाता।

### 12.10 डाउन्स और नौकरशाही

एन्थानी डाउन्स का नौकरशाही पर सिद्धान्त भी बड़ा सामायिक और महत्वपूर्ण है। लेकिन उसे दुःख है कि नौकरशाही को आज भी बड़ी घृणा से देखा जाता है, जबकि ब्योरोज विश्व के हर देश में महत्वपूर्ण संस्थायें मानी जाती हैं। डाउन्स की पहली परिकल्पना यह है कि समाज के दूसरे तबकों की तरह नौकरशाह भी आत्म-हित से प्रेरित होते हैं।

क्योंकि शब्द 'नौकरशाह' को आमतौर पर घृणा के रूप में लिया जाता है, इसलिए डाउन्स "नौकरशाह" (Bureaucrat) के स्थान पर "अधिकारी" (official) कहना पसंद करता है।

डाउन्स के अनुसार अधिकारियों की पहली भूमिका है प्रशासनिक कार्यों को तार्किकता प्रदान करना और लक्ष्य की प्राप्ति इस तरह करना कि वे स्वयं 'उपयोगिता को बढ़ाने' (Utility Maximises) वाले बन जाते हैं।

अधिकारियों के अनेक लक्ष्य होते हैं: शक्ति, आय, सम्मान, सुरक्षा, सुविधा, वफादारी (विचार, संस्था या राष्ट्र के प्रति), सर्वोत्तम काम में गर्व और जनहित को पूरा करना। डाउन्स ने अधिकारियों की भूमिका को पांच भागों में विभाजित किया है-

1. पहले, वे अधिकारी जो शुद्ध रूप से स्वहित से, न कि समाज के ब्योरोज के हित से प्रेरित होते हैं।
2. दूसरे, वे अधिकारी जो अपनी सुरक्षा और सुविधा, प्रतिष्ठा और यथास्थिति बनाये रखने के लिए काम करते हैं।
3. तीसरे, वे अधिकारी जो राष्ट्र या समाज के प्रति वफादार रहते हैं। यही वे अधिकारी हैं जो "आदर्श" हैं और सच्चे लोक प्रशासक माने जाते हैं। इनका प्रभाव महत्वपूर्ण नीतियों पर पड़ता है।
4. चौथे, वे अधिकारी जो संकुचित नीतियों या अवधारणाओं के प्रति वफादार होते हैं। वे अपने हितों की भी पूर्ति करते हैं और पवित्र उद्देश्यों के प्रति भी निष्ठावान होते हैं, तथा
5. पांचवे, वे अधिकारी जो विस्तृत नीतियों या संगठन के प्रति वफादार होते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति निष्ठा के साथ करते हैं।

डाउन्स के अनुसार अधिकारियों के महत्वपूर्ण कार्यों में पहला काम नीति-निर्माताओं में सूचनायें प्रदान करके सहायता करना है। ऐसा वे आंकड़े मुहय्या कराकर करते हैं। यहाँ उनकी भूमिका नकारात्मक भी होती है और सकारात्मक भी। वे सूचनायें घटाकर प्रस्तुत करते जो नकारात्मक कार्य हैं, और वे सूचनायें बढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं, यह भी नकारात्मक है, क्योंकि तब यथार्थपूर्ण निर्णय नहीं लिए जा सकते। ठीक-ठीक सूचनायें प्रदान करना सकारात्मक है लेकिन यह प्रायः अधिकारियों के निजि हित में नहीं होता है। इसलिए वे तोड़-मरोड़ कर सूचनाएं देने में अधिक रुचि लेते हैं।

डाउन्स ने बड़े विस्तार के साथ नौकरशाही की वास्तविक भूमिका की विवेचना की है। जहाँ मैक्स वेबर और हीगेल ने नौकरशाही की प्रशंसा करते हुए उसे एक अनिवार्य संस्था माना है, और मार्क्स ने नौकरशाही को शोषण का एक उपकरण मानकर उसको एक बुराई के रूप में लिया है, वहाँ डाउन्स का दृष्टिकोण संतुलित है। वह नौकरशाही में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों देखकर उसकी विवेचना करता है।

### 12.11 समालोचना

सोच समझकर नीतियाँ बनाना जरूरी है। उनको लागू करने के लिए एक वैज्ञानिक संगठन हो, यह और भी जरूरी है लेकिन सबसे अधिक जरूरी हैं संगठन में लगे लोग। इनका योग्य, शिक्षित, प्रशिक्षित, उत्साही, निष्ठावान, सक्रिय और ईमानदार होना नीतियों की सफलता और संगठन की एकता और एकबद्धता के लिए एक अनिवार्य शर्त है।

इस शर्त को पूरा करते हैं सिविल सेवक जिनका बिना लोक प्रशासन नहीं चल सकता। विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी ने इनके काम को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। सिविल सेवा को नौकरशाही या अधिकारीतंत्र कहा जाता है। यह 'सिविल' है अर्थात् 'सैनिक' नहीं है, यह 'प्रशासनिक' है अर्थात् 'तकनीकी' नहीं है। 'नौकरशाही' यह इसलिए है कि यद्यपि इसका कार्य सेवा है, लेकिन इसकी हैसियत शाहों जैसी है।

सिविल सेवक नीति-निर्माण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण सक्रिय भूमिका निभाते हैं। वे इन नीतियों को कानूनी जामा पहनाते हैं। जब विधान सभा कानून बना देती है तो सिविल सेवक इन कानूनों का आदि भी हैं और अन्त भी।

सिविल सेवक व्यावसायिक प्रशासकों का वर्ग है। सिविल सेवा की अपेक्षाये यह है कि यह निष्पक्षता से चुनी जायेगी, प्रशासनिक दृष्टि से कार्यकुशल होगी, राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ होगी तथा समाज सेवा की भावना से ओत-प्रोत होगी।

निष्ठावान सिविल सेवक नये समाज का स्रोत होते हैं तथा प्रत्येक अवस्था में वे राजनेताओं को सुझाव एवं परामर्श देते रहते हैं। सिविल सेवकों की नौकरशाहों की हैसियत से आजकल उनकी आलोचना एक फैशन बन गई है, लेकिन सच यह है कि सिविल सेवक आधुनिक राज्य में महत्वपूर्ण भाग लेते हैं। वे आँकड़े इकट्ठे करते हैं, अनुसंधान कहते हैं, मंत्रियों को परामर्श देते हैं तथा योजनाएँ बनाते हैं। रेम्जे म्योर का यह विचार सही है कि "संसद मंत्रियों के हाथ में खिलौना है तथा मंत्री सिविल सेवकों के हाथ में खिलौना है।" इस स्थिति के लिए सिविल सेवक नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जिम्मेदार हैं।

सिविल सेवकों की राज्य एवं समाज में भूमिका को देखते हुए ही मैक्स वेबर ने आदर्श नौकरशाही प्रतिमान की एक तस्वीर प्रस्तुत की और उसे आधुनिक संस्कृति का एक अविच्छेद अंग बताया। उसकी विधिक-तार्किक नौकरशाही इतनी आकर्षक है कि नौकरशाही के भावी चिन्तक उस से पीछा नहीं छोड़ा सकते। हीगेल ने नौकरशाही के सकारात्मक स्वरूप को ही स्वीकार किया है। यह और बात है कि मार्क्स नौकरशाही को शोषण का एक उपकरण मानता है, क्योंकि वह किसी भी ऐसी संस्था को स्वीकार नहीं कर सकता जिसका सम्बन्ध राज्य और निजि पूंजी से हो। लेकिन एन्थानी डाउन्स नौकरशाहों के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को उजागर करता है।

कुल मिलाकर नौकरशाही आधुनिक प्रशासकीय व्यवस्था के लिए अनिवार्य है। जिन चिन्तकों ने उसकी आलोचना की है, उन्होंने भी उसकी प्रासंगिकता और अपरिहार्यता से इंकार नहीं किया है। लेकिन लोक सेवक को यह कदापि नहीं भूलना चाहिए कि वह समाज का सेवक है न कि मालिक, और उसकी निपुणता इस बात में नहीं है कि वह मानव संवेदनशीलता खो दे। ब्राउन और मॉक्रीरिडिस का यह कथन सही है कि "आज के लोकतंत्र की ज्वलन्त समस्या यह है कि लोक सेवा को उत्तरदायी और कार्यकुशल किस प्रकार रखा जाये।"

#### अभ्यास प्रश्न-

1. शब्द ब्योरियोक्रेसी (नौकरशाही) का सबसे पहले प्रयोग किया ?  
क. मैक्स वेबर ने                      ख. मार्क्स ने  
ग. डी0 गोरने ने                      घ. एल0डी0 व्हाइट ने
2. विधिक-तार्किक नौकरशाही का सिद्धान्तकार है-  
क. एन्थानी डाउन्स                      ख. हीगेल  
ग. रेम्जे म्योर                      घ. मैक्स वेबर
3. नौकरशाही की भूमिका में सम्मिलित है-  
क. परामर्श                      ख. कार्यक्रम तथा करणीय योजना  
ग. उत्पादन                      घ. यह तीनों
4. मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की भूमिका को विभाजित किया जा सकता है-

- क. चार वर्गों में    ख. तीन वर्गों में  
ग. सात वर्गों में    घ. पांच वर्गों में
5. किसने कहा 'नौकरशाही परजीवी' है?  
क. मार्क्स ने                      ख. हीगेल ने  
ग. एन्थॉनी डाउन्स ने            घ. रैम्जे म्योर ने
6. नौकरशाही की भूमिका के बारे में वेबर का दृष्टिकोण सकारात्मक है। सत्य/असत्य
7. मार्क्स ने नौकरशाही की दमनकारी उपकरण की भूमिका को स्पष्ट किया है। सत्य/असत्य
8. नौकरशाही एक आवश्यक बुराई है, यह डाउन्स ने कहा। सत्य/असत्य
9. "लोकतंत्र एक धोखा है, वास्तव में नौकरशाही शासन करती है" यह कथन वेबर का है। सत्य/असत्य
10. हीगेल नौकरशाही को "विचारों का चोला" मानता है। सत्य/असत्य

### 12.12 सारांश

- नौकरशाही की अवधारणा की एक पृष्ठभूमि है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले 18वीं सदी में डी0 गोरने ने किया, लेकिन नौकरशाही को एक विधिवत् सिद्धान्त का रूप मैक्स वेबर (1864-1920) ने दिया। उसने विधिक-तार्किक नौकरशाही का एक प्रतिमान तैयार किया जिसे वेबेरियन मॉडल कहा जाता है।
- अक्सर नकारात्मक भूमिका के कारण नौकरशाही को एक बदनाम संस्था माना गया है। इसलिए उसको एक अनिवार्य बुराई कहा जाता है। वह अनिवार्य इसलिए है कि आधुनिक कल्याणकारी राज्य में बढ़ी हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नौकरशाही ही सबसे बड़ा माध्यम है। लार्ड ऐक्टन का यह कहना उचित है कि नौकरशाह वह व्यक्ति है जो अपनी योग्यता, ज्ञान तथा उत्तरदायित्व के लिए प्रसिद्ध है। यह सच है क्योंकि लोक सेवा, लोक प्रशासन का सार है। नीति-निर्माण की प्रक्रिया से लेकर नीतियों के कार्यान्वयन तक लोक सेवकों की भूमिका अहम होती है। नौकरशाही व्यावसायिकता, पद सोपानीयता और निष्पक्षता के सिद्धान्तों के अनुसार गुमनाम रहकर लेकिन एक विशेष मानसिकता के साथ प्रशासन में अपनी सकारात्मक भूमिका अदा करती है।
- नौकरशाही का नकारात्मक पहलू भी है जिस पर प्रशासनिक चिन्तकों ने चिन्ता व्यक्त की है, विशेष रूप से उसमें पनपती लालफीता शाही, दफ्तरीपन, अकुशलता, अपठनीयता, नीरसता, विमुखता तथा भ्रष्टाचार को लोक सेवा का नकारात्मक पहलू माना गया है। यह भी कहना उचित है कि लोक सेवक जितना अधिक राजनेताओं के प्रति वफादार होते हैं उतना अधिक जनसमाज के प्रति नहीं होते हैं।
- नौकरशाही के विशिष्ट लक्षण हैं। इनमें व्यावसायिकता, पदसोपानीयता, निष्पक्षता, गुमनामी, स्वेच्छारिता की मानसिकता इत्यादि विशेष हैं। शासन (मंत्रियों) को परामर्श देकर, नीतियाँ सम्बन्धी कार्यक्रम तथा व्यवहारिक योजनाएँ तैयार करके, प्रशासनिक सेवायें प्रदान करके (उत्पादन), विधायनी एवं न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करके (वे शक्तियाँ जो उनको विधान मण्डल और कार्यपालिका प्रदत्त (delegated legislation) करती है तथा संगठन एवं विधियों ओ एण्ड एम (O&M) के उपकरण का प्रयोग करके लोक अधिकारी अपनी प्रशासनिक भूमिका निभाते हैं।
- नौकरशाही की भूमिका पर अनेक चिन्तकों ने अपने तर्क और विचार रखे हैं इन में मैक्स वेबर, हीगेल, मार्क्स तथा एन्थॉनी डाउन्स के विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैक्स वेबर तो वह पहला चिन्तक है जिसने आधुनिक समाज में नौकरशाही की सार्थकता को स्वीकार करके वैज्ञानिक आधार 'विधिक-तार्किक' नौकरशाही का एक आदर्श मॉडल (Ideal Model) तैयार किया जो अन्ततः भावी सिद्धान्तकारों का



अधार बना। हीगेल ने नौकरशाही को राज्य का सार्थी माना। उसके अनुसार राज्य की वास्तविक अभिव्यक्ति नौकरशाही के ही माध्यम से होती है।

- लेकिन मार्क्स ने नौकरशाही को एक नकारात्मक उपकरण के रूप में स्वीकार किया। वह नौकरशाही को पूंजीवादी व्यवस्था की आत्मा मानता है। उसकी नजर में नौकरशाही एक दमनकारी संस्था है जो पूंजीपतियों के हितों की पूर्ति करती है। उसको बनाये रखना उसका लक्ष्य है। वह परजीवी है, राज नेताओं की यथास्थिति बनाये रखकर अपना अस्तित्व बनाये रखती है।
- एथॉनी डाउन्स ने नौकरशाही की भूमिका के प्रति एक संतुलित रुख अपनाया है। उसके अनुसार क्योंकि 'नौकरशाही' एक बदनाम शब्द है इसलिए उसने 'अधिकारी' शब्द का प्रयोग करना उचित समझा। वह ब्योरोज और उसमें लगे कर्मचारियों को प्रशासनिक अनिवार्यता मानता है। उसने अधिकारियों को अनेक वर्गों में विभाजित करके उनकी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भूमिकाओं को दर्शाया है।
- वास्तविकता यह है कि नौकरशाही आधुनिक समाज की एक अनिवार्यता है। बढ़ी हुई आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी गतिविधियों के साथ-साथ नौकरशाही की भी भूमिका महत्वपूर्ण हुई है।

### 12.13 शब्दावली

Bureaucracy (ब्योरियोक्रेसी)- ब्योरो (Bureau) से बना है। यह एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ है 'एक मेज' 'ड्राज़', छोटा कमरा अर्थात् आफिस (कार्यालय)। लीगल (Legal)- विधिक, कानूनी अर्थात् वह संस्था जिसकी कानूनी हैसियत हो। रेशनल (Rational)- तार्किक, तर्कसंगत, वैज्ञानिक जिसका सम्बन्ध विवेक से हो। हिस्टॉरिक मैटिरियज्म (Historical Materialism)- ऐतिहासिक भौतिकवाद: मार्क्स के सिद्धान्तों का आधार अर्थात् 'पदार्थ' ही 'विचार' (Idea) को निश्चित करता है। यही विश्व का इतिहास है।

### 12.14. अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. (ग), 2. (घ), 3. (घ), 4. (घ), 5. (क), 6. सत्य, 7. सत्य, 8. असत्य, 9. असत्य, 10. सत्य

### 12.15 सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. विष्णु भगवान, विद्या भूषण: लोक प्रशासन के सिद्धान्त, नई दिल्ली।
2. डॉ०एस०एस० मीतल, मंजूमीतल: तुलनात्मक राजनीतिक संस्थायें, मेरठ।
3. डी० रविन्द्र प्रसाद: स्मा प्रशासनिक चिन्तक, नई दिल्ली।
4. अवस्थी एण्ड अवस्थी: लोक प्रशासन के सिद्धान्त, आगरा।

### 12.16 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. L.D.k Whl te : Public Administration.
2. Finer, H.k : Theory and Practice of Modern Government.
3. Gladden, E.N., The Civil Service.

### 12.17 निबन्धात्मक प्रश्न

1. नौकरशाही की प्रमुख विशेषताओं और भूमिका पर चर्चा कीजिए।
2. मार्क्स और हीगेल के नौकरशाही के बारे में क्या विचार हैं?
3. नौकरशाही क्यों अपरिहार्य है? नौकरशाही की नकारात्मक तथा सकारात्मक भूमिका को समझाइए।

## इकाई- 13 भारतीय अधिकारीतंत्र (नौकरशाही) की औपनिवेशिक विरासत

### इकाई की संरचना

- 13.0 प्रस्तावना
- 13.1 उद्देश्य
- 13.2 भारत में अधिकारीतंत्र (नौकरशाही का विकास)
- 13.3 ब्रिटिश कालीन प्रशासन
  - 13.3.1 भारत में ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था (1858 से पूर्व)
  - 13.3.2 भारत में प्रशासनिक व्यवस्था (1858 से 1917 तक)
  - 13.3.3 भारत में प्रशासनिक व्यवस्था (1917 से 1937 तक)
  - 13.3.4 भारत में प्रशासनिक व्यवस्था (1937 से 1947 तक)
- 13.4 प्रशासनिक संस्थाएँ: उपनिवेश के सन्दर्भ में
  - 13.4.1 केन्द्रीय सचिवालय का विकास
  - 13.4.2 लोक सेवा का विकास
- 13.5 औपनिवेशिक विरासत: अर्थ
- 13.6 भारत में नौकरशाही: विशेषताएँ
- 13.7 ब्रिटिश भारत में अधिकारीतंत्र (नौकरशाही) का विकास
- 13.8 स्वतन्त्रत भारत में नौकरशाही का विकास
- 13.9 नौकरशाही: अखिल भारतीय सेवा के रूप में
- 13.10 सारांश
- 13.11 शब्दावली
- 13.12 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 13.13 सन्दर्भ ग्रंथ सूची
- 13.14 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 13.15 निबन्धात्मक प्रश्न

### 13.0 प्रस्तावना

भारतीय का प्रशासन का इतिहास जितना पुराना है उतना ही पुराना लोक-सेवा या अधिकारीतंत्र का इतिहास। भारत के प्रत्येक युग में किसी न किसी रूप में नौकरशाही या लोक-सेवा विद्यमान रही है। अधिकारीतंत्र का वर्तमान भारतीय स्वरूप अंग्रेजों की देन है, जब उन्होंने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के रूप में भारत में अपने पांव जमाएँ। धीरे-धीरे वे भारत के मालिक बन गये। उन्होंने मुगल सल्तनत की प्रशासकीय परम्पराओं को तोड़कर अपना प्रशासन लागू किया। लोक सेवा इस प्रशासन का मुख्य अंग थी जो पूरी तरह मैक्स वेबर के आदर्शवादी नौकरशाही के प्रतिमान (मॉडल) पर आधारित थी। स्वतन्त्र भारत ने इस औपनिवेशिक सेवा वर्गीय (अधिकारीतंत्र) को उसके मौलिक स्वरूप में स्वीकार कर लिया। बस अन्तर यह था कि नौकरशाही का भारतीयकरण कर लिया गया।

### 13.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप-

- भारत में लोक प्रशासन की जड़े कहाँ तक फैली हुई हैं? इस संबंध में जान पायेंगे।
- मुगल-शासन के पतन के बाद ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने किस प्रकार से और कितने चरणों में नये प्रशासन की नींव डाली? इसे जान पायेंगे।
- ब्रिटिश प्रशासन की क्या विशेषता थी और उसमें नौकरशाही की क्या भूमिका थी? इसे समझ पायेंगे।
- वे कौन-कौन से अधिनियम थे, जिनके कारण सेवी वर्ग का विकास हुआ? इससे अवगत हो पायेंगे।
- ये जान पायेंगे कि वे कौन-कौन से गर्वनर जनरल तथा वायसराय थे, जिनकी दूरदृष्टि से भारत में प्रशासन का विकास हुआ?
- स्वतन्त्र भारत में लोक सेवा की औपनिवेशिक विरासत को क्यों बनाये रखा गया? इसे समझ पायेंगे।
- भारत में नौकरशाही की वर्तमान स्थिति के संबंध में जान पायेंगे।

### 13.2 भारत में अधिकारीतंत्र (नौकरशाही का विकास)

आधुनिक भारत में लोक-सेवा अथवा नौकरशाही का जो स्वरूप और भारतीय प्रशासन में उसकी जो भूमिका नज़र आती है वह वास्तव में उपनिवेशवाद की प्रशासनिक व्यवस्था का प्रतिबिम्ब है, यद्यपि इसकी जड़े, मुगल कालीन भारतीय प्रशासन तक फैली हुई हैं। लेकिन यह भी सच है कि आज के समान प्राचीन भारतीय व्यवस्था में अखिल भारतीय सेवाओं का गठन नहीं किया गया था। मुगल सूबेदारों ने स्थानीय लोक-सेवाएँ विकसित की थीं। लोक-सेवा के विकास को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है-

1. प्राचीन भारत में लोक-सेवा मुगल-शासन के सन्दर्भ में।
2. ब्रिटिश उपनिवेश काल में लोक-सेवा का विकास।
3. स्वतन्त्र भारत में लोक-सेवा।

इस इकाई में हम भारत में अधिकारी तंत्र (नौकरशाही) को भारत में ब्रिटिश उपनिवेश के परिवेश में समझने का प्रयास करेंगे।

भारत में अधिकारीतंत्र (प्रशासन) ऋग्वैदिक काल से आरम्भ होकर, उत्तर-वैदिक काल, महाकाव्य काल से गुज़रता हुआ मौर्य काल (कौटिल्य युग) और गुप्तकाल को स्पर्श करके राजपूत काल तक पहुँचा। 1206 से 1526 तक भारत में सल्तनतकालीन प्रशासन का प्रभुत्व रहा जिसकी अपनी विशेषता थी। इसके उपरान्त 1526 से लेकर 1858 तक का प्रशासनिक तंत्र मुगल कालीन माना जाता है। मुगल-शासन के पतन के साथ ही मुगल-प्रशासन का भी सूर्य अस्त हो गया। और अब आरम्भ हुआ ब्रिटिश कालीन शासन और उसके साथ ही उसका विशिष्ट प्रशासन जो पूरी तरह अधिकारीतंत्र पर या नौकरशाही पर आधारित था।

इस तरह हम देखते हैं कि अपने अतीत में भारत प्रशासन सम्पन्न था और लगभग प्रत्येक भारतीय विकास के चरण में अधिकारियों की अहम भूमिका थी।

### 13.3 ब्रिटिश कालीन प्रशासन

सन् 1600ई में ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना के साथ ब्रिटिश प्रशासन का युग भी आरम्भ हुआ। यह कम्पनी मुगल-शासन की उत्तराधिकारी बनी। इसका उस समय पहला लक्ष्य व्यापार करना था लेकिन धीरे-धीरे जब इसकी प्रादेशिक महत्वाकांक्षायें प्रबल होने लगीं तब शीघ्र ही वह भारत में एक प्रमुख यूरोपीय राजनीतिक शक्ति बन गई। इधर मुगल शासन कमजोर पड़ रहा था और उसका प्रशासन अस्त-व्यस्त होने लगा था, तो उधर कम्पनी की पकड़ भारत पर मजबूत होती जा रही थी।

सन् 1773 से 1858 ई0 तक का ब्रिटिश काल 'दोहरी सरकार' का काल माना जाता है। इसका अर्थ था कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था पर ब्रिटिश संसद का भी प्रभाव बढ़ गया था। कम्पनी के निर्णयों पर ब्रिटिश संसद पूरी तरह हावी थी।

गदर (1857) से पूर्व भारत में ब्रिटिश शासन व्यवस्था और प्रशासन के विकास में रेग्यूलेटिंग एक्ट को एक ऐसा बिन्दु माना जाता है जिसके चारों ओर भारत का संवैधानिक इतिहास घूमता नजर आता है। सन् 1813, 1833, 1858, 1861, 1892, 1909 और 1935 के महत्वपूर्ण एक्ट (अधिनियम) इस संवैधानिक इतिहास के मील के पत्थर माने जाते हैं। इन अधिनियमों ने भारत को संसदीय संस्थायें दीं, जिनके आधार पर भारत का वर्तमान संविधान बना है। इस संविधान ने जो प्रशासनिक ढाँचा तैयार किया उसकी जड़े ब्रिटिश शासनकाल के प्रशासनिक विकास में तलाश करना होंगी, जिसे उपनिवेशकाल भी कहा जा सकता है। इस विकास को चार चरणों में विभक्त किया जा सकता है-

### 13.3.1 भारत में ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था (1858 से पूर्व)

सन् 1600 में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया और इस तरह भारत में 1600 से लेकर 1858 तक के काल को उपनिवेश काल (Colonial period) कहा जाता है।

सन् 1773 में भारत में रेग्यूलेटिंग एक्ट (Regulating Act) पास किया गया। इस एक्ट ने कम्पनी की निरंकुश सत्ता पर लगाम लगाई। इसी अधिनियम के तहत भारतीय प्रशासन का दायित्व कम्पनी और ब्रिटिश सरकार के मध्य बंट गया। लेकिन रेग्यूलेटिंग एक्ट में भी बहुत सी कमियाँ थीं। फलस्वरूप सन् 1784 में पिट्स इण्डिया एक्ट पास हुआ। इसने गवर्नर जनरल की शक्ति बढ़ा दी। उसके निरीक्षण एवं नियंत्रण के अधिकार स्पष्ट कर दिये गये। एक नियंत्रण मण्डल की स्थापना की गयी। कम्पनी के तीन अधिकार-दीवानी, सैनिक और मालगुजारी पर नियंत्रण के अधिकार नियंत्रण-मण्डल को सौंप दिये गये।

सन् 1793, 1813, 1833 और 1854 में नये अधिनियम बनाये गये जिनको प्रशासनिक विकास की दृष्टि से अहम माना जाता है। पहली बार इस दौर में कलेक्टर का पद अस्तित्व में आया जो राजस्व एकत्रित करने तथा गाँवों का प्रशासन करने का उत्तरदायित्व संभालता था।

1833 के अधिनियम ने भारत में केन्द्रीकृत प्रशासन की नींव डाली। 1857 के विद्रोह के बाद यह स्वीकार किया जाने लगा कि कम्पनी का प्रशासन अनेक अधिनियमों के पारित होने के बाद भी पूरी तरह असंतोषजनक था। फलतः भारत सरकार का संचालन कम्पनी से क्राउन ने ले लिया। लेकिन इस दौर में अनेक प्रशासनिक संस्थाएँ अस्तित्व में आयीं जिनमें (अ) गवर्नर-इन-कौंसिल, (ब) केन्द्रित प्रशासनिक व्यवस्था, (स) गवर्नर जनरल और उसकी परिषद्, -(द) नियंत्रण मण्डल, तथा (ध) कलेक्टर।

इस तरह परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न अधिनियम अस्तित्व में आये और धीरे-धीरे भावी भारत की प्रशासनिक संरचना तैयार होने लगी।

### 13.3.2 भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था (1858 से 1917 तक)

सन् 1857 के विद्रोह के दो नतीजे निकले। पहला यह कि कम्पनी का स्वेच्छाचारी शासन समाप्त हो गया। दूसरा यह कि 1858 के अधिनियम के तहत कम्पनी के स्थान पर ब्रिटिश संसद के शासन की स्थापना की गयी। इस बदलाव के महत्वपूर्ण प्रशासनिक नतीजे सामने आये जो इस प्रकार थे-

1. भारत में सत्ता का केन्द्रीकरण गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद् में निहित हो गया, जिसका प्रयोग उनके अधिकारियों द्वारा किया जाने लगा। यही अधिकारी अन्ततः लोकसेवी या नौकरशाह कहलाये गये।

2. 1857 के अधिनियम की कमजोरियों को दूर करने के लिए 1861 का अधिनियम लाया गया, जिसके आधार पर प्रशासन में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इस अधिनियम ने प्रशासन की एक ऐसी संरचना तैयार की जो ब्रिटिश शासन के अन्त तक चलती रही। इसकी प्रमुख विशेषतायें इस प्रकार थीं- (क) प्रशासन में भारतीयों के प्रवेश का दरवाजा खुला, (ख) इस अधिनियम से भारतीयों को गर्वनर जनरल के विधि-निर्माण के कार्य में भागीदारी का अवसर मिला।
3. 1861 के बाद 1892, 1909 और 1919 के अधिनियम आये लेकिन इन अधिनियमों ने प्रशासन की गति को धीमा कर दिया, क्योंकि (अ) केन्द्र में सत्ता का केन्द्रीकरण अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया, (ब) विधायी कार्यों पर कार्यपालिका का नियन्त्रण हो गया, तथा (स) सम्पूर्ण भारतीय प्रशासन का अन्तिम दायित्व ब्रिटिश संसद के हाथ में चला गया।
4. 1917 में भारत सचिव माण्टेग्यू ने घोषणा की कि प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में भारतीयों का अधिक सहयोग लिया जायेगा और स्वशासन की संस्थाओं का क्रमिक विकास किया जायेगा। परिणाम स्वरूप 1919 के भारत परिषद अधिनियम ने स्वशासन की नींव डाली और इस तरह भारतीयों के लिए प्रशासन में भागीदारी का रास्ता खुल गया।

### 13.3.3 भारत में प्रशासनिक व्यवस्था (1917 से 1937 तक)

ब्रिटिश इण्डिया की प्रशासनिक व्यवस्था के विकास की दृष्टि से यह काल महत्वपूर्ण माना जाता है, विशेष रूप से भारतीय प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी के नजरिये से स्वाशासन की दिशा में कदम आगे बढ़ाये गये, प्रान्तों को स्वायत्ता प्राप्त हुई तथा द्वैध शासन की स्थापना हुई।

इसी काल में नौकरशाही को बढ़ावा मिला तथा नौकरशाही और लोकतंत्र को एक साथ मिलाया गया। एकात्मक सरकार होते हुए भी केन्द्रीय एवं प्रान्तीय सरकारों के कार्यक्षेत्र निश्चित कर दिये गये जिसके फलस्वरूप प्रशासन का भी दायरा बढ़ा और कार्यों में वृद्धि के साथ प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या भी बढ़ी जिसमें भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। गर्वनर को जो असाधारण शक्तियाँ मिलीं वे वास्तव में नौकरशाही में केन्द्रित हो गयीं। इसी काल में विभागों की स्थापना की गई तथा पुराने प्रशासनिक संगठनों को पुर्नगठित करके उनको नया नाम तथा नया क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया।

### 13.3.4 भारत में प्रशासनिक व्यवस्था (1937 से 1947 तक)

भारत के संवैधानिक इतिहास पर सब से गहरी छाप 1935 के अधिनियम की है। कूपलैण्ड के अनुसार 1935 का अधिनियम “रचनात्मक राजनीतिक विचार की एक महान सफलता था।” भारत में संघात्मक व्यवस्था इसी अधिनियम की ऋणी है। संघात्मक व्यवस्था के साथ संघीय कार्यपालिका, संघीय विधानमण्डल तथा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। प्रान्तीय सरकारों तथा संघीय सरकार के ‘विषय’ निश्चित किये गये। इन विषयों में भू-राजस्व, आबकारी कर, कृषि आयकर, भूमिकर आदि स्थापित किये गये।

उक्त विषयों से सम्बन्धित भारतीय प्रशासन को नये आयाम तथा नये मापदण्ड हासिल हुए जिन्होंने वर्तमान भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की नींव डाली। इस बारे में जो प्रशासनिक तथ्य उजागर हुए उनको चार भागों में बाँटा जा सकता है-

1. प्रतिनिधित्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना,
2. शासन का लोकतंत्रीकरण और उत्तरदायित्व की प्रकृति का विकास,
3. भारतीय प्रशासन का भारतीयकरण और इस प्रशासन में भारतीयों की महत्वपूर्ण भागीदारी, तथा
4. सेवी वर्ग का स्पष्ट उदय और नौकरशाही की शक्तियों में वृद्धि।

इन चार बातों का नतीजा यह निकला कि एक केन्द्रीकृत अखिल भारतीय सेवाओं का जन्म हुआ जो विरासत के रूप में आज भी विद्यमान है।

ब्रिटिश-काल में भारतीय प्रशासन के विकास का इतिहास स्वतन्त्रता आन्दोलन के परिवेश में पनपने वाली प्रवृत्तियों के प्रभाव का इतिहास है। यह कहना सही होगा कि आज भारत को विरासत के रूप में जो प्रशासनिक संस्थाएं मिली हैं उसका श्रेय अंग्रेजों को जाता है।

### 13.4 प्रशासनिक संस्थाएं: उपनिवेश के सन्दर्भ में

प्रशासनिक विकास की दृष्टि से ब्रिटिश युग में अनेक प्रशासनिक संस्थायें अस्तित्व में आईं जिनका संक्षेप में वर्णन अनिवार्य है। यह संस्थाएं हैं-

#### 13.4.1 केन्द्रीय सचिवालय का विकास

प्रशासनिक एकता स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सचिवालय की स्थापना की गई जिसे बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन 1833 में गठित किया गया। 1843 से लेकर 1947 तक सचिवालय में समय-समय पर परिवर्तन किये गये- राजस्व और वित्त-विभागों को मिलाकर एक विभाग बनाया गया। लार्ड कार्नवैलिस ने सचिवालय के महामंत्री पद का सृजन किया जिसे बाद में प्रमुख सचिव का नाम दिया गया। यह अधिकारी आज भी प्रशासनिक व्यवस्था में मौजूद है।

सचिवालय के विकास में लार्ड वेलेजली का काफी योगदान है। उसके काल में सचिवालय अधिक शक्ति सम्पन्न हुआ और उसके उत्तरदायित्व में वृद्धि हुई। गवर्नर जनरल के कार्यालय और सचिवालय को चार विभागों में विभक्त किया गया। प्रत्येक विभाग का एक सचिव बनाया गया। 1919 तक पुर्नगठित सचिवालय में ग्यारह विभाग अस्तित्व में आ गये जहाँ प्रत्येक विभाग का एक सचिव तथा जूनियर सचिव बनाये गये। धीरे-धीरे परिस्थितियों के अनुसार सचिवालय का पुर्नगठन किया गया-समन्वय विभाग, युद्ध आपूर्ति मण्डल, खाद्य विभाग, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, योजना तथा विकास विभाग, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि मंत्रालय, श्रम-मंत्रालय जैसे 19 विभाग अगस्त 1947 तक अस्तित्व में आ चुके थे।

परिणाम स्वरूप अधिकारियों की एक लम्बी कतार खड़ी हो गयी और इस तरह एक दक्ष, परिपक्व और अनुभवी सेवी वर्ग उदित हुआ और अन्ततः नौकरशाही की एक मजबूत इमारत खड़ी हो गई।

#### 13.4.2 लोक-सेवा का विकास

प्रशासन के क्षेत्र में ब्रिटिश प्रशासनिक सेवाओं का बहुत महत्व है। मुगल-साम्राज्य के पतन के बाद ईस्ट इण्डिया कम्पनी के आने के साथ लूट-प्रथा भी विकसित हुई। वॉरेन हेस्टिंग्स तथा कार्नवैलिस जैसे गवर्नर जनरलों ने भू-राजस्व की वसूली तथा शान्ति एवं व्यवस्था की स्थापना के क्षेत्र में लोक-सेवाओं की आधारशिला रखकर महत्वपूर्ण कार्य किया।

लोक सेवा का इतिहास विकास का परिणाम है जो धीरे-धीरे सुधारों के कारण हुआ। लार्ड कार्नवैलिस (1785-93) ने भारत की लोक सेवा में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किये। लार्ड वेलेजली का भी इस दिशा में योगदान रहा। उसने प्रशासकों के सूक्ष्म चयन और प्रशिक्षण की नींव डाली। चयनित लोक सेवकों को प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज भेजा।

1833 में ब्रिटिश संसद द्वारा कम्पनी को स्वीकृत किये गये चार्टर के अनुसार लोक सेवकों की भर्ती बिना भेद-भाव के समान रूप से खुली प्रतियोगिता के आधार पर की जाने लगी।



लार्ड मैकाले को लोक सेवा के इतिहास का स्वर्लोकप्रिय जनक माना जा सकता है। उसकी सिफारिशें आज की भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के गठन और कार्य-प्रणाली की आधारशिलायें मानी जाती हैं। 1857 में मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ। इस समिति ने जो सिफारिशें कीं उनका सम्बन्ध आई0सी0एस0 से था जिसने स्वतन्त्रता के बाद आई0ए0एस0 का रूप ले लिया।

कम्पनी के शासन के स्थान पर 1858 में ब्रिटिश क्राउन के शासन की नींव पड़ी। 1886 में वायसराय लार्ड डफरिन ने एचिसन आयोग स्थापित किया। जिसके सुझावों के अनुसार सामान्य सेवाओं को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया-भारतीय नागरिक सेवा, प्रान्तीय सेवा और अधीनस्थ सेवा। लार्ड इस्लिंग्टन की अध्यक्षता में 1912 में लोक सेवाओं के प्रश्न पर विचार करने के लिए पुनः एक आयोग स्थापित किया गया जिसकी सिफारिशों को 1917 में लागू किया गया। इन सिफारिशों में (अ) भारत और इंग्लैण्ड में लोक सेवकों के चयन के लिए एक साथ परीक्षायें आयोजित करना, (ब) एक चौथाई पद भारतीयों के लिए सुरक्षित रखना, तथा (स) नियुक्ति और पदोन्नति दोनों से पदों को भरने की बात कही गई।

इसी सिलसिले में मॉण्टेग्यू-चैम्सफोर्ड रिपोर्ट (1918) तैयार की गयी। इसमें लोक-सेवा के सम्बन्ध में तीन महत्वपूर्ण सिफारिशों की गयीं: (1) लोक सेवा की परीक्षा इंग्लैण्ड और भारत में एक साथ ली जाए, (2) भारतीय लोक-सेवा में भारतीयों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रारम्भ में वरिष्ठ पदों में से एक-तिहाई पदों के लिए भर्ती भारत में की जाये, (3) आई0सी0एस0 के अधिकारियों के वेतनमान, निवृत्ति, वेतन और समुद्र पार के भत्तों में वृद्धि की जाये।

प्रथम विश्व युद्ध के बाद लोक-सेवाओं के भारतीयकरण की मांग बढ़ने के कारण तथा नई परिस्थितियों के अनुकूल भारत में एक उच्च लोक सेवा विषयक रायल आयोग की नियुक्ति की गयी। इस के अध्यक्ष लार्ड ली थे। इस आयोग की सिफारिश के आधार पर 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गयी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने लोक सेवा-आयोग को नई शक्तियाँ प्रदान कीं तथा सूबों (चतवअपदबम) में भी लोक सेवा आयोग की स्थापना की गयी।

इस तरह लोक सेवा की सौगात स्वतन्त्र भारत को विरासत में मिली। तब तक लोक-सेवाएँ बहुत विकसित हो चुकी थीं। औपनिवेशिक संस्था आई0सी0एस0 के स्थान पर अखिल भारतीय सेवाएँ-आई0ए0एस0 और आई0पी0एस0 (इण्डियन पुलिस सर्विस) की स्थापना की गई। 1951 में भारतीय वन-सेवा की स्थापना की गयी। 1954 में भारतीय लोक-प्रशासक संस्थान अस्तित्व में आया और 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया। तब से अब तक लोक-सेवा के विकास की यह निरन्तरता बनी हुई है।

### 13.5 औपनिवेशिक विरासत: अर्थ

मुगल साम्राज्य के पतन और ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी के आगमन के साथ भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का (Colonialism) नया दौर शुरू हो गया। भारत एक उपनिवेश बन गया। ब्रिटेन व्यापारी माल के साथ-साथ अपने विचार भी लाया जिनमें एक 'विचार' था प्रशासन का यह ऐसी देन थी जिसने भारत पर गहरी छाप छोड़ी और जिसे वास्तव में औपनिवेशिक विरासत कहा गया। यह विरासत एक यथार्थ है और इसे वर्तमान भारतीय प्रशासन या लोक सेवा से अलग नहीं किया जा सकता। सदियों के अन्तराल में भारतीय लोक सेवकों के व्यवहार और स्वभाव का अटूट रिश्ता बन जाने के कारण यह विरासतें आज भी प्रभावी हैं और प्रशासन को तर्कसंगतता दे रही हैं।

आज भी प्रशासन की इकाईयाँ वहीं हैं जो ब्रिटिश काल में थी-सम्भाग, जिला, उप-सम्भाग और तहसील। ब्रिटिश कालीन की प्रत्येक इकाई में प्रमुख अधिकारी के रूप में एक सामान्य प्रशासक रहता था। ऐसे अधिकारी थे कमिश्नर, कलेक्टर, एस0डी0ओ0 (अब एस0डी0एम0) और तहसीलदार। यह व्यवस्था आज भी है।

ब्रिटिश काल में एक ही सेवा के सदस्य विभिन्न स्तरों पर काम करते थे, जैसे आई0सी0एस0 के सदस्य केन्द्रीय सचिवालय और प्रान्तीय सचिवालयों में भी काम करते थे और सम्भाग तथा जिलों में क्रमशः कमिश्नर व कलेक्टर भी होते थे। स्वतन्त्र भारत को विरासत के रूप में तीन प्रकार की सेवायें मिलीं: अखिल भारतीय सेवायें, केन्द्रीय सेवायें और प्रान्तीय सेवायें। औपनिवेशिक विरासत के संदर्भ में यही सेवायें अधिकारीतंत्र, नौकरशाही या सेवी-वर्ग अथवा लोक सेवायें कहलायी जाती हैं।

राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व ब्रिटिश नौकरशाही को ब्रिटिश सत्ता का पोषक और जन आन्दोलन का विरोधी समझता था। लेकिन स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी अधिकारीतंत्र को तोड़कर कोई नई प्रशासकीय व्यवस्था की संभावना कम नजर आई। स्वतन्त्र भारत में भी नौकरशाही का औचित्य स्वीकार किया गया। सरदार पटेल ने संविधान सभा में स्वीकार किया कि 'यदि लोक सेवाओं को हटा दिया जाये तो पूरे देश में अव्यवस्था फैल जायेगी।' इसलिए ब्रिटिशकालीन लोक सेवाओं के ढांचे को लगभग उसी रूप में रखा गया। अन्तर केवल इतना हुआ कि मुख्य सेवा का नाम आई0सी0एस0 के स्थान पर आई0ए0एस0 कर दिया गया परन्तु उसके चयन के तरीके और कार्य-पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

अतः यह कहा जा सकता है कि विरासत के रूप में न केवल प्रशासनतंत्र मिला, बल्कि नौकरशाही की पूरी मानसिकता, उसका आचरण, उसका समाज के प्रति दृष्टिकोण और इन सब बातों से जन्मी समस्यायें भी विरासत में मिलीं। समस्या उस समय और भी गम्भीर हो गयी जब साम्राज्यवादी शासनतंत्र को लोकतंत्रात्मक परिवेश में समायोजित करना कठिन हो गया।

### 13.6 भारत में नौकरशाही: विशेषताएँ

प्रशासन में अधिकारीतंत्र (नौकरशाही) एक महत्वपूर्ण घटक है। लोक-सेवक वास्तव में प्रशासन का मूर्त रूप हैं। यह सरकारी प्रशासनतंत्र का संचालन करता है। यह नीतिगत निर्णयों, नियमों तथा विनियमों का आदि भी है और अंत भी। प्रशासनिक क्रियान्वयन की सफलता-असफलता में इसी की भूमिका है। यह वास्तविक प्रशासक है जिसके भारत में अनेक नाम हैं-अधिकारी, लोक सेवक, नौकरशाह, लेकिन नामों से इसके काम में कोई अन्तर नहीं पड़ता है। एक लोक सेवक की आज भी जो विशेषताएँ हैं, भारत में उसे वे विरासत से मिली हैं। भारत में अधिकारीतंत्र (नौकरशाही) की जो प्रमुख विशेषतायें हैं, वे इस प्रकार हैं-

1. प्रशिक्षित, योग्य, अनुभवी और कुशल अधिकारी,
2. लोक सेवा वैतनिक कार्यकर्ताओं का निकाय,
3. लोक सेवक पेशेवर, स्थायी अधिकारियों का निकाय,
4. लोक सेवक राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ एवं निष्पक्ष,
5. लोक सेवा संगठन पद-सोपान सिद्धान्त पर आधारित,
6. लोक अधिकारी प्रत्येक राज्य-व्यवस्था के शासन का अनिवार्य अंग होते हैं।

भारतीय प्रशासन व्यवस्था में अधिकारीतंत्र की यह सारी विशेषताएँ मौजूद हैं जो उसको औपनिवेशिक विरासत के रूप में मिली हैं।

स्वतन्त्र भारत में अधिकारीतंत्र या नौकरशाही लोक-सेवा प्रशासन की आधारशिला है। भारत में नौकरशाही जिन कार्यों का सम्पादन करती हैं, वे इस प्रकार हैं-

- राजनीतिक कार्यपालिका को नीति सम्बन्धी परामर्श देना।
- शासकीय नीतियों का परिपालन करना।
- लोक-कल्याणकारी कार्यों द्वारा जनता की सेवा करना।

- अर्द्ध-विद्यायी (डेलीगेटेड लेजिस्लेशन) तथा अर्द्ध न्यायिक (प्रशासकीय) कार्य करना।
- लोक सम्पर्क बनाये रखना तथा जन शिकायतों का निराकरण करना।
- वर्तमान परिवेश में पर्यावरण को बनाये रखने का प्रयास करना तथा प्रदूषण की समस्या का समाधान निकालना।
- सामाजिक विषमताओं, राजनीतिक टकरावों तथा साम्प्रदायिक तनावों के परिप्रेक्ष्य में कानून और व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखना तथा,
- लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाये रखना तथा मानव अधिकारों की रक्षा करना।

### 13.7 ब्रिटिश भारत में अधिकारीतंत्र (नौकरशाही) का विकास

अधिकारीतंत्र (नौकरशाही) के विकास को आमतौर से तीन भागों में विभाजित किया जाता है-

1. प्राचीन भारत में लोक-सेवा का विकास मुगल-शासक तक,
2. स्वतन्त्रता के पूर्व लोक-सेवा का विकास, तथा
3. स्वतन्त्र भारत में लोक-सेवा का विकास।

लेकिन यहाँ यदि नौकरशाही (अधिकारीतंत्र) को औपनिवेशिक विरासत के सन्दर्भ में देखना है तो स्वतन्त्रता के पूर्व नौकरशाही (लोक सेवा) के विकास को ध्यान में रखना होगा।

अधिकारीतंत्र स्वाधीनता से पूर्व: पिछले पन्नों में औपनिवेशिक विरासत के संदर्भ में ब्रिटिश प्रशासकीय व्यवस्था का अवलोकन किया गया। यहाँ विषय है प्रशासन के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में सेवी वर्ग या नौकरशाही की भूमिका और उसकी अनिवार्यता, विशेष रूप से औपनिवेशिक विरासत के परिप्रेक्ष्य में।

मुगल साम्राज्य के पतन और ब्रिटिश उपनिवेश की स्थापना के बाद दो संस्थायें सामने आई लूट-प्रथा और उसकी बुराईयों के बाद लोक सेवाओं का विकास। लोक सेवाओं की आधार शिला रखने का श्रेय वारेन हेस्टिंग्स तथा लार्ड कार्नवेलिस को जाता है। यह दोनों अपने समय में भारत के गवर्नर जनरल थे। इन लोक सेवाओं का धीरे-धीरे विकास हुआ। 1787 में जिलाधीश, मजिस्ट्रेसी तथा न्याय प्रशासन का कार्य एकीकृत किया गया। लोक सेवकों के चयन तथा प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया।

लार्ड क्लाइव ने 'कवेनेण्टेड (Covenanted) (लिखित वचन देना) तथा 'अकवेनेण्टेड' के रूप में लोकसेवाओं को विभागों में विभक्त कर दिया। 'कार्नवेलिस ने (1785-1793) लोक सेवा में पदोन्नति के लिए वरिष्ठता के सिद्धान्त को मान्यता दी। लार्ड वेलेजली ने प्रशासकों के प्रशिक्षण की नींव डाली। 1833 में एक चार्टर के द्वारा संसद ने खुली प्रतियोगिता पद्धति को चयन का आधार बनाया। भारतीय लोक-सेवाओं के इतिहास में 1854 सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसीलिए है कि लार्ड मैकाले ने आई0सी0एस0 के लिए जो मानक तैयार किये वे आज भी भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के गठन और कार्यप्रणाली की आधारशिला है। सच यह है कि 1858 में क्राउन की सरकार अधिकारीतंत्र का रूप ले चुकी थी या यूँ कहिए कि सरकार नौकरशाही में बदल चुकी थी।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि 1912, 1917, 1918 वे ऐतिहासिक वर्ष हैं जिनमें (लार्ड इस्लिंगटन से लेकर माण्टेग्यू-चैम्सफोर्ड की रिपोर्ट तक) लोक-सेवा का आंशिक भारतीयकरण हो चुका था। 1935 के ऐक्ट ने लोक सेवाओं के पूर्ण भारतीयकरण के लिए भूमिका तैयार कर दी।

### 13.8 स्वतन्त्र भारत में नौकरशाही का विकास

वास्तविकता तो यह है कि स्वाधीनता के आते-आते भारतीय प्रशासन को औपनिवेशिक विरासत में नौकरशाही की सौगात पूरी तरह मिल चुकी थी। अब मात्र आवश्यकता थी लोक सेवा को नई परिस्थितियों के अनुसार ढालने

की ताकि वह नये भारत की मांगों को पूरा कर सके। लोक सेवा को नवीन सरकारी तंत्र की व्यवस्था को नजर में रखना था। यह नवीन व्यवस्था थी-

1. लोकतंत्र और गणराज्य की स्थापना
2. संघात्मक शासन व्यवस्था
3. संसदात्मक शासन पद्धति
4. सरकार के अंगों का प्रथक्कणीकरण
5. शक्ति का विकेन्द्रीकरण तथा पंचायती राज की स्थापना।

अतः इस नई व्यवस्था को नजर में रखकर यह तय किया गया कि ब्रिटिश लोक सेवा के स्थान पर ऐसी सेवा की जिसमें विशुद्ध भारतीय अधिकारियों का प्रभुत्व हो। इसलिए आई0सी0एस0 तथा आई0पी0एस0 के स्थान पर अखिल भारतीय सेवाओं जैसे आई0ए0एस0 तथा आई0पी0एस0 की 1946 में नींव रखी गई लेकिन इसे 1950 में नये भारतीय संविधान के तहत लागू किया गया।

नई लोक सेवा के विकास में सरदार पटेल तथा पं० जवाहर लाल नेहरू का बड़ा योगदान है। जवाहरलाल नेहरू के निमंत्रण पर 1951 में प्रसिद्ध प्रशासनिक चिन्क ऐपल्बी भारत आये तथा इसी वर्ष ए0डी0 गोरवाला ने नेहरू के अनुरोध पर भारतीय लोक सेवा के सम्बन्ध में अपने अपने प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किये। इनकी सिफारिशों के अनुसार 1954 में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना की गयी। 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया।

1992 तक भारत में तीन अखिल भारतीय सेवायें, 51 केन्द्रीय सेवा ग्रुप “ए” तथा राज्य स्तरीय सेवायें थीं। इनमें केवल अखिल भारतीय सेवायें वास्तव में औपनिवेशिक विरासत का नमूना कही जा सकती है। इसलिए आगे केवल अखिल भारतीय सेवाओं की विवेचना करना जरूरी है।

### 13.9 नौकरशाही: अखिल भारतीय सेवा के रूप में

यह स्वीकार करना होगा कि आधुनिक भारत में प्रशासकीय संरचना ब्रिटिश शासन की देन है। इस संरचना में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, नौकरशाही या लोक-सेवा जिसे अखिल भारतीय सेवा का नाम दिया गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था के अपनाये जाने के बाद भी अखिल भारतीय सेवाओं के स्वरूप को यथावत बनाये रखना अपने आप में एक विचित्र विरोधाभास है। ऐसा क्यों है? यह विचारणीय प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं को यथावत रखना अनेक कारणों से आवश्यक माना गया जो इस प्रकार है-

1. यह केन्द्रीय सेवायें होती है इसलिए इनका नजरिया अधिक विस्तृत होता है जिससे देश में एकता और समरसता आती है,
2. इन सेवाओं के सदस्यों की भर्ती विस्तृत क्षेत्र से होती है। उनको अच्छा वेतन और सम्मान मिलता है जिससे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। देश को इस तरह योग्य, कुशल और कर्मठ अधिकारी मिलते हैं और यही कारण प्रतिभाशाली सदस्यों को इन सेवाओं के लिए आकर्षित करता है,
3. देश के प्रशासन का उच्चतम स्तर होना चाहिए। यह तभी सम्भव है जब प्रशासकीय पदों पर उच्च स्तर के नौजवान पहुँचे। वे जितने योग्य, निष्ठावान, ईमानदार, अनुभवी और प्रशिक्षित होंगे इतना ही प्रशासन का स्तर ऊँचा होगा। इस तथ्य को अम्बेडकर ने भी स्वयं स्वीकार किया है,
4. यह सेवा देशभर में प्रशासकीय प्रणाली में समरूपता स्थापित करती है। वास्तव में इसी समरूपता की विशेषता को अंग्रेजी शासन की महान देन माना जाता है,
5. यह सेवा राष्ट्रीय एकता की दिशा में एक अहम भूमिका अदा करती है, विशेष रूप से एक ऐसे देश में जहाँ बहुलवादी संस्कृति है। लोकसेवकों का नजरिया पूरे देश के लिए एक जैसा होता है। वे जातीयता तथा

साम्प्रदायिकता की सर्कींग भावना से मुक्त होते हैं। उनमें निष्पक्षता होती है जो देश को एकसूत्र में बांधे रखती है,

6. संघीय लोक सेवा प्रशासन की रीढ़ हैं वे सामान्य तथा आपात काल की परिस्थितियों में राष्ट्रपति या राज्यपालों के लिए भी महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं।

यह वह तर्क थे जिनके आधार पर लोक सेवा में औपनिवेशिक विरासत को आज तक संजोय रखा है। मैक्स वेबर के “नौकरशाही के आदर्श प्रतिमान” ने इस विरासत को और भी सार्थकता प्रदान की है। आज भारत में ब्रिटिश काल की नौकरशाही अपनी पूरी मानसिकता तथा अपने गुणो-अवगुणों के साथ भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में विद्यमान है जिस से पीछा छुड़ाना लगभग असंभव है।

विशेष बात यह देखने को मिलती है कि आधुनिक भारत की लोकसेवा में वर्गीकरण, भर्ती, प्रशिक्षण तथा पदोन्नति की प्रक्रिया की पद्धति पूरी तरह आज भी ब्रिटिश पद्धति से प्रभावित है। कर्तव्य, उत्तरदायित्व और उनके अनुसार पद संरचना की भी वही अवधारणाएँ हैं जो ब्रिटिश काल में विद्यमान थीं। यह और बात है कि नई राजनीतिक व्यवस्था के कारण लोकसेवियों या नौकरशाही में वफादारी, निष्ठा, प्रतिबद्धता तथा तटस्थता का नज़रिया बदला है।

#### अभ्यास प्रश्न-

1. किस सदी में ईस्ट इण्डिया कम्पनी की भारत में स्थापना हुई?
 

क. 17वीं सदी में	ख. 16वीं सदी में
ग. 18वीं सदी में	घ. 15वीं सदी में
2. भारत में लोक सेवा के विकास को कितने चरणों में बाँटा जा सकता है?
 

क. चार भागों में	ख. पांच भागों में
ग. तीन भागों में	घ. दो भागों में
3. भारत में नौकरशाही की बुनियाद डालने का जनक किसे माना जाता है?
 

क. लार्ड इस्लिंग्टन	ख. लार्ड मैकाले
ग. माण्टेग्यू-चैम्सफोर्ड को	घ. लार्ड डफरिन
4. आई0ए0एस0 का औपनिवेशिक कालीन नाम क्या था?
 

क. आई0एफ0एस0	ख. ई0सी0एस0
ग. पी0सी0एस0	घ. आई0सी0एस0
5. जवाहर लाल नेहरू ने किन दो प्रशासकीय चिन्तकों को भारत में प्रशासन सुधार के लिए आमंत्रित किया?
 

क. सन्थानम, एल0डी0व्हाइट	ख. फाइनर, मावलंकर
ग. ऐप्लेबी, गोरवाला	घ. डिमांक, सन्थानम

#### 13.10 सारांश

- भारत में लोक-सेवा (नौकरशाही) प्रशासनिक विकास का परिणाम है। इसकी जड़ें प्राचीन काल से लेकर मुगलकाल तक तथा ब्रिटिश उपनिवेश काल से लेकर स्वाधीनता के आन्दोलन के अन्त तक फैली हुई हैं। आज भारत में लोक सेवा का जो स्वरूप है वह ब्रिटिश शासन काल या उपनिवेश युग की देन है। इसलिए नौकरशाही को औपनिवेशिक विरासत माना जाता है।
- 1600ई0 में भारत में ईस्ट इण्डिया की स्थापना के साथ ब्रिटिश प्रशासनिक सेवाओं का इतिहास आरम्भ होता है। 1857 के विद्रोह से पूर्व भारत के प्रशासनिक विकास में रेग्यूलैटिंग एक्ट का बड़ा महत्व है।

1833 के अधिनियम से लेकर विभिन्न महत्वपूर्ण अधिनियमों से गुजरात हुआ ब्रिटिश प्रशासनिक सेवा (लोकसेवा) का इतिहास सन् 1935 के महत्वपूर्ण एक्ट तक आकर रूकता है।

- औपनिवेशिक विरासत की दृष्टि से ब्रिटिश प्रशासनिक काल को चार चरणों में बाँटा गया है: (अ) 1858 से पूर्व की प्रशासनिक व्यवस्था, (ब) 1858 से 1917 की प्रशासनिक व्यवस्था, (स) 1917 से 1937 तक प्रशासनिक व्यवस्था, तथा (द) 1937 से 1947 तक की प्रशासनिक व्यवस्था। कुल मिलाकर इन चारों चरणों को ही अधिकारीतंत्र या नौकरशाही की औपनिवेशिक विरासत कहा जा सकता है।
- ब्रिटिश युग में अनेक प्रशासनिक संस्थाओं का विकास हुआ जिनमें केन्द्रीय सचिवालय, लोक सेवा (नौकरशाही), और स्थानीय प्रशासन प्रमुख हैं। इस दौरान लोक सेवाओं के विकास में लार्ड कार्नवैलिस, लार्ड मैकाले, लार्ड डफरिन, लार्ड इस्लिंग्टन, जैसे गर्वनर जनरलों के अतिरिक्त माण्टेग्यू-चैम्सफोर्ड जैसे महान अधिकारियों का बड़ा योगदान है।
- ब्रिटिश प्रशासनिक (नौकरशाही से सम्बन्धित) विरासत को भी समझना जरूरी है। नौकरशाही, उसकी मानसिकता, उसका आचरण, प्रशासनिक इकाईयाँ जैसे संभाग, जिला, उप-सम्भाग और तहसील तथा इन इकाईयों से सम्बद्ध कमिश्नर, कलेक्टर, एस0डी0ओ और तहसीलदार वे घटक हैं जो भारत को विरासत में मिले हैं। इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवायें, और प्रान्तीय सेवायें तथा केन्द्रीय सेवायें ऐसी औपनिवेशिक विरासत हैं जो आज भी ज्यूं की त्यूं बनी हुई हैं।
- आधुनिक भारत में नौकरशाही (अधिकारीतंत्र की) वही विशेषताएं हैं जैसी 1947 से पूर्व ब्रिटिश काल में थी। उनकी योग्यता, प्रशिक्षण, भर्ती, वेतन, उनकी निष्ठा, निष्पक्षताः, प्रशासनिक संरचना में पदसोपानियता, उत्तर दायित्व, कर्त्तव्य सब वे ही हैं, जो उनको विरासत में मिले हैं।
- 1912 से लेकर 1918 तक लोक सेवाओं के भारतीयकरण की प्रक्रिया चली। यह आंशिक भारतीयकरण था। इसलिए 1935 के एक्ट ने लोक सेवाओं के पूर्ण भारतीयकरण के लिए भूमिका तैयार कर दी।
- स्वतन्त्र भारत में अब आवश्यकता इस बात की थी कि लोक सेवा में औपनिवेशिक विरासत को नई परिस्थितियों शासन की लोकतांत्रिक संरचना, जनकल्याण की भावना, समरसता और एकता की अनिवार्यता-के साथ कैसे ताल-मेल बिठाया जाये। इसलिए अखिल भारतीय सेवाओं की नींव डाली गयी। आई0सी0एस0 के स्थान पर आई0ए0एस0 की नींव 1946 में पड़ी तथा चयन के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना की गयी।

### 13.11 शब्दावली

औपनिवेशिक (Colonial)- कॉलोनी शब्द से बनाया है ब्रिटिश साम्राज्य ने अफ्रीका तथा एशिया के देशों को अपना उपनिवेश बनाया विशेष रूप से व्यापार के लिये बाद में राजनीतिक दृष्टि से भी इन उपनिवेशों में ब्रिटेन ने अपना शासन स्थापित कर लिया। विरासत (Heritage)- वे राजनीतिक, वैधानिक तथा प्रशासनिक संस्थाएँ हैं जो ब्रिटिश शासन में विकसित हुईं वे भारतीय उपनिवेश के लिए विरासत हैं लोक सेवा (नौकरशाही) उनमें से सबसे महत्वपूर्ण विरासत है। अधिकारीतंत्र (officialdom)- यह विचार ऐन्थानी डाउन्स ने नौकरशाही या नौकरशाह के स्थान पर रखा क्योंकि नौकरशाही एक बदनाम शब्द बन गया था इसलिए वह इस संस्था को 'अधिकारी' कहना पसन्द करता था।

लोक सेवा (Civil Service) वास्तव में 'मिलिट्री सर्विस' को ध्यान में रखकर सिविल सर्विस की अवधारणा रखी गयी।



**13.12 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर**

1. ख, 2. ग, 3. ख, 4. घ, 5. क

**13.13 सन्दर्भ ग्रंथ सूची**

1. अवस्थी-अवस्थी: भारतीय प्रशासन, आगरा।
2. पायली, एम0वी0: भारतीय संविधान, देहली।
3. अवस्थी एवं महेश्वरी: लोक प्रशासन, आगरा।
4. फड़िया, बाबूलाल: भारत में लोक प्रशासन, आगरा।
5. Stall : Public Personnel Administration.

**13.14 सहायक/उपयोगी अध्ययन सामग्री**

1. Gorwala, A.D. : Report on Public Administration, 1951.
2. White, L.D. : An Introduction to the Study of Public Administration.
3. Appleby, P.H. : Report on Public Administration.
4. Ashok Chanda : Indian Administration, London.

**13.15 निबन्धात्मक प्रश्न**

1. भारत में प्रशासनिक विकास को स्पष्ट करते हुए उपनिवेश के सन्दर्भ में भारत में प्रशासनिक संस्थाओं को समझाइए।
2. औपनिवेशिक विरासत नौकरशाही के परिप्रेक्ष्य में क्या थीं? तथा भारत में नौकरशाही की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए।
3. स्वतन्त्र भारत में नौकरशाही को क्यों स्वीकार किया गया?
4. अखिल भारतीय सेवाएँ क्या हैं?

## इकाई- 14 भारतीय अधिकारीतंत्र (नौकरशाही) की सामाजिक पृष्ठभूमि

### इकाई की संरचना

- 14.0 प्रस्तावना
- 14.1 उद्देश्य
- 14.2 समाज की अवधारणा
- 14.3 भारतीय समाज: प्रकृति
  - 14.3.1 समाज का बहुलवादी स्वरूप
  - 14.3.2 विभिन्नता में एकता
- 14.4 भारतीय समाज के नकारात्मक पहलू
- 14.5 अधिकारीतंत्र (नौकरशाही): अर्थ और प्रकृति
- 14.6 भारतीय अधिकारीतंत्र: ब्रिटिश काल
  - 14.6.1 आरम्भ काल (1600-1858)
  - 14.6.2 सुधार काल (1858-1947)
- 14.7 अधिकारीतंत्र: भारतीय संदर्भ
- 14.8 भारतीय नौकरशाही का विकृत स्वरूप और उपचार
- 14.9 भारतीय अधिकारीतंत्र की चुनौतियाँ
- 14.10 सारांश
- 14.11 शब्दावली
- 14.12 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 14.13 सन्दर्भ ग्रंथ सूची
- 14.14 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 14.15 निबन्धात्मक प्रश्न

### 14.0 प्रस्तावना

यदि भारतीय अधिकारीतंत्र (नौकरशाही) को सामाजिक पृष्ठभूमि में देखा जाये तो ऐसे अनेक तथ्य सामने आयेंगे जिन्होंने भारतीय अधिकारीतंत्र के वर्तमान स्वरूप को ढालने में अहम भूमिका अदा की है। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना, मुगल सल्तनत के पतन, और कम्पनी द्वारा राजनीतिक सत्ता ग्रहण करने के साथ ही अधिकारीतंत्र की नींव पड़ी जो अपने स्वरूप, अपने उद्देश्य, तथा अपनी कार्यशैली में पूर्णतया: सामन्ती, पूंजीवादी और वाणिज्यिक थी तथा जिसकी मानसिकता रंगभेदी थी। 1857 का विद्रोह इस मानसिकता का एक भयानक नतीजा था।

1858 से 1947 तक भारत में नौकरशाही पूरी तरह अपनी औपनिवेशिक विरासत और पाश्चात्य संस्कृति के अतिरिक्त भारतीय समाज के परिवेश के साथ छा चुकी थी। इस दौर में वह सुधारों की अनेक श्रेणियों की श्रंखला से होकर गुजरी, यहाँ तक कि 1935 के भारत अधिनियम ने उसको वह परिपक्व स्वरूप दिया जो आज तक बना हुआ है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद ब्रिटिश लोक सेवा (आई0सी0एस0) की परिधि से निकलकर भारतीय लोक सेवा (आई0ए0एस0 तथा आई0पी0एस0) में प्रवेश कर गई। आज अपने वर्तमान स्वरूप में यह भारत की चुनौतीपूर्ण

सामाजिक परिस्थितियों का सामना करते हुए विकास की ओर अग्रसर है। इसमें विरासत का रंग भी है और भारतीय समाज की छाया भी।

### 14.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप-

- भारतीय अधिकारतंत्र को उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देख सकेंगे।
- ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में नौकरशाही की मानसिकता, और कार्यशैली क्या थी, यह समझ पायेंगे।
- 1857 से लेकर 1947 तक भारत की सामाजिक परिस्थितियाँ क्या थीं और उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए भारतीय नौकरशाही किन सुधारों के दौर से गुजरी, यह जान पायेंगे।
- भारत की सामाजिक विशेषताएँ क्या हैं और वे किस तरह भारतीय अधिकारीतंत्र को प्रभावित करती हैं, इसे समझ सकेंगे।
- भारतीय समाज की वर्तमान चुनौतियाँ क्या हैं और संवैधानिक तकाजे क्या हैं और किस तरह भारतीय अधिकारीतंत्र इन चुनौतियों का सामना करते हुए तथा तक्राजों की पूर्ति करते हुए आगे बढ़ रहा है, यह जान पायेंगे।

### 14.2 समाज की अवधारणा

ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना के साथ ही वास्तव में भारत में अधिकारीतंत्र या लोक सेवा का इतिहास आरम्भ होता है। संस्थाएँ जो भी हों वे अपने सामाजिक परिवेश से प्रभावित होती हैं। समाज स्थिर नहीं होता है। गतिशीलता, परिवर्तनशीलता तथा निरन्तरता उसकी विशेषताएँ हैं। वह अनेक चरणों से गुजरकर विकसित होता है। भारत में अखिल भारतीय सेवाओं के इतिहास को ऐसे तीन चरणों में विभक्त किया गया है- (1) (1853 से 1919), (1919 से 1947) तथा (1919 के पश्चात)। इन तीनों चरणों में समाज का स्वरूप बदला है और इस परिवर्तन के साथ अधिकारीतंत्र भी बदला है। लेकिन अधिकारीतंत्र और उसके सामाजिक परिवेश को जानने से पूर्व समाज और उसके निर्माणिक तत्वों को जानना जरूरी है।

लोक-प्रशासन के आधुनिक विचारकों का यह मत है कि यदि किसी देश की प्रशासनिक व्यवस्था को जानना है तो उसके सामाजिक परिवेश का अध्ययन करना जरूरी है। 'परिवेश एक व्यापक अर्थ वाला शब्द है, जिसमें भौतिक तथा परा-भौतिक (विचारात्मक) सभी तत्व सम्मिलित होते हैं। अतः समाज इस पूरे परिवेश से प्रभावित होता है तथा बदले में सभी संस्थाओं को प्रभावित करता है।

पर्यावरणीय या परिस्थितिकीय परिवेश का विचार सब से पहले सन् 1961 में एफ0डी0 रिग्स ने अपनी प्रसिद्ध रचना "The Ecology of Public Administration" में रखा। उसके सिद्धान्त ने प्रशासन और पर्यावरण के परस्पर सम्बन्धों के मध्य सार्थकता के बारे में धूम मचा दी।

पर्यावरण में संस्थान, इतिहास, आचारशास्त्र, राजनीति, संस्कृतिक, आर्थिक व्यवस्था, धर्म, दर्शन, परम्पराएं और विचारधाराएँ सभी आती हैं। कुछ विचारकों ने इन सब बातों के समुच्चय या एकीकरण को 'संस्कृति' कहा है और दूसरों ने इसे 'समाज' की संज्ञा दी है। रिग्स इस समुच्चय को पर्यावरण (म्बवसवहल) कहता है।

### 14.3 भारतीय समाज: प्रकृति

जितनी प्राचीन भारतीय सभ्यता है, उतनी प्राचीन भारतीय संस्कृति और उतना पुराना उसका समाज है। भले ही यह समाज अपनी अविकसित अवस्था में हो। चन्द शब्दों में यह कहा जा सकता है कि परा-ऐतिहासिक युग (Pre-

historic) के समय से भारत बहु-जातीय अथवा बहु-वर्णीय लोगों का देश रहा है। अतः यह कहा जा सकता है कि भारतीय समाज उतना प्राचीन है जितनी पुरानी भारतीय सभ्यता तथा भारतीय प्रशासन भी उतना ही पुराना है जितना पुराना भारतीय समाज। इस तरह भारतीय प्रशासन सभ्यता, संस्कृति और समाज के अन्तः सम्बन्धों का नतीजा है।

भारतीय समाज प्राचीनकाल में ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाकाव्य काल और मौर्य काल से होकर राजपूत काल तक आकर रुकता है।

राजपूत काल के बाद 1206 से मुस्लिम सल्तनत काल आरम्भ होता है जिसका अन्त 1526 में होता है।

सल्तनत काल के पतन के साथ मुगल काल आरम्भ होता है जो 1858 तक चलता है।

इस तरह हिन्दु राज्य-व्यवस्था अपने प्रारम्भिक काल से लेकर 100ई0 तक माना जाता है।

सारांश यह है कि 100ई0 से लेकर सन् 1858 तक जो राजनीतिक व्यवस्था रही उसके अनुसार समाज का निर्माण हुआ तथा इस राजनीतिक व्यवस्था ओर सामाजिक संरचना के अनुसार जो पर्यावरण तैयार हुआ उसने भारतीय प्रशासन का स्वरूप और प्रकृति तैयार की। इसमें राजनीति, धर्म, परम्परायें, विचारधाराएँ, आर्थिक व्यवस्था, नैतिक मूल्य और शासकों का आचरण सभी का अपना-अपना योगदान है। इस समय की सामाजिक और राजनीतिक संरचनाओं ने और उनकी आवश्यकताओं ने भारतीय प्रशासन की प्रकृति निश्चित की।

### 14.3.1 समाज का बहुलवादी स्वरूप

भारत एक बहु-सांस्कृतिक (Multi Cultural) और बहु-सामाजिक (Multi Social) देश है। विविधता इसकी पहचान है। बहुलवाद (Pluralism) इसकी विशेषता है। अनेकता में एकता इसका चरित्र है। भारत की संस्कृति में गतिशीलता (Dynamism) है। यह विकास का नतीजा है, जो सदियों की देन है।

भारतीय बहुलवाद का इतिहास भारत में बसने वाले प्रजातीय वर्गों से आरम्भ होता है- इण्डो-आर्यन-द्राविणीय, मंगोलीय, आर्य-द्राविण, मंगोलाई-द्राविण, साइको-द्राविण, तुर्को-इरानी इत्यादि प्रजातीयों ने भारतीय बहुलवाद की नींव डाली है। भारतीय समाज की एक सांस्कृतिक संरचना गठित हुई जिसमें परम्पराओं, रुढ़ियों, विचारों और संस्थाओं का योगदान रहा है। मानव आचरण की एक पद्धति भी तब संस्कृति का निर्माण करती है। संस्कृति मानव अनुभव से निर्मित होती है। टेलर के अनुसार: “संस्कृति ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, विधि, रिवाज और लोगों की क्षमताओं, आदतों और व्यवहारों का एक जटिल समुच्चय है। भारतीय संस्कृति में यह सभी विशेषताएँ विद्यमान हैं।

भारतीय संस्कृति का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। भारत में आर्यों के आगमन से पूर्व भारतीय संस्कृति विकसित हो चुकी थी। द्राविण भारत के मूल निवासी थे। उनकी संस्कृति और सभ्यता दूर-दूर तक फैली हुई थी। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो द्राविण सभ्यता के उद्गम थे। आर्यों के आगमन और द्राविणों के साथ उनके अन्तः सम्बन्धों से संस्कृति का एक दूसरा दौर शुरु हुआ। दोनों ने एक दूसरे की संस्कृतियों को प्रभावित किया। इस तरह दोनों संस्कृतियों का मेल से भारत के एक नया समाज अस्तित्व में आया। इस नये समाज की रचना के साथ नये विचार, नई आस्थाएँ और नये विश्वास भी पनपे जिन्होंने मिलकर भारतीय धर्म का निर्माण किया।

### 14.3.2 विभिन्नता में एकता

भारतीय समाज और संस्कृति के घटक या संयोजन विभिन्नता के प्रतीक है। उनके स्रोत भी अनेक हैं। लेकिन विभिन्न सांस्कृतिक घटकों के आपस में घुलने-मिलने के कारण एकीकरण का एक समुच्चय बन गया है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में सदियाँ गुजरी हैं। सर हर्बर्ट डिस्ले के अनुसार, “भाषाओं, परम्पराओं और धर्मों की भौतिक और सामाजिक अनेक विभिन्नताओं की सतह के नीचे, जो भारत में देखने को मिलती है, हिमालय से लेकर

कैपकमोरिन तक जीवन की उस समानरूपता के भी दर्शन होते हैं, जो वास्तव में भारतीय चरित्र है, जो सामान्यतया भारतीय व्यक्तित्व है, जिस पहचान को मिटाया नहीं जा सकता।” सार यह है कि विभिन्न भाषाओं, धर्मों, पथों, विश्वासों, रस्मों, रिवाजों, शारीरिक बनावटों, विभिन्न व्यवहारों, नजरियों, विचार धाराओं और क्षेत्रीय एवं भौगोलिक विभिन्नताओं ने भारतीय संस्कृति और समाज को समाविष्टवादी (Inclusive) बना दिया है।

#### 14.4 भारतीय समाज के नकारात्मक पहलू

भारतीय समाज और संस्कृति की धार्मिक, आध्यात्मिक, कलात्मक, दार्शनिक प्रवृत्ति या चरित्र, उसका बहुलवादी और बहुआयामी स्वरूप और कश्मीर से लेकर कन्या-कुमारी तक फैली हुई उसकी विविधता में एकता-यह सब वे सकारात्मक पहलू हैं जो भारतीय समाज का निर्माण करते हैं।

लेकिन समाज की इस सकारात्मकता के साथ-साथ वे नकारात्मक पहलू भी हैं जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था के साम्य (संतुलन) को बिगाड़ते भी रहते हैं। इन नकारात्मकताओं का प्रभाव सब से अधिक भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ता जिसके कारण देश का विकास रुकता है। समाज के सामने प्रमुख चुनौतियाँ इस प्रकार हैं-

1. **जातिवाद तथा वर्ण व्यवस्था-** प्रत्येक समाज में सामाजिक नियंत्रण एवं व्यक्तिक-स्तर के निश्चयीकरण के लिए अनेक प्रबन्धन (Provisions) तथा नियम होते हैं। भारत में ऐसे प्रबन्धनों का नाम जाति-प्रथा है। इस व्यवस्था ने सामाजिक संरचना पर गहरा प्रभाव डाला है। जातिवादी समाज में सामाजिक या राष्ट्रीय भावना की अपेक्षा जाति भावना प्रबल होती है। अर्थात् अर्थात् 'राष्ट्र और समाज के प्रति वफादारी कम और अपनी जाति के प्रति वफादारी अधिक-का सिद्धान्त प्रबल होता है। जाति प्रथा का वास्तविक स्रोत वर्ण-व्यवस्था है, जिसका उद्भव ऋग्वेद और मनुस्मृति से हुआ है। ब्राह्मण को ब्रह्मा का मुख मानना, क्षत्रीय को उसकी बाहें, वेश्य को उदर और शूद्र को पैर मानना समाज को शारीरिक और मानसिक तौर पर विघटित करती है।
2. **रुढ़ीवाद या परम्परावाद-** यह आधुनिकता और विकास के लिए एक ऐसा अभिशाप है जिससे छुटकारा पाना एक जटिल समस्या है। क्योंकि अधिकांश भारतीय जीवन ग्रामीणीय है जहाँ के अधिकांश लोग विशेष रूप से महिलाएँ अशिक्षित हैं, इसीलिए यहाँ रुढ़ीवाद की जड़े गहरी हैं। यह स्थिति समाज के लिए एक बड़ी चुनौती है।
3. **ग्रामीणीय एवं नगरीय अन्तर-** भारतीय समाज के सत्तर प्रतिशत आबादी गाँवों में रहती है जो आधुनिकता के प्रत्येक क्षेत्र में पिछड़ी हुई है। इसके विपरीत नगरीय भारत का बड़ा भाग आधुनिकता और विकास के सुख भोगता है। इस अन्तर ने दोनों क्षेत्रों के लोगों की सोच या मानसिकता में भी अन्तर पैदा किया है जो सामाजिक द्वन्द का कारण है।
4. **धर्मान्धता-** यह स्थिति भारत के लिए सबसे अधिक घातक है। यह जुनून और पागलपन को जन्म देती है। यह आध्यात्मिकता नहीं है, यह कोरी पाखण्डता है। यह हिंसा, घृणा, द्वेष और द्वन्द का स्रोत है। 'मेरा धर्म, मेरे विश्वास, मेरी संस्कृति मात्र यही सर्वोत्तम है-यह सोच समाज में केवल टकराव पैदा करती है। यह एकता और समरसता को खण्डित करती है।
5. **चरमपंथी विचारधारा-** चरमपंथी आधुनिकता, सुधारवाद, परिवर्तन और प्रगति का कट्टरता से विरोध करते हैं। यह अपनी विचारधारा हिंसात्मक तरीके से दूसरों पर लादने का प्रयास करते हैं। इनके नजरिए, आचरण और कार्यपद्धति चरम सीमाओं तक पहुँचती है, जो देश के लिए घातक है।
6. **साम्प्रदायिकता-** अपने विशेष सन्दर्भ में साम्प्रदायिकता का अर्थ है हिन्दु-मुस्लिम सम्प्रदायों में टकराव। यह टकराव नजरियों का भी होता है और अक्सर इस की अभिव्यक्ति हिंसात्मक टकराव के रूप में होती है। इसके अनेक कारण हैं-ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक और विचारात्मक सभी का योगदान रहता है।

है। साम्प्रदायिकता समाज को झकोर कर रख देती है, राजनीतिक व्यवस्था के संतुलन को बिगाड़ती है और आर्थिक गतिविधियों में बाधा डालती है। और सब से अधिक यह देश की एकता और अखण्डता के लिए खतरा बनती है।

7. **आर्थिक विषमता-** भारतीय समाज में आर्थिक विषमता द्वन्द का एक बड़ा कारण है। देश के धन का सत्तर प्रतिशत भाग चन्द कुबेर घरानों के पास है। सब से बुरी स्थिति किसान और मजदूर की है। इस विषमता का प्रभाव शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी देखने को मिलता है।
8. **भ्रष्टाचार-** भारतीय समाज के संदर्भ में इस विषय पर जितना भी लिखा जाये वह कम है। ऊपर से नीचे तक समाज भ्रष्टाचार के रोग से जकड़ा हुआ है। आये दिन के घोटाले इस बीमारी के प्रतीक हैं। विश्व के सबसे भ्रष्ट देशों में भारत का नाम भी है।
9. **राजनीतिक प्रपंच-** सत्ता प्राप्ति के होड़ में राजनीतिक प्रपंच का खुलकर प्रयोग होना लगभग सभी सामाजिक बुराईयों का कारण है। साम्प्रदायिकता, प्रचण्ड राष्ट्रवाद, धर्मान्धता, हिंसा, और उग्रता-यह सब भारतीय राजनीति की देन है।
10. **मूल्यों में गिरावट-** यह वह सामाजिक बुराई है जो भ्रष्टाचार, हिंसा, राजनीतिक पाखण्ड, आर्थिक विषमता और असहिष्णुता का बढ़ावा देती है। भारतीय समाज इस गिरावट से पूरी तरह ग्रस्त है। मूल्य ही चरित्र का निर्माण करते हैं और लोगों का चरित्र समाज का स्वरूप तैयार करता है।

#### 14.5 अधिकारीतंत्र (नौकरशाही): अर्थ और प्रकृति

भारतीय संदर्भ में समाज और संस्कृति को समझने के बाद प्रशासनिक दृष्टि से अधिकारीतंत्र या नौकरशाही को समझना जरूरी है, क्योंकि अधिकारीतंत्र आधुनिक समाज का एक निर्णायक घटक है।

एन्थॉनी डाउन्स ने अपने प्रसिद्ध शोध-प्रबन्ध 'इनसाइड ब्योरियोक्रेसी (Inside Bureaucracy) में नौकरशाही का सकारात्मक नज़रिये से विश्लेषण किया है। क्योंकि शब्द नौकरशाही को व्यंग, उपहास और घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा है, इसलिए डाउन्स ने (1964) नौकरशाही (Bureaucracy) के स्थान पर 'अधिकारी' (officials) शब्द का प्रयोग करना उचित समझा। प्रशासन की दृष्टि से उसकी विषय वस्तु 'ब्योरोज' (Bureaus) है जिसका अर्थ है विभाग या कार्यालय और उसमें निर्णायक भूमिका अदा करने वाले लोग अधिकारी होते हैं। इस व्यवस्था को अधिकारीतंत्र कहा जा सकता है।

डाउन्स के विश्लेषण के अनुसार अधिकारीतंत्र में अधिकारियों के अनेक सकारात्मक कार्य हैं जैसे तार्किक तरीके से काम करना, कम से कम लागत और समय में अधिकतम उपलब्धि प्राप्त करना, ब्योरोज और समाज के लिए काम करना, राष्ट्र, समाज, सरकार और व्यवस्था के प्रति वफादार रहना इत्यादि। लेकिन कुछ अधिकारियों के नकारात्मक कार्य भी होते हैं जैसे विशुद्ध आत्म हितकारी काम करना, अपनी शक्ति, आय और प्रतिष्ठता को दिन रात बढ़ाये रखने का प्रयास करना, अपनी सुरक्षा और सुविधा को बढ़ाने का तरीका खोजना, यथास्थिति को बनाये रखना, नवीनीकरण का विरोध करना इत्यादि। कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो आत्म-हितों को जनहितों से मिला लेते हैं। यह चालाक होते हैं और राजनीतिज्ञों, कुलीनों, पूंजीपतियों के साथ-साथ समाज के प्रति भी वफादार होते हैं। डाउन्स के अनुसार 'शक्ति प्राप्त करना, प्रभावित करना और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना' इनका विशेष लक्ष्य होता है। यहाँ सब से अहम बात यह है कि ब्योरोज, के अधिकारी निर्णय-निर्माण का आधार होते हैं।

#### 14.6 भारतीय अधिकारीतंत्र: ब्रिटिश काल

समाज और अधिकारीतंत्र को समझने के बाद ब्रिटिश सामाजिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में भारत में विकसित अधिकारीतंत्र के स्वरूप, उसकी मनःस्थिति और उसकी कार्यशैली को समझना जरूरी है।



एक पुरानी कहावत है 'यथः राजा तथः प्रजा'। यह कहावत राजतंत्र में चरिथार्थ थी। लोकतंत्र का सच यह है कि 'यथः प्रजा तथः राजा'। यहाँ राजा से अर्थ शासन और प्रशासन से है। प्रशासन की बागडोर नौकरशाहों के हाथ में होती है। अतः यह वैसा ही प्रशासन चलाते हैं जैसा इनके समाज ने इनको ढाला है।

भारत में अधिकारीतंत्र को उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में तीन चरणों में बाँटा जा सकता है। यह तीन चरण हैं- सन् 1600 से 1858 तक, सन् 1858 से 1947 तक तथा सन् 1947 से अब तक।

यहाँ हम केवल उन दो चरणों की (1600-1858) तथा (1858-1947) की समीक्षा करेंगे जिनका सम्बन्ध भारत में ब्रिटिश काल से है, जिसमें अधिकारीतंत्र ने जन्म लिया तथा जहाँ इसका सुधार और विकास हुआ।

#### 14.6.1 आरम्भ काल (1600-1858)

आरम्भ काल से यहाँ अर्थ है भारत में उस औपनिवेशिक काल का जिसमें मुगल सल्तनत के पतन के बाद ईस्ट इण्डिया कम्पनी का शासन स्थापित हुआ और उसके गर्भ में अधिकारीतंत्र ने जन्म लिया। क्योंकि कम्पनी का उद्देश्य व्यापार करना था इसलिए उस समय के प्रशासनिक अधिकारियों की प्रवृत्ति व्यापारी थी, क्योंकि वे किसी निश्चित प्रशासनिक व्यवस्था का अंग नहीं थे, फिर भी इन्हीं अधिकारियों के बल पर कम्पनी भारत में प्रमुख यूरोपीय शक्ति बन गयीं। यह स्थिति 1773 तक बनी रही। कम्पनी के अधिकारी 'नौकरशाह' नहीं थे, वे मुक्त व्यापारी थे, इसलिए स्वेच्छाचारी थे वे "लूट की प्रथा" का अंग और माध्यम थे। इसलिए कम्पनी की मनमानी को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने भारत में "दोहरी शासन व्यवस्था को लागू किया। 1773 में रेग्यूलेटिंग एक्ट पास किया गया, जिसे भारत के संवैधानिक इतिहास का पहला मील का पत्थर माना जाता है। इसका उद्देश्य भारतीयों को सुशासन देना था और "लूट प्रथा" को समाप्त करना था।

अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों की प्रकृति वाणिज्यिक ही थी, जो योग्यता-आधारित प्रशासनिक सेवाओं के विकास में बाधक थी, इसलिए गवर्नर-जनरल वारेन हेस्टिंग्स तथा लार्ड कार्नवैलिस ने भू-राजस्व की वसूली तथा शान्ति और व्यवस्था के लिए लोक सेवाओं की आधारशिला रखी। 1787 में जिलाधीश, मजिस्ट्रेसी, तथा न्याय प्रशासन की बुनियाद पड़ी। धीरे-धीरे राजस्व, पुलिस, दीवानी और फ़ौजदारी न्याय जैसे विषय लोक सेवाओं के अन्तर्गत आ गये। लार्ड क्लाइव ने अधिकारियों के निजी व्यापार करने, घूस या उपहार लेने पर पाबन्दी लगा दी। क्लाइव के सुधारों के बाद भी स्थिति गम्भीर बनी रही। इसलिए लार्ड कार्नवैलिस (1785-1793) ने अधिकारियों के व्यापार करने पर पाबन्दी लगाकर बदले में उनका वेतन बढ़ा दिया। वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति का सिद्धान्त अपनाया गया। इस तरह कुछ हद तक अधिकारियों के स्वहित पर अंकुश लगा।

अभी तक लोक सेवाओं को भारत की सामाजिक परिस्थितियों का ज्ञान नहीं था और वे पूरी तरह यूरोपीय मानसिकता से काम कर रहे थे, इसलिए लार्ड वेलेजली (1798-1805) ने इस तथ्य को भांपते हुए अधिकारियों को भारतीय भाषाओं, परम्पराओं और मूल्यों के अनुरूप कानून और इतिहास की शिक्षा देने के लिए कलकत्ते में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। लोक सेवा प्रशिक्षण की यह पहली संस्था बन गई।

भारतीय लोक सेवाओं के इतिहास में 1854 सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। लार्ड मैकाले की सिफारिशों के तहत आई0सी0एस0 के गठन और उसकी कार्यप्रणाली के नियम तैय किये गये जो आज भी भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की आधारशिला हैं।

यहाँ 1600 से लेकर 1858 तक भारतीय अधिकारीतंत्र का विश्लेषण किया जाए तो अनेक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आते हैं-

1. भारत में काम करने वाले अधिकारी या नौकरशाह सामन्ती और पूँजीवादी कुलीन घरानों से आये थे, जो ब्रिटेन की सामाजिक विशेषता थी।

2. यह ग्रेट-ब्रिटेन का साम्राज्यवादी काल था जिसमें अंग्रेज स्वयं को स्वामी तथा उपनिवेश के निवासियों को गुलाम मानते थे।
3. अंग्रेज पाश्चात्य संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ मानते थे तथा अपनी राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं और विचारों को आदर्श मानते थे।
4. यह रंग-भेद और नसलवाद में विश्वास रखते थे।
5. इनका विश्वास था कि पूर्व एवं पश्चिम का कभी मेल नहीं हो सकता।
6. यह श्रेष्ठता की मनोग्रंथी (Superiority Complex) से ग्रस्त थे, इसलिए भारतीयों को हीन दृष्टि से देखते थे।
7. भारत में इनके निवास-आवास क्षेत्र भारतीय बसासत से अलग थे अर्थात् यह सिविल लाइन्सों में रहते थे जहाँ भारतीयों के प्रवेश वर्जित थे। यह अपने क्लबों के द्वार पर 'इण्डियन डाम्स् आर नाट एलाउड' लिखते थे।
8. इस तरह भारतीयों और अंग्रेजों के मध्य एक गहरी सामाजिक खाई थी, जिसके परिणामस्वरूप 1857 में इनको विद्रोह का सामना करना पड़ा। वास्तविकता यह है कि 1857 की बगावत नौकरशाहों के अहंकारी, अलगाववादी और दमनकारी रव्ये का नतीजा थी।

#### 14.6.2 सुधारकाल (1858-1947)

वास्तव में बगावत से पहले भारत की प्रशासनिक व्यवस्था रेग्युलेटिंग एक्ट के चारों ओर विकसित हो रही थी। 1858 में ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी के स्थान पर ब्रिटिश संसद का शासन स्थापित हो गया। अब भारतीय शासन तीन मुख्य शक्तियों के हाथ में था-भारत सचिव तथा उसकी परिषद, गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद तथा रेसीडेन्ट्स इन शक्तियों का प्रयोग उनके अधिकारी करते थे जो वास्तव में नौकरशाह थे। इस तरह भारत में पूरी तरह अधिकारीतंत्र स्थापित हो गया।

लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद भी शासन (प्रशासन) पूरी तरह केन्द्रीकृत तथा निरंकुश बना रहा। इसलिए 1861 में एक अधिनियम के तहत भारतीय प्रशासन में कई परिवर्तन हुए। प्रान्तीय विधायिकाओं की स्थापना हुई तथा भारत को प्रशासन का ऐसा स्वरूप दिया गया जो ब्रिटिश शासन के अन्त तक चलता रहा। इसके द्वारा प्रशासन में भारतीयों को मौका मिलना आरम्भ हुआ। लेकिन लोक सेवाओं में भारतीयों को अधिक भागीदारी नहीं मिली।

1917 में भारत सचिव मॉण्टेग्यू की घोषणा के बाद प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों की भागीदारी बढ़ने लगी और 1919 तक भारत स्वशासन की ओर बढ़ता नजर आया। 1917 से 1937 तक भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन आये। द्वैध-शासन की स्थापना हुई, नौकरशाही और लोकतंत्र को मिलाया गया और अधिकारीतंत्र में सामाजिक विषमता को हतोत्साहित किया गया। 1918 में मॉण्टेग्यू-चैम्सफोर्ड रिपोर्ट के अनुसार इसमें लोक-सेवा की परीक्षा इंग्लैण्ड और भारत में एक साथ कराने, वरिष्ठ पदों में एक तिहाई पद भारतीयों के लिए सुरक्षित रखने तथा लोक-सेवा आयोग की स्थापना का प्रस्ताव किया गया। 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गयी।

सुधार काल में लोक सेवाओं का विश्लेषण करने के बाद नौकरशाही के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण तत्व सामने आते हैं, वे इस प्रकार हैं-

1. सुधारकाल में यद्यपि कम्पनी का शासन समाप्त हो चुका था लेकिन नई शासन व्यवस्था की बागडोर पूरी तरह अधिकारियों के हाथों में थी जो अंग्रेज थे और उनकी मानसिकता अभी भी सामन्ती, पूँजीवादी, नसलवादी, अलगाववादी, निरंकुश और स्वेच्छाचारी थी।

2. उनकी विशेषता वही थी जिसका वर्णन कार्ल मार्क्स ने किया है-पूंजीपतियों, सामन्तियों और राजनेताओं की यथास्थिति को बनाये रखना, राज्य के दमनकारी स्वरूप में एक उपकरण के रूप में काम करना तथा परजीवी बने रहना।
3. उन का उद्देश्य लगभग वही था जिसकी व्याख्या ऐन्थानी डाउन्स ने की है-स्वहित के लिए काम करना, अपनी प्रतिष्ठा, शक्ति तथा आय को दिन-व-दिन बढ़ाये जाने का प्रयास करना।
4. भारतीय समाज से उनका अभी भी अलगाव था, यद्यपि रेम्जे, एटकिनसन, बैटिन जैसे अधिकारी भी थे (कुमायूँ में) जिन्होंने अपने काय-क्षेत्र को पूरी तरह आत्मसात् कर लिया था। वे यहाँ के समाज और संस्कृति में पूरी तरह घुल मिल गये थे।
5. लेकिन 1857 से लेकर 1947 के काल में भी उनकी मानसिकता वही बनी रही जो शासकों की होती है। बेगार प्रथा के माध्यम से वे निर्धन समाज का शोषण करते थे। वास्तव में भारत में भ्रष्टाचार की नींव उन्हीं ने ही डाली।
6. वे सर्व साधारण जनता से दूरी बनाए रखते थे लेकिन भारतीय सामन्ती तबकों से राजाओं, रजवाड़ों, नवाबों, जमींदारों से घुले-मिलें रहते थे और उनके माध्यम से अपनी दमनकारी नीतियों को अन्जाम देते थे।
7. इसी काल में भारतीय भी लोक सेवक बने और वे भी पूरी तरह पाश्चात्य मानसिकता और संस्कृति के शिकार हो गये।

सारांश में ब्रिटिश नौकरशाहों का अन्तिम लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ों को मजबूत करना था। विभाजित करो और शासन करो (कपअपकम मज मउचमतं) उनके प्रशासन का मूलमंत्र था। यह स्थिति 1947 तक बनी रही यहाँ तक कि भावी रणनीति के तहत उन्होंने भारत का भी विभाजन कर दिया।

#### 14.7 अधिकारीतंत्र: भारतीय संदर्भ

अधिकारीतंत्र में सुधारों का ही यह नतीजा था कि लोक सेवाओं के भारतीयकरण की मांग बढ़ गयी, क्योंकि ब्रिटिश अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से सेवा की जाने वाली आलोचना, प्रान्तों में भारतीय मंत्रियों के अधीन काम करने की कलंकपूर्ण स्थिति तथा अधिकारियों को असुविधा में डालने वाला 1920 का असहयोग आन्दोलन, प्रथम विश्व युद्ध के कारण मूल्यों में वृद्धि और अधिकारियों के वेतन की अपर्याप्ता आदि कारणों ने यूरोपीय अधिकारियों को बहुत हतोत्साहित किया। नौकरशाही के प्रति उनका आकृषण समाप्त होने लगा। भारतीयकरण एक तरह से अब अपरिहार्य हो गया। लोक सेवा आयोग की स्थापना इसी माँग का परिणाम थी।

1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा लोक सेवाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये। राज्यों में भी लोक-सेवा आयोग की स्थापना की गयी। इन सेवाओं पर अब नये अधिनियम के तहत गर्वनर जनरल और प्रान्तीय गर्वनरों का नियंत्रण हो गया। इसी तरह जब भारत को स्वतन्त्रता मिली तो लोक-सेवायें बहुत अच्छी स्थिति में थीं। आई0सी0एस0 के स्थान पर आई0ए0एस0 और आई0पी0एस0 की स्थापना की गयी। 1951 में आई0एफ0एस0 अस्तित्व में आई। 1954 में ऐपल्बी ने भारतीय लोक सेवा के बारे में जो सिफारिश की उसके तहत भारतीय लोक प्रशासन की नई दिल्ली में स्थापना की गयी। 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोक-सेवा में सुधार का रास्ता खोला।

इस तरह अधिकारीतंत्र ब्रिटिश सामाजिक परिवेश की परिधि से निकलकर शुद्ध भारतीय समाज के परिवेश में स्वतन्त्रता मिलने के बाद नये आयाम और नये लक्ष्य के साथ उपस्थित हुआ। यह नया सामाजिक परिवेश था-

1. 26 जनवरी, 1950 को संवैधानिक शासन की स्थापना।
2. संघात्मक राज्य-व्यवस्था और संसदात्मक शासन व्यवस्था।

3. मंत्रिमण्डल का सामुहिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त।
4. राज्य की नीति के निर्देशक तत्व और उनका अनुपालन।
5. नागरिकों के मौलिक अधिकारों की संवैधानिक गारन्टी।
6. स्वतन्त्रता और समानता के समान अवसर।
7. स्वतन्त्र न्यायपालिका।
8. स्वतन्त्र चुनावों की व्यवस्था।

सारांश यह है कि स्वतन्त्रता के बाद भारत में एक नई राजनीतिक और सामाजिक संस्कृति का विकास आरम्भ हुआ जिसके अनुसार नौकरशाही को स्वयं ढालना था। लेकिन समस्या यह थी कि भारतीय अधिकारीतंत्र को अपनी ब्रिटिश विरासत से विमुख होकर नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को समायोजित करना चुनौतीपूर्ण था।

#### 14.8 भारतीय नौकरशाही का विकृत स्वरूप और उपचार

1950 से 1970 तक का काल लोक सेवा की दृष्टि से सुधार और विकास, प्रयोग और परीक्षण का काल माना जा सकता है। स्वतन्त्रता मिलने के साथ अंग्रेज अधिकारी तो भारत छोड़कर जा चुके थे। लेकिन अब इंग्लिश संस्कृति में रंगे हुए भारतीय अधिकारियों (आई0सी0एस0) की एक बड़ी संख्या के हाथों में नये भारत के प्रशासन की बागडोर थी। इनकी मानसिकता भी लगभग सामन्ती थी। यह भारत का वास्तव में अभिजात (Elite) वर्ग था जो श्रेष्ठता की मनोग्रन्थि से ग्रस्त था।

वास्तविकता यह थी कि ब्रिटिश काल में जो भारतीय लोक सेवा की (ब्रिटिश) परीक्षाओं में सम्मिलित होते थे वे भी भारत के सामन्ती अभिजात, वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। इंग्लैण्ड में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उन्हीं को मिलते थे। उनका पूरा व्यक्तित्व (चमड़ी को छोड़कर) अंग्रेजी विचारों, अभिवृत्तियों, सोचने और जीने के अनुभवों यहाँ तक की खान-पान और पहनावों के रंग में रंग जाता था। इसलिए प्रायः वे भी भारत के परमपरावादी समाज से दूरी बनाये रखते थे। अनेक बातों में तो वे ब्रिटिश अधिकारियों से भी अधिक “अनुदार, अशिष्ट, विभेद-सक्षयी, सनकी, निर्मम और कठोर होते थे।” यह स्थिति लगभग 1970 तक बनी रही जब भारत में आई0सी0एस0 का संवर्ग (काडर) पूरी तरह विलुप्त हो गया।

1950 में ही ब्रिटिश चयनित एवं प्रशिक्षित अधिकारियों की मनःस्थिति को भांपते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री ने भारत के नव निर्माण के लिए नौकरशाही में सुधार के लिए अनेक प्रभावशाली कदम उठाये। उद्देश्य था नये समाज की माँगों के अनुसार, नई परिस्थितियों के अनुकूल तथा नई चुनौतियों का सामना करने के लिए लोक-सेवकों की मानसिकता, कार्यशैली और कार्यक्षमता में परिवर्तन लाना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1951 में ए0डी0 गोरवाला के नेतृत्व में एक आयोग की स्थापना की गई। गोरवाला ने अपने प्रतिवेदन में लोक प्रशासन की व्यवस्था और नौकरशाही के तत्काल ढांचे में विद्यमान बुराईयों को दूर करने, सेवी वर्ग में निष्ठा पैदा करने तथा समाज के प्रति समर्पित रहने के लिए अनेक सुझाव दिये। लेकिन इन सुझावों पर अमल नहीं किया गया।

इसलिए 1952 में जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रशासनिक सुधारों पर विचार करने के लिए लोक प्रशासन के प्रसिद्ध चिन्तक पाल0एच0 ऐपल्बी को बाहर से आमंत्रित किया। ऐपल्बी ने बड़ी बारीकी से भारत की विविधता, बहुल-वादिता, सामाजिक विषमता, आर्थिक जटिलता तथा भारतीय समाज की मानसिकता स्थिति का अध्ययन करके 3000 शब्दों का एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। यह प्रतिवेदन लोक-प्रशासन के सर्वेक्षण पर आधारित था। ऐपल्बी की सिफारिशों के परिणाम-स्वरूप चार प्रमुख बातें सामने आयीं, जो इस प्रकार हैं-

1. लोक सेवकों को सेवा के दौरान प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की गयी।

2. 1954 में “संगठन और प्रबन्धन” या ओ0 एण्ड एम0 प्रणाली की स्थापना की गयी। इस व्यवस्था ने शासन के प्रत्येक क्षेत्र में क्रांति लायी।
3. ओ0 एण्ड एम0 को नौकरशाही के भीतर तथा नौकरशाही और जनता के बीच लोकतांत्रिक तरीकों व रीतियों के विकास का उत्तरदायित्व तैय करना, उचित समझा गया।
4. लोक-सेवकों में नेतृत्व ओर कल्पना-शक्ति का विकास होना चाहिए। इस से कार्य-गति भावनात्मक रूप से तीव्र होगी। पदाधिकारियों को अधिक अधिकार दिये जायें ताकि उन्हें स्वविवेक से कार्य करने के अवसर प्राप्त हों।

शासन ने एपल्बी की अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। एक और सामाजिक दैत्य जिसने भारत को जकड़ रखा था और आज भी जकड़े हुए है, वह था भ्रष्टाचार। इस समस्या के समाधान के लिए 1962 में सन्धानम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी। 1964 में इस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसका सार था- (1) केन्द्रीय सर्तकता आयोग की स्थापना, (2) स्पष्ट और सरल नियम एवं विधियाँ, (3) सरकारी अधिकारियों के लिए अधिकतम सुविधाएं, (4) योग्यता के आधार पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति, (5) फाइलों का निबटारा निश्चित अवधि के अन्दर करना, (6) भ्रष्टाचार के मामलों में कानूनी कार्यवाही शीघ्रतापूर्ण, (7) अधिकारियों की निजी सम्पत्ति की घोषणा, (8) लालफीता शाही को हतोत्साहित करना, (9) अधिकारियों में भय पैदा करना। सारांश यह है कि स्वतन्त्रता के बाद सामाजिक नकारात्मक शक्तियों का प्रभा पूरी तरह अधिकारीतंत्र पर पड़ा जिसके समाधान के लिये सुधारात्मक प्रशासनिक कदम उठाना अनिवार्य हो गया। इन सुधारों में निरन्तरता आज भी बनी हुई है।

#### 14.9 भारतीय अधिकारीतंत्र और चुनौतियाँ

पिछले पन्नों में भारतीय समाज के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर खुल कर प्रकाश डाला चुका है। यहाँ यह देखा जायेगा कि इन दोनों पहलुओं का भारतीय प्रशासन और विशेष रूप से अधिकारियों पर कैसा प्रभाव पड़ता है ओर वे किस तरह उन प्रभवों से नियंत्रित या मुक्त होते हैं।

आज भारतीय अधिकारी जिस समाज से आते हैं वह न तो सामन्ती है और न पूंजीवादी। स्तर-विन्यास (Strata) के नजरिये से समाज तीन भागों या स्तरों में बटा हुआ है-उच्चतर वर्ग, मध्य वर्ग तथा निम्न वर्ग। अधिकारी वर्ग (नौकरशाह) प्रायः उच्चतर वर्ग तथा मध्य वर्ग से आता है। संवैधानिक व्यवस्था के बाद आरक्षण के आधार पर अब निम्न वर्ग (अनुसूचित एवं जनजाति) तथा निम्न-मध्य वर्ग (पिछड़ा वर्ग: ओ0बी0सी0) का प्रतिनिधित्व भी बढ़ा है।

जातीय स्तर पर आज भी सिद्धान्त मनुवादी है। नौकरशाही प्रायः ब्रह्मण, क्षत्रीय तथा वैश्य वर्ग से चयनित होती है। आरक्षण के बाद अनुसूचित-जनजाति को भी अवसर प्रदान हुए हैं। परन्तु आरक्षण की नीति से सामाजिक टकराव बढ़ा है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर समाज के उच्च वर्गों में असंतोष पैदा हुआ है, जिससे प्रशासन में सहयोग, समन्वय और अनुकूलन की समस्या पैदा हुई है।

धार्मिक स्तर पर भी अधिकारीतंत्र प्रभावित हुआ है। भले ही आज के नौकरशाह कितने ही खुले दिमाग के क्यों न हों वे अपने धर्म और आस्थाओं के प्रति पूरी तरह वफादार हैं। उनकी मेजों पर लगे धार्मिक स्टिकरों से यह तथ्य स्पष्ट होता है। साम्प्रदायिकता की हवा उन्हें भी छूती है, आज भी वे रुढ़िवादी और अंधविश्वासी हैं। अक्सर उनके विवेक या औचित्य के फैसले धार्मिक, जातीय और साम्प्रदायिक हितों को नजर में रखकर होते हैं। इस से प्रशासनिक निष्पक्षता, निष्ठा और जनहित का सिद्धान्त टूटता है। यह स्थिति धर्मनिरपेक्षता के भी विरुद्ध है।

क्षेत्रीय स्तर पर स्थिति और भी गंभीर है। समाज के हर तबके की वफादारियाँ अपने क्षेत्र के प्रति अधिक हैं, देश के प्रति कम। यद्यपि सेवी वर्ग को वृहत भारतीय संदर्भ में प्रशिक्षण दिया जाता है, फिर भी उनका रूजहान, विशेष रूप से नीति-निर्णय-निर्माण प्रक्रिया के समय अपने क्षेत्र विशेष की ओर झुका रहता है।

भ्रष्टाचार समाज का एक और भयावह पहलू है। समाज की इस बीमारी की कहानी ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने “लूट की प्रथा” डालकर लिखी थी। अंग्रेजी शासन ने भ्रष्टाचार को फलने-फूलने का पूरा मौका दिया। यहाँ तक कि अब इसकी जड़े इतनी गहरी हो गयी हैं कि उनको उखाड़ फेंकना लगभग असंभव है। तब स्वाभाविक है कि जिस समाज में नौकरशाही या अन्य अधिकारी जन्म लेते हैं वे सत्ता प्राप्ति के बाद फरिश्ते तो नहीं हो सकते। आज भ्रष्ट देशों की रैंकिंग में भारत का 81वां नम्बर है।

दूषित राजनीतिक वातावरण भारतीय समाज की एक और पहचान बनती जा रही है। जैसे तो किसी भी समाज को दलीय राजनीतिक व्यवस्था विकृत करती है, लेकिन भारत में यह स्थिति अत्यन्त शोचनीय है। यदि यह कहा जाये कि वर्तमान भारत की राजनीति सभी सामाजिक बुराईयों-भ्रष्टाचार, धर्मान्धता, साम्प्रदायिकता, जातिवाद, प्रचण्ड राष्ट्रवाद की जड़ है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसने भारत की सदियों पुरानी बुराईयों जातिवाद, रुढ़िवाद तथा वर्ग-वाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। सब से अधिक संकट की बात यह है कि जहाँ ब्रिटिश कालीन नौकरशाही तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था के प्रति वफादार थी, वहाँ स्वतन्त्र भारत में नौकरशाहों की वफादारियाँ राजनीतिक दलों की परिवर्तनशीलता के विचार, विश्वास, विचारधाराएं, उद्देश्य, आस्थाएँ, सब को भारतीय अधिकारी आत्मसात् कर लेते हैं। लेकिन यहाँ संविधान की आत्मा का हनन होता है। लोकतंत्र, धर्म निरपेक्षता, समाजवाद इत्यादि सब मात्र कोरे शब्द बनकर रह जाते हैं। इसका कारण है, मार्क्स के शब्दों में “नौकरशाही का परजीवी होना”।

नैतिक मूल्यों में गिरावट भी भारतीय समाज की व्यवस्था को असंतुलित करती है। भ्रष्टाचार उसका एक परिणाम है। नौकरशाही इस गिरावट से अछूती नहीं है। इस नकारात्मक तथ्य का प्रभाव प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ना स्वभाविक है। प्रशासन में लालफीताशाही तथा अपराधीकरण एक वास्तविकता है।

#### अभ्यास प्रश्न-

- परिस्थितिकीय परिवेश का विचार किस चिन्तक ने दिया?
 

क. मैक्स वेबर ने	ख. कार्ल मार्क्स ने
ग. एफ0डी0 रिम्स ने	घ. विलियम राइकर ने
- नौकरशाही के लिए शब्द ‘ऑफिशियलज़’ (officials) का प्रयोग किस विचारक ने किया?
 

क. रिम्स ने	ख. हीगेल ने
ग. डाउन्स ने	घ. विल्सन ने
- भारतीय समाज की विशेषता है-
 

क. एकलवाद	ख. बहुलवाद
ग. साम्यवादी समा	घ. सांस्कृतिक राष्ट्रवाद
- भारतीय अधिकारीतंत्र कितने चरणों से गुज़रा है?
 

क. चार से	ख. दो से
ग. तीन से	घ. पांच से
- जवाहर लाल नेहरू ने किस प्रशासनिक चिन्तक को भारतीय प्रशासनिक सुधारों के लिए बाहर से बुलाया?
 

क. हरबर्ट साइमन	ख. लूथर गुलिक
ग. मैसलो	घ. एपेल्बी



6. भ्रष्टाचार निवारण के लिए किस भारतीय सलाहकार को नियुक्त किया गया?

- |            |            |
|------------|------------|
| क. अवस्थी  | ख. अल्लेकर |
| ग. सन्थानम | घ. पायली   |

#### 14.10 सारांश

- समाज एक वृहत अवधारणा है। सामाजिक परिवेश से सभी संस्थायें प्रभावित होती हैं। प्रशासन भी अछूता नहीं रहता है। इस दृष्टिकोण का प्रतिपादक एफ0डी0 रिंस है। उसने परिस्थितिकीय नज़रियें से प्रशासन की विवेचना की है।
- समाज स्वतः अस्तित्व में नहीं आता है। उसके निर्माण तथा विकास के भी कारक होते हैं। इतिहास और आर्थिक व्यवस्था बड़े निर्णायक कारण हैं। भारतीय समाज का इतिहास भी ऐसे ही अनेक कारकों की देन है।
- भारतीय समाज के अनेक पहलू हैं कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक। सकारात्मक पहलुओं में पहलुवाद और विभिन्नता में एकता उसकी पहचान है। समाज के नकारात्मक पहलुओं ने भारतीय समाज को दूषित किया है। जातिवाद, वर्ण-व्यवस्था, रुढ़िवाद, धर्मान्धता, चरमपंथ, साम्प्रदायिकता, आर्थिक विषमता, भ्रष्टाचार, राजनीतिक प्रपंच तथा आतंकवाद ऐसी बुराइयाँ हैं जिन्होंने समाज के विकास तथा आधुनिकीकरण में बाधा पहुँचाई है।
- अधिकारीतंत्र या नौकरशाही शासन का एक महत्वपूर्ण घटक है। मैक्स वेबर ने सर्वप्रथम नौकरशाही की क्रमिक अवधारणा प्रस्तुत की और एक “आदर्श नौकरशाही” का प्रतिमान तैयार किया। लेकिन आगे चलकर शब्द ‘नौकरशाही’ बदनाम हो गया, इसलिए एन्थानी डाउन्स ने नौकरशाही के स्थान पर शब्द ‘ऑफिशियल्ज’ (अधिकारी वर्ग) का प्रयोग किया।
- भारतीय अधिकारीतंत्र का भी एक विस्तृत इतिहास रहा है। यह ब्रिटिश काल (1600-1858) तक ईस्ट इण्डिया कम्पनी के तहत और उसके बाद (1858-1947) विभिन्न चरणों से होकर गुजरा है। इस पूरे दौर में यह अपनी सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित हुआ है और उसके अनुसार संचालित भी हुआ है।
- भारतीय अधिकारतंत्र का वर्तमान इतिहास 1935 के भारत सरकार अधिनियम के साथ आरम्भ होता है। यह अनेक सुधारों की उत्पत्ति है और निरन्तर विकास की प्रक्रिया से गुजर रहा है।
- जहाँ भारतीय नौकरशाही (1600 से 1858) तक ब्रिटिश परम्पराओं और पश्चिमी मानसिकता से प्रभावित रही, वहाँ 1858 से 1947 तक यह ब्रिटिश शासन व्यवस्था तथा भारतीय समाज की परम्पराओं से प्रभावित हुई।
- स्वतन्त्रता के बाद भारतीय अधिकारतंत्र पूरी तरह भारतीय समाज की सकारात्मक अच्छाईयों और नकारात्मक बुराईयों का प्रतिबिम्ब रहा है।
- भारत की संवैधानिक व्यवस्था-लोकतंत्र, संघात्मक, संसदात्मक, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता अवधारणायें-इन सब ने अधिकारतंत्र को प्रभावित किया है।
- संक्षेप में यदि भारतीय अधिकारतंत्र को उसकी पृष्ठभूमि में झाँकर देखा जये तो अनेक अदभुत तथ्य सामने आयेंगे।

---

### 14.11 शब्दावली

---

एकोलॉजी (Ecology) शाब्दिक अर्थ है 'परिस्थितिकीय अर्थात् वे परिस्थितियाँ जो समाज की संस्थाओं को प्रभावित करती हैं। इस अवधारणा का प्रतिपादक है एफ0डी0 रिग्स।

प्लुरालिज्म (Pluralism) अर्थात् 'बहुलवाद'। यह किसी समाज की वह विशेषता है जिसमें विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, विश्वासों, भाषाओं, जातियों इत्यादि का अस्तित्व बना रहता है और सब में समरसता का संचार होता है।

ओ0 एण्ड एम0 अर्थ है संगठन एवं प्रबन्धन। यह लोक-प्रशासन की वह अवधारणा है जिसकी सिफारिश ऐपल्बी ने की जिसका उद्देश्य प्रशासनिक अनुशासन एवं व्यवस्था बनाये रखना है।

---

### 14.12 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

---

1. ग, 2. ग, 3. ख, 4. ग, 5. घ, 6. ग

---

### 14.13 सन्दर्भ ग्रंथ सूची

---

1. अवस्थी-अवस्थी: भारतीय प्रशासन, आगरा।
  2. विष्णु अग्रवाल विद्या भूषण: लोक प्रशासन के सिद्धान्त, नई दिल्ली।
  3. डॉ0 एस0एस0 मीतल: तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाएँ, आगरा।
  4. त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: तुलनात्मक लोक प्रशासन, नई दिल्ली।
- 

### 14.14 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

---

1. K. Singh : Indian Social System, Lucknow
  2. F.D. Riggs : The Ecology of Public Administration, London.
  3. Introductory Memorandum Relating to the Civil Service (1930) by Royal Commssl on (Tomlin), Britian.
  4. Gladden, E.N., Civil Service or Bureauracy.
- 

### 14.15 निबन्धात्मक प्रश्न

---

1. रिग्स का प्रशासन के बारे में परिस्थितिकीय (Ecological) दृष्टिकोण क्या है?
2. बहुलवादी समाज का क्या अर्थ है? भारत के संदर्भ में समझाइए।
3. भारतीय समाज के नकारात्मक पहलू क्या हैं? वे किस प्रकार से नौकरशाही को प्रभावित करते हैं?
4. भारत की सामाजिक पृष्ठभूमि में अधिकारीतंत्र की स्थिति क्या है?
5. सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भारत में अधिकारीतंत्र को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?

## इकाई- 15 तटस्थता बनाम प्रतिबद्ध अधिकारीतंत्र (नौकरशाही)

### इकाई की संरचना

- 15.0 प्रस्तावना
- 15.1 उद्देश्य
- 15.2 अधिकारीतंत्र: महत्व एवं प्रकृति
- 15.3 अधिकारीतंत्र की विशेषताएं
- 15.4 तटस्था का अर्थ: वैबेरियन संदर्भ में
- 15.5 तटस्था एवं प्रतिबद्धता: हीगेलियन संदर्भ में
- 15.6 तटस्था बनाम प्रतिबद्धता: मार्क्स का दृष्टिकोण
- 15.7 तटस्था बनाम प्रतिबद्धता: डाउन्स का दृष्टिकोण
- 15.8 राजनीति में तटस्था: अर्थ
  - 15.8.1 राजनीति तटस्था और स्वतन्त्रता
  - 15.8.2 गैर-राजनीतिक तटस्था
- 15.9 प्रतिबद्धता: प्रशासनिक अर्थ
- 15.10 तटस्था बनाम प्रतिबद्धता: भारतीय संदर्भ
- 15.11 प्रतिबद्ध नौकरशाही वर्तमान स्थिति
- 15.12 सारांश
- 15.13 शब्दावली
- 15.14 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 15.15 सन्दर्भ ग्रंथ सूची
- 15.16 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 15.17 निबन्धात्मक प्रश्न

### 15.0 प्रस्तावना

तटस्था तथा प्रतिबद्धता अधिकारीतंत्र (नौकरशाही) की एक गम्भीर विषय है। विशेष रूप से नवोदित लोकतांत्रिक विकासशील देशों में अधिकारीतंत्र राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ रहे तो कैसे और यदि प्रतिबद्ध रहे तो किसके प्रति, यह ज्वलन्त सवाल है। इस सम्बन्ध में नौकरशाही की प्रकृति के परिप्रेक्ष्य में नौकरशाही के लगभग सभी प्रशासनिक चिन्तकों ने तटस्था तथा प्रतिबद्धता के मुद्दे को उठाया है, क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जो सरकार और प्रशासन के चरित्र को तय करता है। इसलिए अधिकारीतंत्र की प्रकृति या नौकरशाही की विशेषता को समझकर तटस्था और प्रतिबद्धता का अर्थ निकालना आसान हो जाता है। भारत में नौकरशाही अपने संक्रमण काल से निकलकर अपने विकसित रूप के लिए प्रयासरत है। ऐसी स्थिति में प्रतिबद्धता से मुक्त होना जरूरी है विशेष रूप से राजनीतिक चक्रव्यूह से।

### 15.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप-

- अधिकारीतंत्र (नौकरशाही) की प्रकृति और विशेषताएं समझ सकेंगे।

- अधिकारियों के संदर्भ में तटस्थता बनाम प्रतिबद्धता की समस्या और उनका विशेष रूप से प्रशासनिक चिन्तकों के नजरिये से अर्थ समझ पायेंगे।
- ब्रिटिश प्रशासन से लेकर स्वतन्त्र भारत तक अधिकारियों में तटस्थता और प्रतिबद्धता की क्या स्थिति थी यह जान पायेंगे।
- आधुनिक भारत में विशेष रूप से दलगत राजनीतिक माहौल में नौकरशाही की प्रतिबद्धता की स्थिति क्या है, यह भी जान सकेंगे।
- राजनीतिक व्यक्तियों या समूहों के प्रति प्रतिबद्धता किस प्रकार से अधिकारीतंत्र को भ्रष्ट और प्रशासन को विकृत करती है, यह समझ सकेंगे।

### 15.2 अधिकारीतंत्र: महत्व एवं प्रकृति

लोक सेवा किसी देश के समग्र विकास की एक अनिवार्य शर्त है। ऐसा अतीत में भी था, वर्तमान में भी है और भले ही नौकरशाही के रूप में लोक सेवा की आलोचना कितनी भी क्यों न हो, इसकी प्रासंगिकता भविष्य में भी बनी रहेगी। लोक सेवक किसी भी प्रशासनिक और प्रशासनिक अभिकरणों के मूर्त रूप प्रशासक या अधिकारी ही होते हैं और इनका महत्व प्रायः इतना अधिक होता है कि यह राजनीतिक व्यवस्था का पर्यायवाची बन जाते हैं। शब्द 'अधिकारीतंत्र' अथवा 'नौकरशाही' इसी यथार्थ का परिणाम है। भले ही राजनीतिक संरचना का नाम राजतंत्र हो, कुलीनतंत्र, अधिनायकतंत्र हो या लोकतंत्र, प्रशासन का चरित्र अधिकारीतंत्रीय ही होगा। नीतियों, नियमों तथा विनियमों को क्रयान्वित करके नौकरशाही सरकारी प्रशासनिक तंत्र का संचालन करती है। निर्णय-निर्माण से लेकर नीति-स्थापन तक नौकरशाही अपनी भूमिका अदा करती है।

अधिकारीतंत्र या नौकरशाही की विशेषताओं, उसकी प्रकृति और राजनीतिक तथा गैर-राजनीतिक घटकों से उसके रिश्तों के बारे में चिन्तकों ने बहुत गहनता से अध्ययन किया है और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि प्रशासन की कार्य-कुशलता या फिर सफलता और असफलता का रहस्य लोक-प्रशासकों के प्रयोजन (Intention) और कार्यशैली में छिपा होता है।

“लोक-सेवा” शब्द का प्रचलित अर्थ राज्य की प्रशासकीय सेवा की नागरिक शाखाएँ हैं। प्रो० व्हाइट ने कहा है कि “एक अच्छा लोक प्रशासन बहुत से तत्वों के संयोजन से बनता है। इनमें सबसे बड़ा तत्व है मानव-शक्ति।” यह मानव शक्ति कैसी हो, इसका रुख (Attitude) कैसा हो, इसका अन्तिम ध्येय क्या हो-इन सब बातों पर चिन्तकों ने गहराई से मनन किया है। इस सम्बन्ध में, ग्लैडन का कथन बहुत महत्वपूर्ण है। उसने लिखा: “लोक सेवा से यह अपेक्षित है कि वह बिना पक्षपात के चुनी जायेगी, प्रशासनिक दृष्टि से कार्यकुशल होगी, राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ होगी, तथा समाज सेवी की भावना से ओत-प्रोत होगी।

### 15.3 अधिकारीतंत्र की विशेषताएँ

अधिकारीतंत्र की कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं जो प्रशासन के स्वरूप और चरित्र को निश्चित करती हैं। इन विशेषताओं में कुछ सकारात्मक हैं जो प्रशासन का सफलता पूर्वक संचालन करती हैं और कुछ ऐसी नकारात्मक विशेषताएँ हैं जो विकास में बाधा बनती हैं, और स्वयं अधिकारीतंत्र को नौकरशाही के रूप में उपहास का याक्ष बनाती हैं। सकारात्मक विशेषताओं में लोक सेवा की विशेषता हैं-

1. कार्यकुशलता, प्रशिक्षित होना, योग्य तथा निपुण होना,
2. पेशेवर, वैतनिक तथा स्थायी होना,
3. पदसोपानीयता का सिद्धान्त संगठन का आधार,

4. निर्वैयक्तिक (Impersonal) होना,
5. राज्य-व्यवस्था का अंग होना न कि किसी विशिष्ट वाद या विचारधारा का।

इस सम्बन्ध में बैन्समैन तथा रोजेनबर्ग का कहना है, “नौकरशाही अथवा लोक सेवा साम्यवाद, समाजवाद अथवा पूंजीवाद किसी भी व्यवस्था का मूल तत्व नहीं है। यह किसी भी प्रकार के समाज में रह सकती है, भले की उसमें निजी सम्पत्ति हो अथवा न हो और आधार में वह भले ही तानाशाही या प्रजातांत्रिक वातावरण अपनाये हुए हो।” अपनी उपरोक्त पांच विशेषताओं के कारण नौकरशाही से जो प्रशासनिक अपेक्षाएँ की जाती हैं, वे इस प्रकार हैं-

- (क) राजनीतिक कार्यपालिका को परामर्श देना
- (ख) गैर-राजनीतिक, प्रशासनिक एवं जनहित के कार्यों को अंजाम देना।
- (ग) लोक सेवा में ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, कुशलता, चारित्रिक उत्कृष्टता का परिचय देना और तनावों से मुक्त रहना।
- (घ) शासकीय नीतियों का परिपालन करना।
- (ङ) अर्द्ध-विधायी (प्रत्यायोजित विधान) तथा अर्द्ध-न्यायिक (प्रशासकीय) अधिनिर्णय करना, इत्यादि।

मैक्स वेबर ने अधिकारियों की कुछ ऐसी विशेषताओं की ओर इशारा किया जो प्रशासन को गतिशील और उत्तरदायी बनाती हैं। यह हैं-

- अधिकारी किसी अन्य के व्यक्तिक तौर पर सेवक नहीं होते हैं, वे व्यक्तिक रूप से स्वतन्त्र होते हैं और जिस सरकारी पद पर वे नियुक्त होते हैं उसका आधार योग्यता और करार (ठेका) होता है।
- वे उस सत्ता का प्रयोग करते हैं जो निर्वैयक्तिक नियमों के द्वारा उनको प्रदत्त की जाती है।
- उनकी तकनीकी (प्रशासनिक) योग्यता (अर्हता) के आधार पर उनकी नियुक्ति होती है तथा पद (कार्य) सौंपा जाता है।
- प्रशासनिक कार्य उनका पूर्ण-कालिक पेशा है।
- निश्चित और नियमित रूप से उनको वेतन मिलता है और अपनी पूरी सेवा अवधि में उनको नियमित प्रगति के अवसर मिलते हैं।

इन पाँच विशेषताओं के अतिरिक्त मैक्स वेबर ने किसी सरकारी अधिकारी (नौकरशाही) को संक्षेप में सात बिन्दुओं में समेटा है: (1) निर्वैयक्तिक व्यवस्था, (2) नियम, (3) सक्षमता का क्षेत्र (sphere), (4) पदसोपानीय संरचना, (5) व्यक्तिक एवं जन ध्येय, (6) लिखित दस्तावेज, तथा (7) एकलवादी व्यक्तित्व।

नौकरशाही की नकारात्मक विशेषताओं में लाल-फीताशाही, भ्रष्टाचार, स्वेच्छाचारिता, नीरसता, पक्षपातपूर्ण रवैया तथा स्वहित की पूर्ति ऐसी बुराईयाँ हैं जो अधिकारीतंत्र को दूषित करती हैं। मैक्स वेबर, रिग्स, मार्क्स तथा एन्थोनी डाउन्स ने नौकरशाही का जो मूल्यांकन किया है उससे अनेक महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट होते हैं-

- (क) अधिकारियों को निर्वैयक्तिक होना चाहिए लेकिन अक्सर वे होते नहीं हैं।
- (ख) उनको स्वतन्त्र (व्यक्तिक रूप से) होना चाहिए लेकिन वे होते नहीं हैं।
- (ग) उन्हें स्वालम्बी होना चाहिए, लेकिन वे परजीवी होते हैं।
- (घ) उनकी निष्ठा विशिष्ट व्यक्तियों, विचारधाराओं तथा विशेष व्यवस्था के प्रति नहीं होनी चाहिए, लेकिन वे ऐसा करते हैं।

परिणामस्वरूप नौकरशाह न तो तटस्थ और निष्पक्षता का पालन करते हैं और न ही समाज अथवा जन-समुदाय के प्रति उनकी निष्ठा और प्रतिबद्धता बनी रहती है। यहाँ से प्रश्न उठता है प्रशासन में लोक सेवकों की तटस्था तथा प्रतिबद्धता का।

### 15.4 तटस्था का अर्थ: वैबेरियन संदर्भ में

नौकरशाही के संदर्भ में तटस्था को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट किया जा सकता है। लेकिन इसका अर्थ समय और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित हुआ है। उदाहरण के लिए मैक्स वेबर ने सत्ता अथवा प्राधिकार (Authority) के तीन प्रकार बताए हैं- (अ) परम्परागत सत्ता (Traditional Authority), (ब) करिश्माई या चमत्कारिक सत्ता (Charismatic Authority), तथा (स) विवेकपूर्ण वैद्य सत्ता (Rational Legal Authority)। इन तीनों प्रकार की सत्ताओं की विवेचना से सेवी वर्ग की विशेषताएँ-विषेय रूप से तटस्था, निष्पक्षता तथा प्रतिबद्धता के विचार स्पष्ट हो जाते हैं।

परम्परागत सत्ता में प्रशासनिक अधिकारियों की प्रकृति स्वामीभक्त होती है। आनुवांशिक अधिकारी सरदार से जुड़े व्यक्ति होते थे। गैर-आनुवांशिक सत्ता में शुद्ध रूप से व्यक्तिक स्वामिभक्ति (प्रिय पात्र) मातहत (निष्ठा से जुड़े हुए) की प्रवृत्ति होती थी। सत्ताधारी को 'स्वामी' कहा जाता था। तटस्था का अभाव था। परम्पराएँ और व्यक्तिक योग्यता तटस्था के परिकल्पना को विलुप्त करती थी। अधिकारियों को 'अनुचर' कहा जाता था। व्यक्तिक वफ़ादारी के तहत आज्ञा पालन होता था। क्योंकि व्यवस्था सामन्ती होती थी, इसलिए अधिकारी स्वामी के वफ़ादार सहयोगी होते थे। उनके कार्य मालिकों की 'सनक', 'अभिरुचियों' और 'मनोतरंगों' के अनुसार होते थे।

करिश्माई सत्ता में सत्ता एक नेता के पास होती है जो एक दूत (पैगम्बर), एक नायक (हीरो) या एक भड़काऊ नेता हो सकता है जो अपनी जादुई शक्ति अपनी वाक्य चतुराई (वक्ता) अथवा अपनी वाक्य बाज़ीगरी से जनता को समोहित कर लेता है। इसी विशेषता को करिश्मा कहा जाता है और यही करिश्माई शक्ति उसकी सत्ता को वैद्यता प्रदान करती है। करिश्माई सत्ताधारी ऐसे अनुचरों को अधिकारी बनाता है जो उसके लिए पूर्णतया समर्पित हों। इनकी वफ़ादारी कानून या नियमों के प्रति न होकर करिश्माई सत्ताधारी के प्रति होती है। यह नेता की पसंद नापसन्द के अनुसार काम करते हैं। अतः यहाँ प्रतिबद्धता नेता के प्रति होती है और शब्द तटस्था अर्थहीन बन जाता है।

वैधानिक-तार्किक सत्ता में, सत्ता उन संगठनों में निहित होती है जहाँ वैधानिक तौर पर नियम लागू होते हैं और उन नियमों के अनुसार संगठन के अभिकर्ता काम करते हैं। यहाँ व्यक्ति जो सत्ता का प्रयोग करते हैं वे उच्चतर व्यक्ति होते हैं (Superior) जो वैधानिक प्रक्रिया से विधिक व्यवस्था बनाये रखने के लिए चुने जाते हैं। वे 'कानून' का पालन करते हैं। पूरा सरकारीतंत्र कानूनी होता है। संगठन में निरन्तरता होती है और वह तब तक बना रहता है, जब तक उसको विधिक तौर पर मान्यता मिली रहती है। यही तार्किकता है जहाँ अधिकारी 'तटस्थ' रहता है तथा उसकी प्रतिबद्धता नियमों के प्रति होती है।

वेबर ने वैधानिक-तार्किक नौकरशाही को सर्वोत्तम बताया है, क्योंकि यहाँ (अ) वैधानिक संहिता के आधार पर अधिकारी आदेशों का पालन करते हैं। (ब) कानून निराकार नियमों की एक पद्धति होती है जो संगठन के लक्ष्यों की पूर्ति करती है। (स) अधिकारी निर्वैयक्तिक आदेश (वतकमत) का पालन करते हैं। (द) यहाँ आदेश का पालन व्यक्ति के प्रति न होकर उस निर्वैयक्तिक आदेश के प्रति होता है जो वास्तविक आदेश का स्रोत है। वेबर अपने इस सिद्धान्त से वैधता (Legitimacy) और निर्वैयक्तिक आदेश में एक रिश्ता स्थापित करता है।

इस तरह वेबर ने राजनीतिक स्तर पर नौकरशाही की तटस्थता और कानून के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को 'आदर्श नौकरशाही' की संज्ञा दी है। वह यह मानकर चलता है कि नौकरशाही की राजनीतिक तटस्था तथा विधि के प्रति उसकी प्रतिबद्धता ही उसको आधुनिक संस्कृति और सभ्यता का एक अपरिहार्य घटक बना सकती है, विशेष रूप से पश्चिमी जगत में।

### 15.5 तटस्था एवं प्रतिबद्धता हीगेलियन संदर्भ में

मार्क्स से पूर्व हीगेल ने भी नौकरशाही की प्रकृति और उसकी भूमिका पर विस्तार से लिखा। वह राज्य को तार्किक समाज का अन्तिम विकसित चरण मानता था। वह राजा, (शासक), मंत्रियों और नौकरशाहों को राजनीतिक



अभिकर्ता (Actors) मानता था। उसका मानना था कि नौकरशाही सर्वजनीय समुदाय के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है। यही राज्य का हित है। इस दृष्टि से नौकरशाही एक 'सार्वभौमिक जागीर' या भू-क्षेत्र है। इसकी कानूनी हैसियत और हितों को बनाये रखना नौकरशाही का काम है।

हीगेल नौकरशाही को "विचारों का अवतार" या मूर्तरूप मानता है (embodiment of Ideas)। उसकी नजर में नौकरशाही अपनी प्रकृति से स्वायत्त और स्वतन्त्र है। वह लोक नीतियों का प्रतिबिम्ब है, न कि जन समुदाय की सोच का। हेगेल के अनुसार हीगेल उन लोगों को अधिकारी और नौकरशाह मानता है जो एक जागरूक शासक की ओर से अपना उत्तरदायित्व निभाते हैं। काम करते हैं, या फिर एक संवैधानिक राजतंत्र और एक आधुनिक राज्य की ओर से नौकरशाही पर हीगेल के दृष्टिकोण से निम्न तथ्य सामने आते हैं-

1. राज्य समाज का अन्तिम विकसित रूप है, और राज्य के हित वास्तव में समाज के हित हैं।
2. नौकरशाही की प्रतिबद्धता राज्य के प्रति है।
3. यदि राजा या संवैधानिक राजतंत्र या आधुनिक राज्य समाज का प्रतिनिधित्व करता है तब नौकरशाहों की प्रतिबद्धता प्रतिनिधि के प्रति है।
4. विचार (Ideas) सर्वोच्च हैं। वही अन्तिम वास्तविकता हैं। राज्य इन विचारों का प्रतिबिम्ब या छाया है और नौकरशाह राज्य के मूर्त रूप हैं। इसलिए वे विचारों के प्रति प्रतिबद्ध हैं, वे तटस्थ नहीं हैं।
5. सर्वजन हिताय राज्य का उद्देश्य (motto) है। नौकरशाही की तटस्था और प्रतिबद्धता इसी उद्देश्य में छिपी है।

### 15.6 तटस्था बनाम प्रतिबद्धता: मार्क्स का दृष्टिकोण

हीगेल का कहना था कि नौकरशाही समुदाय के सामान्य हित का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए उसकी प्रतिबद्धता समुदाय के प्रति होती है। इस अवधारणा को मार्क्स ने स्वीकार नहीं किया है।

मार्क्स का दावा यह है कि "नौकरशाही राज्य के भीतर एक बन्द समाज है।" राज्य क्या है? इसके उत्तर में मार्क्स ने कहा राज्य के तीन रूप हैं। पहला, राज्य वर्ग आधिपत्य का एक उपकरण है। दूसरा, यह दमनकारी है और वर्ग (अल्पसंख्यक पूंजीपति या सामन्ती) द्वारा दूसरे वर्ग (मजदूर, किसान इत्यादि) का दमन करने में सहायता प्रदान करता है। तीसरे, राज्य एक अल्पकालिक संस्था है। मार्क्स के अनुसार नौकरशाही का काम तत्कालीन व्यवस्था को बनाये रखना और इसी उद्देश्य के लिए प्रशासन करना है। वह कानून और राज्य को मानव मस्तिष्क की उपज न मानकर "भौतिक स्थितियों" को राज्य और कानून का जनक मानता है। भौतिक स्थितियों का निर्माण 'उत्पादन की पद्धति' करती है। इस तरह मार्क्स की नजर में नौकरशाही तत्कालीन आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को बनाये रखकर अपने अस्तित्व को बनाए रखती है। इसलिए मार्क्स "नौकरशाही को परजीवी" (parasites) कहता है।

संक्षेप में, मार्क्स की दृष्टि में "नौकरशाही राज्य का सार है, वह समाज का आध्यात्मिक निचोड़ है, वह (राज्य) की निजि सम्पत्ति है।"

नौकरशाही के बारे में मार्क्स की इस अवधारणा से जो तथ्य सामने आते हैं, वे हैं-

- (अ) नौकरशाही की प्रतिबद्धता राज्य के प्रति है।
- (ब) नौकरशाही की प्रतिबद्धता दमनकारी (पूंजीवादी, सामन्ती) वर्ग के प्रति है।
- (स) नौकरशाही की प्रतिबद्धता दमनकारी शक्तियों (पुलिस, फौज) वर्ग के प्रति है।
- (द) जब राज्य विलुप्त हो जायेगा तब नौकरशाही की प्रतिबद्धता समाज के प्रति होगी अथवा यह भी सम्भव है कि राज्य के विलुप्त होने के साथ नौकरशाही अपने वर्तमान स्वरूप में विलुप्त हो जाये।

### 15.7 तटस्था बनाम प्रतिबद्धता: डाउन्स का दृष्टिकोण

एन्थानी डाउन्स ने अपने शोध प्रबन्ध 'इनसाइड ब्योरियोक्रेसी', (1964) में दो आधारभूत परिवर्तन करके नौकरशाही का विश्लेषण किया है। पहला, शासन के स्थान पर ब्योरोज की परिकल्पना तथा शब्द नौकरशाह के स्थान पर अधिकारी (ऑफिशियल) का प्रयोग अर्थात् राज्य का उद्देश्य ब्योरोज के माध्यम से पूरा होता है और ब्योरोज में काम करने वाले कर्मचारीगण अधिकारी (उच्च स्तर पर) कहलाये जाते हैं। "निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया ब्योरोज में अधिकारियों द्वारा अंजाम दी जाती है।" इस तरह ब्योरोज साध्य हैं और अधिकारी उपकरण (साधन)। अधिकारियों की विशेषता वही है जो 'नौकरशाह' या लोक सेवक की होती है। डाउन्स के नौकरशाही विश्लेषण से जो तथ्य सामने आये हैं वे यथार्थ के बहुत समीप और चौकाने वाले हैं-

1. कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं जिनका लक्ष्य अपनी शक्ति, प्रतिष्ठा, सुरक्षा, सुगमता, सुविधा बढ़ाना होता है। यह विशुद्ध, आत्म-हितकारी होते हैं। इनकी प्रतिबद्धता स्वयं के प्रति होती है, ब्योरोज के प्रति नहीं। यह तटस्थ नहीं रहते हैं। डाउन्स ऐसे अधिकारियों को पर्वतारोही (Climbers) तथा अनुदार (Conservers) कहता है। यह यथास्थिति में विश्वास करते हैं, और नवीनीकरण का विरोध करते हैं।
2. कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं जो आत्म-हितों को जनहित मूल्यों से मिला लेते हैं। यह बड़े चालाक होते हैं। डाउन्स ने इनको उत्साही, समर्थक तथा राजनीतिक तीन वर्गों में बांटा है। उत्साही अधिकारियों की प्रतिबद्धता ऐसी संकुचित नीतियों के प्रति होती है जो उनको लाभ पहुँचाये। समर्थक विस्तृत नीतियों के प्रति वफादार होते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वे अन्ततः उनको भी लाभ पहुँचाएँगे। राजनीतिक राष्ट्र या समाज के प्रति वफादार होते हैं लेकिन ऐसा करके वे अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने की आशा करते हैं। संक्षेप में नौकरशाही में तटस्था तथा प्रतिबद्धता अधिकारियों के 'आत्महित' के इर्द-गिर्द घूमती है और यही यथार्थवाद है, जिस पर डाउन्स ने बल दिया है।

### 15.8 राजनीति में तटस्थता: अर्थ

राजनीति लोकतंत्र का सार है, लेकिन दलगत राजनीति लोकतंत्र का विकृत रूप है। यह सत्ताधारियों में भी भटकाव पैदा करता है और अधिकारियों को भी पथ विचलित करता है। इसलिए अधिकारियों के लिए 'तटस्था' का सिद्धान्त बहुत महत्वपूर्ण है।

अधिकारियों का परम ध्येय है जन-हित के लिए काम करना। उनकी योग्यता, दक्षता, निपुणता, निष्ठा और अनुभव सब जन-कल्याण के लिए समर्पित होने चाहिए। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वे सरकारी सेवा में प्रवेश करते हैं और सरकार के सेवक होते हैं।

राजनीति एक भ्रम या भ्रान्ति है। इसमें आकृषण है, इसलिए अधिकारी भी इसके लावण्य (Charm) से प्रभावित होते हैं। वे राजनीति में सीधे तो नहीं कूद सकते लेकिन प्रायः वे राजनीतिक दलों तथा राजनीतिक व्यक्तियों से परोक्ष रूप से सम्बद्ध होने के प्रयास करते हैं। कारण होता है अपने निहित उद्देश्यों की पूर्ति करना। इसी तथ्य को मार्क्स ने नौकरशाही की परजीवी स्थिति कहा है। वह अपनी इस स्थिति को रहस्यमय बनाये रखते हैं।

राजनीतिक तटस्था का सिद्धान्त अधिकारियों (नौकरशाहों) से यह अपेक्षा करता है कि वे-

- (क) किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं होंगे और न ही वे अपने आप को किसी राजनीतिक संगठन से जोड़ेंगे,
- (ख) सरकारी कर्मचारी/अधिकारी राजनीतिक आन्दोलन या गतिविधि में भाग नहीं लेंगे, न प्रत्यक्ष रूप से और न परोक्ष रूप से,

(ग) सरकारी/कर्मचारी/अधिकारी किसी भी प्रकार के राजनीतिक चुनावों में भाग नहीं लेंगे, न ही किसी दल या व्यक्ति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहायता पहुंचायेंगे।

(घ) कोई भी सरकारी कर्मचारी/अधिकारी की भी प्रकार के मीडिया (रेडियो, टी0वी0 चैनल, प्रकाशन, सोशल मीडिया इत्यादि) के माध्यम से शासन की आलोचना या नीति का विरोध नहीं करेगा। ऐसे संचार माध्यमों का सहारा वे कुछ नहीं करेंगे जिससे राज्यों के मध्य, राज्य और केन्द्र सरकार के मध्य या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर सम्बन्ध खराब हों।

### 15.8.1 राजनीतिक तटस्था और स्वतंत्रता

लोकतंत्र में सरकारी अधिकारियों को राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ रहना चाहिए, यह अनिवार्य है लेकिन क्या इस सिद्धान्त के अनुपालन से उनकी स्वतन्त्रता के अधिकार का हनन नहीं होता है। यह तक तार्किक सवाल है। व्यावहारिक राजनीतिक निरपेक्षता तथा सामान्य नागरिकता के अधिकारों में समंजन कैसे किया जाये, यह वास्तविक समस्या है।

ब्रिटेन में सरकारी अधिकारियों की राजनीतिक गतिविधियों पर नियुक्त मास्टरमैन समिति (Masterman Commlttee) ने अपनी रिपोर्ट में लिखा: “जनतंत्रीय समाज में यह वांछनीय है कि सभी नागरिक राज्य के कार्यों में भाग लें और सरकारी विषयों पर अपना मत प्रकट करें। सरकारी सेवक एक उच्च शिक्षित एवं प्रबुद्ध वर्ग हैं। इनको नागरिकता के सब अधिकारों से वंचित नहीं जा सकता, केवल उसी सीमा तक इन पर प्रतिबन्ध लगाये जायें जिस सीमा तक वे सार्वजनिक हित के लिए नितांत आवश्यक हों”।

पश्चिमी समाज में राजनीतिक निरपेक्षता से अधिक राजनीतिक स्वतन्त्रता को महत्व दिया जाता है। उदाहरण के लिए इंग्लैण्ड में औद्योगिक ग्रेडों, डाकखानों के अनेक ग्रेडों तथा अन्य साधारण स्तर के कर्मियों को, जो नागरिक सेवाओं का 62 प्रतिशत भाग हैं, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की पूर्ण आजादी है। यहाँ केवल 16 प्रतिशत प्रशासकीय अधिकारी हैं जिन्हें ऐसे हैं राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं है।

भारत में स्थिति ब्रिटेन से विपरीत है। वेतन आयोग ने भारतीय सिविल सेवाओं के लिए राजनीतिक निरपेक्षता के कठोर नियमों का पूरी तरह समर्थन किया है। इसने अपनी रिपोर्ट में लिखा: “इस देश में अपनाई गई शासन प्रणाली की सफलता के लिए यह जरूरी है कि लोक सेवकों को जो सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं तथा जिनको प्रशासनिक तथा कार्यकारी शक्तियां प्राप्त हैं अथवा जो नागरिकों को अपने पदों के कारण प्रभावित कर सकते हैं, पद पर बने रहते हुए राजनीति से पूर्णतया दूर रहना चाहिए”, आयोग का यह सुझाव सभी श्रेणियों के कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू होता है। संक्षेप में, आयोग का यह दृढ़मत था कि यदि प्रशासनिक कर्मी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राजनीति में भाग लेते हैं तो उनकी सत्यनिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और प्रशासन राजनीतिक प्रदूषण से असंतुलित होगा।

### 15.8.2 गैर-राजनीतिक तटस्था

प्रशासनिक तटस्था की समस्या केवल राजनीति के ही संदर्भ में नहीं है। और भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ प्रशासकों से तटस्थ रहने की अपेक्षा की जाती है। इनमें से कुछ क्षेत्र बहुत संवेदनशील भी है। वे सभी क्षेत्र जिनमें अधिकारियों को तटस्थ बने रहने की जरूरत है, वे हैं-

अधिकारियों और अधीनस्थों के मध्य सत्यनिष्ठा पर टकराव,

1. कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व या जबाबदेही का प्रश्न,
2. कर्मचारियों के सार्वजनिक कर्तव्य एवं निजि हित के मध्य संघर्ष की स्थिति,
3. दान, उपहार, व्यापार इत्यादि से सम्बन्धित आचार संहिता,

4. निजी उद्योग या लाभ की संस्था में परोक्ष रूप से किसी सम्बन्धी के माध्यम से जुड़ना,
5. प्रदर्शनों, सभाओं (जलसों) जलूसों में भाग लेना,
6. किसी संघ से जुड़ना, इत्यादि।

उक्त बातों की गम्भीरता को दृष्टि में रखकर सन् 1964 में सन्थानम समिति ने तटस्था से सम्बन्धित आचार नियमों का परीक्षण करने के बाद लिखा, जिसका सार इस प्रकार है-

- (क) ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके अन्तर्गत वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की सत्यनिष्ठा पर गौर कर सकें या नज़र रखें,
- (ख) यह स्पष्ट नहीं है कि प्रत्येक कर्मचारी अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी है, सिवाय उस दशा में जब वह अपने उच्च अधिकारी के निर्देश पर कार्य करता है,
- (ग) ऐसा कोई स्पष्ट नियम नहीं है जिस से कर्मचारी को उस स्थिति में अपने कर्तव्य का स्पष्ट पता लग सके जब उसके सार्वजनिक कर्तव्य एवं निजी हित के मध्य संघर्ष हो,

लोक सेवक गैर-राजनीतिक प्रकृति की धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक संस्थाओं में क्या भाग ले सकते हैं, भारत में इस बारे में स्थिति अस्पष्ट है। लेकिन अमेरिका में वे ऐसी संस्थाओं में भाग ले सकते हैं। वहां उन्हें अपनी व्यवसायिक संस्थाओं में भाग लेने का पूरा अधिकार है। सरकार को यह जांच करने का पूरा अधिकार है कि लोक सेवक जिन संस्थाओं में सक्रिय हैं वे प्रतिबन्धित या राज्य विरोधी तो नहीं हैं। यहाँ कर्मचारियों द्वारा अपनी व्यवसायिक संस्थाओं के माध्यम से अपनी सेवा की शर्तों के हित में व्यवस्थापिका, राजनीतिक दल तथा जनमत को प्रभावित किया जाता है। इनका यह कार्य बहुत कुछ राजनीतिक प्रकृति का बन जाता है।

लेकिन अमेरिका में 'हेच अधिनियम' में लोक सेवक की राजनीतिक गतिविधियों पर चार प्रतिबन्ध लगाये गये हैं-

- कोई भी लोक-सेवक दलीय प्रचार के लिए तथा दल के कोष के लिए न स्वयं योगदान करेगा और न अन्य को ऐसा करने के लिए दबाव डालेगा।
- लोक सेवक चुनाव व प्रचार में भाग नहीं लेगा। लेकिन वह राजनीतिक विषयों पर विचार प्रकट कर सकता है।
- लोक सेवक राजनीतिक पद के लिए प्रत्याशी नहीं बन सकता। यह लोक सेवक के पद के सम्मान के विपरीत है।
- लोक सेवक कोई राजनीतिक संगठन नहीं बना सकता।

लेकिन वास्तविकता यह है कि चाहे इंग्लैण्ड हो, अमेरिका या भारत, व्यवहार में लोक सेवकों की राजनीतिक गतिविधियों पर अंकुश लगाना कठिन है। यह अपने हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक दाव-पेंचों में पड़ने से कभी नहीं हिचकते।

### 15.9 प्रतिबद्धता: प्रशासनिक अर्थ

नौकरशाही में प्रतिबद्धता की अवधारणा सर्वप्रथम मैक्स वेबर ने अपने (वेबेरियन) मॉडल में प्रस्तुत की। उसने लिखा कि "लोक-सेवक को अराजनीतिक, तअस्थ एवं अनामक होना चाहिए।" वेबर के अनुसार "लोक-सेवकों की प्रतिबद्धता सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों के बजाय नियमों एवं सरकार के प्रति होनी चाहिए।"

ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में प्रशासन निष्पक्ष नौकरशाही की अवधारणा पर आधारित है। अमेरिका, फ्रांस तथा जर्मनी जैसे देशों सैद्धान्तिक रूप में नौकरशाही का झुकाव वेबेरियन नज़रिये से मेल खाता है। लेकिन रूस तथा चीन में ऐसा नहीं है। यहाँ नौकरशाही का झुकाव पहले पार्टी और सत्ताधारी व्यक्ति की ओर होता है।

नौकरशाही को प्रतिबद्ध होना चाहिए, यह तो सभी चिन्तक कहते हैं, लेकिन किस सीमा तक और किस के प्रति, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है, जिस पर मत भेद है। ऐसी चार संभावनाएँ हैं-

- (क) सत्तारूढ़ दल के प्रति प्रतिबद्धता (साम्यवादी देशों में),
- (ख) जनता के प्रति प्रतिबद्धता (लोकतंत्र में),
- (ग) सत्तारूढ़ व्यक्तियों के प्रति प्रतिबद्धता (संसदात्मक, अध्यक्षतात्मक व्यवस्था में),
- (घ) नियमों, कानूनों के प्रति प्रतिबद्धता (संवैधानिक व्यवस्था में)।

वास्तविकता यह है कि प्रतिबद्ध नौकरशाही सत्तारूढ़ दल की नीतियों, विचारधाराओं, राजनीतिक वायदों और निर्देशों के प्रति वफ़ादार होती है। और उसकी यह प्रतिबद्धता सत्ता परिवर्तन के अनुसार बदलती रहती है। सत्तारूढ़ दल के पास ऐसे उपकरण होते हैं- जैसे नियुक्तियाँ, पद-पुरस्कार, प्रोन्नति इत्यादि जिनका प्रयोग करके वे अधिकारियों की प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करते हैं। उच्च अधिकारी सत्तारूढ़ दल के इशारों पर चलते हैं और अधिकारी की हैसियत से नहीं अधिनस्थों के रूप में कार्य करते हैं। ऐसी प्रतिबद्ध नौकरशाही की अवधारणा प्रशासन को प्रदूषित करती है और उसका राजनीतिकरण जनहित में नहीं होता है।

### 15.10 तटस्थता बनाम प्रतिबद्धता: भारतीय संदर्भ

भारतीय संदर्भ में नौकरशाही या अधिकारीतंत्र की तटस्थता एवं प्रतिबद्धता को तीन कालों में विभाजित किया जा सकता है: पहला, ईस्ट इण्डिया कम्पनी काल (सन् 1600 से 1857 तक), दूसरा, औपनिवेशिक काल (1858 से 1946 तक), तीसरा, स्वतन्त्र भारत काल (1947 से अब तक) तीनों ही कालों में अधिकारीतंत्र की तटस्थता तथा प्रतिबद्धता राजनीतिक व्यवस्थाओं, प्रशासनिक संरचनाओं, सुधारों और परिस्थितिकी (Ecology) के अनुसार बदली है। तीनों का सारांश यह है-

ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया काल में नौकरशाही का स्वरूप वाणिज्यिक था और उसका लक्ष्य व्यापार था। नौकरशाही पूरी तरह “लूट प्रथा” पर आधारित थी। उसकी प्रकृति स्वेच्छाचारी थी। उसकी प्रतिबद्धता ‘कम्पनी हित’ और ‘आत्म-हित’ के प्रति थी। भारतीय समाज से उसका कोई लेना देना नहीं था। धीरे-धीरे कम्पनी की महत्वाकांक्षा प्रबल होती गई और शीघ्र ही वह एक प्रमुख यूरोपीय शक्ति बन गयी। सन् 1773 से 1858 का युग “दोहरी सरकार का काल” कहा जाता है। इस काल में नौकरशाही कम्पनी के प्रति भी वफ़ादार बनी रही है और ब्रिटिश संसद के प्रति भी, लेकिन “आत्म-हित” के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में कमी नहीं आई। भारतीय समाज से उसका अलगाव और गहरा हो गया, जो अन्ततः 1857 की क्रांति का कारण बना।

औपनिवेशिक ब्रिटिशकालीन अधिकारीतंत्र सन् 1858 से 1946 तक ब्रिटिश सीमाओं में रहते हुए सन् 1813 से लेकर 1935 तक के प्रशासनिक सुधारों से गुजर कर विकसित हुआ। इस दौरान अधिकारीतंत्र को भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनों से उत्पन्न हुई विषम परिस्थितियों का भी अनुभव करना पड़ा। ऐसी स्थिति में अधिकारियों का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी व्यवस्था को बनाये रखना तथा नौकरशाही की प्रतिबद्धता ब्रिटिश संसद, भारत सचिव और भारत में वायसराय और सूबों के लेफ्टीनेन्ट गवर्नरों के प्रति थी। यद्यपि, एक सीमा तक प्रशासनिक सुधारों के परिणामस्वरूप नौकरशाही जनहित की भी बात करने लगी थी। लेकिन, सच यही था कि ब्रिटिश लोक-सेवक ब्रिटिश सत्ता के पोषक थे और राष्ट्रीय एवं सामाजिक आकांक्षाओं के विरोधी थे।

स्वतन्त्र भारत में अधिकारीतंत्र ने अपने सम्पूर्ण प्रशासनिक ढाँचे को विरासत के रंग-रूप में प्राप्त किया। अब नौकरशाही अपने स्वरूप, अपनी प्रकृति और अपने आचरण में पूरी तरह से उस स्थिति को पा चुकी थी जिसके कारण उसे बदनामी झेलनी पड़ती है-लाल फ़ीताशाही, स्वेच्छाचारिता, उदासीनता तथा भ्रष्टाचार। आई0ए0एस0 और आई0पी0एस0 के रूप में नया अधिकारी काडर (Cadre) उभरा। इस सेवी वर्ग की नई परिस्थितिकी थी भारत की संवैधानिक व्यवस्था, जिसने संघवाद, संसदात्मकता, बहुदलीय निर्वाचन प्रणाली, पंचायती राज्य और

विचारात्मक आधार पर समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की बुनियाद डाली। अब भारत में नई नौकरशाही को इस संवैधानिक तत्त्वों के अनुसार काम करना था।

इसलिए यह सवाल स्वभाविक था कि नौकरशाही को किसके प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए-संविधान और कानून के प्रति, प्रशासनिक नियमों एवं विनियमों के प्रति, सत्तारूढ़ दल के प्रति, सरकार के प्रति या जन समुदाय के प्रति? यह एक विवादास्पद प्रश्न था जिस पर एक राय होना कठिन था। विद्वानों का मानना था कि प्रतिबद्ध नौकरशाही सत्तारूढ़ दल के कार्यक्रमों के साथ वचनबद्ध है। कारण यह है कि सत्तारूढ़ राजनीतिक दल अधिकारियों की नियुक्तियों से लेकर स्थानान्तरण तक सारी शक्तियाँ अपने हाथ में रखता है।

### 15.11 प्रतिबद्ध नौकरशाही: वर्तमान स्थिति

वर्तमान भारत में एक ओर संवैधानिक व्यवस्था है और उसके तकाजे हैं, तो दूसरी ओर लोकतंत्र का सब से अधिक विकृत रूप दलगत राजनीति है। भारतीय अधिकारीतंत्र इन दो विरोधात्मक लहरों के मझधार में फंसा हुआ है। लोक सेवक स्वयं इस दुविधा में रहते हैं कि वे राजनीतिक प्रपंच में तटस्थ रहें तो कैसे और प्रतिबद्धता प्रकट करें तो किसके प्रति? वेबेरियन नौकरशाही के परिप्रेक्ष्य में जो सैद्धान्तिक बातें उनके सामने हैं वे हैं-

1. अधिकारियों को निर्वैयक्तिक (Impersonal) आदेश का पालन करना है।
2. अधिकारियों को केवल कानून का पालन करना है।
3. अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर स्वतन्त्र हैं, वह किसी अन्य व्यक्ति के नौकर नहीं हैं। एक समझौते के तहत उसको सरकारी पद मिला है।
4. उसकी तकनीकी (प्रशासनिक) योग्यता के आधार पर उसको नियुक्ति और कार्यभार मिला है। यहाँ उस पर सत्ताधारी की कृपा नहीं है।
5. प्रशासनिक कार्य उसका पूर्णकालिक व्यवसाय है। अपने काम के बदले में उसे सत्त वेतन मिलता रहता है, और उसकी प्रोन्नति होती रहती है।

यह (वेबेरियन) ऐसे सिद्धान्त हैं कि यदि इनको व्यवहारिकता प्रदान की जाये और इनमें किसी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप न किया जाए, तब निश्चित तौर पर लोक सेवक तटस्थ रहकर कानून के तहत सरकार के प्रति प्रतिबद्ध रह सकते हैं।

लेकिन भारत में वर्तमान स्थिति इसके विपरीत है। वास्तविकता यह है कि बहु-दलीय (लगभग 25 राजनीतिक दल) राजनीतिक व्यवस्था, राज्य सरकारों की अस्थिरता या निरन्तर सत्ता परिवर्तन इत्यादि ने तटस्थता तथा प्रतिबद्धता के सिद्धान्त को प्रभावित किया है। राजनीतिक दल, राजनीतिक व्यक्ति, सत्ताधारी तथा परा-संवैधानिक गुट अनेक तरीकों (उपकरणों) का प्रयोग करके नौकरशाहों की प्रतिबद्धता अपने प्रति सुनिश्चित करते हैं। इनमें उत्पीड़न (धमकी) और प्रलोभन दोनों उपकरणों का प्रयोग होती है। यह इस प्रकार है-

1. स्थानान्तरण: यह स्थिति राज्यों की है। मुख्यमंत्री और उसके मंत्री अधिकारियों के निरन्तर स्थानान्तरण करके या स्थानान्तरण का डर दिखाकर अधिकारियों को अपनी मर्जी के अनुसार उनकी प्रतिबद्धता सुनिश्चित करते हैं।
2. महत्वहीन विभागों के पदों पर पदासीन करने का भय पैदा करके अधिकारियों की अपने प्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित करते हैं।
3. अपने कार्यालयों में बुलाकर या सार्वजनिक तौर पर अधिकारियों की प्रताड़ना करके अधिकारियों को स्वयं के प्रति प्रतिबद्ध रहने के लिए मजबूर करते हैं।
4. अधिकारियों का निलम्बन करके या निलम्बन का डर दिखाकर मंत्री या मुख्यमंत्री अधिकारियों को अपने बस में करते हैं।



5. पदावनति (demotion) का डर पैदा करके अधिकारियों की अपने प्रति वफादारी सुनिश्चित करते हैं।  
6. सत्ताधारियों का परम उद्देश्य चुनावों के समय सत्ता प्राप्ति के लिए अधिकारियों का प्रयोग करना होता है। उक्त सभी उपकरण उत्पीड़न (coersion) की परिभाषा में आते हैं। जहाँ तक प्रलोभन का प्रश्न है सत्ताधारी अधिकारियों की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें अनेक तरीकों से पुरस्कृत करते हैं या पुरस्कृत करने का प्रलोभन देते हैं। यह तरीके हैं-

- अधिकारी की मर्जी के अनुसार स्थानान्तरण करना,
- अधिकारी को महत्वपूर्ण पदों पर तैनात करना,
- प्रोन्नति में वरिष्ठता को नकार कर अपनी पसंद के अधिकारी को प्रोन्नत करना।

प्रतिबद्धता की अवधारणा का नतीजा यह निकलता है कि प्रशासनिक अधिकारी अपनी स्वतंत्रता, स्वायत्तता, निर्वैयक्तिकता, तटस्थता तथा अपने पद और स्थिति (status) की गरिमा खो देते हैं। वे सत्ताधारियों के प्रति अपनी वफादारी सिद्ध करने के लिए पदावनत (सम्मान को घटाने वाले) कृत्यों का भी प्रदर्शन करते हैं। ऐसा न करने पर उनकी प्रगति (Career) खतरे में पड़ सकती है। इसी तथ्य को जान कर मार्क्स ने नौकरशाही को 'परजीवी' कहा था। ऐसी स्थिति में जनता का नज़रिया भी नौकरशाही के प्रति घृणात्मक होता है। वे उसे भ्रष्ट और सत्ताधारियों का पंगू समझते हैं। ऐसे प्रतिबद्धता के सिद्धान्त से प्रशासन का राजनीतिकरण होता है। अधिकारियों में हताशा और उदासीनता जन्म लेती है और अन्ततः प्रशासन विकृत होता है और विकास रुकता है।

#### अभ्यास प्रश्न-

1. वैधानिक-तार्किक सत्ता में प्रतिबद्धता होती है-  
क. राजा के प्रति                      ख. सरदार के प्रति  
ग. नियमों के प्रति                    घ. सत्ताधारियों के प्रति।
2. नौकरशाही को "विचारों का अवतार" किसने कहा?  
क. मार्क्स ने                              ख. ब्राउन ने  
ग. मैक्स वेबर ने                      घ. हीगेल ने
3. "नौकरशाही की प्रतिबद्धता 'दमनकारी वर्ग' के प्रति है" यह किसका कथन है?  
क. हीगेल का                              ख. मैक्स वेबर का  
ग. मार्क्स का                              घ. किसी का नहीं
4. किसने कहा कि "नौकरशाही में प्रतिबद्धता अधिकारियों के आत्म-हित के इर्द-गिर्द घूमती है।"  
क. एन्थानी ने                            ख. मार्क्स ने  
ग. एल0डी0 व्हाइट ने                घ. हीगेल ने
5. मास्टरमैन समिति का सम्बन्ध किस देश से है?  
क. अमेरिका से                            ख. फ्रांस से  
ग. स्वीडेन से                              घ. ब्रिटेन से

#### 15.12 सारांश

- किसी भी सभ्य समाज के समग्र विकास की एक अनिवार्य शर्त है। एक सुदृढ़ एवं गतिशील प्रशासनिक व्यवस्था। अधिकारीतंत्र या नौकरशाही प्रशासन की रीढ़ होती है। इसलिए प्रशासनिक चिन्तकों ने नौकरशाही के प्रत्येक पहलू का गहनता से अध्ययन किया है।

- नौकरशाही के दोनों पहलू हैं- नकारात्मक जिसके कारण उसकी आलोचना होती है, और सकारात्मक जो उसे राज्य के विकास के लिए अपरिहार्य बना देती है।
- नौकरशाही की कुछ सर्वमान्य विशेषताएँ हैं जिन पर मैक्स वेबर ने बहुत अधिक बल दिया है। इन में नौकरशाही का निर्वैयक्तिक (impresonal) होना और नियमों के प्रति प्रतिबद्ध होना बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। नौकरशाही की नकारात्मकता उस स्थिति में हानिकारक होती है जब लोक सेवक नियमों के प्रति प्रतिबद्ध न होकर व्यक्ति विशेष के प्रति वफ़ादार होता है। तब उसकी निष्पक्षता और तटस्था समाप्त हो जाती है।
- अधिकारीतंत्र के संदर्भ में दो मुद्दे उभर कर सामने आते हैं- एक तो यह कि प्रशासनिक अधिकारी को अपनी सेवा के दौरान राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ रहना चाहिए, और दूसरा यह कि उसकी प्रतिबद्धता किसी व्यक्ति के प्रति नहीं होनी चाहिए। तटस्था और प्रतिबद्धता सिक्के के दो पहलू हैं, जो एक प्रशासनिक समस्या भी है।
- मैक्स वेबर ने तटस्था और प्रतिबद्धता को 'सत्ता' के परिप्रेक्ष्य में समझाया है। उसके अनुसार परम्परागत 'सत्ता', करिश्माई सत्ता तथा तार्किक-वैधानिक सत्ता के अनुसार तटस्था तथा प्रतिबद्धता निश्चित होती है। तार्किक-वैधानिक सत्ता सर्वोत्तम है, क्योंकि इसमें नौकरशाही कानून और नियमों के प्रति प्रतिबद्ध होती है।
- हीगेल, मार्क्स तथा एन्थानी डाउन्स ने भी नौकरशाही पर गहन चर्चा की है। हीगेल ने नौकरशाही की प्रतिबद्धता 'राज्य' के प्रति, मार्क्स ने यह प्रतिबद्धता 'दमनकारी' वर्ग के प्रति तथा डाउन्स ने 'आत्महित' के प्रति इस प्रतिबद्धता को दर्शाया है।
- व्यक्ति भावनाओं का पुतला है। सरकारी अधिकारी भी इस प्रवृत्ति से अछूता नहीं है। लोकतंत्र में सर्वाधिक आकृषण राजनीति के प्रति होता है। अधिकारी भी परोक्ष रूप से इसके पीछे भागता है। यहीं से प्रशासन में राजनीतिक तटस्था का प्रश्न उभरता है। अधिकारियों को राजनीतिक तौर पर तटस्थ रहना चाहिए, यह एक सर्वमान्य सिद्धान्त है।
- तर्क यह भी है कि अधिकारियों को गैर-राजनीतिक क्षेत्रों में भी तटस्थ रहना चाहिए-विशेष रूप से धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक घटकों में, क्योंकि आधुनिक लोकतंत्र में कहीं न कहीं गैर-राजनीतिक घटक भी राजनीति को (दबाव गुटों के रूप में) प्रभावित करते हैं, और वे अपनी परामहत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अधिकारियों का प्रयोग करते हैं।
- भारत में नौकरशाही की तटस्था तथा प्रतिबद्धता सत्ता की प्रकृति तथा परिस्थितिकी के अनुसार निश्चित हुई है। औपनिवेशिक काल में यह ईस्ट इण्डिया कम्पनी और ब्रिटिश संसद के प्रति तथा और भारत में अंग्रेजी सरकार के प्रति थी। स्वतन्त्रता के बाद यह राजनीतिक दलों, व्यक्तियों तथा परा-संवैधानिक शक्तियों के प्रति प्रतिबद्धता ने भारतीय प्रशासन को पथ-भ्रष्ट तथा विकृत किया है।

### 15.13 शब्दावली

निर्वैयक्तिक (Impresonal): जहाँ व्यक्ति के प्रति किसी अधिकारी की प्रतिबद्धता न हो।

लाल-फीताशाही (Red-Tape-ism): जब सरकारी फायलों पर लाल फीता बांधकर उनका निबटारा विलम्ब के साथ किया जाये।

पर्वतारोही (Climber): ऐसे अधिकारी जो आत्म-हित की चिन्ता में लगे रहते हैं तथा शक्ति प्राप्त करके प्रोन्नति की शिखर तक पहुँचने का प्रयास करते हैं।

उत्पीड़न (Coersion): शक्तिशाली द्वारा धमकी देकर, डराकर या धमकी को व्यवहारिक रूप देकर किसी अन्य के आचरण को अपनी इच्छानुसार बदलना।

मनावन (Persuasion): किसी व्यक्ति के आचरण को समझाबुझा कर या प्रलोभन देकर या पुरुस्कृत करके अपनी इच्छानुसार बदलना।

#### 15.14 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. ग, 2. घ, 3. ग, 4. क, 5. घ

#### 15.15 सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. अवस्थी-अवस्थी: भारतीय प्रशासन, आगरा।
2. डॉ० रविन्द्र प्रसाद, वी०एस० प्रसाद (सम्पादन), प्रशासनिक चिन्तक, दिल्ली।
3. डॉ० एस मीतल, मंजू मीतल: तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाएं, मेरठा।
4. विष्णु भगवान, विद्या भूषण: लोक प्रशासन के सिद्धान्त, नई दिल्ली।
5. त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी: तुलनात्मक लोक प्रशासन, जयपुर।

#### 15.16 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. Merton, Robert K. : (Ed.) Reader in Bureaucracy.
2. Albrow, Martin : Bureaucracy, London.
3. Blau, Peter M. : Bureaucracy in Modern Society, NewYork.

#### 15.17 निबन्धात्मक प्रश्न

1. अधिकारीतंत्र की विशेषताएँ क्या हैं?
2. अधिकारी तंत्र में तटस्था और प्रतिबद्धता का अर्थ क्या है? तटस्था तथा प्रतिबद्धता पर एक लेख लिखें।
3. भारत की वर्तमान राजनीति के परिप्रेक्ष में अधिकारियों की प्रतिबद्धता समझाइए।
4. प्रतिबद्धता के बारे में वेबर, हीगेल तथा मार्क्स का दृष्टिकोण क्या था? समझाइए।

## इकाई- 16 सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं के बीच सम्बन्ध

### इकाई की संरचना

- 16.0 प्रस्तावना
- 16.1 उद्देश्य
- 16.2 राजनीतिक सत्ता और प्रशासनिक सत्ता में अन्तर
- 16.3 राजनेताओं तथा अधिकारियों के सम्बन्ध (188-1947)
- 16.4 मन्त्रियों और लोक सेवकों के सम्बन्ध: सिद्धान्त और व्यवहार
- 16.5 मन्त्रियों और लोक सेवकों के सम्बन्ध: ब्रिटिश परम्परा
- 16.6 राजनीतिक-प्रशासन द्विविभक्तीकरण
  - 16.6.1 वाल्डो का दृष्टिकोण
  - 16.6.2 मैक्स वेबर और निर्वैयक्तीकरण
- 16.7 राजनेताओं और अधिकारियों के सम्बन्ध: भारतीय संदर्भ
- 16.8 निष्कर्ष
- 16.9 सारांश
- 16.10 शब्दावली
- 16.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 16.12 सन्दर्भ ग्रंथ सूची
- 16.13 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 16.14 निबन्धात्मक प्रश्न

### 16.0 प्रस्तावना

इस इकाई में राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों (लोक सेवकों) के पारस्परिक सम्बन्धों का विश्लेषण किया गया है। यह दर्शाने का भी प्रयास किया गया है कि यह सम्बन्ध ब्रिटिश औपनिवेशिक काल से लेकर 1947 तक कैसे थे और कौन से कारकों ने उनका निर्धारण किया था। 1947 के बाद इन सम्बन्धों का क्या स्वरूप और प्रकृति रही और आधुनिक भारत में उनका स्वरूप क्या है।

राजनेताओं तथा लोक सेवकों के पारस्परिक संबंध देश के शासन, प्रशासन और विकास की दिशा तैय करते हैं। इसलिए यदि यह सम्बन्ध समरसता और सहयोग के हैं तो निश्चित रूप से समाज के विकास पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। इस इकाई में उन सभी तथ्यों की विवेचना की गई है जो राजनेताओं और लोक सेवकों के सम्बन्धों का निर्धारण करते हैं। सम्बन्धों का विश्लेषण प्रशासनिक चिन्तकों के निष्कर्षों के सन्दर्भ में भी किया गया है। उदाहरण के लिए डुवीट वाल्डों, प्रो० लास्की तथा मैक्स वेबर के नज़रियों को इस इकाई में दर्शाया गया है।

### 16.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप-

- राजनेताओं एवं सरकारी अधिकारियों के पारस्परिक सम्बन्धों को समझ पायेंगे।
- इन सम्बन्धों के निर्धारण में कौन-कौन से कारक अपनी भूमिका अदा करते हैं, यह जान पायेंगे।
- भारत में नौकरशाही का इतिहास क्या है, औपनिवेशिक काल में राजनीति-नौकरशाही की प्रकृति क्या थी, तथा किन चरणों से गुजर कर उसने स्वतन्त्र भारत में प्रवेश किया, यह सब जान सकेंगे।

- प्रशासनिक चिन्तकों ने इन सम्बन्धों के बारे में अपने क्या विचार रखें अथवा क्या सिद्धान्त प्रतिपादित किये, यह भी जान पायेंगे।
- राजनेताओं और लोक सेवकों के बीच सम्बन्ध क्यों बनते बिगड़ते हैं और इनका प्रशासन और शासन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन तथ्यों से भी अवगत होंगे।
- भारत में राजनेताओं और अधिकारियों के सम्बन्धों की वर्तमान स्थिति क्या है, यह भी समझ सकेंगे।

## 16.2 राजनीतिक सत्ता और प्रशासनिक सत्ता में अन्तर

शासकीय व्यवस्था की दो महत्वपूर्ण जन्तरीय प्रणालियाँ हैं अध्याक्षात्मक व्यवस्था तथा संसदीय व्यवस्था। ब्रिटेन और भारत में संसदीय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका के दो स्पष्ट प्रकार देखने को मिलते हैं। पहला, राजनीतिक और दूसरा, अराजनीतिक या प्रशासनिक। केन्द्रीय सरकार में प्रधानमंत्री और राज्यों में मुख्यमंत्री (भारतीय संदर्भ में) और मंत्रिमण्डल के सदस्य राजनीतिक कार्यपालिका की श्रेणी में आते हैं। यह एक निश्चित अवधि के लिए जनता द्वारा निर्वाचित तथा संवैधानिक व्यवस्था द्वारा नियुक्त होते हैं तथा कार्यपालिका की पदसोपानीय व्यवस्था में शीर्ष पर होते हैं।

दूसरी श्रेणी में गैर-राजनीतिक या प्रशासनिक कार्यपालिका आती है। यह पदसोपानीय व्यवस्था में नियमानुसार पदों के रूप में विभाजित होती है। यह स्थायी कार्यपालिका है जिसका चयन योग्यता के आधार पर होता है इसके प्रकृति या प्रवृत्ति के अनुसार अनेक नाम हैं-लोक सेवा, नौकरशाही, प्रशासनतंत्र और अधिकारीतंत्र लेकिन काम एक ही है जिसे सार में 'प्रशासन' कहते हैं।

राजनीतिक कार्यपालिका के मुख्य कार्य हैं- नियोजन, नीति-निर्धारण, निर्णय-निर्माण, क्रियान्वयन का निरीक्षण, उनका मूल्यांकन-निर्देशन और संसद के प्रति जवाबदेही। इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करना और उनको जिम्मेदारी सौंपना। संक्षेप में राजनीतिक सत्ताधारी शासन के भार को वहन करते हैं तथा मुख्य कार्यपालिका के कार्यों को सम्पन्न करते हैं।

प्रशासनिक कार्यपालिका के सदस्य नियोजन, नीति-निर्धारण, निर्णय-निर्माण इत्यादि में राजनीतिक कार्यपालिका की सहायता करते हैं, उसे परामर्श देते हैं और उसके निर्णयों और नीतियों को क्रियान्वित करते हैं। लोक-सेवकों का एक विशिष्ट व्यक्तित्व होता है जिसके लिए व जाने जाते हैं और प्रशासन चलाने के लिए उनकी एक विशिष्ट शैली होती है, जिसमें वे प्रशिक्षित होते हैं। वे अपने तकनीकी ज्ञान में माहिर होते हैं।

संक्षेप में, संसदात्मक व्यवस्था में दो समानान्तर राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य पालिकाएँ समन्वय के साथ चलकर राज्य को उसके अन्तिम लक्ष्य-समग्र विकास की ओर ले जाती हैं, लेकिन शर्त यह है कि दोनों के सम्बन्ध मधुर हों, उनमें कोई द्वन्द्व न हो।

## 16.3 राजनेताओं तथा अधिकारियों के सम्बन्ध: (1858-1947)

भारतीय राजनेताओं (सत्ताधारी) और लोक सेवाओं का एक औपनिवेशिक इतिहास है। यहाँ यह याद रखना है कि लोक-सेवाओं ने भारत में ब्रिटेन से प्रवेश किया लेकिन एक वैभिन्यता के साथ ब्रिटेन के विपरीत भारत में लोक सेवा के उच्च पदों के मार्ग सब के लिए खुले हुए नहीं थे। ऐसे पदों पर अधिकांशतः ब्रिटिश नागरिक ही नियुक्त किये जाते थे। लेकिन धीरे-धीरे सुधारों के फलस्वरूप कुछ भारतीय भी इन पदों पर नियुक्त किये जाने लगे। मॉण्टफोर्ड सुधारों ने इस गति को तेज़ किया। ब्रिटेन में लोक-सेवक निर्वाचित प्रतिनिधियों (मंत्रियों) और संसद के अधीन काम करते थे। लेकिन भारत में 1861 से 1921 तक नौकरशाही स्वयं अपनी मालिक थी। द्वैध शासन ने मंत्रियों को शासन करने की सीमित शक्तियाँ प्रदान कीं। यहीं से मंत्रियों तथा अधिकारियों (नौकरशाही) के बीच

संघर्ष का इतिहास आरम्भ हो गया, क्योंकि नौकरशाही स्वयं को नई परिस्थितियों में नहीं ढाल सकी। इस संघर्ष में नौकरशाही को अंग्रेज लैफ्टीनेंट-गवर्नर का साथ मिलता था। अतः मंत्रियों और अधिकारियों में कटुता बनी रहती थी।

यदि गौर से देखा जाये तो पता लगेगा कि 1858 से 1947 तक भारत में अंग्रेज सरकार ने वेबेरियन मॉडल पर लोकसेवा की स्थाना की। किन्तु, व्यवहार में यह मॉडल सफल नहीं हो सका। राजनीति का जो चरित्र उभर कर सामने आया वह वेबोरियन मॉडल से मेल नहीं खाता था। वेबर के सिद्धान्त 'आदर्शों' पर निर्भर थे, लेकिन राजनीति (संसदीय) में 'आदर्श' या 'मूल्यों' की कोई गुजाइश नहीं है।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि यद्यपि भारतीय नौकरशाही ने अपने स्वभाव और प्रशासनिक शैली में बहुत कुछ ब्रिटिश विरासत के रूप में ग्रहण किया, लेकिन प्रशासनिक और राजनीतिक सम्बन्धों के परिप्रेक्ष्य में उसने ब्रिटेन का अनुसरण नहीं किया। उदाहरण के लिए नीति-निर्माण और क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व ब्रिटेन में राजनीतिक कार्यपालिका में निहित है। वही निर्णय लेती है, आदेश देती है और अधिप्रमाणित करती है। इसके विपरीत, भारत में शक्तियों का विभाजन है। भारत में राजनीतिक कार्यपालिका नीति-निर्माण करती है और लोक-सेवा उसे लागू करती है।

ब्रिटेन में मंत्री नीतियों की असफलता के लिए लोक-सेवकों को जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं। उन्हें नीति-निर्माण तथा निर्णय लेने में अन्तिम सत्ता एवं अधिकार प्राप्त हैं। इसलिए सफलता और असफलता का दोष या श्रेय भी मन्त्रियों को मिलेगा। भारत के समान ब्रिटेन में भी लोक-सेवक मंत्रियों को परामर्श देने वाले ही होते हैं। लेकिन अन्तर यह है कि ब्रिटेन में लोक-सेवकों के परामर्श को गम्भीरता से लिया जाता है लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारतीय मंत्री लोक सेवकों के परामर्श की अनदेखी करते हैं। तब स्वाभाविक है कि प्रतिक्रिया स्वरूप लोक-सेवकों और मंत्रियों के मध्य मनोवैज्ञानिक द्वन्द्व बढ़ता है।

#### 16.4 मन्त्रियों और लोक सेवकों के सम्बन्ध: सिद्धान्त और व्यवहार

इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजनेताओं (मंत्री) और लोक-सेवकों के पारस्परिक सम्बन्धों की नीव आदर्शमय सिद्धान्तों पर टिकी हुई है। इन आदर्श सिद्धान्तों की अभिव्यक्ति प्रशासनिक चिन्तकों के वक्तव्यों में देखने को मिलती है। इन वक्तव्यों का सार इस प्रकार है-

1. जनतंत्रीय शासन व्यवस्था में मंत्रिमण्डल का विशेष उत्तरदायित्व नीति-निर्धारण और निर्णय-निर्माण है। यह मंत्री जनता के प्रतिनिधि होते हैं और उन से किये गये वायदों को पूरा करना इनका कर्तव्य है। लेकिन प्रायः यह शासन की बारीकियों से अनभिज्ञ होते हैं। इसलिए यह लोक-सेवकों के तकनीकी ज्ञान, वैज्ञानिक जानकारी और अनुभव पर निर्भर रहते हैं। यह इनकी मजबूरी है। जोसेफ चेम्बरलेन ने लोक-सेवकों को सम्बोधित करते हुए कहा: "आप लोग हमारे बिना काम चला सकते हैं, इस सम्बन्ध में मेरा शक पक्का नहीं है, लेकिन हम (मंत्री) आपके बिना काम नहीं चला सकते, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है।" प्रसिद्ध प्रशासनिक चिन्तक एल0डी0 ह्याइट ने लोक सेवकों के कार्यों का महत्व स्पष्ट करते हुए लिखा: "लोक सेवायें प्रशासनिक संगठन का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सरकार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करती है।"
2. मन्त्रीगण शासन की समस्याओं से अनभिज्ञ होते हैं। इनकी सहायता के लिए प्रत्येक विभाग में वास्तविक एवं स्थायी अध्यक्ष एवं सचिव होता है। उसे विभाग का विशिष्ट ज्ञान होता है। वह विभाग सम्बन्धी बातों को मंत्रियों के सामने रखते हैं और नीति निर्धारण में उनकी सहायता करते हैं। नीति निर्धारण के बाद वे ही नीतियों को क्रियान्वित करते हैं। इस बारे में रैम्जेम्योर ने लिखा: "नीति निर्धारण, निर्णय-निर्माण व उनके क्रियान्वयन में मन्त्रियों पर लोक-सेवकों का प्रभाव इतना अधिक रहता है कि मन्त्रियों को लोक सेवकों



के हाथ की कठपुतली मात्र समझना चाहिए।” उसने आगे लिखा: “जब तक कोई मंत्री स्वाभिमानी गधा न हो या वह असाधारण विवेक, शक्ति व साहस का व्यक्ति न हो, सौ में से नित्यानवे मामलों में वह अधिकारियों के सुझावों को स्वीकार कर लेता है और अंकित पंक्ति पर हस्ताक्षर कर देता है।”

3. प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री प्रो० लास्की, अधिकारियों और मन्त्रियों के मध्य द्वन्द को ‘व्यक्तित्व’ के नजरिये से देखते हैं। उनका कहना है: “यदि मंत्री का व्यक्तित्व प्रभावशाली है तो वह लोक सेवकों पर हावी रहेगा, पर यदि मंत्री कोई ढीला-ढाला व्यक्ति है तो लोक सेवक उस पर हावी रहेंगे। उसे उनके इशारों पर चलना होगा।”

लेकिन वास्तविकता यह है कि शासन और प्रशासन का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब मंत्रीगण और लोक सेवकों के मध्य स्थायी सूझबूझ और सद्भावना हो। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। इसके अनेक कारण हैं-

- मंत्री प्रशासन के विशेषज्ञ नहीं होते हैं। वे वैधानिक एवं संवैधानिक बारीकियों को भी नहीं समझ पाते हैं। दूसरी ओर लोक सेवक तकनीकी और कानूनी ज्ञान में माहिर होते हैं। वे जानते हैं कि लोकतंत्र में लोग अधिक सजग और कानून सर्वोपरि होता है। उनके किसी भी असंवैधानिक या कानूनी कृत्य को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। इसलिए लोक सेवक फूंक-फूंक कर कदम बढ़ाते हैं, जबकि मन्त्रियों की नजर में सिर्फ राजनीतिक पहलू होते हैं। उनको नीतियों के असफल होने का इतना दुःख नहीं होता, जितना उनके दल या दलीय व्यक्ति की चुनावी हार का।
- मंत्री में न तो पहल (Initiative) करने की हिम्मत होती है और न प्रशासन में प्रयोग करने की। वह इन दो बातों से बहुत डरता है। इसलिए उसके कार्यों (नीति-निर्माण) का भार भी लोक सेवकों को वहन करना होता है। इसलिए नीति की सफलता का श्रेय वह स्वयं लेता है और असफलता का ठीकरा अधिकारी के सिर फोड़ देता है लेकिन वह उत्तरदायित्व से बच नहीं सकता। इसलिए, रैम्जेम्योर ने कहा: “नौकरशाही मंत्री मण्डलीय उत्तरदायित्व की आड़ में पनपती है और जब वे स्वामी बन जाते हैं तो बहुत घातक बन जाते हैं।”
- मंत्री-पद पर मन्त्रियों की नियुक्ति राजनीतिक आधार पर होती है। राजनीतिक दल में उनकी हैसियत, उनका व्यक्तित्व, उनका अनुभव, व्यावहारिक योग्यता, प्रधानमंत्री की दृष्टि में उनका राजनीतिक या बौद्धिक महत्व और उनकी दल तथा नेतृत्व के प्रति निष्ठा उनको मंत्री की कुर्सी तक पहुँचाते हैं। ऐसी स्थिति में यह अपेक्षा करना कि वे लोक-सेवकों की तरह तकनीकी तौर पर दक्ष होंगे और उन्हें अपने विभाग का सम्पूर्ण ज्ञान होगा, वास्तव में निर्थक है।
- एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक तथ्य जो मन्त्रियों और लोक सेवकों के सम्बन्धों को निश्चित करता है, वह यह कि मंत्रीगण अस्थायी रूप से अपने पद पर रहते हैं। उनका कार्यकाल राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित है। वे आते हैं और चले जाते हैं। ऐसी अनिश्चितता उनको कमजोर करती है। वे शासन या प्रशासन की बारीकियों को न तो समझ सकते हैं और न समझना चाहते हैं। इसलिए लोक सेवक प्रायः उन पर हावी रहते हैं।
- मंत्रीगण पहले राजनीतिक होते हैं, बाद में प्रशासक एक राजनीतिज्ञ के रूप में उनके अनेक उत्तरदायित्व हैं: पहला, राजनीतिक प्रपंचों में अपनी महारत दिखाना, दूसरा, दल में अपनी बैठ बनाये रखना, तीसरे, जनता से सम्पर्क में निरन्तरता बनाये रखना, चौथे, संसद में अपनी जवाबदेही का परिचय देना तथा पांचवे, भावी चुनावों के बारे में रणनीतिकारी का प्रदर्शन करना। अतः स्पष्ट है कि उनके यह बहुआयामी चेहरे उनको प्रशासन से अलहदा कर देते हैं। यदि कोई मंत्री ‘राजनीति’ तथा ‘प्रशासन’ दोनों में माहिर है तो वह निश्चय ही एक अद्भुत व्यक्ति है।

- उक्त सभी कारणों से लोक-सेवकों का मन्त्रियों पर वर्चस्व बना रहता है। यह और बात है कि शिष्टाचार के नाते वे मन्त्रियों का आदर-सत्कार करते हैं और अपने आचरण से वे यह सिद्ध करते हैं कि मंत्री उनके स्वामी हैं और वे उनके अधिनस्थ हैं।

### 16.5 मन्त्रियों तथा लोक सेवकों के मध्य सम्बन्ध: ब्रिटिश परम्परा

मन्त्रियों और नौकरशाही के पारस्परिक सम्बन्धों के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं की परम्परा भी ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था में ही देखने को मिलती है। नौकरशाही और मंत्रिमण्डलीय प्रणाली का उद्भव यहीं से हुआ है। विवेचना से पता चलता है कि मन्त्रियों तथा लोक सेवकों के पारस्परिक सम्बन्धों के बारे में विद्वानों के नजरियों में गहरा मतभेद है। कुछ की मान्यता है कि लोक सेवकों का ब्रिटिश प्रशासन में इतना प्रभाव है कि मंत्री उनके इशारों पर चलते हैं तथा वे उनके हाथ के खिलौने बन जाते हैं। उनका दावा है कि ब्रिटेन में वस्तुतः नौकरशाही का आधिपत्य स्थापित हो गया है।

इस धारणा के विपरीत एक दूसरे वर्ग के प्रशासनिक चिन्तकों का कहना है कि यह सही है कि ब्रिटिश प्रशासन की श्रृंखला में नौकरशाहों का काफी प्रभाव है और मंत्रियों की शक्तियाँ एवं व्यक्तित्व उनसे प्रभावित होते हैं, लेकिन फिर भी वास्तविक निर्णय को शक्ति मंत्रियों में ही निहित है। नीति-निर्धारण और निर्णय-निर्माण का क्षेत्राधिकार सदा मंत्रियों के पास ही रहता है।

इस सम्बन्ध में लास्की का मानना है कि मंत्रियों और लोक-सेवकों के पारस्परिक सम्बन्ध वस्तुतः उनके व्यक्तित्व पर आधारित हैं। ब्रिटेन में साधारणतयः यह देखा गया है कि प्रभावशाली व्यक्ति ही मंत्री बनाये जाते हैं। वे अपने व्यक्तित्व, लोकप्रियता और राजनीति में मजबूत पकड़ के कारण अपने लोक सेवकों पर हावी होते हैं। वे न तो कठपुतली होते हैं और न खिलौना बनते हैं। दूसरी बात यह है कि वैधानिक रूप से लोक-सेवक मंत्रियों के अधीनस्थ होते हैं और उन्हें मन्त्रियों द्वारा लिये गये निर्णयों का सम्मान करते हुए क्रियान्वित करना होता है, लेकिन कब, कैसे और किस रूप में उनका क्रियान्वयन करेंगे, इसमें मन्त्रियों का दखल नहीं है। यही कारण है कि ब्रिटेन में भी प्रायः मंत्रीगण लोक सेवकों के विलम्बकारी और स्वेच्छाचारी आचरण का रोना रोते हुए नजर आते हैं। वे लालफीताशाही को कोसकर अपनी खोज मिटाते हैं।

व्यक्तित्व की दृष्टि से लास्की ने मंत्रियों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है-शक्तिशाली (असरदार) व्यक्तित्व वाले, लोकप्रिय व्यक्तित्व वाले एवं भाग्य के सहारे चलने वाले शक्तिशाली व्यक्तित्व वाले मंत्री प्रतिभाशाली और अनुभवी होते हैं। वे अपने विवेक का प्रयोग करते हैं। प्रशासनिक तकनीकी ज्ञान के दायरे में रहकर शासन की समस्याओं पर विचार करते हैं तथा उनका समाधान करते हैं। वे लोक सेवकों को सिखाते अधिक है, लेकिन उनसे सीखते भी हैं। वे अधिकारियों पर आश्रित नहीं रहते। वे परिस्थितियों के अनुसार निर्णय करके अधिकारियों को उनके निर्णयों को लागू करने का आदेश देते हैं। वे अधिकारियों के क्रियान्वयन पर गहरी नजर रखते हैं और यदि अधिकारी कोई गलती करते हैं तो उन्हें मंत्री के आक्रोश को भोगना पड़ता है। ऐसे मंत्रियों से अधिकारी बहुत सतर्क रहते हैं। वे भय से आशंकित रहते हैं। विस्टन चर्चिल ऐसे सशक्त प्रतिभाशाली मंत्री थे कि किसी भी विभाग में उनकी उपस्थिति मात्र से ही वहाँ के अधिकारियों की भावनायें बदल जाती थीं। मार्गट थेचर ऐसी महिला मंत्री थी जिनके व्यक्तित्व से अधिकारी कांपते थे और इसी कारण वह 'आयरन लेडी' कहलाई गयीं।

मंत्री की लोकप्रियता भी उसके प्रभावी व्यक्तित्व का एक बड़ा कारण है। क्योंकि उनकी लोकप्रियता का स्रोत जनता होती है, इसलिए वे जनता की पसंद और न पसन्द के अनुसार कार्य करते हैं और अधिकारियों की परवाह नहीं करते हैं। वे लोकसेवक के केवल उसी परामर्श को स्वीकार करते हैं जो जनता को पसन्द की कसौटी पर खरा उतरता है। यही लोकप्रियता उनके राजनीतिक अस्तित्व का आधार है। इसकी रक्षा के लिए वे अधिकारियों को अपमानित और प्रताड़ित भी कर सकते हैं। अधिकारी उनकी लोकप्रियता से इतने भयभीत होते हैं कि वे मंत्रियों की

अतार्किक, असंगत और अवैधानिक बातों को भी स्वीकार कर लेते हैं। उन्हें अपनी नौकरशाही या अधिकारीतंत्र को मंत्री की इच्छानुरूप लोकतंत्रीकरण का जामा पहनाकर मंत्री की मन्शा का औचित्य सिद्ध करना होता है। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो राजनेता कमजोर लेकिन ईमानदार अधिकारियों को अवसाद की स्थिति में पहुँचा देते हैं। जब यह सुनने में आता है कि अधिकारी ने आत्म हत्या कर ली, तो उसका कारण राजनीतिक प्रताड़ना ही होता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के एम0जी0 निवास पर धरने पर बैठने तथा उनके द्वारा आई0ए0एस0 अधिकारियों के पक्षपातपूर्ण रव्यये के आलाचना करने (17 जून 2018) या आई0ए0एस0 एसोसिएशन की सचिव मनीशा सक्सेना ने कहा “हम पूरी तरह तटस्थ हैं। राजनीतिक दलों से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। हम भरोसे की संस्कृति चाहते हैं। कृपया, हमें राजनीतिक उद्देश्यों के लिये प्रयोग न करें।”

अंत में वे मंत्री हैं जिन्हें रैम्जे म्योर ने ‘गधा’ कहा है। यह न तो प्रतिभा सम्पन्न होते हैं और न लोकप्रिय। इनका अस्तित्व प्रधानमंत्री की मर्जी पर टिका होता है। यह भाग्य भरोसे ही रहते हैं, क्योंकि ऐसे मंत्री किसी दबाव गुट (धार्मिक, आर्थिक, जातीय या नसलीय) का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इनको मंत्री बनाना एक राजनीतिक मजबूरी होता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि ऐसे मंत्री केवल लोक सेवकों की छाया मात्र होते हैं जो अपने अस्तित्व के लिए अधिकारियों के परामर्श को परम मानते हैं। इनकी स्थिति उस समय प्रायः बड़ी दयनीय बन जाती है, विशेषकर तब जब वे दलीय कार्यक्रम, मंत्रीमण्डल द्वारा लिये गये निर्णयों और सेवी वर्ग के परामर्श के मज़दार में फंस जाते हैं।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि मंत्रियों में इतनी समझ और अनुभव तो होती ही है कि वे अधिकारियों द्वारा दिये गये परामर्श का औचित्य-अनौचित्य समझ कर निर्णय कर सकें।

## 16.6 राजनीति-प्रशासन द्विविभक्तीकरण

राजनीति-प्रशासन का द्विविभक्तीकरण (Politics-Administration dichotomy) लोक प्रशासन के विषय की एक अत्यन्त विवादित समस्या है। इस विषय पर अनेक विद्वानों ने अपने मत व्यक्त किये हैं। इनके दृष्टिकोण को समझने से पूर्व राजनीति-प्रशासन द्विविभक्तीकरण पदबंध (Phrase) को समझना होगा। मान्यता यह है कि राजनीति स्वयं में एक परिभाषित विषय है, जिसका अपना एक विशिष्ट क्षेत्र है, और जिसका सम्बन्ध लोकतंत्र से है। इसी तरह प्रशासन भी स्वयं में परिभाषित स्वक्षेत्र सम्पन्न विस्तृत अर्थ वाला विषय है, जिसका सम्बन्ध ‘नौकरशाही’ से है। प्रायः यह स्वीकार किया जाता है कि क्योंकि लोकतंत्र और नौकरशाही दो भिन्न अवधारणायें हैं, इसलिए इन दोनों में द्वन्द एक स्वभाविक प्रक्रिया है। लेकिन इस द्वन्द को रोकने का सरलतम उपाय है अपने-अपने कार्य क्षेत्र को पहचान कर सहयोग और समन्वय की स्थिति पैदा करना ताकि विकास की गति न रुक सके। इसी समस्या को समझने एवं सुलझाने में प्रशासनिक चिन्तकों ने अपने विचार प्रस्तुत किये हैं, जो इस प्रकार हैं:

### 16.6.1 वाल्डो का दृष्टिकोण

वाल्डो, जो स्वयं एक प्रशासनिक विश्लेषणकर्ता अधिकारी रह चुका था, प्रशासन की बारीकियों पर गहरी नजर रखता था वह राजनीति विज्ञान का एक प्रबुद्ध प्रोफेसर था और लोक प्रशासन पर उसकी गहरी पकड़ थी। उसकी पुस्तकों में ‘दि स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिमॉक्रेसी, व्योरियोक्रेसी एण्ड हीपॉक्रेसी (Democracy, Bureaucracy and Hypocrisy) (1977) अत्यधिक प्रसिद्ध हैं।

वाल्डो अनेक मान्यताओं के साथ प्रशासन का विश्लेषण करता है। इनमें पहली मान्यता यह है कि लोकतंत्र और नौकरशाही के मध्य मूलभूत तनाव है। दूसरे, राजनीति/प्रशासन द्विविभक्तीकरण (Dichotomy) निराधार है। यह दोनों बातें लोक सेवकों और राज नेताओं के पारस्परिक सम्बन्धों को निश्चित करती हैं।

वालडो के अनुसार लोक सेवकों का एक बड़ा ध्येय लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रतिरक्षा करना है। वे राजनेताओं से कहीं अधिक संविधान के संरक्षक हैं। राजनेता लोकतांत्रिक मूल्यों से छेड़-छाड़ करते हैं लेकिन लोक सेवक ऐसा नहीं कर सकते। उनका काम केवल नीतियों को लागू करना ही नहीं है, वे नीति-निर्माण में बड़ा योगदान देते हैं और ऐसा करते समय वे यह ध्यान रखते हैं कि नीतियाँ और उनका क्रियान्वयन लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार है या नहीं। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं और निरंकुशता का परिचय देते हैं तो लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है।

वालडों का तर्क है कि सरकार व्यापार नहीं है और शासक एवं प्रशासक व्यापारी नहीं हैं। सरकार निजी उद्यम नहीं है। संविधान तथा अन्य लोकतांत्रिक अनिवार्यताओं का सम्मान करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसलिए, राजनीति/प्रशासन द्विविभक्तिकरण एक गलत अवधारणा है।

वालडों का विश्वास है कि राजनीति/प्रशासन, लोकतंत्र/नौकरशाही को जोड़ते हैं। दोनों के अलगाव से लोकतंत्र को खतरा है। जिन प्रशासनिक चिन्तकों ने राजनीति-प्रशासन द्विविभक्तीकरण (dichotomy) का समर्थन किया है, वालडो उनके नजरिये का कटु आलोचक है। उसके अनुसार राजनीति और प्रशासन का अलगाव घातक है, क्योंकि ऐसा नीति-निर्माताओं और नीति-क्रियान्वयन कर्ताओं के मध्य सम्बन्धों में विच्छेद पैदा करेगा। तब प्रशासनिक आचरण तथा राजनीतिक आचरण में टकराव होगा।

वालडों का मानना है कि द्विविभक्तीकरण का उद्देश्य नौकरशाही और लोकतंत्र के मध्य चलने वाले टकराव का समाधान करना है और ऐसा तब सम्भव है जब निर्वाचित राजनेता नीति-निर्माण का कर्तव्य निभायें तथा नीति कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व पूरी तरह प्रशासकों पर छोड़ दें।

अंत में वालडो इस नतीजे पर पहुँचता है कि यदि राजनीतिक व्यवस्था मूल्यों का निश्चयीकरण करे और प्रशासन के लिये ध्येय निर्धारित करे, तब मूल समस्या का समाधान होगा। “एक ऐसा दर्शन जरूरी है जो शक्तियों के मध्य सहयोग को बढ़ावा दे, चाहे वे राजनीतिक हों या प्रशासनिक, इन शक्तियों के मध्य प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए।”

### 16.6.2 मैक्स वेबर और निर्वैयक्तीकरण

नौकरशाही के सबसे बड़े विद्वान मैक्स वेबर ने सर्वप्रथम लोक प्रशासन में द्विविभक्तीकरण की ओर इशारा किया था। उसे आभास हो चुका था कि निर्वाचित अधिकारियों (राजनेता) तथा चयनित एवं नियुक्त अधिकारियों (प्रशासक) का गठजोड़ प्रशासन को विकृत करेगा। उसने अपने “नौकरशाही के प्रतिमान” में नौकरशाही के निर्वैयक्तीकरण (Impersonalisation) की अवधारणा रखी। निर्वैयक्तिक के यहाँ दो अर्थ हैं: पहला, तो यह कि लोक सेवक को जो शक्ति, सत्ता या नियंत्रण की शक्ति प्राप्त होती है, वह उसको मान्य पद की हैसियत (status) से प्राप्त होती है न कि मात्र व्यक्ति हैसियत से वह व्यक्ति तौर पर स्वयं में मात्र मनुष्य है, जो भूमिका (Role) अदा करता है। दूसरे, लोक सेवक व्यक्ति तौर पर स्वतंत्र है, वह किसी का व्यक्ति रूप में नौकर नहीं है। उसकी नियुक्ति किसी की दया का या पुरस्कार का परिणाम नहीं है। करार (Contract) उसकी सरकारी हैसियत का आधार होता है। यह दोनों बातें एक नौकरशाह की आन्तरिक पदसोपनीय व्यवस्था में तथा बाहरी राजनेताओं (मंत्रियों) तथा अन्य दबाव गुटों से सम्बन्धित रिश्तों को तैयार करती है।

वेबर की आदर्श नौकरशाही की दूसरी विशेषता नियमों (Rules) से उसका बंधा होना है। एक लोक सेवक को नियमों के अनुसार काम करना है न कि मौखिक आदेशों के अनुसार। यही वह विशेषता है जो लोक सेवक और राजनीतिक सत्ताधारी के मध्य सहयोग भी पैदा करती है और तनाव भी। नियमों का विवेकपूर्ण कार्यपालन तनाव दूर कर सकता है। यहीं ‘व्यक्तित्व’ का खेल आरम्भ होता है। यदि लोक सेवक का व्यक्तित्व लचीला है तो वह अनौपचारिकताओं को वरीयता देकर राजनीतिज्ञ से रिश्ते बनाये रखता है, लेकिन यदि वह कठोर व्यक्तित्व का है तो वह औपचारिकता (नियम) को महत्व देगा। ऐसी स्थिति में द्वन्द्व भी होगा, विलम्ब भी। शासन और प्रशासन

दोनों पर दबाव (Stress) पड़ेगा। इसलिए वेबर अपने आदर्श नौकरशाही के प्रतिमान की परिकल्पना में वैधानिकता के साथ तार्किकता पर अधिक बल देता है। यदि नौकरशाही निर्व्यक्तिक और स्वतन्त्र होगी तो निश्चय ही “दंभ, स्वेच्छाचारिता और आत्महित” की भावना का हास होगा। यही तार्किकता का तक्राजा है।

### 16.7 राजनेताओं तथा अधिकारियों के सम्बन्ध: भारतीय संदर्भ

भारत के संदर्भ में राजनेताओं (मंत्रियों) तथा सरकारी अधिकारियों (लोक सेवकों) के पारस्परिक सम्बन्धों के बारे में तीन प्रमुख काल सामने आते हैं: पहला, औपनिवेशिक काल, दूसरा स्वतन्त्रता के बाद का संक्रमण (transitional) काल तथा तीसरा वर्तमान काल। तीन कालों में लोक-सेवकों तथा राजनेताओं के परस्पर सम्बन्धों की प्रकृति और विशिष्टता में मौलिक भिन्नता देखने को मिलती है। यह इस प्रकार है-

1. **औपनिवेशिक काल-** औपनिवेशिक काल सन् 1600 से आरम्भ होता है और 1946 तक चलता है (पिछले पन्नों में इस काल के बारे में विस्तार से लिखा जा चुका है। इस काल को भी दो चरणों में विभक्त किया जा सकता है-1600 से लेकर 1858 तक तथा 1858 से 1947 तक। पहले चरण की विशेषता यह थी कि इसमें व्यापारी ही अधिकारी ही थे और अन्ततः यह अधिकारी शासक बन गये। अतः व्यापार, प्रशासन और शासन की प्रकृति और स्वरूप पूरी तरह वाणिज्यिक था। इसलिए यहाँ सम्बन्ध भी पूर्णतया वाणिज्यिक थे। हित समान थे, लूट की परम्परा थी, शासकों और शासितों के मध्य द्वन्द था। इस काल में नौकरशाही विकसित नहीं थी। लोकतंत्र भी नहीं था, इसलिए नौकरशाही बनाम लोकतंत्र का भी कोई मुद्दा नहीं था। यदि मार्क्सवादी नजरिये से देखा जाये तो कहा जा सकता है कि इस समय के प्रशासनिक अधिकारी ब्रिटिश व्यापारियों, उद्यमियों तथा वाणिज्यिकों की यथास्थिति को बनाये रखने का उपकरण मात्र थे। इसलिए इस काल में शासकों और प्रशासकों के सम्बन्ध स्वभाविक रूप से सहभागिता पर आधारित थे।

औपनिवेशिक काल का दूसरा चरण 1858 से आरम्भ होता है जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी की निरंकुशता, स्वेच्छाचारिता तथा नसलीय अहंकार का नतीजा 1857 की बगावत के रूप में निकला। सर सैय्यद ने अपनी पुस्तक ‘असबाब-ए-बगावत-ए-हिन्द’ में बगावत के लिए पूरी तरह अंग्रेज शासकों-प्रशासकों की मानसिकता को और भारतीयों के प्रति उनके दुराग्रही आचरण को जिम्मेदार ठहराया था। परिणाम स्वरूप, कम्पनी के शासन का अन्त हुआ और ब्रिटिश संसद के हाथों में सत्ता आ गई।

इस चरण की विशेषता यह थी कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था पर नौकरशाही का पूरी तरह वरचस्व हो गया। यहाँ नौकरशाही के दो उद्देश्य थे-ब्रिटिश साम्राज्य की यथास्थिति को बनाये रखना तथा आत्म-हित को वरीयता देना। इसके लिए जरूरी था कि आत्म-हित और पर-हित (ब्रिटिश साम्राज्य) के मध्य एक स्वभाविक सहमति हो। ऐसा हुआ। इस काल में शासकों और अधिकारियों के सम्बन्ध मधुर बने रहे क्योंकि यहाँ लोकतंत्र की कुरूपता नहीं थी, इसलिए कोई टकराव भी नहीं था।

2. **संक्रमण काल-** अनगिनत सुधारों की प्रक्रिया तथा स्वतन्त्रता आन्दोलन के थपेड़ों से गुजर कर 1947 में नौकरशाही ने नये भारत में प्रवेश किया। इस काल की विशेषताएँ यह थीं: प्रथम, अंग्रेज अधिकारी इंग्लैण्ड के लिए रवाना चुके थे। उनका स्थान बचे-खुचे भारतीय आई0सी0एस0 अधिकारियों ने लिया था या फिर नया आई0ए0एस0 एवं आई0पी0एस0 भारतीय काडर यह स्थान ले रहा था। दूसरे, भारत संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्वागत के लिये तैयार था। तीसरे, नौकरशाही अब भी पूरी तरह औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रस्त थी, लेकिन उसे नई राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना था। चौथे, भारतीय स्वतन्त्रता सेनानी अब भारतीय राजनेता थे। यह कद्दावर, उच्चकोटि और उच्च आदर्श के लोग थे, और नैतिक मूल्यों के पक्षधर थे। इनका प्रभाव और व्यक्तित्व

इनकी शक्ति और नियन्त्रण का आधार था। नौकरशाही का इनको चुनौती देना सम्भव नहीं था। इन महान हस्तियों में जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, गोबिन्द बल्लभ पन्त, मौलाना आजाद और कृष्णा मैनन जैसे राजनेता थे जिनके सामने नौकरशाह थरते थे।

ऐसा नहीं था कि इस काल में नौकरशाह ताकतवर नेताओं की मात्र छाया थे। जिन लोक सेवकों का व्यक्तित्व प्रभावशाली था, वे राजनेताओं के दृष्टिकोण से असहमति भी जताते थे। एल0के0झा0 तथा पी0एन0 हक्सर जैसे सचिवों के परामर्श की अनदेखी जवाहर लाल नेहरू और श्रीमती इन्द्रा गांधी भी नहीं कर सकते थे। यह दोनों लोक सेवक श्रीमती गान्धी के विशेष भ्रमण में साथ रहते थे तथा विश्व के प्रतिष्ठित राजनेताओं से विचार-विमर्श में भाग लेते थे। यह संवेदनशील कूटनीतिक मामलों में जो सलाह देते थे उसका सम्मान होता था।

लेकिन श्रीमती गांधी अद्वितीय व्यक्तित्व वाली महिला थीं। सन् 1971 के बाद उन्होंने नौकरशाही को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना आरम्भ किया। उन्होंने सचिवालय से अधिक समय तक निर्देशों का इन्तेजार नहीं किया सचिवों को, जो नीति सम्मत प्रशासकीय विभागों में थे, ताश के पत्तों की भांति अस्त-व्यस्त किया तथा प्रशासकीय पदसोपान पर नये ढंग से नजर डाली। लेकिन बाद में उन्होंने इसमें बदलाव किया।

राजनेताओं तथा प्रशासकों के सम्बन्धों के बारे में श्रीमती गांधी का अपना नजरिया था। 9 फरवरी, 1970 के एक भाषण से उनके नये दृष्टिकोण का पता लगता है। उन्होंने कहा: “मैं ऐसे लोक सेवक नहीं चाहती, जो राजनीतिज्ञों के हाथों में कठपुतली हों तथा जी हजूरिया हों। इनका कार्य केवल स्पष्ट परामर्श देना है। हमें सभी को देश के विकास के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए तथा जनता के कल्याण के साथ हमारा सीधा सम्बन्ध हो”। 04 मार्च 1970 को लोक सभा में दिये गये एक दूसरे भाषण में श्रीमती गांधी ने अपने रुख को स्पष्ट करते हुए कहा: “लोक सेवकों का कर्तव्य स्पष्ट तथा सच्चा परामर्श देना है न कि उनके निर्णय को भय तथा पक्षपात से जटिल बनाने की अनुमति देना है। मैं निश्चित रूप से ऐसे लोक सेवक नहीं चाहती, जो राजनीतिक दृष्टि से सुविधाजनक हों।”

3. **वर्तमान काल-** सन् 1970 के बाद श्रीमती गान्धी का राजनीतिक काल चुनौतियों और संघर्ष से भरा था। युद्ध, आतंकवाद, समग्र क्रांति, आपात काल, सत्ता वियोग, पुर्नसत्ता प्राप्ति-यह सब कुछ राजनीति और नौकरशाही की सहमति और असहमति का परिणाम था। आपातकाल में जिस तरह लोक सेवकों का इस्तेमाल किया गया और नौकरशाहों ने जिस तरह प्रशासनिक शक्ति का दुरुपयोग किया वह इतिहास का एक बेहद दुःखद अध्याय है। इस कहानी से दो स्पष्ट निष्कर्ष निकलते हैं: पहला तो यह कि एक ताकतवर राजनेता नौकरशाही का आत्म-हित सिद्धि के लिए दुरुपयोग कर सकता है। दूसरे, नौकरशाही गलत परामर्श देकर या डर से गलत निर्णयों को लागू करके देश को संकट में डाल सकती है। यह सब तब सम्भव होता है जब राजनीति और प्रशासन का स्वार्थ-सिद्धि के लिए गठजोड़ होता है। श्रीमती गांधी के शासन काल का अन्त भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के असंतुलन और अस्थिरता का आरम्भ है। राजनीतिक अस्थिरता में नौकरशाही मोटी होती है। राजनेताओं से उसके सम्बन्ध द्वन्दात्मक और तनावपूर्ण होते हैं। नौकरशाही अस्थिरता का लाभ उठाकर अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करती है। वर्तमान काल की यही विशेषता है। इसके अनेक कारण हैं-

- संसद में किसी एक दल का बहुमत न होना, संसद का त्रिशंकू होना, तथा मिली-जुली सरकार बनना;
- दलीय-हित टकराव, अनिश्चयकरण की स्थिति, अस्थिरता का माहौल;



- क्षेत्रवाद का पनपना, क्षेत्रीय दलों में वृद्धि, राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकारें, दलीय टूट-फूट, वफादारियाँ बदलना;
- क्षेत्रीय स्तर पर जातिवादी, साम्प्रदायिक, विघटनकारी राजनीति का बोलबाला, धार्मिक ध्रुवीकरण;
- राजनीतिक का अपराधिकरण, भ्रष्टाचार और इसका प्रशासन पर प्रभाव; तथा
- संकीर्ण, जातिवादी, उग्रवादी विचारधारा का राजनीति में प्रयोग।

उक्त इन सब बातों से केन्द्र और राज्य स्तर पर शासन में अस्थिरता आती है। राजनीतिज्ञ अनिश्चयकरण की स्थिति में रहते हैं। वे कमजोर पड़ने लगते हैं, और अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए लोक सेवकों का सहारा लेते हैं।

### 16.8 निष्कर्ष

1. उक्त तथ्यों तथा विश्लेषण के आधार पर कुछ निश्चित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, जो राजनेताओं तथा लोक सेवकों के पारस्परिक रिश्तों को समझने में सुविधा प्रदान करेंगे।
2. 1970 से पूर्व एवं पश्चात् प्रधानमंत्री एवं नौकरशाही के मध्य सम्बन्धों का विश्लेषण यह सिद्ध करता है कि राजनीतिक स्थायित्व नौकरशाही पर नियन्त्रण का प्रभावशाली कारण हो सकता है। इसके विपरीत राजनीतिक अस्थिरता प्रधानमंत्री और उसके मन्त्रियों को कमजोर करती है और नौकरशाही राजनेताओं को कठपुतली बना देती है। यह तथ्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों, अन्य केन्द्रीय एवं राज्य मंत्रियों पर भी लागू होती है।
3. नौकरशाही बड़ी चतुराई के साथ यह भांपती है कि राज-नेताओं का जनाधार या राजनीतिक आधार कितना प्रबल है अथवा कितना निर्बल है। उनका यही आंकलन राजनीतिक प्रशासनिक सम्बन्धों की रूप रेखा तैय करता है। वे (लोक सेवक) उन्हीं राजनेताओं को सहयोग देंगे जो राजनीतिक तौर पर सबल होते हैं।
4. राजनेताओं की योग्यता एवं उनका व्यक्तित्व भी एक बड़ी सीमा तक राजनीतिक प्रशासनिक सम्बन्धों की प्रकृति का निर्धारण करता है। 1980 के बाद राज्यों एवं केन्द्र दोनों स्तरों पर राजनेताओं की योग्यता में गिरावट देखी गयी। यह राजनेता जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती गांधी, पं० गोबिन्द बल्लभ पंत, वल्लभ भाई पटेल, रफी अहमद किदवई इत्यादि की छाया मात्र भी नहीं थे। अतः इस दौर में नौकरशाही का वर्चस्व बढ़ा और वे राजनीतिक अस्थिरता एवं अक्षमता का लाभ उठाते रहे।
5. राजनेताओं की मनः स्थिति को भांपकर भी नौकरशाह अपने प्रशासनिक आचरण को ढालते हैं। वे राजनेताओं को उनकी मनोवृत्ति के अनुसार परामर्श देकर अपना उल्लू सीधा करने में माहिर होते हैं। जनूनी, सनकी, भड़काऊ तथा जनोत्तेजक (demagogic) नेता बड़ी सरलता के साथ नौकरशाही के शान्त, अनुत्तेजित (Calm) लेकिन घूर्तता से भरे व्यवहार के आगे झुक जाते हैं। राजनेता गलत निर्णय लेते हैं, गलत नीतियाँ बनाते हैं और अन्ततः नौकरशाही की उदासीनता उनको और स्वयं राज्य या केन्द्र को ले डूबती है।
6. लोक सेवकों की प्रशासनिक योग्यता भी राजनेताओं-प्रशासकों के सम्बन्धों को तैय करती है। एल०के०झा० जैसी योग्यता का व्यक्ति, जो केवल एक लोक सेवक ही थे सोवियत संघ (रुस) के कोसिगिन तथा अमेरिका के राष्ट्रपति जानसन से प्रत्यक्ष रूप से बात करते थे। यही स्थिति पी०एन० हक्सर और नटवर सिंह की थी। ऐसी प्रतिभा वाले लोक सेवकों के परामर्श के आगे प्रधानमंत्री 'न' की स्थिति नहीं होते थे। जोशिया स्टैम्प ने सही कहा है: "विकसित या विकासशील समाज के लोक सेवक को मुख्य

जल स्रोत होना चाहिए तथा प्रत्येक स्तर पर सुझाव, प्रोत्साहन तथा परामर्श देना चाहिए।” यहाँ यह स्वीकार नहीं करना चाहिए कि आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में प्रजातंत्र मिथ्या है तथा नौकरशाही वास्तव में शासक है। यह सब कुछ उपरोक्त तथ्यों पर निर्भर करता है।

7. राजनेताओं का लोक सेवकों की तुलना में अधिक महत्व होता है। यह किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में एक सच है। वे जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और जनता के प्रति उत्तरदायी है। उन्हें सदन के मंच पर संसद सदस्यों के प्रश्नों और रोष का सामना करना पड़ता है। उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव आ सकता है, अगले चुनाव में विरोधी दलों का सामना करना पड़ता है। मीडिया की आलोचना, प्रताड़ना और व्यंग झेलना पड़ते हैं, उन्हें राजनीति का ज्वार भाटा देखना होता है तथा मतदान के तूफान का मुकाबला करना होता है। लोक सेवकों को इन तमाम अंधेरे गलियारों से गुजरना होता है। लोक सेवकों को इन तमाम अंधेरे गलियारों से गुजरना नहीं होता है। यह बात समझकर लोक सेवकों को मात्र एक सलाहकार की ही भूमिका निभानी चाहिए और स्वयं 'अज्ञात' रहना चाहिए।
8. लोक सेवकों का भी महत्व कम नहीं है। मैक्स वेबर का यह कहना सही है कि नौकरशाही किसी भी समाज में अपरिहार्य है। उस से पीछा छुड़ाना मुश्किल है। इसलिए यदि राजनेता लोक सेवकों को अपनी सत्ता प्राप्ति का या यथास्थिति बनाये रखने का उपकरण मानेंगे और असफल रहने पर उनको बलि का बकरा बनायेंगे, उनके निरन्तर स्थानान्तरण करते रहेंगे या फिर उनको जीहजूरिया समझेंगे, तो यह उनके मनोबल को गिराना समझा जायेगा। यह स्थिति नीति-निर्माण और नीति क्रियान्वयन दोनों के लिए घातक होगी। उनमें अधिनस्थ की भावना पैदा होगी, वे उदासीनता, अवसाद (depression) और वियोग का शिकार होंगे, और नीतियों के परिपालन और गतिशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अन्ततः इसका असर राजनेताओं पर भी पड़ेगा। वे बदनाम होंगे और संभव है कि वे सत्ता से भी वंचित हो जायें अक्सर मंत्री लोक सेवकों की उदासीनता का रोना रोते नज़र आते हैं यह जानते हुए कि लोक सेवकों के नकारात्मक आचरण के लिए वे ही जिम्मेदार हैं।
9. जहाँ मंत्री लोक सेवकों में अधिक विश्वास प्रेरित करते हैं तथा उनको वचनबद्धता के लिए प्रोत्साहित करते हैं, वहाँ राजनेताओं और अधिकारियों के सबन्ध सहभागिता और सहयोग के होंगे, तब शासन और प्रशासन का ध्येय पूरा होगा, विकास में गतिशीलता आयेगी और समाज को इच्छापूर्ति का एहसास होगा। राजनेताओं को श्रीमती गांधी का यह भाषण याद रखना चाहिए “मैं निश्चित रूप से ऐसे लोक सेवक नहीं चाहती जो राजनीतिक दृष्टि से सुविधजनक हों” (04 मार्च 1970)

#### अभ्यास प्रश्न-

1. किसने कहा कि राजनेता और प्रशासकों का द्वन्द 'व्यक्तित्व' पर आधारित है?  
क. मैक्स वेबर ने                      ख. वुडरो विल्सन ने  
ग. प्रो0 लास्की ने                      घ. एनथनी डाउन्स ने
2. मन्त्रियों का प्रशासनिक काम क्या है?  
क. नीति-निर्माण                      ख. नीति-क्रियान्वयन  
ग. सत्ता के लिए संघर्ष                      घ. इनमें से कोई नहीं
3. राजनीतिक-प्रशासन द्वि-विभक्तीकरण का विचार किस चिन्तक ने रखा?  
क. वाल्डों ने                      ख. मैक्स वेबर ने  
ग. कार्ल मार्क्स ने                      घ. मैरी फौलेट ने
4. किस राजनेता का यह विचार था कि लोक सेवकों को जीहजूरिया नहीं होना चाहिए?  
क. सरदार वल्लभ भाई पटेल                      ख. पं0 गोबिन्द बल्लभ पन्त

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| ग. जॉन मैथार्ड                         | घ. श्रीमती इन्द्रा गांधी |
| 5. राजनेताओं की शक्ति का क्या आधार है? |                          |
| क. योग्यता                             | ख. व्यक्तित्व            |
| ग. जनाधार                              | घ. तीनों                 |

### 16.9 सारांश

- राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के मध्य सम्बन्ध तनाव के भी रहते हैं और सहयोग और समरसता के भी। यह राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक परिस्थिति की और सामाजिक परिवेश के अनुसार चलते हैं। लेकिन इतना निश्चित है कि यह सम्बन्ध शासन, प्रशासन और तत्कालीन राजनीतिक को प्रभावित करते हैं।
- राजनेताओं तथा लोक सेवकों की अपनी-अपनी प्रकृति, अपने कार्यक्षेत्र और सीमायें होती हैं। लेकिन लक्ष्य सामान्य होता है जन कल्याण। इस लक्ष्य की प्राप्ति का साधन हैं नीति-निर्माण जो राजनेताओं का एकाधिकार है, लेकिन इन नीतियों का क्रियान्वयन लोक सेवकों का कर्तव्य है। जहाँ इस एकाधिकार तथा कर्तव्य में तालमेल है वहाँ लक्ष्य की प्राप्ति सम्भव है।
- भारत में नौकरशाही-नियंत्रित प्रशासन का इतिहास 1858 से आरम्भ होता है। उस से पूर्व शासक, अधिकारी और व्यापारी (सन् 1600 से 1857 तक) में कोई अन्तर नहीं था। उद्देश्य व्यापार था जो शासकों, अधिकारियों तथा व्यापारियों के गठजोड़ से पूरा होता था।
- 1858 से लेकर 1947 तक राजनेताओं तथा लोक सेवकों के सम्बन्ध सहयोग और सहभागिता के थे, क्योंकि इस दौर में भी हित सामान्य थे, विशेष रूप से अंग्रेज अधिकारियों का उद्देश्य आत्म-हित और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की यथास्थिति को बनाये रखना था। इस काल में सुधारों के माध्यम से नौकरशाही को अधिक उत्तरदायी बनाया गया। भारतीय अधिकारी लगभग ब्रिटिश शासन के पंगू ही थे।
- मंत्रियों और लोक सेवकों के सम्बन्धों का आधार राजनीतिक परिस्थितियां, राजनेताओं तथा लोक सेवकों की मानसिकता और व्यक्तित्व हो सकता है। सिद्धान्त में तो राजनेताओं (मंत्रियों) का काम नीति-निर्माण ही है, लेकिन व्यवहार में वे राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति और उसको बनाये रखना ही अपना वास्तविक ध्येय मानते हैं। इसी तरह लोक सेवकों का वास्तविक काम नीति-कार्यान्वयन है लेकिन प्रोन्नति की शिखर तक पहुँचने के लिए वे राजनेताओं के मूड के अनुसार ही काम करते हैं।
- मंत्रियों और लोक सेवकों के सम्बन्धों पर प्रशासनिक चिन्तकों ने खुलकर बहस की है। इनमें प्रो० लास्की मैक्स वेबर तथा वाल्डो के विचार सामयिक हैं। इन्होंने मंत्रियों तथा लोक सेवकों के सम्बन्धों के निर्धारण पर अनेक परिस्थितिकीय एवं मनोवैज्ञानिक तत्वों की खोज की है।
- भारत के संदर्भ में राजनीति-प्रशासन के रिश्तों को तीन चरणों में विभक्त किया जा सकता है: औपनिवेशिक काल, संक्रमण काल तथा आधुनिक काल तीनों चरणों में समय के अनुसार सम्बन्धों का निर्धारण हुआ है।

### 16.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. ग,                      2. क,                      3. ख,                      4. घ,                      5. घ

**16.11 शब्दावली**

द्वि-विभक्तीकरण (Dichotomy) दो भागों में विभक्त होना, पृथक होना, राजनीति और प्रशासन का सम्बन्ध विच्छेद।

निर्वैयक्तिक (Impersonal) जिसमें मित्रवत मानवीय भावनाएँ न हों, जो व्यक्ति के रूप में मौजूद न हों। प्रशासक का सम्बन्ध केवल पद से हो न कि किसी अन्य व्यक्ति से।

संक्रमण काल (Transitional period) वह समय जो गुजर जाये, जिसमें स्थायित्व न हो।

**16.12 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची**

1. त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी: तुलनात्मक लोक प्रशासन।
2. अवस्थी-अवस्थी: भारतीय प्रशासन।
3. डॉ० एस०एस० मीतल तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाएं।
4. डॉ० शरण: भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन और संवैधानिक विकास।
5. डॉ० रविन्द्र प्रसाद: (सम्पादन) प्रशासनिक चिन्तक।

**16.13 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री**

1. Dwight Waldo : The Administrative State.
2. Asok Chanda : Indian Administration.
3. Buch, M.N. : Administrative Ineffectiveness (art) in M.P. Chronicle, 1984.

**16.14 निबन्धात्मक प्रश्न**

1. राजनेताओं/लोक सेवकों के सम्बन्धों का अर्थ क्या है? उनके सम्बन्धों में तनाव क्यों होता है?
2. नौकरशाह वास्तव में शासक है, समझाइए।
3. राजनीति/प्रशासन द्विविभक्तीकरण का अर्थ क्या है?
4. भारत में ब्रिटिश काल में राजनेताओं एवं लोक सेवकों के सम्बन्धों का स्वरूप का था।
5. आधुनिक भारत में राजनेताओं तथा लोक सेवकों के सम्बन्धों की स्थिति क्या है?

## इकाई-17 अधिकारीतंत्र (नौकरशाही) की क्षमता में वृद्धि करना

### इकाई की संरचना

- 17.0 प्रस्तावना
- 17.1 उद्देश्य
- 17.2 नौकरशाही की क्षमता में वृद्धि का अर्थ
- 17.3 नौकरशाही की क्षमता के अवरोध
- 17.4 नौकरशाही की क्षमता के हास के प्रशासनिक कारण
- 17.5 प्रशासनिक क्षमता के घटक
- 17.6 अधिकारीतंत्र की क्षमता और परिस्थितिकीय उपाय: ब्रिटिश संदर्भ
- 17.7 अधिकारीतंत्र की क्षमता में वृद्धि के प्रशासनिक उपाय: भारतीय संदर्भ
  - 17.7.1 ए0डी0 गोरवाला के सुझाव
  - 17.7.2 पाल एच0 ऐपतबी की सिफारिशें: प्रथम प्रतिवेदन
  - 17.7.3 ऐपल्बी की सिफारिशें: द्वितीय प्रतिवेदन
  - 17.7.4 सन्थानम समिति का प्रतिवेदन
- 17.8 भारत के लिए प्रस्तावित मॉडल
- 17.9 सारांश
- 17.10 शब्दावली
- 17.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 17.12 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 17.13 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 17.14 निबन्धात्मक प्रश्न

### 17.0 प्रस्तावना

आधुनिक समय में किसी भी देश का अधिकारीतंत्र (नौकरशाही) शासन की रीढ़ होता है। निति-निर्माण से लेकर नीति-क्रियान्वयन तक सब नौकरशाहों की प्रशासनिक क्षमता पर आधारित होता है। इसलिए यदि इस क्षमता में किसी प्रकार का हास होता है तो राज्य एवं समाज का चहुँमुखी विकास रूकेगा। इस सत्य को स्वीकार करते हुए भारत में ब्रिटिश काल से लेकर अब तक सतत् ऐसे प्रयास होते रहे हैं जो प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि कर सकें। क्षमता में वृद्धि कैसे हो, इसके लिए सब से पहले क्षमता का अर्थ समझना होगा। तत्पश्चात् उन अवरोधी की पहिचान करना होगी जो क्षमता का निषेध है। इसके लिए आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितिकी के अनुसार प्रशासन में सुधार लाने होगी।

### 17.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप-

- प्रशासनिक क्षमता का अर्थ और उसका महत्व समझ सकेंगे।
- उन अवरोधों को जान सकेंगे जो प्रशासन और क्षमता को धीमा करते हैं या रोकते हैं।
- नौकरशाहों की क्षमता पर परिस्थितिकी का गहरा प्रभाव पड़ता है, यह परिस्थितिकी क्या है, यह जान पायेंगे।

- क्षमता में हास के कौन से प्रशासनिक कारण हैं, यह जान पायेंगे।
- प्रशासनिक क्षमता के घटकों को भी समझ सकेंगे।
- क्षमता में वृद्धि के लिए क्या उपाय खोजे गये हैं तथा गोरवाला, ऐपल्बी तथा सन्थानम ने इस बारे में क्या सिफारिशें की हैं, यह जान पायेंगे।

### 17.2 नौकरशाही की क्षमता में वृद्धि का अर्थ

लोक प्रशासन में विशेष रूप से अधिकारियों के संदर्भ में क्षमता का एक व्यापक अर्थ है, जिसमें निपुणता, कौशल, शक्ति, सामर्थ्य और सक्षमता सभी शामिल है। यह वे गुण हैं जो प्रशासक को गतिशील और प्रशासन को सार्थक बनाते हैं। यह गुण समग्र विकास की कुंजी हैं। लोक सेवकों की क्षमता उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर निर्भर होती हैं। इस स्वास्थ्य के निर्माण में आनुवंशिक (Genetic), प्राकृतिक, परिस्थितिकीय (Ecological) तथा शिक्षण और प्रशिक्षण से सम्बन्धित घटक अपनी भूमिका अदा करते हैं। यहाँ सारांश में इनकी चर्चा की जायेगी-

1. **आनुवंशिक कारक-** वह मनोस्थिति एवं शारीरिक क्षमता जो किसी व्यक्ति को पैतृक विरासत में मिले आनुवंशिक होती है मनोविज्ञानिक परीक्षण से इसका अनुमान लगाया जाता है। प्रशासनिक दृष्टि से भावुक, भावावेशी, सनकी, झक्की, जिद्दी, अहंकारी जैसे अधिकारी की क्षमता पर इन मनोविकारों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। विवेकशीलता और संवेदनशीलता का प्रभाव सकारात्मक होगा। आनुवंशिक कारकों में बदलाव लाना कठिन जरूर होता है, लेकिन उचित पर्यावरण आचरण में बदलाव ला सकता है।
2. **परिस्थितिकीय कारक-** अधिकारियों की मनोस्थिति एवं व्यवहार पर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी तथा संचार सम्बन्धी कारकों का गहरा असर पड़ता है। प्रशासन तथा पर्यावरण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। रिग्स के अनुसार प्रशासकों के व्यवहार को जानने के लिये परिस्थिति के गतिज (Dynamics) को जानना जरूरी है। क्षमता का घटना और बढ़ना व्यक्ति, क्षेत्र, शारीरिक शक्ति, सामाजिक यांत्रिकी, विचार तथा जन आवश्यकताओं पर निर्भर है।
3. **शिक्षण एवं प्रशिक्षण-** अधिकारियों के चयन की प्रक्रिया के बाद आवश्यकताओं, अनिवार्यताओं और प्रशासनिक तक्राजों के अनुसार शिक्षण एवं प्रशिक्षण के माध्यम से चयनित अधिकारियों की मनोवृत्ति को बदलने का प्रयास किया जाता है। तार्किक वैज्ञानिक तथा व्यवहारवादी और मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण अधिकारी को तनावमुक्त रहने, संवेदनशील बनने तथा निष्पक्षता, सहनशीलता और साम्यता के गुण सिखाता है और उसे पूर्वाग्रहों से मुक्त करता है।

उपर्युक्त तीनों कारकों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि यदि लोक सेवक मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे तो निश्चित रूप से उनकी क्षमता में वृद्धि होगी।

### 17.3 नौकरशाही की क्षमता के अवरोध

भारत में नौकरशाही लगभग सवा दो सौ वर्ष पुरानी हो चुकी है। इसके बाद भी उसमें से क्षमता सम्बन्धी अवरोधों को पूरी तरह दूर नहीं किया जा सका है, जबकि लार्ड क्लाइव (1785) के समय से लेकर आज तक भारत की प्रशासनिक सेवा में सुधारों की एक लम्बी श्रृंखला नजर आती है। वर्तमान में अधिकारीतंत्र की क्षमता के अवरोधों का सार इस प्रकार है-

1. **प्रशासन में पश्चता या रूकावट (Log) आना-** आधुनिक सरकार के कार्यों में विविधता, बाहुल्य और जटिलता आ जाने के कारण प्रशासन में पश्चता (Log) की स्थिति बन जाती है। प्रशासन की गतिशीलता



- समाप्त हो जाती है। प्रशासकीय मशीनरी की आकांक्षा और निष्पादन में असंतुलन पैदा होता है, जो प्रशासन को धीमा करता है। इसका प्रभाव धीरे-धीरे अधिकारियों की क्षमता पर पड़ने लगता है।
2. **लोक सेवा में बढ़ती हुई विभिन्नता-** संवैधानिक तकाजों, आर्थिक चुनौतियों तथा प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रभाव ने सरकारी कार्यों की प्रकृति में बदलाव किया है। इसलिए विशेषज्ञों, प्राविधिज्ञों तथा रणनीतिकारों की नियुक्ति अनिवार्य हो गई है। इस स्थिति ने लोक-सेवा में अनेकरूपता, उलझन, असमन्जस्य और टकरावों को जन्म दिया है। यह स्थिति क्षमता के लिये घातक है।
  3. **लोक सेवा में नकारात्मक प्रवृत्ति का पनपना-** यहाँ नकारात्मक प्रवृत्ति का अर्थ है शासन द्वारा प्रशासन में अहस्तक्षेप की नीति को अपनाना। इस नीति ने नागरिक सेवा के कार्यों को प्रायः निरोधक बना दिया है। जब यह स्थिति बढ़ती है तो अधिकारी अकर्मठ, संवेदनहीन और काहिल बन जाते हैं। प्रशासन को लकवा मार जाता है। विलम्ब होता है। भ्रष्टाचार बढ़ता है। धीरे-धीरे क्षमता पर जंग लगने लगता है।
  4. **वैबोरियन मॉडल में व्यवधान-** इंग्लैण्ड की नौकरशाही पूरी तरह वैबोरियन मॉडल पर टिकी हुई है। भारत को यह विशेषता विरासत में मिली है। लेकिन स्वतंत्र भारत में परिवर्तित संसदात्मक एवं संघात्मक राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के स्थान पर स्वयं का प्रतिरूप स्थापित कर लिया गया, जिसके नतीजे में वैबोरियन नौकरशाही का “तार्किक-विधिक” प्रतिमान भारत में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस स्थिति में जो दुष्परिणाम सामने आये वे इस प्रकार हैं-

(क) संवैधानिक दृष्टि से तो सब भारतीय नागरिक समान हैं। लेकिन यह मात्र एक कोरा सिद्धान्त है। व्यवहारिक संवैधानिक स्थिति संविधान की भावना के विपरीत है। जातीय और प्रजातीय आधार पर आरक्षण, स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर भर्ती में वरीयता तथा कुछ श्रेणियों के पदों को सेवा आयोग की परिधि से बाहर रखने का प्रावधान, यह कुछ ऐसे तथ्य हैं जो वैबोरियन मॉडल के विरुद्ध हैं। यहाँ योग्यता का सिद्धान्त टूटता है, अयोग्य व्यक्तियों की नियुक्ति होती है और पदोन्नति से वंचित योग्य अधिकारियों का मनोबल टूटता है। यह सब कुछ राजनीतिक दृष्टि से तैय किया जाता है, जिसके कारण प्रशासनिक द्वन्द बढ़ता है और अन्ततः क्षमता घायल होती है।

(ख) प्रतिबद्धता नौकरशाही: वैबोरियन मॉडल के अनुसार नौकरशाही को अराजनीतिक, तटस्थ और अनामक होना चाहिए। उनकी प्रतिबद्धता व्यक्तियों या राजनीतिक दलों के बजाए नियमों एवं सरकार के प्रति होनी चाहिए। लेकिन भारतीय राजनीतिक प्रपंच पर आधारित व्यवस्था नौकरशाही को विचलित करती है। राजनीतिक, सामाजिक और धर्मान्धता-विचारात्मक परिवर्तनशीलता की निरन्तरता अधिकारियों को असमन्जस्य की स्थिति में पहुंचाती है। वे स्वयं को विभिन्न वादों (अवधारणाओं) के अनुसार स्वयं को ढालने में असमर्थ महसूस करते हैं। लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। परिणाम स्वरूप व अवसाद की स्थिति में पहुँच जाते हैं या फिर उग्र प्रतिक्रियाओं से ग्रस्त होते हैं।

(ग) स्थानान्तरण व्यवस्था का दुरुपयोग: सरकारी अधिकारियों का स्थानान्तरण यदि तर्क पर आधारित हो तो स्वीकार्य है। गतिशीलता या अपरिहार्यता के लिए ऐसा जरूरी है। लेकिन भारत में विशेष रूप से लोक सेवा में स्थानान्तरण एक राजनीतिक शस्त्र है, जिसका प्रयोग राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है (विशेष रूप से चुनावों से पहले) इसमें मनावन कम उत्पीड़न अधिक होता है। कभी-कभी तो चुनाव में पराजय का ठीकरा भी अधिकारी (जिलाधिकारी) के सिर फोड़ दिया जाता है। क्षमता की दृष्टि से यह स्थिति भयावह है। जिलों में तैनात अधिकारी दिनों रात होने वाले स्थानान्तरणों से न तो लोगों को समझ पाते हैं, न स्थान को और न समस्याओं को। इस स्थिति में उनका मनोबल गिरता है। वे हतोत्साहित होते हैं। उग्र

प्रतिक्रियाओं से ग्रस्त होने लगते हैं। टकराव की स्थिति बनती है जो विकास कार्यों में रूकावट डालती है।

(घ) उच्च पदों की श्रेणी में वृद्धि: विभागों में सुपरटाइम श्रेणी की स्थापना में वृद्धि का रूजहान भारतीय लोक सेवाओं का अवमूल्यन करता है तथा क्षमता पर बुरा प्रभाव डालता है। तर्क यह है कि लोक सेवाओं में पदोन्नति के अधिक अवसर प्रदान करके अधिकारियों में उत्प्रेरणा का संचार किया जा सकता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि पदोन्नति में वृद्धि स्वयं पदोन्नति की अवधारणा को सस्ता और प्रशासन को ढीला बना देती है। उदाहरण के लिए प्रमुख सचिव पदों के समकक्ष 6 अधिकारियों को विभिन्न पदों पर या एक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के स्थान पर 8 ऐसे अधिकारियों को प्रोन्नत करना सामान्य औचित्य के विरुद्ध है। लेकिन भारत के अनेक राज्यों में ऐसा होता रहा है। नतीजा यह है कि उच्च पदों का अवमूल्यन हुआ है और क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

#### 17.4 नौकरशाही की क्षमता में हास के प्रशासनिक कारण

अधिकारीतंत्र या नौकरशाही की क्षमता में हास के अनेक कारण आन्तरिक हैं, जिनको प्रशासनिक कहा जा सकता है। यह ऐसे कारण हैं जो नौकरशाही को स्थिर, निश्चल और उसकी क्षमता को मंद या धीमा (stash) कर देता है। निरन्तर अचलता के ऐसे अनेक परिणाम सामने आते हैं। इन्हीं परिणामों के कारण लोक सेवकों को घृणा भाव से नौकरशाह और आजकल “बाबू” कहा जाता है। इन प्रशासनिक कारणों में मुख्य रूप से छः कारण इस प्रकार हैं-

1. **शब्दजाल या गोल-मोल बात करना (Circumlocation)-** अधिकारी तंत्र में औपचारिक नियमों एवं विनियमों का अत्यधिक पालन किया जाए, कागज ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर बार-बार लाये जाएं, क्रियाविधि का अक्षरशः पालन किया जाय, गोल-मोल बातें की जायें, देरी होने पर लोगों को शब्द जाल में फंसाया जाए तथा घुमाव फिराव का तरीका अपनाया जाएं, तो इसके अनेक प्रतिकूल परिणाम सामने आते हैं। धीरे-धीरे फायलों का दफ्तरों में चक्कर लगाना और अधिकारियों और उनके मातहतों को निरन्तर इसी ढर्रे पर चलना उनके स्वभाव को निश्चल (static) और फकीर का काफ़ीर बना देता है।
2. **लाल फीताशाही-** दफ्तरी घुमाव-फिराव जन्म देता है लाल फीताशाही को, जिसका अर्थ है विलम्ब, जिसका कारण है नियमों का अन्धासुरण और जिसका परिणाम है कार्यक्षमता का नष्ट होना। सच यह है लोक सेवक शरीर (नियम) को महत्व देता है, आत्मा (भावना) को नहीं, जो वास्तविक लक्ष्य है। इस तरह उसके सोचने की, कुछ नया करने की तथा संवेदनशीलता की क्षमता क्षीण हो जाती है।
3. **औपचारिकता-** अधिकारियों के कार्य दर्शन में औपचारिकता का बड़ा महत्व है। यह जिम्मेदारी या जबाबदेही से बचने का सरलतम तरीका है। बस किसी तरह खाना-पुरी करो या जैसे मज़ाक में कहा जाता है कि “कागज का पेट भरो” “बस काम चलाओ और बचो।” फार्मों का अधिक से अधिक प्रयोग, उन कागजों पर टीका-टिप्पणी का एक निश्चित अन्दाज, निश्चित गढ़े और ढले हुए शब्दों का चयन, फ्रथलों में लाल, हरे, पीले निशान लगाना, छोटे-छोटे विषयों पर नित बैठकें, बहस करना, हो हल्ला मचाना, खाना-पीना और लिपिकों का कार्यवाही को दस्तावेजी रूप देना, यह सब भारतीय प्रशासनिक औपचारिकतावाद के गुण हैं। इस दौरान असल मुद्दा तो मुझको जाता है और मुद्दई (सम्बन्धित व्यक्ति) निराशा के गर्त में डूब जाता है।
4. **अनुत्तरदायित्व-** उत्तरदायित्व विहीनता नौकरशाही की क्षमता को दीमक लगा देती है। यह एक निषेधात्मक मानसिकता है। घिसी-पिटी जड़ क्रियाविधि का पालन करना, परिस्थितियों के अनुसार न चलना, परम्परागत अफसराना अन्दाज में काम करना, स्वयं जनता से अलग उच्च श्रेणी का समझना,

मानो ईश्वर ने इनको हुकूमत करने के लिए पृथ्वी लोक पर भेजा है (उपनिवेशों में ब्रिटिश नौकरशाहों की यही सोच थी)। ऐसी सोच लोक सेवक को अनुत्तरदायी बना देती है। यह योग्यता, निपुणता और दक्षता में जंग लगा देती है। वह कुठित बुद्धि के सहारे मात्र श्रेष्ठता को छदम भावना पर जीवित रहता है। प्रसिद्ध अंग्रेज दार्शनिक बतेन्द्र रसेल की दृष्टि में ऐसी भावना नकारात्मक मनोविज्ञान का विकास करती है। इस तरह लोक सेवकों की सोच संकुचित हो जाती है।

5. **आत्म-हित की मानसिकता-** ऐन्थनी डाउन्स ने आत्महित को नौकरशाही का सब से बड़ा दोष बताया है। उसने अपने शोध-प्रबन्ध में लिखा कि आत्म-हित प्रायः अधिकारियों की सक्रियता का केन्द्र होता है। अधिकारी चाहे पर्वतारोही हो, या अनुदार, यह सब अपनी, शक्ति, आय, प्रोन्नति और प्रतिष्ठता को दिन-रात बढ़ाये रखने का प्रयास करते हैं। यही इनका सर्वोच्च लक्ष्य होता है। यह बड़ी चालाकी से अपने स्तर और स्थिति को बुलन्दियों तक ले जाते हैं। अनुदार लोक सेवी यथास्थिति में विश्वास रखते हैं। परिवर्तन को यह अपने के लिए खतरा मानते हैं। आत्महित के लिए केवल आत्म-हितकारी क्षमता की आवश्यकता होती है, जिसको लोक सेवक चालाकी से प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जन-हितकारी क्षमता नष्ट हो जाती है।

### 17.5 प्रशासनिक क्षमता के घटक

प्रशासनिक क्षमता के घटकों से अभिप्राय लोक प्रशासन के उन कारकों से है जो लोक प्रशासन के परा-भौतिक तत्व हैं, जिनका सम्बन्ध मानवीय क्षमता से है। यह तत्व हैं: प्रबन्ध, नेतृत्व, नीति-निर्धारण, निर्णय-निर्माण, योजना, समन्वय, संचार तथा पर्यवेक्षण। इन सभी तत्वों का सम्बन्ध मानवीय क्षमता से है। सारांश में इन तत्वों का विश्लेषण इस प्रकार है-

1. **प्रबन्धन-** किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सहकारी यन्त्र करना प्रबन्धन है। यह शब्द प्रशासन का पूरक है। प्रबन्धन एक कला भी है और एक विज्ञान भी। इन दोनों बातों के लिये प्रशासकों या प्रबन्धकों में महारत, योग्यता तथा मानसिक और शारीरिक शक्ति होनी चाहिए। क्षमता की यही मांग है। प्रबन्धक का काम व्यवस्था करने तथा दूसरों से कार्य करवाने की क्षमता से है। यही कला है। कैसे काम लिया जाए यह एक तकनीक है। इसलिए प्रबन्धन एक विज्ञान है।
2. **नेतृत्व-** क्षमता का दूसरा घटक नेतृत्व है। राज्य के अथवा संगठन के लक्ष्यों के अनुसार प्रशासन को गतिशील बनाना, उसको एक नई दिशा देना तथा अधीनस्थों में काम के प्रति उत्साह और उत्प्रेरणा का संचार करना अच्छे नेतृत्व की पहिचान है। इसके लिए शक्ति, चतुराई, बुद्धि, ज्ञान, साहस, जोखिम और दृढ-निश्चय की जरूरत है। जिसमें यह गुण हैं वह सक्षम प्रशासकीय नेता है। वह उत्पीड़न से नहीं मनावन से काम लेता है।
3. **नीति-निर्धारण-** ऐपल्बी ने नीति-निर्धारण को प्रशासन की आत्मा बताया है। नीति-निर्धारण तर्क संगत हो, यह अच्छी नीति की अनिवार्य शर्त है। इसके लिए प्रशासकों में सूझ-बूझ, दूरदर्शिता, तकनीकी ज्ञान, कानूनी जानकारी इत्यादि के गुण होने चाहिए, यद्यपि नीतियां राज-नेताओं के नाम से बनती हैं, लेकिन बनाने वाले प्रशासक ही होते हैं।
4. **निर्णय-निर्माण-** शासन एवं प्रशासन में निर्णय लेना सबसे कठिन काम है। इस बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्णय सटीक हों, उनके वांछित परिणाम निकलें, वे सामयिक भी हो और दूरगामी भी। उनका लक्ष्य जन-कल्याण हो, प्रशासनिक सुधार हो, वे मात्र सत्ता के बनाये रखने के लिए न हों। उनका आधार विवेक हो, न कि भावावेश सैद्धान्तिक रूप से निर्णय-निर्माण का काम राजनेताओं का होता है परन्तु व्यवहार में नौकरशाह ही इस काम को अन्जाम देते हैं। इसलिए निर्णय-निर्माण उनकी क्षमता पर निर्भर होता है।

5. **योजना बनाना-** योजना बनाना वांछित कार्य करने की तैयारी का नाम है। यह एक प्रयास है जो व्यक्तिगत भी है और सहकारी भी। यह एक तकनीकी काम है। कार्य करने की योजना बनाना एक मनोविज्ञान प्रशासनिक क्रिया है। योजनाओं का निर्धारण, निष्पादन और मूल्यांकन-यह योजना निर्माण के तीन चरण हैं। मन्त्रियों के लिए यह काम असंभव है। नौकरशाह इस कार्य में माहिर होते हैं। इसलिये उनकी इस क्षेत्र में क्षमता का विकास हो, यह जरूरी है।
6. **समन्वय-** उद्देश्य की पूर्ति तभी संभव है जब संगठन में लगे लोगों में तालमेल हो। यही समन्वय है। प्रबन्धक को यह देखना है कि प्रशासनिक कर्मी नियमानुसार अपने कार्यक्षेत्र में रहकर वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सहभागिता और समरसता के साथ अपना निश्चित काम कर रहे है। यदि समन्वय की कमी है तो संगठन का सारा ताना बन टूट सकता है। इसलिये समन्वयक को इस ताने बाने पर गहरी नजर रखनी होती है।
7. **संचार-** प्रशासन में संचार का अर्थ है विचार-विनिमय, तथ्यों की पारस्परिक जानकारी के प्रवाह की निरन्तरता तथा सहभागिता की भावना। मिलेट के शब्दों में, “सांझे उद्देश्य के लिए सांझे विचारा” जहाँ प्रशासक इच्छाशक्ति में सशक्त है और मनोवैज्ञानिक तौर पर स्वस्थ है, वहां संगठन में संचार की प्रक्रिया की निरन्तरता बनी रहती है।
8. **पर्यवेक्षण-** प्रशासन की कमजोरी का एक बड़ा कारण पर्यवेक्षण का अभाव होता है। पर्यवेक्षण प्रभावशाली नियंत्रण का एक उपकरण है। संगठन में चल रहे कामों को ऊपर से देखना तथा दूसरों के काम का अधिकारपूर्ण निदेशन करना पर्यवेक्षण है। पर्यवेक्षण के माध्यम से उच्चतर अधिकारी अधीनस्थों की सहायता करते हैं। यह उपकरण कर्मियों में भय पैदा करता है, उन्हें अनुशासित करता है और सजग करता है। इसलिए पर्यवेक्षक (अधिकारी) में पर्यवेक्षण के लिए तकनीकी ज्ञान और महारत होना जरूरी है।

### 17.6 अधिकारीतंत्र की क्षमता और परिस्थितिकीय उपाय: ब्रिटिश संदर्भ

परिस्थितिकीय उपागम की मान्यता है कि प्रशासन और उसका पर्यावरण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। दोनों की अन्तःक्रियाओं की प्रक्रिया के कुछ ऐसे गतिज (Dynamics) हैं जिनको समझकर प्रशासनिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।

पहली प्रशासनिक समस्या का सम्बन्ध प्रशासकों की क्षमता से है। यह एक व्यवहारवादी सच है कि अधिकारियों (नौकरशाहों) पर परिस्थितिकी का गहरा असर पड़ता है। परिस्थितिकी उनकी मनोस्थिति का निर्माण करती है, और मनोस्थिति उनकी कार्य क्षमता को सकारात्मक या नकारात्मक रूप में प्रभावित करती है। यह अन्तःक्रिया निरन्तर चलती रहती है, जिसका प्रशासन और अन्तः शासन एवं समाज पर असर पड़ता है।

परिस्थिति के एक बड़े सिद्धान्तकार, फ्रेड डब्ल्यू० रिम्स ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीतिकी तथा संचार सम्बन्धी घटकों को प्रशासन पर असर डालने वाले नियायके कारकों के रूप में लिया। यहाँ इनकी संक्षेप में चर्चा की जाएगी।

1. **आर्थिक पर्यावरण-** किसी देश की अर्थव्यवस्था, राज्य के आर्थिक लक्ष्य और समाज की आर्थिक स्थिति, आर्थिक पर्यावरण को तैयार करने वाले घटक हैं। इनका प्रभाव व्यक्ति की आय पर भी पड़ता है। औपनिवेशिक काल में भारतीय समाज ब्रिटिश व्यापारी-पूँजीवादी शासकों और सामन्ती, कुलीन-अभिजात् अधिकारियों और निर्धन भारतीय किसानों, कारीगरों और मध्यवर्गीय सरकारी नौकरों के मध्य बंटा हुआ था। ब्रिटिश नौकरशाहों की प्रवृत्ति साम्राज्यवादी, वाणिज्यिक और दमनकारी थी। साम्राज्य की यथास्थिति को बनाए रखना तथा आत्म-हित उनके परम् हित थे। क्षमता का मापदण्ड इन्हीं हितों की पूर्ति था। अतः सतही तौर पर वे अपनी इस क्षमता में दक्ष थे।

लेकिन 1857 की बगावत के बाद नई राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार ब्रिटिश शासन का नजरिया बदलना शुरू हुआ। वैसे लगभग 1781 से लेकर 1854 तक पहले से ही अधिकारियों की प्रशासनिक मानसिकता को बदलने के लिए अनेक कदम उठाये गए। इनमें वारेन हेस्टिंग्स, लार्ड कार्नवैलिस (1785-1793), लार्ड वेलेजली (1798-1805) और लार्ड मैकाले ने (1854) नौकरशाही की ध्येय में वृद्धि के लिए अनेक सकारात्मक कदम उठाए, जिनमें अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना महत्वपूर्ण है। अधिकारियों को उच्च वेतन, निवास के लिए आलीशान बंगले तथा नौकर-चाकर व घोड़े गाड़ियाँ मोहय्या कराई गयीं ताकि वे किसी भी तरह से आर्थिक दृष्टि से असंतुष्ट न हों।

2. **सामाजिक परिवेश-** सामाजिक परिवेश नौकरशाही की क्षमता पर असर डालने वाला एक महत्वपूर्ण घटक है। जैसा कि लिखा जा चुका है ब्रिटिश अधिकारी (आई0सी0एस0) सामन्ती, कुलीन एवं अभिजात (Elite) वर्ग से होने के कारण तथा श्वेत चमड़ी, पाश्चात्य संस्कृति और साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के दबाव में श्रेष्ठता की मानसिकता से ग्रस्त रहते थे। विशेष रूप से भारत जैसे समाज में, जहाँ निर्धनता, अशिक्षा, रूढ़ीवाद, जातीयता और धर्मान्धता का बोलबाला था, श्रेष्ठता की यह मानसिकता और अधिक उग्र थी। वे सिविल लायर्स में रहते थे जहाँ भारतीयों का जाना निषिद्ध था। उनके क्लर्कों के द्वारा पर “भारतीय कुत्ते नॉट अलाउड” लिखा होता था। स्पष्ट है कि उनकी प्रशासनिक क्षमता भी इसी मानसिकता से कुठित थी, जिसने 1857 की बगावत को जन्म दिया।

इस यथार्थ को दृष्टि में रखकर 1886 में एचिसन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय नागरिक सेवा, प्रान्तीय सेवा तथा अधीनस्थ सेवा की स्थापना की गई। इसी तरह प्रथम श्रेणी की सेवा की भर्ती के लिए इंग्लैण्ड में प्रतियोगी परीक्षायें आयोजित की गईं जिनमें भारतीय प्रत्याशियों को भी भाग लेने का अवसर दिया गया। अन्य दो प्रकार की सेवाओं में प्रान्तीय स्तर पर भर्ती की व्यवस्था की गई जिनमें केवल भारतीयों को भाग लेने का अवसर दिया गया।

संक्षेप में उद्देश्य यह था कि अधिकारियों की क्षमता भारतीय समाज की आवश्यकताओं के अनुसार ढले।

3. **राजनीतिक परिवेश-** राजनीतिक परिवेश अधिकारी तंत्र की क्षमता पर गहरा और दूरगामी प्रभाव डालता है। ब्रिटेन एक उदारवादी, लोकतांत्रिक, लेकिन साम्राज्यवादी देश था। उसके लोकतंत्रीय मूल्य उसके उपनिवेश में लागू नहीं होत थे। अधीनस्थ राज्यों में विशेष रूप से भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था थी, उसकी विशेषता थी-

- एकाधिकारतंत्र और उसके समानरूप अधिकारी तंत्र।
- नौकरशाही का आचरण निष्ठुर, दंभी और अहंकारी।
- स्वतंत्रता, समानता और मौलिक अधिकार मात्र एक कल्पना।
- नौकरशाही, लोकमत के प्रति वफ़ादार न होकर, क्राउन के प्रति प्रतिबद्ध।

उच्च सेवाओं में भारतीयकरण की मांग, नौकरशाही के आचरण में सुधार की मांग, प्रान्तों में भारतीय मन्त्रियों के अधीन काम करने की कलंकपूर्ण स्थिति से मुक्ति की मांग तथा लोक सेवा आयोग की स्थापना पर जोर-यह कुछ ऐसी बातें थी जो अधिकारीतंत्र की क्षमता में वृद्धि करने में सक्षम समझी गयीं। परिणाम स्वरूप 1912 से लेकर 1935 के भारत शासन अधिनियम तक जो भी सुधारात्मक प्रशासनिक कदम उठाये गये उनका उद्देश्य नौकरशाही की क्षमता में सुधार करना था।

### 17.7 अधिकारीतंत्र की क्षमता में वृद्धि के प्रशासनिक उपाय: भारतीय संदर्भ

सरकारी प्रशासनिक मशीनरी में सुधार वास्तव में नौकरशाही की क्षमता में सुधार है। इस सुधार का अर्थ है-

(क) सीमित स्रोतों से अधिकतम लाभ, (ख) लोक सेवाओं का अधिकतम उत्पादन, तथा (ग) जन-हित में अधिकारीतंत्र का अधिकतम योगदान।

यह उक्त तीनों बातें क्यों महत्वपूर्ण हैं, इसके अनेक कारण हैं जो इस प्रकार हैं- (अ) शासकीय अभिकरणों की कार्य-संचालन प्रणाली के बारे में जन असंतोष; (ब) सरकारी अधिकारियों (लोक सेवकों) के आचरण के बारे में समाज के सभी वर्गों का असंतोष; तथा (स) सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बावजूद सकारात्मक नतीजे न निकलना।

उक्त तीनों नकारात्मक बातों को सकारात्मकता में बदलने का एक ही रास्ता है कि प्रशासन के ढाँचे में सुधार किया जाए, प्रशासकों की मनोवृत्ति परिस्थितियों के अनुसार बदली जाएं तथा वह माहौल तैयार किया जाए जिससे अधिकारियों की क्षमता में वृद्धि हो। स्वतंत्रता के फौरन बाद से ही भारत में प्रशासनिक सुधारों के लिए कदम उठाये जाने लगे थे। इस दिशा में सुधारों के तीन मान्य रूपों को स्वीकार किया गया है यह है-

1. **प्रबन्ध प्रक्रिया-** समस्या के उत्पन्न होने की प्रतीक्षा करना और बाद में उसके निराकरण के लिए एक सक्षम व्यक्ति (उच्च अधिकारी) की नियुक्ति करना, जो एक रिपोर्ट तैयार करता है।
2. **समिति प्रक्रिया-** प्रशासनिक समस्याओं की जाँच एवं समाधान के लिए एक समिति या आयोग की स्थापना करना तथा उसकी सिफारिशों या सुझावों के अनुसार प्रशासनिक कदम उठाना। 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना मील का एक पत्थर माना जाता है।
3. **संगठन तथा प्रणाली-** इसे ओ0 एण्ड एम0 ( O and M) कहा जाता है इसकी स्थापना प्रशासन की विभिन्न इकाइयों में की जाती है। अब भारत में ही यह प्रचलित है।

भारत में क्षमता सम्बन्धी प्रशासनिक सुधारों का एक लम्बाई इतिहास है। यहाँ केवल स्वतंत्रता के बाद उठाये गये सुधारात्मक कदमों की संक्षेप में चर्चा की जायेगी। सुविधा के लिए इन सुधारों को चार कालों में विभक्त किया जा सकता है।

### 17.7.1 ए0डी0 गोरवाला के सुझाव

भारत में 1853 से प्रशासनिक सुधारों का सिलसिला जो शुरू हुआ (डलहौजी के शासन काल से लेकर रिचर्ड टोटेनहम (1946) समिति तक) वह आज भी कायम है। स्वतंत्रता के बाद सुधारों की दिशा में पहला ठोस कदम जवाहर लाल नेहरू ने उठाया, जब उन्होंने 1951 में ए0डी0 गोरवाला की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की। गोरवाला ने 70 पृष्ठों पर आधारित अपने “लोकप्रशासन पर प्रतिवेदन” नाम से सुझाव प्रस्तुत किए। सुझावों का सम्बन्ध प्रशासनिक संरचना, कार्य-प्रणाली और मानवीय योग्यता एवं क्षमता से था। यह प्रतिवेदन दस बिन्दुओं पर आधारित था, जो इस प्रकार हैं -

1. नीति-निर्माण और क्रियान्वयन में स्पष्ट अन्तर करना;
2. चयन में मनोवैज्ञानिक पद्धति (परीक्षा) का प्रयोग करना;
3. आर्थिक-असैनिक सेवा की स्थापना करना;
4. अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को अपने राज्य से दूसरे राज्य में तैनात करना;
5. मन्त्रियों का वरिष्ठ लोक सेवकों से परामर्श करते रहना;
6. प्रतियोगी परीक्षा में सामान्य प्रश्न पत्रों के लिए अधिक अंक निर्धारित करना (लोक सेवा द्वारा);
7. भारतीय प्रशासनिक सेवा संस्थान की संरचना में सुधार करना;
8. विहठले परिषद की स्थापना करना;
9. मन्त्री मण्डल की कार्य-पद्धति में सुधार करना; तथा
10. नियोजन में उत्तरदायित्व का विकेन्द्रीकरण करना।



लेकिन गोरवाला के इन सुझावों पर कोई अमल नहीं किया गया। इस दौरान 1952 में आर०ए० गोपाल स्वामी ने “सरकारीतंत्र की कार्यक्षमता की अभिवृद्धि” पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह रिपोर्ट भी गुमनामी की गर्त में चली गयी।

### 17.7.2 पाल एच० एपल्बी की सिफारिशें: प्रथम प्रतिवेदन

1952 में सरकार ने प्रशासनिक सुधारों पर विचार करने के लिए विश्वविख्यात प्रशासनिक चिन्तक पाल एच० एपल्बी की नियुक्ति की। भारतीय लोक प्रशासन एवं सेवा वर्ग के सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक पहलुओं का अध्ययन करने के बाद एपल्बी ने “लोक प्रशासन सर्वेक्षण का प्रतिवेदन” नाम से एक प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किया। उनकी सिफारिशों में परिस्थितिकीय, मानवीय और संरचनात्मक नजरिये को पेश किया गया है। प्रतिवेदन का सार है -

1. प्रशासन में भारतीय परिस्थितियों-एकता और विविधता को दृष्टि में रखकर प्रशासन संचालित हो;
2. समस्त सेवाओं को एक विस्तृत सामान्य इकाई का रूप दिया जाए,
3. लोक सेवकों के प्रशिक्षण के लिए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की जाए,
4. संगठन और प्रणाली अर्थात् O and M की स्थापना की जाए, तथा
5. भारतीय प्रशासन में सूत्र एवं स्टाफ में स्पष्ट अन्तर किया जाए।

एपल्बी की अनुशंसा के अनुसार 1954 में O and M केन्द्रीय सरकार में स्थापित किया गया। एपल्बी ने अपने प्रतिवेदन में लिखा “ओ एण्ड एम को विस्तृत तथा गंभीर नेतृत्व प्रदान करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाए। अत्यधिक तकनीकी तथा वैज्ञानिक ढंग के स्तर पर वह कार्य माप, कार्य प्रवाह, कार्यालय प्रबन्ध, फाइलिंग प्रणाली, स्थान प्रबन्ध पर ध्यान दें। मुझे उम्मीद है कि (यह) नौकरशाही के भीतर तथा नौकरशाही और जनता के बीच लोकतांत्रिक तरीकों व रीतियों के विकास के लिए उत्तर दायी होगा।” इस तरह एपल्बी की ओ एण्ड एम सम्बन्धी सिफारिशें प्रशासनिक क्षमता की दृष्टि से एक वरदान बन गयीं।

### 17.7.3 एपल्बी की सिफारिशें: द्वितीय प्रतिवेदन

1953 के बाद एपल्बी दो बार पुनः भारत आये तथा 1956 में उन्होंने अपना दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसमें लोक उद्यमों की समस्याओं का अधिक गहराई से अध्ययन किया गया था। इन प्रतिवेदन के कुछ प्रमुख सुझाव इस प्रकार थे-

1. नीति-निर्माण में लोक सेवकों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाये;
2. शक्तियों के प्रत्यायोजन (Delegatious) पर अधिक जोर दिया जाये;
3. प्रशासकीय कार्यों में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का हस्तक्षेप कम किया जाये;
4. योजना आयोग को केवल योजना बनाना चाहिए और उसका
5. प्रशासकीय कार्यों में हस्तक्षेप बन्द हो;
6. प्रत्येक मन्त्रालय के साथ कार्य-प्रबन्ध कार्यालय स्थापित किया जाये;
7. संसद को नीतियाँ लागू करने का अधिकार नहीं होना चाहिए और न ही प्रशासकीय कार्यों में हस्तक्षेप का, यह अनुचित है;

लोक सेवकों में नेतृत्व और कल्पना शक्ति का विकास होना चाहिए। इससे गतिशीलता का संचार होगा। अधिकारियों को अधिक अधिकार दिये जायें ताकि वे स्वविवेक का अधिक से अधिक प्रयोग कर सकें।

विभिन्न विभागों में समन्वय की स्थापना करने तथा योजना कार्य में तेजी लाने के लिए एक उच्च श्रेणी अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए।

### 17.7.4 सन्थाम समिति का प्रतिवेदन

भारतीय प्रशासन में भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है। इसकी गंभीरता को सदा महसूस किया जाता रहा है, क्योंकि यह बीमारी अधिकारीतंत्र की क्षमता को क्षीण कर देती है। इसलिए 1962 में भ्रष्टाचार निवारण के लिए विद्यमान रोधकों की जाँच करने और भ्रष्टाचार विरोधी कदमों को तलाशने और मजबूत बनाने के लिए सुझाव हेतु सन्थानम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी जिसने 1964 में अपना अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस समिति की सिफारिशों के बिन्दु इस प्रकार हैं-

1. केन्द्रीय सरकार में एक सतर्कता आयोग की स्थापना की जाये;
2. सरकारी विविधियों, नियमों और कार्यप्रणाली की निरन्तर समीक्षा और सरलीकरण हो;
3. राजनेताओं के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की जाए जिस पर जनता को विश्वास हो;
4. रिश्वत के लोभ से बचने के लिये आवास की समुचित व्यवस्था तथा पर्याप्त वेतन हो;
5. नियुक्तियों और पदोन्नति में विशेष सावधानी बरती जाये;
6. महत्वपूर्ण कार्य छोटे कर्मियों को न सौंपे जायें;
7. फाइलों का निपटारा निश्चित अवधि के भीतर किया जाये;
8. भ्रष्टाचार के मामलों में कानूनी कार्यवाही शीघ्रतापूर्ण हो;
9. सभी अधिकारियों और राजनेताओं की निजी सम्पत्ति की घोषणा हो;
10. विभिन्न राजनीतिक दलों की उद्योगपतियों द्वारा दिये गये चन्दे का ब्योरा सार्वजनिक हो;
11. लालफीताशाही पर रोक हो; विलम्ब के कारण पता लगाये जाएँ;
12. सभी प्रशासनिक निकायों में मुख्य निगरानी अधिकारी की व्यवस्था हो;
13. भ्रष्टाचार विरोधी सामाजिक संस्थाओं को सहयोग किया जाये; तथा
14. समाज में ऐसा परिवेश पैदा किया जाये जो भ्रष्ट अधिकारियों में भय पैदा करे।

गोरवाला, ऐपल्बी तथा सन्थानम के प्रतिवेदनों से अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकारें प्रशासनिक सुधारों के बारे में कितनी गंभीर और सजगत रही हैं। लेकिन यही भी सच है कि नौकरशाही की क्षमता कहीं न कहीं दूषित सामाजिक और राजनीतिक पर्यावरण के अंदर से निकलने में असमर्थ महसूस करती है।

### 17.8 भारत के लिए प्रस्तावित मॉडल

अतीत में भारत की लोक-सेवा में सुधार के लिए अनेक प्रस्ताव सामने आए। यहाँ ऐसे कुछ प्रस्तावों की चर्चा की जाएगी-

1. अखिल भारतीय सेवाओं की सार्थकता बनी रहनी चाहिए। भारत एक संघात्मक राज्य है। इसके जहाँ अनेक लाभ हैं वहाँ नुकसान भी है। केन्द्र और राज्यों के द्वन्द ने राज्य सरकारों और उनके लोक सेवकों के नजरिए को तंग किया है। राज्य सरकारें केन्द्रीय सेवाओं की तुलना में अपनी सेवाओं पर अधिक भरोसा करती हैं और उनके अधिकारी अपने क्षेत्रों, अपनी भाषाओं तथा अपने लोगों के प्रति अधिक समर्पित नजर आते हैं। यह स्थिति देश की एकता, अखण्डता तथा सेवाओं की क्षमता को चुनौती देती है।

अब यह स्वीकार किया जाने लगा है कि अखिल भारतीय सेवाओं में योग्य, ईमानदार, कर्मठ और चरित्रवान प्रत्याशियों का चयन होता है। इसलिये तीन शर्तों के साथ अखिल भारतीय सेवाओं की निरन्तरता बनी रहनी चाहिए -

- (क) इन सेवाओं में आने वाले 50 प्रतिशत नये प्रवेशार्थी पदांकित राज्य से बाहर के हों,
- (ख) कार्यविधि प्रणाली को बनाए रखा जाए, तथा

- (ग) अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी और हिन्दी भाषा हो।
2. नरोन्हा मॉडल: अनुभवी प्रशासक नरोन्हा ने अखिल भारतीय सेवाओं में आमूल परिवर्तन का सुझाव दिया। विशेष रूप से यह सुझाव भर्ती के बारे में था। उनके सुझाव का सार था:
    - (क) कनिष्ठ स्तर की राज्य लोक सेवा में तीन वर्षों तक कार्यरत डिप्टी कलेक्टर पद के लिये सीमित प्रतियोगिता परीक्षा हो;
    - (ख) आठ वर्ष के बाद सभी डिप्टी कलेक्टर आई0ए0एस0 में प्रवेश पाने के लिए प्रतिस्पर्धा करें,
    - (ग) सफल प्रत्याशी आई0ए0एस0 कहलायें तथा आई0ए0एस0 के लिए खुली प्रतियोगिता समाप्त हो; तथा
    - (घ) अखिल भारतीय सेवा के लिए एकीकृत वेतनमान हों।
  3. भारतीय संघीय सेवा की स्थापना: केन्द्र सरकार की लोक सेवाएं अनेक श्रेणियों में विभाजित हैं। इनके कार्य, प्रकृति एवं क्षेत्राधिकार भिन्न-भिन्न हैं। इसलिए इनमें काम करने वाले कर्मियों के वेतनमानों में भी अन्तर है। यह अन्तर आपस में प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या उत्पन्न करता है। इसलिए यह सुझाव दिया गया कि केन्द्र के लिए एकीकृत लोक सेवा स्थापित की जाये और इसे भारतीय संघ सेवा कहा जाए। उनकी परीक्षाएँ, प्रशिक्षण तथा तैनाती में भी समानता हो।
  4. विकेन्द्रीकरण प्रशासन: स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने, जनसहभागिता तथा जनता तथा प्रशासन में प्रत्यक्ष सम्पर्क एवं संचार की दृष्टि से, बलवन्त राय मेहता समिति ने विकेन्द्रीकरण की अवधारणा रखी, जिसे पंचायती राज कहा जाता है। भावना यह थी कि नौकरशाही तथा सरकारी कर्मचारी जनता के नियंत्रण में काम करें। कुछ वर्षों तक राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था चली, लेकिन अन्ततः भारतीय राजनीति तथा नौकरशाही के सामने पंचायती राज ने घुटने टेक दिये। अब यह व्यवस्था चुनावों तक सीमित होकर रह गई है निर्वाचित संस्थाएँ लगभग अर्थहीन हो गयी हैं, क्योंकि ग्रामीण विकास में नवीन प्रौद्योगिकी निर्वाचित संस्थाओं के अधिकार से बाहर हैं।
  5. आरक्षण व्यवस्था तथा प्रशासनिक क्षमता: आरक्षण के औचित्य से इन्कार नहीं किया जा सकता। कमजोर तबकों के लिए यह जरूरी है। लेकिन आरक्षण की व्यवस्था तार्किक होनी चाहिए। इसका उद्देश्य आर्थिक होना चाहिए न कि राजनीतिक। प्रशासन की दृष्टि से इसके दुष्परिणाम सामने आये हैं। विशेष रूप से लोक सेवाओं में। इस व्यवस्था से योग्यता पर प्रहार हुआ है विशेष रूप से पदोन्नति में। अधिकारी भी विभाजित हुये हैं। लोक सेवाओं का वर्गीकरण वैज्ञानिक आधार पर होना चाहिए। लोक सेवाओं में मूल्यांको अधिक महत्व देना चाहिए न कि सुविधाओं को।

अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्रोन्नति में आरक्षण दिया जाए अथवा नहीं जैसे विवादास्पद मुद्दे पर अपने 5 जून, 2018 के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा: “इन वर्गों (एस0सी0/एस0टी0) को प्रोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है, इस शर्त के साथ कि प्रशासनिक क्षमता पर कोई समझौता न हो।” लेकिन सच यह है कि आरक्षण में क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसकी जाँच की न तो कोई यांत्रिकी है और न ही कोई मापदण्ड। भारत में लोक सेवाओं का वर्गीकरण वैज्ञानिक आधार पर होना चाहिए न कि राजनीतिक रणनीति के आधार पर। प्रशासनिक क्षमता का सम्बन्ध “मूल्यांको” से है। इस सम्बन्ध में खोसला के शब्दों का उल्लेख करना उपयुक्त होगा: “सार्वजनिक जीवन में मूल्यांको का पुनरुत्थान ही भारत को 21वीं सदी में विकासशील देश की हैसियत से निकालकर, विकसित देश का रूप दे सकता है।”

#### अभ्यास प्रश्न-

1. प्रशासनिक क्षमता का सम्बन्ध है-
  - क. आर्थिक विकास से
  - ख. राजनीतिक पर्यावरण से

- ग. मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से घ. विचारधारा से
2. कौन सा कारक प्रशासनिक क्षमता का अवरोध नहीं है?  
क. पश्चता या रूकावट ख. नकारात्मक प्रवृत्ति  
ग. वैबेरियन मॉडल में व्यवधान घ. नैतिक मूल्य
3. कौन से तीन प्रशासनिक कारक प्रशासनिक क्षमता में अवरोध उत्पन्न करते हैं?  
क. लाल फीताशाही ख. पदसोपानियता  
ग. औपचारिकतावाद घ. अनुत्तरदायित्व
4. कौन सा घटक प्रशासनिक क्षमता से सम्बन्धित नहीं है?  
क. नेतृत्व ख. प्रबन्धन  
ग. नीति-निर्माण घ. राजनीतिक वफादारी
5. प्रशासनिक क्षमता का सम्बन्ध परिस्थितिकी से है। इस अवधारणा का प्रतिपादक कौन है?  
क. मैक्स वेबर ख. कार्ल मार्क्स  
ग. रिग्स घ. वुडरो विल्सन

### 17.10 सारांश

- किसी राज्य का विकास लोक प्रशासन पर टिका होता है। लोक प्रशासन की रीढ़ की हड्डी लोक प्रशासक होते हैं। लोक प्रशासकों की योग्यता का मापदण्ड उनकी क्षमता है। उनकी क्षमता का सम्बन्ध उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से है। इस मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य का निर्माण अनेक कारकों के माध्यम से होता है, जिनमें आनुवंशिक, प्राकृतिक, परिस्थितिकीय, शिक्षण एवं प्रशिक्षण आदि सम्मिलित हैं। यदि इन कारकों को समझ लिया जाए तो सेवी वर्ग की क्षमता में वृद्धि करना आसान हो सकता है।
- नौकरशाही की क्षमता में अनेक ऐसे अवरोध हैं जो प्रशासन पर निषेधात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इन अवरोधों में पश्चता, लोक सेवा में दिन प्रतिदिन बढ़ती विभिन्नता, नकारात्मक प्रवृत्ति का पनपना, वेबेरियन माडल के अनुसार प्रशासन का न चलना, प्रतिबद्ध नौकरशाही, आरक्षण नीति, स्थानान्तरण व्यवस्था, उच्च पदों की श्रेणी में वृद्धि इत्यादि ऐसे कारण हैं, जो अधिकारियों की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।
- नौकरशाही की क्षमता के हास के अनेक प्रशासनिक कारण भी हैं। इनमें अत्यधिक शब्द जाल का प्रयोग, लाल फीताशाही, औपचारिकता, अनुत्तरदायित्वता, आत्म-हित की प्रवृत्ति इत्यादि ऐसे कारण हैं जो प्रशासनिक क्षमता को जग लगा देते हैं।
- प्रशासनिक क्षमता अनेक महत्वपूर्ण घटकों पर आधारित होती है। इनमें प्रबन्धन, नेतृत्व, नीति-निर्धारण, निर्णय-निर्माण, योजना निर्माण, समन्वय, संचार तथा पर्यवेक्षण महत्वपूर्ण घटक हैं जहाँ प्रशासनिक क्षमता प्रदर्शित होती है। क्षमता की दृष्टि से प्रशासनिक चिन्तकों ने इन घटकों के महत्व पर बहुत कुछ लिखा है।
- प्रशासनिक क्षमता के वृद्धि में परिस्थितिकीय उपाय सर्वाधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। विशेष रूप से इंग्लैण्ड की नौकरशाही का विश्लेषण परिस्थितिकीय संदर्भ में ही किया जाता है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी तथा संचार सम्बन्धी घटकों का नौकरशाही के स्वभाव, मनोवृत्ति और कार्यशैली पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

- भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से प्रशासनिक क्षमता की क्या चुनौतिया हैं, इनको समझ कर ही क्षमता में वृद्धि के उपाय तलाशना होंगे। प्रशासनिक कार्य प्रणाली के प्रति जन तथा सरकारी अधिकारियों के आचरण के प्रति जन असंतोष तथा सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के अपेक्षित नतीजे न निकलना ऐसे तथ्य हैं जो प्रशासनिक क्षमता की दशा को प्रदर्शित करते हैं।
- विभिन्न सरकारों ने (1947 से लेकर अब तक) इस बात का प्रयास किया है कि नौकरशाही की क्षमता में वृद्धि के लिये प्रशासनिक सुधार किये जायें। ऐपल्बी, गोरवाला, सन्थानम इत्यादि को प्रशासनिक सुधारों के लिए नियुक्त किया गया। उन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव दिये जिन पर अमल भी किया गया। लेकिन यह भी स्वीकार किया जाता है कि जब तक वर्तमान राजनीतिक आचरण नहीं सुधरेगा, प्रशासन में सुधार असंभव है।

### 17.11 शब्दावली

स्वह या पश्चता- प्रशासन में कतिपय कारणों से समय-समय पर रूकावट आती है, जिसे पश्चता कहा जाता है। धीमा होना या मंद होना- प्रशासन क्षमता 'स्टैश' का कारण होता है। स्टैश नौकरशाही के स्वभाव में होती है। Circumlocution या शब्द-जाल अर्थात् गोल-मोल बातें करना, उलझाना। भारतीय प्रशासन की यह विशेषता है जो अन्तः क्षमता में हास का कारण बनती है।

ओ एण्ड एम इसका अर्थ है संगठन एवं प्रणाली (Organisation and Method) यह प्रशासन की सबसे अधिक प्रभावशाली व्यवस्था है, जिसकी सिफारिश ऐपल्बी ने की थी।

### 17.12 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. ग, 2. घ, 3. क, ख और ग, 4. घ, 5. ग

### 17.13 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अवस्थी-अवस्थी: भारतीय प्रशासन।
2. विष्णु भगवान-विद्याभूषण: लोक प्रशासन के सिद्धान्त।
3. डी0 रवीन्द्र प्रसाद (सम्पादन): प्रशासनिक चिन्तक।
4. एम0डी0 राय: सिविल सर्वेन्ट्स।

### 17.14 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. Warner, Richard : The Principles of Public Administration.
2. Piffner, Presthus : Public Administration.
3. Urwick : Elements of Administration.
4. L.D. White : Public Administration.

### 17.15 निबन्धात्मक प्रश्न

1. अधिकारीतंत्र की क्षमता में वृद्धि का क्या अर्थ है?
2. नौकरशाही की क्षमता के क्या अवरोध हैं?
3. नौकरशाही की क्षमता के हास के प्रशासनिक कारण क्या हैं?
4. प्रशासनिक क्षमता के घटकों को समझाइए।
5. प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि के लिए ऐपल्बी की सिफारिशों का सार लिखिए।

## इकाई- 18 लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की अवधारणा

### इकाई की संरचना

- 18.0 प्रस्तावना
- 18.1 उद्देश्य
- 18.2 लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण
- 18.3 लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की अवधारणा
- 18.4 विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता व महत्व
- 18.5 विकेन्द्रीकरण के आयाम
- 18.6 विकेन्द्रीकरण के लाभ
- 18.7 लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की समस्याएँ
- 18.8 सारांश
- 18.9 शब्दावली
- 18.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 18.11 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 18.12 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 18.13 निबन्धात्मक प्रश्न

### 18.0 प्रस्तावना

आज विश्व स्तर पर विकेन्द्रीकरण की सोच को विशेष महत्व दिया जा रहा है। प्रशासन एवं अभिशासन में आम जन की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था को अपनाना वर्तमान समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। भारत के सन्दर्भ में विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था सम्पूर्ण शासन प्रणाली के समुचित संचालन के लिए बहुत जरूरी है। भारत जैसे घनी आबादी वाले बड़े देश को, जिसकी अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, एक ही केन्द्र से शासित करना अत्यन्त कठिन है। अतः भारत जैसे विशाल देश में शासन प्रशासन के सफल संचालन के लिए विकेन्द्रीकरण शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। विश्व के परिदृश्य में गणतन्त्र व्यवस्था भारतवर्ष की देन है। प्राचीन भारत में अनेक गणतन्त्र थे तथा इनकी अपनी स्वायत्ता थी। ये गणराज्य जनतान्त्रिक व्यवस्था के आधार थे। इन गणराज्यों का संचालन जनता द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता था। गाँव इन गणराज्यों की पहली इकाई थे।

आजादी के उपरान्त भारत में प्रजातन्त्रीय शासन प्रणाली लागू की गई है। प्रजातन्त्र को 'जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन' कहा गया है। अगर प्रजातन्त्र का अर्थ 'एक आम आदमी की प्रशासन में सहभागिता है' तो विकेन्द्रीकरण का कानून विकास की प्रथम इकाई के स्तर से ही लागू होना चाहिये। किसी भी देश के विकास के लिए यह आवश्यक है कि विकास नीतियाँ, योजनाएं व कार्यक्रम एक जगह केन्द्रीय स्तर पर न बनकर शासन की विभिन्न इकाइयों के स्तर पर बनें एवं वहीं से क्रियान्वित किये जाएं। यही नहीं मूल्यांकन व अनुसरण भी उन्हीं स्तरों पर किया जाये। विकेन्द्रीकरण की जब हम बात करते हैं तो उससे तात्पर्य है कि हर स्तर पर कार्यों का बंटवारा। उपलब्ध संसाधनों को आवश्यकता व प्राथमिकता के आधार पर उपयोग करने की स्वतंत्रता और साथ ही हर स्तर पर प्रत्येक इकाई को अपने संसाधन जुटाने का भी अधिकार हो अर्थात् कार्यात्मक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वायत्ता। विकेन्द्रीकरण का तात्पर्य है कि निर्णय प्रक्रिया एक जगह से संचालित न होकर विभिन्न स्तरों से संचालित हो।



## 18.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप-

- लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के विषय में जानकारी प्राप्त कर पायेंगे।
- लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की अवधारणा को समझ पायेंगे।
- विकेन्द्रीकरण के महत्व और आवश्यकता के संबंध में जान पायेंगे।
- विकेन्द्रीकरण के आयामों और विकेन्द्रीकरण के लाभों के बारे में जान पायेंगे।
- लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के मार्ग में आने वाली बाधाओं से अवगत हो पायेंगे।

## 18.2 लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को स्पष्ट करने से पहले इन दो शब्दों लोकतंत्र और विकेन्द्रीकरण को समझना आवश्यक है।

लोकतंत्र शासन प्रक्रिया की एक पद्धति है। शासन चलाने के अनेक प्रकारों, जैसे- राजतंत्र, तानाशाही शासन, सैनिक शासन, औपनिवेशिक शासन आदि, को विश्व के अधिकांश देशों ने त्याग दिया है। अब विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्र या लोकतंत्रात्मक शासन है। लोकतंत्र को जनतंत्र भी कहा जाता है। लोकतंत्र या जनतंत्र का सीधा सा अर्थ है, लोक या जन का अर्थ है- जनता और तंत्र का अर्थ है- शासन। अर्थात् जनता का शासन। लोकतंत्र में शासन या सरकार चलाने वाले राजनेता जिन्हें जनता अपने प्रतिनिधि के रूप में चुन कर सत्ता तक पहुँचाते हैं और ये राजनेता जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप शासन चलाते हैं। लोकतंत्र की सबसे सटीक परिभाषा अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दी। लिंकन के अनुसार, “लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है।”

राजनीतिक विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल का कथन है कि “लोकतंत्र, शासन या सरकार चलाने की एक मात्र ऐसी व्यवस्था है, जो सामाजिक राज्य की सभी इच्छाओं को पूर्ण संतुष्ट करती हैं, क्योंकि लोकतंत्रात्मक शासन में सभी नागरिक भागीदारी करते हैं और अपनी हिस्सेदारी निभाते हैं।” इससे स्पष्ट है कि लोकतंत्र का मूल आधार नागरिक और शासन में उसकी सहभागिता है। वैसे भी शासन या सरकार में जब जनता की भागीदारी निरंतर होती है तो वह सकारात्मक होती है, जिसमें लोकतंत्र राजनीतिक आदर्श के बहुत निकट माना जाता है।

सामान्य भाषा में, विकेन्द्रीकरण का अर्थ है कि शासन-सत्ता को एक स्थान पर केन्द्रीत करने के बजाय उसे स्थानीय स्तरों पर विभाजित किया जाये, ताकि आम आदमी की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हो सके और वह अपने हितों व आवश्यकताओं के अनुरूप शासन-संचालन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। यही सत्ता के विकेन्द्रीकरण का मूल आधार है। अर्थात् आम जनता तक शासन-सत्ता की पहुँच को सुलभ बनाना ही विकेन्द्रीकरण है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें सारा कार्य एक जगह से संचालित न होकर अलग-अलग जगह व स्तर से संचालित होता है। उन कार्यों से सम्बन्धित निर्णय भी उसी स्तर पर लिये जाते हैं तथा उनसे जुड़ी समस्याओं का समाधान भी उसी स्तर पर होता है। जैसे त्रिस्तरीय पंचायतों में निर्णय लेने की प्रक्रिया ग्राम पंचायत स्तर, क्षेत्र पंचायत स्तर एवं जिला पंचायत स्तर से संचालित होती है। विकेन्द्रीकरण को निम्न रूपों में समझा जा सकता है-

1. विकेन्द्रीकरण वह व्यवस्था है, जिसमें विभिन्न स्तरों पर सत्ता, अधिकार एवं शक्तियों का बंटवारा होता है। अर्थात् केन्द्र से लेकर गांव की इकाई तक सत्ता, शक्ति व संसाधनों का बंटवारा। साथ ही हर स्तर अपनी गतिविधियों के लिए स्वयं जवाबदेह होता है। हर इकाई अपनी जगह स्वतन्त्र होते हुये केन्द्र तक एक सूत्र से जुड़ी रहती है।

2. विकेन्द्रीकरण का अर्थ है विकास हेतु नियोजन, क्रियान्वयन एवं कार्यक्रम की निगरानी में स्थानीय लोगों की विभिन्न स्तरों में भागीदारी सुनिश्चित हो। स्थानीय इकाइयों व समुदाय को ज्यादा से ज्यादा अधिकार व संसाधनों से युक्त करना ही वास्तविक विकेन्द्रीकरण करना है।
3. विकेन्द्रीकरण वह व्यवस्था है जिसमें सत्ता जनता के हाथ में हो और सरकार लोगों के विकास के लिए कार्य करे।

विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्था में शासन की हर इकाई स्वायत्त होती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह इकाई अपने मनमाने ढंग से कार्य करे। अपितु प्रत्येक इकाई अपने से ऊपर की इकाई द्वारा बनाये गये नियमों व कानूनों के अर्न्तगत कार्य करती है। उदाहरण के लिए भारत में राज्य सरकारें अपने राज्य के लोगों के विकास के लिए नियम-कानून, नीतियां एवं कार्यक्रम बनाने के लिए स्वतन्त्र है, लेकिन वे केन्द्रीय संविधान के प्रावधानों के अर्न्तगत ही यह कार्य करती हैं। कोई भी राज्य सरकार स्वतन्त्र होते हुए भी संविधान के नियमों से बाहर रह कर कार्य नहीं कर सकती। विभिन्न स्तरों पर अनुशासन व सामंजस्य होना विकेन्द्रीकरण प्रक्रिया की सफलता का प्रतीक है। यहाँ यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि किसी भी स्तर पर विकेन्द्रीकरण अचानक ही नहीं हो जाता, अपितु यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो धीरे-धीरे होती है। विकेन्द्रीकरण वह प्रमुख तंत्र है जिसके माध्यम से लोकतंत्र सही मायने में प्रतिनिधिक और संवेदनशील हो जाता है। इस प्रकार विकेन्द्रीकरण को लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की जड़ कहा जाता है।

लोकतंत्र, केन्द्रीकरण में नहीं पनपता, केन्द्रीकरण में तो हिंसा का वास होता है। लोकतंत्र विकेन्द्रीकरण में आवास करता है तथा अहिंसा के माध्यम से उसकी स्थापना की जा सकती है। किसी भी देश के लोगों के द्वारा शासन की भागीदारी केवल तभी सम्भव है, जब शासन-सत्ता की शक्तियों को केन्द्र से राज्य और राज्य से जिला, ब्लाक और ग्राम स्तर में विकेन्द्रीकृत की जाती हैं, जिससे समाज में सभी वर्ग एक साथ बैठ सकते हैं और अपनी समस्याओं पर चर्चा करने के साथ ही कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी कर सकते हैं।

लोकतंत्र और विकेन्द्रीकरण को समझने के उपरान्त अब हम लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को जानने का प्रयास करते हैं। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को प्रशासनिक स्थानीय इकाइयों को समर्पित शासन-सत्ता की संरचना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो स्थानीय नागरिकता के लिए सुलभ और उत्तरदायी हैं, जो पूर्ण राजनीतिक अधिकारों और स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं।

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण से आशय यह है कि सरकार में या सरकार के कार्यों में अधिक से अधिक संख्या में जनता की भागीदारी हो। तथा शासन या सत्ता के सभी स्तरों- केन्द्र, राज्य और मुख्यतः स्थानीय स्तर पर शासन-सत्ता में भागीदारी कर अपने हितों और आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाएँ बनाएँ और योजनाओं के कामकाज और लागू होने पर भी अपनी सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करें। लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण शासन करने की वह प्रणाली है जिसमें सत्ता केन्द्र से राज्यों में और राज्यों से जिलों में और जिलों से यह स्थानीय स्तर पर पंचायतों और नगर-निकायों तक जाती है। स्थानीय स्तर की सत्ता ही इस लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का केन्द्र बिन्दु है। जहाँ सत्ता स्थानीय स्तर पर सशक्त बनती है और स्थानीय सरकारें अपनी आवश्यकता के अनुसार निर्णय लेकर उन्हें लागू करवा सकती है। इस प्रकार लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण में सत्ता का हस्तांतरण ऊपर से निचे की ओर अर्थात् केन्द्र से होकर स्थानीय स्तर तक किया जाता है। सत्ता के हस्तांतरण का यह लाभ होता है कि स्थानीय स्तर पर जनता राजनीतिक निर्णयों को ले पाती है और उनको लागू कराने में भी सक्षम रहती है। प्रशासन के कार्यों की निगरानी करते हैं, उस पर आंकुश भी लगाते हैं और फिजुलखर्ची को रोकने में भी अपनी भूमिका निभाते हैं।

इस प्रकार अगर देखा जाए तो लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण आदर्श राजनीति का उदाहरण प्रस्तुत करती है। भारत में स्थानीय शासन यानि पंचायती राज संस्थाएँ और नगर-निकाय लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के ठोस और आदर्श उदाहरण हैं। पंचायती राज और नगर निकायों के रूप में भारत ने लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का एक नया स्वरूप

बनाया है, जिससे हर कोई भारतीय परिचित है। अंत में यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया लोकतंत्र को कल्याणकारी राज्य के अधिक निकट लाती है। स्थानीय स्वशासन और लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण दोनों एक-दूसरे के पर्यायवाची हैं, क्योंकि दोनों का मूल उद्देश्य शासन के कार्यों में लोगों की अधिकतम सहभागिता और स्वायत्ता प्राप्त करना होता है।

हालांकि, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का मुख्य उद्देश्य शासन-सत्ता की संरचना के पारंपरिक दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन लाना है। इस प्रकार, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण है। जिस स्रोत से यह शक्ति विकेन्द्रीकृत है वह लोकतांत्रिक संरचना पर आधारित है और इसलिए, इस तरह के विकेन्द्रीकरण को लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण कहा जाता है। इसके अलावा, जिस अधिकार पर सत्ता का प्रतिनिधि होना है वह भी लोकतांत्रिक ढंग से आयोजित किया जाता है।

### 18.3 लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की अवधारणा

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण एक राजनीतिक अवधारणा है। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण प्रक्रिया के माध्यम से शक्ति को ऊपर से नीचे तक फैलाया जाता है। इस तरह के विकेन्द्रीकरण का उद्देश्य प्राधिकरण और विशेषज्ञता के क्षेत्र का विस्तार करना और लोगों को राजनीति और प्रशासनिक मामलों में अधिक से अधिक भागीदारी करने में सक्षम बनाना है।

जब हम लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की अवधारणा की बात करते हैं तो यह समझना आवश्यक है कि विकेन्द्रीकरण का विचार करते ही हम किन-किन व्यवस्थाओं का शासन-सत्ता के स्तर पर विचार करते हैं। इन विचारों में हम सत्ता का अकेन्द्रीकरण हस्तान्तरण और प्रत्यायोजन जैसी मान्यताओं का प्रयोग करते हैं। ये सभी मान्यताएँ अलग-अलग परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा विकेन्द्रीकरण की अवधारणा को भी स्पष्ट करते हैं। अतः हम विकेन्द्रीकरण की अवधारणा के रूप में इन मान्यताओं का अध्ययन करते हैं।

1. **अकेन्द्रीकरण-** इस मान्यता के अनुसार शासन-सत्ता केन्द्र से निकल कर स्थानीय प्रशासन तक जाती है, जिसमें सत्ता भौगोलिक आधार पर हस्तांतरित होती है। इसमें केन्द्रीय प्रशासन द्वारा स्थानीय प्रशासन को सत्ता सौंपी जाती है। जैसे कोई भी जिला अधिकारी अपने जिले के हर विभाग का प्रमुख होता है, और इस व्यवस्था के तहत प्रशासनिक जिम्मेदारियों का पुनः बंटवारा होता है तथा इसमें जबाबदेही और जिम्मेदारी निचे से ऊपर की ओर एक चैन के रूप में आती है और अन्ततः जिला अधिकारी अपने मुख्यालय प्रशासन के प्रति जिम्मेदार होता है।
2. **प्रत्यायोजन-** प्रत्यायोजन से आशय है प्रतिनिधि की नियुक्ति, जिसमें किसी विशेष कार्य के लिए प्रतिनियुक्ति करना। विकेन्द्रीकरण की इस अवधारणा के तहत नीति-निर्माण तथा प्रबन्धकीय व्यवस्था के प्रमुख कार्यों को निपटाने के लिए कुछ ऐसे संगठनों को प्रतिनियुक्त किया जाता है जो सीधे तौर पर केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों की निगरानी में कार्य नहीं करते। जिन संगठनों को ये कार्य सौंपे जाते हैं, वे अपनी जिम्मेदारियाँ अर्द्ध-स्वतंत्र परिस्थितियों में पूर्ण करते हैं और ये भी संभव है कि वे किसी सरकारी ढांचे से भीतर रह कर कार्य न कर रहे हों। अधिकांश विकासशील देशों में यह देखा गया है कि ज्यादातर विकास योजनाएँ लोक निगमों तथा क्षेत्रीय विकास संस्थानों द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं।
3. **हस्तांतरण-** विकेन्द्रीकरण की यह अवधारणा वैधानिक और राजनीति प्रक्रिया से जुड़ी है। जिसमें सत्ता केन्द्र सरकार से राज्य सरकारों को और राज्य सरकारों से स्थानीय स्तर की सरकारों (पंचायतों और नगर निकायों) को सौंपी (हस्तांतरित) जाती है। हस्तांतरण की इस प्रक्रिया में जिम्मेदारी/जबाबदेही दोनों ओर से होती है। एक ओर केन्द्र और राज्य सरकारों के प्रति जबाबदेही होती है और दूसरी ओर जनता के प्रति जबाबदेही होती है, जिन्होंने उन्हें चुना होता है।

विकेन्द्रीकरण की दो अवधारणाओं- अकेन्द्रीकरण और प्रत्यायोजन के पिछे प्रशासनिक ताना-बाना होता है, जबकि हस्तांतरण की अवधारणा वैधानिक और राजनीतिक पहलू से जुड़ी होती है।

#### 18.4 विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता व महत्व

शासन व सत्ता में आम जन की भागीदारी सुशासन की पहली शर्त है। जनता की भागीदारी को सत्ता में सुनिश्चित करने के लिए विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था ही एक कारगर उपाय है। विश्व स्तर पर इस तथ्य को माना जा रहा है कि लोगों की सक्रिय भागीदारी के बिना किसी भी प्रकार के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। विकेन्द्रीकृत व्यवस्था ही ऐसी व्यवस्था है जो कार्यों के समुचित संचालन व कार्यों को करने में पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं जबाबदेही को हर स्तर पर सुनिश्चित करने के रास्ते खोलती है। प्रत्येक स्तर पर लोग अपने अधिकारों एवं शक्तियों का सही व संविधान के दायरे में रह कर प्रयोग कर सकें, इसके लिए विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता महसूस की गई है। इस व्यवस्था में अलग-अलग स्तरों पर लोग अपनी भूमिका एवं जिम्मेदारियों को समझकर उनका निर्वाहन करते हैं। प्रत्येक स्तर पर एक-दूसरे के सहयोग व उनमें आपसी सामंजस्य से हर स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का, आवश्यकता व प्राथमिकता के आधार पर उपयोग करने की स्वतंत्रता मिलती है। साथ ही हर स्तर पर प्रत्येक इकाई को अपने संसाधन स्वयं जुटाने का भी अधिकार व जिम्मेदारी होती है। लेकिन विकेन्द्रीकरण का अर्थ यह नहीं कि हर कोई अपने-अपने मनमाने ढंग से कार्य करने के लिए स्वतन्त्र है। कार्य करने की स्वतन्त्रता सुशासन के संचालन के लिए बनाये गये नियम-कानूनों के दायरे के अन्दर होती है।

विकेन्द्रीकरण का महत्व इसलिए भी है कि इस व्यवस्था द्वारा सामाजिक न्याय व आर्थिक विकास की योजनाएँ लोगों की सम्पूर्ण भागीदारी के साथ स्थानीय स्तर पर ही बनेंगी व स्थानीय स्तर से ही लागू होंगी। पहले केन्द्र में योजना बनती थी और वहाँ से राज्य में आती थीं व राज्य द्वारा जिला, ब्लाक व गांव में आती थी। लेकिन भारत में अब नये पंचायती राज में विकेन्द्रीकरण की पूर्ण व्यवस्था की गई है। जिसके अनुसार ग्राम स्तर पर योजना बनेगी व ब्लाक, जिला व राज्य से होती हुई केन्द्र तक पहुँचेगी। योजनाओं का क्रियान्वयन भी ग्राम स्तर पर स्थानीय शासन द्वारा होगा। इस प्रकार विकेन्द्रीकरण के माध्यम से सत्ता व शक्ति एक केन्द्र में न रहकर विभिन्न स्तरों पर विभाजित हो गई है। जिसके माध्यम से स्थानीय व ग्रामीण लोगों को प्रशासन में पूर्ण भागेदारी निभाने का अधिकार प्राप्त हो गया है।

#### 18.5 विकेन्द्रीकरण के आयाम

विकेन्द्रीकरण को किन माध्यमों से आगे बढ़ाया जा सकता है या उसका विस्तार किया जा सकता है, इसे जानने के लिए इसके तीन आयामों की चर्चा करते हैं-

1. **कार्यात्मक स्वायतता-** इसका अर्थ है, सत्ता के विभिन्न स्तरों पर कार्यों का बंटवारा। अर्थात् हर स्तर अपने स्तर पर कार्यों से सम्बन्धित जिम्मेदारियों के लिए जवाब देह होगा।
2. **वित्तीय स्वायतता-** इस के अर्न्तगत हर स्तर की इकाई को उपलब्ध संसाधनों को आवश्यकतानुसार खर्च करने व अपने संसाधन स्वयं जुटाने के अधिकार होता है।
3. **प्रशासनिक स्वायतता-** प्रशासनिक स्वायतता का अर्थ है, हर स्तर पर आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था हो तथा इससे जुड़े अधिकारी/कर्मचारी जनप्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह हों।

#### 18.6 विकेन्द्रीकरण के लाभ

विकेन्द्रीकरण के लाभों को निचे दिये बताये गये बिन्दुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं-

1. स्थानीय स्तर पर स्थानीय समस्याओं को समझकर उनका समाधान आसानी से किया जा सकता है। स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने से कार्य तेजी से होंगे। कार्यों के क्रियान्वयन में अनावश्यक बिलम्ब नहीं होगा। साथ ही विकास कार्यों के लिए उपलब्ध धनराशि का उपयोग स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों की निगरानी में होगा। इससे पैसे का दुरुपयोग कम होगा।
2. विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्था से विकास योजनाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन में स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होती है। विकास कार्यों की प्राथमिकता स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप तय की जायेगी व विकास कार्यक्रम ऊपर से थोपने के बजाय स्थानीय स्तर पर तय किये जायेंगे।
3. विकास कार्यों का स्थानीय स्तर पर नियोजन एवं क्रियान्वयन किये जाने से उनका प्रभावी निरीक्षण होगा। नियोजन में स्थानीय समुदाय की भागीदारी होने से कार्यों के क्रियान्वयन व निगरानी में भी उनकी सक्रिय भागीदारी बढ़ेगी। इससे कार्य समय पर पूरे होंगे तथा उनकी गुणवत्ता में सुधार होगा।
4. स्थानीय स्तर पर स्थानीय साधनों के उपयोग से अपना कोष विकसित होने व कार्य करने से कार्य की लागत भी कम आयेगी।

विकेन्द्रीकृत की सोच स्थानीय स्तर पर लोकतान्त्रिक तरीके से चयनित सरकार पर जोर देती है एवं यह भी सुनिश्चित करती है कि स्थानीय इकाई को सभी अधिकार, शक्तियां व संसाधन प्राप्त हों। ताकि वे स्वतन्त्र रूप से कार्य कर सकें व अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के अनुरूप विकास कर सकें।

### 18.7 लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की समस्याएँ

विश्व के देशों को दो भागों में बांटा गया है- विकसित देश और विकासशील देश। विकसित देशों के श्रेणी में विश्व के वो देश आते हैं, जो कभी गुलाम या उपनिवेश नहीं रहे या जिन्होंने विश्व के देशों को अपना उपनिवेश बना कर बहुत आर्थिक उन्नति की या वो देश जिन्होंने बहुत पहले गुलामी से आजादी पा कर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तौर पर बहुत तरक्की कर ली। इन देशों को हम पश्चिम के देश और यूरोपीय देशों के नाम से जानते हैं। वहीं दूसरी ओर विकासशाली देश हैं, जो बहुत लम्बे समय तक गुलाम रहे, उपनिवेश बने रहे और एक लम्बे संघर्ष के उपरान्त उन्हें आजादी प्राप्त हुई, जिन्हें तीसरी दुनिया के देश भी कहा जाता है। अधिकतर विकासशील देश दुसरे विश्व युद्ध के उपरान्त और 50 या 60 के दशक में आजाद हुए। लेकिन ये सभी देश गुलामी के कारण आर्थिक तौर पर बहुत पिछड़ गये थे। विकासशाली देशों ने अपनी आजादी के उपरान्त लोकतंत्रीय शासन प्रणाली को अपनाया। परन्तु अपने धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधता के कारण इन देशों में लोकतंत्र को मजबूती के साथ स्थापित करने में अनेक कठिनाईयां आयी जो वर्तमान समय तक चली आ रही हैं। आम जन की शासन-सत्ता में भागीदारी के लिए सत्ता के केन्द्रीकरण के स्थान पर विकेन्द्रीकरण को अनपाया गया। लेकिन विकासशील देशों में अनेक ऐसी समस्याएँ हैं जो लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की सफलता के मार्ग में अनेक बांधाएँ पैदा कर रही हैं। आइये इनका अध्ययन करते हैं-

1. **समन्वय की समस्या-** लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण का मुख्य ध्येय है, शासन की पहुँच को निचले स्तर तक पहुँचाना और स्थानीय स्तर पर स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थानीय संस्थाओं को वैधानिक शक्ति प्राप्त हो, ताकि स्थानीय स्तर पर लोग विकास की योजनाएँ बना सकें और उसके मार्ग में आने वाली बांधाओं के समाधान के लिए रास्ता खोज सकें। इसके लिए यह आवश्यक है कि स्थानीय स्तर की इन इकाईयों में आपसी समन्वय या तालमेल हो। अगर समन्वय की कमी रहेगी तो विकास कार्यों के लिए किये गये सभी मानवीय प्रयास, साधन और धन की हानि होगी। इसलिए यह आवश्यक है

कि इन इकाईयों के बीच समन्वय स्थापित हो और बिना किसी दोहराव और संघर्ष के विकास कार्य आगे बढ़ सकें।

2. **व्यवधान की समस्या-** विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए यह आवश्यक है कि केन्द्रीय प्रशासन को अपनी कार्यशैली में परिवर्तन करते हुए यह समझना होगा कि उसका उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में सहायता पहुँचाना और सलाह देना है न कि किसी प्रकार व्यवधान उत्पन्न करना। जब केन्द्रीय प्रशासन की यह सोच होगी कि उसका काम नियंत्रण करना है इससे केन्द्र से लेकर स्थानीय इकाईयों के बीच विवाद पैदा होगा और प्रशासनिक कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होगा।
3. **आदेश या संदेश की समस्या-** प्रशासनिक स्तर पर विभिन्न इकाईयों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो संदेश या आदेश भेजे जाते हैं, वे उपर के प्रशासनिक इकाईयों से निचे के प्रशासनिक इकाईयों को भेजे जाते हैं। ये व्यवस्था पूरी तरह से एकतरफा है और ये अधिकांश विकासशील देशों के प्रशासन की एक मुख्य समस्या है। चूंकि इन देशों में निचे के प्रशासनिक इकाईयों से उपर की प्रशासनिक इकाईयों को संदेश भेजने की कोई स्थाई व्यवस्था नहीं पायी जाती है जिस कारण आवश्यकता के अनुरूप नीतियां नहीं बन पाती हैं और नीतियां अपने लक्ष्य से परे होती हैं। जिसके चलते लालफिताशाही और कार्यों में दोहराव की समस्या पैदा हो जाती है।
4. **नेतृत्व प्रणाली एक समस्या-** विकास के कार्यों नेतृत्व प्रणाली भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में होती है। विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया में नेतृत्व को एक सबसे बड़ी समस्या के रूप में देखा गया। विकासशील देशों में और खासकर भारत में नेतृत्व विकास के कार्यों में एक बड़ी भूमिका में होता है और उसकी यह भूमिका कई बार विकास के कार्यों में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। इसके पिछे कारण ये है कि नौकरशाही किस्म का यह नेतृत्व बहुत शक्तिशाली है और अपने राजनीतिक स्वार्थों ने लिए यह नेतृत्व अधिकांश अवसरों पर विकास प्रक्रिया को प्रभावित करता है।

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया में इन समस्याओं के समाधान का उचित और निर्णायक मार्ग खोजना होगा, तभी लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को केन्द्रीय प्रशासन से लेकर स्थानीय प्रशासन की इकाईयों तक विकास कार्यों के निर्माण, देख-रेख और नियंत्रण करने की स्वायत्ता प्राप्त होगी।

#### अभ्यास प्रश्न-

1. विकेन्द्रीकरण वह व्यवस्था है जिसमें विभिन्न स्तरों पर सत्ता, अधिकार एवं शक्तियों का बँटवारा होता है। सत्य/असत्य
2. शासन सत्ता में आम जन की भागीदारी..... की पहली शर्त है।
3. “जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन” लोकतंत्र की यह परिभाषा किसने दी?

#### 18.8 सारांश

विकेन्द्रीकरण की अवधारणा कोई नई अवधारणा नहीं है। यह किसी न किसी रूप में विद्यमान रही है। शासन व्यवस्था के सफल संचालन और आम नागरिक की शासन-प्रणाली में भागीदारी के लिए सत्ता विकेन्द्रीकरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। विकेन्द्रीकरण के अध्ययन से यह बात निकल कर आती है कि शक्ति या सत्ता का विकेन्द्रीकरण प्रशासन के मुकाबले राजनीतिक अधिक होना चाहिए। प्रशासनिक तौर पर आप सत्ता को निचले स्तर पर पहुँचा दें, उसमें सत्ता की शक्ति तो रहती है, लेकिन विकेन्द्रीकरण नहीं रह जाता। जब तक जनता की भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी यह सत्ता के स्तर पर दिखावटी विकेन्द्रीकरण होगा। प्रशासन के हर स्तर पर राजनीति का नियंत्रण और निगरानी होनी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व के माध्यम से ही जनता सत्ता से जुड़ी



रह सकती है। साथ ही सत्ता से जुड़े राजनीतिज्ञों को भी विकेन्द्रीकरण के उद्देश्यों और प्रक्रिया पर विश्वास होना चाहिए।

### 18.9 शब्दावली

विकेन्द्रीकरण- एक जगह पर केन्द्रित न होना/एक स्थान पर ही एकत्र न होना, विश्व परिदृश्य- विश्व के संदर्भ में/पूरी दुनियां में, सामंजस्य- समान भाव/समता, सुशासन- अच्छा शासन/जन- प्रिय शासन

### 18.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. सत्य, 2. सुशासन, 3. अब्राहम लिंकन

### 18.11 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. पंचायत वार्ता, (जुलाई-सितम्बर 1999), सहभागी शिक्षण केन्द्र, लखनऊ।
2. कुछ आम सवाल- यहाँ मिलेंगे उनके जवाब, नगरीय स्वशासन, 2005, संसर्ग पटना एवं प्रिया नई दिल्ली।

### 18.12 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. भारत में पंचायती राज- के0 के0शर्मा।
2. भारत में स्थानीय शासन- एस0 आर0 माहेश्वरी।
3. भारतीय प्रशासन- अवस्थी एवं अवस्थी।

### 18.13 निबन्धात्मक प्रश्न

1. विकेन्द्रीकरण से आप क्या समझते हैं? लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की अवधारणा को स्पष्ट करें।
2. विकेन्द्रीकरण के आवश्यकता और महत्व को स्पष्ट करते हुए विकेन्द्रीकरण की समस्याओं पर चर्चा करें।
3. लोकतंत्र में विकेन्द्रीकरण के महत्व को स्पष्ट करें।

## इकाई- 19 पंचायती राज का उद्-भव, भूमिका और उभरते प्रतिमान

### इकाई की संरचना

#### 19.0 प्रस्तावना

#### 19.1 उद्देश्य

#### 19.2 भारत में पंचायती राज के उद्-भव

##### 19.2.1 प्राचीन काल में भारत में पंचायती राज

##### 19.2.3 मध्य काल में भारत में पंचायती राज

##### 19.2.3 स्वतंत्रता पूर्व भारत में पंचायती राज

##### 19.2.4 स्वतंत्रता पश्चात भारत में पंचायती राज का उद्-भव

#### 19.3 पंचायती राज की भूमिका

#### 19.4 पंचायती राज के उभरते प्रतिमान

##### 19.4.1 आन्ध्र प्रदेश का प्रतिमान

##### 19.4.2 महाराष्ट्र का प्रतिमान

##### 19.4.3 अरुणांचल प्रदेश का प्रतिमान

#### 19.5 सारांश

#### 19.6 शब्दावली

#### 19.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

#### 19.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

#### 19.9 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

#### 19.10 निबन्धात्मक प्रश्न

### 19.0 प्रस्तावना

पंचायती राज का इतिहास कोई नया नहीं अपितु यह आदिकाल से हमारी पुरातन धरोहर है। भारतीय ग्रामीण व्यवस्था में सामुदायिकता की भावना प्राचीन काल से विद्यमान रही है। इसी सामुदायिकता व परम्परागत संगठन के आधार पर पंचायत व्यवस्था का जन्म हुआ। इसीलिए हमारे देश में पंचायतों की व्यवस्था भी सदियों से चली आ रही है। भारतीय संस्कृति के विकास के साथ पंचायती व्यवस्था का जन्म और विकास हुआ। पंचायत शब्द पंच+आयत से बना है। पंच का अर्थ है समुदाय या संस्था तथा आयत का अर्थ है विकास या विस्तार। अतः सामूहिक रूप से गांव का विकास ही पंचायत का वास्तविक अर्थ है। ये संस्थाएँ हमारे समाज की बुनियादी संस्थाएँ हैं और किसी ना किसी रूप में ये संस्थाएँ हमारी संस्कृति व शासन प्रणाली का अभिन्न हिस्सा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, प्रशासन व न्याय की जिम्मेदारी इन्हीं संस्थाओं की थी। राजा-महाराजा भी स्थानीय स्तर पर काम काज के संचालन हेतु इन्हीं संस्थाओं पर निर्भर रहते थे। स्थानीय स्तर पर सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में ना रह कर सामूहिक रहती थी, इसीलिए इन्हें गणतन्त्र की स्थानीय इकाईयों के रूप में मान-सम्मान दिया जाता था। ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों में शासन प्रबन्ध, शान्ति और सुरक्षा की एकमात्र संस्थाएँ रही हैं। डाक्टर राधाकुमुन्द मुखर्जी ने लिखा है कि ये समस्त जनता की सामान्य सभा के रूप में अपने सदस्यों के समान अधिकारों, स्वतंत्रताओं के लिए निर्मित होती हैं ताकि सब में समानता, स्वतंत्रता तथा बन्धुत्व का विचार दृढ़ रहे। अतः यह कहा जा सकता है कि हमारे देश में पंचायती राज का गौरवशाली अतीत रहा है।

हम 90 के दशक में भारत सरकार द्वारा पंचायतों को नया स्वरूप देने के उद्देश्य से भारतीय संविधान में किये गये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन समय में भी देश के गांवों का पूरा कामकाज पंचायतों ही चलाती थी। लोग इस संस्था को गहरी आस्था व सम्मान की की दृष्टि से देखते थे, इसलिये इसका निर्णय भी सब को मान्य होता था। इसी धारणा को ध्यान में रख कर व सामान्य व्यक्ति की शासन में भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों को संवैधानिक स्थान देने की आवश्यकता हुई। जिसके लिए संविधान का 73वां संविधान संशोधन किया गया। जिसका विस्तृत अध्ययन आप इस अध्याय में करेंगे।

### 19.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप-

- पंचायती राज के उद्-भव के सम्बन्ध में जान पायेंगे।
- पंचायती राज के विकास के लिए किये गये प्रयासों के बारे में जान पायेंगे।
- स्थानीय स्वशासन में पंचायतों की भूमिका से अवगत हो पायेंगे।
- पंचायती राज के उभरते प्रतिमानों के सन्दर्भ में जान पायेंगे।

### 19.2 भारत में पंचायती राज का उद्-भव

भारत में पंचायती राज के उद्-भव एवं विकास को समझने के लिए भारत में प्राचीन काल से लेकर पंचायतों को संवैधानिक प्रदान कराने के लिए जो-जो प्रयास किए गये उनका अध्ययन करते हैं-

#### 19.2.1 प्राचीन काल में भारत में पंचायती राज

प्राचीन काल में पंचायतों का स्वरूप कुछ और था। यद्यपि इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था, लेकिन गांवों से जुड़े विकास व न्याय सम्बन्धित निर्णयों के लिए ये संस्थाएँ पूर्ण रूप से जिम्मेदार थीं। प्राचीन काल में गांवों में पंच-परमेश्वर की प्रणाली मौजूद थी। गांव में सर्वसहमति से चुने गये पाँच गणमान्य व बुद्धिमान व्यक्तियों को गांव में न्याय व्यवस्था बनाने व गांव के विकास हेतु निर्णय लेने का अधिकार था। उन्हें तो पंच-परमेश्वर तक कहा जाता था। पंच परमेश्वर द्वारा न्याय को सरल और सुलभ बनाने की प्रथा काफी मजबूत थी। उस समय ये पंच एक संस्था के रूप में कार्य करते थे। गांव के झगड़े, गांव की व्यवस्थायें सुधारना जैसे मुख्य कार्य पंच परमेश्वर संस्था किया करती थी। उसके कायदे कानून लिखित नहीं होते थे फिर भी उनका प्रभाव समाज पर ज्यादा होता था। पंचों के फैसले के खिलाफ जाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। पंचों का सम्मान बहुत था व उनके पास समाज का भरोसा और ताकत भी थी। लोग पंचों के प्रति बड़ा विश्वास रखते थे और उनका निर्णय सहज स्वीकार कर लेते थे। पंच परमेश्वर भी बिना किसी पक्षपात के कोई निर्णय किया करती थी। मुंशी प्रेमचन्द ने अपनी कहानी पंच परमेश्वर द्वारा प्राचीन काल में स्थापित इस पंच प्रणाली को काफी सरल तरीके से समझाया है। प्राचीन काल में जातिगत व कबाइली पंचायतों का भी जिक्र भी मिलता है। इन पंचायतों के प्रमुख गांव के विद्वान व कबीले के मुखिया हुआ करते थे। इन पंचायतों में कोई भी निर्णय लेने हेतु तब तक विचार-विमर्श किया जाता था, जब तक कि सर्वसहमति से निर्णय ना हो जाये।

राजा-महाराजा काल में स्थानीय स्वशासन को काफी महत्व दिया गया। उनके द्वारा भी जनता को सत्ता सौंपने की प्रथा को अपनाया गया। भारत जैसे विशाल देश को एक केन्द्र से शासित करना राजाओं व सम्राटों के लिए सम्भव नहीं था। अतः राज्य को सूबों, जनपद, ग्राम समितियों अथवा ग्राम सभाओं में बांटा गया। वेदों, बौद्ध ग्रन्थों, जातक कथाओं, उपनिषदों आदि में इस व्यवस्था के रूप में पंचायतों के आस्तित्व के पूर्ण साक्ष्य मिलते हैं। मनुस्मृति तथा

महाभारत के शांति-पर्व में ग्राम सभाओं का उल्लेख है। रामायण में इसका वर्णन जनपदों के नाम से आता है। महाभारत काल में भी इन संस्थानों को पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त थी। वैदिक कालीन तथा उत्तर-वैदिक कालीन इतिहास के अवलोकन में यह बात स्पष्ट हो गई है कि प्राचीन भारत का प्रत्येक ग्राम एक छोटा सा स्वायत्त राज्य था। इस प्रकार के कई छोटे-छोटे गांव व छोटे-छोटे प्रादेशिक संघ मिलकर बड़े संघ बन जाते थे। संघ पूर्णतः स्वावलम्बी थे तथा एक-दूसरे से बड़ी अच्छी तरह जुड़े हुए तथा सम्बन्धित थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी गांव के छोटे-छोटे गणराज्य की बात कही गई है। सर चार्ल्स मेटकाफ ने तो पंचायतों के लिये गांवों को छोटे-छोटे गणतन्त्र कहा था जो स्वयं में आत्मनिर्भर थे। बौद्ध व मौर्य काल के समय पंचायतों के आस्तित्व की बात कही गई है। बौद्ध काल के संघों की कार्य-पद्धति ग्राम राज्य की प्रथा को दर्शाती है। बौद्ध संघों के शासन की प्रणाली वस्तुतः भारत की ग्राम पंचायतों तथा ग्राम संघों से ही ली गई थी। गुप्त काल में भी ग्राम समितियां पंचायतों के रूप में कार्य करती थीं। चन्द्रगुप्त के दरबार में रहने वाले यूनानी राजदूत मैगस्थनीज के वृत्तान्त से उसके बारे में काफी सामग्री मिलती है। मैगस्थनीज के वृत्तान्त से उस समय के नगर प्रशासन तथा ग्राम प्रशासन पर खासा प्रकाश पड़ता है। नगरों का प्रशासन भी पंचायती प्रणाली से ही होता था और पाटलिपुत्र का प्रशासन उसकी सफलता का सूचक है। मैगस्थनीज के अनुसार, नगर प्रशासन भी ग्राम प्रशासन की तरह ही होता था। नगर का शासन एक निर्वाचित संस्था के हाथ में होता था, जिसमें 30 सदस्य होते थे। सदस्य 6 समितियों में विभक्त होते थे। प्रत्येक समिति अलग-अलग विषयों का प्रबन्धन करती थी। कुछ विषय अवश्य ऐसे थे जो सीधी राजकीय नियंत्रण में होते थे।

प्राचीन काल में राजा लोग महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय इन पंचायतों से पूर्ण विचार-विमर्श करते थे। स्थानीय स्वशासन की ये संस्थाएँ स्थानीय स्तर पर अपना शासन खुद चलाती थीं। लोग अपने विकास के बारे में खुद सोचते थे, अपनी समस्याएँ स्वयं हल करते थे एवं अपने निर्णय स्वयं लेते थे। वास्तव में जिस स्वशासन की बात हम आज कर रहे हैं, असली स्वशासन वही था। यह कह सकते हैं कि हमारे गांव का काम गांव में और गांव का राज गांव में था। पंचायतें हमारे गांव समाज की ताकत थीं।

ग्रामों के इन संगठनों की सफलता का रहस्य केवल यह था कि ग्रामीण अपने अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों की अधिक चिंता करते थे। इस तरह भारत के ग्रामों के संगठन की परम्परा उत्पन्न हुई, पनपी और इसमें दीर्घकाल तक सफलता से देश के ग्रामीणों को समृद्ध, सुसम्पन्न तथा आत्मनिर्भर बनाया। पंचायतों के कारण ही काफी समय तक विदेशी अपना आर्थिक प्रभुत्व जमाने में असमर्थ रहे।

### 19.2.2 मध्यकाल में भारत में पंचायती राज

मध्य काल में पंचायतों के विकास पर खास ध्यान नहीं दिया गया। इस दौरान समय-समय पर विदेशियों के आक्रमण भारत में हुए। मुगलों के भारत में आधिपत्य के साथ ही शासन प्रणाली में नकारात्मक बदलाव आये। लोगों की अपनी बनाई हुई व्यवस्थाएँ चरमराकर धराशायी हो गईं। समस्त सत्ता व शक्ति बादशाह व उसके खास कर्मचारियों के हाथों में केन्द्रित हो गयी। यद्यपि मुगल बादशाह अकबर द्वारा स्थानीय स्वशासन को महत्व दिया गया और उस समय ग्राम स्तरीय समस्त कार्य पंचायतों द्वारा ही किया जाता था। अन्य शासकों के शासनकाल में पंचायत व्यवस्था का धीरे-धीरे विघटन का दौर शुरू हुआ जो ब्रिटिश काल के दौरान भी अंग्रेजों की केन्द्रीकरण की नीति के कारण चलता रहा। पंच-परमेश्वर प्रथा की अवहेलना से पंचायतों व स्थानीय स्वशासन को गहरा झटका लगा। जिसके परिणाम स्वरूप जो छोटे-छोटे विवाद पहले गांव में ही सुलझ जाया करते थे अब वह दबाये जाने लगे व सदियों से चली आ रही स्थानीय स्तर पर विवाद निपटाने की प्रथा का स्थान कोर्ट कचहरी ने लेना शुरू किया। जिन प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा व उपयोग गांव वाले स्वयं करते थे, वे सब अंग्रेजी शासन के अर्न्तगत आ गये और उनका प्रबन्धन भी सरकार के हाथों चला गया। स्थानीय लोगों के अधिकार समाप्त हो गये।

कुल मिला कर यह कहा जा सकता है कि स्थानीय स्वशासन की परम्परा प्राचीन काल में काफी मजबूत थी। स्थानीय स्वशासन की संस्थाएँ जन-समुदाय की आवाज हुआ करती थी। वर्तमान की पंचायत व्यवस्था का मूल आधार हमारी पुरानी सामुदायिक व्यवस्था ही है। यद्यपि मध्यकाल व ब्रिटिश काल में पंचायती राज व्यवस्था लडखड़ा गई थी, लेकिन स्वतन्त्रता के पश्चात स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने के लिए पुनः प्रयास शुरू हुए और पंचायती राज व्यवस्था भारत में पुनः स्थापित की गई। जिसके बारे में आप विस्तार से पढ़ेंगे।

### 19.2.3 स्वतंत्रता से पूर्व भारत में पंचायती राज

स्वतन्त्रता पूर्व पंचायतों की मजबूती व सुदृढ़ीकरण (Strengthening) हेतु विशेष प्रयास नहीं हुए इसके विपरीत पंचायती राज व्यवस्था लडखड़ाती रही। मध्य काल में मुस्लिम राजाओं का शासन भारत के विभिन्न हिस्सों में फैल गया। यद्यपि स्थानीय शासन की संस्थाओं की मजबूती के लिए विशेष प्रयास नहीं किये गये, परन्तु मुस्लिम शासन ने अपने हितों में पंचायतों का काफी उपयोग किया। जिसके फलस्वरूप पंचायतों के मूल स्वरूप को धक्का लगा और वे केन्द्र के हाथों की कठपुतली बन गई। सम्राट अकबर के समय स्थानीय स्वशासन को पुनः मान्यता मिली। उस काल में स्थानीय स्वशासन की इकाइयां कार्यशील बनीं। स्थानीय स्तर पर शासन के सारे कार्य पंचायतों ही करती थीं और शासन उनके महत्व को पूर्णतः स्वीकार करता था। लेकिन मुस्लिम काल के इतिहास को अगर समग्र रूप में देखा जाए तो इस काल में स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को मजबूती नहीं मिल सकी।

ब्रिटिश काल के दौरान भी प्राचीन पंचायत व्यवस्था लडखड़ाती रही। अंग्रेजों शासन काल में सत्ता का केन्द्रीकरण हो गया और दिल्ली सरकार पूरे भारत पर शासन करने लगी। केन्द्रीकरण की नीति के तहत अंग्रेज तो पूरी सत्ता अपने कब्जे में करके एक-क्षत्र राज चाहते थे। भारत में विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था उन्हें अपने मनसूबों को पूरा करने में एक रुकावट लगी। इसलिये अंग्रेजों ने हमारी सदियों से चली आ रही स्थानीय स्वशासन की परम्परा व स्थानीय समुदाय की ताकत को तहस-नहस कर शासन की अपनी व्यवस्था लागू की। जिसमें छोटे-छोटे सूबे तथा स्थानीय स्वशासन की संस्थाएँ कमजोर बना दी गई या पूरी तरह समाप्त कर दी गईं। धीरे-धीरे सब कुछ अंग्रेजी सरकार के अधीन होता गया। सरकार की व्यवस्था मजबूत होती गई और समाज कमजोर होता गया। परिणाम यह हुआ कि यहाँ प्रशासन का परम्परागत रूप करीब-करीब समाप्त प्राय हो गया और पंचायतों का महत्व काफी घट गया। अंग्रेजी राज की बढ़ती ताकत व प्रभाव से आम आदमी दबाव में था। समाज में असंतोष बढ़ने लगा, जिसके कारण सन् 1909 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक विकेन्द्रीकरण कमीशन की नियुक्ति की गई। सन् 1919 में 'मांटेस्क्यू चेम्सफोर्स सुधार' के तहत एक अधिनियम पारित करके पंचायतों को फिर से स्थापित करने का काम प्रान्तीय शासन पर छोड़ दिया। अंग्रेजों की नियत तब उजागर हुई, जब एक तरफ पंचायतों को फिर से स्थापित करने की बात कही और दूसरी तरफ गांव वालों से नमक तक बनाने का अधिकार छुड़ा लिया। इसी क्रम में सन् 1935 में लार्ड वैलिंग्टन के समय भी पंचायतों के विकास की ओर थोड़ा बहुत ध्यान दिया गया, लेकिन कुल मिलाकर ब्रिटिशकाल में पंचायतों को फलने-फूलने के अवसर कम ही मिले।

### 19.2.4 स्वतन्त्रता के बाद भारत में पंचायती राज

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात पंचायतों के पूर्ण विकास के लिये प्रयत्न शुरू हुए। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी स्वराज और स्वावलम्बन के लिये पंचायती राज के प्रबलतम समर्थक थे। गाँधी जी ने कहा था- "सच्चा स्वराज सिर्फ चंद लोगों के हाथ में सत्ता आ जाने से नहीं, बल्कि इसके लिये सभी हाथों में क्षमता आने से आयेगा। केन्द्र में बैठे 20 व्यक्ति सच्चे लोकतन्त्र को नहीं चला सकते। इसको चलाने के लिये निचले स्तर पर प्रत्येक गांव के लोगों को शामिल करना पड़ेगा।" गाँधी जी की ही पहल पर संविधान में अनुच्छेद- 40 शामिल किया गया। जिसमें यह कहा गया कि राज्य, ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ (Strengthen) करने हेतु कदम उठायेगा तथा पंचायतों को प्रशासन की

इकाई के रूप में कार्य करने के लिये आवश्यक अधिकार प्रदान करेगा। यह अनुच्छेद राज्य का नीति-निर्देशक सिद्धान्त बना दिया गया। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिये विभिन्न कमीशन नियुक्त किये गये, जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण कार्य किया।

भारत में सन् 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्थापित किये गये। किन्तु प्रारम्भ में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को कोई महत्वपूर्ण सफलता नहीं मिल सकी, इसका मुख्य कारण जनता का इसमें कोई सहयोग व रुचि नहीं थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को सरकारी कामों के रूप में देखा गया और गाँववासी अपने उत्थान के लिए स्वयं प्रयत्न करने के स्थान पर सरकार पर निर्भर रहने लगे। इस कार्यक्रम के सूत्रधार यह आशा करते थे कि जनता इसमें आगे आये और दूसरी ओर उनका विश्वास था कि सरकारी कार्यवाही से ही यह कार्यक्रम सफल हो सकता है। कार्यक्रम जनता ने चलाना था, लेकिन वे बनाये उपर से जाते थे। जिस कारण इन कार्यक्रमों में लोक कल्याण के कार्य तो हुए, लेकिन लोगों की भागीदारी इनमें नगण्य थी। ये कार्यक्रम लोगों के कार्यक्रम होने के बजाय सरकार के कार्यक्रम बनकर रह गये।

### 19.3 भारत में पंचायती राज की भूमिका

भारत में पंचायती राज के उद्-भव एवं विकास की चर्चा करने के उपरान्त पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका को जानना आवश्यक हो जाता है। संवैधानिक स्थिति प्राप्त करने के पश्चात पंचायती राज संस्थाएँ लोकतंत्र के एक मजबूत आधार स्तम्भ बन गयीं और स्थानीय स्वशासन और सत्ता विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया में इसे महत्वपूर्ण माना जाने लगा। पंचायती राज संस्थाएँ एक एक संवैधानिक, राजनीतिक और प्रशासनिक संस्था से भी अधिक लोगों का शासन-सत्ता में भागीदारी का माध्यम बना। भारत के सभी राज्यों ने पंचायती राज प्रणाली को स्वीकार कर उसे लागू कर दिया है। अतः इसकी भूमिका का अध्ययन आवश्यक है।

1. **एक राजनीतिक चेतना के रूप में भूमिका-** स्थानीय स्वशासन और लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया में पंचायतों के माध्यम से आम जनता राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा सकती है और भागीदारी कर सकती है। आम जन को पंचायतों की राजनीति में भागीदारी करने से उनमें राजनीति के प्रति समझ और राजनीतिक चेतना आ जाती है, इससे बहुत से लोगों में स्थानीय स्तर पर नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता आ जाती है। नेतृत्व प्रदान करने की यह क्षमता ही पंचायती राज की सफलता और असफलता का निर्धारण करती है। पंचायती राज संस्थानों ने ही आम नागरिक को उत्तरदायित्व पूर्ण राजनीतिक जीवन जीने की शिक्षा और शक्ति प्रदान की है। पंचायतों के स्तर पर तैयार नेता राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक सफल राजनेता की भूमिका निभा सकते हैं। ये नेता जमीन से जुड़े और जमीनी वास्तविकता को जानने और समझने वाले नेता होते हैं। पंचायतों का शासन वहाँ पर एक शक्तिशाली शासन बन के उभरा है, जहाँ पर जातीय और स्थानीय स्वार्थ की राजनीति प्रभावी है। लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में पंचायतों के माध्यम से नेतृत्व की नई पीढ़ी ने अपने अनुभवों से उच्च स्तर की राजनीति की क्षमता में वृद्धि की है। इस पीढ़ी ने राजनीति में अभिजात वर्ग के आधिपत्य को समाप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये सब राजनीतिक चेतना का ही परिणाम है।
2. **कार्यों के क्रियान्वयन में भूमिका-** पंचायती राज संस्थाएँ स्थानीय स्वशासन की एक इकाई के रूप में किस सीमा तक कार्य करती हैं, यह जानने के लिए इसके द्वारा किये गये कार्यों का अवलोकन आवश्यक है। इन कार्यों में ग्रावों के भीतर साफ-सफाई की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, रास्तों में लाईट की व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, गांव की सड़कों और पुलियों के रख-रखाव, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था और उसका प्रबन्धन आदि अनेक कार्य पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाते हैं। कई राज्यों में विकास के कार्यों को केन्द्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर विभाजित किया गया है। स्थानीय



स्तर के कार्यों और योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायती राज संस्थाओं को सौंपा गया है। जिसमें- स्वास्थ्य, सड़के, समाज कल्याण, लघु सिंचाई, कृषि, ग्रामीण आवास, सहकारिता और कुटीर उद्योग आदि इन सभी कार्य क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाएँ एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही हैं।

3. **योजनाओं के निर्माण और विकास कार्यों में भूमिका-** जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है कि पंचायती राज संस्थाएँ स्थानीय स्तर पर शासन-सत्ता में भागीदारी का एक उचित और सक्षम माध्यम है। पंचायती राज के माध्यम से आम नागरिक योजनाओं या नीतियों के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकता है, विकास कार्यों की निगरानी कर सकता है और सरकारी धन जो विकास योजनाओं में खर्च होता है, का ब्योरा मांग कर उसके दुरुपयोग को रोकने में सहायक हो सकता है। योजनाओं के निर्माण और विकास में पंचायतों के हर स्तर चाहे वो जिला पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो या ग्राम पंचायत इन संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। विकास कार्यों के निर्माण और योजनाओं के कार्यों के लिए पंचायती राज संस्थाएँ किस सीमा तक स्वतंत्र हैं तथा किस सीमा तक वित्तीय संसाधन रखें, यह सब राज्य सरकारों पर निर्भर रहता है।

पंचायती राज संस्थाएँ लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया में निचे से लेकर ऊपर तक सभी संस्थाओं को जोड़ने में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में भी कार्य करती हैं, जिससे कि संस्थाओं के सदस्य योजनाओं के उद्देश्यों और उनकी प्राथमिकताओं के सम्बन्ध में विचारों का आदान-प्रदान कर सकते हैं। स्थानीय स्तर की संस्थाएँ विकास और योजनाओं के मार्ग में आने वाली बाधाओं से अवगत कराते हैं, जबकि उच्च संस्थाएँ बाधाओं के समाधान का मार्ग सुझाते हैं।

इस प्रकार देखा जाय तो लोकतंत्रीय शासन प्रक्रिया में सत्ता विकेन्द्रीकरण के सफल संचालन में स्थानीय संस्थाओं (पंचायतों) की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। बिना स्थानीय संस्थाओं के हम सत्ता विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कर सकते।

#### 19.4 पंचायती रात के उभरते प्रतिमान

भारत की तरह बड़ी आबादी एवं क्षेत्रीय विभिन्नता वाले विशाल देश में लोकतंत्र को सार्थक एवं कल्याणोन्मुख बनाने के लिए विकेन्द्रीकरण अन्तर्निहित अनिवार्यता है। उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर शक्ति का प्रवाह होना लोकतंत्र में आवश्यक एवं वांछित प्रक्रिया है। स्थानीय स्वायत्त शासन के चार मूल कारण हैं- पहले, स्थानीय स्वायत्त शासन में स्थानीय लोगों की समस्या का समाधान किया जाता है। इसमें स्थानीय संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। दूसरे, स्थानीय संस्थाएँ लोगों की राजनीतिक समझ को परिपक्व बनाती हैं अर्थात् लोग स्वयं अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और अपने आस-पास हो रही घटनाओं पर ध्यान देते हैं। तीसरे, सत्ता का विकेन्द्रीकरण तभी संभव है जब स्थानीय संस्थाएँ निचले स्तर तक विद्यमान हों। क्योंकि केंद्र या राज्य सरकार के लिए सुदूर गांव की समस्या का तत्काल हल निकालना संभव नहीं होता है। अतः स्थानीय समस्या का निदान वहीं के लोगों द्वारा सुगमतापूर्वक किया जा सकता है। चौथे एवं सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, यदि स्थानीय संस्थाएँ लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित हैं तो स्थानीय लोगों में राजनीतिक चेतना तथा समझ का विकास देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्वरूप को मजबूत बनाता है।

गाँवों एवं शहरों के विकास के बिना देश के विकास की कल्पना अधूरी है। भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में पंचायतों एवं शहरी स्थानीय निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि “यदि हमारी स्वाधीनता को जनता की आवाज की प्रतिध्वनि बनना है तो पंचायतों को जितनी अधिक शक्ति मिले, जनता के लिए उतना ही लाभदायक है।” इसी तथ्य को स्वीकार करते हुए देश में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से मृतप्राय स्थानीय निकाय संस्थाओं को जीवन प्रदान किया गया तथा संवैधानिक दर्जा दिए जाने की वजह से इनका अस्तित्व भी सुरक्षित हो गया। वित्तीय रूप से सशक्त तथा

स्वावलंबी होने पर ही स्थानीय निकायों का विकास में सशक्त एवं प्रभावी योगदान सुनिश्चित करना संभव है। जनसहभागी लोकतंत्र के सशक्तिकरण की दिशा में यह कारगर प्रयास है। लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से ये 'स्वशासन की इकाईयां' राजनीतिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र को धरातल पर लाती हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 पंचायतों के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। इसे संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद 20 अप्रैल 1993 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और 24 अप्रैल 1993 से यह सम्पूर्ण देश में प्रभावी हुआ। पंचायतों के संबंध में संविधान में नया भाग IX शामिल किया गया और 11वीं अनुसूची में उनके अधिकारों का उल्लेख किया गया।

स्थानीय स्वशासन व्यवस्था ने देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। देश को आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर किया है तथा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में की उपस्थिति ने ग्रामीण एवं शहरी जनता को जागरूकता प्रदान की है। स्थानीय स्वशासन व्यवस्था की उपबिधियां इस प्रकार हैं-

- जन सहभागिता
- अधिकारों के प्रति चेतना
- आर्थिक विकास
- महिलाओं की सहभागिता
- राजनीतिक जागरूकता
- लोकतंत्र का विकास तथा
- कार्य संपादन में शीघ्रता।

पंचायत सशक्तिकरण एवं जवाबदेही प्रोत्साहन योजना (पीईएआईएस) वर्ष 2005-06 से पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लागू एवं कार्यान्वित की गई है। इसके तहत राज्य सरकारों को अनुच्छेद- 243जी के अंतर्गत उसकी 11वीं अनुसूची के साथ पठित संवैधानिक औपचारिकता को पूरा करने के लिए पंचायतों के कार्य, कोष एवं पदाधिकारी विकसित करने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त रूप से सशक्त करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना और पंचायती राज संस्थाओं को जवाबदेही की ओर ले जाने की व्यवस्था करना है। इसके अतिरिक्त देश में ग्राम पंचायतों, मध्यवर्ती पंचायतों एवं जिला पंचायतों में शासन की गुणवत्ता सुधार के लिए केंद्र सरकार ने सभी पंचायतों को ई-सक्षम करने के लिए 'ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना' नामक एक परियोजना आरम्भ की है जो उनके कार्यकरण को और अधिक कुशल एवं पारदर्शी बनाएगी। ई-पंचायत का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को आधुनिकता, दक्षता, उत्तरदायित्व का प्रतीक बनाना एवं सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के प्रति वृहत् ग्रामीण आबादी को अभिप्रेरित करना है। इस परियोजना का नेतृत्व केंद्र द्वारा और कार्यान्वयन राज्यों द्वारा किया जा रहा है। ई-पंचायत द्वारा पंचायतों के लिए राष्ट्रीय पंचायत निर्देशिका, पंचायतों की सामाजिक जनसांख्यिकीय प्रोफाइल, ऑनलाइन परिसंपत्तियों के पंचायतों की परिसंपत्ति निर्देशिका, पंचायत लेखांकन, योजना का ऑनलाइन कार्यान्वयन और निगरानी, शिकायत निवारण, सामाजिक अंकेक्षण, मांग प्रबंधन प्रशिक्षण जैसी सेवाएं प्रदान करना सम्भव हो पाया है।

भारत के प्रत्येक में पंचायती राज की प्रगति के आयाम भिन्न-भिन्न रहे हैं- सामाजिक-आर्थिक स्थिति, भौगोलिक संरचना, संस्कृति आदि ऐसे कारक हैं जिन्होंने राज्यों के पंचायती राज स्वरूप को एक नया रूप दिया है। यहाँ हम आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र एवं अरुणाचल प्रदेश के प्रतिमानों की चर्चा करेंगे, जिनसे पंचायती राज के नवीन आयाम परिलक्षित होते हैं।

### 19.4.1 आन्ध्र प्रदेश का प्रतिमान

सेवाओं एवं जन-सामान्य की आवश्यकताओं को जनता तक पहुँचाने में आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचना-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। देश में अधिकांश विदेशी कम्पनियों के लिए सस्ती प्रोग्रामिंग किए जाने हेतु कार्यशालाओं के अस्तित्व से परिवर्तन आरम्भ हो चुके हैं। शहरों में, साइबर कैफे का फैलता तंत्र बड़ी संख्या में मध्यवर्गीय लोगों को सुविधा उपलब्ध कराता है जो कम्प्यूटर को वहन नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयों के मध्य सामंजस्य एवं दूर शिक्षा के रूप में सीखने के नवीन अवसर भी सूचना-प्रौद्योगिकी के कारण ही उपलब्ध हैं।

इसके साथ ही, PESA के अंतर्गत सुधार भी किए जा रहे हैं। जिसमें पंचायत उपबन्ध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) विधेयक (The Provisions on the Panchyats Extension to the Scheduled Areas Bill) है। भूरिया समिति की सिफारिशों के आधार पर यह सहमति बनी कि अनुसूचित क्षेत्रों के लिए एक केन्द्रीय कानून बनाना ठीक रहेगा, जिसके दायरे में राज्य विधानमंडल अपने-अपने कानून बना सकें। इसी दृष्टिकोण से दिसम्बर, 1996 में संसद में विधेयक प्रस्तुत किया गया। दिसम्बर 1996 में ही यह दोनों सदनों से पारित हो गया तथा 24 दिसम्बर को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त कर लागू हो गया। इसका मूल उद्देश्य था कि केन्द्रीय कानून में जनजातियों की स्वायत्तता के बिंदु स्पष्ट कर दिये जाएं, जिनका उल्लंघन करने की शक्ति राज्यों के पास न हो। वर्तमान में 10 राज्यों (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और राजस्थान) में यह अधिनियम लागू होता है। इसका अन्य उद्देश्य जनजातीय जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करना, पारम्परिक परिपाटियों की सुसंगता में उपयुक्त प्रशासनिक ढाँचा विकसित करना तथा ग्रामसभा को सभी गतिविधियों का केन्द्र बनाना भी है। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें जनजातीय समाजों की ग्राम सभाओं को अत्यधिक ताकत दी गई है। प्रत्येक ग्राम सभा सामाजिक एवं आर्थिक विकास के कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं को स्वीकृति देगी, इसके पहले कि वे ग्राम स्तरीय पंचायत द्वारा कार्यान्वयन के लिए हाथ में लिये जायें। अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल निकायों की योजना बनाने तथा उसका प्रबन्धन करने का कार्य उपयुक्त स्तर की पंचायतों को सौंपा जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों के लिये लाइसेंस या खनन पट्टा देने के लिये ग्रामसभा पंचायत के उचित स्तर की सिफारिशों को अनिवार्य बनाया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के तौर पर कार्य करने के लायक बनाने के लिये अपेक्षित शक्तियाँ और अधिकार देते हुए राज्यों के विधानमंडल यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्रामसभा और पंचायतों को निश्चित रूप से शक्तियाँ प्रदान की गई हों, जो निम्नलिखित हैं- किसी भी मादक पदार्थ की बिक्री या उपभोग को प्रतिबंधित या नियमित या सीमित करने की शक्ति, गौण वन उत्पादों का स्वामित्व, अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण को रोकने की शक्ति और किसी अनुसूचित जनजाति की अवैध रूप से हस्तांतरित की गई भूमि को वापस लेने के लिये उचित कार्यवाही करने की शक्ति, गाँवों के बाजारों के प्रबन्धन की शक्ति, चाहे वे किसी भी नाम से प्रयोग में हो, अनुसूचित जनजातियों को धन उधार दिये जाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने की शक्ति, आदिवासी उप-योजनाओं सहित स्थानीय योजनाओं तथा उनके लिये निर्धारित संसाधनों पर नियंत्रण रखने की शक्ति।

### 19.4.2 महाराष्ट्र का प्रतिमान

महाराष्ट्र में ग्रामसभा को सशक्त बनाकर सामाजिक-आर्थिक प्रगति को एक नई दिशा प्रदान की गयी है। संविधान के अनुसार ग्रामसभा के पास वे शक्तियाँ होंगी और ऐसे कार्यों के सम्पादन का दायित्व होगा जो राज्य की विधायिका द्वारा, विधिसम्मत तरीके से उसे प्रदान किए जाएंगे। उदाहरण के लिए, ग्राम स्तर पर पंचायत द्वारा क्रियान्वित किए जाने से पहले सामाजिक-आर्थिक विकास की योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को उनके द्वारा स्वीकृति दी जाती है। गरीबी उन्मूलन तथा अन्य कार्यक्रमों के तहत लाभार्थी के रूप में व्यक्तियों के चयन या

चिह्नित करने का दायित्व भी इसके पास होता है। ग्राम स्तर पर हर पंचायत के लिए ग्राम सभा से कोष का उपयोग करने हेतु एक प्रमाणपत्र पाना जरूरी होता है जिसके द्वारा ऐसी योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का पंचायत द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है।

साथ ही राज्य में ग्राम पंचायतों, मध्यवर्ती पंचायतों एवं जिला पंचायतों में शासन की गुणवत्ता सुधार के लिए केन्द्र सरकार ने सभी पंचायतों को ई-सक्षम करने के लिए ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना नामक एक परियोजना आरम्भ की है, जो उनके कार्यकरण को और अधिक कुशल एवं पारदर्शी बनाएगी।

### 19.4.3 अरुणांचल प्रदेश का प्रतिमान

अरुणांचल प्रदेश ने त्री-स्तरीय पंचायत की जगह द्वि-स्तरीय व्यवस्था को लागू किया है। अंचल समिति को समाप्त कर दिया गया है तथा ग्रामसभा को काफी सशक्त बनाया गया है। ग्रामसभा के पास वे शक्तियां और ऐसे कार्यों के सम्पादन का दायित्व है जो राज्य की विधायिका द्वारा विधिसम्मत तरीके से उसे प्रदान किए गए हैं। उदाहरण के लिए ग्राम स्तर पर पंचायत द्वारा क्रियान्वित किए जाने से पहले सामाजिक-आर्थिक विकास की योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को उनके द्वारा स्वीकृति दी जाती है। गरीबी उन्मूलन तथा अन्य कार्यक्रमों के तहत लाभार्थी के रूप में व्यक्तियों के चयन या चिह्नित करने का दायित्व भी इसके पास होता है। ग्राम स्तर पर हर पंचायत के लिए ग्राम सभा से कोष का उपयोग करने हेतु एक प्रमाणपत्र पाना जरूरी होता है, जिसके द्वारा ऐसी योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का पंचायत द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है।

आधुनिक युग को नागरिकों की उभरती हुई जन आकांक्षाओं का युग माना जाता है। वर्तमान समय में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के सहज परिणामस्वरूप शासन संबंधी कार्यों का अत्यधिक विस्तार हुआ है। ऐतिहासिक रूप में वंचित समूहों के प्रतिनिधित्व, भागीदारी और सशक्तिकरण के संबंध में पंचायतों की नई पीढ़ी ने उल्लेखनीय प्रगति की है। स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और ऐतिहासिक रूप से वंचित अन्य वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण के कारण आज शासन प्रक्रिया कहीं अधिक गहरी और कहीं ज्यादा व्यापक है, बेशक यह उतनी पारदर्शी नहीं हो पाई है। हालांकि यह तस्वीर का केवल एक ही पहलू है। तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि नई-नई शक्ति प्राप्त वर्गों खासकर दलितों के विरुद्ध हिंसा, दुर्व्यवहार और अवहेलना का सिलसिला भी जारी है। पंचायती राज संस्थाओं में भारतीय राजनीति को पूरी तरह बदल देने की क्षमता है। शासन प्रक्रिया धीरे-धीरे सरकारों के एकाधिकार से निकल रही है। सबसे निचले स्तर पर दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और गरीबों के सत्ता में आने से शासन प्रक्रिया में अब बराबरी का स्तर आ गया है। आरक्षण ने वंचित समूहों को बेहतर पहचान दिलाई है और स्थानीय मुद्दों को प्रभावित करने का भी अवसर प्रदान किया है। एक प्रतिनिधि सरकार लोगों के जितना करीब होगी, वह उतना ही बेहतर काम करेगी। आदर्श स्थिति यह होगी कि स्थानीय सरकारें उच्चस्तरीय सरकारों की बराबर की भागीदारी हो। ग्रामीण जनता के सशक्तिकरण से आर्थिक प्रगति तेजी होगी और लोकतांत्रिक संस्थाएं सुदृढ़ होंगी।

#### अभ्यास प्रश्न-

1. क्या प्राचीन काल में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त था?
2. गुप्त काल में पंचायतें किस रूप में कार्य करती थीं?
3. ब्रिटिश सरकार द्वारा विकेन्द्रीकरण कमीशन की नियुक्ति कब की गयी?
4. यह कथन किसका है कि “सच्चा स्वराज सिर्फ चंद लोगों के हाथ में सत्ता आ जाने से नहीं बल्कि इसके लिये सभी हाथों में क्षमता आने से आयेगा। केन्द्र में बैठे 20 व्यक्ति सच्चे लोकतन्त्र को नहीं चला सकते। इसको चलाने के लिये निचले स्तर पर प्रत्येक गांव के लोगों को शामिल करना पड़ेगा।”
5. भारत में ‘सामुदायिक विकास कार्यक्रम’ कब प्रारम्भ किया गया?

6. 'सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की असफलता के अध्ययन के लिए किस समिति का गठन किया गया?
7. किस राज्य ने पंचायत के त्री-स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्वि-स्तरीय व्यवस्था को लागू किया है?
8. सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किस राज्य ने सबसे ज्यादा प्रगति की है?

### 19.5 सारांश

जैसा कि इकाई के अध्ययन के उपरान्त यह स्पष्ट है कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया के लिए स्थानीय स्वशासन का बहुत अधिक महत्व हो गया है। स्थानीय स्वशासन के आधार स्थानीय संस्थाएँ अर्थात् पंचायतें हैं। भारत में पंचायतें प्राचीन समय से ही विद्यमान रही हैं और स्थानीय स्तर पर सरकार या शासन-सत्ता के विकल्प के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका में रही हैं। शासन का कोई भी रूप रहा हो पंचायतें हमेशा से ही विद्यमान रही हैं। स्थानीय स्तर पर सरकारों के रूप में ये इतनी लोकप्रिय रही कि वर्तमान तक इन पर आम स्थानीय जनता का विश्वास बना है।

इसी विश्वास के चलते आजादी के बाद भारत ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को स्वीकार करने के उपरान्त पंचायतों को और अधिक अधिकार देकर स्वायत्त बनाने के लिए संविधान में 73वां संविधान संशोधन कर इसे संवैधानिक संस्था के रूप में मान्यता दी। इस दृष्टि से कह सकते हैं कि लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में पंचायतों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो गयी है। पंचायतें आम जन की शासन-सत्ता में भागीदारी करने का एक आसान और महत्वपूर्ण माध्यम है।

स्थानीय स्वशासन के रूप में पंचायतों ने आम जन के मस्तिष्क में शासन-सत्ता के प्रति एक सकारात्मक भाव जगाते हुए लोकतंत्रीय शासन प्रणाली को शक्ति प्रदान करने और उसमें विश्वास जगाने का कार्य किया है। पंचायतों में उभरते नये प्रतिमानों ने पंचायतों को आम जन के और नजदीक और एक विश्वसनीय संवैधानिक संस्था के तौर पर स्थापित करने का कार्य किया है।

### 19.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. नहीं, 2. ग्राम समितियों के रूप में, 3. सन् 1909 में, 4. महात्मा गांधी, 5. 1952, 6. बलबन्त राय मेहता समिति, 7. अरुणांचल प्रदेश, 8. आन्ध्र प्रदेश

### 19.7 शब्दावली

सुदृढीकरण (Strengthening)- वृद्धि करना या आगे बढ़ाना, उद्-भव- आरम्भ या शुरूआत, प्रतिमान- प्रतिरूप या नमूना,

### 19.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. पंचायत सन्दर्भ सामाग्री, हिमालयन एक्शन रिसर्च सेन्टर, देहरादून।
2. भारत में पंचायती राज- के0के0 शर्मा।
3. भारत में स्थानीय शासन- एस0आर0 माहेश्वरी।

### 19.9 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. भारत में पंचायती राज- के0के0 शर्मा।
2. भारत में स्थानीय शासन- एस0आर0 माहेश्वरी।
3. भारतीय प्रशासन- अवस्थी एवं अवस्थी।

---

19.10 निबन्धात्मक प्रश्न

---

1. पंचायती राज से आप क्या समझते हैं? इसके उद्-भव पर विस्तार से चर्चा करें।
2. स्थानीय स्वशासन को स्पष्ट करते हुए पंचायती राज की भूमिका की व्याख्या करें।
3. पंचायती राज के उभरते प्रतिमान पर एक निबन्ध लिखिये।



## इकाई- 20 पंचायती राज का भविष्य और समस्याएं

### इकाई की संरचना

- 20.0 प्रस्तावना
- 20.1 उद्देश्य
- 20.2 स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज
- 20.3 पंचायती राज का भविष्य
- 20.4 पंचायती राज की समस्याएं
- 20.5 सारांश
- 20.6 शब्दावली
- 20.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 20.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 20.9 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 20.10 निबन्धात्मक प्रश्न

### 20.0 प्रस्तावना

भारत में पंचायतों का इतिहास बहुत पुराना है। यह आदिकाल से हमारी पुरातन धरोहर है। समुदाय और सामुदायिकता की भावना हमारी संस्कृति में प्राचीन काल से विद्यमान रही है। इसी सामुदायिकता और संगठन की भावना ने पंचायत व्यवस्था को जन्म दिया। इसलिए हमारे देश में पंचायतों की व्यवस्था सदियों से चली आ रही है। भारतीय संस्कृति के विकास के साथ-साथ पंचायती व्यवस्था का जन्म और विकास हुआ। भारत में समय के साथ-साथ तरह-तरह की शासन व्यवस्था में पंचायती व्यवस्था ने स्वयं को जीवित रखा। आज हम लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में पंचायतों के भविष्य की बात करें तो सफल लोकतंत्र का भविष्य ही पंचायती व्यवस्था पर टिका है।

जब पंचायतों ने संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर लिया तो अब पंचायतें लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का आधार स्तम्भ बन गयी हैं। लोकतंत्रीय शासन प्रणाली अपनी सफलता के लिए सत्ता विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाते हुए स्थानीय स्वशासन की मजबूती और उसको अधिकार सम्पन्न बनाने पर जोर देता है और ये सब स्थानीय संस्थाओं (पंचायती राज संस्थाओं) के बिना संभव नहीं है। भारत जैसे बड़े और विविधताओं से भरे देश में लोकतंत्र के सफल संचालन और शासन-सत्ता में आम जन की भागीदारी को सुनिश्चित करने में पंचायतों का महत्वपूर्ण योगदान है और आगे भी रहेगा। इस दृष्टि से भारत में पंचायती राज का भविष्य उज्ज्वल है। इसके मार्ग में अनेक बाधाएँ हो सकती हैं, किन्तु इसके बगैर हम सफल लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं कर सकते।

आईये भारत में पंचायती व्यवस्था के भविष्य, कि पंचायतों का भविष्य भारत में कैसा रहने वाला है? और इसके मार्ग में आने वाली बाधाओं का अध्ययन करते हैं।

### 20.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप-

- स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज के विषय में जान पायेंगे।
- पंचायती राज का भविष्य क्या है, इस संबंध में जान पायेंगे।

- पंचायती राज के सामने आने वाली समस्याओं के संबंध में जान पायेंगे।

## 20.2 स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज

स्थानीय स्वशासन अर्थात् एक ऐसा शासन जहाँ लोग स्थानीय मुद्दों, गतिविधियों में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा सकें। स्थानीय स्तर पर स्वशासन को लागू करने का माध्यम, गांव के लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त लोगों का समूह हों, जिन्होंने सम्पूर्ण गांव का विकास, व्यवस्था व प्रबन्धन करना है। ऐसा समूह जिसका निर्णय सभी को मान्य हो।

स्थानीय स्वशासन लोगों की अपनी स्वयं की शासन व्यवस्था का नाम है। अर्थात् स्थानीय लोगों द्वारा मिल-जुल कर स्थानीय समस्याओं के निदान एवं विकास हेतु बनाई गई ऐसी व्यवस्था जो संविधान और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गये नियमों एवं कानून के अनुरूप हो। दूसरे शब्दों में 'स्वशासन' गांव के समुचित प्रबन्धन में समुदाय की भागीदारी है।

यदि हम इतिहास को पलट कर देखें तो प्राचीन काल में भी स्थानीय स्वशासन विद्यमान था। सर्वप्रथम परिवार बने और परिवारों से समूह। ये समूह ही बाद में गांव कहलाये। इन समूहों की व्यवस्था प्रबन्धन के लिये लोगों ने कुछ नियम-कानून बनाये। इन नियमों का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म माना जाता था। ये नियम समूह अथवा गांव में शांति व्यवस्था बनाये रखने, सहभागिता से कार्य करने व गांव में किसी प्रकार की समस्या होने पर उसके समाधान करने तथा सामाजिक न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। गांव का सम्पूर्ण प्रबन्धन तथा व्यवस्था इन्हीं नियमों के अनुसार होती थी। इन्हें समूह के लोग स्वयं बनाते थे व उसका क्रियान्वयन भी वही लोग करते थे। कहने का तात्पर्य है कि स्थानीय स्वशासन में लोगों के पास वे सारे अधिकार हों, जिससे वे विकास की प्रक्रिया को अपनी जरूरत और अपनी प्राथमिकता के आधार पर मनचाही दिशा दे सकें। वे स्वयं ही अपने लिये प्राथमिकता के आधार पर योजना बनायें और स्वयं ही उसका क्रियान्वयन भी करें। प्राकृतिक संसाधनों, जैसे- जल, जंगल और जमीन पर भी उन्हीं का नियन्त्रण हो ताकि उसके संवर्द्धन और संरक्षण की चिन्ता भी वे स्वयं ही करें। स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के पीछे सदैव यही मूलधारणा रही है कि हमारे गांव जो वर्षों से अपना शासन स्वयं चलाते रहे हैं, जिनकी अपनी एक न्याय व्यवस्था रही है, वे ही अपने विकास की दिशा तय करें। आज भी हमारे कई गांवों में परम्परागत रूप में स्थानीय स्वशासन की न्याय व्यवस्था विद्यमान है।

हमारे देश में पंचायतों की व्यवस्था सदियों से चली आ रही है। पंचायतों के कार्य भी लगभग समान हैं, उनके स्वरूप में जरूर परिवर्तन हुआ है। पहले पंचायतों का स्वरूप कुछ और था, उस समय वह संस्था के रूप में कार्य करती थी और गांव के झगड़े, गांव की व्यवस्थाएँ सुधारना जैसे- फसल सुरक्षा, पेयजल, सिंचाई, रास्ते, जंगलों का प्रबन्धन आदि मुख्य कार्य हुआ करते थे।

लोगों को पंचायतों के प्रति बड़ा विश्वास था। उनका निर्णय लोग सहज स्वीकार कर लेते थे और हमारी पंचायतें भी बिना पक्षपात के निर्णय किया करती थी। ऐसा नहीं कि पंचायतें सिर्फ गांव का निर्णय करती थीं। बड़े क्षेत्र, पट्टी, तोक के लोगों के मूल्यां से जुड़े संवेदनशील निर्णय भी पंचायतें बड़े विश्वास के साथ करती थीं। इससे पता लगता है कि पंचायतों के प्रति लोगों का पहले कितना विश्वास था। वास्तव में जिस स्वशासन की बात हम आज कर रहे हैं, असली स्वशासन वही था। जब लोग अपना शासन खुद चलाते थे, अपने विकास के बारे में खुद सोचते थे, अपनी समस्याएं स्वयं हल करते थे एवं अपने निर्णय स्वयं लेते थे।

धीरे-धीरे ये पंचायत व्यवस्थाएँ आजादी के बाद समाप्त होती गईं। इसका मुख्य कारण रहा, सरकार का दूरगामी परिणाम सोचे बिना पंचायत व्यवस्थाओं में अनावश्यक हस्तक्षेप जो छोटे-छोटे विवाद पहले गांवों में हल हो जाते थे, अब वे सरकारी कानून व्यवस्था से पूरे होते हैं। जिन जंगलों का हम पहले सुरक्षा भी करते थे और उसका सही प्रबन्धन भी करते थे, अब उससे दूरियां बनती जा रही हैं और उसे हम अधिक से अधिक उपभोग करने की दृष्टि से देखते हैं। जो गांव के विकास सम्बन्धी नजरिया हमारा स्वयं का था, उसकी जगह सरकारी योजनाओं ने ले ली है

और सरकारी योजनाएँ राज्य या केन्द्र में बैठकर बनाई जाने लगी और गांवों में उनका क्रियान्वयन होने लगा। परिणाम यह हुआ कि लोगों की जरूरत के अनुसार नियोजन नहीं हुआ और जिन लोगों की पहुँच थी, उन्होंने ही योजनाओं का उपभोग किया। लोग योजनाओं के उपभोग के लिए हर समय तैयार रहने, लगे चाहे वह उसके जरूरत की हो या न हो। उसको पाने के लिए व्यक्ति खींचातानी में लगा रहा। इससे कमजोर वर्ग धीरे-धीरे और कमजोर होता गया और लोग पूरी तरह सरकार की योजनाओं और सब्सिडी (छूट) पर निर्भर होने लगे। धीरे-धीरे पंचायत की भूमिका गांव के विकास में शून्य हो गई और लोग भी पुरानी पंचायतों से कटते गये।

लेकिन 80 के दशक में यह लगने लगा कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुँच पा रहा है। यह भी सोचा जाने लगा कि योजनाओं को लोगों की जरूरत के मुताबिक बनाया जाय। योजनाओं के नियोजन और क्रियान्वयन में भी लोगों की भागीदारी जरूरी समझी जाने लगी। तब ऐसा महसूस हुआ कि ऐसी व्यवस्था कायम करने की आवश्यकता है, जिसमें लोग खुद अपनी जरूरत के अनुसार योजनाओं का निर्माण करें और स्वयं उनका क्रियान्वयन करें।

इसी सोच के आधार पर पंचायतों को कानूनी तौर पर नये काम और अधिकार देने की सोची गई, ताकि स्थानीय लोग अपनी जरूरतों को पहचानें, उसके उपाय खोजें और उसके आधार पर योजना बनायें। योजनाओं को क्रियान्वित करें और इस प्रकार अपने गांव का विकास करें। इस सोच को समेटते हुए सरकार ने संविधान में 73वाँ संशोधन कर पंचायतों को नये काम और अधिकार दे दिये हैं। इस प्रकार केन्द्र और राज्य सरकार की तरह पंचायतें भी स्थानीय लोगों की अपनी सरकार की तरह कार्य करने लगीं।

स्थानीय स्वशासन को स्थापित करने में पंचायतों की अहम भूमिका है। पंचायतें हमारी संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त संस्थाएँ हैं और प्रशासन से भी उनका सीधा जुड़ाव है। भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। भारत में प्राचीन काल से ही स्थानीय स्तर पर शासन का संचालन पंचायतें ही करती आयी हैं। स्थानीय स्तर पर स्वशासन के स्वप्न को साकार करने का माध्यम पंचायतें ही हैं। चूँकि पंचायतें स्थानीय लोगों के द्वारा गठित होती हैं और इन्हें संवैधानिक मान्यता भी प्राप्त है, अतः पंचायतें स्थानीय स्वशासन को स्थापित करने का एक अच्छा तरीका है। ये संवैधानिक संस्थाएँ ही आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय की योजनाएं ग्रामसभा के साथ मिलकर बनायेंगी व उसे लागू करेंगी। गांव के लिये कौन सी योजना बननी है? कैसे क्रियान्वित करनी है? क्रियान्वयन के दौरान कौन निगरानी करेगा? ये सभी कार्य पंचायतें गांव के लोगों (ग्रामसभा सदस्यों) की सक्रिय भागीदारी से करेंगी। इससे निर्णय स्तर पर आम जनसमुदाय की भागीदारी सुनिश्चित होगी।

स्थानीय स्वशासन तभी मजबूत हो सकता है, जब पंचायतें मजबूत होंगी और पंचायतें तभी मजबूत होंगी, जब लोग मिल-जुलकर इसके कार्यों में अपनी भागीदारी देंगे और अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये पंचायतों के कार्यों में पारदर्शिता होना जरूरी है। पहले भी लोग स्वयं अपने संसाधनों का और अपने ग्राम विकास का प्रबन्धन करते थे। इसमें कोई शक नहीं कि वह प्रबन्धन आज से कहीं बेहतर भी होता था। हमारी परम्परागत रूप से चली आ रही स्थानीय स्वशासन की सोच बीते समय के साथ कमजोर हुई है। नई पंचायत व्यवस्था के माध्यम से इस परम्परा को पुनः जीवित होने का मौका मिला है। अतः ग्रामीणों को चाहिये कि पंचायत और स्थानीय स्वशासन की मूल अवधारणा को समझने की चेष्टा करें, ताकि ये दोनों ही एक-दूसरे के पूरक बन सकें।

गांवों का विकास तभी सम्भव है, जब सम्पूर्ण ग्रामवासियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा। जब तक गांव के सामाजिक तथा आर्थिक विकास के निर्णयों में गांव के पहले तथा अन्तिम व्यक्ति की बराबर की भागीदारी नहीं होगी तब तक हम ग्राम स्वराज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जन-सामान्य की अपनी सरकार तभी मजबूत बनेगी जब लोग ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अपनी भागीदारी के महत्व को समझेंगे।

### 20.3 पंचायती राज का भविष्य

जहाँ तक पंचायती राज के भविष्य का प्रश्न है, भारत जैसे विशाल क्षेत्रफल और जनसंख्या तथा विविधता भरे देश में केन्द्र में एक स्थान से सरकार चलाना आसान काम नहीं है। इसके लिए राज्य सरकारों और स्थानीय सरकारों (जिसे स्थानीय स्वशासन कहते हैं) को अधिक से अधिक स्वायत्ता देकर उन्हें शासन-सत्ता के संचालन के लिए अधिक शक्ति प्रदान करने की आवश्यकता है। इसके लिए भारतीय संविधान में 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन करके स्थानीय सरकारों को मजबूत करने का सफल प्रयास किया गया है। लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में सत्ता विकेन्द्रीकरण और लोक कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए स्थानीय सरकारों का स्वायत्त होना और उन्हें संवैधानिक शक्ति प्रदान करना एक अनिवार्य आवश्यकता है। इस दृष्टि से भारत में और अन्य लोकतांत्रिक देशों में स्थानीय सरकारों का भविष्य उज्ज्वल है। इन स्थानीय सरकारों/पंचायतों का भविष्य इसलिए उज्ज्वल है क्योंकि आम जन की शासन-सत्ता में सीधी भागीदारी इन्हीं स्थानीय सरकारों के माध्यम से हो सकती है। आइये पंचायती राज के भविष्य को निम्नांकित बिन्दुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं-

- 1. एक संवैधानिक संस्था के रूप में भविष्य-** जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि भारत में पंचायतों का अस्तित्व प्राचीन काल से ही रहा है। स्वतंत्रता से पूर्व तक पंचायतें एक परम्परागत तरीके से कुछ सर्वमान्य सामाजिक नियमों के तहत बनी हुई थीं और उनका निर्णय सभी को मान्य होता था। पंचायतें, पंचों से मिल कर बनती थीं और पंचों को परमेश्वर का रूप माना जाता था, इसी पर मुंशी प्रेम चन्द्र की एक कहानी है, 'पंच परमेश्वर।' गांवों के लोग अपने साथ हुए अन्याय, किसी भी विवाद के हल और सुलह-समझौता कराने के लिए शासक के दरबार में जाने के बजाय पंचायत के पास जाते थे, जिस पर उनका अटूट विश्वास था और उसके निर्णय को स्वीकार भी कर लेते थे। इस दृष्टि से देखा जाय तो तब भी पंचायतों का भविष्य उज्ज्वल और आगे आने वाले समय में एक निर्णायक संस्था का मार्ग प्रशस्त हो रहा था। इसका भविष्य आजादी के बाद ये बना कि लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाते हुए स्थानीय संस्थाओं (पंचायतों) का महत्व बढ़ गया और स्थानीय संस्थाओं को और अधिक स्वायत्त तथा संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए भारतीय संविधान में सन् 1992 में 73वां संविधान संशोधन कर ग्राम स्तर पर स्थानीय संस्थाओं (पंचायतों) को संवैधानिक संस्था के तौर पर मान्यता दी गयी। पंचायतों को संवैधानिक तौर पर मान्यता मिलना और लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में सत्ता विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया को चलाने में स्थानीय संस्थाओं/पंचायतों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गयी। पंचायतों के माध्यम से आम जन को शासन-सत्ता में सीधी भागीदारी करने का अवसर मिला। अतः देखा जाय तो एक संवैधानिक संस्था के तौर पर और स्थानीय स्वशासन के एक मजबूत आधार के रूप में पंचायतों का भविष्य उज्ज्वल है। पंचायतों के इसी महत्व को स्वीकार करते हुए इसे विशेषकर ग्राम पंचायत को लोकतंत्र की सबसे छोटी और प्रथम इकाई कहा जाता है।
- 2. सत्ता विकेन्द्रीकरण के रूप में भविष्य-** लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में 'जनता के शासन' के सिद्धान्त को लागू करने के लिए शासन को एक जगह केन्द्रित न करके उसका विकेन्द्रीकरण किया गया ताकि एक आम व्यक्ति भी शासन-सत्ता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। उसकी यह भागीदारी सत्ता में भागीदार बनने के साथ-साथ नीतियों के निर्माण और उसके क्रियान्वयन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना है। शासन-सत्ता में निचले स्तर पर या स्थानीय स्तर पर यह भागीदारी स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से ही हो पायेगी और इन स्थानीय संस्थाओं में पंचायतें भी एक मुख्य और महत्वपूर्ण संस्था हैं। इसकी महत्ता का आंकलन इस बात से भी किया जा सकता है कि 'पंचायत संस्थाओं में ग्राम पंचायत को

लोकतंत्र की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई माना गया है। अतः इस दृष्टि से पंचायतों का भविष्य लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में मजबूत और सुरक्षित है।

3. **स्थानीय स्वशासन या स्थानीय सरकार के रूप में भविष्य-** पंचायतों और विशेषकर ग्राम पंचायत में ग्रामसभा के माध्यम से गांव के लोग, गांव के विकास के लिए नीतियों को बनाने में और विकास कार्यों के निर्माण की निगरानी कर उसके क्रियान्वयन की गुणवत्ता को बनाये रखने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, उससे स्थानीय लोगों में शासन-सत्ता के प्रति एक अपनत्व का भाव आता है और स्थानीय स्वशासन की भावना बलवति होती है। पंचायत के तीनों स्तरों- ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत पर जहाँ एक ओर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक ढाँचा। इनके आपसी तालमेल और स्थानीय लोगों की सहभागिता और सहयोग से ही स्थानीय सरकार जन हित के कार्यों का सफलता पूर्वक क्रियान्वयन करती है। स्थानीय स्वशासन या स्थानीय सरकार के रूप में पंचायतें लोकतंत्र के सफल संचालन का भविष्य हैं।
4. **राजनीतिक मंच के रूप में भविष्य-** स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के तौर पर पंचायतें आमजन की राजनीति में भागीदारी करने का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मंच बन रही हैं। पंचायतों के चुनाव स्थानीय लोगों को राजनीति में हाथ आजमाने और अपनी राजनीतिक समझ को परखने का मौका देते हैं और भविष्य में एक सफल राजनीतिज्ञ बनने का अवसर देते हैं। पंचायतों के चुनाव एक राजनीतिक हलचल पैदा करते हैं और स्थानीय लोग इसमें उत्साह के साथ भागीदारी करते हैं। अब जिस तरह से पंचायत के चुनाव राजनीतिक दलों के बैनर तले लड़े जा रहे हैं और दलों द्वारा जमीनी स्तर पर अपने वोट बैंक को जानने और अपनी राजनीतिक हैसियत को समझने की एक प्रयोगशाला बन रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि एक राजनीतिक मंच के रूप में पंचायतों का भविष्य मजबूत है।

#### 20.4 पंचायती राज की समस्याएँ

पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और स्थानीय स्वशासन का आधार है। लोकतंत्र और स्थानीय स्वशासन की सफलता पंचायती राज व्यवस्था की पर निर्भर करती है। लोकतंत्र में पंचायती राज सफलता पूर्वक आगे बढ़ रहा है और एक सफल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संचालन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। किन्तु पंचायती राज व्यवस्था के संचालन में भी अनेक बाधाएँ और समस्याएँ आती हैं। आईये पंचायती राज की समस्याओं का अध्ययन करते हैं-

1. **पूर्ण संवैधानिक व्यवस्था का अभाव-** भारतीय संविधान में 73वां संवैधानिक संशोधन करके पंचायतों को एक संवैधानिक संस्था के तौर पर मान्यता तो मिल गयी किन्तु राज्यों के लिये पूर्ण संवैधानिक प्रबन्ध न होने के कारण पंचायतों की राज्य पर निर्भरता बढ़ गयी है। संविधान के अनुच्छेद-40 के अनुसार, राज्य ग्राम पंचायतों को गठित करने की कार्यवाही करेगा। जबकि यह नीति निदेशक सिद्धान्त में सम्मिलित है। जबकि यह आदेशात्मक नीति अनिवार्य नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह राज्यों पर निर्भर करता है कि वे अपने राज्य में पंचायती राज संस्थाओं को गठित कर भी सकते हैं और नहीं भी। इसका एक प्रभाव यह भी है कि कई राज्यों में नियमित तौर पर पंचायतों के चुनाव भी नहीं हो पाते हैं। पंचायतों के लिए संविधान में पूर्ण संवैधानिक प्रबन्ध न होने के कारण पंचायती राज संस्थाओं की स्थिति कमजोर हुई है।
2. **पंचायती राज संस्थाओं पर राज्य सरकारों का नियंत्रण-** पंचायतें राज्य सूची का विषय है। अतः पंचायतों के वर्तमान और भविष्य का निर्णय राज्य सरकारें करती हैं। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया में राज्यों और पंचायती राज संस्थाओं की बहुत सक्रिय भूमिका है, किन्तु पंचायती राज संस्थाओं

द्वारा अपने अधिकारों के दुरुपयोग की बहुत अधिक आशंका रहती है, जिस कारण राज्य सरकारों द्वारा बनाये गये अधिनियमों के माध्यम से पंचायतों पर नियंत्रण रखा जाता है। पंचायती राज संस्थाओं पर राज्य सरकारों द्वारा रखा जाने वाला नियंत्रण व्यापक है, क्योंकि व्यवहारिक रूप में पंचायती राज संस्थाओं का कोई विषय ऐसा नहीं है जिस पर राज्य सरकारें अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करती हों। इसके चलते राज्य सरकारें पंचायती राज संस्थाओं के संगठनात्मक, क्रियात्मक और रचनात्मक कमजोरी को उजागर करते रहते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि पंचायती राज संस्थाओं को या निलंबित कर दिया जाता है या पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के उपरान्त चुनावों को स्थगित कर दिया जाता है। कई अवसरों पर राज्य सरकारें पंचायत कर्मचारियों की कई कमजोरियों को उजागर कर या तो उन्हें निलंबित कर देते हैं या उन्हें कार्यमुक्त कर देते हैं। राज्य सरकारों के नियंत्रण से पंचायती राज संस्थाओं की सक्रिय कार्यशिलता पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

3. **वित्तीय संसाधनों की समस्या-** भारतीय संविधान के 73वें संसोधन के तहत स्थानीय शासन को महत्त्व प्रदान करते हुए ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। पंचायतों के आय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है-

- संविधान के अनुच्छेद- 270 के अनुसार केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान करने की बात की गई है।
- केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये धन और अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के अंतर्गत विशिष्ट आवंटन के प्रावधान भी किये गए हैं।
- अनुच्छेद- 243 झ के अनुसार राज्य वित्त आयोगों की सिफारिश के आधार पर राज्य सरकारों द्वारा आवंटित धन।
- इसके अलावा राज्य सरकार से प्राप्त ऋण अनुदान के प्रावधान भी किये गए हैं।
- आंतरिक संसाधन सृजन के प्रावधान भी किये गए हैं।
- राज्य सरकारों के लिये यह अनिवार्य किया गया है कि वे पंचायतों को कर और गैर-कर राजस्व की वसूली के लिये सक्षम बनाने हेतु कानून बनाये।

पंचायतों के आय के प्रमुख स्रोतों में- प्रान्तीय सरकार से प्राप्त अनुदान, भू-राजस्व की धनराशि के अनुसार पंचायत कर, विभिन्न मनोरंजन के कार्यों से संबंधित मनोरंजन कर, गाँव के बाजारों तथा मेलों पर लगाया जाने वाला कर, पशु तथा वाहनों पर लगाया जाने वाला कर, संबंधित क्षेत्र के तालाबों में मत्स्य पालन से होने वाली आय, कूड़ा-करकट तथा मृत पशुओं की बिक्री से होने वाली आय, अन्य संपत्तियों के क्रय विक्रय पर कर। पशुओं का रजिस्ट्रेशन फीस, दुग्ध उत्पादन पर लगाया जाने वाला कर, नालियों, सड़कों की सफाई तथा रोशनी के लिये लिया जाने वाला कर आदि। ये भी एक सच्चाई है कि भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक बनावट के आधार पर गठित कई ग्राम पंचायतों में उपरोक्त करों के अधिकांश प्रावधान लागू ही नहीं हो पाते हैं।

वित्तीय संसाधनों की समस्या पंचायती राज संस्थाओं की एक मुख्य समस्या है। पंचायतों के पास अपने जो आय के स्रोत हैं वो बहुत ही सीमित हैं, जिनका वर्णन ऊपर किया गया है। किंतु इन प्रावधानों के बाद भी भारत में ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्थिति कमजोर है। अपने अधिकांश वित्तीय आवश्यकताओं के लिये ये राज्य सरकार के अनुदानों पर आश्रित हैं। विश्व के अन्य देशों के मामले में भी भारत में स्थानीय निकायों के पास अपेक्षाकृत कम राजस्व है। 14वें वित्त आयोग द्वारा पंचायतों के वित्तीय स्रोतों को बढ़ाए



जाने के लिये पर्याप्त प्रावधान किये गए हैं। वर्तमान समय में पंचायतों के लिये वित्तीय स्रोतों को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, ताकि इन्हें अपने कार्यों हेतु उचित धन प्राप्त हो सके।

4. **जटिल सामाजिक संरचना और राजनीतिक समझ का अभाव-** भारतीय समाज विविधताओं से भरा समाज है, जिसकी झलक भारतीय सामाजिक संरचना के साथ-साथ भारतीय राजनीति में भी दिखती है। यहाँ पर हाने वाले प्रत्येक चुनाव चाहे वो लोकसभा के हों या स्थानीय स्तर पर पंचायतों और नगर निकायों के चुनाव, प्रत्येक चुनाव पर राजनीतिक दलों से लेकर धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र और भाई-भतीजावाद हावी रहता है। इसका परिणाम यह होता है कि भारतीय मतदाता धर्म, जाति से ऊपर उठ कर राजनीतिक समझ पैदा नहीं कर पाता, जिस कारण स्थानीय चुनावों में भी विकास, सुरक्षा और ईमानदार प्रतिनिधि ये पिछे रह जाता है और लोग अपने समुदाय और भाई-बन्धुओं को चुनाव में विजयी बनाने के लिए मतदान करता है। पंचायत चुनावों की एक प्रमुख समस्या यह है कि महिलाओं और अनुसूचित जाति और जनजाति के पंचायत प्रतिनिधि बनने पर महिलाओं के स्थान पर उनके पति या अन्य संबंधी पुरुष और अनुसूचित जाति और जनजाति के स्थान पर अन्य जाति के प्रभावी व्यक्ति उनके स्थान पर उनके नाम से कार्यों का संचालन करने लगते हैं।
5. **पंचायत प्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच तालमेल का अभाव-** पंचायती राज के लिए यह एक बड़ी समस्या है कि पंचायत प्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच कई मौकों पर नीतियों के क्रियान्वयन में तालमेल नहीं बन पाता और टकराव की स्थिति भी पैदा हो जाती है। प्रशासन, प्रशासनिक नियम-कानूनों को भली-भांति से जानने और समझने वाला और विकास कार्यों के निर्माण से लेकर क्रियान्वयन तक की विधि में पारंगत होता है। किन्तु कई बार ऐसा होता है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि कोई विशेषज्ञ तो होते नहीं और न ही पंचायत के कार्यों और अधिकारों की अधिक जानकारी रखते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि जनहित के कार्यों में उनमें टकराव पैदा हो जाता है और निर्माण-कार्यों में अनावश्यक बांधा उत्पन्न हो जाती है।

#### अभ्यास प्रश्न-

1. स्थानीय स्वशासन किस शासन व्यवस्था का नाम है?
2. किस संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई?
3. 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है?
4. पंचायतों के आय के स्रोत क्या हैं?

#### 20.5 सारांश

भारतीय समाज और शासन व्यवस्थाओं में पंचायतों का अस्तित्व रहा है और पंचायतों ने न्याय व्यवस्था की एक प्रक्रिया के रूप में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। जिस कारण पंचायतों को सम्मान की नजर से देखा जाता रहा है। यहाँ तक कि पंचायतों के पंचों को पंच-परमेश्वर की संज्ञा दी गयी है। अतः कह सकते हैं कि स्थानीय स्तर पर एक न्याय प्रणाली और एक शासन व्यवस्था के रूप में पंचायतें सम्मानीय और सर्वोपरि रही हैं। जिसका परिमाण यह है कि पंचायतों को संविधान में 73वां संवैधानिक संशोधन करते हुए उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान कर और सशक्त बनाया गया है। आज स्थानीय स्वशासन और लोकतंत्र की एक मजबूत इकाई के रूप में पंचायतों की नई पहचान बन गयी है। पंचायतों के माध्यम से आम जन भी शासन-सत्ता में अपनी भागीदारी निभा पा रहा है। गांव स्तर पर नागरिक अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियों के निर्माण में अपनी भागीदारी कर रहे हैं और नीतियों के क्रियान्वयन में निगरानी के तौर पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं।

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और स्थानीय स्वशासन के रूप में पंचायती राज का भविष्य बहुत ही उपयोगी है। ये बात अलग है कि चुनौतियों के तौर पर पंचायती राज व्यवस्था में अभी बहुत कुछ सुधार किया जाना आवश्यक है। ये चुनौतियां पंचायती राज व्यवस्था में एक समस्या के तौर पर सामने आ रहे हैं। किन्तु इन समस्याओं का समाधान नागरिक और राजनीतिक इच्छा शक्ति से संभव है और भविष्य में पंचायती राज इन चुनौतियों का सामना करते हुए स्थानीय स्वशासन के रूप में अपना स्वर्णिम भविष्य लिखेगा।

## 20.6 शब्दावली

विकेन्द्रीकरण- किसी चीज का एक स्थान पर एकत्र होना, सत्ता विकेन्द्रीकरण- शासन-सत्ता एक केन्द्र पर स्थित न होकर उसका केन्द्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर बंटा होना, स्थानीय स्वशासन- निचले या इकाई स्तर पर शासन-सत्ता में भागीदारी, पारदर्शिता- स्पष्टता, अस्तित्व- उपस्थिति

## 20.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. स्थानीय स्वशासन लोगों की अपनी स्वयं की शासन व्यवस्था का नाम है, 2. 73वां संविधान संशोधन, 3. नगर निकायों से, 4. प्रान्तीय सरकार से प्राप्त अनुदान, भू-राजस्व की धनराशि के अनुसार पंचायत कर, विभिन्न मनोरंजन के कार्यों से संबंधित मनोरंजन कर, गाँव के बाजारों तथा मेलों पर लगाया जाने वाला कर, पशु तथा वाहनों पर लगाया जाने वाला कर, संबंधित क्षेत्र के तालाबों में मत्स्य पालन से होने वाली आय, कूड़ा-करकट तथा मृत पशुओं की बिक्री से होने वाली आय, अन्य संपत्तियों के क्रय विक्रय पर कर। पशुओं का रजिस्ट्रेशन फीस, दुग्ध उत्पादन पर लगाया जाने वाला कर, नालियों, सड़कों की सफाई तथा रोशनी के लिये लिया जाने वाला कर।

## 20.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. पंचायती राज प्रणाली: चुनौतियां और समाधान- डॉ० रमेश प्रसाद द्विवेदी, प्रवक्ता. कॉमा
2. ई-ज्ञान कोष- ईग्नू।
3. पंचायती राज संस्थान- दृष्टि आईएएस।

## 20.9 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

4. भारत में पंचायती राज- के०के० शर्मा।
5. भारत में स्थानीय शासन- एस०आर० माहेश्वरी।
6. भारतीय प्रशासन- अवस्थी एवं अवस्थी।

## 20.10 निबन्धात्मक प्रश्न

1. स्थानीय स्वशासन को स्पष्ट करते हुए पंचायती राज के भविष्य पर चर्चा करें।
2. पंचायतों और पंचायती राज व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? पंचायती राज के मार्ग पर आने वाली बाधाओं पर प्रकाश डालें।

## इकाई- 21 स्वैच्छिक अभिकरणों की भूमिका

### इकाई की संरचना

- 21.0 प्रस्तावना
- 21.1 उद्देश्य
- 21.2 स्वैच्छिक अभिकरणों की आवश्यकता
- 21.3 स्वैच्छिक अभिकरण का अर्थ
- 21.4 स्वैच्छिक अभिकरणों की विशेषताएं
- 21.5 स्वैच्छिक अभिकरणों की भूमिका
  - 21.5.1 आर्थिक-सामाजिक विकास के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका
  - 21.5.2 समाज के विकास में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका
  - 21.5.3 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास में भूमिका
- 21.6 स्वैच्छिक अभिकरणों की कार्यशैली
- 21.7 सारांश
- 21.8 शब्दावली
- 21.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 21.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 21.11 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 21.12 निबन्धात्मक प्रश्न

### 21.0 प्रस्तावना

स्वैच्छिक अभिकरण व्यक्तियों, कार्यकर्ताओं, स्वयं सेवकों और सामाजिक कल्याण में जुटे लोगों का एक ऐसा समूह अथवा संगठन है जो मूलतः जनहित में किन्हीं निश्चित लक्ष्यों को लेकर कार्य करते हैं तथा लाभ की प्रवृत्ति से रहित सामाजिक विकास की प्रक्रिया को मजबूत करने हेतु सृजनशीलता और तन्मयता के साथ एक संगठन के रूप में कार्य करते हैं। स्वैच्छिक अभिकरण व्यावसायिक उद्देश्यों से परे रहकर मानवीयता और सहकारिता की भावना पर चलने वाला एक समूह होता है जो स्वतंत्र कार्य करता है और सीधे सरकारी नियंत्रण में नहीं होता है। स्वैच्छिक अभिकरण पंजीकृत भी हो सकते हैं और बिना पंजीकरण करवाये भी कोई समूह या संस्था समाज सेवा का कार्य कर सकती है। यह व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जिसने स्वयं को एक विधि सम्मत निकाय में संगठित कर लिया हो, ताकि वे संगठित कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक सेवाएँ प्रदान कर सकें। ये संगठन अपनी ही पहल पर अथवा बाहर से प्रेरित होकर, साथ ही आत्मनिर्भर रहकर गतिविधियाँ चलाते हैं। ये संस्थाएँ लोगों की जरूरतें पूरी करने तथा सार्वजनिक क्षेत्र की प्रसार सेवाओं को एक-दूसरे के करीब लाने का प्रयास करती हैं। ग्रामीण कमजोर वर्गों के न्यायोचित और प्रभावी विकास को अंजाम देने के लिए भी ये संस्थाएँ निरन्तर प्रयत्न करती रहती हैं। सभी गैर-सरकारी संगठन स्वैच्छिक अभिकरण नहीं होतीं। कुछ स्वैच्छिक अभिकरण का उद्देश्य कमजोर लोगों की मदद कर ख्याति प्राप्त करना अथवा धर्मार्थ कार्य करना होता है, जबकि कुछ संगठन ज्ञान प्राप्त करने, विकास के रास्ते सुगम बनाने, आत्मनिर्भर बनाने तथा गरिमा एवं स्वाभिमान से जीवन बिताने के अधिकार को मान्यता देकर कार्य करते हैं।

## 21.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप-

- स्वैच्छिक अभिकरणों की आवश्यकता के संबंध में जान पायेंगे।
- स्वैच्छिक अभिकरण का अर्थ समझ पायेंगे।
- स्वैच्छिक अभिकरणों की भूमिका से अवगत हो पायेंगे।
- स्वैच्छिक अभिकरणों की कार्यशैली को समझ पायेंगे।

## 21.2 स्वैच्छिक अभिकरणों की आवश्यकता

विगत कुछ समय के अनुभव यह बताता है कि विकास कार्यों में सरकारी तंत्र की भूमिका आशा के अनुरूप परिवर्तन नहीं ला सकी है। यद्यपि ग्रामीण पुनर्निर्माण के कार्यक्रमों का सूत्रपात और क्रियान्वयन नौकरशाही ही करती है, फिर भी गाँवों में अनेक गतिविधियों के लिए वे उपयुक्त नहीं हैं जिसके कारण सरकार को इन कार्यक्रमों को चलाने में सफलता नहीं मिलती है। विकास कार्यक्रमों को जनभागीदारी के बिना सफल नहीं बनाया जा सकता है। जनभागीदारी प्राप्त करने के लिए स्वैच्छिक अभिकरण काफी सहायक हैं। स्वैच्छिक अभिकरण की भूमिका को अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापक मान्यता प्राप्त हुई है।

स्वैच्छिक अभिकरण बहुत हद तक लोगों को सहायता प्रदान करने में सफल हुए हैं। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि कोई भी विकास कार्यक्रम तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उनमें वे लोग शामिल न हों, जिसके लिए वे चलाए जा रहे हैं। ऐसे कार्यों को स्वयंसेवी संगठन अच्छी तरह से अंजाम दे रहे हैं। सरकारी एजेंसियाँ क्रमशः निष्क्रिय और भ्रष्ट होती जा रही हैं, केंद्र से लेकर राज्यों तक कहीं भी इस सरकारी तंत्र को गतिशीलता और स्वच्छ करने की कोई राजनीतिक इच्छा के संकेत नहीं हैं, ऐसी स्थिति में स्वैच्छिक संगठनों से बहुत उम्मीद है कि वे जनता के विकास की प्रक्रिया में संवेदनशीलता के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे। अन्ना हजारे एवं बाबा रामदेव जैसे स्वैच्छिक संगठन जन-जागृति के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। केंद्र सरकार के कई मंत्रालय एवं अनेक राज्य सरकारें सरकारी तंत्र की सीमाओं को समझकर राजकीय योजनाओं को कभी स्वायत्त रूप में तो कभी सहभागिता के रूप में स्वैच्छिक संगठनों के साथ क्रियान्वित कर रही हैं। भारत सरकार की एजेंसी 'कपाट' इसमें स्वैच्छिक संगठनों के संयोजन को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। इसलिए स्वैच्छिक संगठनों का भविष्य संभावनाओं से युक्त है। स्वैच्छिक संगठनों का सामाजिक विकास की प्रक्रिया को लेकर अनुभव बढ़ता जा रहा है और वे इन निष्कर्ष को प्राप्त किए हुए हैं कि सामाजिक विकास एक सतत सृजनशील प्रक्रिया है। वह राजकीय तंत्र की जड़ता से कुंठित होती है इसलिए समाज की राज्य पर निर्भरता कम-से-कम रहनी चाहिए। इस दृष्टि से स्वैच्छिक संगठनों में सामाजिक विकास को लेकर पहले से अधिक आत्मविश्वास है, उनमें तेजी से संख्यात्मक विस्तार तो हो ही रहा है। उनकी प्रभाविता भी क्रमशः बढ़ती जा रही है।

स्वैच्छिक संगठनों में एक ओर सामाजिक समस्याओं के आकलन की शोधपरक दृष्टि होती है तो दूसरी ओर उनके निराकरण की मौलिक, सर्जनात्मक अभिवृत्ति। एक ओर समाज की समस्याओं को दूर करने की ही नहीं समाज में ऐसी समस्याओं के निराकरण की स्थाई सामर्थ्य विकसित करने की इच्छा होती है तो दूसरी ओर समाज में सहभागिता की प्रक्रिया को समृद्ध करने का संकल्प भी इस प्रकार स्वैच्छिक संगठन ऐसे-ऐसे कार्य संपादित कर देते हैं जिनमें सरकारी तंत्र तो हाथ डाल भी नहीं सकता। अच्छे वैच्छिक संगठन तो समाज में विकास-प्रक्रिया को उत्तेजित करने के साथ-साथ सरकार की कार्य-प्रणाली को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। प्रगतिशील सरकारों एवं नौकरशाही का प्रगतिशील घटक ऐसे स्वैच्छिक संगठन सामाजिक विकास की प्रक्रिया में सृजनशील प्रवृत्तियों को उत्तेजित करते हैं। स्वैच्छिक संगठन के प्रयोगात्मक अनुभवों का बराबर लाभ उठाता है।

स्वैच्छिक संगठन समाज और सरकार के बीच सकारात्मक, सर्जनात्मक तालमेल बिठाने की भी कोशिश करते हैं। वस्तुतः अच्छे स्वैच्छिक संगठनों की इसी तरह की भूमिकाओं के बारे में भारत सरकार के योजना आयोग का मानना है कि-उपयुक्त ढंग से संगठित स्वयंसेवी, प्रयास, कमजोर और जरूरतमंद लोगों की सहायता हेतु समुदाय में सुलभ सुविधाओं को बढ़ाने में काफी हद तक कारगर हो सकता है।

### 21.3 स्वैच्छिक अभिकरण का अर्थ

भारत में समाज सेवा और स्वैच्छिक सेवा की भावना की प्राचीन परम्परा रही है। धर्म की पारम्परिक भावना के अतिरिक्त दो शताब्दियों से भारत में गरीबों, दीन-हीन, अपंग एवं कमजोर वर्गों के सहायतार्थ असंख्य परोपकारी और सेवायुक्त संस्थाएँ अस्तित्व में आयी हैं। स्वयं महात्मा गांधी का राष्ट्रीय स्वतंत्रता सम्बन्धी आन्दोलन, प्रारम्भिक स्तर पर सामाजिक पुनर्निर्माण, स्वयं सेवा एवं गरीबों में सर्वाधिक निर्धनों के सेवा सम्बन्धी संदेश पर ही था। जिसका मुख्य आधार स्वैच्छिक कार्यवाही था।

स्वैच्छिक शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 'Voluntarism' शब्द से हुई है। जिसका अर्थ है- इच्छा या स्वतंत्रता। हैराल्ड लास्की ने इसे समूह या संघ बनाने की स्वतंत्रता के सन्दर्भ में कहा है कि रूचिगत उद्देश्यों के संवर्धन के लिए व्यक्तियों के एकत्र होने की मान्यता प्राप्त कानूनी अधिकार का नाम ही संघ बनाने की स्वतंत्रता है। टी० एन० चतुर्वेदी के अनुसार, "स्वैच्छिक अभिकरण या समूह एक ऐसा औपचारिक दल विहिन व निजी निकाय होता है जो व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयास के माध्यम से अस्तित्व में आता है और जो व्यक्तिगत या सामूहिक प्रयत्न के माध्यम से समाज के किसी विशेष तबके के जीवन को किसी भी मायने में बेहतर बनाने पर केन्द्रित होता है।"

रिम्स के अनुसार, "यह व्यक्तियों का ऐसा समूह है, जिसका आधार राज्य नियंत्रण से परे स्वैच्छिक सदस्यता पर टिका रहता है और जो सामान्य हित को अग्रसर करने पर अपना ध्यान केन्द्रित करता है।"

स्वैच्छिक अभिकरण वस्तुतः व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है, जहाँ व्यक्तिगत हित का बलिदान कर सामूहिक हित को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। समूह की सदस्यता पूरी तरह स्वैच्छिक होती है। स्पष्ट तौर पर कहा जाए तो किसी समूह अथवा संगठन के निर्माण हेतु कई बार कानूनी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होती है। केवल समूहों को आधिकारिक निकायों के समक्ष कानूनी रूप से पंजीकृत कराना आवश्यक होता है कि इस प्रकार के जन-समूह विद्यमान हैं। ये अनिवार्य रूप से राजनैतिक नियंत्रण के उपकरण नहीं होते हैं, किन्तु इनमें से अधिकांशतः अर्थव्यवस्था को धोखे से बचाने के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। स्वैच्छिक समूह ऐसे अज्ञात, गैर-लाभकारी संगठन होते हैं, जो ऐसे व्यक्तियों द्वारा संचालित किये जाते हैं। जिन्हें समूह के संचालन हेतु सरकार की ओर से धन उपलब्ध नहीं कराया जाता है। ये चैरिटी जैसे आन्तरिक स्रोतों से अपने राजस्व का इंतजाम करते हैं।

स्वैच्छिक अभिकरण संगठित स्वदेशी समूहों द्वारा स्थानीय, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास कार्यों में सहयोग देने वाली प्राइवेट एजेंसी होती है। स्वयं सेवी संस्थायें सरकारी संगठन, मंत्रालय, विभाग, एजेंसीज और अधिकृत कार्यालयों को सरकारी उद्देश्यों नीति-नियमों, कार्यक्रमों और योजनाओं आदि को पूरा करने में सहयोग करते हैं। जनहित में स्वयं सेवी संस्थायें ये सारे कार्य सरकार के साथ जनभागिता नीति के तहत करती हैं। स्वैच्छिक अभिकरण सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक स्तर पर पिछड़े वर्ग की उन्नति, बेहतरी व विकास के लिए कार्य करती है जिससे उनको समाज की मुख्यधारा में लाया जा सके और समाज में लोगों का जीवन स्तर उच्च हो और वे अच्छे से जीवनयापन कर सकें। स्वैच्छिक अभिकरण समाज में लोगों को उनके कानून और अधिकारों के हक की लड़ाई में सहयोग देती है। सूचना का अधिकार से जुड़ा अरूणा राय व लोकपाल विधेयक से जुड़ा अन्ना हजारे के नाम का जिक्र इस बात को समझाने के लिए पर्याप्त है कि जन-सहभागिता किस तरह से जन आंदोलन बनती है।

स्वयं सेवी संस्थाओं को आर्थिक सहयोग सदस्यों की सदस्यता शुल्क से, प्राइवेट डोनेशन से व संस्था के उत्पाद बिक्री से मिलता है। स्वयं सेवी संस्थायें परोपकारी संस्था की हैसियत से सेवा कार्य करती है।

स्वैच्छिक अभिकरण एक ऐसा शब्द है जो बिना किसी सरकारी भागीदारी या प्रतिनिधित्व के साथ प्राकृतिक या कानूनी व्यक्तियों के द्वारा बनाए गए विधिवत संगठित गैर-सरकारी संगठनों को संदर्भित करने के लिए व्यापक रूप में स्वीकार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय स्वैच्छिक अभिकरण की संख्या 40000 है। भारत में 35 लाख के आसपास स्वैच्छिक अभिकरण के होने का अनुमान है।

सामुदायिकता की भावना मानव समाज की सबसे बड़ी विशेषता है। इसकी शुरुआत देश की प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संस्थाएँ, जैसे- सेल्फ एम्पलाइड वीमेन एसोसिएशन के जरिए हुई है। यह समान सामाजिक और आर्थिक स्तर वाले एक जैसे सूक्ष्म उद्यमियों का ऐसा समूह है जिसमें लगभग 10-20 सदस्य होते हैं। हाल के वर्षों में स्वयं सेवी संस्थाओं ने एक परिवर्तन कारक के रूप में उभर कर समाज के कई हितों में योगदान दिया है।

स्वयं सेवी संस्थाओं की शुरुआत प्राचीन काल से हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवी संस्थाओं की शुरुआत 1839 से मानी जाती है। रोटरी इंटरनेशनल को सन् 1905 में स्थापित किया गया था। पश्चिमी देशों में स्वयं सेवी संस्थाओं का विकास कल्याणकारी राज्य के पुनर्गठन की प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे स्वयं सेवी संस्थायें हैं जैसे- एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वाच, ग्रीनपीस, ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल आदि। स्वैच्छिक अभिकरण हाशिए पर और वंचित समुदायों के लिये आपदा राहत से लेकर समर्थन तक के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। भारत जैसे विकासशील देश में भूमिका और जिम्मेदारियाँ बहुत अधिक हैं। स्वयं सेवी संस्थायें सरकार के कार्यक्रमों में खामियों को दूर करने का प्रयास करते हैं और उन लोगों तक पहुँचते हैं जो अक्सर राज्य की परियोजनाओं से अछूते रह जाते हैं। उदाहरण के लिए कोविड- 19 के इस संकट की घड़ी में वंचितों, प्रवासी श्रमिकों आदि को सहायता प्रदान करना। इसके अलावा वे मानव और श्रम अधिकारों, लैंगिक मुद्दों, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण, शिक्षा, कानूनी सहायता और यहाँ तक कि अनुसंधान से संबंधित विविध गतिविधियों में लगे हुए हैं।

#### 21.4 स्वैच्छिक अभिकरणों की विशेषताएँ

स्वैच्छिक अभिकरणों की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं-

1. स्वैच्छिक अभिकरण सरकारी संगठनों की कार्यशैली एवं संरचना से भिन्न होते हैं, इनके सदस्यों के बीच अनौपचारिक सम्बन्ध होता है। अनौपचारिक सम्बन्धों और कार्यप्रणाली में स्वायत्तता के कारण इन संगठनों की सामाजिक कल्याण में विशिष्ट आवश्यकता है। नौकरशाही, लालफीताशाही एवं नियम-कानूनों से मुक्त ये संगठन अपनी कार्य-संस्कृति को आवश्यकतानुसार परिवर्तित कर सकते हैं।
2. स्वैच्छिक अभिकरणों के निर्माण में सरकारी प्रयासों की अपेक्षा कुछ व्यक्तियों की इच्छा ही सबसे निर्णायक होती है। इसकी विशेषताओं के तहत इसका निर्माण अक्सर जन-कल्याण के लिए किया जाता है।
3. इस स्वैच्छिक अभिकरण का संचालन “लाभ-हानि से परे” के आधार पर किया जाता है। इन स्वैच्छिक संगठनों का कार्य-क्षेत्र भौगोलिक एवं सामाजिक क्षेत्र के एक सीमित दायरे में होता है।
4. इन अभिकरणों द्वारा संचालित कार्यक्रमों को सामाजिक मान्यता तथा समुदायिक सहयोग मिलता है। इसकी वित्तीय व्यवस्था सरकार तथा जनता द्वारा पूरी होती है।
5. स्वैच्छिक अभिकरणों का निर्माण स्वेच्छा से व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इनके निर्माण के पीछे सरकारी प्रयासों के बजाय व्यक्तियों की स्वप्रेरणा उत्तरदायी होती है।



6. इसका एक औपचारिक संगठन होता है। इन संगठनों में “शीर्ष प्रशासनिक सत्ता” के रूप में सामान्य सभा या आम सभा होती है, जिसमें उस संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी दानदाता या महत्वपूर्ण व्यक्ति रखे जाते हैं, जो संगठन के नीति-निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं।

### 21.5 स्वैच्छिक अभिकरणों की भूमिका

आजादी के बाद देश की अर्थव्यवस्था को संचालित करने में सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण मानी गई थी किंतु विगत छह दशकों में सार्वजनिक क्षेत्र के बराबर घाटे में जाने तथा राजकीय क्षेत्र के भ्रष्ट और अकर्मण्य होते जाने से जो स्थितियाँ सामने आई हैं उसमें पिछले दो दशकों से आर्थिक सुधारों के नाम पर सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र को क्रमशः सीमित किया जाता रहा है, साथ ही सरकार के एवं सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न कार्यों में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका को महत्व दिया जाने लगा है। इस प्रकार सरकार + समाज + स्वैच्छिक संगठन संयुक्ति अनेक दृष्टियों से उपादेय माने जाने लगी है। इसीलिए 21वीं शताब्दी में स्वैच्छिक संगठनों के विकास एवं दायित्व पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

स्वयंसेवी या स्वैच्छिक संगठन व्यक्तियों का ऐसा समूह होता है जिन्होंने स्वयं को एक विधि-समूह निकाय के रूप में संगठित कर लिया है, ताकि वे संगठित कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक सेवाएं प्रदान कर सकें। लॉर्ड बिबरिज के शब्दों में, ‘ठीक से कहें तो स्वयंसेवी संगठन ऐसा संगठन होता है जिसका कार्य-आरम्भ और संचालन इसके सदस्यों द्वारा बिना बाहरी हस्तक्षेप के होता है, चाहे उसके कार्यकर्ताओं को वेतन दिया जाता हो या नहीं।’ ऐसे संगठनों का एक संगठनात्मक व्यक्तित्व होता है। ये अपनी ही पहल पर अथवा बाहर से प्रेरित होकर लोगों के समूह द्वारा किसी स्थान विशेष में एक स्वावलंबी ढंग से गतिविधियाँ संचालित करते हैं, उनकी जरूरतें पूरी करते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की प्रसार-सेवाओं को एक-दूसरे के करीब लाते हैं तथा समाज के कमजोर वर्गों के न्यायोचित और प्रभावी विकास को अंजाम देते हैं।

#### 21.5.1 आर्थिक-सामाजिक विकास के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका

आर्थिक-सामाजिक विकास के क्षेत्र में पिछले छह दशकों में सरकारी एजेंसियों का जाल बिछ गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकाससार्वजनिक निर्माण विभाग, पशुपालन कृषि उद्योग आदि के क्षेत्रों में राजकर्मियों लोक-विकास के लिए नियुक्त हैं, इसके बावजूद अकर्मण्यता और भ्रष्टाचारों के कारण एक-से-एक उत्कृष्ट योजनाएं क्रियान्वयन में असफल हो रही हैं। राजकर्मियों का जनता को शोषित करने, परेशान करने का संबंध अधिक स्थापित है। राजकीय सेवाओं में मिशन की भावना तो दूर, सहज कार्यसंपादित करने की व्यावसायिक दृष्टि एवं कौशल भी नहीं है। वस्तुतः देश ने आजादी के बाद हमारे प्रशासन-तंत्र के लगातार प्रसार के बावजूद उसके निकम्मा और भ्रष्ट साबित होने की त्रासदी को भोगा है और अब न केवल जनता बल्कि स्वयं सरकार भी तंत्र की भूमिका को लेकर निराश और चिंतित है। ऐसी पृष्ठभूमि में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका सामाजिक विकास के केंद्र में आती जा रही है। देश में कुछ स्वैच्छिक संगठनों ने न केवल भौतिक उपलब्धियों को लेकर बल्कि कार्य-प्रक्रियाओं को लेकर इतना मौलिक और उत्कृष्ट कार्य किया है कि उससे सरकारी क्षेत्र विस्मित है तथा उसका राजकीय सेवाओं में अधिक से अधिक सहयोग लेने का प्रयास किया जा रहा है।

#### 21.5.2 समाज के विकास में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका

स्वैच्छिक संगठन समाज के विकास में, विशेष रूप से समाज के वंचित वर्ग में उत्प्रेरक अभिकर्ता के रूप में काम करते हैं। ये संगठन गरीब लोगों की समस्याओं के समाधान में प्रभावी होते हैं। सरकार द्वारा उपलब्ध योजनाओं का लाभ गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पाता, किंतु स्वयंसेवी संगठन इन योजनाओं से संबंधित कर्मचारियों से जुड़कर

जनता में जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये विकास-प्रक्रिया में साईंय भागीदारी निभाते हैं। प्रत्येक योजना, उसके उद्देश्य, अपेक्षित लाभ, कार्य-प्रणाली आदि के बारे में भली प्रकार समझ सकते हैं। ये लाभार्थियों के सही चुनाव करने में भी भूमिका निभाते हैं।

### 21.5.3 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास में भूमिका

देश में कई स्वैच्छिक संगठन कार्य कर रहे हैं और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास की भूमिकाएँ निभा रहे हैं। विकासशील देशों में जहाँ सरकारें एवं नौकरशाही योजनाओं को क्रियान्वित करने में असफल रही हैं वहाँ स्वैच्छिक संगठनों की मदद की सर्वत्र बढ़ती जा रही है। भारत में भी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि उद्योग, महिला एवं बालविकास आदि क्षेत्रों में स्वैच्छिक संगठन केंद्र एवं राज्य सरकारों के साथ मिलकर प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। देश में एक ओर सहकारी संगठन सार्वजनिक क्षेत्रों में सरकार की मदद कर रहे, वहीं अब सहकारी संगठनों के भ्रष्टाचार एवं अकर्मण्यता से भिन्न स्वैच्छिक संगठन सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में नए-नए प्रयोग और योजना-क्रियान्वयन का कार्य कर रहे हैं। राजस्थान में SWRC (तिलोनिया), विज्ञान आश्रम, (पूना), मरुगप्पा चेतियार रिसर्च सेंटर, (चेन्नई) मित्रनिकेतन, (तिरुअनंतपुरम), हिमालयन इन्वाइनमेंटल स्टडीज एण्ड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन (देहरादून), सारथी, पंचमहल(गुजरात), बोध, दिगंतर संधान, (जयपुर) भारत सेवक संघ (अलवर) एकलव्य (मध्यप्रदेश) आदि स्वैच्छिक संगठन दशकों से सार्वजनिक क्षेत्र में अपनी पहचान स्थापित कर चुके हैं। किन्तु सरकारी कर्मचारियों एवं गैर-सरकारी व्यक्तियों की निहित स्वार्थपरता ने विदेशी एवं देशी अर्थ स्रोतों का दोहन करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में स्वैच्छिक संगठन खड़े हो गए हैं और होते जा रहे हैं जो अपने मूल उद्देश्य में तो निजी स्वार्थ को साध रहे हैं और आडंबर एक स्वैच्छिक संगठन का है। ऐसे सभी संगठन स्वैच्छिक सामाजिक कार्य संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। सरकार एवं स्वैच्छिक संगठनों को मिलकर ऐसे भ्रष्ट स्वैच्छिक संगठनों के कारनामों को उजागर करते रहना चाहिए ताकि स्वैच्छिक को उजागर करते रहना चाहिए ताकि स्वैच्छिक संगठन के विकास की स्वस्थ प्रक्रिया बाधित न हो। स्वैच्छिक संगठन सामाजिक विकास की माँग के स्वाभाविक प्रतिफल हैं। वे समाज के प्रति अधिक संवेदनशील हैं, समाज की सर्जनात्मक ऊर्जा को बेहतर ढंग से नियोजित कर सकते हैं, वे सरकार और समुदाय के बीच रचनात्मक कड़ी बन सकते हैं। अब सरकारी तंत्र के बराबर सीमित होते जाने की स्थितियों में स्वैच्छिक संगठनों की जरूरत एवं दायित्व दोनों बढ़ते जा रहे हैं। भारत में स्वैच्छिक संगठन समुदाय के साथ अपनी भागीदारी को अधिक व्यापक, जीवंत एवं सृजनशील बनाएँगे, ऐसी संभावना है। जल-संग्रहण के लिए भी अनेक संस्थाएँ कार्य कर रही हैं। ये संस्थाएँ स्थानीय लोगों का सहयोग लेकर वर्षा जल को एकत्रित करने की व्यवस्था करने में महत्वपूर्ण योगदान कर रही हैं। बायफ संस्था ने कुछ क्षेत्रों में रोजगार की दृष्टि से लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि का विकास किया है। पशुपालन में भी मदद की है, जिससे लोग आत्मनिर्भर बने हैं।

नागरिकता संस्थान विद्या भवन सोसायटी ने पंचायतीराज के क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों को आवासीय प्रशिक्षण देकर इस दिशा में एक नया अध्याय जोड़ा है। यदि हम जनप्रतिनिधियों को सशक्त करते हैं तो वे ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। फिर चाहे वे अशिक्षित महिलाएँ हों, आदिवासी या अन्य सभी प्रशिक्षण प्राप्त करके पंचायतीराज के स्वप्न को साकार कर सकते हैं।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार कानून लागू किया गया। इस कानून को बनवाने में स्वयंसेवी संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

### 21.6 स्वैच्छिक अभिकरणों की कार्यशैली

सफल रहने वाली संस्थाओं की प्रमुख विशेषता होती है- उनकी कार्यशैली एवं प्रभावी व्यूहरचना। ये लोग संस्थाओं के कार्यकर्ताओं के चयन में पहली शर्त यही रखते हैं कि उन्हें गाँवों में कार्य करना होगा। उन्हें लोगों की

बोलचाल की भाषा जानना जरूरी है और उन्हें स्थानीय रीति-रिवाज व संस्कृति में घुल-मिल कर कार्य करना होगा। यहाँ समानता का व्यवहार रखकर कार्य किया जाता है। संस्था में सभी का उठना-बैठना, खाना-पीना एक समान रहता है। समय-समय पर बैठकें आयोजित कर अपनी सफलताओं पर कम परन्तु असफलताओं पर ज्यादा बातचीत करते हैं। बातचीत के आधार पर नये रास्ते तलाश करके उसकी कार्यप्रणाली विकसित करते हैं। नयी पद्धति पर कुछ कार्य कर लेने के बाद पुनः विचार करके उनमें आवश्यक संशोधन करते हैं। इतना लचीलापन राजकीय संस्थाओं में नहीं होता है। हालाँकि उनके पास साधनों एवं सूचनाओं का भण्डार रहता है। ये संस्थाएँ स्वयं लोगों के पास पहुँचकर कार्य करती हैं। राजकीय एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की कार्यशैली के इस अन्तर से ही आज स्वयंसेवी संस्थाओं की साख बढ़ती जा रही है। उनके पास व्यावसायिक नेटवर्किंग है। इन संस्थाओं ने युवाओं के लिए आजीविका के नये मार्ग खोल दिए हैं। उनके साथ इंजीनियर, वकील, प्रबन्धन से जुड़े लोग, स्नातक, तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवा सभी हैं। ये लोग शोध एवं डॉक्युमेंटेशन को विकास प्रक्रिया में अनिवार्य मानकर कार्य करते हैं। इस प्रकार स्वयंसेवी संगठन एक तरफ सामाजिक-आर्थिक विकास का कार्य कर रही हैं, वहीं मनोवैज्ञानिक स्तर पर लोगों को अपने अधिकारों के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनाती हैं। साथ ही समाज और सरकार के बीच समन्वय भी स्थापित करती हैं। संस्थाओं के कार्यकर्ता भी आज शिक्षित एवं नये सूचना माध्यमों और तकनीक से लैस हैं। इन्हीं कारणों से संस्थाओं की व्यूह-रचना कामयाब रहती है।

ऐसी अनेक जनोपयोगी योजनाएँ हैं, जिन्हें स्वयंसेवी संस्थाएँ सुचारू रूप से अंजाम देती हैं। इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं की लोगों में पैठ एवं प्रभावी संचार प्रणाली का योगदान होता है। संस्थाओं के अधिकांश लोग सेवा भाव से प्रेरित होकर समाजोपयोगी कार्य करते हैं। परिणामस्वरूप ये लोग जनसहयोग और जनसहभागिता के माध्यम से जनसम्पर्क बढ़ाकर गरीब, पिछड़ों एवं जरूरतमन्दों को राहत पहुँचाते हैं। इन संस्थाओं के व्यवहार एवं कार्यप्रणाली में लचीलापन आ जाता है। ये अपनी कार्यप्रणाली एवं नीतियों में समय-समय पर परिवर्तन कर सफलता प्राप्त करते हैं।

अन्ना हजारे की भ्रष्टाचार विरोधी जनलोकपाल मुहिम और उसमें शामिल संगठनों ने और कुछ किया हो या न किया हो, लेकिन स्वैच्छिक संगठनों को लोकतंत्र में एक सशक्त जनमंच के बतौर काफी ताकत और केंद्रीयता जरूर दिला दी है। गए बरसों में इन संगठनों का दायरा धीमे-धीमे बहुत व्यापक और विविधतामय बनता गया है। आज उसकी परिधि में इला भट्ट के द्वारा स्थापित 'सेवा' या राजस्थान के 'सेवा मंदिर' सरीखे समाजसेवी संगठनों के अलावा शहर-गांवों के कई गैर-मुनाफा संस्थान, शहरी आवासीय कॉलोनियों के आरडब्ल्यूए समूह तथा अन्ना की टोली में शामिल सिविल समाज संगठन भी शामिल हैं। और अगर विशुद्ध पंजीकरण की कसौटी पर परखें, तब तो क्रिकेट संगठन बीसीसीआई भी एक स्वायत्त संस्था ही ठहरता है।

केन्द्रीय आंकड़ा कार्यालय (सीएसओ) के 2009 के आंकड़ों के अनुसार भारत के विभिन्न राज्यों में तकरीबन 33 लाख स्वैच्छिक संगठन तरह-तरह के विषयों पर काम कर रहे हैं। उसके अनुसार इनकी तादाद में पिछले 12 वर्षों में 194 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। अब आम लोग इन संगठनों की ताकत और जनता तक सीधी पहुँच का महत्व भले ही न भांप पाए हो, लेकिन हर विचारधारा वाले राजनीतिक दल उसे बखूबी समझते हैं। यही वजह है कि सरकारों की नीयत या नीति को बारंबार चुनौती देने वाले इस तबके को सबसे अधिक वित्तीय मदद सरकार ही दे रही है।

सिर्फ स्वैच्छिक सिविल संगठनों की मार्फत भारत में मौजूदा तंत्र को सफलतापूर्वक सिर के बल खड़ा कर उसे नितांत समाजवादी या धुर वामपंथी बनाया जा सकता है, इसकी उम्मीद तो शायद समाजवादियों या वामपंथियों को भी नहीं होगी। लेकिन पुरानी आदत के तहत अधिकतर स्वैच्छिक संगठन भी सरकार को राजकाज के विशालतम लीवर की बजाय जनशत्रु की भूमिका में ही देखते-दिखाते हैं और बदलाव की बड़ी-बड़ी बातें करने के बावजूद आर्थिक सुधारों व उदारीकरण पर सरकार से सहकार करने से बिदकते हैं। क्या सत्ता के बाहर खड़े होकर,

यथास्थिति भी नहीं और बदलाव भी नहीं, और लोकतंत्र, संविधान या संसद सब भ्रष्ट हैं, का शोर उठाते संगठनों में इतनी एकता और क्षमता है कि शून्य को वे खुद भर सकें? अभी तो चुनाव लड़ने, न लड़ने के बुनियादी सवाल पर ही अन्ना आंदोलन दो-तीन फाड़ हो गया।

जन लोकपाल आंदोलन, काला धन विरोधी मुहिम और भ्रष्टाचार विरोधी (अनाम) पार्टी द्वारा जनता में क्रांतिकारी बदलाव को लेकर जो विसंगतियां लगातार उजागर हुई हैं, उनका प्रतिकार जरूरी है। फिलवक्त कम से कम तीन ऐसी गैरसरकारी संस्थाएं हैं भी ('गिव इंडिया', 'गाइड स्टार इंडिया' और 'क्रेडिबिलिटी एलायंस') जो इच्छुक स्वैच्छिक संगठनों के लिए उनके कामकाज, उनके कुल जमा खर्चों, उनके सांगठनिक ढांचे और नियमानुसार कार्य करने की क्षमता की नियमित वैज्ञानिक पड़ताल करती आई हैं। बहुत अच्छा हो कि 'कैग' की रपट लहराकर सरकार से लोकपाल बिठाने की जिद करने वाली हर जनसंस्था खुद भी इस तरह की साफ-सुथरी बाहरी मूल्यांकन संस्थाओं से अपने खर्च-पानी तथा दशा-दिशा का भी नियमित और तटस्थ ऑडिट कराए। सिर्फ 'मंत्री लोग झूठे हैं, सरकार निकम्मी है, सारे सांसद भ्रष्ट हैं' का विधवा विलाप करते जाना बेकार है और एक हद के बाद जनता उससे कुढ़ने लगती है।

हाल के समय में जहाँ स्वैच्छिक संस्थाओं की संख्या बहुत बढ़ी है, वहीं स्वैच्छिक कार्य की गरिमा और सार्थकता बनाए रखने वाली इस पहचान की उपेक्षा हुई है। आज इस क्षेत्र में मुख्य चुनौती यही है कि स्वैच्छिकता की मूल भावना को सशक्त कर, इसे अधिक व्यापक बनाकर इस क्षेत्र की गरिमा और मर्यादा की रक्षा की जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस वर्ष को स्वैच्छिक कार्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। इस मौके पर इन संगठनों के जीवन में झंकाव और भी जरूरी हो जाता है। सामाजिक सरोकारों से जुड़ने के लिए कुछ लोग अपनी आय और संपत्ति का कुछ भाग देने के लिए तैयार रहते हैं, जबकि कुछ अन्य लोग सामाजिक कार्य के लिए अधिक सक्रिय रूप से संस्था या संगठन बनाकर (या कभी-कभी व्यक्तिगत रूप से ही) आगे आते हैं। ये संगठन उन श्रमिक या कर्मचारी संगठनों से कुछ अलग हैं जो अपने सदस्यों के लिए ट्रेड यूनियन के कानूनी दायरे में काम करते हैं। ये संगठन उन संगठनों से भी अलग हैं जो किसी विशेष धर्म या संप्रदाय के विचारों व हितों को आगे बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं। इस तरह के एक पक्षीय संगठनों के जो सरोकार होते हैं उसके अतिरिक्त निरंतर जटिल हो रहे समाज की कितनी ही समस्याएं हैं, जो केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं सुलझ सकती हैं। अब तो अधिकांश देशों की सरकारें भी यह मानने लगी हैं कि ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिनमें विशेष साहस, संवेदनशीलता, करुणा, बारीकियों पर ध्यान देने, धैर्य और तरह-तरह के प्रयोग कर राह निकालने की आवश्यकता होती है।

संस्था को पारदर्शी और उस समुदाय के प्रति पूरी तरह जवाबदेह होना चाहिए जिसके बीच वह कार्यरत है तथा जिनकी भलाई के लिए उसे आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। यदि कोई संस्था पांच गांवों में काम कर रही है तो इन गांवों के लोगों को संस्था के कार्य, बजट, प्राथमिकता के बारे में आसानी से जानकारी उपलब्ध हो तथा इस बारे में उनके विचार जानने का संस्था निरंतर प्रयास करे। जिन गांवों में कुछ बड़े भूस्वामी या ठेकेदार उस गरीब वर्ग के विकास में बाधक हैं जिसकी सहायता स्वैच्छिक संस्था करना चाहती है, तो इन बड़े भू स्वामियों के प्रति प्रति जिम्मेदार होना स्वैच्छिक संस्था के लिए जरूरी नहीं है।

स्वैच्छिक अभिकरण को अपनी आय और व्यय को सार्वजनिक जांच के लिये खुला रखने की आवश्यकता है। हालांकि किसी स्वयं सेवी संस्था की विश्वसनीयता का निर्धारण धन के स्रोत, देशी या विदेशी के पैमाना के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है। साथ ही सरकार को यह महसूस करना चाहिए कि राष्ट्रीय सीमाओं के पार विचारों और संसाधनों का सहज आदान-प्रदान वैश्विक समुदाय के कामकाज के लिए आवश्यक है और इसे तब तक हतोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि यह मानने का कारण न हो कि धन का उपयोग अवैध गतिविधियों में सहायता के लिये किया जा रहा है। स्वयं सेवी संस्थाओं के संबंध में कई मुद्दों पर खामियाँ भी देखी गई हैं, जैसे- विश्वसनीयता में कमी, पारदर्शिता की कमी, विकास संबंधी गतिविधियों में खामियाँ। भारत के

इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट ने ग्रीनपीस, कार्डेंड, एमनेस्टी और एक्शन एड जैसे स्वयं सेवी संस्थाओं पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद को 2-3 प्रतिशत प्रतिवर्ष कम करने का आरोप लगाया है।

### अभ्यास प्रश्न-

1. भारत सरकार की कौन सी एजेंसी स्वैच्छिक संगठनों के संयोजन को लेकर महत्वपूर्ण कार्य कर रही है?
2. भारत में लगभग कितने स्वैच्छिक अभिकरण हैं?
3. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय स्वैच्छिक अभिकरणों की संख्या कितनी है?
4. अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थाओं की शुरुआत कब हुई?
5. सूचना का अधिकार कानून कब लागू किया गया?

### 21.7 सारांश

स्वैच्छिक संगठन मूलतः जनहित में किन्हीं निश्चित लक्ष्यों को लेकर कार्य करते हैं तथा लाभ की प्रवृत्ति से रहित सामाजिक विकास की प्रक्रिया को मजबूत करने हेतु सृजनशीलता और तन्मयता के साथ एक संगठन के रूप में कार्य करते हैं। स्वैच्छिक संगठन व्यक्तियों का ऐसा समूह होता है जिन्होंने स्वयं को एक विधि-समूह निकाय के रूप में संगठित कर लिया है, ताकि वे संगठित कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक सेवाएं प्रदान कर सकें।

स्वैच्छिक अभिकरण व्यावसायिक उद्देश्यों से परे रहकर मानवीयता और सहकारिता की भावना पर चलने वाला एक समूह होता है जो स्वतंत्र कार्य करता है और सीधे सरकारी नियंत्रण में नहीं होता है। स्वैच्छिक अभिकरण बहुत हद तक लोगों को सहायता प्रदान करने में सफल हुए हैं। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि कोई भी विकास कार्यक्रम तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उनमें वे लोग शामिल न हों, जिसके लिए वे चलाए जा रहे हैं। ऐसे कार्यों को स्वयंसेवी संगठन अच्छी तरह से अंजाम दे रहे हैं। देश में कुछ स्वैच्छिक संगठनों ने न केवल भौतिक उपलब्धियों को लेकर बल्कि कार्य-प्रक्रियाओं को लेकर इतना मौलिक और उत्कृष्ट कार्य किया है कि उससे सरकारी क्षेत्र विस्मित है तथा उसका राजकीय सेवाओं में अधिक से अधिक सहयोग लेने का प्रयास किया जा रहा है। स्वैच्छिक संगठन समाज के विकास में, विशेष रूप से समाज के वंचित वर्ग में उत्प्रेरक अभिकर्ता के रूप में काम करते हैं। ये संगठन गरीब लोगों की समस्याओं के समाधान में प्रभावी होते हैं। देश में स्वैच्छिक संगठन कार्य कर रहे हैं और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकास की भूमिकाएँ निभा रहे हैं।

### 21.8 शब्दावली

स्वयं सेवी या स्वैच्छिक संगठन- खुद से या स्वेच्छा से कार्य करने वाले संगठन, सूत्रपात और क्रियान्वयन- किसी चीज की शुरुआत और कार्य करना, अकर्मण्यता- कार्य न करना या कार्य से जी चुराना, वंचित वर्ग- समाज का वो वर्ग जिसे किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधाएं प्राप्त न होना, वैश्विक समुदाय- विश्व स्तर का समुदाय

### 21.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. कपाट,
2. 35 लाख,
3. 40 हजार,
4. सन् 1839,
5. सन् 2005

### 21.10 सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. एन0जी0ओ0 हैंड बुक, नाबी बोर्ड ऑफ एडिटर, लखनऊ, ईस्टन कंपनी।
2. भारत में समाज कल्याण प्रशासन, डी0 आर0 सचदेवा, किताब महल, इलाहाबाद।
3. बी0 एम0 कुलकर्णी, वोलेंटरी एक्शन इन ए डेपलपिंग सोसाईटी।
4. एच0 आर0 चतुर्वेदी, रोल ऑफ वोलेंटरी आर्गनाइजेशन इन रूरल डेवलपमेंट।

- 
5. सामाजिक कल्याण प्रशासन, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
- 

### 21.11 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

---

1. बी0 एम0 कुलकर्णी, वोलेंटरी एक्शन इन ए डेवलपिंग सोसाईटी।
  2. एच0 आर0 चतुर्वेदी, रोल ऑफ वोलेंटरी आर्गनाइजेशन इन रूरल डेवलपमेंट।
  3. एन0जी0ओ0 हैंड बुक, नाबी बोर्ड ऑफ एडिटर, लखनऊ, ईस्टन कंपनी।
- 

### 21.12 निबन्धात्मक प्रश्न

---

1. स्वैच्छिक अभिकरण को समझाते हुए इसकी आवश्यकता और कार्यशैली पर प्रकाश डालिए।
2. स्वैच्छिक अभिकरण के अर्थ को स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताओं और भूमिका की व्याख्या कीजिए।



## इकाई- 22 सहकारिता और विकास

### इकाई की संरचना

- 22.0 प्रस्तावना
- 22.1 उद्देश्य
- 22.2 सहकारिता की अवधारणा
- 22.3 सहकारिता का अर्थ और परिभाषा
- 22.4 सहकारिता के उद्देश्य
- 22.5 सहकारिता के प्रकार
  - 22.5.1 सहकारी कृषि
  - 22.5.2 सहकारी विपणन
  - 22.5.3 सहकारी औद्योगिक संघ
  - 22.5.4 सहकारी उपभोक्ता संघ
  - 22.5.5 सहकारी उत्पादक संघ
- 22.6 सहकारिता और विकास
- 22.7 सहकारिता और पंचायती राज संस्थाएं
- 22.8 सारांश
- 22.9 शब्दावली
- 22.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 22.11 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 22.12 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 22.13 निबन्धात्मक प्रश्न

### 22.0 प्रस्तावना

सहकारिता की शुरुआत 19वीं शताब्दी में ग्रेट ब्रिटेन में एक आंदोलन के रूप में हुई। राबर्ट ओवेन जैसे आर्थिक-सामाजिक सुधारकों ने सहकारिता के विचार को ठोस शक्ति देने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। वर्तमान में अनेक आर्थिक गतिविधियों को सहकारिता के आधार पर आसानी से और दक्षतापूर्वक चलाया जा रहा है जिससे विकास के कई मार्ग उजागर हुए हैं जैसे- उपभोक्ता सहकारिता, ऋण सहकारिता, कृषि सहकारिता, सेवा सहकारिता, कर्मकार सहकारिता आदि।

सहकारिता स्वयं सहायता, स्व-उत्तरदायित्व, प्रजातंत्र, समानता, साम्यता और एकता के मूल्यों पर आधारित है। सहकारिता की नींव रखने वालों की परंपरा में सहकारी संस्थाओं के सदस्य ईमानदारी, खुलेपन, सामाजिक जिम्मेदारी और अन्य लोगों का ध्यान रखने जैसे नैतिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं। सहकारिता की अवधारणा के साथ अनेक आधारभूत मूल्य जुड़े हैं जैसे-स्वयं सहायता, स्व-उत्तरदायित्व, प्रजातंत्र, समानता, साम्यता और एकता। इसके साथ ही इसमें कुछ नैतिक मूल्य भी निहित हैं जैसे- ईमानदारी, खुलापन, सामाजिक जिम्मेदारी और दूसरों का ध्यान रखना आदि।

विश्व के किसी भी देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास को समझने के लिए उस देश के सहकारिता के इतिहास को समझना होगा। सहकारिता न केवल विकासशील समाजों में बल्कि पाश्चात्य और समाजवादी समाजों में भी विकास के एक प्रमुख साधन के रूप में उभर कर सामने आया है। सहकारी या सहकारिता के माध्यम

से किसी भी समाज और व्यक्ति की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। इसलिए सहकारिता या सहकारी आन्दोलन ने पूरे विश्व में एक शक्तिशाली प्रणाली के रूप में उभरा है। भारत में सहकारिता का इतिहास “को आपरेटिव क्रेडिट सोसायटी एक्ट के साथ सन् 1904 में प्रारम्भ हुआ। भारत में सहकारिता का विशेष बल ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराने पर है। वर्तमान में मत्सय उद्योग, परिवहन उद्योग, दुग्ध डेरी योजना तथा उपभोक्ता इत्यादि में सहकारी व्यवस्था है। तथा हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में सहकारिता मौजूद है।

स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता को एक प्रमुख भूमिका दी गयी। जैसे तीसरी पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि लोकतांत्रिक एवं समाजवादी महत्व के आर्थिक जीवन के अनेक शाखाओं विशेषकर लघु उद्योग, कृषि और लघु सिंचाई, वितरण, आपूर्ति, ग्रामीण विद्युतिकरण और स्थानीय लोगों के लिए आवश्यक सुख-सुविधाओं का प्रबंध करने में सहकारिता मुख्य आधार है। इस प्रकार सहकारिता का क्षेत्र किसान, मजदूर और उपभोक्ता की आवश्यकताओं पर विशेष जोर के साथ सामाजिक स्थिरता, रोजगार के अवसर और तीव्र आर्थिक विकास के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता बन गया है। भारत में सहकारिता संगठन तीन लाख से अधिक समितियों और करोड़ों सदस्यों के साथ विश्व की सबसे बड़ी सहकारी संगठन है।

इस इकाई में हम सहकारिता की अवधारणा उसके अर्थ, प्रकार और सहकारिता तथा विकास का अध्ययन करेंगे।

### 22.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप-

- सहकारिता की अवधारणा को समझ पायेंगे।
- सहकारिता क्या है, इससे परिचित हो पायेंगे।
- सहकारिता के प्रतिमान और प्रकारों को जान पायेंगे।
- सहकारिता और विकास के बीच संबंधों को जान पायेंगे।

### 22.2 सहकारिता की अवधारणा

सहकारिता मनुष्य के जीवन के प्रारम्भिक काल से ही मौजूद रही है। किन्तु आदिम समाजों में मनुष्य की साधारण आवश्यकताओं के कारण सहकारिता की आवश्यकता सीमित थी। मानव समाज में अपने प्रारम्भिक समय में सहकारिता धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों तक ही था, जिस कारण यह मानव समाज का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया। सहकारिता की अवधारणा में प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक बहुत बड़े परिवर्तन हुए हैं। समय के साथ-साथ व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं में वृद्धि हुई है। आज मनुष्य प्रकृति और अपनों पर निर्भर है और परस्पर निर्भरता उसके जीवन का एक अंग बन गया है।

सहकारिता की आधुनिक अवधारणा औद्योगिक क्रान्ति का परिणाम है। जो यूरोप और विशेष रूप से ग्रेट ब्रिटेन में उत्पादन की विधि के में कई श्रंखलाओं में परिवर्तन लाया। औद्योगिक क्रान्ति समाज को दो भागों मजदूर और पूंजीपति वर्ग में विभाजित करने का मार्ग प्रशस्त किया। यह विभाजन पूंजीपतियों ने अधिक लाभ कमाने के लोभ के कारण मजदूरों का शोषण करना प्रारम्भ कर दिया। कारखाना मालिकों द्वारा मजदूरों को कम मजदूरी देने के साथ-साथ अमानवीय व्यवहार भी किया जा रहा था। इस काल-समय में ‘रावर्ट ओन(1771-1859) जैसे समाज सुधारक ने एक नये विचार और दर्शन का प्रतिपादन किया, जिसने अन्तः सहकारी आन्दोलन को जन्म दिया। रावर्ट ओन एक ब्रिटिश उद्योगपति थे, किन्तु उनके अंदर मानवीय संवेदनाएं और परोपकार की भावना थी जिसने सहकारी आन्दोलन को जन्म दिया और वे सहकारी आन्दोलन के जन्मदाता बन गये।

सहकारी आन्दोलन एक आर्थिक अवधारणा है। इसकी प्रकृति औपचारिक है। यह व्यापारिक और व्यवसायिक कार्य का एक अलग रूप है, जिसमें लोगों की प्रमुखता और आधिपत्य रहता है जबकि धन का स्थान गौण रहता है। इस प्रकार सरकारी आन्दोलन आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग के लोगों को एक सही दिशा प्रदान करने के लिए एक मौका देता है।

### 22.3 सहकारिता का अर्थ और परिभाषा

सहकारिता परस्पर सहयोग के माध्यम से सामूहिक और व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने की मूल भावना पर आधारित है। कोई भी कार्य जो पारस्परिक लाभ के लिए मिलजुल कर किया जाए, सहकारिता की परिधि में रखा जा सकता है। उत्पादन, क्रय, विक्रय या वितरण आदि के लिए व्यक्तियों का मिलजुल कर कार्य करना ताकि वे संयुक्त रूप से लाभाविन्त हो सकें, सहकारिता की मूल भावना को प्रतिबिंबित करता है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता संघ (इंटरनेशनल को-ऑपरेटिव एलायंस) ने सहकारिता को निम्नानुसार परिभाषित किया है-

‘सहकारिता एक ऐसा स्वशासी संगठन है जिसमें व्यक्ति अपने समान आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों, आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को संयुक्त स्वामित्व और प्रजातांत्रिक तरीके से नियंत्रित संस्था के माध्यम से पूरा करने के लिए स्वैच्छिक रूप से एकत्रित होते हैं’

सहकारिता व्यक्तियों का एक संगठन है जिसमें व्यक्ति तथा विधिक व्यक्ति दोनों को सम्मिलित किया जा सकता है। यह एक स्वशासी संगठन है जिसका स्वरूप सरकारी संस्थाओं, कंपनियों तथा फर्मों से भिन्न है। इसमें व्यक्ति स्वैच्छिक रूप शामिल होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि सहकारिता के अंतर्गत सदस्यता अनिवार्य नहीं होती। इसके सदस्य अपनी इच्छा से शामिल होते हैं तथा अपनी इच्छा से सदस्यता छोड़ने के लिए स्वतंत्र होते हैं।

### 22.4 सहकारिता के उद्देश्य

किसी सहकारी समिति का निर्माण तब होता है जब कुछ समूह के लोग एक साथ मिलते हैं तथा एक संघ की स्थापना करते हैं। यह उन व्यक्तियों का एक संघ है जिनके पास साधारणतया बहुत कम संसाधन होते हैं तथा जो कठिन परिस्थितियों में होते हैं। अपने सदस्यों को आर्थिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए मूल रूप में सहकारी समिति, व्यापारिक सिद्धांतों पर चलने वाला एक उद्योग है। लोग सहकारी समिति में शामिल होने के लिए स्वतंत्र हैं और वे इसे अपने स्वनिर्णय पर छोड़ सकते हैं। इसमें किसी तरह का जारे जबरदस्ती नहीं है। सहकारी समिति का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों की सेवा करना है। मुनाफा कमाना यहां गौण हो जाता है। यह प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर चलाया जाता है। इसमें सभी समान होते हैं धर्म, लिंग, राजनीतिक सिद्धांत इत्यादि के आधार पर इसमें किसी तरह का भेद भाव नहीं बरता जाता है। मूल रूप से सहकारी समिति को पूँजीवाद की बुराइयों के फलस्वरूप महत्व मिला। अतः इसलिये सामाजिक न्याय को प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अन्त में सहकारी आन्दोलन को समाज के कुल सामाजिक-आर्थिक आन्दोलन के संघटक के रूप में बताया गया है। इसे शांतिपूर्ण तरीकों से समाज के पुनर्निर्माण एवं पुनर्संरचना में समर्थ बताया गया है।

किसी भी सहकारी संघ या संस्था की स्थापना कुछ मुख्य उद्देश्यों या लक्ष्यों के साथ होती है और सभी सहकारी संघों के दीर्घकालिक उद्देश्य समान ही होते हैं। आइये इन उद्देश्यों के बारे में जानते हैं-

1. सहकारिता का उद्देश्य ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपने कार्यों को संचालित करना है तथा इन कार्यों के द्वारा अपने संघ के नैतिक स्तर को उँचा करना चाहिए।
2. सहकारिता का उद्देश्य न केवल किसी व्यक्ति का कल्याण अपितु सम्पूर्ण समाज का कल्याण होना चाहिए।

3. धनी वर्ग द्वारा शोषित गरीब वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना सहकारी संघों का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए।
4. किसी लाभ के वास्तविक अंश जो लाभ के भोगी को मिलना चाहिए, उसे बिचौलिये ले लेते हैं। अतः सहकारी संघ का उद्देश्य इन्हीं बिचौलियों को हटाना, होना चाहिए।
5. सामाजिक असमानता के उन्मूलन के साथ-साथ धर्म और राजनीति के मामलों में तटस्थ होना सहकारी संघ का उद्देश्य होना चाहिए।
6. प्रत्येक के लिए सभी और सभी के लिए प्रत्येक की विश्वव्यापी अवधारणा को सुनिश्चित करना तथा कमजोर वर्ग के लोगों को सुगम जीवन प्रदान करना सहकारिता का उद्देश्य होना चाहिए।

## 22.5 सहकारिता के प्रकार

भारतीय सहकारी संघ विश्व के सबसे बड़े सहकारी संघ के रूप में उभरा है। ऐसा माना जाता है कि इस सहकारी संघ में तीन लाख से भी अधिक सहकारी समितियां हैं। आइये भारत में कार्य कर रहे सहकारी समितियों का अध्ययन करते हैं-

### 22.5.1 सहकारी कृषि

ग्रामीण विकास के लिए एक प्रभावी और शक्तिशाली संभावित योजना के रूप में सहकारी कृषि के महत्व को भारत सरकार ने मान्यता दी है। सहकारी कृषि एक ऐसे प्रकार की कृषि का विकल्प देती है जिसमें किसान स्वेच्छा से अपनी भूमि, साधनों और श्रम को मिला कर सामूहिक रूप से खेती करते हैं। कृषि समिति द्वारा भूमि, साधन और श्रम को उपयुक्त इकाइयों में बांटा जाता है और सामूहिक भूमि पर कृषि कार्य किया जाता है तथा सदस्यों के कार्य की गणना परीक्षण के बाद सावधानी पूर्वक की जाती है और तब पारिश्रमिक दिया जाता है। उत्पादन को बाजार में बेचा जाता है और ब्रिकी से प्राप्त आय को सदस्यों के बीच श्रम और जमीन के हिस्से के आधार पर बांट दिया जाता है।

सबसे पहले चालीस के दशक में भूतपूर्व सैनिकों की व्यवस्थापन के लिए भारत में सहकारी कृषि समितियों का प्रारम्भ किया गया था। सहकारी कृषि के द्वारा भूतपूर्व सैनिक अपनी आजीविका चला सकते थे। भारत के विभाजन के बाद भी विस्थापितों के पुनर्वास के लिए सहकारी कृषि एक उपयोगी साधन हो हुआ। भारत में सर्वप्रथम सहकारी समितियों की स्थापना मुंबई, उत्तर प्रदेश, मैसूर और मद्रास में की गयी। अन्य राज्यों ने भी इनका अनुसरण करते हुए सहकारी समितियों की स्थापना की।

इन राज्यों ने सहकारी समितियों की स्थापना के लिए जिन मुद्दों/विषयों को आधार बनाया उनमें अशिक्षित किसानों का बिचौलियों द्वारा शोषण, किसानों को कृषि के पुराने उपकरणों के स्थान पर कृषि कार्य के लिए आधुनिक उपकरण की व्यवस्था, गरीब और सिमान्त किसानों को आर्थिक सहायता तथा सम्पत्ति के बंटवारे के कारण छोटे-छोटे जोत क्षेत्र के कारण अधिक संख्या में बढ़ते हुए किसानों को सहायता आदि प्रमुख थे। इन सब मुद्दों/विषयों को देखते हुए भारतीय किसानों के लिए सहकारी कृषि का सुझाव दिया गया। सहकारी कृषि कृषि के वैज्ञानिक तरीके से कृषि करने में भी सहायक होगी। इससे किसानों में आत्मनिर्भरता बढेगी और ग्रामीणों को सहकारी कृषि लाभपूर्ण रोजगार देगी। इससे तीव्र ग्रामीण विकास प्रारम्भ होगा।

### 22.5.2 सहकारी विपणन (Cooperative marketing)

भारत में सर्वप्रथम सहकारी विपणन की स्थापना सन् 1915 में हुबली में हुई थी। इसके बाद देश के अन्य भागों में भी अनेक विपणन समितियों की स्थापना की गयी। मंडी स्तर पर 37 हजार से भी अधिक प्राथमिक विपणन

समितियां हैं लगभग 170 जिला केन्द्रीय समितियां और 29 राज्य विपणन संघ हैं। पूरे देश में 32 प्रधान शाखाओं में कार्य कर रही 'राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ' है।

विपणन या बाजार ग्रामीण विकास की एक प्रमुख समस्या है। अच्छी बाजार व्यवस्था कम समय में सबसे अधिक लाभप्रद मूल्य पर अपने उत्पादन को बेचने में किसानों की सहायता करती है। ऐसी स्थिति में किसान भरपूर लाभ प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं जिससे उनके आर्थिक जीवन में सुधार होता है। सहकारी विपणन समितियां इसके लिए एक महत्वपूर्ण साधन हैं। सहकारी विपणन से आशय यह है कि किसान जो उत्पादक है वह अपने लाभ के लिए अपने उत्पादन को सबसे अधिक लाभकारी मूल्य पर बेचने की एक व्यवस्था है।

सहकारी विपणन समितियां किसानों और व्यापारियों के बीच एक मध्यस्थ या एजेंट का कार्य करती हैं, ताकि किसानों को बिचौलियों से छुटकारा मिल जाय और किसान समितियों के माध्यम से अपने उत्पाद को कम समय में और अधिक लाभ पर बेच सके। विपणन समिति किसानों को उनके उत्पाद का तुरंत भुगतान कर देती है। तथा विपणन समितियां किसानों को उनके उत्पाद को समितियों के गोदामों में रखने की अनुमति देकर किसानों की सहायता करती है। इससे किसानों को बाजार में अपना माल रखने की तब तक की सहूलियत मिलती है जब तक किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिलता। ये समितियां किसानों के उत्पाद को एकत्रित करने की जिम्मेदारी लेती हैं तथा मापदण्डों के आधार पर कच्चे माल को लेकर उसे संशोधित करने तथा उसे उपभोग के योग्य बनाने का भी उत्तरदायित्व भी लेती हैं। कुछ खास क्षेत्रों में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करके किसानों को उनके उत्पाद को विपत्ति में बेचने के संकट से भी बचाती हैं। विपणन समितियां किसानों को उचित मूल्य पर आवश्यक सामग्री जैसे- खाद, बीज, तेल इत्यादि की आपूर्ति की जिम्मेदारी भी लेती हैं। राष्ट्रीय कृषि विपणन सहकारी संघ और राज्य विपणन सहकारी संघ ने विदेशों में अनेक उपयोगी वस्तुओं को निर्यात करने का उत्तरदायित्व ले रखा है।

### 22.5.3 सहकारी औद्योगिक संघ

सहकारी औद्योगिक संघ कारीगर, शिल्पी और औद्योगिक मजदूरों द्वारा बनाया गया सहकारी संघ है। उत्पादन और विपणन की जिम्मेदारी लेने के लिए कारीगर, शिल्पी और औद्योगिक मजदूरों को सहायता प्रदान करने के लिए सहकारी औद्योगिक का निर्माण किया जाता है। यह सहकारी औद्योगिक उद्योगपतियों के शोषण से गरीब कारीगरों के अधिकारों को सुरक्षित करता है तथा कृषि के मंद समय में रोजगार के अवसर प्रदान करता है। इससे यह लाभ होता है कि खाली पड़े किसानों और ग्रामीण कारिगरों को रोजगार उपलब्ध हो जाता है और उनके जीवन स्तर में भी सुधार होता है।

सर्व प्रथम सहकारी औद्योगिक संघ की स्थापना सन् 1930 में की गयी। किन्तु देश की अर्थव्यवस्था में इनका प्रभाव और सहयोग सीमित ही था। अपनी सीमित सफलता के बावजूद भी सन् 1945-46 में मुंबई और मद्रास में बर्दई, तैलकार और कुम्भकारों, खिनौना बनाने वालों तथा मधुमखड़ी पालने वालों के लिए सहकारी समितियां प्रारम्भ की गयी। स्वतंत्रता के बाद भी इस क्षेत्र में इन समितियों के संतोषजनक कार्य ने इस क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन दिया। आज भारत में बहुत अधिक संख्या में औद्योगिक सहकारी संघ हैं। ये कारीगरों, शिल्पियों की मांग पर कच्चे माल, औजार और उपकरण इत्यादी की खरीद और आपूर्ति का कार्य करती हैं। ये तैयार माल को उचित मूल्य पर बेचने का भी उत्तरदायित्व लेती हैं। किन्तु अनेक औद्योगिक सहकारी जो सफलता पूर्वक कार्य कर रही हैं, प्रबन्धकीय कमजोरी की दृष्टि से उनमें कई कमियां आ गयी हैं तथा इन कमियों को दूर करना अतिआवश्यक है।

### 22.5.4 सहकारी उपभोक्ता संघ

ऐसा माना जाता है कि सहकारी आन्दोलन का प्रारम्भ औद्योगिक क्रान्ति के द्वारा दी गयी चुनौतियों के उत्तर में सहकारी उपभोक्ता आन्दोलन के रूप में हुआ। बाद में यह आन्दोलन अन्य देशों में फैला। भारत में इसकी

शुरूआत सन् 1904 से हुई, किन्तु इसका विस्तार नहीं हो पाया। स्वतंत्रता के बाद सहकारी उपभोक्ता आन्दोलन सभी राज्यों में फैला। भारत में सहकारी उपभोक्ता समितियों की संरचना में प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, थोक भण्डार, राज्य संघ और शिखर स्तर पर राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार इस संरचना की बुनियादी इकाई है। थोक भण्डार जिसके सदस्य उपभोक्ता के रूप में होते हैं, संरचना में इसका दूसरा स्थान है। तथा राज्य संघ एक समन्वयकारी संस्था है। सहकारी उपभोक्ता संघ का सबसे प्रमुख उद्देश्य है, उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर उत्तम कोटि के सौदे की आपूर्ति करना। संघ बिचौलियों को हटाता भी है। भारत में सहकारी उपभोक्ता संघ को सरकार द्वारा चलाया जाता है। सहकारी उपभोक्ता संघ शहरों तक ही सीमित है और संगठित क्षेत्र ही इसमें सम्मिलित होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र इसमें सम्मिलित नहीं किए जाते।

### 22.5.5 सहकारी उत्पादक संघ

भारत में सहकारिता का प्रारम्भ और सहायता राज्य के द्वारा किया जाता है। इसका कारण सहकारिता यह है कि सहकारिता स्वयं के संसाधनों से खड़ी नहीं हो सकी, इसलिए सरकार इसे सहयोग और सहायता करती है। इस सहयोग और सहायता में मुख्यतः ऋण के क्षेत्र को प्रारम्भ करने, उत्पादकों और उपभोक्ताओं की इच्छा पूरी करने के साथ ही सहकारी समितियों ने अनेक कार्यक्रमों को प्रारम्भ किया। दुग्ध परियोजना के संबंध में सहकारिता ने उल्लेखनीय कार्य किया है। देखा जाय तो दुग्ध परियोजना के क्षेत्र में सहकारिता ने पूरे देश में तेजी से कार्य किया। किन्तु भारत में सहकारी दुग्ध का इतिहास पुराना है, किन्तु इसके विस्तार की प्रक्रिया बहुत धीमी रही। भारत में प्रथम सहकारी डेरी की स्थापना इलाहाबाद में सन् 1913 में हुई, किन्तु इसके विकास की प्रक्रिया बहुत धीमी रही। स्वतंत्रता के बाद इसमें तेजी से विस्तार हुआ और कई राज्यों ने अपने यहां सहकारी डेरी की स्थापना की। सहकारी डेरी के उद्देश्य थे- दुग्ध उत्पादकों की सहायता करना लगातार बढ़ते दुग्ध की शहरी मांग की पूर्ति करना।

सहकारी उत्पादक संघ में दुग्ध संघ के अलावा यह बताना भी प्रासंगिक है कि चीनी उत्पादन और बुनाई के कार्यों इत्यादि जैसे क्षेत्रों में भी सहकारी संघ हैं। कई राज्यों में तो चीनी सहकारी समितियों ने सहकारिता के क्षेत्र में अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की है।

### 22.6 सहकारिता और विकास

सहकारिता और विकास का संबंध सकारात्मक है। 'राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम' की स्थापना वर्ष 1963 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा कृ एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी। एनसीडीसी का उद्देश्य कृषि उत्पादन, खाद्य पदार्थों, औद्योगिक वस्तुओं, पशुधन तथा सहकारी सिद्धान्तों पर उत्पादित कुछ अन्य अधिसूचित वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भण्डारण, निर्यात तथा आयात तथा इसके साथ संबंधित मामलों या आकस्मिक मामलों के लिये कार्यक्रमों की योजना बनाना और उनका संवर्द्धन करना है। एनसीडीसी सहकारी क्षेत्रों हेतु शीर्ष वित्तीय तथा विकासात्मक संस्थान के रूप में कार्यरत एकमात्र सांविधिक संगठन है। यह कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता को सहयोग प्रदान करता है।

हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (National Cooperative Development Corporation -NCDC) की एक नई पहल सकहार कूपट्यूब एनसीडीसी चैनल की शुरूआत की है। इसका उद्देश्य किसानों तथा युवाओं को सहकारी समितियों का लाभ उठाने के लिये प्रोत्साहित करना है। सहकारिता के माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ सकेंगे एवं इस पहल से सहकारिता की दिशा में जागरूकता बढ़ेगी। सहकारिता हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इसके माध्यम से, सरकार का प्रयास सहकारी आंदोलन में युवाओं की भागीदारी को सुविधाजनक बनाना है।



केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किसी सहकारी संस्था या समिति के गठन और पंजीकरण हेतु 18 विभिन्न राज्यों के लिये हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में एनसीडीसी द्वारा निर्मित मार्गदर्शक वीडियो भी लॉन्च किये हैं। यू-ट्यूब प्लेटफार्म पर चलने वाले, सहकार कूपट्यूब चैनल की शुरुआत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडू, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ओडिशा, मिजोरम, त्रिपुर, केरल, गुजरात, पंजाब एवं कर्नाटक राज्यों में की गई है।

‘सहकार मित्र’ योजना, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा शुरू की गई एक पहल है। यह योजना, अकादमिक संस्थानों के प्रोफेशनलों को किसान उत्पादक संगठनों के रूप में सहकारी समितियों के माध्यम से नेतृत्व और उद्यमशीलता की भूमिकाओं को विकसित करने का भी अवसर प्रदान करेगी। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक प्रशिक्षु को 4 माह की इंटरशिप अवधि के दौरान वित्तीय सहायता दी जायेगी। इस योजना के तहत कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों और आईटी जैसे विषयों के प्रोफेशनल स्नातक ‘इंटरशिप’ के लिए पात्र होंगे। कृषि-व्यवसाय, सहयोग, वित्त, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वानिकी, ग्रामीण विकास, परियोजना प्रबंधन, इत्यादि में एमबीए की डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे या अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके प्रोफेशनल भी इसके लिए पात्र होंगे।

सहकार मित्र योजना, सहकारी संस्थाओं को युवा प्रोफेशनलों के नए और अभिनव विचारों तक पहुंचने में मदद करेगी। जबकि प्रशिक्षु को क्षेत्र यानी फील्ड में काम करने का अनुभव प्राप्त होगा जो उन्हें आत्मनिर्भर होने का विश्वास दिलाएगा। इसके तहत सहकारी समितियों के साथ-साथ युवा पेशेवरों के लिए भी लाभप्रद साबित होने की उम्मीद है।

सहकारी समिति नैतिक मूल्यों पर आधारित होती है, जो सहकारिता के सिद्धांतों पर आगे बढ़ती है। सहकारी साख समितियों के कारण ग्रामीणों-किसानों को साहूकारों के चंगुल से छुटकारा मिल पाया है। सहकारी समिति के नेटवर्क से सदस्यों और उनके परिवार से संरक्षण मिलता है। यह सच है कि सहकारी संस्थाओं से ग्रामीण क्षेत्र के उत्थान के लिए बहुविधि कार्यकलाप अपनाने की अपेक्षा की गई। सहकारी संस्थाओं के विकास में राज्य सरकारों एक अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र बिन्दु मानी जाती हैं और सहकारी संस्थाओं की समीक्षा करने वाली प्रत्येक समिति/आयोग ने राज्य सरकारों की भूमिका स्वीकार की है।

सहकारिता का जन्म 19वीं शताब्दी में ऐसी परिस्थितियों में हुआ जब छोटी आमदनी वाले लोग, किसान आदि सामाजिक और वित्तीय रूप से वंचित थे। वे विकास और वृद्धि की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं थे। समाज के वंचित और गरीब तबके के लोगों को समाज एवं अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाने के लिए सहकारिता को एक आदर्श संस्थागत व्यवस्था माना गया जो स्वफूर्त, स्वैच्छिक और पारस्परिक तथा सेवा उन्मुख मूल्यों पर आधारित थी, न कि लाभ कमाने के मूल्यों पर। उससे अर्थव्यवस्था, सरकार और पूरे सिस्टम को भी किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुँचती थी। सहकारिता आर्थिक और सामाजिक दोनों ही उद्देश्यों को पूर करती है, उसके पास उसके अपने मूल्य हैं और उसका अपना समुदाय भी है और अपना दृष्टिकोण भी लोकोन्मुख है, अतः वह स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा और सम्मान के साथ आर्थिक वृद्धि का नेतृत्व कर सकती है तथा वैश्वीकरण का यथोचित स्थानीय जवाब भी हो सकता है।

यूएन जनरल एसेंबली ने सहकारिता के विभिन्न तत्वों मूल्यों एवं तत्वों की प्रशंसा की है और इस बात पर बल दिया है कि सहकारिता स्वैच्छिक तथा खुली सदस्यता, सदस्यों की लोकतांत्रिक नियंत्रण, सदस्यों की आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं सूचना, सहकारी संस्थाओं के बीच सहयोग प्रदान करती है और अपने समुदाय के प्रति चिंतित रहती है ताकि वे आर्थिक विषमता वंचन और गवर्नेंस के लोकतांत्रिक पक्ष को खतरा पैदा करने वाली समस्याओं को मिटा सके। यूएन भी 1990 के दशक से आयोजित किए जा रहे यूनाईटेड नेशंस ग्लोबल कॉन्फरेंस और सेमिनारों द्वारा तैयार की गयी विकास की कार्य सूची को अमल में लाने के लिए सहकारिता आंदोलन को एक महत्वपूर्ण सहभागी मानता है।

केपनहेगन में सामाजिक विकास के लिए वर्ष 1995 में आयोजित विश्व समिट में भी विकास के लिए जन-केंद्रित सहकारिता के महत्व को अधोरेखित किया था। सरकारों ने भी सहकारिता पर वर्ष 2001 के यूनाईटेड नेशंस के दिशा निर्देशों को अपनाया था जो सहकारिता के गठन का मार्गदर्शन करते हैं तथा साथ ही सरकारों की भूमिका को केवल इसके लिए उपयुक्त वातावरण बनाना तथा समान अवसर उपलब्ध कराने तक ही सीमित करते हैं ताकि सरकारी संस्थाएं निरंतर आधार पर काम कर सकें। वर्ष 2002 की आईएलओ कि सिफारिश संख्या 193 में सहकारिता के कारोबार की क्षमता को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया गया है ताकि वे निरंतर विकास और रोजगार में अपना योगदान दे सकें।

सहकारिता संघों को मजबूत बनाने व आर्थिक व सामाजिक विकास के क्षेत्रों में योगदान देने के लिए सहकारी संस्थाओंके लिए अपेक्षित सुधार की आवश्यकता है जैसे- सहकारिता की पहचान को मजबूत बनाना, क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी को अपनाना और उसे आत्मसात करना, मूल्य-वर्धित और नवोन्मेषी उत्पाद तथा सेवाएं प्रदान करना, शासन संरचना को सुधारना, सहकारी संस्थाओं के बीच व्यावसायिक गठजोड़ और सहकारिता को बढ़ावा देना और ब्रांड छवि विकसित करना। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक संकल्प पारित किया गया है जिसमें वर्ष 2012 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। यह आशा की जाती है कि यह केवल सहकारिता वर्ष ही होगा बल्कि इसके साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था में सहकारिता का एक नया युग शुरू होगा। क्या भारत तब तक सहकारिता के क्षेत्र में आवश्यक सुधारों के साथ तैयार हो जाएगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था में सहकारी क्षेत्रों का एक विशेष स्थान है। हमारे देश में सहकारी साख के साथ-साथ सहकारी बिक्री तथा सहकारी प्रसंस्करण पर भी बल दिया गया है। लेकिन साख सहकारिता ही वास्तविक अर्थ में सहकारी अवधारणा का प्रतीक है जो जर्मनी के प्रयोग से विशेषतः प्रभावित है। भारत में सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित बैंकिंग के कई स्वरूप एवं स्तर विद्यमान हैं। सहकारिता के माध्यम से विकास के अनेक आयाम सामने आये हैं सामूहिक प्रयास से कार्य करने से अनेक क्षेत्रों में आजीविका के स्रोत सामने आये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती किसानों करने वाले लोग सहकारिता के माध्यम से स्वालंबी बन सकते हैं और इससे वह गरीबी के जाल से बाहर निकल कर विकास के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। वर्तमान में पूरे देश में लगभग 6 लाख सहकारी समितियाँ हैं और लगभग 21 करोड़ लोग इस सहकारिता से जुड़े हैं। वर्ष 2002 में उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ अस्तित्व में आया और इससे विकास के कार्यों का श्रीगणेश हुआ। उत्तराखंड में लगभग 672 सहकारी संस्थायें हैं। भारत सरकार द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से समर्थन मूल्य के आधार पर कृषि का क्रय बिक्रय किया जाता है। सहकारी समितियों के द्वारा किसानों को अच्छे किस्म के बीज, उर्वरक, और खाद्य का वितरण किया जाता है जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है और इससे विकास के मार्ग खुलते हैं।

सहकारी के अनेक प्रकार हैं भारतीय सहकारी आन्दोलन संसार में सबसे बड़ी आन्दोलन के रूप में उभरा है। यह कहा जा रहा है कि इसके तीन लाख से भी अधिक समितियाँ हैं भारत में कार्य कर रही प्रमुख सहकारी समितियाँ निम्न प्रकार हैं जो अर्थव्यवस्था और विकास के मार्ग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं- सहकारी कृषि, सहकारी विपणन, उत्पादक सहकारी, औद्योगिक सहकारी, और उपभोक्ता सहकारी।

## 22.7 सहकारिता एवं पंचायती राज संस्थाएं

केंद्रीय एवं सभी राज्य सरकारों ने सहकारी आंदोलन को विभिन्न रूपों में बढ़ाया है। पहले ग्रामीण सहकारी का प्रमुख कार्य किसानों को साहूकारों से बचाने हेतु उनके लिए सस्ते ऋण का इंतजाम करता था। फिर भी स्वतंत्रता के बाद एक निश्चित परिवर्तन हुआ है। साधारण ऋण के साथ-साथ सहकारी विपणन उत्पादक सहकारी एवं अन्य अनेक नये क्षेत्रों पर जोर बढ़ा दिया गया है। सहकारी को विशेषकर ग्रामीण विकास में दी गयी प्रमुख भूमिका की दृष्टि, पंचायती राज एवं सहकारी के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध की आवश्यकता है। वास्तव में पंचायती राज संस्थाएँ एवं

सहकारी ग्रामीण पुनर्रचना के दो स्तंभ के रूप में आने सामने देखे गये हैं। सहकारी आन्दोलन और पंचायती राज संस्थाओं में घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन के दोनों साधन के रूप में देखे गये हैं। किंतु दोनों स्व-सहायता परस्पर सहायता समानता, प्रजातंत्र और विकेन्द्रीकरण के सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। सैद्धान्तिक सहायता के अतिरिक्त, क्रियात्मक दृष्टि से दोनों में परस्पर निर्भरता की एक पृथक पद्धति है। सहकारी ऋण एवं अन्य प्रमुख निवेशों की आपूर्ति करता है, जबकि पंचायती राज संस्था कृषि योजना के निर्माण तथा उसके कार्यान्वयन में राजनैतिक और प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान करती है। इस प्रकार सामूहिक हित के अनेक क्षेत्र है। जिसे समन्वय एवं संयुक्त प्रयास की आवश्यकता होगी, क्योंकि तीव्र ग्रामीण विकास दोनों आंदोलनों का उद्देश्य एक ही है।

भारत में प्रधान रूप से कृषि सम्बन्धी कार्य व्यवस्था है। इसलिए कृषि संबंधी एवं अन्य संबंध कार्यों के लिए ऋण महत्वपूर्ण है। यह पता है कि अनेक आर्थिक संस्थाओं के वर्तमान रहने के बावजूद भी सहकारी को एक प्रमुख भूमिका अदा करना है। ऐसे ग्रामीण विकास बहुत अधिक सहकारी पर निर्भर है। सहकारी आन्दोलन को वह प्रमुख सुविधा है जो अन्य आर्थिक संस्थाओं को प्राप्त नहीं है। वह यह है कि सभी स्तरों पर इसके निर्णय निर्माण तथा क्रियान्वयन की प्रक्रिया दोनों में जन समूह शामिल होते हैं।

यद्यपि सहकारी, भारत के आर्थिक विकास में एक प्रमुख भूमिका अदा कर रही है, फिर भी देश में आज आंदोलन को जिन गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उसकी हम एकदम अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। कृषि के लिए कर्ज वसूली की स्थिति दुःखद है। इसके अनेक कारण हैं। बकाये के पीछे कई वास्तविक कारण हैं, लेकिन कुछ उदाहरणों में देखा गया है कि धनी कृषक वर्ग में इसके लिए कुछ विरोध है, तो कुछ स्थानों पर राजनीतिक विरोध है।

यद्यपि सहकारी आंदोलन, सामान्य लोगो के लिए है, किंतु विभिन्न क्षेत्रों में कुछ खास समूह के लोग एक या अन्य प्रकार से इस आंदोलन को नियंत्रित करते हैं। जब तक इन लोगों में गहराई तक फैली निहित स्वार्थ को खत्म नहीं किया जाता है तब तक लोकतांत्रिक क्रियाकलाप का कोई भविष्य नहीं दिखेगा। यह देखा गया है कि गरीब लोग जैसे- सीमान्त किसान, बटाईदार, भूमिहीन मजदूर, गंदी बस्ती में रहने वाले एवं अन्य उपेक्षित वर्ग के लोग कभी भी कार्यक्षेत्र में बाहर हैं। आगे सहकारी कार्य में सरकार द्वारा बहुत अधिक हस्तक्षेप किया जाता है। कभी-कभी तो कुप्रबंध, भ्रष्टाचार इत्यादि को रोकना आवश्यक हो जाता है। लेकिन सरकारी नियन्त्रण एक नियमित प्रक्रिया होनी चाहिए। सरकार को सहकारी के साथ विभागीय कार्य की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए।

अन्त में सहकारी आंदोलन में यद्यपि करोड़ों लोग हैं किंतु इनमें से अधिकांश लोग अपने आर्थिक लाभ के कारण इसमें जुड़े हुए हैं। आगे हम लोगों के अंदर यह भावना है कि सहकारिता का सूत्रपात सदा सरकार के द्वारा किया जाता है। न कि लोगों के द्वारा अपने आप। इसलिये सहयोगियों को सहकारिता के आदेश एवं सिद्धांत को समझना चाहिए। देश में सहकारी आंदोलन के विरुद्ध कुछ काल्पनिक और कुछ वास्तविक, अनेक शिकायत हो सकते हैं, लेकिन फिर भी सामान्य जनता के विकास एवं लाभ के लिए, सहकारी को सबसे अधिक प्रजातांत्रिक संख्या के रूप में मान्यता दी जानी है।

#### अभ्यास प्रश्न-

1. भारत में सहकारिता के इतिहास के इतिहास को कब से प्रारम्भ माना जाता है?
2. सहकारिता की आधुनिक अवधारणा किसका परिणाम है?
3. सहकारी आन्दोलन का जन्मदाता किसे कहा जाता है?
4. भारत में सर्वप्रथम सहकारी विपणन की स्थापना कब हुई?
5. भारत में सर्वप्रथम सहकारी औद्योगिक संघ की स्थापना कब हुई?
6. भारत में प्रथम सहकारी डेरी की स्थापना कब और कहां हुई?

7. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना कब की गयी?
8. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा शुरू की गयी पहल का क्या नाम है?
9. उत्तराखण्ड में लगभग कितनी सहकारी संस्थाएं हैं?

## 22.8 सारांश

भारत में सहकारिता का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके माध्यम से विकास को नया आयाम मिला है। सहकारिता में सहकारी कृषि संघ एक महत्वपूर्ण और मजबूत कड़ी है। गरीब और सिमान्त किसानों के लिए कृषि के लिए ऋण और आधुनिक तकनीक व औजार उपलब्ध कराना इसका मुख्य लक्ष्य है। इसी तरह सरकारी विपणन किसानानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाकर बिचौलियों से किसानों की सुरक्षा करता है। गरीब, निर्धन और कम जोत भूमि वाले किसानों, कारिगरों और शिल्पकारों की सहकारिता पर बहुत अधिक निर्भरता है। भारत में सहकारिता आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। फिर भी कुछ गंभीर समस्याएं हैं, जिनमें कृषि के लिए कर्ज वसुली एक गंभीर विषय है।

यह बात सही है कि सहकारिता या सहकारी आन्दोलन गरीब और ग्रामीण किसानों के लिए है। किन्तु विभिन्न क्षेत्रों में कुछ खास समुह के लोग कई प्रकार से सहकारिता को नियंत्रित करते हैं। सहकारिता को इससे बाहर निकालना होगा। साथ ही सहकारिता के कार्यों में सरकारों के बहुत अधिक हस्तक्षेप और नियंत्रण को भी कम करना होगा।

## 22.9 शब्दावली

सहकारिता- सामूहिक या व्यक्तिगत लाभ के लिए परस्पर सहयोग, पुनर्निर्माण एवं पुनर्संरचना- दोबारा निर्माण करना और दोबारा संरचना करना, आत्मनिर्भरता- स्वयं पर निर्भर, विपणन- बाजार, स्वैच्छिक- अपनी या स्वयं की इच्छा

## 22.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. सन् 1904, 2. औद्योगिक कान्ति का, 3. रावर्ट ओन, 4. सन् 1915 में, 5. सन् 1930 में, 6. सन् 1913 में इलाहाबाद में, 7. सन् 1963 में, 8. सहकार मित्र योजना, 9. 672

## 22.11 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. रविन्द्र प्रसाद- कोआपरेटिव एण्ड रूरल डेवलपमेंट।
2. गोयल एंड गोयल- प्रिसिपल्स, प्राब्लम्स एंड प्रोस्पैक्ट्स ऑफ कोआपरेटिव एडमिनिस्ट्रेशनस।
3. ओआर कृष्णास्वामी- फंडामेन्ट्स ऑफ कोआपरेशन।
4. विकास प्रशासन, (ई0पी0ए0- 3, इकाई- 24, इन्ू)

## 22.12 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. गोयल एंड गोयल- प्रिसिपल्स, प्राब्लम्स एंड प्रोस्पैक्ट्स ऑफ कोआपरेटिव एडमिनिस्ट्रेशनस।
2. ओआर कृष्णास्वामी- फंडामेन्ट्स ऑफ कोआपरेशन।
3. विकास प्रशासन, (ई0पी0ए0- 3, इकाई- 24, इन्ू)

## 22.13 निबन्धात्मक प्रश्न

1. सहकारिता को परिभाषित करते हुए इसकी अवधारणा और उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए।

2. सहकारिता और विकास को समझाते हुए ग्रामीण विकास में सहकारी आन्दोलन की महत्ता की व्याख्या करें।
3. सहकारी आन्दोलन से आप क्या समझते हैं? सहकारी आन्दोलन के प्रकारों की चर्चा करते हुए पंचायतीराज के क्षेत्र में सहकारिता के योगदान पर प्रकाश डालें।

## इकाई- 23 सार्वजनिक/सहकारी क्षेत्र और विकास

### इकाई की संरचना

#### 23.0 प्रस्तावना

#### 23.1 उद्देश्य

#### 23.2 सार्वजनिक/सहकारी क्षेत्र (उद्यम)- अर्थ

##### 23.2.1 भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का विकास

##### 23.2.2 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्देश्य

##### 23.2.3 सार्वजनिक क्षेत्र (उद्यम) का विस्तार और अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव

#### 23.3 सारांश

#### 23.4 शब्दावली

#### 23.5 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

#### 23.6 सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची

#### 23.7 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

#### 23.8 निबन्धात्मक प्रश्न

### 23.0 प्रस्तावना

संसार के प्रायः सभी देशों में सरकारी उद्यम की व्यवस्था की गई है। कई देशों में अर्थशास्त्रियों, प्रशासकों और विश्लेषकों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र और सार्वजनिक उद्यम शब्द का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। लोक प्रशासन का एक सार्थक गुण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सरकार का आर्थिक क्षेत्र में बढ़ता हुआ हस्तक्षेप है। अब राज्य का लक्ष्य सभी नागरिकों का कल्याण करना है, यही उसके लोक कल्याणकारी स्वरूप को दर्शाता है। अब राज्य मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने लगा है। उसका अधिकार उत्पादन के साधनों और विविध उद्योगों पर भी बढ़ता जा रहा है। उद्यमों पर भी सरकार का नियंत्रण स्थापित होता जा रहा है जिसे सरकारी उद्यम (State enterprise) के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए हथियारों और गोला-बारूद का निर्माण और देश की रक्षा के लिए उससे सम्बंधित गतिविधियाँ राज्य के कार्यकलाप का एक अनिवार्य अंग रही है। इसका उदाहरण हमें प्राचीन काल में महान विद्वान कौटिल्य द्वारा रचित ग्रन्थ 'अर्थशास्त्र' में भी मिलता है। 'अर्थशास्त्र' में उल्लेख है कि विभागीय अध्यक्ष सिक्का-गढ़ाई और अन्य आर्थिक गतिविधियों को देखते थे।

औद्योगिक क्रांति के आगमन और इसके विस्तार के कारण विश्व के कुछ देशों ने पूंजीपतियों या निजी उद्योगों के माध्यम से अपना औद्योगिक विकास किया है जबकि पूर्ववर्ती सोवियत संघ तथा चीन जैसे समाजवादी देशों ने सरकारी उपक्रमों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को संचालित करना श्रेयस्कर समझा है। वहीं स्वतंत्रता के पश्चात भारत में विशुद्ध रूप से किसी एक प्रणाली को अपनाने के बजाय मिश्रित अर्थव्यवस्था का मार्ग चुना। भारत जैसे विकासशील देश में, सार्वजनिक क्षेत्र एक विकल्प के रूप में नहीं बल्कि व्यापक तौर पर एक आवश्यकता है।

इस इकाई के अंतर्गत हम सार्वजनिक क्षेत्र तथा सार्वजनिक उद्यम के अर्थ को समझायेंगे साथ ही साथ भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के विकास पर चर्चा करेंगे। इस इकाई में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्देश्यों के विषय में भी चर्चा की जायेगी और सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव की विशेष महत्व के साथ चर्चा की जायेगी।



### 23.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप-

- सार्वजनिक/सहकारी क्षेत्र (उद्यम) के अर्थ की व्याख्या कर सकेंगे।
- भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के विकास पर चर्चा कर सकेंगे।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्देश्यों को समझ सकेंगे; और
- सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव का विश्लेषण कर सकेंगे।

### 23.2 सार्वजनिक/सहकारी क्षेत्र (उद्यम)-अर्थ

‘सार्वजनिक क्षेत्र’ शब्द का प्रयोग अलग-अलग पृष्ठभूमि के लोगों द्वारा विभिन्न संदर्भों में इस्तेमाल किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर अत्यधिक साहित्य उपलब्ध होने के बावजूद भी, सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक उद्यम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, राजकीय उपक्रम, राष्ट्रीयकृत उद्योग आदि का अर्थ अब भी अस्पष्ट और विविध बना हुआ है। हम इसे सरल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं।

व्यापक अर्थों में सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector) में सरकार की समस्त अर्थिक गतिविधियाँ शामिल होती हैं। इसका उपयोग सार्वजनिक उद्यम (Public enterprise) लोक निगम (Public Corporations), सरकार द्वारा नियंत्रित उद्यम (Government Controlled Enterprise) राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम (State owned enterprise) सार्वजनिक उपक्रम (Public undertaking) या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (Public Sector undertaking) या महज/केवल राज्य उद्यम या उपक्रम (State Enterprise or undertaking) के लिए किया जाता है, लेकिन वास्तव में ये एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं।

कई देशों में अर्थशास्त्रियों, प्रशासकों और विश्लेषकों द्वारा ‘सार्वजनिक क्षेत्र’(Public Sector) और ‘सार्वजनिक/लोक उद्यम’ (Public Enterprise) शब्द का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है।

सार्वजनिक उद्यम (Public Enterprise) दो शब्दों के मेल से बना है- सार्वजनिक/लोक और उद्यम (Public and Enterprise)

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत ने विशुद्ध रूप से मिश्रित अर्थव्यवस्था का मार्ग चुना जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं। इसी क्रम में जहाँ कुछ क्षेत्रों, यथा-कृषि, लघु उद्योग, वस्त्र तथा आम उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में निजी उद्यमियों का बोलबाला है तो रेवले, डाक-तार, अणु ऊर्जा तथा रक्षा सामग्री उत्पादन इत्यादि में सरकारी उपक्रमों का वर्चस्व बनाए रखा गया है। इसके अलावा बैंकिंग, बीमा, वित्तीय और अन्य लोक सेवाएं जैसे- शिक्षा, लोक स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, यातायात और संचार आदि भी सार्वजनिक क्षेत्र में आ जाते हैं। सरकारी उद्यमों का प्रबंध करने के लिए कई प्रकार के प्रशासकीय संगठन देखने को मिलते हैं; जैसे- विभागीय प्रबंध, संयुक्त पूँजी कम्पनी, मिश्रित संयुक्त पूँजी कम्पनी, संचालन ठेका एवं लोक निगम। दूसरी ओर, सार्वजनिक उद्यमों में मुख्य ध्यान की बात यह है कि सार्वजनिक उद्यम में, उसके द्वारा दिए गए सामान और सेवाओं की कीमत ली जाती है। इस कीमत में पूरी लागत वसूल होती है या नहीं, लेकिन लक्ष्य यह रहता है कि समूचे उद्यम को कम से कम “घाटा” और लाभ बराबर” वाली स्थिति में होना चाहिए। इसलिए, सामाजिक सेवाएँ, सरकार के प्रशासनिक काम सार्वजनिक उद्यम में नहीं लिए जाते, जबकि रेल सेवा, डाक सेवा और संचार जैसी सार्वजनिक उपयोगिता की सेवाओं को सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रबंधित होने के बावजूद सार्वजनिक उद्यम कहा जाता है, क्योंकि लक्ष्य एक अवधि में बराबर वाला “घाटा और लाभ” होता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ प्रकाशन के अनुसार, “सार्वजनिक उद्यम का अभिप्राय है राज्य द्वारा संचालित उद्यम विशेष रूप से औद्योगिक, कृषि या वाणिज्यिक, जिस पर राज्य का स्वामित्व पूर्ण या आंशिक होता है।” इस परिभाषा में दो तत्वों पर बल दिया गया है- उद्यम की आर्थिक प्रकृति और राज्य द्वारा स्वामित्व।

खेरा के अनुसार, “लोक उद्यम से आशय औद्योगिक, व्यापारिक एवं आर्थिक क्रियाओं से है जो केन्द्रीय या राज्य सरकारों द्वारा सामूहिक रूप से सम्पादित की जाती है तथा प्रत्येक मामले में स्वयं या निजी उद्यम के सहयोग से पूर्ण प्रबन्ध के अधीन होती है।”

संक्षेप में, सार्वजनिक क्षेत्र में वृहद/व्यापक अर्थों में सरकार की सारी आर्थिक गतिविधियाँ आ जाती हैं, जबकि सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक क्षेत्र की वे विशिष्ट प्रकार की संस्थाएँ या प्रतिष्ठान होते हैं, जिसका सम्बन्ध ऐसे औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं व्यापारिक उद्योगों या सेवाओं से है जिनका स्वामित्व, प्रबन्ध एवं नियंत्रण केन्द्र, राज्य अथवा स्थानीय सरकार या किसी सार्वजनिक संस्था में निहित है।

### 23.2.1 भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का विकास

आदिकाल से ही भारत औद्योगिक दृष्टि से समृद्ध देश रहा है। अतः रेशम, वस्त्र, लोहा, आभूषण, हथियार, मसाले, बर्तन तथा राजकीय मुद्रा इत्यादि महत्वपूर्ण उद्योग किसी न किसी रूप में राजा के नियंत्रण में रहे हैं। जिसका सटीक उदाहरण कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक ‘अर्थशास्त्र’ में मिलता है। ब्रिटिशकालिन भारत में उद्योग के राज्य द्वारा संचालन और स्वामित्व का उल्लेख सबसे पहले 1888 के भारतीय वित्त आयोग की प्रतिवेदन में मिलता है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि बार-बार पड़ने वाले अकालों के उपचार या निदान के रूप में उद्योगों को विकसित किया जाए। आयोग ने नए उद्योग स्थापित करने के लिए सरकारी मद की आवश्यकता पर भी जोर दिया था। अपने दिए गए सुझाव में आयोग ने यह भी स्पष्ट किया था कि सरकार को चीनी, सूती वस्त्र, ऊन, कागज, बर्तन, रेशम एवं शीशा आदि का निर्माण भी करना चाहिए। इसी क्रम में 1904 में प्रकाशित भारतीय उद्योग आयोग की रिपोर्ट में भी सरकार की औद्योगिक विकास नीति के प्रावधानों को सीमित रखा। 1905 में, सरकार द्वारा एक वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की स्थापना की गई और यह आशा की गई थी कि इसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र को चालू किया जाएगा। इस दिशा में कुछ कदम भी उठाए गए लेकिन यूरोपीय समुदायों द्वारा इसका विरोध किया गया ताकि राज्य का हस्तक्षेप उद्योगों पर ना रहे।

प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत की औद्योगिक क्षमताओं को विकसित करने के मकसद से 1916 में औद्योगिक वित्त निगम की नियुक्ति की गई इस निगम ने सिफारिश की थी कि सरकार की औद्योगिक विकास में सक्रिय भूमिका सुनिश्चित हो। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात इस प्रवृत्ति में और अधिक तेजी आई। उद्योगों एवं सेवाओं के स्वामित्व, कार्य-संचालन या नियमन के रूप में सक्रिय सरकारी हस्तक्षेप आज एक विश्वव्यापी प्रक्रिया है।

सन् 1931 के कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वाराज्य के लक्ष्य के आर्थिक एवं सामाजिक तत्वों को विश्लेषित करते हुए यह निश्चित किया कि मुख्य उद्योगों तथा सेवाओं, खनिज स्रोतों, रेलवे, जहाजरानी तथा सार्वजनिक महत्व के अन्य साधनों पर राज्य द्वारा नियंत्रण किया जाएगा। इसके पश्चात 1934 में सर एम0 विश्वेश्वरैया ने ‘भारत के लिए आर्थिक नियोजन’ नामक अपनी पुस्तक में इसका प्रारूप प्रस्तुत किया। इसी क्रम में भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन उद्योग का विकास प्रान्तों का मामला हो गया और केन्द्र के पास केवल निर्देश और तकनीकी शिक्षा देने का अधिकार रह गया। प्रान्तीय सरकारों के पास न तो पर्याप्त अनुभव, न ही सांगठनिक कोष, पहल करने की क्षमता और ना ही रचनात्मकता थी, अतः प्रान्तों में उद्योग विभागों के बनाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया गया।

इसके पश्चात शीघ्र ही 1937 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना की। इस समिति ने राष्ट्रीय नियोजन के सिद्धान्तों एवं भारतीय राष्ट्रीय योजना के लिए प्रशासकीय मशीनरी पर प्रतिवेदन देने हेतु दो उपसमितियों की स्थापना की। परन्तु द्वितीय विश्व युद्ध के कारण समिति तथा इसकी दो उपसमितियों की रिपोर्ट सन् 1948 में प्रस्तुत हो सकी। इन सभी प्रतिवेदनों में प्रमुख उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की अनुशंसा की गई थी। हांलाकि ब्रिटिश शासन के दौरान विभागीय संगठनों के रूप में सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, गन फैक्ट्री तथा मझगाँव डॉक इत्यादि कई लोक उपक्रम स्थापित किए गए थे, परिणामस्वरूप स्वतंत्र भारत ने 1947 में ब्रिटिश सरकार से सार्वजनिक क्षेत्र (पब्लिक सेक्टर) छोटी मात्रा में उत्तराधिकार में प्राप्त किया था।

स्वतंत्रता के समय भारत में केवल एक राष्ट्रीय स्तर का 'लोक निगम'(Public Corporation) था। यह सन् 1935 में स्थापित भारतीय रिजर्व बैंक था। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के सामने विभिन्न प्रकार की आर्थिक एवं सामाजिक समस्याएँ थी, इन समस्याओं के निवारण हेतु सार्वजनिक क्षेत्र को प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया था इसलिए आर्थिक गतिविधियों में राज्यों का हस्तक्षेप आवश्यक था, जिससे देश की आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने और एक स्वस्थ कृषि और औद्योगिक आधार बनाने में मदद मिली।

देश के प्रथम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 6 अप्रैल, 1948 में घोषित प्रथम औद्योगिक नीति में कहा गया है कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का मार्ग अपनाएगा। इस नीति के अनुसार अस्त्र-शस्त्र निर्माण, आणविक ऊर्जा उत्पादन एवं नियंत्रण तथा रेलवे यातायात प्रबन्ध पर सरकार का एकाधिकार स्थापित किया गया जबकि कोयला, खनिज तेल, लोहा एवं इस्पात, वायुयान निर्माण, जहाज निर्माण, टेलीफोन, तार एवं बेतार के यंत्रों के निर्माण (रेडियो के अतिरिक्त) का अधिकार 10 वर्ष के लिए निजी कम्पनियों के हाथों में रहने देने का निर्णय हुआ। इन क्षेत्रों में नए उद्यमों की स्थापना राज्य का पूर्ण दायित्व माना गया। शेष सभी उद्योग निजी क्षेत्र के लिए खुले रखे गए, लेकिन उन्हें इस प्रावधान के साथ छोड़ा गया कि राज्य भी उत्तरोत्तर इस क्षेत्र में भागीदारी करेगा और जहाँ निजी उद्यम के तहत उद्योगों की प्रगति संतोषजनक नहीं होगी वहाँ वह हस्तक्षेप करने से नहीं हिचकेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 39 के अनुसार, यह राज्य का कर्तव्य है कि वह अपनी नीति इस प्रकार निदेशित करे कि देश के भौतिक साधनों का स्वामित्व व नियंत्रण एवं वितरण इस प्रकार हो कि वह लोक-कल्याण में सहायक हो और यह कि "आर्थिक व्यवस्था के संचालन के परिणाम स्वरूप संपदा और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण ऐसा न हो जिससे लोक हित का अहित हो।" इसलिए यह स्पष्ट है कि स्वतंत्र भारत में देश के औद्योगिक विकास की रीढ़ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने तैयार की इस तरह देश में सार्वजनिक क्षेत्र की विस्तृत भूमिका स्वाधीनता के बाद काफी मजबूत हो गयी थी।

सन् 1956 में नवीन औद्योगिक नीति प्रस्ताव की घोषणा की गई जिसके आधार पर कई लोक उद्यमों को स्थापित किया गया; उदाहरणार्थ- जीवन बीमा निगम, शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0, हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, इण्डियन आयल लिमिटेड, भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला के इस्पात कारखाने इत्यादि।

सन् 1966 से 1969 के मध्य भी कई लोक उद्यमों को स्थापित किया गया; जैसे- टूल्स कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया, नेशनल टेक्सटाइल्स कार्पोरेशन, इण्डियन पेट्रो केमिकल्स कार्पोरेशन इत्यादि। इसी क्रम में सन् 1969 में बैंको का राष्ट्रीयकरण कर क्रान्तिकारी कदम उठाया गया। सन् 1971 में तीसरी बार औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। सन् 1966 में 'हजारी समिति' ने पूर्व की नीतियों का मूल्यांकन प्रस्तुत कर दिया था। इसी प्रकार सन् 1967 में औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली पर 'सुविमल दत्त समिति भी रिपोर्ट दे चुकी थी। नई औद्योगिक नीति में महत्वपूर्ण उद्योगों को छोड़ शेष में विदेशी कम्पनियों को पूंजी निवेश की अनुमति प्रदान की गई। पटसन, गन्ना तथा अन्य जनपयोगी कृषि उत्पादन में सहकारी क्षेत्र को प्राथमिकता प्रदान की गई।

सन् 1977 में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार केन्द्र में सत्तारूढ़ हुई। केन्द्र में जनता दल के सत्ता में आने से औद्योगिक नीति में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। 1977 की औद्योगिक नीति में भी विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए और भी बड़ी भूमिका पर विचार किया गया। जहाँ एक ओर पेट्रोलियम, कोयला, इस्पात आदि क्षेत्रों का विकास किया गया वहीं दूसरी ओर कई नवीन लोक उद्योगों की स्थापना की गई; उदाहरणार्थ- स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन इत्यादि। इस औद्योगिक नीति में लघु एवं कुटीर उद्योगों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास को केन्द्र बिन्दु बनाया गया।

सन् 1980 में पुनः कांग्रेस सरकार द्वारा सत्ता प्राप्त करने पर औद्योगिक नीति को संशोधित किया गया। नई नीति में लोक उपक्रमों की क्षमता तथा दक्षता में वृद्धि के लक्ष्य सहित निजी क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए फेरा (विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम) तथा एम0आर0टी0पी0 (एकाधिकार एवं प्रतिबन्धित व्यापार व्यवहार) कानून का दायरा विस्तृत करने के प्रावधान किए गए। इस अवधि में भी 6 बैंको का राष्ट्रीयकरण किया गया एवं अन्य लोक उद्यमों जैसे- कम्प्यूटर मेन्टीनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया। आर्थिक गतिविधि का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं रह गया है जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र ने अपनी दशतक न दी हो। इसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था को अनेके सकारात्मक लाभ मिले हैं जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे।

### 23.2.2 सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उद्यमों ने देश के औद्योगिक विकास के लिए एक मजबूत नींव रखी है। जैसा कि स्पष्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य लाभ या मुनाफा कमाना नहीं होता है। देश की अर्थव्यवस्था को सही दिशा प्रदान करने तथा राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में तेजी लाने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य ना केवल उद्योगों के विकास तक सीमित है, बल्कि ग्रामीण भारत के विकास में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। ष्कृष् जो की भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कृषि अर्थव्यवस्था को प्रगतिशील मार्ग की ओर अग्रसर कराने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। उद्योगों, कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नागरिकों के लिए बुनियादी एवं ढाँचागत सेवाएँ प्रदान कर ग्रामीण विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विलियन रॉबसन (William Robson) ने लोक-उद्यमों को उनकी उद्देश्य एवं प्रकृति की दृष्टि से निम्नलिखित सात वर्गों में विभाजित किया है-

1. सार्वजनिक उपभोग सेवाओं के उद्यम जैसे- गैस, विद्युत, बंदरगाहों एवं जल इत्यादि।
2. यातायात एवं संचार संबंधी जैसे- रेल, हवाई यातायात, जहाजरानी, बस, तार, टेलीफोन, डाक इत्यादि।
3. अधिकोषण शाखा एवं बीमा जैसे- बीमा निगम, भारतीय वित्त निगम, बैंक इत्यादि।
4. बहुउद्देशीय विकास योजना सम्बंधी उद्यम जैसे- भारत में दामोदर घाटी निगम, अमेरिका में टैनेसी वैली अथॉरिटी इत्यादि।
5. आधारभूत उद्योग अर्थात् अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण उद्योग एवं सेवाएँ जिनकी स्थापना निजी स्वामित्व में हुई थी लेकिन आगे चल कर सरकार ने इसे अपने स्वामित्व में ले लिया जैसे- लोहा व स्टील, तेल उत्पादन, कोयला खादान इत्यादि।
6. नीवन उद्योग या सेवाएँ, जैसे- हिन्दुस्तान स्टील, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, भारतीय टेलीफोन उद्योग, राज्य व्यापार निगम इत्यादि।
7. सांस्कृतिक कार्यविधियाँ जैसे- ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, ब्रिटेन में कला परिषद एवं भारत का फिल्म निगम इत्यादि।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अलग-अलग देशों में सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार के भिन्न-भिन्न कारण हो सकते हैं, फिर भी विभिन्न देशों से संकलित/इकट्ठा जानकारी के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ (यू0एन0ओ0) ने उन कारणों को विस्तार से और स्पष्ट समझाया है जिनके रहते सरकारों ने सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना की। यू0एन0ओ0 द्वारा दर्शाए गए उद्देश्यों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है-

1. विकास से सम्बन्धित पहल सरकार द्वारा होनी चाहिए, भावी उद्देश्य के लिए मांग पक्ष की ओर सरकारी प्रोत्साहन की और आर्थिक और सामाजिक कार्यों में सरकार की सशक्त सीधी भागेदारी की आवश्यकता होगी। अतः सरकार को चाहिए की वह औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और पूँजी निवेश के लिए प्रयास करे। इसके साथ ही सरकार अवसंरचना और बुनियादी गतिविधियों का विकास करने के लिए पहल के रूप में है या सरकारी उद्यमों को आवश्यक प्रबंधकीय और तकनीकी क्षमताएँ दे सकती है
2. सरकार की अपनी कुछ प्राथमिकताएँ और अनिवार्यताएँ होती है, जिन्हें साकार रूप देने के लिए आवश्यक है कि उन्हें पूरी तौर पर निजी उद्यमों के भरोसे न छोड़ दिया जाए।
3. सरकार आयात को स्थानापन्न करने (प्रतिस्थापन) और निर्यात को बढ़ावा देने संबंधी गतिविधियों में निजी क्षेत्र के प्रयासों को पूरा करने में सक्षम हो सकती है।
4. सरकार की यह इच्छा हो सकती है कि वह किसी और माध्यम की अपेक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा ली गई कीमतों के माध्यम से संसाधन पैदा करके बचत को और तेजी से बढ़ावा दे।
5. सरकार एक अल्प-विकसित क्षेत्र में विकास के अभिकरण (Agent) के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को चालू कर सकती है, क्योंकि पहले से विकसित क्षेत्र में अपनी इकाइयों को सौंपने निजी क्षेत्र की प्रवृत्ति होती है।
6. अनेक विकासशील देशों की सरकारों के कुछ वैचारिक उद्देश्य भी हैं, जैसे- आर्थिक और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, इससे भी सार्वजनिक क्षेत्र को एक अधिक बड़ी भूमिका सौंपा जाना आवश्यक हो जाता है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के वक्त भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर अवस्था में थी। आर्थिक, सामाजिक और सामरिक महत्व के मोर्चों पर अर्थव्यवस्था के सामने जितने प्रकार की और जितनी अधिक समस्याएँ थीं उनके रहते आत्म-निर्भर आर्थिक वृद्धि के माध्यम के रूप सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका का विस्तार करना सरकार के लिए व्यावहारिक रूप से अनिवार्य हो गया जिससे एक स्वस्थ कृषि और औद्योगिक आधार पर विकास करना, सार्वजनिक अर्थव्यवस्था को विविधता देना और सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करना सम्भव हो सके।

सार्वजनिक क्षेत्र का लक्ष्य निम्न उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है-

1. देश के तीव्र औद्योगीकरण और आर्थिक विकास में मदद करना;
2. देश के आर्थिक विकास के लिए आधारभूत ढांचा तैयार करना;
3. क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करना;
4. रोजगार के अवसर पैदा करना;
5. विकास के लिए संसाधन सृजित करना;
6. लघु और सहायक उद्योगों के विकास में सहायता करना;
7. अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में राष्ट्रीय ब्रांडो को बढ़ावा देना;
8. आमदनी और सम्पदा के पुनर्वितरण को बढ़ावा देना;
9. आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देने के लिए और बचाने के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करना;
10. पिछड़े क्षेत्रों को विकसित करना; और

### 11. निजी क्षेत्र की कुप्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने तथा कम लाभ पर अधिक गुणवत्ता की वस्तु या सेवाएँ जनता को उपलब्ध करना।

ये उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के व्यापक उद्देश्य है। केन्द्र सरकार की भाँति आन्ध्र प्रदेश सरकार ने भी लोक उपक्रमों के विकास और कार्यप्रणाली में सुधार हेतु राज्य स्तर के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर, 1989 में श्वेत-पत्र प्रकाशित करने वाला देश का पहला राज्य बना। इसी तर्ज पर वर्ष 1991-92 में राजस्थान सरकार ने भी लोक उपक्रमों की कार्यप्रणाली में सुधार हेतु एक उच्च स्तरीय समिति गठित की। केन्द्र सरकार पर सार्वजनिक उद्यमों पर श्वेत-पत्र प्रस्तुत करने की लगातार माँग रही है। इससे पहले भी, प्रशासनिक सुधार आयोग और संसदीय समितियों ने सरकार से बार-बार सिफारिश की है कि वह प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के उद्देश्यों को स्पष्ट विवरण दे। जिससे निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के अर्थ में सार्वजनिक उद्यम की उपलब्धि का मूल्यांकन सुगम होगा। इसी संदर्भ में सरकार ने सरकार और उद्यम के बीच एक आपसी सहमति प्रणाली (MOU- मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) लागू करने की जो रीति अपनाई है वह इस दिशा में हाल में हुई एक प्रगति है।

#### 23.2.3 सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार और अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव

विकसित और विकासशील देशों में लोक-उद्यमों की आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश के विकास में सामाजिक और आर्थिक ध्येयों को प्रोत्साहित करने में लोक-उद्यम एक साधन के रूप में कार्य करते हैं।

भारत में स्वतंत्रता से पूर्व आर्थिक और वाणिज्यिक गतिविधियों में राज्य का हस्तक्षेप कुछ ही क्षेत्रों तक समित था जैसे-रेल सेवा, डाक एवं तार, बंदरगाहों तथा आयुध कारखाने इत्यादि। स्वतंत्रता के पश्चात् देश के विकास से सम्बन्धित नीति के संदर्भ में विवेकपूर्ण निर्णयों के परिणामस्वरूप लोक-उपक्रमों का विकास तेजी से हुआ है। औद्योगिक नीति लक्ष्य को हमने संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों से प्राप्त किया और इन सिद्धान्तों के आधार पर राज्य की नीति का लक्ष्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आधार पर समाजवाद की स्थापना करके लोगों का सुधार करना है। परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों तथा उत्पादनों के क्षेत्र में जबरदस्त विस्तार हुआ। इनमें इस्पात- निर्माण, मशीन, औजार, लोह और अलौह खनिज, कच्चे तेल पिराई और शोधन, वैद्युत और निर्माण उपकरण, कोयले का उत्खनन, कपड़ा, सीमेंट, दूरसंचार, उपभोक्ता व्यापार और सेवा, अखबारी कागज का उत्पादन जैसी कई अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ भी सम्मिलित हैं। कुल औद्योगिक उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान पेट्रोलियम, सीसा, इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेलीप्रिंटर, सीसा के क्षेत्र में (100 प्रतिशत) तक है।

देश के आर्थिक विकास को और तीव्र गति प्रदान करने हेतु पिछले दो दशकों में सार्वजनिक क्षेत्र में व्यापक पूँजी निवेशों को बढ़ावा दिया गया है, जिससे इनकी स्थिति काफी अच्छी बनी रही है, ताकि अर्थव्यवस्था के केन्द्रीय क्षेत्रों की गति में तेजी लाया जा सके, सामाजिक महत्व के उद्यमों जैसे- रेल सेवा, प्रतिरक्षा, दूरसंचार आदि की उपकरण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक उपभोग की वस्तुओं जैसे- खाद्य उद्योगों, औषधों तथा होटलों आदि उपभोक्ता उन्मुख उद्योगों की वृद्धि हुई है, जिससे जन-उपभोग की वस्तुएँ और आधिक सहजता से उपलब्ध तथा सुनिश्चित हो सकी हैं तथा अन्य महत्वपूर्ण उत्पादों की कीमतों पर अंकुश/रोक लगाने में भी सफलता हासिल हुई है।

राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, परामर्श, अनुबन्ध (ठेका) और भवन निर्माण संबंधी गतिविधियाँ और संचार आदि क्षेत्रों में अनेक सार्वजनिक उद्यम काम कर रहे हैं। देश में तेज गति से आर्थिक वृद्धि करने तथा नियोजित विकास के तहत सामाजिक तथा आर्थिक वर्तमान समय में सार्वजनिक क्षेत्र में और भी उद्योग और गतिविधियाँ शामिल हो गई हैं।



9 अप्रैल, 2018 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (CPSEs) सम्मेलन-विजन 2022 के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार CPSEs से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने के लिये लगातार काम कर रही है। बीते चार सालों में सरकार ने भी सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े संस्थानों को (Operational Freedom) परिचालन/संचालन स्वतंत्रता दे दी है ताकि वो बेहतर प्रदर्शन कर देश की अर्थव्यवस्था को तीव्रता पूर्वक सुदृढ़ कर सके। आज सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम भारत की अर्थव्यवस्था को न सिर्फ मजबूती दे रहे हैं बल्कि औद्योगिक गतिविधियों में उत्प्रेरक का भी काम कर रहे हैं।

निजी क्षेत्रों की भाँति लाभ कमाना सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए भी अहम है। लेकिन साथ-साथ उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सामाजिक कल्याण की भी होती है और इन्हें इसका ध्यान रखना होगा कि वे समाज के लिए अधिक से अधिक लाभ उत्पन्न करें।

सार्वजनिक क्षेत्र में लगातार हो रही तेजी के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था पर उत्पादन, संसाधनों के निर्माण, रोजगार तथा देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास पर सकारात्मक असर हुआ है। जिसकी चर्चा हम संक्षेप में निम्न रूप से कर सकते हैं-

- 1. पूँजी निवेश-** स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूँजीनिवेश में लगातार वृद्धि हुई है। जहाँ वर्ष 1951 में इसकी संख्या पाँच थी और कुल विनियोजित पूँजी 29 करोड़ थी वहीं वर्ष 2015-16 तक इसकी संख्या बढ़कर 244 और विनियोजित पूँजी बढ़कर 1938795 करोड़ हो गई है। सार्वजनिक क्षेत्र में पूँजी निवेश में निरन्तर वृद्धि होती रही है, जिसका सकारात्मक प्रभाव उनकी कार्य क्षमता, दक्षता और उत्पादन पर पड़ा है।
- 2. टर्न-ओवर (कुल बिक्री)-** सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का कितना विस्तार हुआ है इसका विश्लेषण हम सार्वजनिक उद्यमों के टर्न-ओवर (व्यवसाय में होने वाली कुल खरीद-बिक्री की राशि) के आधार पर भी कर सकते हैं। जहाँ वर्ष 2006-07 में कुल सकल कारोबार 964890 करोड़ रुपये था, वहीं ये 2015-16 में बढ़कर 1854677 करोड़ रुपये हो गया। अतः स्पष्ट है कि सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार का प्रभाव सार्वजनिक उपक्रमों के टर्न ओवर पर भी पड़ा है। इसमें लगातार वृद्धि पायी गई है। इस टर्न ओवर की अधिकांश राशि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, भारतीय तेल निगम, भारतीय इस्पात प्राधिकरण और भारतीय खाद्य निगम जैसे उद्यमों से है। स्पष्ट है कि भारत की कुल अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में नियोजन के बाद से तेजी से वृद्धि दर्ज की जा रही है।
- 3. अवसंरचना विकास-** भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र ने आर्थिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। निजी क्षेत्र की भागीदारी कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण साबित हो रही है। रेल, सड़क, समुद्री तथा वायु यातायात व्यवस्था में दिनोंदिन जबरदस्त सुधार हो रहा है। विद्युत, ऊर्जा, कृषि आदि के क्षेत्र में भी प्रगति विस्तार हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप औद्योगिक और कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकों के साथ विकास और विस्तार हुआ है।
- 4. संतुलित क्षेत्रीय विकास-** 1970 के दशक में भारत सरकार के योजना आयोग ने संतुलित क्षेत्रीय विकास हेतु विभिन्न राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों को चिन्हित करके उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए अनेक योजनाएँ बनाई एवं सम्बन्धित राज्यों को उन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु फंड मुहैया करवाया। इसी क्रम में सार्वजनिक क्षेत्र ने भी संतुलित क्षेत्रीय विकास लाने और देश की आर्थिक गति को तेज करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। स्वतंत्रता से पूर्व उद्योगों का जमावड़ा बम्बई, मद्रास और कलकत्ता जैसे शहरों तक ही सीमित था, जिसके कारण देश के अन्य भाग विकास की दौड़ में पिछड़ते जा रहे थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सरकार ने देश के पिछड़े क्षेत्रों में भी अपना ध्यान केन्द्रित किया ताकि देश का समग्र विकास हो सके एवं क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त किया जा सके। सरकार की दूरदर्शिता के परिणाम स्वरूप पिछड़े क्षेत्रों को

चिन्हित कर उन क्षेत्रों में बड़े उपक्रमों को स्थापित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की निवेशित पूँजी को काफी मात्रा में इस ओर लगाया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का सभी राज्यों और केन्द्र शासित राज्यों में स्थापित होना एक प्रशंसनीय कदम रहा क्योंकि इससे न केवल क्षेत्रीय संतुलन बनेगा बल्कि इससे सहायक और लघु उद्योगों में वृद्धि होगी एवं रोजगार सृजन के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे।

5. **रोजगार-** सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार ने रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1989 के आँकड़ों के अनुसार केन्द्र के सार्वजनिक क्षेत्र के 232 उपक्रमों में 22.93 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध था वहीं अगर हम 2016-17 के आँकड़ों का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में 15 लाख से अधिक लोगों को CPSEs के द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया गया है जिसमें 11.31 लाख स्थायी कर्मचारी, 3.39 लाख संविदा कर्मचारी और 54000 सामयिक/आकस्मिक कर्मचारी कार्यरत है।

इस प्रकार हम पाते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र एक आदर्श नियोक्ता बन रहा है और साथ ही साथ यह अपने अधिकांश उपक्रमों के विशेषकर दुर्गम क्षेत्रों या गाँवों या कस्बों में स्थित परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को आवास, चिकित्सा, शिक्षा आदि की सुविधाएँ देने तथा उनकी सामाजिक जिम्मेदारियों के निर्वाह में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। साथ ही साथ CPSEs अपने कर्मचारियों की उत्पादन क्षमता एवं दक्षता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और पुनर्प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करता है। सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा देश के आंतरिक संसाधनों के निर्माण में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश में संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए यह एक सार्थक प्रयास सिद्ध हो रहा है। इसके साथ ही साथ यह प्रयास किया जा रहा है कि औद्योगिक उत्पादों को स्थानीय उत्पादन के जरिए पूरा किया जा सके जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा उत्कृष्ट प्रयास किया जा रहा है तथा निर्यात को प्रोत्साहन दिया जा रहा है जिससे देश को औद्योगिक एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

निःसंदेह केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने देश के आर्थिक विकास की नींव रखी है। सभी क्षेत्रों में लोक उद्यमों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है विशेषकर सामरिक महत्त्व एवं कोर क्षेत्र में (जैसे- कोयला, कच्चा तेल, उर्वरक, स्टील, पेट्रो रिफाइनिंग, बिजली और नेचुरल गैस) आज के वैश्वीक युग की प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए लोक उपक्रमों को और अधिक सशक्त और तकनीकी रूप से अपने आप को तैयार करना होगा।

अब इस बात का विश्लेषण करने का समय आ गया है कि किस प्रकार लोक उपक्रमों को और अधिक उपयोगी और उत्पादक बनाया जाए। सरकार का इस ओर भी ध्यान है कि कौन-कौन से उद्यम घाटे में चल रहे हैं और किस प्रकार उसका कायापलट कर उसे मुनाफा कमाने वाली श्रेणी में लाया जा सके।

पिछले तीन वर्षों के दो महत्वपूर्ण मापदण्डों निवेश और शुद्ध लाभ (Investment and Net Profit) के आँकड़ों के अध्ययन से पता चलता कि 2014-15 के मुकाबले 2016-17 में निवेश में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है वहीं शुद्ध लाभांश (Net Profit) की बात की जाए तो लोक उद्यमों का शुद्ध लाभ में 23.30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

लाभ कमाने वाले पाँच महत्वपूर्ण लोक उपक्रमों की बात करे तो वर्ष 2016-17 के आँकड़ों के अनुसार- (1) पेट्रोलियम, (2) कच्चा तेल, (3) विद्युत उत्पादन, (4) वित्तीय सेवाएँ और (5) कोयला इनमें से प्रत्येक क्षेत्रों ने सरकार को 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का शुद्ध लाभ दिया है। लोक उद्यमों का कार्य क्षेत्र अब समाज के उत्थान में भी हो रहा है। सरकार द्वारा चलाई जा रही कई महत्वपूर्ण योजनाएँ जैसे- स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, शिक्षा, ग्रामीण विकास, कौशल विकास, पर्यावरण, सौर ऊर्जा, कला, संस्कृति एवं ऐतिहासिक धरोहरों आदि क्षेत्रों में भी सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है ताकि 'न्यू इण्डिया' के संकल्प के लक्ष्य को पूर्णतः हासिल किया जा सके। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम सम्मेलन- विजन 2022 जो कि 9 अप्रैल, 2018 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में सम्पन्न हुआ उसमें सरकार ने साफ कर दिया कि लोक उद्यमों को राष्ट्र के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण योगदान को सुनिश्चित करना होगा ताकि विजन 2022 के 'न्यू इण्डिया' के सपने को साकार किया जा सके।

**अभ्यास प्रश्न-**

1. 1951 में जब नियोजन प्रक्रिया आरम्भ हुई थी, तब देश में केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उद्यमों की संख्या कितनी थी?
2. लोक उपक्रमों की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य है?
3. वर्ष 2014-15 के मुकाबले वर्ष 2016-17 में सार्वजनिक उपक्रमों के निवेश में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है?
4. वर्ष 2015-16 में चालू/काम करने वाले केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या कितनी है?
5. वर्ष 2016-17 में लाभ कमाने वाले पाँच महत्वपूर्ण लोक उपक्रम कौन-कौन से हैं?
6. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम सम्मेलन-विजन-2022 कब और कहाँ सम्पन्न हुआ?

**23.3 सारांश**

लोक उद्यमों की स्थापना के मूल में राष्ट्रीय सुरक्षा, देश का सन्तुलन आर्थिक व औद्योगिक विकास, उत्पादन का समान वितरण, माँग एवं पूर्ति में संतुलन, राजस्व में वृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों का विकास, उद्योगों की कार्यक्षमता में वृद्धि, निर्यात व्यापार में वृद्धि, विदेशी मुद्रा प्राप्त करना, प्रबन्ध का वैज्ञानिकरण, आर्थिक व सामाजिक असमानताओं को कम करना, मूल्य नियंत्रण में सहयोग, बचत को प्रोत्साहित करना, निवेश वृद्धि तथा देश की अर्थव्यवस्था में सक्रिय भागिदारी सुनिश्चित करना, जनता का सर्म्पन भाव से सेवा करना एवं जनसहभागिता को बढ़ावा देना तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वाह सक्रियता एवं सकारात्मकता पूर्वक किया जा रहा है।

राष्ट्र निर्माण में केन्द्रीय सार्वजनिक लोक उद्यमों के योगदान में हरेक की भागीदारी सुनिश्चित हो, चाहे वो दूर-दराज में स्थित छोटा कर्मचारी हो या फिर मुख्यालय के बड़े अधिकारी इन सब के बीच समन्वय हो ताकि हर समस्या का निदान हो सके जिससे लोक उपक्रमों को 'न्यू इण्डिया' के निर्माण विजन-2022 के सपने को साकार करने में सरलता पूर्वक सफलता मिल सके।

**23.4 शब्दावली**

लोक कल्याणकारी- जिसमें जनता का कल्याण निहित हो,

सार्वजनिक उद्यम- सरकारी उद्योग

विशुद्ध- पूर्ण रूप से शुद्ध मिश्रित अर्थ व्यवस्था-जिसमें सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं,

सार्वजनिक क्षेत्र- जिसमें सरकार की समस्त आर्थिक गतिविधियाँ शामिल होती हैं, विभागीय प्रबंध- विभागों द्वारा प्रबंध करना, स्वामित्व- एक ही व्यक्ति व्यवसाय का स्वामी होता है, वाणिज्यिक- व्यापारिक, आंशिक-थोड़ा या अल्प, प्रक्रियात्मक- प्रक्रिया के रूप में होने वाला, वैधानिक- कानूनी, प्रतिष्ठान- संस्था, एम0ओ0यू0- आपसी सहमति प्रणाली, श्वेत पत्र- एक सरकारी दस्तावेज जिसमें किसी विशेष विषय पर सरकार की नीति दी जाती है, या स्पष्ट की जाती है।

अवसंरचना- ऐसे संगठन जिनकी गतिविधियाँ आगे के आर्थिक विकास के लिए आधार तैयार करने में अप्रत्यक्ष रूप से मदद देती हैं।

टर्न ओवर- सार्वजनिक क्षेत्र के सम्बन्ध में, इसका अर्थ होता है किसी संगठन द्वारा बेचे गए सामान या कुल बिक्री की कुल कीमत।

शुद्ध लाभांश- किसी उपक्रम/कम्पनी के कमाये गये मुनाफों का अंश, यह उस कम्पनी के शेयर धारकों को मिलता है, चाहे वह सरकार हो या व्यक्ति।

पुनर्प्रशिक्षण- इसका अर्थ होता है विशेषज्ञता को पुराने क्षेत्र में विस्तृत प्रशिक्षण, या विशेषज्ञता के नए क्षेत्र में प्रशिक्षण

### 23.5 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. पाँच, 2. आर्थिक विकास में सरकार की भूमिका सुनिश्चित करना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा मूल्य नियंत्रण करना, रोजगार के अवसर उपलब्ध करना, सामाजिक- आर्थिक समानता लाना तथा क्षेत्रीय संतुलन स्थापित करना इत्यादि, 3. 14 प्रतिशत, 4. 244, 5. पेट्रोलियम, कच्चा तेल, विद्युत उत्पादन, वित्तीय सेवाएँ तथा कोयला, 9. अप्रैल, 2018 विज्ञान भवन, नई दिल्ली।

### 23.6 सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची

1. भारतीय प्रशासन, अवस्थी एवं अवस्थी।
2. लोक प्रशासन, अवस्थी एवं माहेश्वरी।
3. राज्य प्रशासन, सुरेन्द्र कटारिया।
4. भारतीय प्रशासन, श्री राम माहेश्वरी।
5. लोक प्रशासन: नये क्षितिज, इन्द्रजी कौर।
6. लोक प्रशासन, पुखराज जैन।
7. विकास प्रशासन, आनन्द प्रकाश अवस्थी।
8. विकास प्रशासन (ई0पी0ए0-3, इकाई-26, इग्नू)

### 23.7 सहायक/उपयोगी अध्ययन सामग्री

1. Public Sectors in India, S.K.Singh.
2. Administration of Public Enterprises in India, Jagdish Prakash & Nageshwar Rao, Mata Badal Shukla
3. विकास प्रशासन (ई0पी0ए0-3 इकाई-26, इग्नू)
4. Management of Public Enterprises (M S-92,unit-1, GNOU)
5. Public Enterprises Survey, 2015-16 volume-I, Government of India Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Department of Public Enterprises.
6. Government of India, Department of Public Enterprises, CPSEs, Conclave-VI si on 2022, Monday, 9th April 1, 2018, Vigyan Bhavan, New Delhi .
7. www.dpe.gov.in

### 23.8 निबन्धात्मक प्रश्न

1. सार्वजनिक क्षेत्र और सार्वजनिक उद्यम के अर्थ की व्याख्या कीजिए।
2. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए।
3. भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्भव एवं विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
4. सार्वजनिक क्षेत्र के विकास का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है? व्याख्या कीजिए।

## इकाई- 24 सार्वजनिक उद्यम के स्वास्थ्य/स्वरूप

### ईकाई की संरचना

24.0 प्रस्तावना

24.1 उद्देश्य

24.2 विभागीय उपक्रम/उद्यम

24.2.1 सार्वजनिक निगम

24.2.2 सरकारी कम्पनी

24.2.3 सार्वजनिक उद्यमों के लिए संगठन के स्वास्थ्य/स्वरूप का चयन

24.3 संगठन के दूसरे स्वरूप

24.4 संयुक्त उद्यम

24.5 सार्वजनिक उपक्रमों के लिए एक समग्र संगठन की आवश्यकता

24.6 सारांश

24.7 शब्दावली

24.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

24.9 सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची

24.10 सहायक/उपयोगी पाठ्य समग्री

24.11 निबन्धात्मक प्रश्न

### 24.0 प्रस्तावना

जैसा कि हम आगे की इकाई में पढ़ चुके हैं, भारतीय संविधान ने राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों में सत्ता के विकेन्द्रीकरण पर जोर दिया है, एकाधिकारी प्रवृत्ति पर रोक लगाने की बात कही गई है और आर्थिक नियोजन के लक्ष्यों की प्राप्ति, सन्तुलित क्षेत्रीय विकास, समाजवादी समाज की रचना तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि आदि के लिए कार्य करने का राज्य को निर्देश दिया गया है। जिसके परिणामस्वरूप नियोजन का यह प्रभाव हुआ कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र ने देश की आर्थिक विकास की नींव रखी और आर्थिक विकास के मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका हासिल कर ली। सभी क्षेत्रों में लोक उपक्रमों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है विशेषकर सामरिक महत्व एवं कोर क्षेत्र जैसे (कोयला, कच्चा तेल, उर्वरक, स्टील, बिजली और नेचुरल गैस तथा पेट्रो रिफाइनिंग) आदि जैसे उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयाँ स्थापित हो गई है। इसके साथ ही सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं जैसे- भारतीय रिजर्व बैंक, बीमा कम्पनियाँ आदि को अपने संरक्षण में ले लिया है, और अर्थव्यवस्था को विभिन्न वित्त प्रदान करने वाली अनेक वित्तीय संस्थाओं का गठन किया है।

इस इकाई में हम सबसे पहले संगठन के तीनों वर्गों- विभागीय उपक्रम, वैधानिक/सार्वजनिक निगम तथा सरकारी कम्पनी की विशेषताओं का अध्ययन के साथ-साथ सार्वजनिक उद्यम संगठन के दूसरे रूपों का भी अध्ययन करेंगे, जैसे- नियंत्रण परिषद, संचालन अनुबंध (ठेका) और क्षेत्र निगम। इसके अतिरिक्त हम इस इकाई में सार्वजनिक उद्यमों के लिए एक समग्र संगठन होने की आवश्यकता और संयुक्त उद्यम की अवधारणा पर भी विस्तृत चर्चा करेंगे।

### 24.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप-

- विभागीय उपक्रम, वैधानिक, सार्वजनिक निगम, तथा सरकारी कम्पनी के स्वरूप की मुख्य विशेषताओं को समझ सकेंगे।
- सार्वजनिक उपक्रमों के लिए संगठन के किस रूप का चयन किया जाए, इसकी विवेचना कर सकेंगे।
- संगठन के दूसरे स्वरूपों की विशेषताओं का विवरणात्मक अध्ययन कर सकेंगे।
- संयुक्त उद्यम की अवधारणा की व्याख्या कर सकेंगे, तथा
- सार्वजनिक उपक्रमों के लिए समग्र संगठन होने की आवश्यकता का अध्ययन कर समझ सकेंगे।

## 24.2 विभागीय उपक्रम/उद्यम

भारत में विभागीय उद्यम सार्वजनिक उद्यमों के संचालन का पारंपरिक और सबसे पुरातन रूप है। विभागीय संगठन के अंतर्गत जो उद्यम है, उनका संगठन, संचालन, नियंत्रण तथा वित्त की व्यवस्था सरकारी विभागों की तरह होता है। भारत में यह उद्यम थे- केन्द्रीय स्तर पर डाक व तार, रेलवे, सुरक्षा उत्पादन, बन्दरगाह, संचार, सरकारी छापाखाना, मुद्रा-निर्माण तथा आणविक ऊर्जा परियोजनाएँ इत्यादि। राज्य स्तर पर बिजली, सड़क यातायात, डेरी योजना तथा सिंचाई इत्यादि का प्रबंध अभी भी विभागीय संस्थान के द्वारा किया जाता है।

### 1. विभागीय उपक्रम/उद्यम मुख्य विशेषताएँ

- सरकार द्वारा गठन- विभागीय संगठनों की स्थापना सरकार की कार्यपालिका शाखा द्वारा एक प्रस्ताव के माध्यम से होता है। सरकार की कार्यपालिका शाखा सम्बन्धित विभागीय उद्यम के लिए संसद में एक प्रस्ताव लाती है जिसे वह बहुमत के साथ स्वीकृति प्रदान करती है।
- सरकार द्वारा वित्त प्रबन्ध- सरकार द्वारा गठित किये गये विभागीय उद्यमों के संचालन हेतु वित्त की व्यवस्था सरकारी खजाने से की जाती है। इसके अतिरिक्त, इनसे प्राप्त राजस्व का पूरा अथवा अधिकांश हिस्सा/भाग सरकार के राजकोष में जाता है। इन उपक्रमों के लिए धन के लेन-देन की व्यवस्था सरकार बजट के माध्यम से करती है।
- सरकारी नियंत्रण- विभागीय उपक्रमों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु सरकार इन्हें सीधे विभागीय अध्यक्ष के नियंत्रण में रखती है, जो सरकार के मंत्री होते हैं और सम्बन्धित विभागीय मंत्री उद्यम की समस्त गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होता है।
- लेखांकन एवं परीक्षण- ऐसे सभी प्रकार के विभागीय उपक्रमों के लेखा और लेखापरीक्षण की व्यवस्था सरकार अपने द्वारा निर्मित नियमों- विनियमों के साथ पूरी करती है।
- जवाबदेयता- उद्यमों की जवाबदेयता सीधे तौर पर सम्बन्धित विभागीय अध्यक्ष अर्थात् मंत्री की होती है, जो अपने विभाग से जुड़े उद्यमों के लिए संसद के प्रति जवाबदेय होता है।
- भर्ती एवं सेवा शर्तें- विभागीय उद्यमों के स्थायी कर्मचारी लोक-सेवा के सदस्य होते हैं। उनकी भर्ती तथा सेवा शर्तें लोक सेवा के कर्मचारियों के समान होती है अर्थात् नागरिक सेवा नियम इन पर समान रूप से लागू होते हैं।
- विधिक पद्धति- देश के विधिक पद्धति के अनुसार यह राज्य को प्राप्त सर्वोच्च उन्मुक्ति का उपभोग करते हैं। सरकार की सहमति के बिना इन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

### 2. विभागीय संगठन/उपक्रम/उद्यम के प्रकार

विभागीय संगठन/उपक्रम/उद्यम तीन प्रकार के होते हैं-



- स्वतंत्र मन्त्रालयी उद्यम- इस प्रकार के विभागीय उद्यम सीधे मंत्रालय के रूप में कार्य करते हैं। जैसे- रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय आदि।
- अधीनस्थ मन्त्रालयी उद्यम- इस प्रकार के विभागीय उद्यम सीधे मंत्रालय के अधीन रहकर कार्य करते हैं।
- अर्न्तविभागीय समिति या मण्डलीय उद्यम- इस प्रकार के संगठन किसी विशेष उद्योग की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से संचालित किये जाते हैं। जैसे- भाखरा-नांगल बाँध परियोजना, हीराकुण्ड जल विद्युत परियोजना आदि।

### 3. संगठन के विभागीय उपक्रम/उद्यम के लाभ

- संगठन के विभागीय उपक्रम/उद्यम के निम्नलिखित लाभ होते हैं-
- उत्तरदायित्व, एकरूपता, एकीकरण एवं समन्वय इसके प्रमुख लाभ हैं।
- यह प्रत्यक्ष मंत्रीय नियंत्रण में रहता है और संसद के प्रति जवाबदेह होता है।
- विभागीय उद्यम रूपी इसी संगठन के मानक, नियम तथा पैटर्न (ढाँचा) निर्धारित होते हैं।
- इसमें संगठनात्मक और प्रक्रियात्मक समरूपता पायी जाती है।
- इससे प्रशासनिक सेवाओं और संस्थानों में समन्वय और सहयोग स्थापित होता है।
- इसमें उद्यमों का प्रशासन वरिष्ठ लोक-सेवकों के माध्यम से किया जाता है तथा इन पर वित्तीय नियंत्रण राजकोष द्वारा किया जाता है।

### 4. संगठन के विभागीय उपक्रम /उद्यम के दोष

भारतीय प्रशासनिक सुधार सम्बंधी अध्ययन के लिए श्री ए0डी0 गोरवाला के नेतृत्व में संगठित समिति ने 1957 में प्रकाशित अपने प्रतिवेदन में सार्वजनिक उद्यमों के लिए विभागीय संगठन को अनुपयुक्त बताया। इसी प्रकार भारत में लोक उद्यमों पर कृष्ण मेनन रिपोर्ट में इस प्रकार के संगठन की कमियों या दोष का उल्लेख किया है, जो निम्नलिखित हैं-

- इसके कर्मचारियों पर लोक-सेवा के सदस्यों के नियम लागू होते हैं। अतः इससे पदोन्नति में विलम्ब और आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही सम्भव नहीं हो पाती है।
- वित्त के प्रबन्ध के लिए जो प्रक्रिया होती है वह बहुत ढीली-ढाली होती है, उदाहरण के लिए, यदि किसी खर्च के लिए पैसा लेना हो तो सरकार से उसके लिए अनुमति लेनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त और मामलों में भी ऐसी ही सुस्त प्रक्रिया अपनायी जाती है।
- विभागीय संगठन में लेखा एवं लेखा परीक्षण की पद्धति अत्यन्त जटिल होती है।
- कच्चे मालों की खरीद तथा उत्पादनों की बिक्री के विभागीय तरीके भी जटिल नियमों से बंधे होते हैं।
- उद्यम सम्बंधी स्वतंत्रता का अभाव इस प्रकार के संगठन में पाया जाता है।

अतः इन दोषों को दूर करने के लिए कुछ विभागों में इसके उपचार के सम्बंध में बोर्डों की रचना सम्बंधी कदम उठाए गए हैं, परन्तु यह उपाय प्रत्येक विभाग के लिए अपनाया सम्भव नहीं है। प्रो0 डिमॉक ने तो यहाँ तक कहा कि अगर विभागीय प्रारूप में नम्यता और स्वायत्ता की दिशा में सुधार कर दिया जाए तो निगमों की स्थापना की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।

### 24.2.1 सार्वजनिक निगम

सार्वजनिक या लोक निगम का उदय इस शताब्दी की प्रशासनिक खोज की एक महत्वपूर्ण उपलब्धी है। वर्तमान में लोक कल्याणकारी राज्य के कार्यों का क्षेत्र इतना व्यापक हो गया है कि वह अपने दायित्वों का पालन प्रशासन की परम्परागत इकाई- विभाग से नहीं कर सकता। उसे अन्य प्रभावशाली इकाईयों की आवश्यकता महसूस हुई जिसके लिए उसने एक अन्य प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया जो राजकीय महत्व के उद्योगों पर राजकीय नियंत्रण के साथ-साथ जन-सुविधा एवं कल्याण का भी ध्यान रखे। उस पर अप्रत्यक्ष रूप से राज्य का नियंत्रण हो ऐसे संगठनों को “लोक निगम” कहते हैं।

लोक- निगम सूत्र अभिकरण होते हुए भी विभागों तथा स्वतंत्र नियामकीय आयोगों से भिन्न होता है। यह सार्वजनिक उद्यमों को प्रबंध करने के लिए अपनाए गए नवीन प्रकरण हैं। इसमें लोक तथा निजी प्रशासन दोनों के गुण पाए जाते हैं तथा यह दोनों प्रशासनों के अन्तर को कम करने में एक “सेतु” का काम करता है।

वास्तव में लोक निगमों की स्थापना इस जरूरत को पूरा करने के लिए की गई कि वह औद्योगिक कार्यों को सफलता पूर्वक सरकार के विभागीय संगठन पद्धति से अलग रहकर अन्वेषणात्मकता एवं प्रक्रियात्मक लचीलेपन के साथ पूरा करे। जैसा कि देखा जा चुका है कि विभागों में व्याप्त प्रक्रियात्मक जटिलताएँ, अत्यधिक नियंत्रण, “उचित मार्ग” (Through Proper Channel) की बाध्यता एवं जीवनकालिक सेवा की धारणा उद्यमी आवश्यकताओं के विकास में बाधक सिद्ध होती है। अतः ऐसी व्यवस्थाओं से अलग एक ऐसे संगठन की आवश्यकता प्रतीत होती है जो “मध्य मार्ग” अनुसरण कर सके। अतः सार्वजनिक निगम पूर्ण स्वायत्ता और पूर्ण नियंत्रण के मध्य सम्यक सन्तुलन को प्राप्त करने का आदर्श उपाय है।

केन्द्र सरकार के कुछ महत्वपूर्ण लोक निगम निम्नलिखित हैं- भारतीय रिजर्व बैंक (1935), दामोदर घाटी निगम (1948), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (1948), इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन (1953), एयर इंडिया इंटरनेशनल (1953), भारतीय स्टेट बैंक (1955), भारतीय जीवन बीमा निगम (1956), केन्द्रीय भंडार निगम (1957), तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (1959) तथा भारतीय खाद्य निगम (1964)।

राज्य सरकारों के अधीन कुछ महत्वपूर्ण लोक निगम निम्नलिखित हैं- राज्य सड़क परिवहन निगम, राज्य वित्त निगम, राज्य विद्युत बोर्ड तथा स्टेट लैंड मॉर्टगेंज बैंक्स।

#### 1. भारत में सार्वजनिक निगमों का वर्गीकरण

- पुनर्वास वित्त निगम, औद्योगिक वित्त निगम- इसका उद्देश्य ऋण उपलब्ध कराना है।
- एयरलाइन्स, एयर इण्डिया इण्टरनेशनल, परिवहन मार्ग निगम- इसका उद्देश्य विशिष्ट उद्योग और वाणिज्य का संचालन करना है।
- दामोदर घाटी निगम- इसका उद्देश्य विशेष क्षेत्र का बहुमुखी विकास है।

#### 2. सार्वजनिक निगम की विशेषताएँ

सार्वजनिक निगम की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

- सांविधिक (Statutory) संस्था- सरकारी कम्पनियों से भिन्न प्रत्येक लोक निगमों की स्थापना संसद द्वारा पारित एक विशेष अधिनियम द्वारा की जाती है। इस अधिनियम के तहत लोक निगम के कार्यों, कर्तव्यों, अधिकारों तथा प्रबंध एवं संचालन सम्बन्धी नितियों का उल्लेख किया जाता है।
- सरकार का पूर्ण स्वामित्व- सार्वजनिक उद्यम के मुख्य स्वरूप लोक निगम का स्वामित्व पूरी तरह सरकार का होता है। भारत में स्थापित सार्वजनिक निगमों की सम्पूर्ण पूँजी सरकार द्वारा लगायी जाती है जिसमें

कम से कम 51 प्रतिशत अंश सरकार का होता है। शेष 49 प्रतिशत पूँजी सरकार अथवा निजी क्षेत्र द्वारा भी लगाई जा सकती है।

- पृथक् वैधानिक अस्तित्व- लोक निगम की स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा की जाती है अतः सभी सार्वजनिक निगमों का पृथक्-पृथक् वैधानिक अस्तित्व होता है। ऐसे संगठन अपने आप में अर्द्धन्यायिक एवं अर्द्ध विधायी प्रकृति के होते हैं तथा इनका एक वैधानिक क्षेत्र भी होता है जिसके अधीन रहकर ये किसी पर मुकदमा कर भी सकते हैं और इन पर दावा भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में, सार्वजनिक निगम एक विधिक व्यक्ति का रूप धारण कर लेता है।
- प्रशासनिक स्वायत्तता- लोक निगमों को अपने प्रशासनिक कार्यों में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है। राजनीतिक कार्यपालिका अर्थात् मंत्री-परिषद और संसद द्वारा इन पर उतना ही नियंत्रण रहता है जिससे कि उनको उत्तरदायी बनाने के साथ-साथ उनकी स्वायत्तता को अक्षुण्ण बनाए रखा जा सके ताकि इनके संचालन एवं उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
- वित्तीय स्वायत्तता- वित्तीय स्वतंत्रता प्रत्येक संगठन के लिए अच्छी मानी जाती है क्योंकि कोई भी कार्य बिना वित्तीय स्वायत्तता के कारगर नहीं हो सकता। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में जहाँ हर वक्त धन एवं स्वतंत्र निर्णय की आवश्यकता होती है वहाँ तो इसका महत्व और अधिक हो जाता है। इसलिए सरकार लोक निगमों की वित्तीय व्यवस्था स्वतंत्र रखती है।
- सरकारी कार्मिक प्रबन्ध सम्बन्धी स्वायत्तता- सार्वजनिक निगमों की कार्मिक व्यवस्था जैसे- भर्ती, पदोन्नती, पारिश्रमिक और अन्य सुविधाओं का भुगतान निगम द्वारा ही निर्धारित नियम और शर्तों के आधार पर होता है। इन पर सरकारी सेवा शर्तें एवं नियम लागू नहीं होते। लेकिन यह देखा गया है कि अधिकांश सार्वजनिक निगम सरकारी सेवा शर्तों को ही अपना लेते हैं। इतना ही नहीं, इन निगमों को कर्मचारियों की सेवा शर्तें निश्चित करने से पहले सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है।
- सेवा का विशिष्ट उद्देश्य- लोक निगमों का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है जिसके लिए वे संगठित किए जाते हैं। इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि इनका मुख्य उद्देश्य लोक सेवा एवं लोक कल्याण करना है ताकि व्यक्ति के विकास एवं उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाया जा सके।
- बजट, लेखांकन एवं अंकेक्षण सम्बन्धी नियमों से मुक्त- लोक निगम के संचालक मण्डल में ही उसके बजट को पारित करने की शक्ति पायी जाती है। इसके बजट को संसद में नहीं भेजना पड़ता। इसके साथ ही साथ सार्वजनिक निगम के संगठनों में इनके लेखांकन एवं अंकेक्षण की शक्ति सरकार से अलग होकर इसके संचालक मण्डल में ही निहित होती है। लेकिन भारत में कई सार्वजनिक निगमों के लेखों का अंकेक्षण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा ही किया जाता है। उन सभी मामलों में जहाँ पूँजीगत खर्चे निर्धारित सीमा से अधिक हों, ऐसी अवस्था में सरकार से अनुमति लेना भी आवश्यक होता है।

### 3. लोक निगम के लाभ

- सार्वजनिक/लोक निगमों से मिलने वाले लाभ निम्नलिखित हैं-
- इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसका संविधान लचीला होता है और यह बहुत हद तक स्वतंत्र होता है।
- यह राजनीतिक प्रभावों और पक्षपात की भावना से मुक्त होता है।

- इसे वित्तीय स्वतंत्रता भी बहुत हद तक प्राप्त होती है जिससे कार्य सम्पन्नता में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती।
- इसके नियम तथा प्रक्रिया भी बहुत सरल होते हैं और सरकारी विभागों की तरह इसमें लालफीताशाही का अवगुण नहीं होता।
- इसके कर्मचारी असैनिक सेवा के नहीं होते, अतः यह अपने कर्मचारियों पर उचित नियंत्रण स्थापित कर सकता है तथा उनके कार्यों का सूक्ष्मता से निरीक्षण कर सकता है।

#### 4. लोक निगम की हानियाँ

सार्वजनिक/लोक निगम से होने वाली हानियाँ निम्नलिखित हैं-

- लोक निगम एवं सरकार में कई बार क्षेत्राधिकार की समस्या बनी रहती है। इसका कार्यक्षेत्र औद्योगिक एवं व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित है। निगमों के संचालन-मण्डलों में सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति से कार्यपालिका का हस्तक्षेप बढ़ने लगता है। अतः दोनों क्षेत्रों में संघर्ष चलता रहता है, जिससे कार्य-संपादन में रूकावट उत्पन्न होती है।
- निगम का प्रयोग सिर्फ सीमित उद्योगों के लिए ही किया जा सकता है। सिर्फ व्यापारिक दृष्टि से कार्य करने के लिए तो संयुक्त पूँजी पद्धति की ही व्यवस्था अधिक अच्छी है। संयुक्त पूँजी कम्पनी की स्थापना भी निगम से आसान है, इसकी स्थापना के लिए सिर्फ भारतीय कम्पनी विधि के अर्न्तगत उसको पंजीकृत कराना होता है, जबकि एक निगम की स्थापना के लिए संसद को एक विशेष कानून बनाना पड़ता है। बदलते युग में अधिनियम बनने की प्रतीक्षा करना उद्योगों के लिए नुकसानदेह है।
- भारत में सरकारी निगमों का सबसे बड़ा दोष यह है कि निगम के अध्यक्ष-पद पर प्रशासकीय सेवाओं के सदस्यों को ही नियुक्त कर दिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप वह अपने आप को दलगत राजनीति से अलग नहीं कर पाता और इस स्थिति में लोक निगमों की स्थापना का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है।

#### 24.2.2 सरकारी कम्पनी

सरकारी कम्पनी की स्थापना सार्वजनिक उद्योगों के संचालन का एक अन्य तरीका है। सरकारी कम्पनियाँ जिन्हें मिश्रित स्वामित्व की कम्पनियाँ भी कहा जाता है का प्रयोग सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पादन कार्यों से सम्बन्धित उद्यम को सम्पन्न करने के लिए किया जाता है। भारत में केन्द्रीय, एवं राज्यों की सरकारें दोनों ही इसके पक्ष में हैं। इसमें आर्थिक पक्ष इतना प्रधान होता है कि इसे विधिक या संगठनात्मक पद्धति के स्थान पर आर्थिक धारणा के रूप में देखा जाता है। ये कम्पनियाँ संयुक्त पूँजी व्यवस्था के आधार पर कार्य करती हैं अतः इन्हें संयुक्त पूँजी कम्पनी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 अपनाया गया है जिसके अनुसार- “सरकारी कम्पनी से तात्पर्य ऐसी कम्पनी है जिसकी प्रदत्त पूँजी का कम से कम 51 प्रतिशत भाग केन्द्रीय या राज्य सरकार या राज्य सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्रीय सरकार या आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों के पास हो तथा इसमें वह कम्पनी भी शामिल है जो किसी कम्पनी की सहायक कम्पनी है।” किसी भी उद्यम में अंशधारी, निजी संस्थान या सामान्य जनता में से कोई भी हो सकता है। आधुनिक युग में यह व्यवस्था काफी लोकप्रिय होती जा रही है।

सरकारी कम्पनी की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

1. सरकार का पूर्ण स्वामित्व- इसकी सम्पूर्ण पूँजी या कम-से कम 51 प्रतिशत पूँजी का स्वामित्व सरकार के हाथों में होता है।

2. कानून द्वारा अधिनियमित- इसका निर्माण एक विशेष कानून बनाकर किया जाता है जिसमें उसकी शक्तियाँ और विशेषाधिकारों की व्यख्या स्पष्ट कर दी जाती है। भारत में इसके लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 की व्यवस्था की गयी है।
3. वैधानिक संस्था- कम्पनियाँ मुकदमा दायर कर सकती है, इनके विरुद्ध मुकदमें दायर किए जा सकते हैं; वे अपने अनुबन्ध तथा अपने नाम से सम्पत्ति अर्जित कर सकती हैं।
4. मिश्रित स्वामित्व-सरकारी कम्पनियों में संयुक्त स्वामित्व के आधार पर क्रियाओं एवं वित्त का प्रबन्ध आदि होता है। इसमें सरकार का कम से कम अंश 51 प्रतिशत होता है एवं कुछ मामलों में निजी शेयर होल्डरों एवं उत्पादित माल की बिक्री या सेवा से होने वाली आय से प्राप्त किया जाता है।
5. प्रबन्धतन्त्र की व्यवस्था- कम्पनी के निदेशक मण्डल में सभी या अधिकांश निदेशकों को सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। सरकार द्वारा नियुक्त निदेशकों की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि सम्बन्धित उद्यम/उपक्रम में निजी पूँजी किस मात्रा में लगी है।
6. लेखांकन तथा परीक्षण से मुक्ति- सरकारी कम्पनियाँ सरकारी विभागों के सेवी-वर्ग, बजट लेखांकन और लेखा-परीक्षण विधियों एवं पद्धतियों से प्रायः स्वतंत्र रहती है। अतः इसमें निजी कम्पनियों से सम्बन्धित सभी विशेषताएँ पाई जाती है।
7. कार्मिक व्यवस्था- कुछ कर्मचारियों को छोड़कर जो कि सरकारी विभागों से आते हैं, इन कम्पनियों के शेष कर्मचारी लोकसेवा के सदस्य नहीं होते और उनकी नियुक्ति कम्पनी के द्वारा उन शर्तों पर होती है जो सरकारी विभागों में नियुक्ति के लिए लागू शर्तों से भिन्न होती है।

संगठन का कम्पनी रूप उस स्थिति में भी सुविधाजनक होता है, जब-

- किसी आपात स्थिति में सरकार को किसी विद्यमान उद्यम को अपने हाथ में लेना होता है,
- सरकार किसी उद्यम का प्रबंध निजी उद्यम की साझेदारी में करना चाहती है,
- निजी क्षेत्र के साथ होड़ होने के कारण संचालन संबंधी स्वायत्तता की आवश्यकता होती है, और
- दाता देश विशिष्ट प्रकार के संगठन रखने की बाध्यता लगाते है।

संक्षेप में कह सकते है कि सरकारी कम्पनी में संगठनात्मक सुविधा, प्रक्रियात्मक स्वायत्तता एवं कार्य के प्रति लचीलापन और व्यावसायिक प्रबंधकीय कुशलता जैसी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं।

### सरकारी कम्पनियों के लाभ एवं हानियाँ

सरकारी कम्पनियों के लाभ निम्नलिखित हैं-

- इससे किसी उद्यम के गठन का कार्य सरल और सुविधाजनक हो जाता है। सरकार का लक्ष्य उस उद्यम को आत्मनिर्भर बनाना होता है।
- इसको निजी उद्यमों के साथ मिलकर स्थापित किया जा सकता है।
- इससे सरकार पर पूँजीगत बोझ कम हो जाता है।
- इसका आसानी से विस्तार किया जा सकता है।
- विभागों की तुलना में कम्पनी का अच्छा संगठनात्मक अनुशासन और व्यावसायिक प्रबंधकीय क्षमता जैसे तत्व सरकारी कम्पनियों के लिए उपयोगी माने जाते हैं।

सरकारी कम्पनियों की हानियों को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है-

- सांविधानिक आधार पर कम्पनी संरचना का सबसे प्रमुख कमी यह है कि इस पर कोई संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं होती है। प्रो0 रॉब्सन ने उन्हें सार्वजनिक दायित्व और नियंत्रण से बचने का एक उपाय कहा है।
- इस पर राजनीतिक नियंत्रण और हस्तक्षेप बना रहता है। एक सरकारी कम्पनी उद्योग मंत्री के नियंत्रण और प्रभाव में रहती है, और अपने दलगत हितों को ध्यान में रख कर कम्पनियों का प्रयोग करते हैं। अतः यह एक सरकारी विभाग के अनुरूप ही कार्य करने लगते हैं।
- व्यावहारिक तौर पर न तो इसमें वित्तीय पहलुओं से जुड़ा लचीलापन होता है और न ही इसमें स्वायत्ता लायी जा सकती है।
- प्रो0 वी0वी0 रामनाथन के अनुसार “बाह्य रूप से यह एक स्वायत्त इकाई है, परन्तु संगठन की संरचना इस प्रकार की जाती है और मण्डलों का निर्माण का तरिका भी ऐसा होता है कि इसमें सरकारी प्रभाव अत्यन्त सरल और विस्तृत हो जाता है।”

### 24.2.3 सार्वजनिक उद्यमों के लिए संगठन के स्वास्थ्य/स्वरूप का चयन

सार्वजनिक उद्यमों के लिए एक उपर्युक्त रूप का चुनाव करना लम्बे समय से विवाद का कारण रहा है। तीनों स्वरूपों के अपने-अपने गुण एवं दोष हैं। ए0डी0 गोरेवाला के अनुसार विभागीय प्रबंध अनेक कारणों से “स्वस्थ राजकीय उद्यम परम्परा” की स्वायत्तता का प्रत्यक्ष निषेध है एवं नमनीयता पहल की क्षमता का विरोधी है। अतः इसका प्रयोग विशेष परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए, विशेषकर जब गोपनीयता, सामरिक महत्व के या सुरक्षा संबंधी आधार वाले प्रतिरक्षा से सम्बंधित उपक्रमों की दृष्टि से आवश्यक हो। आकलन समिति ने अपनी 16 वीं रिपोर्ट (1954-55) में इस समस्या पर चर्चा करते हुए अपने अनुमोदन में कहा कि विभागीय रूप वाले उपक्रम को नहीं अपनाना चाहिए और इसके बदले कम्पनी रूप को अपनाने की सिफारिश की।

भारत में कम्पनी रूप को औद्योगिक और निर्माण संबंधी उद्योगों के लिए चुना गया है। लेकिन भारत में कम्पनी संसदीय अनुमोदनो पर कम आश्रित रहती है इसलिए स्वाभाविक है कि संसद इस तरह के संगठन के पक्ष में नहीं है जिससे इसके “संसदीय नियंत्रण” में कमी आए। अनुमान समिति की दृष्टि से संसदीय नियंत्रण एवं आन्तरिक स्वायत्तता के गुण संगठन के निगम स्वरूप में पाए जाते हैं। निगम के दायित्व एवं संसदीय नियंत्रण की प्रकृति का सम्बन्धित मूल विधि में स्पष्ट उल्लेख होता है। अतः समिति का सुझाव था कि जिन उद्यमों पर शासन का पूर्ण स्वामित्व होता है उनका संगठन सविधिक निगमों के रूप में किया जाना चाहिए, और जहाँ सुरक्षा, सामरिक या रक्षात्मक आवश्यकताओं या आर्थिक नियंत्रण के उद्देश्यों जैसे विशेष कारण हों वहाँ विभागीय उपक्रम की पद्धति का अनुगमन करना चाहिए। कम्पनी के संगठन स्वरूप का प्रयोग तो अपवादस्वरूप केवल विशिष्ट प्रकार के कार्यों के लिए ही किया जाना चाहिए; जैसे- संकटकाल में जब शासन किसी उद्यम पर स्वामित्व स्थापित करना चाहता हो; निजी स्वामित्व के सहयोग से यदि शासन किसी उद्यम को प्रारम्भ करना चाहता है; या उद्यम को जब शासन अन्ततः निजी स्वामित्व के हाथों में हस्तान्तरित करना चाहता हो।

अतः संगठन के संवैधानिक निगम या सरकारी कम्पनी रूपों के बीच चुनाव का विवाद बहुत पुराना है।

प्रशासनिक सुधार आयोग (1967) के अपने प्रतिवेदन में कहा कि सार्वजनिक उद्यम के लिए कम्पनी रूप की तुलना में निगम रूप को अपनाना अधिक लाभप्रद है। विदित है कि निगमों का गठन संसद द्वारा किया जाता है, इसलिए संसद के समक्ष यह अवसर होता है कि वह सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यम के गठन के विभिन्न पहलुओं पर जैसे-उसके संचालन, उद्देश्यों और दायित्वों पर विचार-विमर्श कर सकती है इसके साथ ही साथ संसद इस बात का भी ध्यान रखती है कि किस सीमा तक उसे स्वायत्ता दी जाए और किस सीमा तक उसका विकेन्द्रीकरण किया



जाए। इसलिए प्रशासनिक सुधार आयोग ने सामान्य स्तर पर सार्वजनिक निगम के रूप को अधिक पसंद किया है और इसके साथ ही क्षेत्र निगम के गठन का भी सुझाव प्रस्तुत किया। लेकिन किसी देश के आर्थिक विकास में संगठन का कम्पनी रूप भी किन्हीं कारणों से अत्यधिक उपयुक्त हो सकता है। इसे सभी अवस्थाओं एवं परिस्थितियों में अनुपयोगी घोषित करना उचित नहीं है।

इस प्रकार संगठन के प्रत्येक रूप के अपने लाभ एवं हानियाँ होती हैं। किसी सार्वजनिक उपक्रम के लिए संगठन का कौन सा रूप उपयुक्त या सही होगा, इस बात का निर्धारण करना एक जटिल कार्य है जिसमें अनेक बातों पर ध्यान देना पड़ता है, उस प्रतिष्ठान की गतिविधि किस प्रकार की है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में उसका क्या योगदान है, उसके कार्मिक, उसकी वित्तीय आवश्यकताएँ कैसी है जैसे गम्भीर विचार आदि।

### 24.3 संगठन के दूसरे स्वरूप

उपर्युक्त तीन मुख्य रूपों के अतिरिक्त भी सार्वजनिक उद्यमों के निम्न अन्य स्वरूप भी हैं-

1. **नियंत्रण परिषद/बोर्ड-** विभागीय संगठन के दोषों को दूर करने तथा उनके कार्य- संचालन में लोच लाने एवं शीघ्र निर्णय लेने हेतु नियंत्रण मण्डलों/परिषदों की स्थापना की जाती है। इसका गठन केन्द्र या राज्य सरकार के प्रस्ताव पर होता है। इनकी स्थापना बहुउद्देश्यी नदी घाटी परियोजनाओं के प्रबंध के प्रयोजन से की जाती है। भाखड़ा प्रबंधन परिषद और तुंगभद्रा परियोजना जैसी अन्य परियोजनाओं का गठन नियंत्रण परिषद के रूप के तहत हुआ है। नियंत्रण परिषद के पास तकनीकी और वित्तीय मामलों समेत परियोजना का सारा प्रभार होता है।
2. **पब्लिक ट्रस्ट (लोक न्यास)-** इसका गठन संसद के विशेष अधिनियमों के द्वारा होता है। इनके गठन का मुख्य उद्देश्य सेवा कार्य से जुड़े उपक्रमों के प्रबन्धन के लिए अथवा सामान्यतौर पर समाज को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के लिए की जाती है। उदाहरण के तौर पर इस श्रेणी में आने वाले उद्यम हैं- यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पोर्ट ट्रस्ट इत्यादि।
3. **संचालन अनुबंध/ठेका-** रंगून में हुई एक सेमिनार में संचालन ठेकों को सार्वजनिक उद्यमों के लिए अपेक्षाकृत एक नई विधि कहा गया है। इस प्रारूप में सरकार निजी नियंत्रण और प्रबंधन का लाभ उठाने के विचार से प्रबंधन से संबंधित कामों को एक सहमत पारिश्रमिक पर किसी निजी पक्ष को दे देती है। ठेकेदार कम्पनी को कर्मचारियों की भर्ती, वेतन तय करने, आवश्यक पूर्तियाँ एवं माल खरीदने तथा कर्मचारियों को सेवामुक्त करने की स्वतंत्रता होती है। इस पर सरकारी अभिकरणों पर लागू होने वाली संविधियाँ लागू नहीं होती और इसलिए इसके कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाता। भारत में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश की पहली सीमेण्ट फैक्ट्री को ब्रिटिश फर्म को सौंपकर इस प्रारूप को अपनाया गया था।
4. **आयोग-** लोक उद्यमों के अंतर्गत 'आयोगों' की स्थापना देश में विकास कार्यक्रमों को सम्पन्न करने हेतु की गई है। इनका गठन भी संसद के विशेष अधिनियमों द्वारा होता है। उदाहरण के लिए टैरिफ आयोग, फारवर्ड मार्केट्स आयोग, खादी और ग्राम उद्योग आयोग।
5. **कमोडिटी बोर्ड-** इसकी स्थापना औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की जाती है। इनका गठन भी संसद के विशेष अधिनियमों द्वारा किया जाता है। इसके उदाहरण हैं- स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड।
6. **क्षेत्र निगम-** क्षेत्र निगम ऐसे निगम होते हैं जो किसी विशेष गतिविधियों में या संचालन के क्षेत्र में लगे होते हैं। यह सम्बंधित मंत्रालयों के अधीन कार्य करते हैं। भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग ने सर्वप्रथम

लोहा और इस्पात, विद्युत उत्पाद, कोयला और भूरा कोयला, तेल, पेट्रोलियम पेट्रोरसायन, खाद आदि जैसे क्षेत्रों में क्षेत्र निगम की स्थापना की सिफारिश की थी।

7. **सहकारी समितियाँ-** इनकी स्थापना विकास और संवर्धनात्मक कार्यों के उद्देश्य से की जाती है। ये समितियाँ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत होती हैं। किसी सार्वजनिक उद्यम को सहकारी समिति तभी माना जाता है जब सरकार के निवेश का अंश उसमें सबसे बड़ा हो। इस श्रेणी के उद्यमों में भारतीय डेयरी निगम, भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण और राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम आदि आते हैं।

#### 24.4 संयुक्त उद्यम

सार्वजनिक संयुक्त उद्यम विकासशील देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग का एक नया रूप है। 'संयुक्त उद्यम' शब्द को एक ऐसे उद्यम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें दो या दो से अधिक प्रतिभागी कुछ सामान्य लक्ष्यों के लिए एक साथ काम करने के लिए सहमत हों। इस नवीन धारणा के अंतर्गत सरकार आर्थिक गतिविधियों में निजी क्षेत्र के साथ संयुक्त भागीदारी करती है। 'दत्त समिति' के नाम से प्रसिद्ध औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति जांच आयोग (1969) में अपनी प्रतिवेदन में यह कहा कि संयुक्त क्षेत्र दो महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है, पहला, निजी क्षेत्र के सहायता पाए उद्योगों के प्रबन्धन और नियंत्रण में एक सकारात्मक प्रभाव सुनिश्चित करना, और दूसरा औद्योगिक उपक्रमों को सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के संसाधनों का इस्तेमाल कर अपने औद्योगिक साम्राज्य का विस्तार करने से रोकना।

संयुक्त उद्योगों की स्थापना के प्रमुख कारण निम्न रूप से बताए जा सकते हैं-

- जब सरकार किसी उद्यम की स्थापना करना चाहती है, लेकिन उसके पास महत्व की क्षमता और आवश्यक कौशल का अभाव होता है तो संयुक्त उद्यम का इस्तेमाल करके निजी क्षेत्र के प्रबंधन का उपयोग कर सकती है।
- संयुक्त उद्यम के जरिए सरकार ऐसी किसी उद्यम में इक्विटी के लिए रुचिशील हो सकती है जो बीमा या निजी क्षेत्र जिसका प्रबंध ठीक ढंग से नहीं कर रहा और वह सरकार के लिए चिंता का विषय बनी हुई है।
- संयुक्त क्षेत्र के माध्यम से सरकार की भागीदारी औद्योगिक वृद्धि की गति को तेज करेगी, क्योंकि इससे औद्योगिक क्षेत्र के किसी अछूते खण्ड को सक्रिय करने में सहायता मिलती है।
- सरकार लाभ की संभावित आय के लिए निजी उद्यमों में सांझा कर (शेयर) ले सकती है।

सधारणतः संयुक्त उद्यमों की निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं-

- साझेदारी द्वारा, रूपए, सम्पत्ति, प्रयास, ज्ञान, कौशल या सामान्य उपक्रम की अन्य परिसमपत्ति का अंशदान।
- उद्यम के विषय वस्तु में संयुक्त सम्पत्ति हिता।
- उद्यम का पारस्परिक नियंत्रण या प्रबंधन का अधिकार।
- सम्पत्ति में भागीदारी का अधिकार।

आज के बदलते परिवेश में वैसे तो संयुक्त उद्यमों की अवधारणा और अभ्यास की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि लोक या निजी क्षेत्रों की सही-सही भूमिकाओं को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। इसके अलावा, स्वायत्ता, मूल्य निर्धारण नीति, सरकार का प्रतिनिधित्व, प्रबंधक मण्डल में निजी क्षेत्र की जैसी

समस्याएँ संयुक्त क्षेत्र के उद्यमों के सामने आती है। यदि लोक एवं निजी क्षेत्रों के बीच आपसी भरोसा और विश्वास पैदा किया जा सके तो, संयुक्त उद्यम विकासशील देशों में विकास का एक शसक्त माध्यम बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र सार्वजनिक संयुक्त उद्यम के प्रबन्धन पर विशेषज्ञ समूह की बैठक, न्यूयॉर्क, जनवरी 1986 में आयोजित की गई। इसके अनुसार विकासशील देशों में सार्वजनिक संयुक्त उद्यमों की वृद्धि का प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं-

- अर्थव्यवस्थाओं के पैमाने और क्षेत्र को प्रभावित करने के लिए;
- विकासशील देशों की स्थिति के लिए प्रौद्योगिकी के विकास को और अधिक उपयुक्त बनाने के लिए;
- जोखिम साझा करने और निवेश की आवंटित दक्षता में वृद्धि करने के लिए; और
- बाजार के विकास/वृद्धि के साथ उत्पादक क्षमता की तुलना समन्वयित करने के लिए।

#### 24.5 सार्वजनिक उपक्रमों के लिए एक समग्र संगठन की आवश्यकता

राष्ट्र हित में लोक उद्यमों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। जहाँ इसकी शुरुआत संख्या 01 अप्रैल 1951 में पाँच थी वो बढ़कर लगभग (2015-16) के आँकड़ों के अनुसार 244 तक पहुँच गई है। सार्वजनिक उद्यमों के विशाल क्षेत्र को देखते हुए यह सवाल उठता है कि क्या समस्त सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के लिए एक समग्र संगठन या फिर किसी एक (अकेले) शीर्ष निकाय की कोई आवश्यकता है। यह एक व्यवहारिक प्रश्न है, जिसकी चर्चा समय-समय पर सरकार और इससे जुड़े विशेषज्ञों और विद्वानों द्वारा की जाती रही है। इस संदर्भ में ए0डी0 गोरेवाला ने 1951 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट “राज्य उद्यमों का दक्ष व्यवहार” में यह सिफारिश की थी कि सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के लिए एक ही प्रबंधक मण्डल होना चाहिए ताकि सभी उद्यमों को एक समग्र परिधि में लाया जा सके। इनके सिफारिश को ध्यान में रखते हुए, एक उत्पादन मंत्रालय का गठन किया गया और इसे समस्त औद्योगिक इकाईयों की गतिविधियों के समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन इससे प्रभावित दूसरे मंत्रालयों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया जिसके कारण इस मंत्रालय को भंग कर दिया गया। इस उत्पादन मंत्रालय को बंद करवाने के पीछे बहुत सारे तर्क दिए गए मसलन प्रथम, इसका विशाल आकार जिससे इसके संचालन में कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी दूसरा, सार्वजनिक उद्यम का कार्य क्षेत्र है, क्योंकि आज सार्वजनिक उद्यम विभिन्न व्यापारिक या गैर व्यापारिक क्षेत्रों में काम कर रहा है इसका दायरा दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है (सामरिक से लेकर सामाजिक कार्यों तक)। अतः इन उद्यमों के उद्देश्य अलग-अलग है और वे भिन्न-भिन्न प्रौद्योगिकी को अपनाते है जिससे उनके मध्य समन्वय का अभाव रहता है।

फिर भी इसके समग्रता का प्रयास जारी है। 1986 में सार्वजनिक उद्यम विभाग का गठन किया गया। इसी संदर्भ में 1965 में ‘सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो’ का गठन किया गया, जो एक केन्द्रीय कर्मचारी अभिकरण के रूप में कार्य करता है। जिसका काम सार्वजनिक उद्यमों के प्रबंधन, परामर्श और कार्य क्षमता को नियमित करने में सहायता प्रदाता के रूप में होता है। यह सार्वजनिक उद्यमों को विशेषज्ञ किस्म का परामर्श देने के साथ-साथ मार्गदर्शन भी करता है।

‘सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो’ सार्वजनिक उद्यमों, सरकार और संसद के मध्य सेतु का काम करती है। इसके अलावा सार्वजनिक उद्यम की स्थायी समिति तथा अन्य समितियों द्वारा भी विभिन्न सार्वजनिक उद्यमों के मध्य समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है।

#### अभ्यास के प्रश्न-

1. भारत में भारतीय कम्पनी अधिनियम कब अपनाया गया?
2. विभागीय संगठन के प्रकारों का उल्लेख करें।

3. सार्वजनिक/लोक निगम के लाभ एवं हानियों को बताएँ।
4. संचालन अनुबंध/ठेका का अर्थ बताएँ।

#### 24.6 सारांश

सार्वजनिक उद्यमों के स्वास्थ्य/स्वरूप के प्रबंधन के लिए प्रारम्भ से ही सरकार एक ऐसी व्यवस्था की तलाश में लगी है जिससे विभिन्न सार्वजनिक उद्यमों की सार्वजनिक जवाबदेही और संचालन की स्वायत्ता के मध्य संतुलन एवं समन्वय कायम किया जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा संगठन के तीन महत्वपूर्ण रूपों की स्थापना की गई। ये रूप हैं-विभागीय प्रबंध/उद्यम, सार्वजनिक निगम और सरकारी कम्पनी। प्रत्येक संगठन के अपने-अपने लाभ एवं हानियाँ होती हैं। जहाँ संगठन के विभागीय रूप को सामरिक महत्व की और प्रतिरक्षा सम्बंधी इकाइयों के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है, वहीं सार्वजनिक निगम को वित्तीय संस्थाओं और लोक उपयोगिता की सेवाओं के लिए आवश्यक माना है। संगठन के तीसरे स्वरूप यानि सरकारी कम्पनी के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पादन, संसाधन और व्यापार सम्बंधी गतिविधियाँ तथा निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्द्धा की संभावना रखने वाली गतिविधियों के लिए उपयुक्त माना गया है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि संगठन के संचालन के स्तर पर उद्यमों की स्वायत्ता, कार्य करने के तरीके और कानूनी स्थिति के मध्य कोई स्पष्ट व आपसी संबंध नहीं है और न ही इनके बीच कोई समन्वय ही बन सका है।

सार्वजनिक उद्यमों के मध्य एकरूपता लाने के प्रयोग के रूप में भारत में कुछ गतिविधियों के संचालन हेतु नियंत्रक कम्पनियों का गठन किया गया है। स्पष्ट लाभों वाला संयुक्त क्षेत्र भी भारत में सफल नहीं रहा है लेकिन इसे सफल बनाने के प्रयास सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे हैं।

#### 24.7 शब्दावली

निगम- एक ऐसा निकाय या समूह जिसे एक व्यक्ति की तरह रहने के लिए कानून द्वारा अधिकृत किया जाता है। निरंतर चलते रहने वाले व्यापारिक संगठन, सेतु-पुल, सम्यक-समस्त या उपयुक्त, अंशधारी- किसी कम्पनी या कारोबार में लगी पूँजी के कुछ हिस्से या अंश का स्वामी, सामरिक- युद्ध या सेना और नौसेना से सम्बन्धित, परिश्रमिक-मेहनताने, स्वामित्व- प्रभुत्व या मालिकपन, विधिक-विधि संबंधी, विदित-ज्ञात, सार्वजनिक जवाबदेही- कार्यकलापों का विवरण जनता या संसद के सामने रखना, पब्लिक ट्रस्ट- लोक न्यास, नियंत्रक कम्पनी-मुख्य कम्पनी, जो वित्त प्रबंध और समन्वय के उद्देश्य से दूसरी कम्पनियों के शेयरों को अपने पास रखती है। दूसरी कम्पनियाँ इस कम्पनी की नियंत्रित कम्पनियाँ होती हैं, विनियोग- विधायिका द्वारा बजट के माध्यम से लिए गए वित्त को अधिकृत करना।

#### 24.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. 1956, 2. विभागीय संगठन के प्रकारों को 24.2 में विस्तृत रूप से बताया गया है, कृपया ध्यान दें। 3. सार्वजनिक/लोक निगम के लाभ एवं हानियों को 24.2.1 में विस्तृत रूप से बताया गया है, कृपया ध्यान दें। 4. संचालन ठेका के अर्थ को 24.3 के अन्तर्गत बताया गया है, कृपया ध्यान दें।

#### 24.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. विकास प्रशासन, आनन्द प्रकाश अवस्थी।
2. लोक प्रशासन, वीरेन्द्र शुक्ला।
3. राज्य प्रशासन, सुरेन्द्र कटारिया।

4. लोक प्रशासन: नये क्षितिज, इन्द्रजीत कौर।
5. भारतीय प्रशासन, श्री राम माहेश्वरी।
6. लोक प्रशासन, पुखराज जैन।
7. विकास प्रशासन (ई0पी0ए0-3, इकाई-27, इग्नू)

---

#### 24.10 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

---

1. विकास प्रशासन (ई0पी0ए0-3, इकाई-27, इग्नू)
2. Public Sector in India, S.K.Singh.
3. Administration of Public Enterprises in India, Jagdish Prakash & Nageshwar Rao, Mata Badal Shukla.
4. [www.dpe.gov.in](http://www.dpe.gov.in)

---

#### 24.11 निबन्धात्मक प्रश्न

---

1. सरकारी कम्पनी से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
2. सार्वजनिक/लोक निगमों की प्रमुख विशेषताओं स्पष्ट विवेचना कीजिए।
3. संगठन के दूसरे स्वरूपों का विस्तृत वर्णन कीजिए।

## इकाई- 25 विकास निगमों की भूमिका

### इकाई की संरचना

25.0 प्रस्तावना

25.1 उद्देश्य

25.2 विकास निगमों की संकल्पना

25.2.1 विकास निगमों के कार्य

25.2.2 विकास बैंक

25.2.3 विकास निगमों की भूमिका और उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन

25.3 सारांश

25.4 शब्दावली

25.5 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

25.6 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

25.7 सहाक्य/उपयोगी उध्ययन सामग्री

25.8 निबन्धात्मक प्रश्न

### 25.0 प्रस्तावना

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की औद्योगिक नीति में सामाजिक-आर्थिक उत्थान के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए रोजगार सृजन, कृषि क्षेत्र की मजबूती, उच्च उत्पादकता, क्षेत्रीय असंतुलन की सामाप्ति, उपभोक्ता संरक्षण तथा निर्यातोन्मुखी उद्योगों के प्रोत्साहन पर पूरा ध्यान केन्द्रित किया गया। शुरुवाती वर्षों में सरकार के समक्ष बड़े और मध्यम स्तर के क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना एवं उनके गठन को लेकर काफी समस्याएँ आईं। सरकार के समक्ष इन उद्योगों के विकास के लिए न सिर्फ वित्त की व्यवस्था करने की समस्या थी बल्कि समस्त उद्योगों के लिए तकनीकी की व्यवस्था भी करनी आवश्यक थी। इन समस्याओं के समाधान हेतु सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था की वित्तीय और अन्य उन्नयन सम्बंधी गतिविधियों को शुरू करने, प्रोत्साहित करने तथा चलाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट स्तर की संस्थाओं के गठन की आवश्यकता पर बल दिया। इन संस्थाओं को विकास निगमों के नाम से जाना जाता है। यह विकास के अभिकरण के रूप में, ऋण देने सम्बंधी, विकास सम्बंधी गतिविधियों के साथ-साथ परियोजनाओं के उन्नयन तथा अद्यमियों को उचित परामर्श एवं उनका मार्गदर्शन भी करती है।

इस इकाई में, हम विकास निगमों की संकल्पना, उनके द्वारा सम्पादित कार्यों तथा विकास बैंकों की भूमिका पर चर्चा करने के साथ-साथ विकास निगमों का आलोचनात्मक मूल्यांकन भी करेंगे।

### 25.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप-

- विकास निगम और विकास बैंकों की संकल्पना को समझ सकेंगे।
- इनके कार्यों का विवरण दे सकेंगे।
- विकास और उन्नयन सम्बंधी गतिविधियों में विकास निगमों की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कर सकेंगे।
- विकास निगमों की प्रशासनिक समस्याओं का अध्ययन कर सकेंगे।



## 25.2 विकास निगमों की अवधारणा/संकल्पना

विकास निगम की स्पष्ट परिभाषा करना कठिन है। इसका संगठन प्रायः लोक निगम के समान होता है। विकास निगम निश्चित आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए स्थापित किए जाते हैं। लोक उद्यम में स्थापित यह एक स्वायत्त इकाई है जो आर्थिक गतिविधियों को करने के बजाय कुछ व्यवस्था द्वारा सहायता देकर प्रोत्साहित करता है। कलकत्ता में स्थापित औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम, पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम आदि इसके उदाहरण हैं। इस प्रकार के निगम की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि यह अपने लाभ या मुनाफे के बदले में कुछ बाहरी आमदनी और मुनाफे का लक्ष्य बनाता है। जहाँ तक उन्नय संबंधी गतिविधियों का सम्बंध है, विकास-निगम की स्थापना के पक्ष में कुछ तर्क प्रस्तुत किए गए हैं- (1) विकास- निगम आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है जो निजी क्षेत्र में अन्यथा सम्भव नहीं हैं, (2) विकास निगम कम लाभ या कुछ नुकसान की स्थिति में कार्यरत रहते हैं, और (3) सरकार की विचार की हुई किसी वांछित आर्थिक विकास नीति को बढ़ावा देते हैं। अन्तिम, निगम भारी लागत को सहन करता है जो व्यक्तिगत उद्यम या निजी क्षेत्र नहीं कर सकते। सरकार जब विकास निगम के माध्यम से पहल करती है तो, उससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। कभी-कभी ये निगम निजी क्षेत्र में आवश्यक आत्मविश्वास भरने के लिए उस क्षेत्र के साथ मिलकर संयुक्त रूप से किसी गतिविधि को बढ़ावा भी दे सकते हैं।

अतः स्पष्ट है कि लोक निगमों की भाँति विकास निगमों के पास पर्याप्त स्वायत्ता होती है। परिणामस्वरूप वे लाभ पाने वालों की वित्तीय, प्रबंधकीय एवं तकनीकी सहायता देने में समर्थ होते हैं। विकास निगम प्रत्येक मामलों में उपयुक्त निर्णय ले पाते हैं जैसे- क्या ऋणों या इक्विटी (सामान्य शेयर) के रूप में भागीदारी की जाए, या स्वयं ही गतिविधियाँ चलाई जाए या कुछ आर्थिक सहायता दी जाए या ये भी निर्णय कर सकती है कि पूरी उद्यम को निजी क्षेत्र को बेच दिया जाए।

### 25.2.1 विकास निगमों के कार्य

लोक निगम की भाँति विकास निगम अनेक प्रकार के कार्यों को करता है जैसे-

1. **वित्तीय संबंधी कार्य-** विकास निगम कृषि, उद्योग, व्यापार आदि को ऋण देने का कार्य करते हैं। भारत में औद्योगिक क्षेत्र में वित्त प्रदान करने वाली प्रमुख संस्थाएँ निम्नलिखित हैं-

- भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (IFCI)
- भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI)
- भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम (ICICI)
- भारतीय औद्योगिक विनियोग बैंक (IIBI)
- राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम (NIDC)
- भारतीय लघु-उद्योग विकास बैंक (SIDBI)

इसके अतिरिक्त विशिष्ट वित्तीय संस्थान जैसे- भारतीय निर्यात आयात बैंक (EXIM Bank) इन वित्तीय कार्यों को अंजाम देते हैं। इसी प्रकार, विभिन्न राज्य सरकारों ने भी अपने-अपने राज्यों में छोटे एवं मध्यम स्तर के उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु सन् 1952 से विभिन्न वित्त और विकास निगमों का गठन किया है, जैसे- राज्य वित्त निगम (SFCs) तथा राज्य औद्योगिक विकास निगम (SIDCs) आदि।

2. **उन्नयन संबंधी कार्य-** उन्नयन संबंधी कार्यों के कई रूप होते हैं। विकास निगम किसी परियोजनाओं की स्थापना के पहले पूर्व- निवेश की सम्भावना का अध्ययन करता है। यह उद्यमियों एवं पूँजी निवेशकों को किसी परियोजना के मूल्यांकन और बाजार के विश्लेषण के लिए कुशल मार्गदर्शन एवं उनकी मदद करता है। औद्योगिक इकाइयों के लिए यह बिजली एवं पानी जैसी लागतों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराता है तथा विपणन, भंडारण, संचार की सुविधाएँ भी इन औद्योगिक संपदाओं में उपलब्ध करायी जाती हैं। भारतीय राज्य व्यापार निगम इस प्रकार की उन्नयन संबंधी गतिविधियों का एक अच्छा उदाहरण है। इसका उद्देश्य व्यापार को विविधता देने के साथ-साथ विदेशी मुद्रा का अधिक से अधिक अर्जन करना भी है। किसी पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए पूर्ण या आंतरिक रूप से कुछ विकास निगमों की स्थापना की गई है जैसे- (IDBI) और दूसरी वित्तीय संस्थाओं ने NEITCO, KITCO आदि जैसे परामर्श संगठन शुरू कर दिए हैं।

इन परामर्श संगठनों का कार्य उन उद्यमियों को परामर्श एवं तकनीकी सहायता मुहैया करना होता है जो पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करना चाहते हैं। उद्योगों का व्यापक विस्तार, संतुलित क्षेत्रीय विकास तथा पिछड़े क्षेत्रों तक आर्थिक प्रगति के लाभों का विस्तार आदि विकास निगम के प्रधान उद्देश्य रहे हैं।

3. **तकनीकी संबंधी कार्य-** कुछ विकास निगम तकनीकी कार्य जैसे- शोध तथा नवीन तकनीक विकसित करने का कार्य भी करते हैं जैसे- भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम आदि। भारत में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम एक ऐसा ही विकास निगम है जो निरंतर परियोजना के निर्माण, उसकी विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करने, सहायता करने तथा स्थल का निरीक्षण करने में परामर्शदात्री संस्था की भूमिका का निर्वाह करता है। उदाहरण के लिए- इंजीनियरिंग इंडिया लि० आदि। इसके साथ ही यह उनके तकनीकी कर्मचारियों और प्रबंधकों को प्रशिक्षण की सुविधाएँ भी प्रदान करता है। औद्योगिक उद्यमों के उत्पादनों के विपणन में भी यह मदद करता है।

4. **प्रवर्ती संबंधी कार्य-** विकास निगम किसी उद्यम की गतिविधियों को अपने नियंत्रण में रखते हुए, या उसे निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करने से पूर्व, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है या चला सकता है। इस प्रकार संयुक्त क्षेत्र की अनेक इकाइयों का राज्य सरकारों ने उन्नयन किया है। विविध गतिविधियों के संचालन हेतु सहकारी उद्यमों की स्थापना पर बल दिया जा रहा है। अन्य देशों की तरह भारत में भी सार्वजनिक क्षेत्र के कई इकाइयों को निजी क्षेत्र में परिवर्तित करने की प्रवृत्ति अपनाई जा रही है। इसे विकासशील देशों में औद्योगिकरण का बेहतर विकल्प माना जा रहा है।

अतः स्पष्ट है कि, विकास निगमों की स्थापना किसी एक विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रख कर नहीं की जाती बल्कि इसके विविध कार्य होते हैं।

### 25.2.2 विकास बैंक

विकास बैंक (Development Bank) एक ऐसा वित्तीय संस्थान है जो सर्वाधिक वित्त प्रदान करता है, उद्यम-वृत्ति को प्रोत्साहित करता है, संगठनात्मक प्रभावशीलता बढ़ाता है तथा तकनीकी एवं व्यवहारिक ज्ञान की उन्नति करता है। यह बैंक चाहे कर्ज देता है या पूँजी देता है या दोनों प्रदान करने के साथ-साथ सलाहकारी, प्रोत्साहन का काम तथा अद्ययमीय सेवाएँ उपलब्ध कराता है। इस तरह विकास बैंक वित्तीय तथा विकास संबंधी सेवाओं के मिश्रण की व्यवस्था करता है। इन बैंकों की स्थापना सबसे पहले यूरोप और जापान में हुई।

भारत के विकास बैंक भारत में औद्योगिक वित्तपोषण संस्था (Industrial Financing Institution) स्थापित करने के लिए सन् 1931 में केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति द्वारा सिफारिश की गई थी, लेकिन उस समय कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। रिजर्व बैंक ने एक विस्तृत अद्यययन कर विशेष संस्थानों की जरूरत का पता लगाया और

भारत में प्रथम विकास बैंक यानि 'भारतीय औद्योगिक वित्त निगम' 1948 का गठन किया गया। यह ऋण देने वाली पहली अखिल भारतीय संस्था हैं, जिसे उद्योगों का मध्यम और लम्बी अवधि के लिए ऋण देना का काम सौंपा गया है। सन् 1951 में संसद में राज्य वित्तीय निगम अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए वित्तीय निगम स्थापित कर सकती थी।

इसके पश्चात सन् 1955 में 'भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम' को संयुक्त स्टॉक कम्पनी के रूप में स्थापित किया गया।

हालाँकि 'भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम' एक निजी क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया था लेकिन शेयर होल्डिंग और फंड जुटाने के तरीकों के अपने पैटर्न की वजह से यह सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थान की विशेषता रखता है।

सन् 1958 में पुर्नवित्त निगम उद्योग लिमिटेड (RCI) की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक, एल0आई0सी0 तथा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा हुई। सन् 1964 में, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI) का गठन किया गया। विकास बैंकिंग (औद्योगिक वित्त) के क्षेत्र में इसकी स्थापना एक शीर्ष संस्था के रूप में की गई। यह राष्ट्रीय योजनाओं और प्राथमिकताओं के अनुसार मध्यम और दीर्घकालिन परियोजनाओं के वित्तपोषण द्वारा औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने, उनके समन्वय करने तथा उनके संसाधनों की पूर्ति करने का काम करता है। इस प्रकार यह विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ उद्यमों को विस्तार और विविधता देने और उसे आधुनिक बनाने के मिशन के साथ यह एक अग्रणी विकास बैंक रहा है।

विकास बैंक के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं-

- यह बैंक जोखिम पूँजी का प्रबंध करती है।
- यह बैंक मुख्यतः मध्यम तथा दीर्घकालिक कर्ज/ऋण तथा अग्रिम प्रदान करती है।
- यह बैंक उद्योगों के लिए स्टॉक, शेयर, बॉण्ड तथा डिबेन्चर आदि का निर्गम अभिदत (Subscribe) करता है जिससे उद्योगों को काफी लाभ पहुँचता है।
- यह बैंक नई औद्योगिक बैंकों की स्थापना में काफी सहायता प्रदान करता है।
- यह उद्यमों के प्रबंधन के लिए उद्यमियों का पता लगाता है।
- यह उद्यमों के लिए विशेष प्रस्तावों का निर्माण करता है।
- अपने प्रयासों या नियुक्त सलाहकारों के माध्यम से परियोजना की उपादेयता का पूरा अध्ययन करता है।
- यह बैंक नए उद्यमियों के आवश्यक प्रशिक्षण, दिशा निर्देश एवं अन्य सुविधाएँ जैसे- परियोजना का चुनाव तथा निरूपण, परियोजना कार्यान्वयन आदि का प्रबंध करता है।
- यह बैंक पिछड़े क्षेत्रों के विकास तथा उद्योगों के वितरण में सहायता प्रदान करती है।
- यह बैंक वर्तमान संयंत्र तथा मशीनरी के आधुनिकीकरण, मरम्मत तथा रूपान्तरण आदि के लिए सहायता भी देती है।

अतः स्पष्ट है कि उद्योग, कृषि और अन्य प्रमुख क्षेत्रों के सर्वधन और विकास में लगे ये वित्तीय अभिकरण हैं। ये विकास बैंक राष्ट्रीय या क्षेत्रीय वित्तीय उत्पादक निवेश के लिए मध्यम और दीर्घकालिन पूँजी प्रदान करने के लिए बनाये गये है। कुछ विकास बैंक सरकारी स्वामित्व वाले है तो कुछ निजी स्वामित्व वाले। फिर भी इनका उद्देश्य विकास सेवाएँ प्रदान करने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था के त्वरित विकास में सहायता प्रदान करना है।

### 25.2.3 विकास निगमों की भूमिका और उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन

किसी भी देश में उपस्थित कृषि क्षेत्र में तथा औद्योगिक क्षेत्र में आर्थिक मदद की आवश्यकता पड़ती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देश में बहुत से वित्तीय संस्थान होते हैं जो इनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। भारत में केन्द्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर बहुत सारे विकास बैंक हैं। इन विकास बैंकों के अतिरिक्त इनमें से कुछ राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, केन्द्रीय भण्डारण निगम, राष्ट्रीय लघु स्तरीय उद्योग निगम, पुर्नवास उद्योग निगम, भारतीय पर्यटन विकास निगम, राष्ट्रीय बीज निगम, राज्य व्यापार निगम, फिल्म वित्त निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय इकाई न्यास, साधारण बीमा निगम, राज्य वित्त निगम, राज्य औद्योगिक विकास निगम आदि हैं। इन सब के अतिरिक्त भारत के कुछ विशिष्ट वित्तीय संस्थान भी हैं जैसे- भारतीय निर्यात आयात बैंक, जोखिम पूँजी एवं प्राद्योगिक वित्त निगम लि0, भारतीय पर्यटन वित्त निगम, आधार संरचना पट्टेदारी तथा वित्त सेवा लिमिटेड। उपरोक्त निगमों में से कुछ निगम जैसे- पर्यटन, निर्यात, अनुसंधान और विकास के क्षेत्रों में कार्यरत निगम बहुत प्रभावी ढंग से विकास में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में उद्योगों के विकास को संतुलित और एकीकृत करने की दिशा में एक सरकारी माध्यम के रूप में प्रभावी ढंग से काम करता आ रहा है। यह निगम उद्योगों की स्थापना के लिए नए योजना एवं उत्पादन की नई दिशाओं को विकसित करने के लिए परियोजनाओं को तैयार करता आ रहा है। निगम का मुख्य उद्देश्य उद्योगों को वित्त देने के बजाय उनको प्रोत्साहन देना है। यह अपनी खुद की औद्योगिक योजनाओं को बनाता है या फिर निजी उद्योग के साथ सहयोग कर के यह उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए सहायता भी प्रदान कर सकता है। इसकी शुरुआत कपास, जूट और शक्कर उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए की गई थी। एन0आई0डी0सी0 की सेवाओं का लाभ भारतीय और विदेशी उद्यमियों के साथ- साथ संयुक्त राष्ट्र ने भी लिया है।

विकास निगम सामाजिक बदलाव लाने में भी प्रभावी रहे हैं। ऐसा विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के मामलों में देखा गया है। इस क्षेत्र में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं विकास निगम एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति एवं विकास निगम जैसे निगम प्रमुख हैं।

विकास निगमों ने भण्डारण की जो सुविधाएँ उपलब्ध कराई हैं उनसे हमारे लघु स्तर के विनिर्माताओं और कृषि उत्पादकों को पर्याप्त संरक्षण मिला है। पर्यटन विकास निगमों के द्वारा विदेशी मुद्रा का भी अर्जन देश के अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहा है।

निःसंदेह राष्ट्र के विकास को सही दिशा प्रदान करने में विकास निगमों द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। देश की आर्थिक-सामाजिक उन्नति के साथ-साथ ये निगम क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त कर समग्र विकास एवं एकीकरण की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन इनमें से अधिकतर निगमों के साथ एक गम्भीर समस्या उनकी स्वायत्तता को लेकर जुड़ी है। विकास निगम जैसे तो लोक निगमों की भाँति अनेक प्रकार के कार्यों को करता है और लोक- उद्यम में स्थापित यह एक स्वायत्तता इकाई है, फिर भी ये निगम किसी बड़े रूप में सरकारी प्रभाव से पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाए हैं। इसलिए जब तक इन निगमों को पर्याप्त स्वायत्तता नहीं दी जाती, वे एक वाणिज्यिक उद्यम के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे। इसलिए सरकार और निगमों के बीच एक समझौता के तहत काम होना चाहिए ताकि निगमों की स्वायत्तता बनी रहे जिससे उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों में बाधा ना आए और विकास अवरूद्ध न हो।

अतः विकास निगमों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के अच्छे परिणाम प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि उनकी स्वायत्तता सुनिश्चित हो तथा उन पर कोई अनावश्यक दबाव न बने। इसके साथ ही इस बात की भी आवश्यकता है कि विकास निगमों कि संगठन में निदेशक मण्डल और उनसे निम्न स्तर के अधिकारियों को उचित प्रशासनिक और आर्थिक अधिकार दिए जायें तथा इन निगमों में व्यावसायिकता को बढ़ा देने के लिए इनमें कार्यरत प्रबंधकीय और तकनीकी कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाए। विकास निगमों की कुशलता और क्षमता को प्रभावी

बनाने के लिए यह आवश्यक है कि वित्तीय प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीकों जैसे (वैज्ञानिक विश्लेषण की आधुनिक विधियों का प्रयोग), आँकड़ा संसाधन और कार्यालय- प्रबंधन की बेहतर तकनीकों को अपनाने पर बल दिया जाना चाहिए। इससे नियोजन, निर्णयन और मूल्यांकन करने की बेहतर व्यवस्था की जा सकती है।

#### अभ्यास प्रश्न-

1. विकास बैंकों की स्थापना सबसे पहले किन-किन देशों में हुई।
2. विकास निगमों के वित्तीय कार्यों का वर्णन कीजिए।
3. भारत में ऋण प्रदान करने वाली पहली अखिल भारतीय संस्था का नाम बताईए तथा इसकी स्थापना कब हुई।
4. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का गठन कब हुआ।

### 25.3 सारांश

भारत सहित विश्व के अधिकांश विकासशील देशों में अनेक विकास निगम हैं जिनका उद्देश्य उन देशों का सामाजिक-आर्थिक विकास करने के साथ-साथ वित्तीय और तकनीकी मामलों में निजी उद्यमियों की सहायता करने के लिए किया जाता है। विकास बैंक उद्योगों को वित्तीय एवं विकास सम्बंधी सहायता प्रदान करता है। इस इकाई के अंतर्गत हमने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, औद्योगिक वित्त निगम तथा राज्य वित्त निगम एवं राज्य औद्योगिक विकास निगम जैसे अनेक विकास बैंकों के कार्यों के विषय में जाना और समझा कि विकास निगमों ने अनेक क्षेत्रों में सहायनीय कार्य किया है और कर रहे हैं जैसे- विपणन, भंडारण, निर्यात, अनुसंधान और विकास, पर्यटन आदि। इसका सकारात्मक प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है लेकिन विकास निगमों का आलोचनात्मक विश्लेषण करने पर यह बात सामने आती है कि इन निगमों के पास पर्याप्त स्वायत्तता नहीं होती और न ही संगठन में निदेशक मण्डल और उनसे निम्न स्तर के अधिकारियों को उचित प्रशासनिक और आर्थिक अधिकार दिए जाते हैं। वे अपने तकनीकी और प्रबंधकीय कार्मिकों में व्यावसायिकता नहीं बना पाते।

अतः विकास निगमों को प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने के लिए यह आवश्यक है कि इनकी प्रशासनिक ढाँचे को बेहतर बनाया जाए तथा आधुनिक तकनीकीकरण को अधिक से अधिक ग्रहण किया जाए जिससे राष्ट्र निर्माण की गति को और तीव्रता मिल सके।

### 25.4 शब्दावली

फंड-निधि, इलैक्ट्रानिक आंकड़ा संसाधन- किसी संगठन के प्रबंधन के लिए सूचनाओं के भण्डारण और संसाधन के लिए कम्प्यूटरों का उपयोग, उपादेयता- व्यावहारिकता, संयुक्त क्षेत्र- जिसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र मिल कर काम करते हैं।

प्रवर्ती कार्य- किसी संगठन को सीधे चलाने से सम्बंधित कार्य एवं गतिविधियाँ, शेयर होल्डिंग- शेयरधारण या अंशधारी।

### 25.5 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. यूरोप और जापान, 2. विकास निगम के वित्तीय कार्यों को 25.2.1 में विस्तृत रूप से बताया गया है, कृपया ध्यान दें। 3. भारत में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ऋण देने वाली पहली अखिल भारतीय संस्था है तथा इसका गठन 1948 में हुआ था। 4. सन् 1964

---

**25.6 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची**

---

1. विकास प्रशासन, आनन्द प्रकाश अवस्थी।
2. व्यावसायिक वित्त, मनमोहन प्रसाद एवं कामिनी सिन्हा।
3. विकास प्रशासन, (ई0पी0ए0-3, इकाई- 28, इग्नू)
4. भारतीय प्रशासन, श्री राम माहेश्वरी।

---

**25.7 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री**

---

1. विकास प्रशासन, (ई0पी0ए0-3, इकाई- 28, इग्नू)
2. व्यावसायिक वित्त, मनमोहन प्रसाद एवं कामिनी सिन्हा।

---

**25.8 निबन्धात्मक प्रश्न**

---

1. विकास बैंक के प्रमुख कार्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत कीजिए।
2. विकास निगम से आप क्या समझते हैं? इसका आलोचनात्मक मूल्यांक कीजिए।
3. विकास निगमों की स्थापना किन कारणों से हुई?



## इकाई- 26 सार्वजनिक क्षेत्र की प्रशासनिक समस्याएँ

### इकाई की संरचना

26.0 प्रस्तावना

26.1 उद्देश्य

26.2 भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख समस्याएँ

26.2.1 भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं का विस्तृत विवरण

26.2.2 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की समस्याओं को दूर करने के सुधारात्मक उपाय

26.3 सारांश

26.4 शब्दावली

26.5 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

26.6 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

26.7 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

26.8 निबन्धात्मक प्रश्न

### 26.0 प्रस्तावना

पिछली इकाईयों में हमने सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और विस्तार तथा विकास निगमों पर विस्तृत चर्चा की है। लेकिन जब हम इनकी कार्यशैली की ओर अपना ध्यान केन्द्रित करते हैं तो इसमें कुछ स्पष्ट प्रशासनिक खामियाँ भी नजर आती हैं। इस इकाई में हम इन प्रशासनिक समस्याओं का विस्तृत परीक्षण करने का प्रयास करेंगे।

### 26.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप-

- भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य निष्पादन से संबंधित प्रमुख समस्याओं की पहचान कर सकेंगे।
- सार्वजनिक क्षेत्र के समक्ष संगठनात्मक समस्याओं की व्याख्या कर सकेंगे।
- सार्वजनिक क्षेत्र के संचालन से संबंधित विभिन्न समस्याओं का विश्लेषण कर सकेंगे।
- भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रशासनिक ढाँचे में वांछित संस्थागत एवं प्रक्रियात्मक परिवर्तन इंगित कर सकेंगे।

### 26.2 भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख समस्याएँ

जैसा कि पहले इकाई 23 में हम समझ चुके हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र या उद्यम की धारणा का कल्याणकारी राज्य एवं समाजवादी और विकासात्मक प्रशासन की धारणा से घनिष्ठ संबंध है। राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्तों के प्रत्यक्ष फलस्वरूप 1948 तथा 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्तावों तथा समाजवादी समाज की स्थापना की सरकारी घोषण से सार्वजनिक क्षेत्र ने भारत में उचित स्थान प्राप्त किया है। देश की अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का विशिष्ट स्थान के साथ-साथ राष्ट्रीय विकास में इनकी भूमिका अत्यन्त सराहनिय रही है। देश के औद्योगिकरण को बढ़ाने, क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन को दूर करने, सार्वजनिक क्षेत्र में पूँजी निवेश को प्रोत्साहन देने, रोजगार के अवसर बढ़ाने, अर्थव्यवस्था में कुछ औद्योगिक घरानों के बढ़ते एकाधिकार पर नियन्त्रण रखने तथा जन मानस के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने तथा सुधार लाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपेक्षा की गई है। लेकिन जब हम सार्वजनिक क्षेत्रों का समग्र अध्ययन करते हैं तो यह पता चलता है

कि जहाँ इन क्षेत्रों ने राष्ट्रीय विकास में अपनी महती भूमिका का परिचय दिया है वहीं जब हम इसके दूसरे पहलू की ओर अपना ध्यान केन्द्रित करते हैं तो पता चलता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अनेक मूलभूत, प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय समस्याओं से ग्रसित हैं। इसके पीछे यह तर्क दिया जाता है कि हमारी परियोजनाएँ उचित प्रकार से आयोजित नहीं की गईं, इनकी स्थापना उपयुक्त स्थान पर नहीं की गई, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा परियोजनाओं को बनाने तथा समादेशित करने में देरी हुई। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक उद्योगों के संचालन में अब संरचनात्मक समस्याएँ अधिक महत्वपूर्ण हो गई हैं।

इन गंभीर समस्याओं के निराकरण के बिना उसके कुशल कार्य-निष्पादन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इन समस्याओं को हम दो श्रेणियों में रख सकते हैं- पहला, समस्त उद्यमों या प्रतिष्ठानों की सामान्य समस्याएँ, और दूसरा, किसी उद्यम की विशिष्ट समस्याएँ।

पाठकों की सुविधा के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की समस्याओं को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है- 1. उद्देश्यों से सम्बन्धित समस्याएँ, 2. परियोजना संबंधी समस्याएँ, 3. संगठनात्मक समस्याएँ, 4. उत्पादन संबंधी समस्याएँ, 5. वित्तीय समस्याएँ, 6. कार्मिक प्रशासन संबंधी समस्याएँ, 7. विपणन संबंधी समस्याएँ, 8. नियन्त्रण एवं उत्तरदायित्व की समस्या, 9. सामग्री प्रबंध की समस्या और 10. बीमार इकाइयों की समस्या।

इस संबंध में सार्वजनिक उद्यमों के सर्वेक्षण से यह स्पष्ट हुआ है कि कई सार्वजनिक उद्यम अपेक्षानुसार कार्य नहीं कर रहे हैं।

### 26.2.1 भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं का विस्तृत विवरण

उपर्युक्त वर्णित समस्याएँ न केवल चिंता का विषय हैं, बल्कि यह वास्तव में विभिन्न स्तरों पर सार्वजनिक चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। इन समस्याओं का विस्तृत अध्ययन हम करेंगे-

**1. उद्देश्यों से सम्बन्धित समस्याएँ-** किसी भी सार्वजनिक उपक्रमों या प्रतिष्ठानों के सफलतापूर्वक संचालन हेतु उद्देश्यों का स्पष्ट होना अति आवश्यक है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अस्पष्ट या दुविधापूर्ण उद्देश्यों से निम्नलिखित समस्याएँ उत्पन्न होती हैं जैसे-

- उद्देश्यों में स्पष्टता का अभाव- यह देखा गया है कि निजी उद्यमों के उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट होते हैं वहीं सार्वजनिक उद्यमों के मामलों में यह स्पष्ट नहीं होते। इतने वर्षों के बाद भी हम अब तक इस मुद्दे से जूझ रहे हैं। अभी तक इन उद्यमों के उद्देश्यों के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं बन पाई है। स्पष्ट उद्देश्य न होने के कारण लोक उद्यमों के समक्ष सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वो अपनी दक्षता का ठीक और सही ढंग से न्यायोचित आकलन नहीं कर पाते।
- बहु-आयामी और परस्पर विरोधी उद्देश्य- भारत में लोक उद्यमों की स्थापना बहु-आयामी उद्देश्यों के साथ हुई जिसकी प्रकृति परस्पर विरोधी रही है। निजी उद्यमों के विपरीत लोक उद्यमों के उद्देश्य आर्थिक के साथ-साथ गैर-आर्थिक रहे हैं। इनके उद्देश्यों का निर्धारण लोक कल्याण को भी ध्यान में रख कर बनाया जाता है।

**2. परियोजना संबंधी समस्याएँ-** सार्वजनिक क्षेत्र में परियोजनाओं का प्रभावी प्रबंधन सर्वोपरि महत्व का है। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के दायरे में विस्तृत क्षेत्रीय कार्य आ गए हैं और सामान्य राजकोष से निवेश की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हुई है। अतः इनकी परियोजनाओं के प्रभावी प्रबंध का बहुत महत्व है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समस्याएँ निम्नलिखित हैं-

- स्थान के चुनाव में राजनीतिक हस्तक्षेप- सार्वजनिक उद्यमों की स्थापना के लिए स्थान का चयन आर्थिक और तकनीकी कारकों के आधार पर न करके राजनीतिक दबाव और प्रभाव के आधार

पर किया जाता है। जिसमें उत्पादन की लागत दर बहुत अधिक बढ़ जाती है। उदाहरणार्थ केन्द्र सरकार ने एक तर्कहीन दृष्टिकोण के तहत 'मिग विमान' परियोजना को दो अलग-अलग राज्यों में स्थापित करने का फैसला लिया। ये स्थान 'नासिक और 'कोरापूट' है जिनकी दूरी 2,000 कि०मी० से अधिक है यह निर्णय दोनों राज्यों के दो शक्तिशाली राजनेताओं को संतुष्ट करने के लिए लिया गया। राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण कई बार निर्माण के समय भी परियोजनाओं का स्थान बदल जाता है।

- परियोजनाओं की व्यवहार्यता रिपोर्ट की दोषपूर्ण तैयारी- अनेक बार जब रिपोर्ट बनाई जाती है तो इन्हें उपयुक्त अधिकारी से स्पष्ट होने में लम्बा समय लगता है जिसका परिणाम होता है पर्याप्त विलम्बा। इसके साथ ही साथ कई बार परियोजनाओं की रिपोर्ट पूरे तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखकर नहीं बनाई जाती और न ही आर्थिक लागतों व लाभों पर पूरा ध्यान दिया जाता। कई बार परियोजना मूल्यांकन से सम्बंधित जानकारी भी अपूर्ण होती है।
- भूमि अधिग्रहण की समस्या- भूमि अधिग्रहण परियोजना प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक है। सही मायने में देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ी समस्या पुनर्वास की है। इस संदर्भ में गरीब किसानों से जो सौदा मुआवजों के रूप में किया जाता है वह संतोषजनक नहीं होते जिसके चलते विरोध शुरू हो जाते हैं और परियोजना लम्बे समय तक अटक तक जाती है। उदाहरण के लिए गोरखपुर में 1960 में भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना के लिए स्थान का चयन किया गया लेकिन भूमि 1963-64 के दौरान ही अधिग्रहीत की जा सकी।
- तकनीकी जानकारी की समस्या- भारत में लोक उद्यमों के समक्ष महत्वपूर्ण समस्या तकनीकी की है। परियोजना के आयोजन तथा प्रमाणीकरण (परिबीक्षा) में सहायता करने वाली पी०ई०आर०टी तथा सी०पी०एम० जैसी आधुनिक तकनीकें या तो तैयार ही नहीं की जाती अथवा अपनाई नहीं जाती। इसके अतिरिक्त आज भी हम विदेशी तकनीकों की सहायता लेते हैं और यहाँ तक कि भारत में अधिकांश उद्यम तो विदेशी सहयोग से ही स्थापित किए गए हैं। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि प्रौद्योगिकी का चयन न केवल अद्युनिकता को ही ध्यान में रखकर किया जाए बल्कि इसका भी ध्यान रखना चाहिए की वह भारतीय परिस्थिति के लिए उपयुक्त हों।
- संगठनात्मक समस्याएँ- किसी भी संगठन या उद्यम की सफलता के लिए उसकी संस्था के स्वरूप का बड़ा महत्व होता है। 1948 के औद्योगिक नीति सम्बंधी प्रस्ताव में इस पक्ष पर पर्याप्त चर्चा हुई थी। प्रस्ताव में कहा गया कि राज्य क्षेत्र का प्रबंध नियमपूर्वक सार्वजनिक निगमों के माध्यम से केन्द्रीय सरकार के वैधानिक नियंत्रण में होगा। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समस्याएँ निम्नलिखित हैं-
  - सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न कार्यों के बीच और दूसरी ओर शासन के बीच प्रभावी और उचित सम्बद्धता का अभाव।
  - अधिकांश सार्वजनिक उद्यमों को उपयुक्त अधिकार नहीं दिए गए।
  - सही समय पर निर्णय लेने का पर्याप्त अधिकार नहीं है।
  - राजनीतिज्ञों के साथ-साथ संबंधित विभाग प्रशासकों द्वारा बार-बार हस्तक्षेप करना।
  - मंत्री स्तरीय नियंत्रक तथा संसदीय उत्तरदायित्व दोनों ही अप्रभावी रहे हैं।

- प्रबन्धकीय स्वायत्तता सीमित है तथा उत्तरदायित्व सुनिश्चित नहीं है। इसके अतिरिक्त संगठनात्मक ढाँचे से सम्बद्ध अन्य समस्या निदेशक मंडल के संघटन की है।

सार्वजनिक उद्यमों के निदेशक मण्डल के चयन के सम्बंध में निम्नांकित दोष उद्यमों की निष्फलता को बढ़ाते हैं जैसे-

- (क) निदेशकों की नियुक्ति उद्यमशीलता के आधार पर नहीं की जाती।  
 (ख) निदेशक मण्डल के अन्य सदस्यों यहाँ तक कि अध्यक्षों के पद अनिश्चित समय तक रिक्त रखे जाते हैं।  
 (ग) अधिकांश सार्वजनिक उद्यमों में मिश्रित प्रकार का मण्डल है जिसमें कुछ पूर्ण कालिक सदस्य हैं तथा कुछ अंशकालिक सदस्य। एक अध्ययन के अनुसार अंशकालिक सदस्य सार्वजनिक उद्यमों के कार्यों में पर्याप्त अभिरूचि नहीं लेते।  
 (घ) अध्ययनवेत्ताओं ने सार्वजनिक उद्यमों और सम्बन्धित सरकारी विभागों में समन्वय के अभाव को भी एक कारण माना है जिससे सार्वजनिक उद्यमों में लालफीताशाही और अक्षमता को प्रोत्साहन मिलता है। जब तक निदेशक मण्डल को निर्णय लेने की पर्याप्त शक्ति नहीं दी जाती तब तक केवल ढाँचे में परिवर्तन से वांछित सुधार नहीं लाया जा सकता।

4. **उत्पादन संबंधी समस्याएँ-** इसका तात्पर्य है कम समय और कम लागत में अधिक उत्पादन करना। ऐसा करते समय वस्तु की गुणवत्ता और उत्तमता का ध्यान रखना जरूरी है। इससे सम्बन्धित समस्याएँ हैं-

- ऊर्जा की कमी।
- पुरानी अशक्त उत्पादन संस्थाएँ।
- प्रबंध की समस्या।
- उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपभोग नहीं।
- हल्की किस्म का कच्चा माल, शोध और विकास क्रियाओं का असन्तोषजनक स्तर।
- रख-रखाव प्रबंधन पर अपर्याप्त ध्यान।

5. **वित्तीय समस्याएँ-** लोक उद्यमों की सबसे प्रमुख समस्या वित्त से सम्बन्धित है। इन उद्यमों की वित्तीय स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। अधिक निवेश के बावजूद इन संस्थाओं के असन्तोषजनक कार्यों ने राष्ट्रीय परियोजना प्रक्रिया को कमजोर किया है और कर-बोझ को बढ़ाया है। वित्तीय प्रबन्ध तथा नियंत्रण के प्रभावकारी यंत्र के निर्माण के लिए एक स्वस्थ बजट पद्धति अत्यन्त आवश्यक है। वित्त से सम्बन्धित कुछ प्रमुख समस्याएँ हैं-

- वित्तीय जागरूकता की समस्या।
- अधिक पूँजी निवेश समस्या।
- असन्तोषप्रद कार्य।
- वित्तीय अनुशासन की कमी।
- कम लाभ।
- ऋण।
- कार्यकारी पूँजी प्रबन्ध में लापरवाही।

- दोषपूर्ण मूल्य निर्धारण नीति।
  - सामाजिक प्रमुखता का भारी बोझ आदि।
  - अधिकांश उद्यमों के द्वारा अभी भी पारम्परिक बजट पद्धति का अपनाया जाना।
  - आंतरिक लेखा-परीक्षा पद्धति संबंधी समस्या आदि।
6. **कार्मिक संबंधी समस्याएँ-** सार्वजनिक उद्यमों के प्रत्येक दिन के काम काज में अक्सर राजनीतिक हस्तक्षेप पाया जाता है। यह भली प्रकार स्थापित हो चुका है कि किसी भी उद्यम की सफलता मुख्यतः सार्वजनिक उद्यमों में लगे हुये कार्मिकों की योग्यता, प्रशिक्षण, अनुभव तथा मनोबल पर निर्भर करती है। लेकिन दुर्भाग्य से कार्मिक प्रशासन हमारे सार्वजनिक उद्यम के सबसे कमजोर पहलुओं में से एक है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण समस्याएँ हैं-
- नौकरशाही का नियंत्रण।
  - मानवशक्ति का नियोजित न होना।
  - कार्मिक-प्रबन्ध के बीच अच्छे संबंध का न होना।
  - भर्ती की दोषपूर्ण नीति।
  - निजी क्षेत्रों की तुलना में कम वेतन।
  - अनावश्यक सेवा शर्तें।
  - गुणवत्ता की उपेक्षा।
  - मनोबल की कमी।
  - अन्य सुविधाओं की कमी।
  - प्रशिक्षण का अभाव।
  - नियुक्ति एवं अन्य कार्यों में भाई-भतीजावाद।
  - आवश्यकता से अधिक कर्मचारी होना।
  - प्रतिनियुक्तियों की समस्या।
  - मजदूर संघ की समस्या।
7. **विपणन संबंधी समस्याएँ-** लोक-उद्यम का यह सबसे कम विकसित क्षेत्र है। सार्वजनिक उद्यमों की दक्षता और सफलता इस बात पर निर्भर करती हैं कि माल या सेवाओं का प्रभावी ढंग से निपटान कैसे किया जाता है। इसकी प्रमुख समस्याएँ निम्नलिखित हैं-
- लोक-उद्यमों के पास योग्य विक्रेताओं की कमी।
  - निजी क्षेत्र के उद्यमों के साथ प्रतिस्पर्धा का अभाव।
  - गुणवत्ता नियंत्रण की खराब प्रणाली।
  - माँग बाधाएँ।
  - विकेन्द्रीकृत वितरण प्रणाली।
  - निर्यात संवर्धन की समस्याएँ।

- सरकार तथा लेखा-परीक्षकों के कठोर नियंत्रण के कारण विक्रय कमीशन के रूप में विक्रय प्रोत्साहन का अभाव
  - अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में स्पर्धा का अभाव आदि।
8. **नियन्त्रण एवं उत्तरदायित्व की समस्या-** सार्वजनिक क्षेत्र में जनता का धन लगा होता है इसलिए करदाताओं को यह जानने का पूरा अधिकार है कि उसका पैसा किस तरह खर्च किया गया, क्योंकि करदाता के प्रतिनिधि संसद में है इसलिए इनके नियन्त्रण और उत्तरदायित्व को संसद को सौंप दिया गया है। इससे संबंधित कुछ प्रमुख समस्याएँ हैं-
- स्वायत्तता की समस्या।
  - संसदीय नियन्त्रण की समस्या।
  - लेखा परीक्षा नियन्त्रण की रूढ़िवादी प्रणाली।
  - उत्तरदायित्व की समस्या।
  - परस्पर विरोधी उद्देश्य संबंधी समस्या।
9. **सामग्री प्रबंध की समस्या-** किसी भी उद्यम के लाभपूर्ण संचालन के लिए सामग्री का कुशलता तथा मितव्ययता से प्रयोग अत्यावश्यक है। लागत नियंत्रण करने के प्रबन्धकीय प्रयत्न का यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे सम्बन्धित कुछ समस्याएँ हैं-
- अधिक सामग्री का भण्डारण।
  - वस्तु सूची तैयार करने में वैज्ञानिक विधि का अभाव।
  - परिसम्पत्तियों का अन्यायोचित ऊँचा मूल्य।
  - परिसम्पत्ति नियंत्रण की वैज्ञानिक विधियों का अभाव।
  - सामग्री प्राप्त करने में कठिनाई और विलम्ब।
  - कठोर नियम एवं लोचशीलता का अभाव।
  - सरकारी हस्तक्षेप।
  - वाणिज्य और व्यापार जैसी प्रवृत्ति का अभाव।
  - सामग्री के वितरण में विलम्ब आदि।
  - क्रय की प्रक्रिया भी बहुत लम्बी है तथा इसके अंतर्गत वित्तीय शाखा को बड़ी संख्या में निर्देश भी शामिल है।
10. **बीमार इकाईयों की समस्या-** निजी क्षेत्र के रूग्ण या बीमार उद्यमों के रोजगार की रक्षा के लिए सरकार ने उन्हें अपने कामकाज में सुधार लाने के लिए पदभार संभाल लिया है। इससे सम्बन्धित कुछ समस्याएँ हैं-
- आवश्यकता से अधिक कर्मचारी का होना।
  - खराब बाजार छवि।
  - निष्क्रिय प्रबंधन।
  - पुराने और घिसे हुए उपकरण।

- अन्य समस्याएँ जैसे- अप्रचलित प्रौद्योगिकी, धन की कमी, उच्च ऋणात्मकता और खराब तरलता की स्थिति ऐसी बीमार इकाइयों से जुड़ी समस्या है।

### 26.2.2 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की समस्याओं को दूर करने के सुधारात्मक उपाय

26.2.1 में वर्णित नकारात्मक पक्ष का अभिप्राय यह नहीं है कि सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय विकास में कोई देन नहीं है। निष्पक्ष रूप से देखने पर ज्ञात होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका भारतीय विकास के लिए उल्लेखनीय रही है। भारतीय विकास को आत्मनिर्भर बनाने का श्रेय इसी क्षेत्र को जाता है। आज भी इस क्षेत्र में राष्ट्र की विशाल पूँजी और क्षमता- भौतिक, वित्तीय, संस्थात्मक और मानवीय श्रोतों संबंधी विद्यमान है। अतः इनकी समस्याओं का सुधार करना अनिवार्य है जिससे लोक-उद्यम राष्ट्र के निर्माण में अपनी अपेक्षित भूमिका निभा सकें।

लोक उद्यम क्षेत्र की उपर्युक्त समस्याओं के समाधान के लिए निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं-

1. लोक-उद्यमों के संचालक मण्डल में व्यावसायिक कुशलता प्राप्त व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए न कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को।
2. कार्यक्षमता में सुधार करने की आवश्यकता है।
3. क्रय-विक्रय की नीतियों को आकृष्ट तथा विकसित करने के लिए विशेष प्रयास की जाए।
4. सार्वजनिक उद्यमों के संरचनात्मक सुधार की आवश्यकता पर जोर दी जाए जिसका आधार-आधुनिकीकरण, कार्यक्षमता में वृद्धि तथा निजीकरण प्रोत्साहन ताकि, शेष सार्वजनिक क्षेत्र को कुशल और प्रतियोगी बनाया जा सकें।
5. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में 'निष्पादन बजट' तथा 'शून्य आधार बजट' को आरम्भ करने की आवश्यकता है।
6. आंतरिक लेखा-परीक्षा पद्धति को मजबूत बनाने की आवश्यकता है जिससे कि यह सुस्थितता, पर्याप्तता, निर्दोष वित्तीय सिद्धान्तों के अनुप्रयोग तथा संचालनात्मक नियंत्रण के पुनरीक्षण में समर्थ हो।
7. उत्पादकता वृद्धि के प्रयत्न किए जाने चाहिए।
8. अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए।
9. प्रबंधकीय व्यवस्था में सुधार तथा प्रबंध संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए।
10. उदारवादी नीतियों को प्राथमिकता देना।
11. प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहन देना।
12. सार्वजनिक उद्यमों का सही समय पर निर्णय लेने के पर्याप्त अधिकार मिलने चाहिए।
13. राजनीतिक हस्तक्षेप कम से कम होने चाहिए।
14. विदेशी निर्भरता कम करनी चाहिए।
15. भारत में तकनीकी क्षेत्रों की खोज, वैज्ञानिक पद्धति व अनुसंधान को प्रोत्साहित करना चाहिए।
16. संसद द्वारा नियन्त्रण नीति निर्माण में रखा जा सकता है लेकिन उपनीतियाँ बनाने में उपक्रम को स्वतन्त्र होना चाहिए।
17. लक्ष्यों की स्पष्टता होनी चाहिए।
18. प्रबन्धक वर्ग तथा श्रमिकों के मध्य सामंजस्य को बढ़ाया जाना चाहिए।
19. वस्तु सूची वैज्ञानिक विधि से तैयार की जानी चाहिए।
20. बेहतर भण्डारण सुविधाएँ होनी चाहिए ताकि सामग्री को अच्छे आकार तथा गुण में रखने में सहायता मिल सके।



21. मूल्य निर्धारण नीति में सरकार द्वारा जारी सम्पूर्ण मार्गदर्शक सिद्धान्तों, प्रत्येक उद्यम की व्यक्तिगत परिस्थितियों तथा राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए जाने चाहिए।

इसके अतिरिक्त प्रशासनिक सुधार आयोग तथा संबंधित अध्ययनों ने समय-समय पर सरकार का ध्यान इन विभिन्न प्रशासनिक समस्याओं की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया है तथा अपने-अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं जिस पर सरकार गंभीरता से विचार भी कर रही है।

सार्वजनिक क्षेत्र के विकास तथा उनकी समस्याओं के समाधान हेतु 9 अप्रैल, 2018 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम सम्मेलन- विजन 2022 को सम्बोधित करते हुए प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार CPSEs से जुड़ी समस्त समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार काम कर रही है जिसके तहत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े संस्थानों को (Operational Freedom) संचालन स्वतंत्रता दे दी है ताकि वो अपने-अपने क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन कर देश के सामाजिक-आर्थिक विकास को तीव्र गति प्रदान कर सकें।

#### अभ्यास के प्रश्न-

1. सार्वजनिक क्षेत्र में वित्तीय संबंधी समस्याओं पर प्रकाश डालिए।
2. सार्वजनिक क्षेत्र में बीमार इकाईयों की प्रमुख समस्याओं को इंगित कीजिए।
3. सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पादन संबंधी समस्याओं पर प्रकाश डालिए।
4. सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु कम से कम चार सुझाव प्रस्तुत करें।

#### 26.3 सारांश

भारत में सार्वजनिक उद्यम आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं यद्यपि निजी क्षेत्र भी विद्यमान है और सरकार इसे प्रोत्साहित भी कर रही है। इसलिए यह आवश्यक है कि सार्वजनिक उद्यमों की प्रशासनिक कमियाँ और दुर्बलताओं को शीघ्रतिशीघ्र दूर किया जाए। सार्वजनिक उद्यमों के निष्पादन में सुधार के एक प्रयास में विभिन्न सरकारी तथा गैर-सरकारी अध्ययन रिपोर्टों ने सार्वजनिक उद्यमों के कुशल कार्य संचालन हेतु अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं। इसमें मुख्यतः इस ओर इशारा किया गया है कि किसी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई का निष्पादन तथा सफलता अंततः संगठन की प्रशासनिक प्रबंधकीय सामर्थ्य पर निर्भर करती है। प्रशासनिक मंत्रालयों और सार्वजनिक उद्यमों के मध्य समझबूझ स्मृतिपत्र व्यवस्था (एम0ओ0यू0) के प्रभावी होने के लिए सुधार आवश्यक है। कार्यक्षमता, सक्रिय नेतृत्व, कार्य सम्पादन क्षमता एवं नवचिन्तन प्रोन्नत करने के लिए विशिष्ट उद्यम स्तरों पर प्रबंध व्यवहार में शीघ्र परिवर्तन की आवश्यकता है। इनकी जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। नीति निर्माताओं को चाहिए कि सरकार में एक नवीन संस्थात्मक क्षमता निर्मित करें जो पर्यावरण परिवर्तन एवं बाजार शक्तियों के प्रति संवेदनशील हो। इन सब के अतिरिक्त वित्त, कार्मिक प्रशासन तथा उत्पादन एवं विपणन से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक समस्याएँ हैं जिनका निराकरण सरकार को अतिशीघ्र करना चाहिए। जब तक सार्वजनिक क्षेत्र के प्रशासनिक ढाँचे में सुझाए गए सुधरात्मक उपायों को सही तरीके से नहीं अपनाया जाता तब तक घोषित उद्देश्यों को पूरा करने में सफलता नहीं मिल सकती है।

#### 26.4 शब्दावली

निपटान- पुराने माल का विक्रय, संवर्धन- वृद्धि करना, वस्तु सूची- इससे अभिप्राय संगठन की परिसम्पत्तियों के उस भाग से है जिसमें उत्पाद के निर्माण में प्रयुक्त कच्चा माल, निर्माण की प्रक्रिया में प्रयुक्त वस्तुएँ तथा उपभोक्ता को वितरण के लिए तैयार परिष्कृत वस्तुएँ आती हैं।

निष्पादन बजटिंग- निष्पादन बजट का अभिप्राय उस प्रविधि से है जो सरकारी कार्यवाही को कार्यों, कार्यक्रमों, क्रियाकलापों के रूप में प्रस्तुत करती है। कार्य सम्पादन के इस अर्थपूर्ण वर्गीकरण से सरकारी क्रियाकलापों को बजट में वित्तीय तथा भौतिक रूप में अंकित किया जाता है इससे निवेश तथा उत्पादन में समुचित सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है तथा प्रशासन की उपलब्धियों को लागत के सम्बन्ध में आंका जा सकता है। शून्य आधार बजट- इसमें पिछले वर्ष के बजट को आधार नहीं माना जाता। इसके अनुसार सभी व्ययों, वर्तमान तथा भविष्य के लिए अनुमानित पर विचार- विमर्श किया जाता है। वर्तमान व्यय के औचित्य पर भी विचार-विमर्श करने का अभिप्राय है कि आगामी वर्ष के बजट के लिए कोई आधार नहीं है। इसलिए इसे शून्य आधार बजट कहा जाता है। सामग्री प्रबंध-इसके अंतर्गत सामग्री संचलन, उत्पादन, नियंत्रण, वस्तु सूची नियंत्रण, भण्डारण, सामग्री व्यवस्था तथा क्रय आदि से संबद्ध क्रियाएँ आती हैं।

आंतरिक लेखा परीक्षा- यह किसी भी संगठन का ऐसा भाग है जिसके अंतर्गत यह सुनिश्चित करने के लिए लेखों की परीक्षा की जाती है कि वे ठीक प्रकार से तैयार किए जाते, किया गया व्यय निर्धारित सीमाओं के अन्दर हैं तथा वित्तीय नियमों और विनियमों का पालन किया जाता है। आंतरिक लेखा परीक्षा का कार्य-क्षेत्र संगठन के प्रबंध वर्ग द्वारा निर्धारित किया जाता है।

सी0पी0एम0- यह एक योजना तकनीक है जो आरेख द्वारा किसी क्रिया अथवा परियोजना से संबद्ध कार्य निष्पादन अथवा पूर्ण किए जाने के क्रम को इंगित करती हैं। यह परियोजना को उसकी अंगभूत घटनाओं के द्वारा स्पष्ट करती है। आरेख के रूप में क्रियाओं अथवा घटनाओं को क्रम देकर तथा उसकी परस्पर निर्भरता प्रदर्शन द्वारा यह तकनीक व्यक्ति को क्रांतिक अथवा महत्वपूर्ण घटनाओं अथवा क्रियाओं के पहचानने में समर्थ बनाती है जिनमें विलम्ब से परियोजनाओं की सम्पूर्ण समाप्ति में विलम्ब हो सकता है। यह तकनीक इंजीनियरी, निर्माण अथवा संबद्ध परियोजनाओं की योजना, प्राक्लन, व्यवस्थापन तथा नियंत्रण में प्रयोग की जाती है।

### 26.5 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. इसका उत्तर 26.2.1 में निहित है।
2. इसका उत्तर 26.2.1 में निहित है।
3. इसका उत्तर 26.2.1 में निहित है।
4. इसका उत्तर 26.2.2 में निहित है।

### 26.6 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. भारतीय प्रशासन, अमरेश्वर अवस्थी एवं आनन्द प्रकाश अवस्थी।
2. लोक प्रशासन: नये क्षितिज, इन्द्रजीत कौर।
3. भारतीय प्रशासन, श्रीराम माहेश्वरी।
4. Administration of Public Enterprises in India, Jagdish Prakash, Nageshwar Rao, Mata Badal Shukla
5. वित्त प्रशासन, पी0एन0 गौतम
6. विकास प्रशासन, (ई0पी0ए0-3, इकाई- 29, इग्नू)

### 26.7 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. वित्त प्रशासन, पी0एन0 गौतम।
2. भारतीय प्रशासन, अमरेश्वर अवस्थी एवं आनन्द प्रकाश अवस्थी
3. विकास प्रशासन, (ई0पी0ए0- 3, इकाई- 29 इग्नू)

---

26.8 निबन्धात्मक प्रश्न

---

1. सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख प्रशासनिक समस्याओं का विस्तृत विवरण दें।
2. सार्वजनिक क्षेत्र की प्रशासनिक समस्याओं को दूर करने के सुधारात्मक उपाय या सुझाव प्रस्तुत करें।